

प्रकाशक

वास्तु-वाङ्मय-प्रकाशन-शाला

शुक्ल-कुटी, फैजाबाद रोड

साखनऊ

प्रथम बार

एकादश शत प्रतियाँ

मूल्य

आठ रुपया आठ आने

मुद्रक

पं० विहारीलाल शुक्ल

शुक्ला प्रिंटिंग प्रेस

लग्नऊ

ॐ इष्टदेव्यै मात्रे दुर्गायै नमः ॐ

समर्पणा

शुक्लावाद—(शकूरावाद), तहसील सफीपुर, जिला उन्नाव,
लेखक की जन्म-भूमि—में 'रुद्रेश्वर' उत्तुङ्ग एवं
भव्य शिवालय (मुख-पृष्ठ - प्रासाद-
समाकृति) के कारक (यजमान)
परम शैव अपने पितृव्य-
चरण दिवंगत

पं० रुद्रधर शुक्ल

को


सगद्

समर्पित ।

तदनुज—महादेवप्रसाद शुक्ल—आत्मज्ञ

—रेखक

अष्ट-सूत्र*



सूत्राष्टकं दृष्टिनृहस्तमौञ्जं कार्पासकं स्यादवलम्बिसञ्ज्ञम् ।
 काष्ठं च सृष्ट्याख्यमतो विलेख्यमित्यष्टसूत्राणिवदन्तितज्ज्ञाः ॥

प्राक्थन

भारतीय वास्तु-ज्ञान के सर्वोत्कृष्ट अधिष्ठा एवं वैज्ञानिक ग्रंथ—घाणभिस महात्मज 'भोजदेव विरचित 'समराङ्गण-सूत्रधार' वास्तु-ज्ञान पर नरे दीर्घ-कालीन अध्ययन एवं अनुसन्धान का यह द्वितीय प्रयाग है। मेरा प्रथम प्रयाग प्रमोदी में 'जार्टनेट-रीगिल' के रूप में लगनऊ विश्वविद्यालय में प्रदत्त है, इस ग्रन्थ का मूल्याङ्कन एवं विषय के विनोदक विद्वान् ही कर सकेंगे। परन्तु इतना संशय यहाँ पर पर्याप्त है कि इस अनुसन्धान-कार्य की रूढ़-रचना तथा कतिपय तथ्यों को जिन-जिन चरित्र विद्वानों ने देखा तथा पढ़ा है उनका प्रोत्साहन एवं आशीर्वाद प्रथम ही प्राप्त हो चुका है। इन विद्वानों में सर्वश्री प्रो० अय्यर अव्यक्त संस्कृत-विभाग तथा डीन फैकल्टी आफ आर्ट्स, लगनऊ विश्व-विद्यालय, डा० प्रमजकुमार आचार्य, भूतपूर्व प्रोफेसर संस्कृत विभाग तथा डीन फैकल्टी आफ आर्ट्स, प्रयाग विश्वविद्यालय, डा० वाचुगम रामेना वर्तमान अव्यक्त, संस्कृत विभाग तथा डीन फैकल्टी आफ आर्ट्स प्रयाग विश्वविद्यालय तथा ज्ञानदेवशरण प्रसाद

“इसी अनुसन्धान का सक्षिप्त रूप (Factual Presentation) — सू३, १ का प्रमोदी रीगिल—“A Study of Bhoja's Samarāṅgaṇa Sūtradhāra” — पर लगनऊ विश्वविद्यालय ने लेखक को इसी अनुसन्धान (२३/१/५६) में जार्टनेट की उपाधि प्रदान की है तथा भारतीय-विज्ञान के इस महत्वपूर्ण विषय पर इस अनुसन्धान के विशेषज्ञ विद्वानों ने बड़ी प्रशंसा करने हुए लगनऊ विश्वविद्यालय को उपाधि भी दी है, जिसने ऐसे महत्वपूर्ण विषय की अनुसन्धान विषय-प्रस्तावना की” — प्रकाशक

उदीयमान राष्ट्रमाया हिन्दी के साहित्य के एक बड़े प्रभाव की पूर्ति करने में सहायक हो सकेगा—इसने मुझे बड़ा एवं एवं सन्तोष है।

इस अनुसन्धान के प्रकाशन का भव्य उत्तर-प्रदेश राज्य को है जिसने डा० आचार्य के अभिहित-अनुमोदन से इस अनुसन्धान का एक योग्य-रूप (work of outstanding merit) स्वीकार कर के अपनी तीन हजार रुपये की उदार सहायता (Subsidy) प्रदान की है।

साक्षात्-राष्ट्रीय सेवा पर अनुसन्धान समझना का उत्तर पत्र (Manuscript) में सम्पन्न हुआ है, जिसका एक चौथाई भाग वास्तु विज्ञान पर सु-निष्पन्न—प्रमाणित हो रहा है। दूसरा एक चौथाई भाग प्रमाण-चित्र (Iconography) तथा चित्र-कला (Painting), तीसरा अनुसन्धान का सक्षिप्त रूप है—इस ही प्रमाणित होने का रहा है। बीच के दो चौथाई भाग—भवन-विज्ञान (House Architecture including Palace Architecture) एवं मंदिर-पठना तथा प्रांगण-विज्ञान (Temple Architecture) का प्रकाशन अभी सम्भव है। उत्तर-प्रदेश राज्य की सहायता से पुनः साहाय्य प्राप्त हो सके—जिस की योजना को पूर्ण प्रस्ताव है।

इस ग्रन्थ की अध्ययन-पद्धति एवं समीक्षा-पद्धति आदि पर आगे के औपौद्घातिक अध्याय में प्रतिपादन है। अतः यहाँ पर इतना ही विशेष संकेत आवश्यक है कि इस विषय की जिन अधिकृत कृतियों से इस ग्रन्थ के प्रणयन में विशेष सहायता मिली है उन के लेखकों के प्रति मैं अपनी कृतज्ञता प्रकाशित करता हूँ। प्रथम पटल—वास्तु-विद्या के प्रणयन में डा० आचार्य की मानसारीय कृतियों, डा० मट्टाचार्य का A study of Vastu-Vidya or Canons of Indian Architecture, डा० क्रैमिश का Hindu Temple तथा विश्वेश्वरनाथ रेड का 'राजा भोज' विशेष उल्लेखनीय हैं।

द्वितीय पटल के प्रणयन में विशेष सहायता श्री वी वी दत्त की Ancient Indian Town planning से मिली है। श्री विनोदबिहारी दत्त महाशय का यह ग्रन्थ अब भी प्राचीन-भारत के नगर-निवेश का एक प्रामाणिक एवं पथ-प्रदर्शक ग्रन्थ है। अतः दत्त महाशय का मैं अत्यन्त कृतज्ञ हूँ।

अपने गुरुवर्य प्रो० अय्यर की कृपा का ऋण चुकाना असम्भव है जिन्होंने समराङ्गण-सूत्रधार को मेरे अनुसन्धान के लिये प्रस्तुत (prescribe) किया। आदि में मुझे बड़ा नीरस शुष्क एवं जटिल प्रतीत हुआ परन्तु अब तो यह मेरे वैतुष्य-जीवन का एकमात्र साथी बन गया है। प्रो० अय्यर ने वास्तव में मेरे अध्ययन की एक बड़ी सुन्दर दिशा बताई।

आधुनिक वास्तु-शास्त्रीय अनुसन्धान के जनक (Father of the modern Researches on Ancient Indian Architecture) डा० आचार्य की कृपा एवं उदारता का भी मैं अत्यन्त ऋणी हूँ जिन्होंने समय समय पर इस कार्य में मुझे व्यापक सुभाव सुभाये।

डा० वासुदेवशरण अग्रवाल की कृपा को मैं कभी नहीं भूल सकता जिन्होंने अपने अद्भुत वास्तु-शास्त्रीय ज्ञान से मेरा चक्षुःस्मीलन ही कर दिया। अतः डा० अग्रवाल की कृपा का किन शब्दों से बदला चुकाऊँ ?

सतीथों (Colleagues) में डा० वैनर्जी तथा श्री मोतीलाल रस्तोगी (रस्तोगी की मेरे पूर्व शिष्य हैं) विशेष धन्यवाद के योग्य हैं जिन्होंने छपते समय, प्रेस की परेशानी के समय, यदाकदा सर्वदा सहयोग देने की तत्परता दिखाई। इस अवसर पर शुक्ला प्रेस के संचालक पं० विहारीलाल शुक्ल को मैं नहीं भुला सकता जिन्होंने इस टेक्निकल ग्रन्थ के प्रकाशन में वैयक्तिक-रूप से तत्परता दिखाई एवं अध्यवसाय किया। यह दुर्भाग्य ही है कि तब भी कहीं कहीं अशुद्धियाँ रह गयीं हैं।

अन्त में लापनऊ यूनिवर्सिटी के भूत-पूर्व वाइस-चांसलर आचार्य जुगलकिशोर को विशेष स्मरण कर रहा हूँ जिन्होंने इस अनुसन्धान में बड़ी दिलचस्पी दिखाई तथा उत्तर-प्रदेश राज्य ने इसके प्रकाशन में सिफारिश भी की। अतः आचार्य जी की इस कृपा एवं औदार्य का मैं कृतज्ञ हूँ तथा बार बार धन्यवाद देता हूँ।

द्विजेन्द्रनाथ शुक्ल

शुक्ल-कूटी फेंजाबाद रोड,

लापनऊ

विषय-तालिका

प्रथम पटल

वास्तु-विद्या

(१ ने ८० पृष्ठ तक)

अध्याय

पृष्ठ

१. विषय-प्रवेश	१-१२
अ. उपोद्घात	१-७
ब. ममीक्षा-पद्धति	७
स. प्रथम-पद्धति	८
गमरादण सूत्रधार की सुलभ्यता विषय सुक्रमणी	६-१२
२. भारतीय वास्तु-विद्या	१३-३३
अ. जन्म, विकास एवं विशेषता	१३-१७
ब. परम्परार्थ एवं प्रवर्तक	१७-२०
(I) दक्षिणी परम्परा	१६
(II) उत्तरी परम्परा	१६-२०
स. वास्तु-वाद रूप	२०-२२
दक्षिणी परम्परा के वास्तु-ग्रन्थ	२०-२१
(I) वास्तुशास्त्रीय	२०
(II) वास्तुशास्त्रीय	२१
उत्तरी परम्परा के वास्तु ग्रन्थ	२१-२२
(I) वास्तुशास्त्रीय	२१
(II) वास्तुशास्त्रीय	२२
३. वास्तु शिक्षा	२२-३३
वैदिक वास्तु-विद्या	२३
साकल्य-ग्रन्थों की वास्तु-विद्या	२३
सुश्रुत-ग्रन्थ की वास्तु-विद्या	२३
महानि-ग्रन्थ की वास्तु-विद्या	२४
वैदिक-ग्रन्थों की वास्तु-विद्या	२४
पर्यटन-ग्रन्थ की वास्तु-विद्या	२५
श्रीमद्भागवत-ग्रन्थ की वास्तु-विद्या	२५
सुश्रुत-ग्रन्थ की वास्तु-विद्या	२६

पौराणिक वास्तु-विद्या	२६-२८
(I) मत्स्यपुराण	२६
(II) स्कन्दपुराण	२७
(III) गरुडपुराण	२७
(IV) अग्निपुराण	२७
आगम वास्तु-विद्या	२८-२९
कामिकागम	” ”
तान्त्रिक वास्तु-विद्या	२९
शिल्पशास्त्रीय वास्तु-विद्या	२९-३३
(I) विश्वकर्म-प्रकाश	३०
(II) विश्वकर्मीय-शिल्प	३१
(III) मानसार	३१-३३

३. समराङ्गण-सूत्रधार

संक्षेप एवं समीक्षा	३४-५२
औषोद्घातिक विषय	३६-३८
पुर-निवेश	३८-४०
भवन-निवेश	४०-४९
यन्त्र-घटना	४९
भवन-फर्नीचर	४९-५०
प्रासाद-वास्तु	५०-५१
प्रतिमा-विज्ञान	५१-५२
चित्रकला	५२

४. समराङ्गण का स्थान

५३-५६

५. वास्तु-विद्या

विस्तार एवं विषय	५७-६५
विस्तार	
अ. सार्धभौमिक दृष्टिकोण	५७-५९
ब. दार्शनिक दृष्टिकोण	५९
स. ज्योतिष-दृष्टिकोण	५९-६०
य. भौगोलिक एवं भौगर्भिक दृष्टिकोण	६०-६१
र. स्वतन्त्र (Architectural itself)	६१-६५

विषय	पृष्ठ
६. स्थपति एव स्थापत्य	६६-७४
स्थपति	६६-७०
स्थपति की योग्यतायें	६६-६६
(i) ज्ञान	६६
(ii) कर्म	६८
(iii) प्रज्ञा	"
(iv) शील	६६
स्थपति के वर्ग	६६-७०
(i) स्थपति	
(ii) यज्ञग्राहिन	
(iii) वर्षिक	
(iv) तक्षक	
स्थपतियों की हीनावस्था के कारण	७०
स्थापत्य	७१-७४
अष्टांग-स्थापत्य	७१
१. वास्तु-पुरुष-विकल्पना	
२. पुर-निवेश	
३. प्रासाद (मन्दिर निर्माण)	
४. अजोन्द्रित	
५. राजवेश्म तथा राजवेश्म ने सम्बन्धित मन्त्र, गभा, प्रक्षगाला, गजशाला आदि	
६. जन-भजन (चातुर्गर्गुणरूप वसुधैव कुटुम्बकम्)	
७. राज-वेदी, राजमान-शाला एवं कोटिहोम-विधि	
८. राजशक्ति-निवेश तथा दुर्ग-पूजा	
(i) अजोन्द्रित	७२
(ii) राज-वेदी	७३
स्थापत्य का स्थान	७३-७४
७. मान-योजना	७४-८०
(हस्त-निरूपण)	
अ. मान-रिक्त जन	७६
ब. मान-रिक्त जन	"
ग. हस्त-निर्माण-निरूपण	"
घ. मान-योजना	७९

विषय	पृष्ठ
र. देव-पीढ़न	७७
ल. त्रिविध हस्त-संज्ञायें	"
व. हस्तयोजना	"
(I) 'प्राशय' हस्त का प्रयोग	७८
(II) 'साधारण' हस्त का प्रयोग	"
(III) 'शय' अथवा 'मात्राशय' हस्त का प्रयोग	"
श. मान-वर्ग	"
ष. गणना (अंक-संख्या)	७९
स. काल-संख्या	"
टि० अष्ट-सूत्र	७९-८०

पुर-निवेश

द्वितीय पटल

(८१ से २१४ पृष्ठ तक)

पूर्व-पीठिका

(८१ से १३१ पृष्ठ तक)

अध्याय

१. विषय-प्रवेश	८३-८८
(नगर-निवेश का ऐतिहासिक सिंहावलोकन)	
२. भारतीय नगर-विकास	८९-९७
सम्राज्य की सामग्री पर—	८९
नगर निवास	
मन्दिर सदन	
तुर्ग सन्न	
पुष्कर क्षय तथा	
सांभगयिक त्रिनितय	
शब्दकल्पद्रुम की सामग्री पर—	९०-९४
गद् कटक	
हट्ट पट्ट	
अवधारस्थान निगम	

विषय	पृष्ठ
पुरी पत्तन	”
नगर पुटमेदन	”
मन्दिर-नगर (Temple Cities)	६५
विश्वविद्यालयीय-नगर (University towns)	६६
ग्राम-नगर	६७
नगर-विकास के दो प्रधान रूप	”

१. स्वतः-प्रवृत्त तथा

२. पर-प्रवृत्त

३. नगर-प्रभेद ६८-११०

समराङ्गण की नगर-तालिका ६८-१००

अ. नगर

१. ज्येष्ठ नगर

२. मध्यम नगर

३. कनिष्ठ नगर

ब. शाखानगर

१. राजधानी

२. पत्तन

३. पुटमेदन

४. निगम

५. खेट

६. कर्वट

७. ग्राम

अन्य ग्रंथों की नगर-तालिका १००-११०

पृ०

१. नगर

१०१

७. शिविर (सिनामुख, स्वन्धावार) १०६

२. राजधानी

१०२

८. स्थानीय १०७

३. पत्तन (पुटमेदन)

१०३

९. द्रोणमुख १०७

४. बुर्ग

१०४

१०. कोटमकोलक १०८

५. खेट

१०४-५

११. निगम १०८

६. खर्वाट

१०५-६

१२. मठ या विहार १०८-११०

४. ग्राम-प्रभेद १११-१२०

ग्राम एवं नगर

१११

विषय	पृष्ठ
ग्रामों के विकास में सैन्य-प्रयोजन—कौ० अर्थ-शास्त्र	१११-१२
ग्रामों का वसति-प्राधान्य शूद्रादि कृष्युपजीवी—	”
चाणक्य तथा मा०-पुराण, ब्राह्मणाधिवास—मयमत	११३
ग्राम-प्रभेद	११४-११६
ग्राम-निवेश के प्रमुख अंग	११६-११७
ग्रामों के १५ प्रभेदः—	”
१. दरडक	११७
२. सर्वतोभद्र	”
३. नन्द्यावर्त	”
४. स्वस्तिक	११८
५. पद्मक	”
६. प्रस्तर	”
७. कार्मुक	”
८. चतुर्मुख	”
९. प्रकीर्णक	”
१०. पराग	”
११. श्रीप्रतिष्ठित	”
१२. सम्पत्कर	”
१३. कुम्भक	”
१४. श्रीवत्स	११९
१५. वैदिक	”
उपसंहार	११९-२०
५. दुर्ग-प्रभेद तथा दुर्ग-निवेश	१२१-१३१
दुर्ग एवं नगर—दोनों की सामान्य निवेश परम्परा	१२१-१२२
अर्थ-शास्त्र की दुर्ग-निवेश पद्धति	१२३
समराङ्गण की दुर्ग-निवेश की दो पद्धतियां.—	”
१. अकृत्रिम दुर्ग	
२. कृत्रिम दुर्ग	
मानसार का दुर्गाष्टक (प्रभेदों सहित)	१२३-१२४
समराङ्गण का प्राकृतिक दुर्गपट्टक	१२४
नगरों एवं दुर्गों के निवेश की सामान्य परम्परा—म० सू०	१२५
स० सू० के अनुसार दुर्ग तथा शिविर—दो अलग चीजें	१२५
दुर्ग-विभाजन	१२६
अ. कृत्रिमदुर्ग—दुर्ग-नगर	”

विषय	पृष्ठ
व. अकृत्रिन्नदुर्ग (प्रकृति-प्रदत्त उपादानों से)	१२६
१. पार्वत-दुर्ग	"
(१) प्रान्तर	
(११) गिरिपार्श्वक	
(१११) गुहा-दुर्ग	
२. जल-दुर्ग	१२७
(१) अन्तर्द्वीप	"
(११) स्थलदुर्ग	"
३. मरुदुर्ग	"
(१) निरुदक	"
(११) धान्वन	"
४. वन-दुर्ग	"
(१) खाञ्जन	"
(११) स्तम्भगहन	"
५. मही-दुर्ग	"
(१) पारिष	"
(११) पंक	१२८
(१११) मृद-दुर्ग	"
६. नृ-दुर्ग	"
(१) सैन्य-दुर्ग	"
(११) सहायदुर्ग	"
७. मिश्र-दुर्ग	"
८. दैव-दुर्ग	"
समराङ्गण का दुर्ग-निवेश	१२८-९
शिविर	१२९-३१

उत्तरपीठिका

अध्याय (१३२से२१४)

१. विषय-प्रवेश	१३२—३६
नगर-निवेश का सांस्कृतिक प्रयोजन	१३२
भारत की प्राचीन ६४ कलायें	१३२-४
नगर-विकास एवं कलाओं के विकास का अनुपद्म	१३५
नगर-निवेश का चतुर्दशाङ्ग क्षेत्र (scope)	१३६

विषय	पृष्ठ
देश चयन एवं भू-परीक्षा	१३७-४७
देश-चयन	१३७-३६
प्रकृति, जनपद एवं जलवायु	”
मत्स्य पुराण	१३८
आचार्य शुक्र	”
ऋषि मानसार	”
मुनि मय	”
भोज (स. सू.)	१३८-३६
भू-परीक्षा	१३६-४३
भू-स्थल-परीक्षा	१३६-४०
सामान्य योग्यताएँ	”
देश एवं देश भूमिया	१४०
(I) जागल	देश ”
(II) अनूप	”
(III) साधारण	”
नगर-निवेशोचित १६ देश-भूमियाँ	१४०-४१
दुर्ग-निवेशनोचित चार भूमियाँ	१४१
भूमि-परीक्षा	
(I) गन्ध	१४१
(II) वर्ण	१४२
(III) स्वाद	”
(IV) स्पर्श	”
(V) ध्वनि	”
भूमिप्लव-विचार	१४२-४३
मृत्तिका-परीक्षा	१४३
प्रथम-प्रक्रिया	१४४
दूसरी ,,	”
तीसरी ,,	१४५
चौथी ,,	”
दिक्-परीक्षा	१४५-४७
शंक्रुस्थापन-विधान	१४५
शंक्रु-निर्माण-प्रक्रिया	१४६
भूमि-परीक्षण के दो आधार-भूत सिद्धान्तः—	१४६-७
१. समाजशास्त्रीय (Sociological) दृष्टि-कोण	
२. भूगर्भशास्त्रीय (Geological) दृष्टि-कोण	

विषय	पृष्ठ
३. पद-विन्यास	१४८-१८८
प्रयोजन	१४८
पद-विन्यास एवं वास्तु-पुरुष-विकल्पन अष्टाग स्थापत्य का प्रथम अंग	१४९
पद-विन्यास की विभिन्न योजनायें	
तीन प्रमुख योजनायें	
एकाशीति पद (परमशायिक)	१५०-५२
रेखा-चित्र	१५२
शतपद (आसन) रेखाचित्र	१५३
चतुष्पष्टि-पद (चण्डित अथवा भेकपद) रेखाचित्र	१५४
वास्तु-पद-प्रयोग	१५५
वास्तु-पुरुष	”
अंगदेव	१५५-६
पददेवों का निघण्टु	१५६-७
पद-विन्यास का वैज्ञानिक समीक्षण	१५७
महामर्म, मर्म एवं मर्मवेध, भवनाग एवं मर्म	१५८
४. मार्ग विनिवेश	१५९-६६
मार्ग-विनिवेश-प्रयोजन	१५९
मार्ग-संख्या	”
वास्तु पद-योजना एवं मार्गविनिवेश	”
पुर के विभिन्न मार्ग	१६०
पुर के प्रधान मार्गों का रेखाचित्र	१६१
मार्ग-विनिवेश में दिक् साम्मुख्य	१६२
मार्ग-विनिवेश की विभिन्न पद्धतिया	”
मार्गों की विभिन्न संज्ञायें-पुर-निवेश मार्ग-निवेश पर आधारित	१६३-६४
मार्ग-विस्तार	१६४
पचार्य (फूट-पाय)	१६५
मार्ग-चतुष्पथ	”
मार्ग की नालिया	१६६
५. पुर-वसतियां (जातिवर्णाधिवास)	१६७-७६
पुर-वसति एवं पद-विन्यास	१६७
प्राचीन पुर-वसति का स्वरूप	”
जाति-वर्णानुरूप पुर-वसति	१६७-८
विभिन्न ग्रन्थों की पुर-वसतिया—	
१. समराङ्गण-सूत्रधार-पुरवसति-तालिका	
अ पेशेवार	१६८-६९

विषय	पृष्ठ
व. जातिवर्णानुरूप	१६६
स. पुर-वसति एवं राज-निवेश	१७०
य. राज-वेश्म का पुर-वसति में स्थान	"
२. अग्नि-पुराण की पुर-वसति की तालिका	१७१
३. कौटिल्य की दुर्ग अथवा पुर-वसति की तालिका	१७३
४. शुक्राचार्य की पुर-वसति	१७४
५. मयमत की पुर-वसति तथा ग्राम-वसति	१७४-७६
६. पुर-वसति एवं पद-विन्यास	१७६
६. देवतायतन—मण्डप एवं आरामोद्यानादि—पुरजन-विहार—	१७७-८४
अ देवतायतन	१७७-८१
देवतायतन-परम्परा	१७७-८
समराङ्गण की पुर-देवतायतन-तालिका तथा अन्य ज्ञातव्य	१७९-१८०
समराङ्गण एवं अग्निपुराण के देववर्ग का साम्य तथा अन्य	१८०
ग्रंथों का वैपम्य	
देवतायतन-प्रतिष्ठा का सांस्कृतिक महत्व	१८१
मण्डप-विधान	"
व. आरामोद्यानादि	१८१-८४
आधुनिक उद्यान नगरों की पृष्ठभूमि के प्राचीन पुर-निवेश में	
दो दृष्टिकोणः—	१८२-८३
१. अकृत्रिम	
२. कृत्रिम	
वृक्षपूजा एवं वृक्षारोपण की प्राचीन परम्परा	१८३-८४
हिन्दू-जीवन में पादपों का अनिवार्य धार्मिक साहचर्य	१८४
गृह-निर्माण एवं वृक्षारोपण में इष्टापूर्त, अपूर्त—वापी, कूप, तड़ाग,	
मन्दिर, वृक्षारोपण	"
प्राचीन ग्राम—उद्यान-नगर के रूप में	"
७. रक्षा-संविधान (प्राकारादि-विनिवेश Fortification)—	१८४-९२
प्राकारादि-विनिवेश का रहस्य एवं ऐतिहासिक उपोद्घात में उसके	
विभिन्न सोपान	१८४-८६
समराङ्गण के अनुसार रक्षा-संविधान का पञ्चाङ्गः—	
१ वप्र एवं परिगम	१८७-८८
२ प्राकार	१८८-८९
३ अट्टालक	१८९-९०
४ चर्गिका	"
५ गोपुग-डार	१९०-९१

विषय	पृष्ठ
६. समराङ्गण के पुरद्वार	१६१
अ महाद्वार	
ब. वक्त्रद्वार	
स, पक्षद्वार	
प्रतोली	१६१-२
४. रथ्या	१६२
५. पुर-आकृति एवं गर्हित पुर	१६३-६७
पुर-आकृतियाँ	१६३
पुर की प्रशस्त आकृति का संबंध उमके सुन्दर सन्निवेश पर आधारित	१६४
पुर की सर्वाधिक प्रशस्त आकृति—चतुरश्र	१६४
इसके विपरीत आकृतिया गर्हितपुरों की जनक	१६५
गर्हित-पुर	१६५
१ छिन्नकर्ण	१६५
२ विकर्ण	१६५
३ वज्राकार	१६५
४. सूचीमुख	१६५
५. वतुल	१६५
६ व्यजनाकार	१६६
७ चापाकृति	१६६
८ शकटद्विसमाकार	१६६
९ द्विगुणायत-मंस्थान	१६६
१० दिङ्मूढ	१६६
११ भुजङ्ग-कुटिल	१६७
१२ यवमध्याकृति	१६७
१३ मृदङ्गाकृति	१६७
६. आधुनिक नगर-निवेश में प्राचीन नगर-निवेश (की देन)	१६८-२१४
आधुनिक नगर-निवेश	१६८-२०६
आधुनिक नगर-निवेश प्राचीन नगर-निवेश का संस्करण-मात्र	१६८
युगानुरूप आधुनिक नगर-निवेश के विभिन्न निवेश्य	१६८
नगर-निवेश में मास्टर प्लान	२००
बृहद्-योजना की १४ विशेषतायें	२००
आधुनिक नगर के द्वादश अवयव	२०१
नगर-निवेश मण्डल के महायक	२०२
नगर-निवेश के मान चित्र	२०२
वासु-यानीय पर्यवेक्षण	२०२
नगर-निवेश में शैक्षिक तथा भौतिक-दो योजना-पद्धतियाँ	२०२
नगर-निवेश एवं प्रयोजन—विभिन्न स्थानीय नगर	२०२

विषय	पृष्ठ
आधुनिक नगर के अभीप्सित ६ वर्ग—	२०३
वृहद्-योजना के ७ अंग, उनमें प्रमुख है:—	२०४-५
१ भवन-योजना	२०५
२ विस्तार-प्रस्तार तथा विकास-योजनायें	”
३ मार्ग-विस्तार-योजना	२०६
४ स्लम-सुधार अथवा संहार	”
प्राचीन नगर-निवेश की देन	२०६-१२
प्राचीन नगर-निवेश के बहुत से घटक आजकल व्यथ	२०६
नगर-निर्माण, नगर-सुधार एवं नगर-संहार	२०७
नगर-निर्माण	”
अ—शाखानगर	२०८
ब—केन्द्र-निवेश	२०९
स—पद-विन्यास	”
य—शाल-भवन	२१०
नगर-सुधार एवं नगर-संहार	”
प्राचीन काल का नगर-निवेश-विभाग	”
नगर-सुधार नगर-संहार पर आश्रित है	२११
आवादी का नियमन-नियम (मा० पु० एवं दे० पु०) ‘वाहिरिका’	
नगर-निवेश में चारुता	
केन्द्र, मार्ग चतुष्पथ तथा पुर-दिशाओं पर भूपा-विधान	२१२
१० उपसंहार—	२१२-४

परिशिष्ट

अ. पुर के रेखाचित्र	२१७-२०
१ दरुडक	२१७
२ मर्वतीभद्र	”
३ नन्दावर्त (चतुरश्र)	२१८
४ ” (वर्तुल)	”
५ स्वस्तिक	२१९
६ पद्मक	”
७ कामुक	२२०
८ प्रस्तर	”
घ समराङ्गण-वास्तु-क्रोप की रूप-रेखा	२२१-३२ व
१ वास्तु-कारण्ड	२२१-३२
२ पुर-कारण्ड	२३२-३२ व
स. ग्रन्थ के अवतरण (संक्षिप्त समराङ्गण)	२३२-५४

वास्तु—विद्या

विषय-प्रवेश

अ. उपोद्धात—

महाराज भोजदेव की जीवन-गाथा भारतीय इतिहास में इने गिने राजर्षियों की गाथा में एक है। प्राप्त एवं अर्घ-प्राप्त भारतीय ऐतिहासिक सामग्री में राजर्षि 'प्रियदर्शि' अशोक, महाप्रतापी महाराज विक्रमादित्य के बाद भारतीय जन-समाज में अतिप्रसिद्ध राजा भोज ही हुआ है। महाराज विक्रमादित्य का यदि न्याय प्रसिद्ध है तो महाराज अशोक का धर्म-प्रचार और महाराज भोजदेव की साहित्यिक गरिमा। भारत की ऐतिहासिक सांस्कृतिक विकास-परम्परा में धर्म एवं दर्शन के बाद ही साहित्य का स्थान आता है। वेद, ब्राह्मण, श्रारण्यक, उपनिषद्, सूत्रग्रन्थ, पुराण एवं स्मृतियों के बाद ही, अर्थान् श्रुति एवं स्मृति के उपरान्त ही लौकिक साहित्य—काव्य, नाटक, अलंकार, ध्वनि, कथा तथा आख्यायिका आदि का विकास पाया गया है। इस प्रकार भारतीय संस्कृति के व्यापक विजृम्भण में भोजदेव सांस्कृतिक विकास की पराकाष्ठा के प्रतीक हैं। उनके राज्यकाल में संस्कृत-साहित्य के चरमोत्कर्ष से इस तथ्य की पुष्टि होती है।

इस देश में संस्कृति के समन्वितान में जहाँ पारदर्शी मंत्रदृष्टा महर्षियों ने पथ प्रदर्शन किया वेद-विद् ब्राह्मणों ने धर्म और दर्शन के अक्षुण्ण रक्षण में एवं परमार्थ-चिन्तन में तपस्या एवं साधना का आश्रय लेकर संस्कृति के जीवन में जीवन फूँका। और इस प्रकार इन लोगों ने भारतीय संस्कृति के आम्यन्तरिक कलेवर अर्थात् आध्यात्मिक जीवन के विकास को पराकाष्ठा तक पहुँचाया, वहाँ अशोक, विक्रम और भोज ऐसे राजर्षियों ने भारतीय संस्कृति के बाह्य कलेवर अर्थात् भौतिक जीवन के समन्वितान में महान् योगदान दिया।

भारतीय जीवन सदैव राजसत्ता एवं राजतन्त्र से अनुप्राणित एवं प्रभावित रहा—यथा राजा तथा प्रजा—की कहावत सर्वथा इस देश में चरितार्थ रही। देश के सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन एवं कलात्मक जीवन का आश्रय राजा ही तो रहा। भारतीय जीवन की विभिन्न भौतिक परम्परायें—नृत्य, गीत, वाद्य, काव्य, साहित्य, नाट्य आदि ललित कलायें एवं वास्तु तथा स्थापत्य एवं चित्रकर्म आदि उपयोगी कलायें—राजाश्रय पाकर ही तो पनपी। लेखक की तो धारणा है कि भारतीय संस्कृति के बाह्य कलेवर—भौतिक-पक्ष की पुष्टि राजाश्रय पाकर ही सम्पन्न हुई। पुराणों की रचना धर्मप्रचारक ब्राह्मणों ने की। शिवपूजा, विष्णुपूजा की माहात्म्य-मन्दाकिनी के भ्रवहण का श्रेय ब्राह्मणों को है परन्तु कालान्तर में पुराण-प्रतिपादित शिवपूजा और विष्णुपूजा के उपासना-स्थल प्रसिद्ध तीर्थ स्थानों, वृहद एवं विशाल मन्दिरों की स्थापना तथा निर्माण का श्रेय तत्कालीन राजाओं को ही है। विना राजाश्रय पाये सम्भवतः ही किसी स्थापत्यकला एवं वास्तु-कला निदर्शक प्रासादनिर्माण एवं प्रतिमानिर्माण सम्पन्न हुआ हो।

भारत के प्राचीन विभिन्न-कालीन स्मारकों की (अजन्ता, एलौरा के गुहामन्दिर, दक्षिण के विमानाकृति प्रासाद, उत्तर के उत्तुंग शिवालय एवं विभिन्न बौद्ध विहार, चैत्य तथा स्तूप आदि तथा जैनों के जाज्वल्यमान जिनालय आदि—देखिये पर्सों ब्राउन आदि—वास्तुकला विषयक लेखकों के ग्रन्थ) निर्माण-गाथा में तत्कालीन मण्डलेश्वरों की वदान्यता, दानशीलता, वास्तुकला-प्रियता एवं अपूर्त (वापी, कूप, तड़ाग, प्रपा, पुख्यशाला, धर्मशाला, मन्दिर आदि निर्माण-कार्य) के सचय के ओजस्वी प्रमाण प्रत्यक्ष हैं।

महाराज भोजदेव का अवतरण मालव राजमंच पर उस समय हुआ था जब हिन्दू-राज्य-सत्ता का सूर्य अस्त हो रहा था। ११वीं शताब्दी के पूर्व ही देश में मुस्लिम सत्ता ने जड़ पकड़ ली थी। दीपक जब बुझने लगता है तो एक बार पुनः चकाचौध करने वाला प्रकाश करता है। भोजराज का राज्यकाल इसी कहावत की अतिरंजना है। काव्य-राधना, ग्रन्थरचना, कविगोष्ठी, विदग्ध-वैदग्ध्य आदि तभी शोभित होते हैं, पनपते हैं और जागरूक होते हैं जब जीवन सुखद एवं शान्त होता है। वैभव एवं ऐश्वर्य की कमी नहीं होती है। भोजदेव के राज्यकाल का साहित्यक वैभव तत्कालीन सुखद जीवन के बिना कैसे सम्भव था। कहा भी जाता है कि साहित्य समाज का दर्पण है। सामाजिक जीवन की छाप तत्कालीन निर्मित साहित्य पर अवश्य पडती है।

महाराज भोज के सम्वन्ध में जो किम्वदन्तियाँ एवं जनश्रुतियाँ जन-समाज में आज तक परम्परा से प्रचलित हैं, भोज के सम्वन्ध में जो विभिन्न उल्लेख परवर्ती ग्रन्थकारों के ग्रन्थों में पाये जाते हैं, अथच भोज में सम्वन्धित जिन प्रशस्तियों एवं दान-पत्रों की उपलब्धि हुई है—इन सभी से इतना तो असन्दिग्ध रूप में कहा जा सकता है कि भोज का राज्यकाल संस्कृत साहित्य का एक स्वर्ण युग था। भोज की अतिरंजित शैली और उसका ऐश्वर्य उसकी सभी साहित्यिक कृतियों में एवं कार्य-कलापों में पाया जाता है।

भोज के समय की इस सर्वाङ्गीण समृद्धि एवं गाति तथा सुख के कारण ही उसके समय में संस्कृत-साहित्य के चरमोत्कर्ष के दर्शन होते हैं। अतः भोज के समय को हम यदि संस्कृत-साहित्य के ममभ्युत्थान का चरम काल कहें तो अत्युक्ति न होगी।

भारत के सांस्कृतिक विकास के बाल्यकाल में साहित्य की अकृत्रिमता, सगलता एवं स्वच्छन्दता तथा शुद्धता के दर्शन वेदो-उपनिषदों के काल में हम पाते हैं। महाकाव्य—गमायण एवं महाभारत—तथा पुराणों के युग में उसके कैशोर-जीवन के चाञ्चल्य एवं उद्दाम प्रवाह का दर्शन करते हैं। कालिदास आदि कवि-गुंगवों के काव्य में उसके स्थैर्य एवं सौन्दर्य का साक्षात्कार पाते हैं। क्रमशः भोज के काल में साहित्य-पुरुष अपने प्रौढत्व को प्राप्त कर मजावट और वनावट, शृङ्गाण एवं विलास की सभी सप्रयत्न चेष्टाओं के लिये और डाट-गट बनाने के लिये जोता जाता जागरूक प्रतीत होता है। एक शब्द में भोजदेव के समय में जीवन एवं साहित्य के सभी क्षेत्रों में हम एक अतिरंजित महान शैली—grand and eloquent Style का साक्षात्कार करते हैं। यह भोज-विनिर्मित विभिन्न ग्रन्थों के परिशोलेन ने पद-पद पर प्रतीत होता है।

भोज के शृङ्गाण-प्रकाश, सन्वर्तीकरटाभङ्ग तथा राजमार्तण्ड आदि प्रसिद्ध ग्रन्थ

पंडित-परम्परा में बड़े गौरव से गिने ही जाते हैं, सम्राज्य-सूत्रधार की उपलब्धि से महाराज भोज की वास्तुशास्त्रीय देन से भोज की स्थिर कीर्ति में चार चाद लग गये हैं ।

राजा भोज स्वयं बड़ा विद्वान् था । वह विद्वानों का बड़ा आश्रयदाता था । उसका राज्य-दरवार जहाँ शासन और न्याय के लिये प्रसिद्ध था वहाँ उसकी ध्वज कीर्ति का कारण उसका संस्कृत-विद्यानुराग था । भोज के दरवार के सम्बन्ध में तो उसे यदि एक विद्या-पीठ अथवा अनुसन्धानशाला या गवेषण-पीठ के नाम से पुकारा जाय तो अत्युक्ति न होगी । काव्य-स्वाद का दैनिक मनोरंजन की सामग्री में एक अत्यन्त उच्चस्थान था, विभिन्न कवियों को काव्य-रचना का प्रोत्साहन तो इसी से अनुमित है कि एक-एक श्लोक पर एक-एक लक्ष पुरस्कार की बात तो आज तक लोगों में प्रसिद्ध है । परन्तु भले ही इनमें ऐतिहासिक सत्यता न हो परन्तु भोज के नाम से लगभग ३ दर्जन ग्रन्थों की जो उपलब्धि हुई है उससे तो विद्वान् यह निष्कर्ष निकाल ही सकते हैं कि भोज ने स्वयं अथवा विशेषज्ञ विद्वानों द्वारा संस्कृत-वाङ्मय के विभिन्न कलेवरों पर ग्रन्थ लिखकर अथवा लिखवाकर संस्कृत-साहित्य के भण्डार को अमूल्य ग्रंथरत्नों से भरा । साहित्य के प्रायः सभी मुख्य अंगों पर निष्णात ग्रन्थों की रचना बिना अनुसन्धान, गवेषण एवं मनन के नहीं हो सकती । अतः स्पष्ट है कि भोज ने साहित्य-रचना में बड़ा योग दिया । भोज के नाम से ज्योतिष, अलंकार, योगशास्त्र, राजनीति, धर्म-शास्त्र, शिल्प, नाटक, काव्य, व्याकरण, वैद्यक, शैवमत, संस्कृत-कोष आदि निम्नलिखित ३४ ग्रंथों की उपलब्धि हुई है:—

ग्रन्थ	विषय
१. राज-मृगाङ्क	ज्योतिष
२. राज-मार्तण्ड	"
३. विद्वज्जनवल्लभ-प्रश्न-ज्ञान	"
४. आदित्य-प्रताप-सिद्धान्त	"
५. भुजवल-निबन्ध	"
६. सरस्वती-कण्ठाभरण	अलंकार
७. शृङ्गार-प्रकाश	"
८. राजमार्तण्ड-योगसूत्र-वृत्ति	योग
— पातञ्जल-योगसूत्र-टीका	
९. पूर्वमार्तण्ड	राजनीति और धर्मशास्त्र
१०. चारुचर्य-राजनीति-शास्त्र	" "
११. व्यवहार-समुच्चय	" "
१२. चारु-चर्या	" "
१३. विविध-विद्या-विचार-चतुरा	" "
१४. सिद्धान्तसार-पद्धति	" "
१५. सम्राज्य-सूत्रधार	शिल्प
१६. युक्ति-कल्पतरु	"

१७. भोजचम्पू (चम्पूरामायण) पांचकाण्ड	नाटक और काव्य
१८. महाकाली-विजय	” ”
१९. विद्या-विनोद	” ”
२०. शृङ्गारमजरी (गद्यकाव्य)	” ”
२१. कूर्मशतक (प्राकृत)	” ”
२२. प्राकृत-व्याकरण	व्याकरण
२३. सरस्वती-कण्ठाभरण	”
२४. विश्रान्तविद्याविनोद	वैद्यक
२५. आयुर्वेद-सर्वस्व	”
२६. राजमार्तण्ड-सार-संग्रह	”
२७. तत्वप्रकाश	शैवमत
२८. शिवतत्व-रत्न-कलिका	”
२९. सिद्धान्त-संग्रह (चिद्वृत्तिः)	”
३०. नाम मालिका	कोप
३१. शब्दानुशासन	”
३२. शालिहोत्र	विभिन्न विशय
३३. सुभाषित प्रबन्ध	”
३४. राजमार्तण्ड (वेदान्त)—ज्योतिष से भिन्न	”

इस विभिन्न-विषयक ग्रंथ-तालिका से भोज के उद्भूत ग्रंथकार होने में तो किसी प्रकार संदेह हो ही नहीं सकता क्योंकि विभिन्न परवर्ती ग्रंथकारों ने भी भोज का विभिन्न-विषयक आचार्यत्व स्वीकार किया है। विशेषकर धर्मशास्त्र, ज्योतिष, वैद्यक, कोप, व्याकरण आदि के अनेक लेखकों ने अपने अपने ग्रंथों में इस तथ्य का निर्देश किया है।

Aufrecht की पुस्तक सूची में लिखा है कि शूलपाणि ने अपने बनाये प्रायश्चित्त-विवेक में, बौद्ध लेखक दशमल ने, अल्लाडनाथ ने और रघुनन्दन ने अपने-अपने ग्रंथों में भोज का धर्म-शास्त्र के लेखक के नाम से उल्लेख किया है। भावप्रकाश और माधवकृत लृगविनिश्चय में भोज को आयुर्वेद के ग्रंथों का लेखक कहा गया है। केशवार्क ने भोज को ज्योतिष सम्बन्धी ग्रंथों का लेखक माना है। जीरस्वामी, सायण और महीप ने भोज को व्याकरण और कोपकार की उपाधियों में विभूषित किया है। कवि चित्तप, दिघेश्वर, विनायक-गङ्गार सरस्वती और कुटुम्बदुहितृ ने भोज की काव्य-शक्ति की प्रशंसा की है।

इसी प्रकार अन्य कई लेखकों ने भी इनकी प्रशंसा में अनेक श्लोक लिखे हैं। संक्षेप में उनका थोड़ा सा उल्लेख करना यहाँ असंगत न होगा।

महामहोपाध्याय कुण्डलाम्बिका द्वारा सम्पादित, गवर्नमेण्ट ओरिएण्टल मैन्स्युस्क्रिप्ट लायब्रेरी, मद्रास की संस्कृत पुस्तकों की सूची भा. ३ खण्ड १ बी. पृ. ३३६२-६४ में सूचित “गण्ड नाम्नायाम्” नामक व्याकरण ग्रन्थ में भोजीय व्याकरण के सूत्रों के अनुसार शब्द-सिद्धि दी गयी है। साथ ही इसमें अन्य व्याकरणचार्यों के मतों का भी उल्लेख है। अतः भोज का व्याकरण-वैदुष्य एवं तद्विषयक ग्रंथ-निर्माण अतन्दिग्ध है।

इसी प्रकार पूर्व निर्दिष्ट श्री. मै. ला०, मद्रास की संस्कृत-पुस्तक-सूची में 'गिरि-राजीय-टीका' नामक एक पुस्तक की प्रति की सूचना है जो काढ्यवेम द्वारा लिखित 'अभिज्ञान-शाकुन्तलम्' की टीका है। उसमें लिखा है:—

मुनीना भरतादीनां भोजादीनां च भूभृताम् ।

शास्त्राणि सस्यगालोच्य नाख्यवेदार्थवेदिनाम् ॥

इस उद्धरण से प्रकट है कि भरत मुनि के समान ही राजा भोज भी नाट्यशास्त्र का आचार्य माना जाता था ।

इसी प्रकार श्री. मै. ला०, मद्रास की संस्कृत सूची में 'स्मृतिरत्नम्' नामक ग्रंथ में ग्रंथ-कार लिखता है:—

भोजराजेन यत्प्रोक्तं स्मार्तमन्यत्र चोदितम् ।

न्यायसिद्धं च संग्रह्य वचनानि पुरातनैः ॥

अनुष्ठानप्रकाशार्थं स्मृतिरत्नं मयोच्चते ।

इसी अवतरण से मतद्वैविध्य नहीं कि भोजराज धर्मशास्त्र के भी आचार्य माने जाते थे ।

इस हस्तलिखित सूची में 'कन्दर्प-चूडामणिः' नामक कामशास्त्र विषयक ग्रन्थ का उल्लेख है। इसके रचयिता श्री वीरभद्र राजा ने अपने ग्रन्थ में लिखा है:—

भोज ह्वायं निरतो नानाविधानिबन्धनिर्माणे ,

समयोच्छिन्नप्राये सोद्योगः कामशास्त्रेऽपि ।

अर्थात् हमसे भोज का अनेक ग्रन्थ-रचना-पाठव एवं उसकी प्रसिद्धि सुतरा सिद्ध ही है ।

इसी प्रकार 'सङ्गीत रत्नाकरः' नामक पुस्तक में शाङ्गदेव जी लिखते हैं:—

उद्भटोऽनभिभूपालो भोजभूवल्लभस्तथा ।

परमार्दी च सोमेशो जगदेकमहीपतिः ॥

व्याख्यातार ।

इस उल्लेख से राजा भोज का संगीत-शास्त्र का आचार्य होना पाया जाता है इसी प्रकार 'संगीत-समय-सारः' नामक ग्रन्थ में (देखिये कु० स्वा० द्वारा सम्पादित संस्कृत हस्तलिखित पुस्तक-सूची) ग्रन्थकार पार्श्वदेव लिखते हैं:—

शास्त्रं भोजमतङ्गकरयपमुखा ध्यातेनिरे ते पुरा

जिससे सुतरां सिद्ध है भोज ने संगीत शास्त्र पर प्रसिद्ध रचना की ।

अथच "भेज-कल्पसार-संग्रह" (मद्रास संस्कृत हस्तलिखित पुस्तक-सूची) में ग्रन्थकार ने ग्रन्थ के प्रारम्भ में लिखा है:—

चाहटे चटके भोजे वृहद्भोजे च हारिते

इस उल्लेख से भोज के आयुर्वेदाचार्यत्व पर शंका नहीं हो सकती ।

इसी प्रकार अनेक परवर्ती ग्रन्थकारों ने भोज के ग्रंथों पर तथा उसके आचार्यत्व एवं अनेक-शास्त्र-पाठित्य पर प्रकाश डाला है । साथ ही साथ भोज के काव्यानुसंग एवं कवियों को आश्रय-

दान तथा उनकी दान-महिमा आदि विभिन्न चरेख्य गरिमाओं पर प्रचुर सामग्री प्राप्त होती है। यही नहीं भोज के समकालीन कवि, उसके दरबार की छटा, उसका राज्य-विस्तार उसके समय आदि पर भी यत्र तत्र बहुत सामग्री प्राप्त होती है।

अतः इस सब सामग्री को एकत्रित कर भोज के सम्बन्ध में अनुसंधान-कार्य का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र विद्वानों के सम्मुख है। भोज के सम्बन्ध में अधिकल रूप से ग्रंथ-प्रणयन का श्रेय श्री विश्वेश्वरनाथ रेऊ को है जिन्होंने अपने 'राजा भोज' नामक हिन्दी ग्रंथ में भोज से सम्बन्धित यत्र तत्र प्राप्त, श्रुत एवं पारम्परित सामग्री का उल्लेख करके राजा भोज के वंश, समय, तिथि तथा जीवन एवं कार्य के साथ-साथ उनकी साहित्यिक कृतियों की सूची एवं दरबारी कवियों के विवरण पर लगभग ४५० पन्नों की एक किताब लिखी है। इस पुस्तक में भोज के सम्बन्ध में एकत्रित सामग्री हमारा मनोरंजन कर सकती है एवं ऐतिहासिक ज्ञानवृद्धि में भी योग दे सकती है। परन्तु भोज की साहित्यिक समीक्षा अर्थात् उनके ग्रंथों का गवेषण या अनुसंधान हमको इसमें नहीं मिलेगा। अतः भोज ऐसे साहित्यिक महारथी की कृतियों के एक अनुसन्धानात्मक ग्रंथ की अत्यन्त आवश्यकता देखकर ही लेखक इस विषय की ओर आकृष्ट हुआ।

अतएव इस साहित्यिक महारथी एवं महान् नृप के सम्बन्ध में, अनुसन्धान करने के लिये लेखक ने 'राजा भोज—उसका जीवन एवं उसकी कृतियाँ' शीर्षक विषय लेकर मन् १९४० ई० में (जब लेखक एम० ए० परीक्षा में लखनऊ विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण हुआ था) अनुसंधान कार्य करने की ठानी थी परन्तु विभिन्न जीवन जटिलताओं एवं समय-अभाव के कारण यह अनुसंधान कार्य लगभग ७ वर्ष तक यों ही पड़ा रहा। अतएव जब से लेखक को लखनऊ विश्वविद्यालय में अध्यापन का अवसर (संस्कृत-विभाग में अध्यापक के रूप में) प्राप्त हुआ तो इस अनुसंधान के संवेग में नवीन स्फूर्ति, एक नव चेतना एवं प्रेरणा की प्राप्ति हुई। परन्तु यह इतना विशाल विषय था कि एक मात्र भोज की जीवनी—समय-निर्धारण, वंश-परिचय, कला-वैभव, समकालीन कवि आदि-आदि जीवन-संबन्धी प्रश्नों एवं समस्याओं—पर पूर्ण प्रकाश डालने के लिये एक सुन्दर एवं श्रेष्ठपूर्ण नीति लिखी जा सकती है क्योंकि प्राप्त एवं अर्ध-प्राप्त सामग्री पर जो निष्कर्ष विद्वानों ने भोज की तिथि एवं समय पर निकाले हैं वे सवथा गवाँश में सुनिश्चित नहीं हो पाये हैं।

इसके अतिरिक्त भोज की जिन ग्रंथ-सालिखा का निर्देश ऊपर किया गया है उनका देखकर यह निर्विवाद कहा जा सकता है कि भोज के ग्रंथों पर एक व्यक्ति नहीं अनेक विद्वान् यदि विषय-वैशिष्ट्य के अनुसार अनुसन्धान करें तो संभवतः एक दर्जन में अधिक बृहत्-ग्रंथों का निर्माण हो सकता है। 'शुद्धाग्र-प्रकाश' को ही तीजिये। मद्रास विश्वविद्यालय के मुद्रिण्ड डा० गणेशन ने उस पर अनुसन्धान किया जो विशालताय है। अतः लेखक ने लखनऊ वि० वि० के संस्कृत-विभाग के अध्यापक अपने शिष्य गुरु-वर्य श्रीपुत प्रोफेसर के० ए० सुब्रह्मण्य अच्यर महोदय के सन्तुष्टि-सूत्रों में १० एच० डी० नीति के लिये पूर्व निर्धारित विषय के अन्तर्गत ही "भोज-देव-विरचित नमोद्गाय-सूत्रधार—एक प्रारम्भ" इस विषय को लेकर (पूर्व विषय को सीमित कर) इस दिशा में कार्य किया है।

समगङ्गण के विषयानुक्रम से विवरणात्मक अध्ययन के पूर्व उसकी एक औपेक्षात्मक समीक्षा एवं संक्षेप को हम आगे के अध्यायों में प्रस्तुत करेंगे। यहाँ इस विषय-प्रवेश के अन्त में दो विषयों—समीक्षा-पद्धति एवं अध्ययन-पद्धति—पर कुछ थोड़ा सा और निवेदन करना है।

ब. समीक्षा-पद्धति—

‘समगङ्गण’ वास्तु-शास्त्र का एक अत्यन्त प्रामाणिक, महत्वपूर्ण एवं अधिकृत ग्रन्थ है। इसकी रचना ११वीं शताब्दी में एक अत्यन्त ओजस्वी राजकुल के वातावरण में सम्पन्न हुई। धाराधिप महाराज भोजदेव ऐसे विद्याप्रेमी कलाप्रेमी एवं विदग्ध विद्वान की यह कृति मध्यकालीन-वास्तु-विद्या का अधिकृत ग्रन्थ है। अथच ११वीं शताब्दी तक इस महादेश के दानों भूखण्डों—आर्यावर्त एवं दक्षिणायन—पर भय से भय प्रासादों का निर्माण हो चुका था, अतः यह प्रश्न उठता है कि प्राचीन भारत अथवा मध्य भारत के शतशः वास्तु-स्मारकों के निर्माण में प्राप्त तत्कालीन ग्रन्थों में प्रतिपादित पद्धतियों, नियमों और शैलियों का अवश्य अनुगमन हुआ होगा। दुर्भाग्यवश इस दिशा में अभी तक कोई भी सन्तोषप्रद प्रयत्न नहीं हुआ। भारतीय वास्तु-कला के निदर्शन प्राचीन स्मारकों पर आधुनिक विद्वानों (हैवेल, फर्ग्युसन, कुमारस्वामी, वर्सात्राउन आदि-आदि) ने प्रौढ ग्रन्थ लिखे हैं तथा उनकी विस्तृत समीक्षा की है। इनके विपरीत डा० आचार्य ने अपने मानसारीय सप्तग्रन्थी अध्ययन में प्राचीन वास्तु-विद्या के एक प्रोन्नत ग्रन्थ का सम्पादन, अनुवाद, रेखाचित्र, पारिभाषिक-पद-कोष आदि-आदि पर स्तुत्य एवं महान् प्रयत्न किया है। परन्तु जब तक स्मारकों (monuments) तथा वास्तु-ग्रन्थों (manuals) का समन्वयात्मक पद्धति पर इन कृतियों का अध्ययन एवं विवेचन नहीं होता तब तक अनुसन्धान अधूरा ही समझना चाहिये।

यद्यपि यह विषय बड़ा कठिन है। इस विषय को सामग्री भी पर्याप्त नहीं है। वास्तु विद्या की परम्परा अपढ कारीगरों में ही विशेषकर सीमित होने के कारण, वास्तु-ग्रन्थों की व्याख्या भी बड़ी बुरह है तथापि इस दिशा में प्रयत्न परमावश्यक है। वास्तु ग्रन्थों में प्रतिपादित, पुर-निवेश-प्रक्रिया, भवन-निर्माण, भवनांग, भवन-वर्गीकरण, राजप्रासाद, देवतायतन (बहु-भूमिक तथा बहु-शिखर विमान एवं प्रासाद) आदि की निर्माण पद्धतियों, विभिन्न शैलियों एवं आकृतियों को रे वर्णन नहीं माने जा सकते। उनका स्थापत्य में अवश्य समन्वय था। इसी का समुद्राटन किसी भी वाडस्तु-ग्रन्थ के अध्ययन का परम आदर्श होना चाहिये।

मैंने इसी दृष्टिकोण को अपने जीवन का लक्ष्य बनाया है। इस ग्रन्थ के ‘अध्ययन’ में सफलता की प्राप्ति कठिन है। प्रयत्न ही श्लान्प हो सकता है। दिशा-सूचन से सम्भवतः आगे प्रतिभा सम्पन्न विद्वान् इस ओर आकृष्ट हों।

भारतीय-विज्ञान (Indology) की इस अत्यन्त रोचक एवं विस्मयकारी शाखा (वास्तु-विद्या एवं वास्तु-कला) के अनुसन्धान, अध्ययन, गवेषण एवं विवेचन में इस

पद्धति के अवलम्बन से सांस्कृतिक दृष्टिकोण भी स्वतः आ जाता है। संस्कृति एवं सभ्यता की ही कथा इन सभी कलाओं एवं विज्ञानों में मरी है। भारतीय वास्तु-कला मनातन से धर्माश्रया रही। अतः यहाँ की वास्तु-कला की यह धर्माश्रयता हिन्दू जीवन के सांस्कृतिक दृष्टिकोण की परिचायिका है। आगे के अध्याय में इस विषय पर विशेष चर्चा होगी।

स. अध्ययन पद्धति—

समराङ्गण एक बृहद् ग्रन्थ है। ८३ अध्याय तथा लगभग दसहजार पंक्तियों में निबद्ध इस प्रौढ ग्रन्थ में, प्रधानतया निम्नलिखित पाँच प्रमुख विषयों पर विवेचन है :—

१. पुर-निवेश
२. भवन-निवेश
३. प्रासाद निवेश
४. प्रतिमा-निर्माण
५. यंत्र-घटना

अतएव इन पाँचों विषयों को लेकर आगे के पाँच पटल (भाग) अपने अध्यायों सहित इस ग्रन्थ का प्रधान कलेवर निर्माण करेंगे। परन्तु इन विषयों में स्थापत्य एवं स्थपति तथा अन्यान्य श्रौषोद्धातिक विषयों का समावेश सम्भव न पाकर प्रथम पटल श्रौषोद्धातिक है। इस प्रकार एक संख्या श्रौर बढ़ी। प्रतिमा निर्माण में चित्र-प्रतिमा—चित्रकला समराङ्गण की अपनी विशेष देन है अतः इस विषय को एक भिन्न पटल में विभाजित किया है। इस प्रकार एक संख्या श्रौर बढ़ी। समराङ्गण श्रौर समराङ्गण के इस अध्ययन को समन्वित करने के लिये एक परिशिष्ट की (लक्षण-ग्रन्थ के सन्दर्भ-अवतरण-तालिका) भी आवश्यकता है। इस प्रकार यह पञ्चमुद्री सप्तपर्णा में परिणत हो अष्टमंगला का आवाहन कर रही है।

अन्त में एक विशेष संकेत यह है कि डा० आचार्य महोदय ने समराङ्गण की विषयानुक्रमिका (अध्याय योजना) को सुसंगति एवं तर्क-पूर्णता के साथ-साथ विषय संगठन के अभाव पर भी निर्देश किया है (देखिये हिन्दू आर्कैटेक्चर इन्डिया एन्ड एवाड पेज १७८—८१)। हो सकता है ग्रन्थकार राजा था, यह अध्याय संपादन किसी सहायक को सौंपा गया हो अथवा यह बाद के प्रतिलिपिकार की भूल हो। वास्तव में विषयों का सुमग्यद्ध क्रम (विशेषकर १—४८ अध्यायों में) नहीं पाया जाता है। अतः लेखक ने इस दोष का निराकरण कर नवीन योजना निर्दिष्ट की है जिसकी अनुक्रमणी निम्न रूप से दृष्टव्य है:—

समराङ्गण-सूत्रधारस्य सुसम्बद्धा-विषयानुक्रमणी

मौलिकाः अध्यायाः

सुसम्बद्धाः
अध्यायाः

विषयाः

१. प्राथमिकाः

१.	महान्ममागनम्	१
२.	विश्वकर्मणः पुत्रसम्बादः	२
३.	प्रश्न.	३
४.	महदादिसर्गः	४
५.	भुवन-क्रोशः	५
६.	सहदेवाधिकारः	६
७.	वर्णाश्रमप्रविभागः	७
८.	स्थपतिलक्षणम्	४४
९.	अष्टागलक्षणम्	४५

२. पुर-निवेशे

१०.	भूपरीक्षा	८
११.	हस्तलक्षणम्	१६
१२.	वास्तुत्रयविभागः	११
१३.	नाड्यादि-सिरादि-विकल्पा.	१२
१४.	मर्मवेध.	१३
१५.	पुरुषागदेवतानिघण्टूवादिनिर्णयः	१४
१६.	वास्तुसंस्थान-मातृकाः	३८
१७.	पुरनिवेशः	१०

३. भवन-निवेशे

अ. आरम्भिकाः		१८
१८.	नगरादिसंज्ञा	२६
१९.	आयादि-निर्णयः	३६
२०.	बलिदानविधिः	४७
२१.	वेदीलक्षणम्	१७
२२.	इन्द्रध्वजनिरूपणम्	३५
२३.	शिलान्यासविधिः	३७
२४.	कीलकसूत्र-पाता,	४०
२५.	मूर्धीठमान	

सुसम्पन्ना. अध्यायाः	विषयाः	मौलिकाः अध्यायाः
ब्र.	राज-निवेशे	
२६	राजनिवेश.	१५
२७	राजगृहाणि	३०
२८	सभाष्टकम्	२७
२९.	राजशाला.	३२
३०	अश्वशालाः	३३
३१.	नृपायतनानि	५१
स.	जन-निवेशे	
३२.	एकशाललक्षणम्	२३
३३.	द्विशाललक्षणम्	२२
३४.	त्रिशाललक्षणम्	२१
३५.	चतु शाललक्षणम्	१९
३६	समस्तगृहाणा संख्या-कथनम् (पंचशाललक्षणं पुरस्कृत्य दशशाललक्षणं यावत्)	२५
३७	निम्नोच्चादिफलम्	२०
३८.	द्वारपीठभित्तिमानादि	२४
य	गृहद्रव्ये, चयविधौ अप्रयोज्यप्रयोज्येषु	
३९.	वनप्रवेश.	१६
४०.	गृहद्रव्य- प्रमाणम्	२८
४१.	द्वारगुण-दोषा.	३९
४२.	चयविधि	४१
४३	अप्रयोज्य-प्रयोज्याश्च	३४
१	अन्येषु भवनसम्बन्धिषु विषयेषुदोषेषु भंगेषु वेधेषु च	
४४	द्वारभंग-फलम्	४३
४५	तोरणभंगादि-शान्तिकम्	४६
४६.	गृहदोष-निरूपणम्	४८
४७.	शान्ति-कर्मविधिः	४२
४.	यंत्रघटनायां शयनासन-निर्माणे च	
४८.	यंत्र-विधानम्	३१
४९.	शयनासन-लक्षणम्	२९
५.	प्रासाद-निवेशे	
अ	मूलप्रासादा. [प्रासादोत्पत्तौ स्तम्भ-गृहेषु द्वाय-प्रासादेषु च (१९), प्रासाद- जातौ (५२) प्रासादावयवेषु (५४, ५३) प्रास द-शुभा- शुभेषु (५०)]	

सुसम्बद्धाः अध्यायाः	विषया.	मौलिकाः अध्यायाः
५०-	रुचकादि-प्रासाद-लक्षणम्	४६
५१	प्रासादजातिः	५२
५२	प्रासादद्वारमानादि	५४
५३	जघन्य-वास्तुद्वारम्	५३
५४.	प्रासादशुभाशुभ-लक्षणम्	५०

व. शिखरोत्तमप्रासादेषु

- (I) ललितप्रासादा.
 (II) मिश्रकप्रासादाः
 (III) साधारण.
 (IV) निगूढाश्च

५५	रुचकादि चतुष्पष्टिप्रासादकाः	५६
----	------------------------------	----

स. भूमिकायुक्तेषु द्वेषविशेष-संस्तुतेषु स्मारकनिवधनेषु च

५६	प्रासादस्तवनम्	५८
५७	विमानादि-चतुष्पष्टि-प्रासादलक्षणम्	५६

य. शृंगबहुलेषु शृंगारसम्बन्धेषु लाटप्रासादेषु

५८	मेवादिषोडश-प्रासादलक्षणम्	५५
५९.	मेवादिर्विशिका	(उत्तरार्धम्) ५७
६०.	श्रीधरादयः चत्वारिंशत्प्रासादा. नन्दनादय. मिश्रकाश्च(पूर्वार्धम्)	५७

र. नागर-प्रासादेषु

६१	मेवादिविशिका-नागरप्रासादलक्षणम्	६३
६२.	श्रीकूटादिषट्त्रिंशत्प्रासादलक्षणम्	६०

ल द्राविडप्रासादेषु

६३.	पीठपंचकलक्षणम् (तलच्छन्द-प्रासादाश्च)	६१
६४.	द्राविड-प्रासाद-लक्षणम्	६२

व. वावाटप्रासादेषु

६५.	दिग्भद्रादिप्रासादलक्षणम्	६४
-----	---------------------------	----

श. भूमिज-प्रासादेषु

- (I) चतुरश्राः
 (II) वृत्तजातय.
 (III) अष्टशालाश्च

६६	भूमिजप्रासादालक्षणम्	६५
----	----------------------	----

प मण्डपेषु

६७.	मण्डप-लक्षणम्	६६
-----	---------------	----

सुमन्वद्धाः अध्यायाः	विषया	मौलिकाः अध्यायाः
६८	सप्तविंशति-मण्डप-लक्षणम्	६७
स.	जगतीपु.—	
६६.	जगत्यंग-समुदायाधिकारः	६८
७०.	जगतीलक्षणम्	६६

६. प्रतिमानिवेशे

- (I) लिंगप्रतिमा.
 (II) देवप्रतिमाः
 (III) प्रतिमाविधानम्
 (IV) प्रतिमागुणदोषाः
 (V) प्रतिमामानम्
 (VI) प्रतिमामुद्राः—देहमुद्राः, पादमुद्राः, हस्तमुद्राश्च

७१.	लिंगपीठप्रतिमालक्षणम्	७०
७२.	देवादिरूपप्रहरणसंयोगलक्षणम्	७७
७३.	प्रतिमा-लक्षणम्	७६
७४.	दोषगुणनिरूपणम्	७८
७५.	पंचपुरूपस्त्रीलक्षणम्	८१
७६.	ऋज्वागतादिस्थानलक्षणम्	७६
७७.	वैष्णवादिस्थानकलक्षणम्	८०
७८.	पताकादिचतुष्पष्टिहस्तलक्षणम्	८३

७. चित्रकर्मणि

७९.	चित्रोद्देशः	७१
८०.	भूमिथन्वनम्	७२
८१.	लेप्यकर्मादिकम्	७३
८२.	अण्डकप्रमाणम्	७४
८३.	मानोत्पत्ति.	७५
८४	रसदृष्टिलक्षणम्	८२

टिप्पणी १—समराङ्गणे त्र्यशीत्यध्याया परं सप्तपञ्चाशो मया अध्यायद्वये विभक्तः अतः चतुर्शीत्यध्यायाः ।

टिप्पणी २—समराङ्गणे मे वैते तो ८३ अध्याय हैं परन्तु ५७या अध्याय दो प्रासाद वर्गों का वर्णन करता है । अतः उभयों को अध्यायों में विभक्त किया गया है । अतः ८४ अध्याय हुए ।

भारतीय वास्तु-विद्या

अ. जन्म, विकास एवं विशेषता

भारतीय वास्तु-विद्या का जन्म - वेदाङ्ग-षट्क (विशेषतः ज्योतिष एवं कल्प) से हुआ । यतः भारतीय वास्तु-कला का आश्रय धर्म रहा है, अतः धार्मिक संस्कारों, यज्ञों एवं पूजाओं के सम्बन्ध में आवश्यक भूमिचयन, भू-संस्कार, भूमि के मान और उन्मान (नाप-जोख) एवं वेदि-रचना आदि-आदि आवश्यकीय अंगों के सम्बन्ध में जो निर्देश तथा विवरण इन सूत्र-ग्रंथों में मिलते हैं वे ही कालान्तर में वास्तु-विद्या के सूत्रपात करने में सहायक हुये ।

हमारे देश की प्राचीन परम्परा में जिन-जिन विद्याओं का एक साथ उल्लेख हुआ है उनमें वास्तु-विद्या का समुल्लेख नहीं देख पड़ता । अतः यह नहीं कहा जा सकता कि वास्तु-विद्या विद्या-स्थान को ही नहीं प्राप्त थी । आवश्यकता आविष्कारों की जननी कही गई है । और मवन सम्बन्धी आवश्यकता (निवास) मानवता एवं मानव सभ्यता के साथ-साथ सनातन से सर्वत्र रही है । ऋग्वेद में ही वास्तु सम्बन्धी बहुल संकेत हैं जिनसे तत्कालीन वास्तु-विद्या एवं वास्तु-कला का सुदृढ़ अनुमान किया जा सकता है । यही नहीं सिन्धु नदी की सभ्यता में तो वास्तु-कला के विकास की सुन्दर उन्नति के सुदृढ़ निदर्शन प्राप्त हुये हैं । अतः वास्तु-विद्या का मानव-सभ्यता में एक अत्यन्त आवश्यक ज्ञान सनातन से सर्वत्र रहा है ।

✓ प्रत्येक काल की अपनी अपनी प्रमुख विशेषतायें होती हैं । वैदिक काल यगोपासना का काल था । उस समय प्रतिमा-पूजा का प्रचार नहीं हो पाया था । अतः पूजा-वास्तु—वेदि-निर्माण तथा यज्ञ-शाला-रचना तक ही वास्तु-विद्या का विकास पनप सका । कालान्तर में न केवल वैदिक याग के प्रति ही आभ्यन्तारिक विद्रोह (आरण्यकों एवं उपनिषदों में जैसा प्रत्यक्ष है) उठ खड़ा हुआ, वरन् एक विपुल बाह्य विद्रोह, बौद्धों एवं जैनों के नवीन धर्म-संघ से वैदिक धर्म के प्रति भी प्रारम्भ हुआ और सारे देश में व्यापक हो गया । उस समय वैदिक ब्राह्मण-धर्म की कैसे रक्षा हो ? नास्तिक बौद्धों के बृहद् धर्म-संघ में सम्मिलित इस देश की जनता को ब्राह्मण धर्म के प्रति कैसे पुनः आकर्षित किया जावे ? धर्म के स्वरूप में एक नवीन सुधार की आवश्यकता का अनुभव हुआ । 'हिंसा-समन्वित' 'बृहद्रथ-सापेक्ष' यज्ञ-कर्मकाण्ड के स्थान पर शिव-पूजा तथा विष्णु-पूजा, त्रिदेवोपासना (ब्रह्मा-विष्णु-महेश) की एक उद्दाम गंगा का प्रवाह इस देश पर प्रवाहित हुआ । पुराणों की और आगमों की उपासना परम्परा पल्लवित हुई । शिवपूजा और विष्णुपूजा की प्रवृत्त धारा हिमाद्रि उत्तर से दक्षिण सेतुबन्ध रामेश्वर तक बहने लगी । एक शब्द में शैव एवं वैष्णव

धर्म की इस उपासना-गंगा में भारतीय जनसमाज आवाल-वृद्ध-वनिता-अवगाहन कर मानो धर्म-वैमुख्य-जन्य पातक का प्रक्षालन कर पुनः वैदिक धर्म के परिष्कृत रूप में पल्लवित पौराणिक धर्म की पुण्य-भूमि पर विचरण करने लगी।

शिवमक्ति और विष्णुमक्ति, इन दो धार्मिक प्रगतियों के प्रसार से प्रतिमा-मापेन्द्र इस नवोन पौराणिक धर्म के वृद्ध विजृम्भण में देश के कोने-कोने में तीर्थ-स्थानों, शिव-मन्दिरों एवं विष्णु-मन्दिरों की स्थापना तथा उनका निर्माण प्रारम्भ हुआ। परिणामतः इस पौराणिक धर्म के प्रचार ने वास्तु-कला को चरम उन्नति पर पहुँचा दिया और इस देश के विशाल भू-भाग पर दक्षिणपथ तथा उत्तरपथ इन दोनों प्राचीन भू-खण्डों पर वास्तु-कला के चरमोत्कर्ष के अप्रतिम एवं प्रोज्वल निदर्शन देखने को मिलते हैं। इस प्रकार भारतीय वास्तु-विद्या तथा वास्तु-कला का आश्रय धर्म रहा है यह तथ्य हृदयङ्गम हो सकता है।

भारतीय जीवन सनातन से अध्यात्म से प्रभावित रहा। धर्म एवं जीवन की पारस्परिक घनिष्टता इस देश की सर्वप्रमुख विशेषता रही। भारतीय जीवन का कोई भी क्षेत्र धार्मिक प्रेरणा एवं चेतना में अछूता नहीं रहा। धारणा तो यह रही है कि विना धार्मिक उपचेतना के वह जीवन क्षेत्र ही निष्प्राण है। सच मी है, भारतीय धर्म का कलेवर ही इतना विशाल रहा है कि मानव जीवन के सभी क्षेत्र भौतिक एवं पारमार्थिक उसके क्रोड में कवलित हो जाते हैं। “यतोऽभ्युदयनिःश्रेयससिद्धिः स धर्मः”—धर्म की इस परिभाषा में अभ्युदय अर्थात् ऐहिक उन्नति—सासारिक ऐश्वर्य तथा निःश्रेयस अर्थात् मोक्ष—पारमार्थिक चरम उन्नति—दोनों ही तो सम्मिलित हैं। अतः विना धर्म से अनुप्राणित एवं प्रभावित कोई भी जीवन अंग यहाँ कैसे विकास को प्राप्त होता ?

भारतीय जीवन को यह धर्मप्रियता भारतीय सभ्यता की उच्चता का प्रतीक है। रहन-सहन, खान-पान, भोजन-भजन, आचार-विचार, निवास एवं परिधान की कहानी ही तो सभ्यता की कहानी है। मानव जीवन की ये आवश्यकतायें जब नियंत्रित, सुव्यवस्थित एवं सुसंचालित होकर एक अदृश्य अध्यात्म का सहाय ले लेती हैं, तभी मानव अपनी असभ्यता किंवा अर्थ-सभ्यता की कोटि से उठकर सभ्य मानव के रूप में पर्दापण करता है। और विकास के मार्ग में बढ़कर कालान्तर में इमी जीवन-दर्शन से अनुप्राणित अंकुर वही मानव, मानवता की कोटि से उठकर देवत्व की क्रोड में किलोले करने लगता है।

भारतीय सभ्यता की प्राप्त मामूरी में भारतीय सभ्यता के शैशव-काल के दर्शन दुर्लभ हैं। क्या धर्म, क्या दर्शन, क्या आचार, क्या विचार, अंग क्या निवास, क्या परिधान आदि के बहुल संकेत जो पुगतन भारतीय साहित्य एवं पुगतन संभाग में प्राप्त होते हैं, उनमें सभ्यता के शैशव का केवल अनुमान ही मकता है—दर्शन नहीं। ऋग्वेद न केवल भारत का ही प्राचीनतम साहित्यिक स्मारक है, वरन् विद्वानों के मत में संसार के प्राप्त साहित्य न्मानसों में वह प्राचीनतम है। ऋग्वेद में वान्मुक्ता मन्त्री जो मन्त्र हैं उनमें इम कला के शैशव का केवल अनुमान लगाया जा सकता है। ऋग्वेद की वान्मुक्ता एक उन्नत अवस्था में पायी जाती है। ऋग्वेद में वशिष्ठ जी—“त्रिभानुगण्णम्”—विभूमि-प्रासाद—की इच्छा करते हैं। इमी प्रकार एक राजा के विषय में उल्लेख है जो “महम्बस्तम्भ” एवं “मन्वद्वाग वाले पिगाल दाल में बैठता है,

इसी प्रकार मित्र तथा वरुण—इन दो वैदिक देवों के विषय में उल्लेख है कि उनके आवास सहस्रस्तम्भ एवं सहस्रद्वार है—[विशेष विवरण तारापद जी की पुस्तक में देखिये] इसी प्रकार 'पुर' एवं 'भवन', 'प्रासाद' तथा 'आवास'—विषयक शतशः वास्तु संकेत ऋग्वेद में भरे हैं। मले ही ये संकेत क्रान्तदर्शी मनीषी कवियों की कल्पना के कोरे निदर्शन हैं—परन्तु कवि कल्पना का कोई आधार तो होना ही चाहिये। कवि अपनी प्रतिभा से साधारण से साधारण 'भावपट्टे' पर असाधारण रगरंजन करता है, परन्तु आधार चाहिये ही। अतः इन प्राचीन वास्तु संकेतों के अन्तरतम में प्राचीन भारतीय वास्तुकला के विक्रम के बीज स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं।

वैसे तो वास्तु-विद्या और वास्तु-कला दोनों का प्रवाह एक ही स्रोत से निःसृत हुआ है, दोनों ही का सनातन में उस देश में समन्वय रहा है। परन्तु प्रकृत में हम वास्तु-विद्या पर ही विचार करेंगे। भारतीय वास्तु-कला की विशेषता पर केवल थोड़ा सा सूचित करना अप्रासंगिक न होगा।

वास्तु-कला के मर्मज्ञ विद्वान् डा० कुमार स्वामी के शब्दों में "भारत की सभी देवों उसके दर्शन से अनुप्राणित हैं। जहाँ तक भारतीय कला की उद्भावना का सम्बन्ध है, उसमें कलाकार के मानसिक योग एवं प्रारम्भिक धार्मिक संस्कारों का होना अनिवार्य है।"

इस कथन से हमारे कथन की सत्यता स्वतः सिद्ध है कि भारतीय धर्म के कलेवर में भारतीय दर्शन की आत्मा का निवास है। विना आत्मा के शरीर निष्प्राण। विना शरीर के आत्मा का अस्तित्व केवल अनुमेय है प्रत्यक्ष नहीं। अतः धर्म और दर्शन का अन्योन्याश्रय सम्बन्ध है। यही कारण है कि भारतीय विचारकों ने जहाँ शब्द-ब्रह्मवाद अथवा रस-ब्रह्मवाद एवं नाद-ब्रह्मवाद की कल्पना की है, वहाँ उन लोगों ने वास्तु में भी वास्तु-ब्रह्मवाद की कल्पना करके भारतीय वास्तु-कला में जीवन संचार किया है। जड़ में चैतन्य की कल्पना ही तो दर्शन का मर्म है। भारतीय वास्तु-कला की इस मौलिक-विशेषता को प्रायः सभी उद्भट वास्तु-शास्त्रियों ने स्वीकार किया है। भोजदेव ने भी अपने समराङ्गण-सूत्रधार के प्रथम ही पद्य में वास्तु-ब्रह्म को लोकत्रय शिल्पी के रूप में उद्भावना करके इस कथन की पुष्टि की है—

देव. स पातु भुवनत्रयसूत्रधार -
 स्वां बालचन्द्रकबि ऋद्धितजूटकोटि ।
 पृत्तव समग्रमपि कारणमन्तरेण
 कारस्यादसूत्रितमसूत्रत येन विश्वम् ॥

'भुवनत्रय-सूत्रधारः लोकत्रय-शिल्पी। शिल्पवैचित्र्यमुत्रगर्भे प्रतिपाद्यते। समग्रं कारणमन्तरेणापि समवाय्यममवायिनिमित्तात्मना त्रिप्रकारमन्योन्यविलक्षणम्बुल्लोकोत्पत्तितं कारणकलापं कार्यमात्रसाधारणं विनापीत्यर्थं, जगद्रूपस्य कार्यस्यैक एवेश्वर—उपादानं च निमित्तं चाम्नात इति। असूत्र्यत आकारोल्लेखपूर्वमनृज्यत।'।

इस श्लोक का भावार्थ यह है कि ग्रंथकार ने संगलाचरण के व्याज से लोकत्रय-शिल्पी भगवान् भूतभावन चन्द्रशेखर शिव में उस आदि सूत्रधार का आरोपण किया है जिन्होंने सम्पूर्ण कारणों के विना भी इस सम्पूर्ण विश्व की रचना की है।

वैसे तो मानव संस्कृति अविच्छिन्न है। वह सार्वभौमिक है सार्वकालिक भी। परन्तु

स्थान, काल एवं जाति विशेष के संसर्ग में उसमें अपनी विशिष्टता की छापें अवश्य प्रस्फुटित हो जाती हैं। वास्तु-कला का मानव सभ्यता की कहानी में एक महत्वपूर्ण स्थान है। प्रायः सभी देशों में यह कला पनपी। अपने-अपने देशों में उन देशों के देशवासियों ने जैसा इस कला की साधना में, विकास एवं अभ्युदय में योगदान दिया वैसा ही स्थान, काल एवं जाति विशेष की विशेषताओं से उसमें अवश्य वैशिष्ट्य उत्पन्न हो गया है। पर्सों ब्राउन के शब्दों में—इंडियन आर्कैटेक्चर प० १—“यूनानियों की वास्तु-कला की विशेषता उनकी प्रोजेक्ट-पूर्णता थी। रोमन भवन (निर्माण) अपनी वैज्ञानिक-रचना के लिये प्रसिद्ध हैं। फ्रेंच-गोथिक कला में हमें एक भावुक बुद्धि एवं उद्भावन के दर्शन होते हैं। इटली की सर्वतोन्मुखी उन्नति (वास्तु-कला जिसमें एक थी) में तत्कालीन वैदुष्य की छाप प्रकट रूप में प्रत्यक्ष है। इसी प्रकार भारतीय वास्तु-कला की सर्वप्रमुख विशेषता उसकी अध्यात्म-निष्ठा है। यह प्रकट है कि भारतीय भवन-निर्माण कला का आधारभूत अध्यवसाय-प्रयोजन भारतीय जनसमाज की धार्मिक चेतना एवं विश्वास को मूर्त स्वरूप प्रदान कर उनके प्रतीकत्व का कल्पन है। प्रस्तर, पापाण एवं दृष्टका में भारतीय आत्मा का साक्षात्कार करना ही भारतीय वास्तु-कला की सर्वप्रमुख विशेषता कही गयी है।”

यहाँ पर एक प्रश्न यह है कि भारतीय वास्तु-कला पर जो अनुसन्धानात्मक एवं गवेषणात्मक ग्रंथ पाश्चात्य एवं पूर्वीय विद्वानों ने लिखे हैं, उनमें भारतीय वास्तु-कला का प्रारम्भिक विकास मौर्यकाल से मानते हैं तथा महाराज अशोक के ही राज्यकाल से वास्तु-कला एवं प्रस्तर-कला का विकास बताते हैं। इस सम्बन्ध में भी यही कहा जा सकता है कि महाराज अशोक ने जिन विभिन्न लाटों, स्तूप, चैत्य तथा शिला लेख इत्यादि का निर्माण कराया, उनका एकमात्र उद्देश्य बौद्ध धर्म का प्रचार एवं संरक्षण था। अतः अशोक-कालीन भारतीय वास्तु-कला एवं प्रस्तर-कला के विकास में धर्माश्रय ही प्रत्यक्ष था। दूसरा प्रश्न यह है, जो उपर्युक्त कथन में काल भेद का वपम्य उपस्थित करता है वह यह कि पुराणों की रचना अथवा सम्पादन तो आधुनिक विद्वान गुप्तकालीन मानते हैं, अतः पुराणों अथवा आगमों की भक्ति परम्परा से ही यदि भारतीय वास्तु-विद्या एवं वास्तु-कला का विकास मानें तो फिर बौद्ध-कला के प्रारम्भ में यह कैसे संगत हो सकती है ? इसके उत्तर में यह कहा जा सकता है कि बहुत से पुराण ईसवीय पूर्व कृतियाँ हैं। गुप्तकाल में उनका सम्पादन हुआ होगा, यही मानना विशेष संगत है। रामायण तथा महाभारत की रचना ईसा से पूर्व छठी शताब्दी में मानी गयी है। पुराण, वैदिक एवं लौकिक साहित्य के बीच की कृतियाँ मानी जानी चाहियें। रामायण और महाभारत तो लौकिक साहित्य के रूप में ही सनातन में परिगणित होते आये हैं। अतः भले ही पुराणों की रचना गुप्तकाल के बहुत पूर्व न हुई हो और आगमों की रचना और भी आगे हुई हो, परन्तु इन दोनों में वैदिक धर्म की परम्परा के उपरान्त पौराणिक धर्म की परम्परा पल्लवित हो गयी थी—भले ही उस परम्परा का सुसंस्कृत एवं लेखबद्ध अथवा साहित्यिक स्वरूप बहुत काल के बाद हुआ हो। किन्ती भी परम्परा के पूर्ण विकास में एक महान इतिहास लिखा होना है। परम्पराओं का जन्म जरा होना है तो उनके विकास और उन्नति तथा सिद्धान्तरूप में दृष्टिकरण में प्रचुर समय की आवश्यकता होती है। महाराज अशोक के पूर्व भी इन देश में शिव पूजा (देविने सिन्धु की घाटी की सभ्यता) का पूर्ण प्रसार

हो चुका था तथा उस पूजापद्धति की धार्मिक पुस्तकों में आगमों की परम्परा भी अवश्य पल्लवित हो चुकी होगी, तभी तो आगमों में प्रतिपादित शक्ति-पूजा एवं शिव-पूजा के प्रतीक मन्दिर-निर्माण-व्यवस्था और उसमें लिङ्ग-स्थापन तथा पार्वती के वाहन सिंह आदि पशुओं की प्रतिमा-संविधान पर जो संकेत हैं उनका ही प्रभाव अशोककालीन वास्तु-कला तथा प्रस्तर-कला पर प्रत्यक्ष दिखाई पड़ता है। अशोक के स्तम्भों पर जिन चार पशुओं—सिंह, गज, वृषभ तथा अश्व की मूर्तियाँ बनी हैं, उनमें तीन पशुओं का सामान्य सम्बन्ध शिव-प्रतिमा तथा शक्ति-प्रतिमा के संविधान में आवश्यक वाहन-रूप में प्रचलित थे। अतः आगमों की वास्तु-परम्परा बहुत प्राचीन है। उसको मध्यकालीन मानना भले ही साहित्यिक रूप से सुसंगत हो परन्तु उनकी परम्परा अति प्राचीन है—ऐसा कहना असंगत न होगा।

इसी दृष्टिकोण से भारतीय वास्तुकला के विद्वानों ने जो दो रूप 'नागर शैली' उत्तरी तथा 'द्राविड़ शैली' दक्षिणी स्थिर किये हैं वे संगत होते हैं और इसीलिये वास्तु-विद्या का जन्म जहाँ वेदाङ्गपट्टक के ज्योतिष एवं कल्प से हुआ वहाँ आगमों एवं पुराणों की इन दो परम्पराओं से देश एवं स्थान भेद से उसके दो रूप देखने को मिलते हैं।

साराशतः वास्तु-विद्या का जन्म तो जैसा पूर्व ही संकेत किया जा चुका है वैदिककाल के ही समकालीन था परन्तु उसका स्थिर रूप वेदांगों के समय में सम्पन्न हुआ तथा पुराणों और आगमों में उसका विकास प्रारम्भ हुआ और आगे चलकर वास्तु-विद्या के आचार्यों ने उसको एक स्वाधीन शास्त्र के रूप में खड़ा किया और यह वास्तु-शास्त्र शुक्राचार्य के अनुसार 'विद्या-स्थान' को भी प्राप्त हो गया।

व. परम्परार्ये एवं प्रवर्तक

समराङ्गण-सूत्रधार मध्यकालीन कृति है। इस ग्रंथ में जिस वास्तुविद्या के दर्शन होते हैं वह अत्यन्त प्रौढ़ एवं समुन्नत है। भारतीय वास्तु-शास्त्र के प्रसिद्ध ग्रंथों का निर्माण भी इस काल के पूर्व हो चुका था। इन विभिन्न ग्रंथों के अवलोकन से वास्तु-विद्या की जो परम्परार्ये पनपी, उनपर और उनके प्रवर्तक आचार्यों एवं उनकी कृतियों पर एक विहंगम दृष्टि डालना आवश्यक है।

यहाँ पर इतना ध्यान रहे कि जिन विभिन्न वास्तु-शास्त्र प्रतिपादक ग्रंथों का आगे हम वर्णन करेंगे, उनमें सभी के काल निर्णय अभी नहीं हो पाये हैं। तिथिक्रम भारतीय विज्ञान (इन्डोलॉजी) की एक कठिन समस्या है। अतः इस अध्याय के शीर्षक के अनुरूप प्रायः सभी प्राप्त मुख्य ग्रंथों का (समराङ्गण से प्राचीन एवं अर्वाचीन—दोनों ही कोटि के ग्रंथों का) हम वर्णन करेंगे।

वास्तु-विद्या के जन्म एवं विकास का इतिहास लिखने में श्रीशुक्ल तारापद-भट्टाचार्य (देखिये ए स्टडी आन वास्तु-विद्या और कैमन्स आफ इण्डियन आर्कीटेक्चर) ने एक सराहनीय प्रयत्न किया है; परन्तु यह नहीं कहा जा सकता कि जिन निष्कर्षों पर भट्टाचार्य जी पहुँचे हैं, वे सिद्धान्त रूप में मान्य हैं। इस दृष्टिकोण से भारतीय वास्तु-विद्या का व्यापक क्षेत्र अथवा मी अनुसन्धान के लिये काफी सामग्री प्रदान कर सकता है।

वैदिक वाङ्मय, पुराण, एवं महाकाव्य तथा बृहत्संहिता (ज्योतिष) एवं मानसार आदि शिल्पशास्त्रों तथा अन्य विभिन्न प्राचीन ग्रंथों के परिशीलन से वास्तु-विद्या के अनेक आचार्यों के नामोल्लेख एवं उनके सिद्धान्तों का उल्लेख मिलता है। अतः यह निर्विवाद है कि इस विद्या के मूल प्रवर्तकों का जन्म इस देश में अत्यन्त प्राचीनकाल में हुआ था। भारतीय परम्परा के अनुसार प्रत्येक विद्या का अपना-अपना अलग जन्मदाता है। विभिन्न दर्शनों के संस्थापक एवं प्रवर्तक हम जानते हैं। विभिन्न धार्मिक, नीति-सम्बद्ध एवं आर्थिक तथा राजनैतिक परम्पराओं के प्रवर्तक भी हम जानते हैं। अतः वास्तुविद्या के मूल प्रवर्तकों में हमें दो नाम विशेष उल्लेखनीय मिलते हैं। वे हैं विश्वकर्मा तथा मय। विश्वकर्मा की कल्पना देवताओं के स्थपति के रूप में सनातन से इस देश में चली आई है। अतः देवभूमि इस भारत के उत्तरपथ भूभाग पर विश्वकर्मा का अवतार हुआ—ऐसे बहुत संकेत प्राचीन ग्रंथों में मिलते हैं। अतः इस भूभाग से सम्बन्ध रखनेवाली वास्तु-कला तथा उस कला की विद्या के विभिन्न शास्त्र ग्रंथों में विश्वकर्मा को वास्तुविद्या का प्रथम प्रवर्तक एवं आचार्य माना गया है। श्रीयुक् तारापद भट्टाचार्य ने यह भी प्रतिपादित किया है कि जहां विश्वकर्मा एक देवताओं का स्थपति था और उसको वसुओं (देव विशेषों में) परिगणित किया गया है, वहाँ विश्वकर्मा नामक एक मनुष्य भी था जो वास्तु-विद्या का प्रवर्तक हुआ और कालान्तर में स्थापत्य-शास्त्र एवं कला में विश्वकर्मा-स्कूल (परम्परा) का जन्म तथा विकास हुआ (इस सम्बन्ध में विशेष ज्ञातव्य के लिये श्री तारापद की पुस्तक देखिये)।

दैवी संस्कृति के साथ-साथ सनातन से इस देश में आसुरी संस्कृति का समानान्तर रूप में निर्देश किया गया है। यही नहीं संस्कृति के भौतिक रूप में असुरों ने देवों की अपेक्षा विशेष उन्नति की थी—यह हमारे पुरातन ग्रंथों से स्पष्ट है। ये असुर कौन थे? विद्वानों ने एतद्देशीय अनार्य जाति के प्रति ब्राह्मण आदि ग्रंथों में जो असुर आदि शब्दों का प्रयोग पाया है उनसे इस देश के आर्येतर निवासियों का बोध माना है। वास्तव में जिमको हम आसुरी सभ्यता कहते हैं वह भी इसी देश के मूल निवासियों की सभ्यता है। इस सभ्यता की वास्तु-कला में अत्यन्त प्राचीन नाम जो आर्य ग्रन्थों में मिलता है वह है मय। मय असुर था। अतः आसुरी वास्तु-विद्या के मूल प्रवर्तक के रूप में इसे माना गया है और इस प्रकार भारतीय वास्तु-विद्या की यह दूसरी परम्परा मय-स्कूल के नाम से प्रसिद्ध है।

यहाँ पर यह संकेत करना आवश्यक है कि जिस प्रकार भारतीय आर्य सभ्यता में आर्येतर एतद्देशीय तथा विदेशीय बहुसंख्यक घटक पद-पद पर प्राप्त होते हैं उसी प्रकार वास्तु-विद्या के सिद्धान्तों में भी कालान्तर पाकर पारस्परिक सम्मिश्रण हुआ। एक परम्परा की विद्या में दूसरी परम्परा के आचार्यों के मतों का सम्मानपूर्वक उल्लेख हुआ और पुनः इस महादेश के एक कोने में दूसरे कोने तक स्थापत्य-कौशल का जो प्रोज्वल रूप देखने को मिलता है उममें देश भेद होते हुए भी सम्मिश्रण की इस आधार-भूत रचना के सर्वत्र समान रूप में दर्शन होते हैं। दक्षिण की द्राविड़-शैली और उत्तर की नागर-शैली दोनों शैलियों के अपने-अपने सुन्दर निदर्शन होते हुए भी एक दूसरे पर पारस्परिक प्रभाव भी कम प्रत्यक्ष नहीं है।

अस्तु, वास्तु-परम्पराओं और प्रवर्तकों पर इस किञ्चित्क उपोद्घात के अनन्तर एक तथ्य की ओर और भी ध्यान यह देना है कि यद्यपि वर्तमान पर दो ही परम्पराओं

(दक्षिणी तथा उत्तरी) का संकेत किया गया, फिर भी इस विशाल देश में कालान्तर में विभिन्न महाजनपदों में अपने-अपने क्षेत्रों की विशेषताओं को लेकर और भी बहुत सी परम्परयें पल्लवित हुईं, जिनको शैलियों के नाम से पुकारा जाता है। नागर (उत्तरी) द्राविड़ (दक्षिणी) शैली का संकेत ही चुका है। इन दो शैलियों के अतिरिक्त तीसरी शैली वेसर के नाम से प्रसिद्ध है। 'समराङ्गण' में तो नागर, द्राविड़, वेसर की त्रयी के स्थान पर नागर, द्राविड़, वावाट, भूमिज, लाट (लतिन) आदि बहुसंख्यक वास्तु-शैलियों का विवेचन है। इन शैलियों के सम्बन्ध में हम आगे प्रासाद-वास्तु की समीक्षा में विचार करेंगे। इतना तो निर्विवाद है कि शैलियाँ कितनी ही क्यों न हो प्रधान रूप से भारतीय वास्तु-विद्या की दो ही परम्परयें हैं जो ऊपर उत्तरी तथा दक्षिणी परम्परा के नाम से पुकारी गयी हैं।

दक्षिणी परम्परा—

इस परम्परा के प्रवर्तक आचार्यों में निम्नलिखित नाम विशेष उल्लेखनीय हैं :—

१ ब्रह्मा	६ काश्यप	११ नारद
२ त्वष्ट्रा	७ अगस्त्य	१२ प्रहाद
३ मय	८ शुक्र	१३ शक्र
४ मातङ्ग	९ पराशर	१४ बृहस्पति तथा
५ भृगु	१० नग्नजित्	१५ मानसार

इन नामों का निर्देश मात्र यहाँ अभिलिखित है। विशेष छानबीन (इन आचार्यों के संकेत आदि एवं सिद्धांत आदि) तारापद ने अपने ग्रंथ में की है। अतः विस्तारभय से उसकी अवतारणा यहाँ समीचीन नहीं। मत्स्य-पुराण एवं बृहत्संहिता में जिन २५ आचार्यों का निर्देश मिलता है उनमें से बहुसंख्यक आचार्य द्राविड़-परम्परा के प्रवर्तक माने जाते हैं, और शेष नागर-परम्परा के।

दक्षिणी—मत्स्य पुराण की निम्न नामतालिका निम्नलिखित है :—

१ भृगु	७ नग्नजित्	१३ शौनक	१६ मनु
२ अत्रि	८ विशालाक्ष	१४ गर्ग	२० पराशर
३ वसिष्ठ	९ पुरन्दर या शक्र	१५ वासुदेव	२१ काश्यप
४ विश्वकर्मा	१० ब्रह्मा	१६ अनुरुद्ध	२२ भरद्वाज
५ मय	११ कुमार	१७ शुक्र	२३ प्रहाद
६ नारद	१२ नंदीश (शम्भु)	१८ बृहस्पति	२४ अगस्त्य
			२५ मार्कण्डेय

प्रथम १६ नाम मत्स्यपुराण में तथा बाद के ३ नाम (२०, २१, २२) बृहत्संहिता में तथा अंतिम तीन अन्य साहित्य सन्दर्भों में उल्लिखित पाये जाते हैं। इनमें बहुतांश के ग्रंथ भी पाये जाते हैं जिनका हम 'वास्तु वाङ्मय' के आगे के स्तम्भ में उल्लेख करेंगे।

उत्तरी परम्परा—

आर्य वास्तु-परम्परा के प्रथम आचार्य विश्वकर्मा ने यह विद्या स्वयं पितामह ब्रह्मा में प्राप्त की (देखिये आगे का अध्याय 'समराङ्गण का स्थान') विश्वकर्मा देवों का

स्थपति था। उसकी गणना वसुओं में थी। परन्तु कालान्तर में देश के विभिन्न कुशल एवं प्रसिद्ध स्थपतियों ने अपने नाम विश्वकर्मा के नाम से प्रचलित किये। अतएव जहाँ देवों का विश्वकर्मा वास्तु-विद्या का प्रथम प्रतिष्ठापक है, वहाँ कालान्तर में इस देश में अन्य कई विश्वकर्मा हुये जिन्होंने स्थापत्य-कौशल की परम्परा में योग दिया तथा स्थापत्य-शास्त्र पर ग्रंथ निर्मित किये।

प्राप्त विश्वकर्म-प्रकाश में विश्वकर्मा उत्तरापथ की वास्तु-परम्परा का प्रथम आचार्य न माना जाकर चौथा या पाचवाँ या इत्थे भी अर्वाचीन माना गया है—शम्भु का शिष्य गर्ग, गर्ग का शिष्य पराशर, पराशर का शिष्य बृहद्रथ तथा बृहद्रथ का शिष्य विश्व-कर्मा और विश्वकर्मा के शिष्य वासुदेव ने यह ग्रंथ संकलित किया—ऐसा इसमें निर्दिष्ट है। अतः देव-स्थपति विश्वकर्मा के अतिरिक्त कम से कम दो विश्वकर्मा और हुये जो वास्तु-विद्या के आचार्य के रूप में प्रख्यात हुए तथा ग्रंथ लिखे। उनमें एक है उत्तरापथ का और दूसरा है दक्षिणापथ का। विश्वकर्म-प्रकाश उत्तरापथ की वास्तु-विद्या का वर्णन करता है तथा विश्वकर्माय-शिल्प दक्षिणापथ की वास्तुविद्या का वर्णन करता है। अस्तु, उत्तरी परम्परा (नागर शैली) के प्रवर्तक आचार्यों में निम्नलिखित नाम विशेष उल्लेखनीय हैं—

- | | | | |
|---------|-----------|-----------|------------------|
| १ शम्भु | ३. अत्रि | ५. पराशर | ७ विश्वकर्मा तथा |
| २. गर्ग | ४. वसिष्ठ | ६ बृहद्रथ | ८ वासुदेव |

टिप्पणी—इन नामों की सूचक सामग्री का यहाँ पर उल्लेख नहीं किया गया, क्योंकि यह इस ग्रंथ का प्रतिपाद्य विषय नहीं है। स्वल्प में निर्देशमात्र ही यहाँ पर संगत है।

स. वास्तु-वाङ्मय

दोनों परम्पराओं के प्रवर्तक आचार्यों के ग्रंथों एवं सिद्धान्तों के उल्लेख के प्रथम एक जातव्य तथ्य यह है कि वास्तु शास्त्र के सिद्धान्तों का प्रतिपादन करनेवाला मारतीय साहित्य मुख्यतया दो प्रकार का है। डा० आचार्य के शब्दों में आर्कीटेक्चरल वर्क्स अर्थात् वास्तु शास्त्रीय ग्रन्थ तथा नान-आर्कीटेक्चरल वर्क्स अर्थात् अ-वास्तु-शास्त्रीय ग्रन्थ। पहिली कोटि में उन ग्रंथों का समावेश होता है जिनमें अविकल रूप से वास्तु-शास्त्र पर विवेचन किया गया है और दूसरी कोटि के वे ग्रंथ हैं जो मुख्यतया या तो धार्मिक ग्रंथ हैं जैसे वेद, वेदाङ्ग (वल्प तथा ज्योतिष) पुण्य, आगम तथा धार्मिक-संस्कार-पद्धतियों पूजा-पद्धतियों, प्रतिष्ठा-पद्धतियों के ग्रंथ या कुछ नीति-विषयक ग्रंथ जैसे शुक्र-नीति और कौटिलीय अर्थशास्त्र आदि। अतः परम्परानुरूप इन दोनों प्रकार के वास्तु ग्रंथों का संक्षेप में समुल्लेख किया जाता है।

दक्षिणी परम्परा के वास्तु-ग्रन्थ

अ. अवास्तु-शास्त्रीय ग्रन्थ

- | | |
|-------------------|-----------------------------------|
| १. गैनागम | ५. तंत्र ग्रन्थ (दीत-तंत्र आदि) |
| २. वेण्णव पञ्चगान | ६. तंनममुन्चन |
| ३. अग्नि-संहिता | ७. ईशानगिगुरुदेवपद्धति |
| ४. वेग्नानगगम | |

टि०—इनमें आगम-साहित्य अति विशाल है। इसमें वास्तु-विद्या का विवेचन बड़ा ही उत्कृष्ट है। दक्षिणापथ के ये “पुराण” पुराणों की अपेक्षा अधिक विस्तृत एवं पृथुल हैं। आगमों की संख्या भी पुराणों की संख्या से डेढ़ गुनी है। पुराण १८ हैं आगम २८। आगमों में कामिकागम, सुप्रमेदागम, कर्णागम, वैखानसागम आदि विशेष प्रसिद्ध हैं। डा० आचार्य के मत में (हि० आ० इ० ए०) कुछ आगमों का वास्तु-विद्या-प्रवचन बड़ा ही वैज्ञानिक एवं पारिभाषिक है, जैसा पुराणों में नहीं मिलता। किन्हीं-किन्हीं आगमों में वास्तु-विद्या का विवेचन इतना विशाल है कि उनको वास्तु-शास्त्रीय ग्रंथ कहें तो अत्युक्ति न होगी। कामिकागम के ७५ पटलों में से ६० पटलों में वास्तु-विद्या का वर्णन है। अथच इसका विवेचन भी अत्यन्त प्रौढ़ है।

व—वास्तु-शास्त्रीय ग्रन्थ

- | | | |
|---------------------|--------------------------------|-------------------|
| १. विश्वकर्मायशिल्प | ४. काश्यप-शिल्प (अंशुमद्भेद) | ७. शिल्प-संग्रह |
| २. मयमत | ५. अगस्त्यसकलाधिकार | ८. शिल्प-रत्न तथा |
| ३. मानसार | ६. सनत्कुमार-वास्तुशास्त्र | ९. चित्रलक्षण |

इन वास्तु-शास्त्रीय ग्रंथों में ‘मानसार’ का स्थान विशेष महत्वपूर्ण है। इस ग्रंथ को दक्षिणी परम्परा का अधिकृत ग्रंथ कहा जा सकता है।

डा० प्रसन्नकुमार आचार्य ने ‘मानसार’ पर अति विशाल एवं अग्रगामी अनुसन्धान किया है। आचार्य महोदय को वास्तव में आधुनिक वास्तु-विद्या के अनुसन्धान एवं गवेषण करने वालों में प्रथम अक्षय कीर्ति प्राप्त है। यद्यपि इस दिशा में रामराज (देखिये “एसे ऑन हिन्दू आर्कीटेक्चर”) ने सर्वप्रथम कदम उठाया था।

मानसार में ७० अध्याय हैं, जिनमें ‘गृह-निर्माण’, ‘पुरनिवेश’, ‘राजप्रासाद’ तथा ‘मन्दिर-निर्माण’ आदि वास्तु-कला के विभिन्न सिद्धान्तों (कैनेन्स) के अतिरिक्त मूर्ति-निर्माण-कला तथा ‘भूषण-विधान’ पर भी विवेचन किया गया है। मानसार की वास्तु-विद्या पर स्वल्प में आगे के स्तम्भ (वास्तु-सिद्धान्त) में प्रकाश डाला जायगा।

उत्तरी परम्परा के वास्तु-ग्रन्थ—

अ. अ-वास्तुशास्त्रीय ग्रन्थ

१. पुराण (मत्स्य, आग्नि, भविष्य आदि)
२. बृहत्संहिता (ज्योतिष ग्रन्थ, परन्तु वास्तु-सिद्धान्तों का बड़ा मार्मिक विवेचन करती है)
३. तन्त्र (किरणतन्त्र आदि)
४. हयशीर्ष-पंचरात्र
५. विष्णुधर्मोत्तर (चित्रकला का अधिकृत ग्रन्थ)
६. प्रतिष्ठा-ग्रन्थ (हेमाद्रि तथा रघुनन्दन आदि के ग्रन्थ)
७. हरिमक्तिविलास

ब. वास्तु-शास्त्रीय ग्रन्थ

- | | | |
|--------------------|----------------------|-------------------|
| १. विश्वकर्मप्रकाश | २. समरागण सूत्रधार | ३. सूत्रधार मण्डन |
| ४. वास्तु-रत्नावली | ५. वास्तु-प्रदीप आदि | |

टि० नं० १ पुराण—पुराणों की वास्तु-विद्या आगमों की वास्तु-विद्या के समान ही महत्व

पूर्ण है। पुराणों में मत्स्य और अग्नि में वास्तु-विद्या का विशेष वर्णन मिलता है। गरुड, नारद, ब्रह्माण्ड, भविष्य, लिंग, वायु तथा स्कन्द पुराणों में भी वास्तु-विद्या के सिद्धान्तों का निरूपण हुआ है।

टि० २ तन्त्र—तांत्रिक परम्परा भी पुराणों एवं आगमों की परम्पराओं के समान ही अति परम्परा है। हयशीर्ष-पंचरात्र में वास्तु-विद्या का प्रौढ विवेचन मिलता है। अग्निपुराण पुरातन में प्रतिपादित वास्तु-विद्या का प्रवचन हयग्रीव के मुख से किया गया है। अग्निपुराण एवं हयशीर्ष-पंचरात्र की वास्तु-विद्या की समानता को देखकर श्रीयुत् तारापद भट्टाचार्य ने (प. १३८-६) यह निष्कर्ष निकाला है कि अग्निपुराण तथा इस पंचरात्र का एक ही स्रोत है, जहाँ से वास्तु-विद्या के सिद्धान्तों को लेकर इन दोनों में उनका संकलन किया गया है। आग्निपुराण में तांत्रिक वास्तु-परम्परा के निर्देश में (देखिये अग्नि ३६वाँ अ०) पंचरात्र या सप्तरात्र के जिन पंचविंशति ग्रन्थों का उल्लेख है वे निम्न प्रकार से द्रष्टव्य हैं:—

१—हयशीर्ष	तन्त्र	१०—शाखिडल्य	तन्त्र	१८—तार्क्ष्य	तन्त्र
२—त्रैलोक्य मोहन	”	११—वैश्वक	”	१९—नारायणिक	”
३—त्रैभव	”	१२—सात्य	”	२०—आत्रेय	”
४—पौष्कर	”	१३—सौनक	”	२१—नारसिंह	”
५—प्राह्लाद	”	१४—वाशिष्ठ	”	२२—आनन्द	”
६—गार्ग्य	”	१५—ज्ञानसागर	”	२३—आरुण्य	”
७—गालव	”	१६—स्वायम्भुव	”	२४—वैद्वायन	”
८—नारदीय	”	१७—कापिल	”	२५—आर्ष	”
९—संप्रश्न	”				

टि०—इस नामतालिका के परिशीलन से वास्तु-विद्या के विचारक विद्वानों को यह समझने में देर न लगेगी कि इनमें से बहुत सी तन्त्र-ग्रन्थ-संज्ञाओं में वास्तु-विद्या के प्राचीन आचार्यों की नामावली का निर्देश है जैसे हयशीर्ष, प्रह्लाद, गर्ग, नारद, विश्वक (मानसार एवं शिल्प रत्न के विश्वसार, विश्वबोध, विश्वकाश्यप) सौनक, वाशिष्ठ, कपिल तथा अत्रि।

इनमें हयशीर्ष तथा गर्ग उत्तरी परम्परा अर्थात् नागर-स्कूल के आचार्य हैं और शेष द्राविड परम्परा के। इसमें यह तथ्य निकलता है कि वास्तु-विद्या की तांत्रिक परम्परा द्राविड शैली तथा नागर शैली इन दोनों का संमिश्रण है।

च. वास्तु-सिद्धान्त

वास्तु-परम्पराओं एवं उनके प्रवर्तकों के साथ-साथ वास्तु-वाङ्मय के प्रधान ग्रन्थों के निर्देश के उपरान्त यह अध्याय अधूरा ही रह जाता है, यदि हम इन ग्रन्थों में प्रतिपादित प्रमुख विषयों का स्वल्प में वर्णन न करें। परन्तु वास्तु-विद्या और वास्तु-कला भारतीय विज्ञान (इन्टोर्लाजी) का एक अत्यन्त पारिभाषिक (टेकनिकल) विज्ञान है। अतः यहाँ पर उन सिद्धान्तों की न तो व्याख्या करने का अवसर है और न स्थान। आगे के पटलों में समग्रज्ञान की वास्तु-विद्या के सिद्धान्तों के समुद्घाटन के अवसर पर इस दिशा में अवश्य प्रयत्न होगा। अथवा वास्तु-विद्या के इन विभिन्न कोटिक ग्रन्थों में प्राप्त सर्वत्र बड़े ही

विस्तार से वास्तु-विवरण पाये जाते हैं, अतः सौविध्य एवं स्थानाभाव की दृष्टि से इन विभिन्न परम्पराओं [पुराण, आगम, तन्त्र, शिल्पशास्त्र तथा अन्यान्य ग्रन्थ जैसे वेद, ब्राह्मण, वेदान्त—ज्योतिष तथा कल्प, रामायण, महाभारत, पालि-ग्रन्थ एवं जातक, कौटिलीय अर्थ-शास्त्र, शुक्र का नीतिसार तथा अन्य विभिन्न धार्मिक ग्रन्थ जैसे पूजा-पद्धतियों एवं प्रतिष्ठा-ग्रंथ आदि आदि] के प्रतिनिधि ग्रन्थों में प्रतिपादित प्रमुख सिद्धान्तों का एकमात्र संकेत ही सम्भव है।

वैदिक वास्तु-विद्या

सर्वप्रथम वैदिक-कालीन वास्तु-विद्या के दर्शन करना चाहिए। ऋग्वेद-कालीन वास्तु-कला का कुछ आभास पूर्व ही दिया जा चुका है। उस समय वास्तु-विद्या के सिद्धान्तों का भी प्रचार था जो प्रायः लोग नहीं मानते हैं। ऋग्वेद के काल में गृह-निर्माण के अवसर पर जो प्रतिष्ठा-संस्कार या समारोह किया जाता था, जिन मन्त्रों का उच्चारण किया जाता था वे सब आज भी होते हैं अतः आगे के प्रत्येक वास्तु-शास्त्रीय ग्रन्थों में जिस वास्तु-पूजा को वास्तु-निर्माण का आवश्यक अंग माना गया है वह ऋग्वेद-काल में था ऐसा ऋग्वेद के मन्त्रों को देखने में पता लगता है। ऋग्वेद में असुर सम्बन्धित सामग्री के परिशीलन से नग्नजित् तथा त्वष्ट्रा (जो आगे चलकर द्राविड वास्तु-विद्या के आचार्य माने गये हैं) आदि आचार्यों के संकेत भी मिलते हैं। संक्षेप में वास्तु-पूजा, वास्तु-भूमिन्वयन स्तम्भपूजा, द्वार-पूजा आदि वास्तु-विद्या के प्रारम्भिक सिद्धान्त ऋग्वेद-काल में प्रचलित थे, जिसमें तत्कालीन वास्तु-विद्या सिद्ध है।

अथर्ववेद में तो वास्तु-विद्या एवं कला का और अधिक विकास पाया जाता है। गृह-निर्माण के सम्बन्ध में विशेष सामग्री द्रष्टव्य है। अथर्ववेद के शाला-सूक्त में 'द्विपक्षा', 'चतुष्पक्षा', 'पट्पक्षा', 'अष्टपक्षा' तथा 'दशपक्षा' शालाओं का वर्णन है (६, ३, २१,) और ये कक्षा-भवन आगे के शाला-भवन के ही सदृश हैं। इसके अतिरिक्त और बहुत से वास्तु-विवरण (स्तम्भ आदि पर) इस वेद में मिलते हैं।

ब्राह्मण ग्रन्थों की वास्तु-विद्या

ब्राह्मणों में वास्तु-विद्या के बहुत संकेत मिलते हैं। 'शिल्प' शब्द की प्राप्ति एवं उसका प्रयोग प्रस्तर-कला (मूर्तिकला) तथा संगीत-कला में किया गया है। ऋग्वेद-कालीन द्राविड वास्तु-विद्या के आचार्य नग्नजित् का उल्लेख ऊपर किया गया है और वह शतपथ ब्राह्मण (८, १, ४, १०) में पुष्ट होता है जहाँ पर राजन्य नग्नजित् के वास्तु-सिद्धान्तों का खण्डन मिलता है। साथ ही साथ उसे नारद का शिष्य बताया गया है। यह नारद आगे द्राविड वास्तु-विद्या का आचार्य माना गया है। शं० ब्रा० में एक और महत्वपूर्ण उल्लेख है जिससे श्मशान विरचन सम्बन्धी आर्य एवं आसुर (अनार्य) परम्पराओं पर संकेत है।

सूत्रकालीन वास्तु-विद्या

वास्तु-विद्या के प्रारम्भिक स्वरूप का विकास सूत्र-काल में प्रारम्भ होता है—यह पहले ही कहा जा चुका है। इस काल में भारतीय वास्तु-विद्या का स्वरूप प्रायः स्थिर हो

चला था। गृहसूत्रों को देखने में यह निष्कर्ष पुष्ट होता है। वास्तु-कर्म, वास्तु-मंगल, वास्तु-होम, वास्तु-परीक्षा, भूमि-चयन, (रूप, रस, गन्ध, स्पर्श भेद से) द्वार एवं स्तम्भ-नियम, वृक्षारोपण, दारु-आहरण, पद-विन्यास, वास्तु-विद्या तथा ज्योतिष, वास्तु-फल आदि वास्तु-विद्या के सिद्धान्त, आश्वलायन, गोमिल, खादिर, शाखायन, पारस्कर तथा हिरण्यक के गृहसूत्रों में पद-पद पर प्रचुर परिमाण में प्राप्त होते हैं। शुल्बसूत्रों का (जो कल्पसूत्रों में ही परिगणित किये जाते हैं) वेदि-निर्माण बड़ा ही पारिभाषिक, वैज्ञानिक एवं रोचक है। बड़े-बड़े यज्ञों में आवश्यक वेदियों की निर्माण-व्यवस्था में बड़ा ही समय एवं संभार अपेक्षित होता था। वेदि-निर्माण के वास्तु-शास्त्रीय ये सिद्धान्त आगे प्रासाद-निर्माण में आधारभूत सिद्धान्त हुए।

महाकाव्य कालीन वास्तु-विद्या

सूत्र-साहित्य के इस संस्कृत एवं कर्मकारण्ड-पथ से आगे बढ़ कर रामायण एवं महा-भारत के काव्य कानन में विचरण करना है, जहाँ वास्तु-विद्या के सिद्धान्तों के सौरभ-सम्पन्न पुष्पों एवं फलों का आस्वादन करके तत्कालीन वास्तु-विद्या के प्रोज्ज्वल रूप का अनुभव किया जा सकता है।

उत्तरापथ तथा दक्षिणापथ की वास्तु-विद्या के प्रवर्तक विश्वकर्मा और मय के निर्देश तो मिलते ही हैं, साथ ही साथ गृहसूत्रों में प्रतिपादित वास्तु-विद्या के भी दर्शन होते हैं। परन्तु विशेष उल्लेखनीय बात यह है कि वास्तु-विद्या एवं कला के वैज्ञानिक पक्ष का पूर्ण आभास भी प्राप्त होता है। रामायण में स्थपतियों के भेद, गृह-प्रभेद (प्रासाद, सौध, विमान, हर्म्य, सभा आदि) भूमि-वर्गीकरण गृह-वर्ग जैसे 'पद्म', 'स्वस्तिक', 'वर्धमान' तथा 'नन्दावर्त' (महाभारतीय) तथा विमान, राजवेश्म, समा आदि के जो वर्णन आगे के गिल्म-शास्त्रों में प्रतिपादित हैं उनके भी दर्शन इनमें होते हैं। 'पुर-निवेश' की रूपरेखा जो आगे विकसित हुई है, उसके बहुत से संकेत यहाँ द्रष्टव्य हैं। रामायण का अयोध्या वर्णन इस तथ्य का साक्षी है। द्वार आदि की परम्परा के विकसित बीज भी यहाँ मिलते हैं। इन मय संकेतों से महाकाव्य-कालीन उन्नत वास्तु-विद्या के विषय में दो रायें नहीं हो सकती।

बौद्ध-कालीन वास्तु-विद्या

पाली जातकों के परिशीलन से बौद्धकालीन वास्तु-विद्या की बड़ी सुन्दर भाँकी देखने को मिलती है। बौद्ध-साहित्य में वास्तु-विद्या एवं कला के बहुत निर्देश यत्र तत्र सर्वत्र इतने अधिक फैले हैं कि ऐसा मालूम पड़ता है कि ये ग्रंथ वास्तु-विद्या का ही प्रवचन कर रहे हैं। स्वयं बुद्ध भगवान के प्रवचनों में वास्तु-विद्या के प्रवचन प्राप्त होते हैं, जैसा कि पालि पिठकों में प्रतीत होता है। 'सुल्ल वग्ग' 'विनय पिठक', 'महावग्ग' आदि पाली ग्रन्थों के परिशीलन से इस कथन की सत्यता प्रमाणित हो सकती है।

श्रीसुन्दर तारापट्ट भट्टाचार्य (पृ० ११६) ने इस सम्बन्ध में लिखा है कि बौद्धकालीन भारत में वास्तु-विद्या के सिद्धान्तों का पर्याप्त विकास हो चुका था। वास्तु-निर्माण सम्बन्धी मागलिक विधान (पामादमंगलम्—जातकों में) दारु-चयन, भूमिचयन आदि सिद्धान्तों पर निर्देश मिलते ही हैं, परन्तु विशेषतः यह है कि वास्तु-कला-निर्देशक वैज्ञानिक फौशल के सम्बन्ध में कम निर्देश नहीं हैं। भवनों का वर्गीकरण-प्रासाद, हर्म्य, गुहा, विहार, मण्डप

अध्यायोग के रूप में तथा प्रासादों की भूमियों के विषय में भी उल्लेख मिलते हैं। साथ ही साथ आगे के वास्तु-ग्रंथों के सदृश मागों एवं प्रासादों की नामावली का भी निर्देश द्रष्टव्य है। वास्तु-विद्या के कला-पत्र के अन्य सिद्धान्तों का स्थिरीकरण भी देखने को मिलता है (देखिये पत्र ११६-२०)

इस प्रकार महात्मा बुद्ध के समय वास्तु-विद्या पूर्ण विकास को प्राप्त हो चुकी थी।

अर्थशास्त्र की वास्तु-विद्या

पुराणों, आगमों, तन्त्रों एवं शिल्पशास्त्रों की वास्तु-विद्या के सिद्धान्तों का हम आगे उल्लेख करेंगे। इसवीय पूर्वकालीन कौटिल्य के अर्थशास्त्र की वास्तु-विद्या पर थोड़ा सा संकेत यहाँ पर आवश्यक है। इससे ईसा की प्रथम शताब्दी के पूर्व की वास्तु-विद्या के साधारण सिद्धान्तों के स्थिरीकरण में सहायता मिल सकेगी। इसवीय शतक से लगभग चारसौ वर्ष पूर्व यह ग्रंथ लिखा गया था। इसमें वा० वि० के सिद्धान्तों का सुन्दर विकास प्राप्त होता है। कौटिलीय अर्थशास्त्र में वास्तु-विद्या बोधक सूत्रों से स्पष्ट है कि यह ग्रन्थ परम्परागत वास्तु-विद्या का सूत्र-रूप में संक्षिप्त कर, राजनीति के ग्रन्थ में विषयानुपद्ध से उद्धृत कर इस तथ्य की ओर संकेत करता है कि उस काल में वा० वि० के मौलिक ग्रन्थ होंगे। अन्यथा, वास्तु-हृदय, 'नवभाग', 'वास्तु-देवता', 'कोष्ठक' आदि शब्द कैसे लोग समझ सकते। अर्थ-शास्त्र में विभिन्न प्रकार के भवन-द्वारों की देव-नामावली जैसे ऐन्द्र, वारुण, याम्य आदि तथा पारिभाषिक शब्द यथा कपिशिर्ष इन्द्रकोप हस्तिनख, तल कपाटयोग सन्धि वीज एव अन्य अनेक ऐसे ही शब्द यथा गोपुर, तोरण, प्रतोली विपूकम्म, आयाम, उच्छ्रय, अश्रि आदि आदि से तत्कालीन वास्तु-विद्या की प्रौन्नतावस्था की प्रचुर सामग्री प्राप्त होती है।

संक्षेप में इसवीय पूर्व वास्तु-विद्या की रूपरेखा का निम्न प्रकार से स्थिरीकरण किया जा सकता है:—

१. वास्तु-पुरूप-विकल्पन
२. भूमिचयन एवं भूपरीक्षण
३. द्वार-संस्थान
४. वृक्षारोपण
५. दारु-आहरण
६. वास्तु-पद (पद-विन्यास)
७. वास्तु-विद्या तथा ज्योतिष
८. वास्तु-फल
९. स्थपति
१०. पापाणकला तथा मूर्ति-निर्माण-कला
११. शाल-भवन
१२. शंकुस्थापन
१३. हस्त के विभिन्न माप

१४. स्तम्भादि-माप-व्यवस्था
 १५. गृह-द्रव्य (पापाण, इष्टका आदि)
 १६. भवन-भूरा
 १७. प्रासाद-रचना
 १८. वास्तु-विद्या की परम्परायें (शैलियाँ आदि)

ईसवीय पूर्व-कालीन वास्तु-विद्या की इस रूपरेखा के विवेचन करने के उपरांत अब हम समराङ्गण—पूर्वकालीन वास्तु-विद्या को दो कालों में विभाजित कर सकते हैं—पहली से छठी त्रौ मातृका से दशवीं शताब्दी तक। प्रथम काल में प्राप्त वास्तु-ग्रन्थों में बृहत्-संहिता, मत्स्यपुराण और विश्वकर्म-प्रकाश विशेष उल्लेखनीय हैं। इनमें से बृहत्संहिता ज्योतिष का ग्रन्थ है और विश्वकर्म-प्रकाश ही एक मात्र वास्तु-विद्या का ग्रन्थ है जिस पर हम आगे विचार करेंगे, बृहत्संहिता एक प्रकार से अर्धपुराण मानी जा सकती है। अतः पौराणिक वास्तु-विद्या में इसका स्थान असंगत न होगा।

बृहत्संहिता

इस ग्रन्थरत्न में वास्तु-विद्या पर बड़ा ही सुन्दर एवं वैज्ञानिक विवेचन है। वराहमिहिर इसके लेखक हैं, जो महाराज विक्रमादित्य के नवरत्नों (कालिदास आदि) में से एक थे—ऐसी पुरानी परम्परा है। इस ग्रन्थ में यद्यपि वास्तु-विद्य पर केवल थोड़े ही अध्याय मिलते हैं परन्तु उनका विवेचन बड़ा ही मार्मिक है।

५३ वें अध्याय (वास्तु-विद्या) में प्रारम्भिक प्रवचनों-वास्तु-चयन, भूमि-परीक्षा, वृत्तारोपण, दारु-आहरण, पद-विन्यास आदि पर विवेचन मिलता है। 'प्रासाद लक्षण' (५६) में बीस प्रकार के प्रासादों का वर्णन है, जो डा० आचार्य के अनुसार मत्स्यपुराण से मिलता जुलता है, साथ ही वास्तु-कला सम्बन्धी इसके वैज्ञानिक विवरण विशेष उल्लेख्य हैं। मन्दिर की भूमि, द्वार, गर्भ-द्वार, चित्रण, प्रतिमा-माप, पीठ-माप, भूमिका-उच्छ्रय आदि पर सुन्दर प्रकाश डाला गया है। 'वज्रलेप-लक्षण' (५७) में सीमेट का निर्माण तथा अन्य भवन-द्रव्यों पर विवेचन है। इसी प्रकार 'शयनासन-लक्षण' (७६) में जैसा नाम से स्पष्ट है भवन-फर्नीचर, आसन शय्या पर्येक आदि पर विवेचन किया गया है। 'प्रतिमा-लक्षण' (५८) में वराहमिहिर ने पापाणकला पर विवेचन किया है वह बड़ा ही वैज्ञानिक है जो आगे के पटलों में विशेष रूप से उल्लेखनीय है। बृहत्संहिता की एक विशेषता यह है कि इस ग्रन्थ में लगभग ७ वास्तु-विद्या के आचार्यों का उल्लेख मिलता है—गर्ग, मनु, वशिष्ठ, पराशर, विश्वकर्मा, नग्नजित् तथा मय।

मत्स्य पुराण

पुराणों में, विशेषकर जिन-जिन महापुराणों में ६१० वि० के विवरण मिलते हैं उनका हम पहले ही मंचित कर चुके हैं। यहाँ पर सर्वप्रथम हम मत्स्य को लेते हैं। इस पुराण में वास्तु विद्या पर लगभग आठ अध्याय हैं। २५२वें अध्याय में वास्तु-विद्या के प्रसिद्ध प्राचीन अठारह आचार्यों पर प्रकाश डाला गया है। स्तम्भान-विनिर्णय—२५५वें अ० में स्तम्भों पर विवेचन किया गया है। मत्स्य के अनुसार भवन-निर्माण का प्रारंभ स्तम्भ

रचना से प्रारंभ होना चाहिये । स्तम्भ सम्पूर्ण भवन की योजना एवं रचना का आधार है । स्तम्भों को ५ प्रकार के वर्गों में वर्गीकृत किया गया है:—रुचक, वज्र, द्विवज्र, प्रलीनक तथा वृत्त । इस वर्गीकरण का आधार वास्तु-सौंदर्य एवं उपयोगिता है । नवताल-लक्षण (२५८) पीठिका-लक्षण (२६२), लिङ्ग-लक्षण (२६३)—इन तीनों अध्यायों में प्रस्तर-कला तथा मूर्ति-निर्माण पर विवेचन है । प्रासाद-वर्णन (२६६) मण्डप लक्षण (२७०)—इन दो अध्यायों में प्रासाद-वास्तु के विवरण मिलते हैं जो आगे 'प्रासाद' पटल में द्रष्टव्य हैं ।

स्कन्दपुराण

इस पुराण के माहेश्वर-खण्ड (द्वितीय भाग) तथा वैष्णवखण्ड (द्वितीय भाग) में वास्तु-विद्या के वर्णन प्राप्त होते हैं । मत्स्य के अनन्तर स्कन्द अधिक प्राचीन है—ऐसा डा० आचार्य ने माना है । महानगर-स्थापन, स्वर्णशाला, रथनिर्माण, स्थपति-निर्देश, विवाह-मण्डप, चित्र-कर्म आदि के जो विवरण मिलते हैं, उनमें वास्तु-विद्या के व्यापक विस्तार पर प्रकाश पड़ता है । वास्तु-कर्म, शिल्प-कर्म का पर्याय होगया है अन्यथा रथ-निर्माण आदि तत्काल-कला से सम्बन्धित कर्म, वास्तु-कला (भवन-निर्माण-कला) में कैसे संचालित होते । प्राचीन परम्परा में वास्तु-कला एवं पाषाण-कला (मूर्ति-निर्माण-कला का) घनिष्ठ सम्बन्ध है, परन्तु चित्रकला के साथ सम्बन्ध यहीं पर सर्वप्रथम देखने को मिला ।

गरुड़पुराण

इस पुराण की वास्तु-विद्या के चार अध्यायों में से दो अध्यायों में (४६-४७, सभी प्रकार के भवनों (मानव एवं दैव) तथा दुर्ग-निवेश एवं पुर-निवेश पर बड़ा ही सुन्दर विवेचन मिलता है । गरुड़पुराण की अपनी विशेषता है—पुर-निवेश तथा उद्यान-भवन (गार्डन सिटीज़) । साथ ही परम्परा के अनुरूप प्रासाद एवं प्रतिमा (४५ तथा ४८) पर भी सुन्दर विवेचन है ।

अग्निपुराण

इस पुराण में वा० वि० का बड़ा ही विस्तृत विवेचन है जैसा कि अन्य पुराणों में अप्राप्य है । इस पुराण में वा० वि० पर सोलह (४२, ४३, ४४, ४५, ४६, ४६, ५०, ५१, ५२, ५३, ५४, ५५, ६०, ६२, १०४ तथा १०६) अध्यायों में वा० वि० के प्रायः सभी अंगों पर प्रकाश डाला गया है । इस पुराण में प्रधानता पाषाणकला (मूर्ति-निर्माण) की है, वास्तु-कला पर केवल तीन अध्याय तथा मूर्ति-निर्माण कला पर तेरह हैं । डा० आचार्य के मत में अग्निपुराण का पुर-निवेश (अध्याय १०६) वास्तु-शास्त्रीय एक विशिष्ट देन है ।

इसी प्रकार से अन्य पुराणों में भी वा० वि० की प्रचुर सामग्री भरी है, जिसका स्थाना-भाव से विशेष विवरण नहीं दिया जा सकता है । संक्षेपतः पुराणों की वास्तु विद्या की निम्न रूपरेखा अङ्कित की जा सकती है जो पूर्ण विकसित कही जा सकती है ।

- | | |
|----------------------------|-----------------------|
| १. वास्तु-विद्या के आचार्य | ५. दुर्ग-निवेश |
| २. वास्तु-शैलिया | ६. प्रासाद-मन्त्रिवेश |
| ३. भवन-निवेश | ७. भवन-द्रव्य-दावाहरण |
| ४. पुर-निवेश | ८. स्तम्भ-मान |

६. ताल-मान	१५. मण्डप
१०. प्रतिमा-लक्षण	१६. उद्यान-भवन
११. दशावतार	१७. वापी-निर्माण
१२. लिङ्ग	१८. कूप-निर्माण
१३. पीठिका	१९. शैल-मन्दिर
१४. सभा	२०. चित्रकला

आगम वास्तु-विद्या

आगमों के सम्बन्ध में पूर्व ही निर्देश किया जा चुका है। अतः आगमों का एक प्रतिनिधि ग्रन्थ लेकर एवं उसके अध्यायों का निर्देशमात्र करने से ही आगमों की वास्तु-विद्या का अनुमान लगाया जा सकता है। कामिकागम आगमवास्तु-विद्या का प्रतिनिधि ग्रन्थ माना जा सकता है। अतः उसकी वास्तु-विद्या पर ६० पटलों की निम्न विषय-तालिका द्रष्टव्य है।

कामिकागम

विषय	पटल	विषय	पटल
१. भूपरीक्षा-विधि	११	२१. ग्राम गृह-विन्यास	३३
२. प्रवेशकालविधि	१२	२२. वास्तु-शास्त्र-विधि	३४
३. भूपरिग्रहविधि	१३	२३. शाला-लक्षण-विधि	३५
४. भूकर्षण-विधि	१४	२४. विशेष-लक्षण-विधि	३६
५. शंकुस्थापन-विधि	१५	२५. द्विशाल-लक्षण-विधि	३७
६. मानोपकरण-विधि	१६	२६. चतुश्शाल-लक्षण-विधि	३८
७. पाद-विन्यास	१७	२७. वर्धमानगाला-लक्षण	४०
८. मूत्र-निर्माण	१८	२८. नन्यावर्त-विधि	४१
९. वास्तुदेवकाल	१९	२९. स्वस्तिक-विधि	४२
१०. ग्रामादि-लक्षण	२०	३०. पक्षगालादि-विधि	४३
११. विस्तारायाम-लक्षण	२१	३१. हस्तिशाला-विधि	४४
१२. आयादि-लक्षण	२२	३२. मालिकालक्षण-विधि	४५
१३. दण्डकविधि	२४	३३. लागलमालिका-विधि	४६
१४. वीथी-द्वारादि-मान	२५	३४. मौलिकमालिका-विधि	४७
१५. ग्रामादि-देवता-स्थापन	२६	३५. पद्ममालिका-विधि	४८
१६. ग्रामादि-विन्यास	२८	३६. नागरादि-विभेद	४९
१७. ऋतदेव पशति	२९	३७. भूमिलग्न-विधि	५०
१८. ग्रामादि-ग्रंग-स्थान-निर्माण	३०	३८. आग्नेष्टना-विधि	५१
१९. गर्भनाम	३१	३९. उपपाठ-विधि	५२
२०. वास्तुस्थापन-विधि	३२	४०. पादमान-विधि	५३

४१. प्रस्तार-विधि	५४	५० अंकुरार्पण-विधि	६३
४२. प्रामादभूषण-विधि	५५	५१ लिंग-प्रतिष्ठा-विधि	६४
४३. करणलक्षण-विधि	५६	५२ प्रतिमा-लक्षण-विधि	६५
४४. शिल्पर-लक्षण-विधि	५७	५३ देवता-स्थापन-विधि	६७
४५. स्तूपिकालक्षण-विधि	५८	५४. प्रतिमा-प्रतिष्ठापन-विधि	६८
४६. नालादिस्थापन-विधि	५९	५५. विमान-स्थापन-विधि	६९
४७. एक-भूम्यादि-विधि	६०	५६. मण्डप-स्थापन-विधि	७०
४८. मूर्धनि-स्थापन-विधि	६१	५७. प्राकार-लक्षण-विधि	७१
४९. लिंगलक्षण-विधि	६२	५८. परिवार-स्थापन-विधि	७२

कामिकागम के अतिरिक्त कर्णागम, सुप्रभेदागम वैखानसागम आदि आगम-ग्रन्थों में भी वा० वि० का प्रौढ प्रतिपादन प्राप्त होता है। कर्णागम का तालमान बड़ा ही वैज्ञानिक एवं पारिभाषिक विवेचन है। इसमें लगभग चालीस अध्याय वा० वि० पर हैं। सुप्रभेदागम की विशेषता सन्धेप-प्रियता है जो वराहमिहिर की बृहत्संहिता के समान ही स्वल्प में सभी विषयों पर वर्णन करता है। इसमें केवल १५ अध्याय हैं परन्तु विवेचन प्रौढ एवं मौलिक है। 'प्रासाद-पटल' में सुप्रभेदागम की विशेष चर्चा द्रष्टव्य है।

आगमों की वास्तु-विद्या की रूपरेखा का अलग से अंकन करने की आवश्यकता नहीं। कासिकागम के अगाध वास्तु-सागर की गहराई में प्रायः सभी वास्तु-रत्न प्राप्त हो सकते हैं। विषय-तालिका से ही विषय-वर्गीकरण स्पष्ट है। आगमों की वा० वि० की समीक्षा में यह कहा जा सकता है कि पुराणों की अपेक्षा आगमों का विवेचन न केवल अधिक वैज्ञानिक एवं पारिभाषिक ही है वरन् सागोपाग भी है। सम्भवतः ही कोई ऐसा विषय हो जिसकी चर्चा इनमें न हो।

तान्त्रिक वास्तु-विद्या

पुराणों एवं आगमों की पुरणभूमि पर बहुत देर तक विचरण करते रहे। तन्त्रों के साधना-पथ पर मुड़ने के लिये इतना ही संकेत पाथेय का काम दे सकता है, कि जिन विभिन्न तान्त्रिक ग्रन्थों का निर्देश किया गया है, उनमें वा० वि० के सुन्दर विवरण मिलते हैं। यहाँ पर विशेष चर्चा नहीं की जा सकती। इस परम्परा के प्रौढ एवं अधिष्ठित ग्रन्थ ह्यशीर्ष-पञ्चरात्र पर थोड़ा सा प्रकाश डाला ही जा चुका है।

शिल्प-शास्त्रीय वास्तु-विद्या

शिल्प शास्त्रीय वास्तु विद्या की दोनों कोटियों (दक्षिणी तथा उत्तरी) के ग्रंथों का निर्देश किया ही जा चुका है। लेखक के मत में शिल्प-शास्त्रीय ग्रंथों में तीन ग्रन्थ प्रतिनिधि ग्रंथ हैं। पहला विश्व-कर्म-प्रकाश तथा शिल्प, दूसरा मानसार और तीसरा समराङ्ग-सूत्रधार। समराङ्ग की वास्तु-विद्या का औपौडासिक ममीक्षण आगे के अध्याय में किया जायगा। वैसे तो यह सम्पूर्ण ग्रन्थ समराङ्ग का ही अव्ययन है। मानसार की वा. वि. पर डा० आचार्य के ग्रन्थ विशेष द्रष्टव्य हैं। दक्षिणी परम्परा का दूसरा प्रामाणिक ग्रन्थ मयमत है परन्तु मयमत और मानसार में अत्यधिक समानता के कारण मानसार का ही

उल्लेख विशेष संगत है। अतः यहाँ पर दोनो परम्पराओं के इन दो प्राचीन ग्रंथों (मान-सार एवं विश्वकर्म-प्रकाश) की स्वल्प में समीक्षा करनी है। पहले विश्वकर्म-प्रकाश की चर्चा ही उचित है।

विश्वकर्म-प्रकाश (तथा शिल्प)

भारतीय वास्तु-विद्या के अति प्रसिद्ध प्रवक्ता विश्वकर्मा के नाम से विभिन्न हस्तलिखित ग्रंथ प्राप्त हुए हैं। उन ग्रन्थों की एक से अधिक संज्ञाये हैं जैसे विश्वकर्म-प्रकाश अथवा विश्वाकर्मा-वास्तु-शास्त्र तथा विश्व-कर्माय-शिल्प, अथवा विश्वकर्मा-शिल्प-शास्त्र। विश्वकर्म-प्रकाश अथवा विश्वकर्मा-वास्तु-शास्त्र नामक प्रथम ग्रन्थ में केवल तेरह अध्याय हैं, जो विशेष कर भारतीय वास्तु-कला के भवन-विद्या के विवरणों तक ही सीमित है। परंपरातुरूप भवन-कला के साथ-साथ मूर्ति-कला पर भी विवेचन आवश्यक है अतः यह पूर्ति दूसरे ग्रंथ—विश्व-कर्माय शिल्प अथवा विश्व-कर्मा-शिल्प-शास्त्र द्वारा की जाती है। हममें सत्तरह अध्याय हैं जिनमें विशेष कर मूर्ति-निर्माण-कला के विषयों का विवेचन है। डा० आचार्य इस दूसरे ग्रंथ को संग्रह मानते हैं, क्योंकि तांत्रिक शैली में यह लिखा गया है। भगवन् शिव इसके प्रवक्ता हैं। अस्तु इतना निर्विवाद है—दोनों ही ग्रंथ मिलकर वास्तु-विद्या के प्रमुख सभी सिद्धान्तों का समुद्राटन करते हैं। विश्वकर्म-प्रकाश की विषय-तालिका निम्न रूप से अंकित की जा सकती है :—

विश्वकर्म-प्रकाश

१ मंगलाचरण	१९ पादुका-उपानह-मञ्चादि-मानलक्षण
२ वास्तु-पुरुषोत्पत्तिवर्णन	२० शंकु-शिला-न्यास-निर्णय
३ भूमिलक्षण	२१ वास्तु-देहलक्षण, पूजन, बलिदान
४ गृह-प्रवेश	२२ शिलान्यास
५ खनन-विधि	२३ प्रासाद-विधान
६ स्वप्न-विधि	२४ शिल्प-व्यास
७ भूमि-फल	२५ प्रासाद-निर्णय
८ गृहारम्भ में समय-विधि	२६ पीठिका-लक्षण
९ ध्वजा	२७ मण्डप
१० आयव्ययोंगादिफल	२८ द्वारलक्षण
११ गृहमध्य-देवदिरस्थापन-निर्णय	२९ वापी-रूप-तडाग-उत्थान-क्रिया
१२ ध्रुवादि-ग्रह-भेद	३० ढाकच्छेदन-विधि
१३ द्वारमान	३१ गृह-प्रवेश-निर्णय
१४ स्तम्भ-प्रमाण	३२ गृह-प्रवेश-काल-शुद्धि
१५ गृहशाला-निर्णय	३३ शय्यामन-ढोलगादि-लक्षण
१६ गृहार्गम-नाल-निर्णय	३४ दुर्ग-निर्णय
१७ गृहार्गम-लग्न-कुराडलीस्थग्रह-फल	३५ गत्यजान
२८ शय्या-मन्दिर-भवन-सुमन-सुधारदि	३६ नगर-संविधि-राजगृहादि-निर्णय
गृह-लक्षण	

विश्वकर्माय शिल्प

इसके सत्तरह अध्यायों की विषय तालिका निम्नलिखित है :—

१. विश्वकर्मा की उत्पत्ति एवं अन्य तत्त्व, वार्षिक आदि स्थपति-भेदों का वर्णन ।
२. युगानुपूर्वी नरों की ऊँचाई तथा प्रतिमा-निर्माण के द्रव्य काष्ठ—पाषाण आदि ।
टिप्पणी—प्रतिमाओं के मान का आधार नरमान ही प्रकल्पित हुए हैं—देखिये इस ग्रंथ का पष्ठ पटल 'प्रतिमा-विज्ञान' ।
३. तत्त्व के लिये (मूर्ति-निर्माता—काष्ठादि से) गर्भाधानादि-संस्कार-कथन तथा गर्भोत्पत्ति-कथन ।
४. शिव-लिंग तथा अन्य देवों की प्रतिमा-प्रतिष्ठापनार्थ मन्दिर (सभा) निर्माणादि ।
५. गृह-प्रतिमा-निर्माण-प्रमाण तथा लिंग-पीठ-निर्माण-प्रमाणादि ।
६. रथ-निर्माण-विधि-कथन ।
७. रथ-प्रतिष्ठा-विधि ।
८. ब्राह्मी, माहेश्वरी आदि स्वरूप कथन ।
९. यज्ञोपवीत-तद्गण ।
१०. सुवर्ण-रजत मुञ्जादि-निर्मित यज्ञोपवीत-कथन तथा मेरुदक्षिण-स्थित हेमशिला-कथन ।
११. लक्ष्मी, ब्राह्मी, माहेश्वरी-आदि देवी और इन्द्र आदि दिक्पाल तथा ग्रहादि मूर्ति-निर्माण-प्रकार ।
१२. व १३. मुकुट-किरीट-जटा मुकुटादि निर्माण-प्रकारादि ।
१४. स्थावर, अस्थावर सिंहासन-निर्माण-प्रकारादि । पुनर्विशेषण-किरीट, ललाट पट्टिकादि निर्माण-प्रकार तथा देवता-मन्दिर-जीर्णोद्धार-प्रकार ।
१५. लिंग-मूर्ति-मन्दिर-द्वारादि-कथन ।
१६. प्रतिमा-मूर्ति-मन्दिर-द्वारादि-कथन ।
१७. विघ्नेश-मूर्ति-मन्दिर-द्वारादि-विधि ।

विश्वकर्मा के इन दोनों ग्रन्थों के प्रतिपाद्य विषयों से प्रतीत होता है कि भारतीय वास्तु-विद्या की यह रूपरेखा उस महाधारा के समान है जो कालान्तर में दो धाराओं में बहने लगी और अन्ततोगत्वा समराङ्गण-समुद्र में पुनः एकाकार होकर एकात्मक हिन्दू वास्तु-शैली (Composite Hindu Style of Architecture) को जन्म देवे में सहायक हुई ।

मानसार

दक्षिणी परम्परा के अग्रगामी एवं अधिकृत इस ग्रन्थरत्न पद विद्वद्ब्रह्म डा० आचार्य की अमर कृतियों का हम निर्देश कर ही चुके हैं । वास्तु-विद्या के अनुसंधान गवेषण एवं समीक्षण में उत्तमग्रन्थी मानसारीय कृतियों (Manasara series सहायक पुस्तक सूची देखिये) ने पथ-प्रदर्शन का काम किया है । समराङ्गण के समान ही यह भी एक विशाल ग्रन्थ है (७० अध्याय, दस हजार पक्तियाँ) ।

विषय-तालिका

विषय तालिका

१ संग्रह	३६. गृह-मान-स्थान-विधान
२. शिल्पि-लक्षण-पूर्वक-मानोपकरण-विधान	३७. गृह-प्रवेश-विधान
३. वास्तु-प्रकरण	३८. द्वार-स्थान-विधान
४. भूमि-संग्रह-विधान	३९. द्वार-मान-विधान
५. भू-परीक्षा-विधान	४०. राज-हर्म्य-विधान
६. शंकु-स्थापन-लक्षण	४१. राजाग-विधान
७. पद-विन्यास-लक्षण	४२. राज-लक्षण
८. बलिकर्म-विधान	४३. रथ-लक्षण
९. ग्राम-लक्षण	४४. शयन-विधान
१०. नगर-विधान	४५. सिंहासन-लक्षण
११. भूमिलव-विधान	४६. तोरण-विधान
१२. गर्भ-विन्यास-विधान	४७. मध्यरंग-विधान
१३. उपपीठ-विधान	४८. कल्पवृक्ष-विधान
१४. अधिष्ठान-विधान	४९. मौलिलक्षण
१५. स्तम्भ-लक्षण	५०. भूषणलक्षण
१६. प्रस्तरविधान	५१. त्रिमूर्तिलक्षण
१७. सन्धि-कर्म-विधान	५२. लिंग-विधान
१८. विमान-लक्षण	५३. पीठलक्षण
१९. एक-तलविधान	५४. शक्तिलक्षण
२०. द्वितल-विधान	५५. जैनलक्षण
२१. त्रितल-विधान	५६. बौद्धलक्षण
२२. चतुस्तल-विधान	५७. मुनिलक्षण
२३. पञ्चतलविधान	५८. यक्षविद्याधरलक्षण
२४. षट् तल-विधान	५९. भक्तलक्षण
२५. सप्ततल-विधान	६०. हंसलक्षण
२६. अष्टतल-विधान	६१. गरुडलक्षण
२७. नवतल-विधान	६२. वृषभलक्षण
२८. दशतल-विधान	६३. सिंहलक्षण
२९. एकादशतल-विधान	६४. प्रतिमा-विधान
३०. द्वादशतल-विधान	६५. उत्तमदशताल-विधान
३१. प्राकार-विधान	६६. मध्यम दशताल-विधान
३२. परिवार-विधान	६७. प्रलम्बलक्षण
३३. गोपुत्र-विधान	६८. मधुच्छिद्र लक्षण
३४. मरुत्प-विधान	६९. श्रंगदूपण-विधान
३५. शाला-विधान	७०. नवनोन्मीलन-लक्षण

इस प्रकार इन सत्तर अध्यायों में, प्रथम आठ अध्याय वास्तुकला के औपेक्षातिक विवेचन से सम्बन्ध रखते हैं, जिनमें सग्रह (विषय-सूची) मान, स्थपति तथा स्थपति के लक्षण, भूमि-चयन, भू-परीक्षा, पद-विन्यास, शंकुस्थापन तथा वलिकर्म आदि पर प्रकाश डाला गया है। पुनः आगे के ब्यालिस अध्यायों में (९ से ५० तक) विभिन्न प्रकार के ग्राम, पुर, नगर, दुर्ग के विवरणों के साथ साथ सन्धि-कर्म, गर्भ-विन्यास, शिलान्यास स्तम्भ एवं-स्तम्भावयव, भूमितल (एक से द्वादश तक साधारण भवनों, मन्दिरों तथा राज-भवनों में तथा एक से सत्तरह तक गोपुरों में) विमान, प्राकार, परिवार, गोपुर, मण्डप, शाला, द्वार, प्राङ्गण, तोरण, राजवेश्म, राजप्रकोष्ठ, सिंहासन, मुकुट, रथादि यान तथा भवन-फर्नीचर—पर्यक, शय्या, टेविल, कुर्सियाँ, अलमारियों, मंजूपायों, पिञ्जर आदि साथ ही साथ मध्यरंग, एवं भूषण तथा पोशाक आदि पर विवेचन किया गया है। अन्तिम बीस अध्यायों में पापाण-कला (मूर्ति-निर्माण) पर प्रवचन है जिनमें हिन्दू, बौद्ध, जैन मूर्तियों के निर्माण-कौशल के नियमों के साथ साथ महापुरुषों एवं पशुओं और पक्षियों (गरुड़ आदि) की मूर्तियों की निर्माण-व्यवस्था है। अतः इस ग्रन्थ में वास्तुकला पर पचास तथा पापाण-कला पर बीस अध्याय हैं।

मानसार की वास्तु-विद्या की इस रूपरेखा के इस निर्देश के उपरान्त इसमें प्रतिपादित वास्तु-विद्या के जो विवरण मिलते हैं, उससे प्रौढ दक्षिणात्य मन्दिर-निर्माण कला के दर्शन होते हैं। १ से १७ तक की भूमिकाओं (स्टोरीज़) वाले गोपुरों का विकास दक्षिण में उत्तर-मध्यकालीन मन्दिर-निर्माण कला की परम्परा का प्रतीक है। मानसार में गोपुरों की इसी विशिष्टता के कारण श्रीयुत् तारापद भट्टाचार्य ने इसे मध्यकालीन (११वीं से १५वीं शताब्दी के मध्य की) रचना माना है।

वास्तु-विद्या के इन प्रतिनिधि-ग्रन्थों की अति सूक्ष्म समीक्षा के उपरान्त यहाँ पर इतना संकेत और करना है कि पुराणों, आगमों एवं तंत्रों में वास्तु-विद्या का प्रतिपादन तो चल ही रहा था, साथ ही साथ शिल्प-शास्त्र पर मौलिक ग्रंथों की रचना भी होती रही। स्थानामाव से उन सभी ग्रंथों की यहाँ समीक्षा नहीं हो सकी। आगे के अध्यायों में प्रायः सभी प्रमुख ग्रंथों का संकेत मिलेगा। तथापि इन प्रमुख ग्रंथों का थोड़ा सा दिग्दर्शन करके इस अध्याय को समाप्त करना है। इन प्रमुख ग्रंथों में कुछ प्रसिद्ध ग्रन्थ जैसे सूत्रधार-मण्डन के ग्रन्थ, श्रीकुमार का 'शिल्प-रत्न' समराङ्गण के बाद के हैं जिनमें वास्तु-विद्या का सुन्दर एवं सुसंस्कृत प्रतिपादन है। अगस्त्य का 'सकलाधिकार,' प्रतिमा-निर्माण पर बड़ा ही प्रौढ विवेचन करता है। काश्यपीय-शिल्प अथवा 'अंशुमद्भेद' दक्षिणी वास्तु-विद्या का लोक-प्रिय ग्रंथ है। अर्वाचीन समय में भी मूर्ति-निर्माता कारीगरों की यह हस्त पुस्तक (हैन्डबुक) है। 'साउथ इन्डियन ब्रॉजिज' में श्रीयुत् गंगोली जी लिखते हैं कि दक्षिण के सभी पापाण-कोविदों का यह सर्वसाधारण, अति प्रसिद्ध प्रामाणिक ग्रंथ है। नवीन जिज्ञासु कला-शिष्यों को आज भी इसके श्लोक कण्ठग्र कराये जाते हैं। इसमें मूर्ति-निर्माण एवं मूर्ति-मापन आदि के नियम संग्रहीत हैं। ग्रंथ में विशालकाय है। 'समराङ्गण-सूत्रधार' के समान इसमें भी ८३ अध्याय (पटल) हैं।

समराङ्गण-सूत्रधार

संक्षेप एवं समीक्षा

समराङ्गण की वास्तु-विद्या पर इस औपेन्द्रातिक पटल में एक साधारण एवं संक्षिप्त समीक्षा की आवश्यकता इसलिये विशेष है कि विगत अध्याय में समराङ्गण पूर्वकालीन प्राचीन वास्तु-विद्या से इसका तारतम्य और इसकी देन का प्रारम्भ में ही कुछ आभास मिल जाय। यद्यपि आगे के अध्यायों में समराङ्गण की ही वा० वि० का विषयानुपङ्गिक (पुर, भवन, यंत्र, प्रासाद, प्रतिमा एवं चित्र का) प्रतिपादन है तथापि इस समीक्षा से न केवल इस ग्रंथ की महत्ता का मूल्याङ्कन होगा अपितु वास्तु-शास्त्रीय ग्रन्थों में इसका क्या स्थान है—इस प्रश्न पर भी अवश्य कुछ प्रकाश पड़ सकेगा।

गत अध्याय में भारतीय वास्तु-विद्या के विभिन्न कोटिक ग्रंथों के विषयों की रूप-रेखा का जो परिचय प्राप्त हुआ उससे यह निष्कर्ष निकलता है कि वास्तु-विद्या का क्षेत्र शनैः शनैः बहुत व्यापक एवं विस्तृत होता गया। परन्तु एक ही ग्रंथ में हमें इस विस्तार के दर्शन नहीं होते। किन्हीं में भवन-निर्माण एवं प्रामाद-निर्माण तक ही वास्तु-विषय सीमित है, तो किन्हीं में प्रतिमा-निर्माण पर ही विशेष विस्तार है। कुछ ऐसे भी ग्रंथ मिले हैं, जिनमें चित्रकला तथा तत्क-कला—रथ इत्यादि तथा दोला आदि पर भी प्रवचन प्राप्त होते हैं। मानसार एवं कामिकागम की विस्तृत एवं व्यापक वास्तु-विद्या में भी चित्रकला तथा यंत्रकला का सन्निवेश नहीं है। इस दृष्टि से समराङ्गण की देन का हम आभास पा सकते हैं। परन्तु इस अध्याय में सर्वप्रथम समराङ्गण के प्रतिपाद्य विषयों का अवलोकन ही विशेष समीचीन होगा।

इस ग्रन्थ में ८३ अध्याय हैं। लगभग दस हजार पंक्तियों में लिखित यही एक ऐसा वास्तु-शास्त्रीय ग्रन्थ है—जिसमें वास्तु-विद्या के अविकल अंगों का सागोपाग विवेचन है। विभिन्न कोटिक-भवनों—साधारण भवन (जनावास—शालभवन) राज-भवन या राज-प्रासाद, देव-भवन (प्रासाद-मन्दिर), विशिष्ट भवन (जैसे समा-भवन), उपभवन (जैसे गजशाला, वाजिशाला) इत्यादि का वैज्ञानिक, सामाजिक तथा धार्मिक वर्गीकरण एकमात्र इन्हीं ग्रंथों में प्राप्त होता है। इसका विशेष वर्णन हम 'भवन-पटल' में करेंगे। भवन-वास्तु-विद्या पर इस ग्रन्थ में लगभग तीन दर्जन अध्याय हैं (देखिये सुसम्बद्ध विषयानुक्रमणी पृ० ६-१२)।

समराङ्गण का पुरनिवेश बड़ा ही व्यापक है। पुरनिवेश में आजकल के टाउन प्लानर्स रीजनल प्लानिंग (देश-परीक्षा) पर विशेष अभिनिवेश रखते हैं। उग्रान-नगरों (गार्टन मिटीज़) की निवेश-प्रक्रिया को लोग 'आधुनिक' देन समझते हैं परन्तु यहाँ पर संक्षेप से देना असंगत न होगा कि समराङ्गण के पुरनिवेश में इन दोनों ही विद्वान्तों का पूरा ध्यान रखा गया है जिनका प्रतिपादन 'पुरनिवेश'-पटल में विशेष रूप में किया जायगा।

पुरनिवेश एवं भवन-निवेश के व्यापक सिद्धान्तों के इस दिग्दर्शन के पश्चात् सम-राङ्गण के प्रासाद-वास्तु (टेम्पिल आर्कीटेक्चर) के विषय में यह संकेत कर देना ही पर्याप्त होगा कि प्रासाद-वास्तु का इतना सुन्दर एवं विस्तृत निरूपण अन्यत्र तुर्लभ है। ग्रन्थ का लगभग आधा भाग प्रासाद-रचना पर है। भारत की पूर्व-संकेतित दो प्रमुख शैलियों (उत्तरी अथवा नागर शैली तथा दक्षिणी अथवा द्राविड शैली) के अतिरिक्त उस समय तक विभिन्न जनपदों तथा वास्तु-केन्द्रों में विकसित अन्य शैलियों—जैसे वावाट (वैराट), भूमिज एवं लाट (लतिन) आदि—के न केवल बहु-संख्यक प्रासादों का ही प्रौढ़ प्रतिपादन है वरन् विभिन्न-कोटिक प्रासाद-जातियों के साथ-साथ स्मारकों (मानूमेंट्स) में प्राप्त विभिन्न कोटिक-प्रासादों—जैसे अजन्ता और एलोरा के गुहा-मन्दिर (समराङ्गण इन्हें लगन, गुहा-राज आदि नामों से पुकारता है) तथा स्तम्भ-बहुल छाद्य-प्रासाद एवं शिखरोत्तम प्रासाद (भुवनेश्वर तथा खजुराहो) बहु-भूमिक प्रासाद (तंजौर, मामलपुर आदि) आदि अनेक स्मारक-निर्दर्शन-सूचक प्रासादों—का भी वर्णन करता है। इस प्रकार यह ग्रंथ न केवल मध्य-कालीन वास्तु-कला (विशेषकर प्रासाद-वास्तु) का एक प्रामाणिक एवं आधिकृत ग्रंथ है अपितु उस काल तक की वास्तु-कला की विकसित परम्पराओं का एक प्रकाशक दर्पण भी है।

मध्यकाल तक विकसित वास्तु-विद्या के आधे दर्जन प्रधान विषयों में से तीन (भवन, पुर एवं प्रासाद) की तो स्थूल समीक्षा हो चुकी, अब प्रतिमा-विज्ञान पर, जो पुरा-तन काल से ही वास्तु-विद्या का प्रमुख विषय रहा है किञ्चित् विचार कर लेना अधिक उपयुक्त होगा। इस ग्रन्थ में अगस्त्य के सकलाधिकार के समान, प्रतिमा-विवेचन उतने विस्तार रूप से नहीं मिलेगा, यद्यपि इस विषय पर लिखित लगभग १४ ग्रन्थों में प्रतिमा-विज्ञान के प्रायः सभी प्रधान अंगों पर प्रकाश डाला गया है। प्रतिमा-विज्ञान के सम्बन्ध में समराङ्गण की एक विशेष देन यह है कि यह चित्र-कला का बड़ा सुन्दर विवेचन करता है। 'विष्णु-धर्मोत्तर' तथा 'चित्रतत्त्वण' को छोड़कर अन्यत्र किसी ग्रन्थ में चित्रकला विवेचन अप्राप्य है। प्रतिमा-विज्ञान की व्यापक कल्पना में हम प्रतिमाओं को दो प्रधान वर्गों में बाँट सकते हैं—द्रव्य-प्रतिमा (मृत्तमयी, लौहमयी, ताम्रमयी, रजतमयी, स्वर्णमयी, रत्नमयी, गन्धमयी आदि, आदि) तथा चित्र-प्रतिमा। वैसे तो अन्य ग्रन्थों में प्रतिमाओं के वर्गीकरण में चित्र (आलेख्य) का समावेश पाया जाता है, परन्तु चित्र-कला पर सागोपाग वैज्ञानिक वर्णन, प्राप्त शिल्प शास्त्रीय ग्रन्थों में, इसी की विशेषता है।

आगे के एक अध्याय में समराङ्गण के व्यापक वास्तु-विषय (स्कोप) पर विशेष प्रकाश डाला जायगा। उमी के अनुरूप इस ग्रन्थ में यंत्रकला पर एक बड़ा अध्याय है। इस अध्याय में प्राप्त सामग्री से भारत की विकसित यंत्र-विद्या का अनुमान लगाया जा सकता है। उपलब्ध वास्तु-शास्त्रीय एवं अ-वास्तुशास्त्रीय दोनों ही प्रकार के ग्रन्थों में यंत्र-निर्माण पर, यंत्रों के विभिन्न वर्गों आदि पर, कहीं भी—कुछ भी सामग्री नहीं है। इस दृष्टि से यह ग्रन्थ एक बड़े अभाव की पूर्ति करता है। इस यंत्र-विद्या की विशेष समीक्षा 'यंत्र-पटल' में द्रष्टव्य है। इस ग्रन्थ में यंत्रों के साथ-साथ भवन-फर्नीचर जैसे शय्या तथा आसन आदि पर भी एक बहुत सुन्दर अध्याय है जिमने स्थपतियों की विभिन्न कोटियों में काष्ठकार (वटर्ड) भी सम्मिलित किया गया जान पड़ता है।

इस प्रकार समराङ्गण की वास्तु-विद्या के इस दिग्दर्शन के उपरान्त अब संक्षेप में समराङ्गण के अध्यायों पर भी दृष्टिपात कर लेना असंगत न होगा ।

श्रौषोद्घातिक—

प्रथम ७ अध्यायों (देखिये विषयानुक्रमणी) में वास्तु-प्रयोजन, वास्तु-प्रतिष्ठापक, वास्तु-ब्रह्मा, वास्तु-कल्पना, वास्तु-त्रयी, (भूमि, स्थपति एवं शासक) वास्तु-विस्तार, वास्तु-सृष्टि, वास्तु-जन्म तथा वास्तु-विद्या के विभिन्न विषयों की अवतारणा की गई है ।

वैसे तो विभिन्न वास्तु-शास्त्रीय ग्रन्थों में जैसे मानसार, मयमत, विश्वकर्मीय—शिल्प आदि प्रसिद्ध ग्रन्थों में वास्तु शब्द का अर्थ एवं वास्तुकला का क्षेत्र—भवन, प्रासाद, राज-प्रासाद, प्रतिमा, तथा पुर तक ही—सीमित है परंतु इस ग्रंथ में तो वास्तु-कला का क्षेत्र पुर से आगे बढ़कर जनपद एवं देश अथवा सम्पूर्ण मही तक फैल गया है । सम्भव है इस कल्पना में अतिरञ्जना एवं रूपकता की छाया दिखलाई पड़ती हो, परन्तु जैसा ऊपर संकेत किया जा चुका है, मानवता-अविभाज्य है मानव-संस्कृति एवं विश्व-संस्कृति भी अविभाज्य है । सूक्ष्म दृष्टि से संस्कृति एवं सभ्यता के आधारभूत सिद्धान्त सर्वत्र समान रूप से प्रत्येक जाति, देश एवं राष्ट्र में पाये जाते हैं, अतः समराङ्गण में भी यदि प्रथम अध्याय में महासमा पृथ्वी तथा पृथु की कथा की आवतरणा सम्पूर्ण पृथ्वी के निवेशोपक्रम वासतियोग्यता, वास-स्थान जनपद-निवेश एवं सृष्टि-संविभाग के लिये की गयी है, और इस प्रकार वास्तुकला का विषय साधारण अथवा विशिष्ट-भवनों एवं उन भवनो एवं प्रासादों के निवेश-स्थान,—ग्रामों, खेटकों, पत्तनों, पुट-भेदनों, एवं पुरों तक ही सीमित न रखकर पुर-समूह, जनपद एवं जनपद-समूह राष्ट्र या देश तथा राष्ट्र-समूह भूमण्डल तक विस्तृत होगया है तो तार्किक एवं वैज्ञानिक दृष्टि से ठीक ही है ।

प्रथम अध्याय में सृष्टिकर्ता ब्रह्मा के पास राजा पृथु के भय से विह्वला पृथ्वी आती है आंग पृथु के द्वारा पीड़ित पृथ्वी अपनी पीड़ा कथा कह भी न पायी थी कि महाराज पृथु [जिनसे आगे चलकर पृथ्वी 'पृथ्वी' 'पृथो.इयं (प्रियकरी) इति पृथ्वी" कहलाई] स्वयं आ धमके और कहने लगे—हे जगन्नाथ । आप ही ने तो इस जगत् का मुझे स्वामी बनाया है तथा इस स्थावर-जंगमात्मक समस्त भू-मण्डल को मेरे वश में स्थापित कर भू को ऊर्वरा, बनाकर राष्ट्र, देश, जनपद, पुर, ग्राम, खेटक आदि विभिन्न स्थानों के निवेश योग्य उसको बनाने के लिये मी तो आपने आदेश दिया है । अतः इस पृथ्वी-दोहन-कार्य में यह पृथ्वी मेरी महायिका न होकर मेरे वश में न आकर अकारण भयभीत आपके समीप उपस्थित हुई है । अतः हे ब्रह्मन् । वर्णाश्रम-स्थान-विभाग कैसे सम्भव होगा जब तक अनेक ऊबड़-खाबड़, टीले, पर्वत आदि का समीकरण होकर भूमि समतल तथा वसतियोग्य न बन जाये ?

महाराज पृथु के इन वचनों को सुनकर पृथ्वी के करुण-निवेदन को ध्यान में रखकर उन्हें निर्भय बनाकर दोनों को ही सम्बोधन कर ब्रह्माजी कहते हैं—हे महीपाल । यदि आप इस मही या विधिवत् पालन करेंगे तो नि.मन्डेह यह पृथ्वी मत्स्य आदि निपादन कर तुम्हारे एवं मत्स्य प्राणिकजाति के लिये उपयोग्य बनेगी । अथवा, तुम्हाग जो स्थानादि-विनिवेशन मनोन्मत्त है वह सर्व-निद्धि-प्रवर्तक प्रभाम (वसु) के लक्षके, बृहस्पति के भानजे

वृहस्पति के ही समान प्रखर-बुद्धि विश्वकर्मा जी सम्पादन करेंगे। स्वर्गलोक में इन्होंने इन्द्र की राजधानी देवपुरी अमरावती के निर्माण की ख्याति प्राप्त ही कर ली है। अथच आप ने बहुत सी राजधानियों एवं नगरों का निर्माण-कौशल भी प्राप्त कर लिया है। अतः इन्हीं को इस कार्य में लगाइये। ये ही पुर, ग्राम तथा नगरों के निवेश करेंगे और यह भू-लोक भी स्वर्गलोक के समान वासयोग्य बन जायगा। अतः हे वत्स ! तुम जाओ और अपना कार्य करो। और हे पृथ्वि ! तू भी भय छोड़कर राजा पृथु की प्रियकरी बन। और विश्व-कर्मन् ! तुम भी महाराज का प्रिय सम्पादन करो।

आगे के अध्याय में (विश्वकर्मणः पुत्रसंवादाध्यायो नाम द्वितीयोऽध्यायः) विश्व-कर्मा पितामह ब्रह्मा के इस नियोग (Mission) की सफल सिद्धि के लिये अपने मानस पुत्रों—जय, विजय, सिद्धार्थ तथा अपराजित—को स्मरण कर इस कार्य में सहायता के लिये कहते हैं। स्वयं तो पृथु की राजधानी बनाने का संकल्प करते हैं और अपने पुत्रों को भूलोक के चारों दिग्मण्डलों पर वासयोग्य जनपद आदि तथा देशों की रक्षार्थ दुर्ग-स्थापन तथा चारों वर्णों के योग्य स्थानादिनिवेश—इन सब कार्यों के सम्पादन के लिये आदेश देते हैं। इस पर विश्वकर्मा के ज्येष्ठ पुत्र जय ने इस भूलोक के ज्ञान एवं सृष्टि आदि के विज्ञान की जिज्ञासा की तथा स्थापत्य-विद्या के सिद्धान्तों एवं वास्तुकला के मर्म पर प्रकाश डालने की अपने पिता से प्रार्थना की।

इस प्रकार यह कथानक समराङ्गण की वास्तु-विद्या और उसके आचार्य विश्वकर्मा की अवतारणा के साथ-साथ वास्तु-विद्या के व्यापक क्षेत्र (scope) पर प्रकाश डालता है, जिसमें वास्तु-विद्या का सम्बन्ध न केवल एक मात्र गृह-निर्माण, पुर-निवेश अथवा मन्दिर तथा प्रतिमा आदि के निर्माण तक ही सीमित है वरन् सम्पूर्ण विश्व का निवेश वास्तु-विद्या एवं वास्तु-कला का विषय है—यह सिद्ध होता है।

नीसरे अध्याय (प्रश्न) में वास्तु-विद्या के प्रायः सम्पूर्ण विषयों पर प्रश्न किये गये हैं। उनका उत्तर ही आगे के अध्यायों में समराङ्गण की व्यापक वास्तु-विद्या है इन प्रश्नों की विस्तृत रूपरेखा आगे के अध्याय (वास्तु-विषय एवं विस्तार) में द्रष्टव्य है। 'महदादि सर्ग' नामक चौथे अध्याय में सृष्टि-वर्णन है जिससे आद्ये वास्तु के लिये आधार जगत् का ज्ञान आवश्यक प्रतीत होता है। 'भुवनकोश' नामक पाँचवें अध्याय में जगत् का भूगोल-वर्णन है। साथ ही साथ सूर्य इत्यादि ग्रहों की स्थितियों एवं गतियों का वर्णन किया गया है। 'सहदेवाधिकार' नामक छठे अध्याय में देवों एवं मत्स्यों के पार्यक्य की करुण कथा में भूतल पर भवन-जन्म की कहानी वर्णित है। इस कहानी का संक्षेप 'भवन-पटल' में द्रष्टव्य है। 'वर्णाश्रम-प्रविभाग' नामक सातवें अध्याय में वर्णाश्रम-व्यवस्था का निरूपण इस दृष्टिकोण से किया गया है कि मानव के कौटुम्बिक, सामाजिक एवं राष्ट्रीय कर्तव्यों तथा अधिकारों का सम्यक्पालन एवं प्राप्ति विना स्थानादि-निवेशन (पुर, ग्राम, खेट आदि) के सम्भव नहीं और न जीविकोपार्जन के साधन ही सुलभ हो सकते हैं। अतः सांस्कृतिक दृष्टिकोण से मानवों की तीन मौलिक आवश्यकताओं—भोजन, वस्त्र एवं वाम—का पारस्परिक अन्योन्याश्रय सुतराम् सिद्ध है। मानवता एवं मानव-सम्यता की कहानी वस्तुतः भोजन-भजन, आचार-विचार, वास एवं परिधान की कहानी है।

पीछे 'विषय-प्रवेश' में समराङ्गण की नवीन विषयानुक्रमणी दी जा चुकी है। उसके प्रयोजन पर भी सकेत किया जा चुका है। अतः तदनुरूप समराङ्गण के ४४वें और ४५वें अध्यायों (स्थपति एवं स्थापत्य) के विषय किसी भी वास्तु-विवेचन में वास्तु-शास्त्र का प्रारम्भिक कलेवर निर्माण करते हैं। अतएव प्रथम ७ अध्यायों के साथ-साथ उनको भी वास्तु-विद्या के औपेक्षिक विषयों में सम्मिलित किया गया है। इन अध्यायों में स्थपति एवं स्थापत्य-विषयक बड़ा ही महत्वपूर्ण विवेचन है जो 'स्थपति एवं स्थापत्य' नामक आगे के अध्याय में सविस्तर प्रतिपादित है।

पुर-निवेश

प्रारम्भिक विषयों की इस रूप-रेखा के अनन्तर "पुर-निवेश" में आवश्यक विभिन्न सिद्धांतों एवं प्रारम्भिक उपादानों तथा कर्मों से सम्बन्धित लगभग ६ अध्याय हैं—नवीन १० में १८ तथा मौलिक ८, ९, ११ से १४ तथा ३८ पुन. १८ तथा अन्तिम १०।

'भूमि-परीक्षा' नामक ८ वें अध्याय में सर्वप्रथम देश-भूमि पर विचार किया गया है। उनके ३ प्रधान तथा १६ गौण भेद किये गये हैं (देखिये 'पुर-निवेश') इसके अनन्तर पुर, दुर्ग आदि के निवेश के लिये उपयुक्त भूमियों का वर्णन है। भूमि-विज्ञान के अनुरूप, भूमि-चयन के सम्बन्ध में वर्णानुकूल—वर्ण, गन्ध, रस एवं स्पर्श आदि गुणों के आधार पर—भूमि-विभाजन किया गया है। कौन-कौन सी भूमियाँ वर्ज्य हैं उनका भी अविकल निर्देश किया गया है। अन्त में भू-परीक्षा की कुछ विधियाँ भी बतलाई गई हैं। उदाहरणस्वरूप यहाँ पर एक विधि का उल्लेख किया जाता है। गड़ढा खोदकर उसमें पानी भर दे। फिर १०० कदम चले। लौटने पर यदि जल पूरा का पूरा मिले तो ऐसी भूमि अत्युत्तम समझे। यदि पानी थोड़ा ही कम हुआ हो तो मध्यम श्रेणी की और यदि बहुत कम हो गया हो तो निम्न श्रेणी की समझनी चाहिए।

'हस्त-लक्षण' नामक नवें अध्याय में मानयोजना का प्रतिपादन किया गया है (देखिये 'मानयोजना' अ ७)। 'पुर-निवेश' नामक १०वें अध्याय की विषय-सूचना के पूर्व ही पुर-निवेश की प्रथम प्रक्रिया पदविन्यास (साइट-प्लान के रेखाचित्र) की सूचना प्राथमिकी निर्विवाद है। अतः ११ से १४ तथा ३८ वें अध्यायों में प्रतिपादित विभिन्न कोटिक वास्तु-विन्यासों यथा एकाशीतिपदिक (८१ पदवाला प्लाट) चतुष्पष्टि-पदिक (६४ पदवाला प्लाट) तथा शतपद-वास्तु (१०० पदवाला प्लाट) आदि के साथ-साथ, 'वास्तु-मस्थान-मातृका' नामक ३८ वे अध्याय में जाति एवं वर्ण के अनुरूप विभिन्न वर्गों के मनुष्यों के लिये उचित ४० क्षेत्र-मस्थानों की संज्ञाओं एवं विनियोग पर भी प्रकाश डाला गया है।

उपर्युक्त तीन प्रकार के पद-विन्यासों की समीक्षा 'पुर-निवेश' के पटल में द्रष्टव्य है। यह पर्युक्त ४० क्षेत्रों का संकेत आवश्यक है।

क्षेत्र	आकृति	क्षेत्रवासी
१—चतुर्भुज	आकृति	१—राजा
२—मम	"	२—अन्त.पुर
३—मानि अथवा ग्रन्थालय	"	३—पुंगण्डिन
४—दीर्घ	"	४—राजकुमार

५—वृत्तायत	आकृति	५—सेनापति
६—शम्भुक	”	६—वाहन
७—राकट	”	७—वैश्य
८—अज्ञ	”	८— ?
९—भग	”	९—वेश्यायै
१०—दर्पण	”	१०—स्वर्णकार
११—वज्र	”	११—नगर-गोष्ठिक
१२—कंधा	”	१२— ?
१३—छिन्नकर्ण	”	१३—महामात्र
१४—विकर्ण	”	१४—मृगलुब्धक (बहेलिये)
१५—शंखाभ	”	१५—काने
१६—नुरसन्निभ	”	१६—गण्णाचार्य
१७—शवत्यानन	”	१७—ब्रजाध्यक्ष
१८—कर्मभृष्ट	”	१८—माली
१९—सदंश	”	१९—दर्जी
२०—व्यजन	”	२०—घुड़सवार तथा सईम
२१—शराव	”	२१—बढई
२२—स्वस्तिक	”	२२—वन्दिजन तथा मागधगण
२३—मृदंग तथा पणव	”	२३—वेणु, तूर्य (तुरही) आदि बजाने वाले
२४—विशर्कर	”	२४—रथ-वाहक
२५—कवन्ध	”	२५—नीच और चारडाल
२६—यवमध्यसम	”	२६—धान्यजीवी (किसान)
२७—उत्संग	”	२७—श्रमण (जैन साधु)
२८—गजदंत	”	२८—हस्त्यारोही (पीलवान)
२९—परशु	”	२९—कैदी
३०—विस्त्रावित	”	३०—सुराकार (कलवार)
३१—श्वभ्र	”	३१—मजदूर
३२—युगल	”	३२—नाई
३३—विवाहिक	”	३३—कोपरक्षक
३४—त्रिकुट	} ”	३४—अग्नि-जीवी (भुजवा)
३५—पञ्चकुट		३५— ” ”
३६—पगिच्छिन्न	”	३६—मानोपजीवी
३७—द्विक्न्वरितक	”	३७—चैत्य एवं वाम-भवन
३८—श्रीवृत्त	} ”	३८—वृत्त (उद्यान आदि) तथा यज्ञवाट
३९—वर्धमान		३९— ” ” ”
४०—एणीपद	”	४०—गणिकायै
४१—नगपद	”	४१—चोर

‘नगरादि-मंश’ नामक १८वें अध्याय में नगर की पर्याय एवं प्रकार-बोधक विभिन्न नगर-संज्ञाओं का उल्लेख करते हुये इस अध्याय में विशेषकर भवन-वास्तु-गत विभिन्न अवयवों की परिभाषाये दी गई हैं। इस अध्याय से स्पष्ट है कि भारतीय भवन-निर्माण-कला का सर्वतोमुखी विकास मध्यकाल तक सम्पन्न हो चुका था। इन विभिन्न भवन-निर्माण-कला के पारिभाषिक शब्दों की व्याख्या एवं चित्रण की ओर लेखक ने अपने ‘समराङ्गण वास्तु-कोष’ (अप्रकाशित) में प्रयत्न किया है। उसकी एक अति सूक्ष्म रूपरेखा (आउटलाइन) इस ग्रंथ के अंत में एक परिशिष्ट में दी गई है।

‘पुर निवेश’ नामक समराङ्गण के दशम अध्याय की—जो नवीन विषयानुक्रमणी में पुरनिवेश सम्वन्धी अन्तिम अध्याय परिकल्पित किया गया है—सामग्री का सविस्तर उपयोग ‘पुरनिवेश’ पटल में द्रष्टव्य है। इस अध्याय में, परम्परागत पुरनिवेश-प्रणाली, पद-चयन, पट विन्यास, मार्ग विनिवेश, परिखा एवं वप्र सहित, प्राकारविधान, गोपुरविधान, रथ्या एवं प्रतोली-विन्यास, जाति-वर्णाधिवास, जनावास, राज-हर्म्य, सभा तथा अन्यान्य साधारण भवनों के साथ-साथ, देवतायतन-प्रतिष्ठा एवं विनियोग आदि आदि का पूर्णरूप से प्रतिपादन तो है ही साथ ही साथ इस ग्रन्थ की कुछ विशेष उद्भावनायें भी हैं जो अन्यत्र वुष्प्राप्य हैं—जैसे उद्यान-विन्यास। यह उद्यान-विन्यास ही आधुनिक न र-निवेश-पद्धति का सर्वस्व माना जाता है। इसी प्रकार की कुछ और भी उद्भावनायें हैं जिनकी हम आगे (पु नि. में) समीक्षा करेंगे।

समराङ्गण की वास्तु-विद्या के औपौद्घातिक एवं पुरनिवेश के विषयों की इस अति सन्निह समीक्षा के पश्चात् अब भवन-निर्माण-कला (जिसका सविस्तर वर्णन आगे ‘भवन’ पटल में है) से सम्बन्धित अध्यायों एवं विषयों पर एक विहंगम दृष्टि डालना अनुचित न होगा।

भवन-निवेश

भवन-कला पर इस ग्रंथ में लगभग ३० अध्याय हैं, (देखिये स. स. की सुसम्बद्धा विषयानुक्रमणी) जिनमें भवनकला के प्रारम्भिक अनुष्ठान, राजवेश्म, जनावास, भवनाग, द्रव्य-योजना तथा चुनाई एवं भवन-भूपा के साथ-साथ भवन-टोप, वेध एवं भंग आदि प्रधान विषयों का प्रतिपादन है।

भवन-कला के औपौद्घातिक विषयों में ‘आयादि-निर्णय’ नामक ग्रन्थ के २६वें अध्याय में ज्योतिष-विज्ञान से सम्बन्धित तिथियों, ताराओं एवं वारों का विवेचन है। किन-किन मानों में, किन-किन तिथियों में और किन-किन दिवसों पर भवन-कार्य प्रारम्भ करना चाहिये—इन सभी प्रश्नों का उत्तर इस अध्याय में मिलेगा। आयादि-निर्णय वास्तु-शास्त्रका एक महत्वपूर्ण, अनिवार्य एवं पारिभाषिक विषय है। वास्तु विद्या के आधारभूत सिद्धान्तों की समीक्षा में इस तथ्य पर संकेत किया जा चुका है कि भारतीय वास्तु विद्या का जन्म धार्मिक मन्त्रकारों के क्रोड से हुआ। वास्तु विद्या और ज्योतिष के घनिष्ठ सम्बन्ध को समी जानते हैं। ज्योतिष एक वेदाङ्ग है (पटलों में एक है)। इसी आधारभूत सिद्धान्त के अनुसूप समराङ्गण ने इस अध्याय की अवतारणा की है। आगे के अध्यायों में इस अध्याय की पृथुल सामग्री का थोड़ा ही उपयोग किया गया है। अतः इसकी कुछ विशेष चर्चा यहाँ पर अग्रगत न होगी।

आयादि-निर्णय इस पद से आय, व्यय, अंश, रिज्ञा (नक्षत्र) योनि तथा वार-तिथि का बोध समझना चाहिये । वास्तु-शास्त्रियों की धारणा है कि इस षट्क का भवन-रचना से अनिवार्य सम्बन्ध है । भवन के मुख्य पडवयवों—प्रमाण, भवनाग (अधिष्ठान, पाद अथवा स्तम्भ, प्रस्तर, कर्ण, शिवर तथा स्तूपी) का सम्बन्ध इस आयादि षट्क से सम्पादित करना चाहिये । भिन्न-भिन्न ग्रन्थों में इस षट्क को भिन्न-भिन्न रूप से प्रकल्पित किया गया है ।

समराङ्गण-सूत्रधार में आयादि षट्क-समूह से आय, व्यय, तारा योनि, भवनाशक एवं भवननाम का बोध होता है । समराङ्गण ने इसकी संज्ञा 'पट्करण' भी दी है ।

आय, व्यय आदि कैसे निकालना चाहिये—यह समझ लेना चाहिये ।

आय—चारों ओर नीच की भूमि (दीवाल) को छोड़कर मध्य की लम्बी और चौड़ी भूमि को गृह-स्वामी के हाथ से नापना चाहिये जो क्षेत्रफल (लम्बाई × चौड़ाई) आये उसमें आठ से भाग देने पर जो शेष बचे वह ध्वज आदि आय है । इनकी क्रमशः पूर्वादि दिशा से गणना होती है जो निम्न चक्र से स्पष्ट है:—

आय-चक्र

संख्या	१	२	३	४	५	६	७	८
आय	ध्वज	धूम्र	सिंह	श्वान	वृष	खर	गज	ध्वाङ्ग
दिशा	पूर्व	आग्नेय	दक्षिण	नैऋत्य	पश्चिम	वायव्य	उत्तर	ईशान

व्यय—घर के नक्षत्र की संख्या को आठ से भाग देने पर जो शेष रहे वह व्यय समझना चाहिये । आय की संख्या से व्यय की संख्या न्यून, अधिक तथा सम होने पर क्रमशः 'यत्न' 'राक्षस' तथा 'पिशाच' व्यय निकलते हैं । इनमें प्रथम प्रशस्त द्वितीय अप्रशस्त तथा तृतीय मध्यम फलदायक हैं ।

अंश—घर के क्षेत्र-फल की संख्या, घर के नाम की अक्षर-संख्या तथा व्यय-संख्या इन तीनों को जोड़कर तीन से भाग देने पर जो शेष रहे वह "अंश" है । एक शेष से "इन्द्र", दो शेष से "यम" तथा शून्य शेष से "राजा" अंश निकलते हैं ।

तारा—घर के नक्षत्र से घर के स्वामी के नक्षत्र तक गिनना चाहिये । जो संख्या आये उसको ६ से भाग देना चाहिये । जो शेष रहे वह "तारा" समझना चाहिये । इन ताराओं में छठी, चौथी और नवीं शुभ, पहली दूसरी और आठवीं मध्यम तथा तीसरी, पाचवीं और सातवीं अधम हैं ।

नक्षत्र—घर के क्षेत्रफल को ८ से गुणा करके जो गुणनफल हो उसमें २७ के भाग देने से शेष नक्षत्र समझना चाहिये ।

राशि—घर के नक्षत्र को ४ से गुणा करके गुणन-फल में ६ से भाग देने पर घर की मुक्त राशि आती है। गृह एवं गृहस्वामी की राशि यदि परस्पर छठी और आठवीं या दूरी और बारहवीं हों तो अशुभ समझना चाहिये।

आय व्यय-गणना के सम्बन्ध में विश्वकर्म-प्रकाश का मत है कि जिस घर की लम्बाई ३२ हाथ (४८ फीट) में अधिक है तो आयादि-विचार अनिवार्य नहीं। इसी प्रकार जीर्ण-मवनो के उद्धार में भी आयादि विचार आवश्यक नहीं। ज्योतिष-शास्त्रीय आयादि विचार वास्तु-विद्या में क्यों चरितार्थ है—इस पर इतना तो संकेत पर्याप्त है कि जिस प्रकार व-स्वधू के सुन्दर ढाम्पत्य के लिये हम ग्रहों आदि का विचार करते हैं उसी प्रकार गृह एवं गृहस्वामी के सुखद एवं ऐश्वर्यपूर्ण चिर-सम्बन्ध के लिये भी इसकी अपेक्षा मानी गयी है।

आय, व्यय, तारा, तथा अंशक आदि की निम्न तालिका द्रष्टव्य है:—

आय	व्यय	अंश
१. ध्वज	१. पिशाच	१. इन्द्र
२. धूम	२. राक्षस	२. यम
३. सिंह	३. यज्ञ	३. राजा
४. श्वा		
५. वृष		
६. खर		
७. कुञ्जर		
८. ध्वान्न		

तारा

सुरगण	राक्षसगण	मनुष्यगण
१. मृगशिरा	१. विशाखा	१. आर्द्रा
२. अश्विनी	२. कृत्तिका	२. भरणी
३. रेवती	३. आश्लेषा	३. रोहिणी
४. स्वाति	४. नैऋत	४. शतभिषा
५. मैत्र	५. वारुण	५. अनुराधा
६. पुष्य	६. मघा	६. मूल
७. पुनर्वसु	७. चित्रा	७. पूर्वाषाढा
८. हस्त	८. ज्येष्ठा	८. उत्तराषाढा
९. श्रवण	९. धनिष्ठा	९. पूर्वाभाद्रपदा

आयों के सम्बन्ध में इतना उल्लेख कर देना आवश्यक है कि ये सभी आय प्रगल्भ नहीं हैं। ध्वज, सिंह, वृष एवं गज प्रगल्भ हैं, अन्य अशुभ हैं। परन्तु अधमो के लिये गर, ध्वान्न, धूम और श्वा—ये आय शुभ हैं। अथवा धूम अग्निजीवियों के लिये, ध्वान्न मंत्र्यासियों के लिये तथा न्वगण, श्वपाक, नदी, नर्तको एवं वैश्यागो, कुम्हारों, घोषियों तथा गर्दभ-जीवियों के लिये सर शुभ है। पता नहीं इन निम्नकोटियों में मंत्र्यासियों को क्यों घनीट लाया गया है। किम २ रचना में किम २ अर्थ का विनियोग करना चाहिये दूक्या

सविस्तर वर्णन किया गया है। इसके अनन्तर इन पट्टकरियों की योजना के सम्बन्ध में कौन सी योजना शुभ है और कौन सी अशुभ—इसका भी प्रतिपादन किया गया है। अन्त में निम्नलिखित ६ छन्दों का विवेचन है जो वास्तु-शास्त्रीय दृष्टि से विशेष जातव्य हैं:—

१. मेरु	३. पताका	६. उद्दिष्ट एवं
२. खण्ड-मेरु	४. सूचिका	६. नष्ट

इन छन्दों के द्वारा भवनागों की संख्या का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। किस भवन में कितनी शालायें, कितने अलिन्द तथा कितनी मूषायें योजित करना शुभ है अथवा अशुभ—यह सब विचार इन छन्दों का विषय है। गृह-प्रस्तार के गुरु और लघु का मर्म भी इन छन्दों में छिपा है।

‘आयादि-निर्णय’ के उपरांत भवन-रचना के प्रारंभिक उपादानों में बलिदान का अवसर आता है। ग्रन्थ के ३६वें अध्याय में इस बलिदान-विधि का सविस्तर वर्णन किया गया है। यह परम्परागत प्रथा आज भी वर्तमान है, अतः विस्तृत विवेचन की आवश्यकता नहीं है। इनमें मंडलकरण, कलश स्थापन, वास्तु-देवता-कल्पन, तथा अर्घ्य निवेदन के साथ-साथ विश्वकर्मा आदि ३५ वास्तु-देवों की किस-किस सामग्री से पूजा करनी चाहिये और बलि चढ़ाना चाहिये—इत्यादि का सविस्तर वर्णन किया गया है। अन्त में (स. स. अ. ३६. २७—२८) शान्तिक एवं बलिकर्म के उचित कौन-कौन से विशेष वास्तुकृत्य हैं, इनका उल्लेख किया गया है। भूमि-शोधन, भूमि-कर्षण, भूमि-साधन, भूमि-रूप-कल्पन, गृह-प्रवेश, स्कन्धावार-निवेश, पुर-निवेश, ग्राम-निवेश, देवालय-निवेश, राजवेश्म-निवेश, आदि के अवसर पर बलिदान वास्तु का एक धार्मिक कृत्य है।

‘वेदिलक्षण’ नामक ग्रंथ के ४७वें अध्याय में विविध वेदियों की वास्तुकला पर विचार किया गया है जिसकी समीक्षा आगे के ‘स्थपति एवं स्थापत्य’ नामक अध्याय में की गई है अतः यह वहीं द्रष्टव्य है।

‘इन्द्रध्वज-निरूपण’ नामक ग्रंथ के १७ वे अध्याय में शक्रध्वजोत्थान का क्या मर्म है—यह भी उपर्युक्त ‘स्थपति एवं स्थापत्य’ में द्रष्टव्य है।

‘शिलान्यास-विधि’ नामक ३५ वें अध्याय में सर्वप्रथम शिलान्यास के शुभ मुहूर्त का प्रवचन है। सूर्य के उत्तरायण होने पर, शुक्ल पक्ष में, शुभ दिन (करण एवं गुण से युक्त शुभ नक्षत्र में) शिलान्यास का विधान बताया गया है। सौम्य-प्रकृति, शास्त्रज्ञ, पवित्र, स्नात तथा देवार्चनकृत, स्थपति शिलान्यास का प्रारम्भ करता है। प्रथम शिला की पूर्ण परीक्षा होनी चाहिये। वह ‘पूर्णा, समा, अविक्ला, चतुरश्रा (चौकोर)’ तथा सत्र प्रकार में शुभ होनी चाहिये। इस परीक्षण के उपरान्त ‘चेय’ प्रारम्भ करना चाहिये। इसी प्रकार के और विवरण भी दिये गये हैं, जैसे कौन-कौन सी शिलायें शुभ हैं और कौन सी वर्ज्य हैं—बहुत बड़ी, बहुत छोटी, टिंटूम्हा, अङ्गहीना, कंकरीली, ट्टी, कम-पकी, फटी, काली आदि। ‘नन्दा,’ ‘भद्रा,’ ‘जया’ और ‘पूर्णा’—ये चार प्राथमिकी शिलायें। (आयेष्टकार्यें) चाने

की वास्तु-कला तथा दो प्रधान वर्ग—निवास-भवन एवं विलास-भवन—के १५ निदर्शन प्रतिपादित हैं। 'गजशाला' नामक ३२वें तथा 'अश्वशाला' नामक ३३वें 'सभाष्टक' नामक २७वे, अध्याय में प्रतिपादित सामग्री का विवेचन भ० प० के अध्यायों में द्रष्टव्य है। उसकी यहाँ पर पुनरावृत्ति ठीक नहीं।

अब 'आयतन' नामक ५१वें अध्याय की विशेष समीक्षा आवश्यक है। 'आयतन' का प्रयोग वैसे तो सासारिक भवनों के लिये भी देखा जाता है परन्तु यहाँ पर आयतन का अर्थ देवायतन से ही लेना चाहिये। इस अध्याय की सामग्री से लेखक के इस दृष्टि-कोण का आशिक समर्थन प्राप्त होता है। अतः 'आयतन-निवेश' में राजा के बन्धु बान्धवों एवं रानियों, बहनों, मातुलों एवं कुमारों के साथ-साथ मन्त्री, सेनानी, प्रतीहार, पुरोहित सामन्त, कुञ्जरारोह (हस्तिपक-पीलवान), भट्टा-एव पौरजनों के प्रामादों का निवेश प्रतिपादित है—ऐसा इस ग्रंथ के संपादक गणपति शास्त्री जी ने स. स. की विषयानुक्रमणिका में दिखलाया है। परन्तु ग्रंथ के कुछ प्रवचनों से इस दृष्टिकोण में कुछ विरोधाभास प्रतीत होता है। 'प्रासाद' शब्द वैसे तो राजाओं और देवों दोनों के भवनों के लिये प्रयुक्त हुआ है, परन्तु स. स. में प्रासाद का पारिभाषिक प्रयोग देवमन्दिर के लिये है। अतः उपर्युक्त विभिन्न राजानुजीवियों एवं राजपरिवार के सदस्यों के प्रासादों और अध्याय निर्दिष्ट आयतन इन दोनों की संगति कैसी? पुनः स. स. इस अध्याय के अन्तिम श्लोक में स्पष्ट कहता है—

“इति कथितदिगादिभेदयोगे, सुरभवनानि भवन्ति यस्य राज. ।

अविरतमुदितोदितप्रतापः स्वभुजजिता स चिरंप्रशास्ति पृथ्वीम् ॥”

यहाँ पर इन प्रासादों की सूचना सुर-भवनों से दी गई है। अतः लेखक के मत में आयतन का अर्थ छोटे मन्दिरों से है। बड़े-बड़े प्रासादों (देव-मंदिरों) का निर्माण अधीश्वरों के द्वारा ही सम्पन्न होता था। अपूर्त की धार्मिक मिट्टि के लिये ही वापी, कूप, तड़ाग एवं देवतायतनों की निर्माण-परम्परा इस देश में पल्लवित हुई—इस तथ्य की ओर पहले ही संकेत किया जा चुका है। अतः प्रासाद की विपुल एवं विस्तृत परिधि (क्षेत्र) में ही यदि राजानुजीवी एवं राजपरिवार के सदस्य अपनी भक्ति के अनुसार देवायतन निर्माण कराना चाहते हैं तो उन्हीं की मान-व्यवस्था, द्रव्य व्यवस्था वास्तु-व्यवस्था एवं भूपा-व्यवस्था के वास्तु-शास्त्रीय नियमों का यहाँ पर प्रतिपादन है। इस सम्बन्ध में ग्रंथ का यह सुझाव है कि भूमिपाल के प्रासाद की रचना से इन आयतनों की रचना उत्कृष्ट नहीं होनी चाहिये। संस्थान, मान, विस्तार तथा उच्छ्रय (ऊँचाई) में राज-प्रासाद में इन आयतनों को थोड़ा अग्रव्य हीन होना चाहिये (स. स. ५. १. १७-१६)।

भवनविद्या के दो प्रधान विषयों—प्रारम्भिक कृत्य एवं राज-भवन—की समीक्षा के उपरान्त जनभवनों की विन्यास-प्रक्रिया एवं विभिन्न भवन-समूहों की मंजित समीक्षा का अग्रसर आता है। इन जन-भवनों को शाला की मंजा दी गई है। शालाओं की संख्या के अनुसार इनके दस प्रधान वर्ग प्रकल्पित किये गये हैं—एकशाल, द्विशाल, त्रिशाल, चतुश्शाल, पञ्चशाल, षट्शाल, सप्तशाल, अष्टशाल, नवशाल तथा दशशाल। ये भेद उपलक्षण-मान हैं। प्रायः जनावाओं में चतुश्शाल ही सर्व-साधारण एवं सनातन में प्रसिद्ध

भारत का जन-भवन है। मृच्छकटिक नाटक से चतुश्शाल की इस प्राचीन परम्परा पर पूर्ण प्रकाश पड़ता है।

शाल-भवनों की सविस्तर समीक्षा—जन्म, विकास, विभिन्न वर्ग आदि आदि—आगे के 'भवन' पटल में द्रष्टव्य हैं। यहाँ इतना ही संकेत आवश्यक है कि इन शाल-भवनों पर समराङ्गण में सात अध्याय हैं। २३वें अध्याय में एकशाल, २२वें में द्विशाल, २१वें में त्रिशाल, १६वें में चतुश्शाल, २५वें में पञ्चशाल से लगाकर दशशाल भवनों का वर्णन है। २०वें एवं २४वें अध्यायों (निम्नोच्चादिफल तथा द्वार-पीठ-भित्तिमानादि) में शाल-भवनों के विशिष्ट भेदों के उल्लेख के साथ भवन-निवेश के अन्य विभिन्न आवश्यकीय कार्यों पर प्रवचन है। इन सभी विषयों की सविस्तर समालोचना 'भवन' पटल में इतस्ततः फैली हुई है विशेषकर "भवन-रचना के उपनियम" (विल्डिंग वाइज़लाज़) विशेष स्मरणीय है। स. सू. के भवन-वास्तु के इन तीन प्रधान विषयों के उपरांत क्रम-प्राप्त भवनद्रव्य, भवनाङ्ग, चुनाई (चेय) तथा भवन-भूपा—इन विषयों पर ५ अध्यायों की सामग्री का अवलोकन करना है।

प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत में भवन निर्माण में काष्ठ का बहुत प्रयोग होता था। छतों में लकड़ी की धन्नियों पड़ती थी। लकड़ी के नक्कासीदार खम्भे होते थे। आज भी ग्रामीण भवनों की यही कहानी है। इसका प्रधान कारण काष्ठकी सुव्योपलब्धि के साथ-साथ इस देश में बहुत काल तक हिन्दुओं का यह विश्वास रहा है कि पापाण का प्रयोग जनावार (सेकुलर विल्डिंग) में वर्ज्य है। कामिकागम का यह प्रवचन "शिलास्तम्भं शिलाकुड्यं नरावासे न कारयेत्" इस तथ्य का समर्थक है। अतः भवन-द्रव्य के ऊपर समराङ्गण में केवल 'वन-प्रवेश' नामक १६वा अध्याय ही है। इस अध्याय में वन-प्रस्थान के शुभ मुहूर्त, वृत्त-परीक्षण, वृत्तों का वय, भवनो-चित्त वृत्त, भवन के वर्ज्य वृत्त, वृत्तप्रमाण, वृत्त-च्छेदन-विधि, वृत्तपात के शुभाशुभ लक्षण, वृत्तगर्भित जन्तु-विशेषों के परिज्ञान-सूचक मण्डलों एवं एतत्सम्बन्धी अन्य विवरण भरे पड़े हैं। म० प० के 'भवन-द्रव्य' अध्याय में इन सबकी सविस्तर चर्चा है।

'गृह-द्रव्य-प्रमाण' नामक २८वें अध्याय में भवनाङ्गों की चर्चा है। द्वारप्रमाण, द्वार-शाखाओं (डोर फ्रेम्स) तल की ऊँचाई, शाला का प्रमाण, तल की न्यास-विधि के साथ-साथ भवनाङ्गों के सर्वप्रमुख अंग स्तम्भ पर विशेष विवेचना की गई है। चौकोर, गोल, अष्टकोण तथा षोडशाश्रि (१६ कोनोवाला) विभिन्न प्रकार के स्तम्भों के साथ-साथ उनकी रचना के विच्छित्तियों (मॉलिङ्ग्स) जो कि एक दर्जन के करीब हैं उन सब की चर्चा है। इनके उपरांत भवन के अन्य अंगों का भी विवेचन है—जैसे ४ प्रकार की छतें—भूत, तिलक आदि। अन्त में सिद्धकर्ण आदि रचना-विशेषों का भवन में वर्जन बताया गया है। इस सामग्री की समीक्षा भ. प. के 'स्तम्भ' एवं 'द्वार' अध्यायों में की गई है। 'द्वार गुण दोष' नामक ३६वें अध्याय की सामग्री की यहाँ पर पुनरावृत्ति न कर 'द्वार' अध्याय में ही द्वारसम्बन्धी विभिन्न वास्तु-सिद्धांतों के विवेचन के साथ द्वाग्वेध पर भी प्रकाश डाला गया है।

'चयविधि' नामक ४१वें अध्याय में राजगीरी के परम कौशल चुनाई के मर्म का बड़ा सुन्दर समुदायन किया गया है। चुनाई के जिन तीन गुणों की तालिका इस ग्रन्थ में दी है

वह किसी भी वास्तु शास्त्रीय ग्रन्थ में नहीं मिलती। यही नहीं आधुनिक विकसित वास्तु-कला में भी चुनाई के इतने मार्मिक गुणों का शायद ही समुल्लेख मिल सके। चुनाई के गुणों के साथ चुनाई की प्रक्रिया तथा उसमें सहायक अन्य साधनों पर भी सुन्दर विवेचन है। भ. प. के 'चयविधि' नामक अध्याय में इन सिद्धांतों के विस्तृत विवरण दिये गये हैं। खराब-चुनाई के कतिपय पारिभाषिक शब्दों की समीक्षा के साथ चय-दोषों का भी वर्णन है।

'अप्रयोज्य-प्रयोज्य' नामक ३४वें अध्याय में भवनो में किन-किन चित्रों अथवा मूर्तियों की योजना करनी चाहिये और किन की नहीं, इस सामग्री का भी पूर्ण उपयोग भ० प० में अवलोकनीय है। यह किसी से छिपा नहीं है कि इस देश में भवन-भूपा के बहुत उपकरणों की एक अति पुरातन परम्परा है। इस परम्परा में मनोवैज्ञानिक रहस्य भी निहित है। विघ्नहारी गणपति गणेश की प्रतिमा से अलंकृत द्वार आज भी देखे जाते हैं। समराङ्गण एक हाथ के प्रमाण की इष्टदेवता अथवा कुलदेवता, प्रतीहार, प्रतीहारिया, अष्टमंगला गौरी, पद्मासना लक्ष्मी, सवत्सा धेनु, पत्रजातिया, लतायें, हंस, सारस, कमलिनी, विटप, उद्यान-भूमियाँ, ऋतु, जलाशय, शुक्र-सारिकायें आदि पक्षी भवन में प्रयोज्य माने गये हैं। अप्रयोज्यों में दैत्य, ग्रह, यज्ञ, गन्धर्व, राजस, पिशाच, पितर, प्रेत आदि, दोला-क्रीडायें, पीडित, देवासुर-मंग्राम, राजयुद्ध, मृगया, रौद्र, करुण, अद्भुत आदि रस, हस्तियान, अश्वयान, रथयान, विमान, अनल-प्रदीप्त-भवन, अथवा वन; पुष्प-फल-विहीन वृक्ष, गृध्र, उलूक आदि पक्षी, गज, अश्व, महिष, उष्ट्र, माजीर, खर, वानर, सिंह, व्याघ्र तरजु, वराह, मृग, जम्बुक आदि पशु उल्लिखित हैं।

भवन के प्रमुख पाँच विषयों—प्रारम्भिक वास्तु-कार्य एवं कर्मकारण्ड, राज-भवन, जन-भवन, भवन-द्रव्य-चय भूपा तथा दोषादि में प्रथम चार की इस स्थूल समीक्षा के उपरान्त भवन-दोषों से बचने का प्रयत्न करना चाहिये। भवन-दोषों में निवेश आदि द्रव्य-संयोजनादि संस्थान, मान एवं चय आदि के नियमों के उल्लंघन से जो दोष आपतित होते हैं वे तो सहज ही बोधगम्य हैं। परन्तु भवन-वेध, भवन अथवा भवनाङ्ग-भङ्ग का क्या रहस्य है—यह समझना आवश्यक है। इस विषय की विस्तृत समीक्षा भ० प० के 'भवन दोष' के अध्याय में की गयी है। यहाँ पर इतना संकेत आवश्यक है कि समराङ्गण का यह विषय-विवेचन भी प्रौढ एवं सर्वाङ्गीण तथा समृद्ध है। ऐसी सामग्री किसी भी वास्तु-ग्रन्थ में अप्राप्य है।

इन विषयों पर ग्रंथ में 'द्वार-भङ्ग-फल' नामक ४३वें अध्याय, 'तोरण-भंग' नामक ४६ वें अध्याय तथा 'गृह-दोष-निरूपण' नामक ४८ वें अध्याय में कोशीय सामग्री भरी है। 'द्वाग-गुण-दोष' नामक ३६ वें अध्याय की समीक्षा में पीछे भवन के एक अत्यन्त महत्वपूर्ण अङ्ग-द्वार-के दोषों पर पूर्व ही संकेत हो चुका है। 'द्वार-भङ्ग-फल' की सामग्री में विशेष उल्लेखनीय बात यह है कि कोई भी वास्तु-कृति यदि सुन्दर न लगी, आकर्षण न प्रदान कर सके तो उस कृति को दोष मंत्री ही समझना चाहिये। वास्तु-कृति की यह प्रमुख विशेषता सुन्दरता कला के एक महान तथ्य की ओर संकेत करती है। सत्य, शिव, सुन्दर की सम्मिलित प्रतिष्ठा ही तो कला का चरम ध्येय है। पुनः वास्तु कार न्यपति की कृति

भी तो कवि की कल्पनामयी कविता की भाँति, गायक के गीत की भाँति, स्वप्न-द्रष्टा के स्वर्णम-स्वप्न की भाँति एक अभिनव, अद्भुत एवं आह्लादकारी रसांभूति कराती है। शुभ अर्थात्-शिव की भावना में यहाँ की संस्कृति का जीवन है। शुभ और सुन्दर का परिपाक तभी परिनिष्ठित हो सकता है जब सत्य का साथ कभी न छूटे। यहाँ पर प्रकृत में सत्य का सम्बन्ध पारदर्शी मन्त्रद्रष्टा ऋषियों की रहस्य-विद्या के समान वास्तु-शास्त्र के नियमों का सम्यक् पालन है। संस्थान, मान, निवेश, द्रव्य-योजना, चय-विधि एवं भूषा-विधान के जो नियम निर्दिष्ट हैं उनका अपालन अथवा अर्धपालन, दोषों, वेधों एवं भंगों को जन्म देता है। मनुष्य की बुद्धि परिमित है। गलती करना उसका स्वभाव है। अतः पूर्वजों ने शाक्त-विधान की आवश्यकता समझी। दोष-शमनार्थ, एवं अशुभ-निराकरणार्थ शाक्त विधान परमावश्यक है। अतएव इसी परम्परा के अनुरूप समराङ्गण में भी 'शान्तिकर्म-विधि' नामक ४२ वीं अध्याय लिखा गया है।

वास्तु विद्या की दृष्टि से यह अध्याय बड़े महत्व का है। वैसे तो इस अध्याय का प्रतिपाद्य विषय भंगाने दोषों के शमनार्थ शाक्तिक है, परन्तु भवन के अंगों (विशेषकर गृहद्वार) के भंग-निर्देश एवं शाक्तिक-प्रवचन में अनन्यास ही वास्तु-कला की बड़ी सामग्री—परिभाषिक पदावली—हाथ लगती है। इसका उपयोग 'समराङ्गणीय कोप की संक्षिप्त सूची' में किया गया है।

यन्त्र-घटना—

यह संकेत किया जा चुका है कि समराङ्गण का 'यन्त्र-विधान' नामक ३१वाँ अध्याय इस ग्रन्थ की विशिष्टता ही नहीं बल्कि एक अपूर्व देन भी है। इसके अतिरिक्त भारतीय वास्तु-कला के व्यापक एवं अति विस्तीर्ण कलेवर की भी सूचना इसमें मिलती है। इस अध्याय की पूर्ण सामग्री का इस ग्रन्थ के 'यन्त्र-पटल' के ६ अध्यायों में पूर्ण उपयोग किया गया है। यन्त्र-शब्द-निर्वचन एवं उसकी परिमापा, यन्त्र-बीज यन्त्र-गुण, यन्त्र-कार्य, यंत्रों के विभिन्न वर्ग—कीड़ा-यन्त्र, सेवक-यन्त्र, यान-यन्त्र, द्वारपाल-यन्त्र, योध-यन्त्र, वारि-यन्त्र, धारा-यन्त्र रथदोला-यन्त्र, एवं विमान-यन्त्र आदि आदि के साथ यन्त्र-विद्या का परम्परागत कौशल एवं उसकी पुरातन परम्परा पर भी एक विहंगम दृष्टि डाली गई है। अतः यह सब वहीं पर पठनीय है।

भवन फर्नीचर—

'शयनामनलक्षण' नामक २६वें अध्याय में शय्या, आसन आदि काष्ठ-कला पर विवेचन है। यह विवेचन भी बड़ा ही वैज्ञानिक है। विभिन्न वर्गीय स्थपतियों में भवन (पुर, प्रसाद तथा राजहर्म्य) निर्माता स्थपति, एवं प्रतिभा-निर्माता, पापण-कला-कोविद का कौशल ही वास्तु-कला नहीं है, तत्काल की काष्ठ-कला का भी उसमें महत्वपूर्ण स्थान है।

शय्या का निर्माण किन-किन वृत्तों की लकड़ी से शुभ माना गया है ? उसकी कितनी ऊँची होनी चाहिये ? शय्या के प्रयोग करने वाले विभिन्न वर्गीय पुरुषों की प्रतिष्ठा के अनुरूप उसकी कौन कौन सी मान-योजना होनी चाहिये ? उनके विभिन्न अंगों के क्या

परिमाण हैं ?—आदि आदि पर विशेष विचार किया गया है। राजा की शय्या का प्रमाण उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ प्रभेद से १०८ अंगुल (६ फीट), १०४ अंगुल तथा १०० अंगुल होना चाहिये। इसी प्रकार कुमारों, सेनानियों, पुरोहितों, ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों एवं शूद्रों की शय्याओं के परिमाण का उल्लेख है। यह समझ में नहीं आता कि शूद्र-शय्या ६४ अंगुल की क्यों प्रतिपादित की गई है ? यह तो ४ फीट भी लम्बी नहीं होती (१८ अंगुल = १ फीट)। सम्भवतः शूद्रों के लिये यह हीन परिमाण इस तथ्य की ओर इंगित करता है कि योगियों के लिये भी अगम्य सेवा-धर्म वाले शूद्र-सेवकों के लिये शुभ शय्या समीचीन नहीं है। शय्या के सम्बन्ध में एक दो तथ्यों का और निर्देश करना यहाँ अप्रासंगिक न होगा। एक-द्रव्यज्ञा (एक ही किस्म की लकड़ी से निर्मित) ही उत्तम मानी गई है। द्विदारु-घटिता शय्या अशुभ है और त्रिदारु-घटिता शय्या में स्वामी का मरण नियत है (२६.२३)। शय्या की लकड़ी में छिद्र नहीं होने चाहिये। पट्ट-विध छिद्रों (निष्कुट, कोलटक्, क्रोडनयन वत्स-नाभक, कालक, बन्धक) के वर्णन से तत्कालीन काष्ठ-कला के समुन्नत एवं वैज्ञानिक रूप के दर्शन हाते हैं। शय्या की भूषा आदि पर भी प्रवचन है। स्वर्ण, रूपाय (रजत), गजदन्त (हाथी दाँत) अथवा आरकूट से शय्या के अंगों को नद्ध रना चाहिये। इसीप्रकार से आसन, कंकत, दर्वी और पादुका का भी वर्णन है।

प्रासाद-वास्तु—

समरागण के इन्जीनियरिंग कौशल का हम दर्शन कर चुके। विभिन्न प्रकार के पुरों एवं भवनों की निर्माण-विद्या का ज्ञानार्जन भी हम कर चुके। राजमवनों के ऐश्वर्य एवं सुषमा का भी कुछ अवलोकन हुआ। यन्त्र-विमानों पर भी हम उड़ चुके। अवसर प्राप्त होता है कि अब हम प्रासादों की पुण्यभूमि पर विचरण कर उनमें प्रतिष्ठित प्रतिमात्रों के दर्शन करें। ऐहिक एवं आसुषमिक श्रेयस् के समन्वय का यही मर्म है। धर्म की इसी महाभावना से हमारी सभी विचार्यें अनुप्राणित हैं।

स० सू० के प्रासाद-वास्तु की महत्ता का साधारण संकेत किया जा चुका है। इसके सागोपाग विवेचन में इस ग्रंथ के एक बृहत् पटल का प्रणयन किया गया है। प्रासाद वास्तु का जन्म एवं विकास, निर्माण की विभिन्न परम्परायें, अथवा शैलियाँ, प्रासाद के विभिन्न वर्गादि की समीक्षा के साथ-साथ प्रासाद-निवेश के आधारभूत सिद्धान्तों—संस्थान, मान, द्रव्य, कर्तृकारक, प्रतिष्ठापन आदि—का सविस्तर परिशीलन वहीं प्राप्त है। मध्यकालीन प्रासाद-वास्तु में किन-किन देवों का उदय हो चुका था जिनकी प्रतिष्ठा के लिये इन प्रासादों का निर्माण होता था, और जिनकी प्रतिष्ठा से अपूर्तसम्पादन में पूर्ण सिद्धि समझी जाती थी—इस तथ्य की ओर भी पाठकों का ध्यान आकषित किया गया है। प्रासाद-संस्तवन (टेम्पुल डेडीकेशन) का यही मर्म है।

प्रासाद-वास्तु पर समरागण में बीस बड़े-बड़े अध्याय हैं (देखिये स० सू० की सुसम्बद्ध विषयानुक्रमणी) जो ग्रन्थ का आधा कलेवर निर्माण करते हैं। हिन्दुओं की प्रासाद-कल्पना वास्तव में हिमालय से भी ऊँची है और सागर से भी अधिक गहरी है।

प्रासाद जगद्ब्यापी विश्व-नियन्ता का प्रतीक एवं प्रतिकृति दोनों ही हैं। यही कारण है कि मध्यकालीन प्रासाद-वास्तु-परम्परा में प्रासाद में प्रतिष्ठित केवल प्रतिमायें ही नहीं पूज्य हैं, वरन् प्रासाद स्वयं पूज्य है (देखिये प्रासाद प्रदक्षिणा के लिये प्रासादों की अन्ध-कारिकायें Circum—ambulatory-passages)। इन सभी रहस्यों के समुद्घाटन का प्रयत्न 'प्रासाद'-पटल में किया गया है। प्रासादों के इन विभिन्न अर्थों के संक्षेपाभाव के लिये स्थानाभाव ही कारण है।

प्रतिमा-विज्ञान—

समरागण का प्रतिमा-निवेश भवन-निवेश एवं प्रामाद-निवेश के समान विस्तृत नहीं हैं। परन्तु फिर भी वह अपूर्ण नहीं कहा जा सकता। प्रतिमा-विज्ञान के सर्वसाधारण सभी सिद्धान्तों पर विवेचन है। विशेषता इस बात की है कि इसका मुद्रा-विज्ञान नाट्य-शास्त्र की हस्त-मुद्राओं से विशेष प्रभावित है। सम्भवतः प्रतिमा-कला में भी नाट्य-कला एवं काव्य-कला के समान अभिनय की योजना से मौन देवों और देवियों को विभिन्न भाव-भङ्गियों से भूषित कर समराङ्गण ने प्रतिमा-कला में रसास्वादन की प्रतिष्ठा के साथ-साथ देवों के मौन-व्याख्यान से देव-भक्तों की परम-प्रीति के लिये साधन एकत्रित कर दिये।

प्रतिमा-विज्ञान पर लिखित १४ अध्यायों की सामग्री की समीक्षा के लिये इस ग्रन्थ में दो पटलों का प्रणयन किया गया है—'प्रतिमा-विज्ञान' तथा 'चित्रकला'।

'प्रतिमा-विज्ञान' पर इस विभाजन के अनुरूप ८ अध्याय हैं जिनके तीन प्रधान विषय हैं—प्रतिमा-लक्षण, प्रतिमा-मान तथा प्रतिमा-मुद्रा। लिङ्ग-पीठ प्रतिमा-लक्षण नामक ७० वें अध्याय में लिङ्ग-प्रतिमाओं की रचना-पद्धति पर सागोपाग विवरण—लिङ्गमेद, लिंग-द्रव्य, लिंग-अवयव, रेखा, आदि प्रस्तुत किये गये हैं। 'देवादि-रूप-प्रहरण-सयोग-लक्षण' नामक ७७वें अध्याय में विभिन्न देवों, देवियों, दिक्पालों, यदों, गन्धर्वों, राक्षसों आदि के प्रतिमा-लक्षण दिये गये हैं। 'प्रतिमा लक्षण' नामक ७६ वें अध्याय में प्रतिमा निर्माण के द्रव्यों (materials of icons) के विवरणों के साथ-साथ पुरुष प्रतिमा तथा स्त्री-प्रतिमा दोनों के अंगों, उपागों—चरण-नख से शिर-केश तक—के निर्माण के विवरण दिये गये हैं।

'दोष-गुण-निरूपण' नामक ७८वें अध्याय में प्रतिमाओं के दोषों और गुणों का बड़ा ही मार्मिक विवेचन है। इसने भारतीय स्थापत्य मूर्ति-निर्माण-कला के महान् अशु-स्थान का परिचय प्राप्त होता है। प्रतिमा-विज्ञान में मान-मर्यादा का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। यही कारण है शास्त्रानुरूप प्रतिमा की मान-व्यवस्था एवं संस्थान व्यवस्था (विभिन्न अंगों की रचना) पर किन्हीं-किन्हीं आलोचकों ने बड़ी कटु आलोचना की है। परन्तु ग्रीक अथवा रोमन मूर्ति-निर्माता के समान भारतीय प्रतिमा-निर्माता का एक मात्र ध्येय सौन्दर्य की निष्ठा नहीं है। दर्शन एवं धर्म, संस्कृति एवं पुराण ने सदैव हिन्दू-जीवन को प्रभावित रखा। भारतीय स्थापतिकों की बनने बड़ी निष्ठा भारतीय आत्मा के अक्षुण्ण रक्षण के

परम अश्विनकी की ओर रही है। अतएव अध्यात्म से अनुप्राणित भारतीय मूर्तियों को भौतिक दृष्टि से ही देखना कहाँ तक उचित है ?

‘पंच-पुरुष-स्त्री-लक्षण’ नामक ८१वें अध्याय में देवों एवं देवियों के प्रतिमा-मान के लिये पाँच पुरुष-माडेल्स जैसे हंस, रुचक् आदि तथा पाच ही स्त्री-माडेल्स जैसे बलाका, पौषपी आदि निर्धारित किये गये हैं। देश-विशेष के अनुरूप न केवल वस्त्र एवं आभूषण ही देव-वस्त्र एवं देव-आभूषण परिकल्पित होते हैं वरन् देश-विशेष के मानव-जाति के सामान्य मान भी देव-मान परिकल्पित होते हैं।

‘ऋज्वागतादिस्थान-लक्षण’ (७६) ‘वैष्णवादि स्थानक-लक्षण’ (८०) तथा पताकादि-चतुष्पाष्टि-हस्त-लक्षण (८३)—इन तीनों अध्यायों में प्रतिमाओं की शरीर-मुद्राओं, पाद-मुद्राओं तथा हस्त-मुद्राओं का वर्णन है।

चित्र कला—

इस प्रकार प्रतिमा-विज्ञान के ८ अध्यायों की इस सूचना के उपरान्त अन्त में चित्रकला पर लिखित ६ अध्यायों की चर्चा के उपरान्त इस स्तम्भ को यहीं समाप्त करना है।

सर्वप्रथम ‘चित्रोद्देश’ नामक ७१वें अध्याय में चित्रों की प्रशंसा में चित्र को समरङ्गण ने सव शिल्पों का मुख तथा लोक का प्रिय अर्थात् प्रियकला—“चित्रं हि सर्वशिल्पानां मुखं लोकस्य च प्रियम्”—कहा है। पुनः चित्र के आधार (background)—पट, पट्ट, कुड्य आदि पर संकेत करने के उपरान्त ‘चित्र’ के उद्देश्य अर्थात् चित्रणीय पदार्थों पर प्रकाश डाला है। अन्त में इस अध्याय में चित्रकर्म के उपयोगी अंगों-वर्तिकाभूमि, वन्धन, लेप्य, रेखा, वर्णकर्म, वर्तना आदि अष्टाङ्ग—का वर्णन किया गया है।

‘भूमिवन्ध’ नामक ७२वें अध्याय में चित्राधार के प्रभेदों की विस्तृत विवेचन की सुन्दर सामग्री मिलेगी। ‘लेप्यकर्मादिक’ ७३वें अध्याय में यथानाम प्रतिमाओं के चित्रण में उपयोगी लेप्य रङ्ग आदि तथा कूर्चन (ब्रुश) आदि की प्रक्रिया एवं प्रभेद क्रमशः प्रस्तुत किये गये हैं।

‘अण्डक-प्रमाण’ (७४) ‘मानोत्पत्ति (७५)—इन दो अध्यायों में चित्र-कला के माडेल्स की मान-व्यवस्था में विभिन्न वर्गीय उद्देश-चित्रणीय पदार्थ-देव, मानुष, पशु, पक्षी आदि के कौन-कौन रूप हैं, कौन-कौन मान—इन सब पर विवरण देखने को मिलते हैं। इन सबकी विस्तृत समीक्षा ‘चित्र-पटल’ में की गयी है।

अन्त में एक अध्याय और शेष रह जाता है जो चित्र-कला में काव्य-कला के समान अभिनय-योजना एवं रस परिपाक करता है। ‘रसदृष्टि-लक्षण’ नामक ८२वें अध्याय का यही मर्म है।

समराङ्गण (स्थान)

वास्तु-कला के विवेचन करने वाले आधुनिक ग्रन्थों में, वास्तु परम्पराओं को, वास्तु-शैलियों' अथवा 'वास्तु-स्तम्भों' (Orders) के नाम से प्रायः पुकारा जाता है । वास्तु-विद्या के पुरातन ग्रन्थों—जैसे मानसार, मयमत, विश्वकर्माय-शिल्प, आगस्त्य-सकलाधिकार, काश्यप-अंशुमदभेद, ब्रह्मिहिर-वृहत्-संहिता, भोज-समराङ्गण-सूत्रधार आदि आदि वास्तु-शास्त्रीय ग्रन्थ—पुराण (मत्स्य, अग्नि, ब्रह्माण्ड आदि) आगम (कामिक, सुप्रभेद आदि आदि) तन्त्र (ह्यशीर्ष-पंचरात्र आदि) प्रतिष्ठा-पद्धतियों, पूजा-पद्धतियों (ईशान-शिवगुरु-देव-पद्धति, हरिमक्ति-विलास, हेमाद्रि-चतुर्वर्ग-चिन्तामणि आदि आदि) कौटिल्य-अर्थ-शास्त्र, शुक्र-नीतिसूत्र आदि अ-वास्तुशास्त्रीय ग्रन्थों के अध्ययन में निष्कर्ष निकलता है । कि इन ग्रन्थों में एक ही वास्तु-परम्परा नहीं है ।

हमारा वास्तु-साहित्य इस देश की दो प्रमुख परम्पराओं का परिचायक है । वास्तु-विद्या की ये दो परम्परायें इस देश की दो सभ्यताएँ—आर्य एवं द्राविड—के प्रतीक हैं । साहित्य समाज का दर्पण कहा गया है । अतः जैसी संस्कृति एवं सभ्यता जिस समाज की होती है उसका प्रतिबिम्ब उसके साहित्य पर अवश्य पड़ता है । वास्तु-शास्त्र की दो परम्पराओं के प्रतिनिधि ग्रंथ इस आधार-भूत दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करते हैं ।

'मानसार' आदि द्राविड-वास्तु-विद्या के प्रतिनिधि ग्रन्थों में भवनों एवं मन्दिरों के वर्ग और नाम विश्वकर्म-प्रकाश, वृहत्संहिता, मत्स्यपुराण आदि पुराणों एवं समराङ्गण-सूत्रधार आदि नागर वास्तु-विद्या के प्रतिनिधि-ग्रन्थों के भवनवर्ग एवं नाम से सर्वथा विलक्षण हैं । मन्दिरों के जो वर्ग एवं नाम पुराणों में प्राप्त होते हैं वे समराङ्गण आदि उत्तरी ग्रन्थों में मिलते-जुलते हैं । इसी प्रकार कामिक आदि आगमों के भवेनवर्ग और नाम भी पुराणों की नामावली से विलक्षण हैं । दूसरे मानमार तथा आगम आदि दक्षिणी ग्रंथों में भवनों एवं मन्दिरों को विमान का शीर्षक देकर विभिन्न वर्गों में विभाजित किया गया है । उनके नाम 'कान्त' (सूर्यकान्त, पद्मकान्त आदि) में प्रायः अन्त होते हैं । ये भेद वास्तु कहे जा सकते हैं ।

आन्तरिक भेद भी कम नहीं हैं । मन्दिरों के शिल्पों, उनकी आकृतियों, भूखण्डों एवं भूमियों में भी बहुत अन्तर है । दक्षिण के विमानाकृति अथवा रथाकृति मन्दिरों में भूमिका-योजना, बहुभूमिक गोपुर-निवेश आदि सहज प्रत्यक्ष हैं, साथ ही साथ उनका कलेवर एवं शीर्षनिर्माण भी विलक्षण है । उत्तरी वास्तु-ग्रन्थों में प्रानाद के शीर्ष को 'आमलक' की संज्ञा दी गई है तथा प्रासादों में गोपुर-निवेश का सर्वथा अभाव है । दक्षिणी विमानों के शीर्ष की संज्ञा 'रूपिका' है । इस प्रकार मण्डपों, भवनों आदि की रचना में भी दोनों परम्पराओं में विलक्षणता है । नागर, द्राविड के अतिरिक्त तीसरी शैली 'वेमर' है जिसका संकीर्तन दक्षिणी वास्तु-ग्रन्थों में प्रायः सर्वत्र किया गया है, किन्तु मत्स्य पुराण, वृहत्-संहिता तथा समराङ्गण में उसका सर्वथा अभाव है ।

अस्तु, उत्तरी एवं दक्षिणी परम्पराओं के पारस्परिक भेद-प्रभेद पर इस ग्रन्थ के 'प्रासाद' पटल में विशेष चर्चा होगी। यहाँ पर इतना ही संकेत आवश्यक था कि वास्तु-शैलियों की पारस्परिक विलक्षणताओं का आधार प्रासाद-वास्तु है। सच तो यह है कि धार्मिक उपचेतना से अनुप्राणित अभ्यात्म की अजस्र भावना-शिखा से प्रज्वलित तथा भक्ति-भावना से प्रद्योतित हिन्दू-प्रासाद ही इस देश की वास्तु-कला का सर्व-प्रमुख वास्तु-स्मारक है। जैनो के मन्दिर, बौद्धों के विहार भी इसी प्रासाद की महाज्योति से प्रकाशित हैं।

भारतीय वास्तु-कला एवं प्रासाद की इस विशेषता में इस देश की भक्ति-परम्परा बोल रही है। पूजा-वास्तु का जन्म पुराणों एवं आगमों में प्रतिपादित 'भागवतधर्म' के द्वारा हुआ है—यह सभी जानते हैं। पौराणिक धर्म—जिसका उत्तरापथ में विशेष जोर रहा तथा आगमिक परम्परा पर—जिसका केन्द्र दक्षिणा-पथ था—दोनों ने ही देवाल्यों की स्थापना तथा मूर्ति-पूजा पर विशेष जोर दिया। अतः भक्त राज-कुलों, भक्त सेठ-साहूकारा तथा भक्तजनों—सभी ने इस देश के एक कोने से दूसरे कोने तक सर्वत्र ही बहुसंख्यक मन्दिरों के निर्माण में महा-योग देकर अपनी भक्ति-भावना का परिचय दिया। विष्णु-पूजा, शिव-पूजा एवं शक्ति-पूजा इन तीनों पूजा-परम्पराओं की पारस्परिक विलक्षणताओं के अनुरूप इनके मन्दिरों की निर्माण परम्परा में भी स्वाभाविक वैलक्षण्य सम्भाव्य ही था।

अतएव दक्षिणी एवं उत्तरी वास्तु-परम्पराओं में जो पारस्परिक विलक्षणता देखें पड़ती है उसका मूलाधार उपर्युक्त धार्मिक उपचेतना थी—यह तथ्य सहज बोध-गम्य हो जाता है।

भारत की शास्त्र-निर्माण परम्परा में प्रत्येक शास्त्र का कर्ता कोई न कोई देव, ऋषि अथवा मुनि है। ब्रह्मा और शिव को विभिन्न शास्त्रों एवं विद्याओं का प्रवर्तक होने का सर्वाधिक श्रेय प्राप्त है। वास्तु-विद्या के प्रवर्तक आचार्यों में भी बहुत से देव और ऋषि हैं—यह हम देख ही चुके हैं। विश्वकर्मा और मय—इन दोनों को वास्तु-विद्या की उत्तरी एवं दक्षिणी परम्पराओं के प्रवर्तक के रूप में हम देख ही चुके हैं। इन दोनों के अतिरिक्त मत्स्यपुराण, बृहत्-संहिता और मानसार के प्रामाण्य से वास्तु-विद्या के २५ प्रवर्तकों का भी हम संकीर्तन कर चुके हैं। इनमें देव, मुनि, ऋषि एवं राजन्य सभी सम्मिलित हैं।

विभिन्न ग्रंथों में इधर-उधर फैली हुई सामग्री के प्रामाण्य से डा० तारापद भट्टाचार्य ने इन सभी आचार्यों को ऐतिहासिक पुरुषों में परिगणित किया है। ये ऐतिहासिक हैं अथवा पौराणिक—इस विवाद में पड़ना यहाँ पर उचित नहीं। यहाँ पर इस अवतारणा का एक मात्र उद्देश्य समराङ्गण-सूत्रधार के स्थान का निर्धारण है। यह समराङ्गण-सूत्रधार मध्यकालीन वास्तु-विद्या का अधिकृत एवं प्रामाणिक ग्रंथ है। इसमें वास्तु-विद्या का संस्थापक ब्रह्मा को बताया गया है। ब्रह्मा की दी हुई वास्तु-विद्या का प्रथम प्रवक्ता विश्वकर्मा हुआ। विश्वकर्मा को हम नागर वास्तु-विद्या के प्रवर्तकों में परिगणित कर चुके हैं। इसके विपरीत डा० भट्टाचार्य ने ब्रह्मा को द्राविड़-वास्तु-विद्या के प्रवर्तकों में परिगणित किया है। अतः इस समस्या का कैसे समाधान किया जाय ? दक्षिणी और उत्तरी परम्परों

भले ही जन्म एवं विक्रम में पृथक् थी परन्तु कालान्तर पाकर (पूर्व-मध्यकाल) दोनों का पारस्परिक आदान-प्रदान एवं सम्मिश्रण प्रारम्भ हुआ और समराङ्गण के समय में सम्भवतः यह पूर्णरूप में सम्पन्न हुआ । इस प्रकार एक अखिल-भारतीय हिन्दू वास्तु-शैली के हमें दर्शन होते हैं जो भिन्न होते हुए भी एक है । नागर, द्राविड, वावाड, भूमिज, वेसर आदि विभिन्न शैलियों अथवा परम्परयें एक प्रकार में इस महास्रोत की विभिन्न वारायें हैं जिनका एकमात्र लक्ष्य महाभारत की महान् आत्मा की अभिव्यञ्जना है । इस दृष्टि से समराङ्गण को हम न केवल मध्यकालीन वास्तु-विद्या का एक प्रतिनिधि ग्रन्थ मान सकते हैं वरन् अखिल-भारतीय हिन्दू वास्तु-शैली का इन्में प्रथम उद्भावक के रूप में भी प्रकल्पित कर सकते हैं ।

द्राविड वास्तु-विद्या का प्रमुख आचार्य ब्रह्मा समराङ्गण में वास्तु-विद्या का प्रथम प्रतिष्ठापक प्रतिष्ठित किया गया है । उसी ब्रह्मा ने स्वर्गीय पाँच विमानों से उन्हीं के आकार में भूतल पर प्रनादों की प्रतिष्ठा के लिये प्रतिकृतियों प्रदान की । सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने भूतल की निवेश-योजना का भार विश्वकर्मा को सौंपा । कोई भी योजना विना किमी संरक्षक के नहीं हो सकती । इस महायोजना (भूतल पर देशों, जनपदों, पुरों, ग्रामों एवं भवनों आदि) के संरक्षक के रूप में स्वर्ग महाराज पृथु को पितामह ब्रह्मा ने प्रतिष्ठापित किया । भूमि एवं वास्तु का अन्तर यह है—'भूमि' समीकृत एवं असमीकृत दोनों ही प्रकार की भूमियों की संज्ञा है । वास्तु-भूमि केवल समीकृत भूमि है । वास्तु-व्यवस्था स्थपति का काम है परन्तु समीकरण-व्यवस्था भूपति का काम है । यदि यह आधारभूत-रहस्य हम समझ लें तो पुराणों में प्रतिपादित और समराङ्गण आदि वास्तुशास्त्रों में प्रत्यावर्तित पृथु के समीकरण (गोदोहन) उपाख्यान को हम लोग पौराणिक कल्पना न मानकर एक वैज्ञानिक सिद्धांत के रूप में ले सकते हैं । अतएव समराङ्गण की वास्तु-विद्या के जहाँ पुराण-पुरुष स्वर्ग ब्रह्मा प्रतिष्ठापक हुए वहाँ महासमा पृथ्वी (वास्तु-आधार) महाराज पृथु (वास्तु-संरक्षक) एवं महास्थपति विश्वकर्मा—इस बृहत्त्रयी की कल्पना की गई है । सृष्टिकर्ता ब्रह्मा की इस वास्तु-योजना का मर्म समराङ्गण के प्रथम एव सप्तम अध्यायों में उद्घाटित किया गया है । सुशासन, सुसमाज एवं सुजीवन के विना कोई भी योजना सफल नहीं हो सकती । वर्णाश्रम व्यवस्था (स० सू० अ० ७) इन्हीं आधार-भूत सिद्धांतों की व्याख्या है ।

अस्तु, पितामह से प्राप्त वास्तु-विद्या का प्रथम आचार्य विश्वकर्मा, नागर-वास्तु-विद्या का प्रथम प्रतिष्ठापक हुआ और भारतीय वास्तु-कला की नागर परम्परा का जन्मदाता बना । समराङ्गण में विश्वकर्मा के प्रवचनों द्वारा प्रतिष्ठापित वास्तु-विद्या के प्रचारक, आग्ने के स्थपति-कुलों के प्रतिनिधि स्वर्ग उसके पुत्र प्रकल्पित किये गये ।

इस प्रकार वास्तु-परम्पराओं एवं वास्तु-विद्या के ग्रन्थों में समराङ्गण के स्थानाङ्कन में एक और विशेष उल्लेखनीय बात है कि जहाँ यह उत्तरी परम्परा अथवा नागर स्तूप का एक प्रमुख एवं प्रतिनिधि ग्रन्थ है वहाँ यह—जैसा पूर्व निर्देश किया जा चुका है—अखिल भारतीय हिन्दू-शैली का भी प्रथम उद्भावक है । साथ ही साथ इन्होंने अपनी एक नई शैली की भी उद्भावना की है । इसको विद्वानों ने 'लाट'-शैली का नाम दिया है । लाट गुजरात की पुगतन संज्ञा है । अतः गुर्जर-प्रदेश में विकसित इस शोभावहुल शैली का नाम लाट पड़ा ।

समराङ्गण के कर्ता महाराज भोज की नगरी 'धारा' गुजरात के समीप होने के कारण अपने पड़ोसी प्रदेश को प्रभावित करना अथवा उससे स्वयं प्रभावित होना—दोनों ही सम्भाव्य है। अथच अग्निपुराण में एवं हयशीर्ष-पञ्चरात्र में जिन ४५ प्रासादों का साट-शैली में उल्लेख है वे ही अविकलरूप से समराङ्गण में वर्णित हैं। परन्तु उनकी संख्या यहाँ पर ४५ से ६४ हो गई है।

अस्तु, इस अति संक्षिप्त विवेचन से हम समराङ्गण के स्थान का मूल्याङ्कन कर सकते हैं। जहाँ तक इसकी देनों का सम्बन्ध है उनकी स्थल-स्थल पर सावसर स्पष्ट रूप से समीक्षा की गई है।

वास्तु-विद्या

विस्तार एवं विषय

समराङ्गण वास्तु-शास्त्रीय पुराण है। समराङ्गण के प्रथम सात अध्यायों में वास्तु-विद्या के व्यापक स्वरूप, विस्तार एवं विषयों की पौराणिक शैली में बड़ी सुन्दर अवतारणा की गई है। तीसरे अध्याय के उपोद्घात में 'महासमागमन' तथा 'विश्वकर्मा और उसके पुत्रों का सम्वाद' इन दो अध्यायों में प्रतिपादित वास्तु-प्रयोजन एवं वास्तु-सृष्टि की ओर संकेत किया ही जा चुका है। साथ ही साथ भारतीय वास्तु-विद्या के व्यापक स्वरूप पर भी संकेत किया जा चुका है। इस अध्याय में समराङ्गण के 'प्रश्न' नामक तीसरे अध्याय की विशेष सामग्री का विशेष उपयोग करना है, जिसमें वास्तु-विषयों की जानकारी के लिये विश्वकर्मा के ज्येष्ठ पुत्र जय ने महाजिज्ञासा की है। शास्त्र-प्रतिपादन एवं तत्व-विवेचन में प्रश्नोत्तर की प्रणाली इस देश के शास्त्रकारों एवं साहित्यकारों की एक पुरातन पद्धति है। समराङ्गण में भी—जैसा चौथे अध्याय (समराङ्गण का स्थान) में कहा गया है—पितामह ब्रह्म से प्राप्त वास्तु-विद्या के प्रथम प्रवक्ता एवं आचार्य विश्वकर्मा के द्वारा वास्तु-विषयों के (अ० ३) की जय-जिज्ञासा के समाधान एवं उत्तरों में ही समराङ्गण की वास्तु विद्या के सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया गया है। यहाँ पर वास्तु-विस्तार के विवेचन में समराङ्गण की सामग्री के सम्यन्ध में इतना संकेत और आवश्यक है कि 'महदादिसर्ग' नामक चौथे अध्याय, 'भुवन कोश' नामक ५ वें अध्याय तथा 'वर्णाश्रम-प्रविभाग' नामक ७ वें अध्याय में प्रतिपादित सृष्टि-वर्णन, भूगोल एवं वर्णाश्रम-व्यवस्था से वास्तु-विद्या के विस्तार पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। अतः क्रमशः वास्तु-विस्तार में सार्वभौमिक, दार्शनिक खगोलीय, भौगोलिक तथा स्वातन्त्रिक इन प्रमुख पाँच दृष्टिकोणों से वास्तु-विस्तार का विवेचन किया जा सकता है।

(अ) सार्व-भौमिक दृष्टिकोण

भारत के सभी विज्ञान अध्यात्म से सदैव प्रभावित रहे। वास्तु-ब्रह्म-वाद के दार्शनिक दृष्टिकोण में वास्तु की विश्वव्यापकता अन्तर्हित है। हिन्दुओं के गन्द-ब्रह्म-वाद, नाद-ब्रह्म-वाद एवं रस-ब्रह्म-वाद की कल्पना के समान ही वास्तु-ब्रह्म-वाद की कल्पना भी संगत है। सच तो यह है कि भारत के विज्ञान को दर्शन से अलग नहीं किया जा सकता है। बिना दार्शनिक दृष्टिकोण के विज्ञान अर्ध-विज्ञान ही है। बिना धार्मिक एवं दार्शनिक उपचेतना के विज्ञान शुष्क-काष्ठ के समान केवल जलाने योग्य है। बिना अध्यात्म में अनुप्राणित शुष्क विज्ञान जीवन का सहायक न होकर संहारक बन जाता है। हिन्दुओं की वास्तु-कला की प्रतिनिधि एवं प्रमुख कृति प्रासाद है। प्रासाद-कला के सिद्धांत, धर्म और दर्शन की महाभावना ने नीचे से उपर तक अनुप्राणित हैं। प्रासाद स्वयं देव-प्रतिमा है।

भूतल पर स्वर्गीय देव का प्रतिष्ठापक यह प्रासाद अपने प्रत्येक अवयवों से, संस्थान, मान, निवेश आदि विभिन्न प्रक्रियाओं से इस तथ्य का एक जीता जागता तथ्य है।

अस्तु, वास्तु के सार्वभौमिक स्वरूप की समीक्षा में वास्तु-ब्रह्मवाद की ओर ऊपर संकेत किया गया है। इसका क्या मर्म है ? वास्तु शब्द का मर्म योजना (प्लानिंग) है। किसी भी रचना, निर्माण, अथवा सृष्टि के पूर्व योजना आवश्यक है। योजना और सृष्टि दोनों सहोदर बहनें हैं। समराङ्गण (अ० २.४) में साफ लिखा है कि ब्रह्मा ने इस जगत् की सृष्टि के पहले वास्तु की सृष्टि की। अतः विश्वव्यापी दृष्टिकोण से विश्व की यह सृष्टि एक सयोजना रचना है। योजना सृष्टि एवं संसार दोनों का मर्म है। सामाजिक एवं राजनैतिक क्षेत्र में भी बिना योजना के काम नहीं चल सकता। राजा और राज्य की कल्पना देश के शासन की योजना है। वर्णाश्रमव्यवस्था समाज एवं व्यक्ति दोनों के जीवनो की योजना है। इसी योजना के द्वारा सुनियन्त्रित राष्ट्र, सुसंगठित समाज एवं सुसंस्कृत व्यक्ति का निर्माण होता है। अतः विश्व के एक छोटे भाग इस महासमा (पृथ्वी) के निवेश के लिये समराङ्गण में एक संरक्षक शासक (राजा पृथु) निवेशकर्ता (प्लानर) अर्थात् स्थपति (विश्वकर्मा) तथा योजना का आधार स्वयं महासमा—इस वास्तु-त्रयी (देखिये स. सू. प्रथम अ०) की श्रवतारणा का यही व्यापक मर्म है। पुराणों में प्राप्त महाराज पृथु का गोदोहन अथवा भू-समीकरण का भी यही मर्म है। ऊबड़-खाबड़, ऊँची-नीची भूमियों, सरिताओं और पर्वतों, वनों और झरियों से आक्रान्त भूमिको निवेशयोग्य बनाने के लिये पृथु ऐसे महान् और कठोर शासक (पृथु को यम का प्रतिनिधि माना गया है) चाहिये। महाराज पृथु के इसी समीकरण ने पृथ्वी को पृथ्वी बनाया (पृथो. इयं पृथ्वी)।

दार्शनिक एवं पौराणिक दृष्टिकोण को हम न भी मानें तो भी इस तथ्य से किसका वैमत्य हो सकता है कि जब हम अपने घर के निर्माण की योजना बनाते हैं तो अपने पड़ोस, पद के चतुर्दिक वातावरण तथा बसती आदि का अवश्य विचार करते हैं। इसी प्रकार जब हम किसी पुर की स्थापना करने जाते हैं तो उसकी प्राकृतिक स्थिति—भूमि, जल, वायु, अन्न, वृक्ष आदि जीवनोपयोगी साधनों के साथ-साथ देशविशेष अथवा जन-पद विशेष की विशिष्टताओं पर भी ध्यान देते हैं। पुर-निवेश में देश-विशेष एवं जन-पद-विशेष की यह परीक्षा जब और आगे बढ़ती है तब पुरसमूह राष्ट्र के सम्पूर्ण भूगोल—नदियों, पर्वत, समुद्र, वन आदि पर विचार आवश्यक हो जाता है। परन्तु कोई भी देश कितना ही सुसंगठित हो, सुनियोजित हो अथवा सुशासित हो वह अपने पड़ोसी देशों के प्रभाव से नहीं बच सकता। अतः एक देश की योजना में दूसरे देशों की योजना सुतरा समापतित हो जाती है। पुर से जब बड़े तो राष्ट्रों एवं देशों में आये। देश की ओर दृष्टि डाली तो दूसरे देशों तक चली गई। इससे यह सिद्ध हुआ कि देश-योजना में दूसरे देशों की योजना का प्रभाव अवश्य पड़ता है। अन्तर्देशीय अथवा अन्तराष्ट्रीय योजना आगे बढ़ती हुई महासमा-योजना की महायोजना का एक अभिन्न अंग बन जाती है। कहानी यही नहीं समाप्त होती। महासमा (पृथ्वी, भूलोक) इस बृहद् विश्व का एक अति लघु भाग है। सौरमण्डल में पृथ्वी के परिमाण को हम जानते ही हैं। भूवासियों का जीवन दूसरे ग्रहों से अनिवार्य रूप से प्रभावित रहता है। ज्योतिर्विद्या इस तथ्य का साक्ष्य प्रदान करती है

है। अतः अन्तर्देशीय अन्वयन्याश्रय (Inter-dependence) की भाँति अन्तर्ग्रहीय (Inter-planet) अन्वयन्याश्रय भी सुतराम् संगत है। इसी महादृष्टि ने भारतीय वैज्ञानिकों को सनातन से प्रभावित किया है। समराङ्गण में प्रतिपादित प्रथम सात अध्यायों में भूलोक के निवासी महाराज पृथु और देवलोक के देवस्थपति विश्वकर्मा का मङ्गल (अ० १), साङ्गोपाग सृष्टिवर्णन की अवतारणा (अ० ४), महाद्वीपों, द्वीपों, पर्वतों आदि का भूगोलवर्णन, सूर्य आदि नक्षत्रों की स्थितियों एवं गतियों का खगोल-वर्णन (अ० ५), युगारम्भ में मानवता एवं देवत्व का सहवास (अ० ६) एवं वर्णाश्रम व्यवस्था के शाश्वत आधारशिलाओं पर निर्मित भारतीय आर्यमंस्कृति के मानव धर्मों की अभिव्यञ्जना एवं सभ्य नागरिक जीवन की सफलता में पुरनिवेश, खेटनिवेशे तथा ग्रामादि एवं जनपद-विभाग की योजना (अ० ७) का यही मर्म है। वास्तु-शास्त्र की इसी दिव्य दृष्टि को नार्वभौमिक दृष्टिकोण हमने माना है।

घ. दार्शनिक अथवा आध्यात्मिक दृष्टिकोण—

किसी भी वास्तु-निर्माण के पूर्व वास्तु-पद एवं उसके अधिष्ठातृ देव वास्तु-पुरुष का प्रकल्पन वास्तु-शास्त्र का एक अनिवार्य सिद्धान्त है और भारतीय वास्तु-कला की यह एक अविच्छिन्न परम्परा है। पुर, प्रासाद, अथवा भवन के निवेश-नियमों में वास्तु-पद-विन्यास स्थपति की प्रथम योग्यता एवं स्थापत्य का प्रथम अङ्ग है। वास्तु-पद-विन्यास का सविस्तर विवेचन आगे किया जायेगा। यहाँ पर वास्तु-पद के अधिष्ठातृ देव “पुरुष” की अवतारणा का मर्म यह है कि वास्तु-मण्डल के रेखाचित्र में, वास्तु-पुरुष प्रकल्पन उपलक्षण-मात्र (Symbolic) है। इसका रहस्य बिना दर्शन के समझ में नहीं आ सकता। वास्तु-विद्या और दर्शन इन दो ज्ञान-धाराओं का यहाँ संगम होता है और ब्रह्म-समुद्र की ओर द्रुतगति से दोनों का प्रवाह। हरिवंश (अ० १) का यह प्रवचन इसी रहस्य का उद्घाटन करता है—“निवेश्य वास्तु में ‘पुरुष’ की प्रकल्पना से, उस पदविशेष की सत्ता का विश्व की सत्ता के साथ ऐकात्म्य स्थापित करना अभिप्रेत है।”

डा० श्रीमती स्टेलाक्रैमिश ने अपने ‘हिन्दू-टेम्पल’ में वास्तु-पुरुष-मण्डल के दार्शनिक दृष्टि-कोण की अति विगाद अभिव्यञ्जना की है।

सर्व व्यापी ‘विराट पुरुष’ अथवा (पुरुष) निवेश्य पद के साथ एकाकार ही नहीं तदात्मक भी है। स० सू० के प्रथम श्लोक में भी इसी रहस्य की अभिव्यञ्जना है।

स ज्योतिष-दृष्टिकोण—

वास्तु-शास्त्र का ज्योतिर्विज्ञान एवं गणित से घनिष्ठ संबंध है। भारत के प्रसिद्ध ज्योतिर्विद् वराहमिहिर ने अपनी बृहत्संहिता में ज्योतिषियों के ज्योतिर्विज्ञान के लिए वास्तु-ज्ञान को एक अनिवार्य अंग माना है।

वास्तु-पुरुष-मण्डल के आध्यात्मिक (Metaphysical) महस्य का जो संकेत अभी किया गया है उसी में विश्वजनीन एवं ज्योतिर्मण्डलीय (Cosmological & Astronomical) चीज भी विररे पड़े हैं।

वास्तु-मण्डल पर विभिन्न अधिपति देवों के साथ-साथ नक्षत्रमण्डल के प्रसूय नक्षत्र

सूर्य, चन्द्र आदि का भी प्रकल्पन होता है। सूर्य-चन्द्र आदि ग्रहों की गतियों में ही विश्व की गति एवं स्थिति, समय, (वर्ष, मास, पक्ष, तिथि, वार आदि) तथा ऋतुयें (वर्षा, शीत, ग्रीष्म, शीत आदि) निर्भर है। अतः विश्वाकार इस वास्तुमण्डल पर विश्वनियन्ता नक्षत्रों की स्थिति-गति में किसी प्रकार का अवरोध या विरोध उचित नहीं है। इस दृष्टि कोण से वास्तु-शास्त्र ज्योतिष शास्त्र का एक अंग है। क्योंकि वास्तु-शास्त्र में भी तो भवन-कार्य किस नक्षत्र में, किस मास, तिथि एवं वार में प्रारम्भ करना चाहिए ? निवेश्य वास्तु का दिक्-सामुख्य आदि कैसा होना चाहिए ? इन सभी प्रश्नों का वास्तु-मण्डल में ध्यान रक्खा जाता है। संसार की नश्वरता एवं अपूर्णता ही ज्योतिर्गणनाओं (Astronomical calculations) तथा भविष्यवाणियों (Astrological forecasts) का कारण है। इन सभी में कुछ न कुछ "शेष" अवश्य विद्यमान है। विकास-क्रम के लिये 'शेष' आवश्यक है ? वर्तमान का विकास भूत का 'शेष' है। 'शतपथ-ब्राह्मण' (१. ७. ३. १८-१९) का यही मर्म है। 'वास्तु' शब्द 'वस्तु' से निष्पन्न हुआ है। अतः वास्तु में सत्ता के विकास (निवास आदि) एवं शेष दोनों का मर्म छिपा है।

इसके अतिरिक्त वास्तु-शास्त्र के सभी ग्रन्थों में "आयादि-निर्णय" वास्तु-विद्या का एक अनिवार्य अंग माना गया है। आयादि-निर्णय का अर्थ ज्योतिषशास्त्र में प्रतिपादित तारा, नक्षत्र, तिथि, वार आदि के साथ-साथ आय, व्यय, अंश, आदि षड्वर्ग का विचार भवन-निर्माण में आवश्यक है। "षड्वर्ग" के ये ६ सिद्धान्त वास्तु विद्या के ६ सिद्धान्त माने गये हैं। इनकी विशेष चर्चा पीछे की जा चुकी है।

इसके अतिरिक्त वास्तु-विद्या, और ज्योतिष-विद्या के घनिष्ठ सम्बन्ध की स्थापना, और भी दूसरे प्रकारों से की जा सकती है। 'स्थापत्य-लक्षण' (अ० ४४) में समराङ्गण ने गणित एवं ज्योतिष तथा सामुद्रिकशास्त्र को स्थापत्य के अष्टाङ्ग में परिगणित किया है। स० सू० के दसवें अध्याय का निम्न प्रवचन—

चतुःप्रकार स्थापत्यमष्टधा च चिकित्सितम् ।

धनुर्वेदश्च सप्ताङ्गो ज्योतिषं कमलाजयात् ॥ ७७ ॥

अर्थात् चतुर्विध स्थापत्य, अष्टविध आयुर्वेद, सप्तविध धनुर्वेद, तथा ज्योतिष—इन सभी शास्त्रों के मूल-प्रवर्तक ब्रह्मा हैं। इस प्रकार ज्योतिष एवं वास्तुविद्या की शास्त्र-परम्परा भी इन दोनों के घनिष्ठ और ससम्बन्ध का द्योतन करती है।

अथच, रूप, अंक एवं प्रमाण का ज्ञान किसी भी वास्तु-निवेश के लिये अत्यावश्यक है। यह ज्ञान गणित से मिलता है। गणित (फलित एवं सामुद्रिक) ज्योतिष-विद्या का ही अंग है। कल्प-सूत्रों के शुल्ब-सूत्रों में प्रतिपादित वेदि-रचना के प्रमाण एवं रूप आदि वास्तु-विद्या के आदि सिद्धान्त माने गये हैं। वेदि-रचना ही भारतीय वास्तु-कला की प्रथम वेदी है। महावीर नामक पूर्व मध्यकाल के एक प्रसिद्ध ज्योतिषी ने अपने "गणितसार" में वास्तु-विद्या-और गणित के सम्बन्ध पर प्रकाश डाला है।

(य) भौगोलिक एवं भौगर्भिक दृष्टिकोण

एक आदर्श नगर की स्थापना के लिये जिस जनपद अथवा देश में वह नगर स्थित है उस देश की भौगोलिक स्थितियों एवं भौगर्भिक विशेषताओं की समीक्षा परम आवश्यक

है। -नगर-निवेश में आधुनिक देश-मापन (Regional planning) का यही मर्म है। निवेश्य नगर की भौगोलिक स्थितियों के ज्ञान से ही पुर-विशेष की निवेश-योजना बनाई जा सकती है। मानवावास के लिये जल-साधन ऊर्वरा भूमि, हरे-भरे वन, वित्तृत चराऊ मैदान आवश्यक हैं। पुनश्च समतल भूमि-तथा पर्वतीय प्रदेश दोनो स्थानों के नगरों की विशेषतायें अलग अलग होंगी। समुद्र-तट पर विकसित नगर की विशेषता अपनी निराली होगी। प्राचीन नगरों के विभिन्न भेदों—पुर (राजधानी नगर) पत्तन, पुट भेदन (व्यावसायिक नगर) आदि की आत्मकहानी में भौगोलिक मर्म छिपा है। - -

इसी दृष्टिकोण से समराङ्ग ने 'सुवनकोश' नामक चौथे अध्याय में जय की भौगोलिक जिज्ञासा का उत्तर दिया है। पुरनिवेश के लिये देश-विशेष के भूगोल का ज्ञान आवश्यक है जिससे एक देश अथवा राष्ट्र के लिये आवश्यक विभिन्न वर्गीय पुरों की यथा-स्थान निवेश-योजना बनाई जा सके।

भूमि-परीक्षा में भौगोलिक ज्ञान के अतिरिक्त भौगर्भिक ज्ञान भी परमोपादेय है। भूमि की भौगर्भिक-परीक्षा की वित्तृत विवेचना 'पुर-निवेश' पटल में द्रष्टव्य है। यहा पर इतना ही संकेत पर्याप्त होगा कि यह पृथ्वी वसुन्धरा कहलाती है। इसीलिये इसका नाम रत्नगर्भा है। किस भूमि में कौन से खनिज पदार्थ पाये जाते हैं? कौन सी भूमि किस कार्य के लिये विशेष उपयुक्त है? इन सभी के समाधान के लिये भूमि की भौगर्भिक-परीक्षा का वास्तु-शास्त्र में एक महत्वपूर्ण स्थान है। भूमि के गन्ध, वर्ण, रस (स्वाद) एवं स्पर्श से प्राचीन स्थपति भौगर्भिक परीक्षा कर लेते थे। इस प्रकार वास्तु-विद्या का भूगोल एवं भूगर्भ-विद्या (Geology) के साथ एक घनिष्ठ सम्बन्ध है यह सिद्ध होता है। गोदोहन, भू-समीकरण के पौराणिक एवं वास्तु शास्त्रीय (स० सू० अ० १, ७) उपाख्यान सृष्टि के आदि में हमारे पूर्वजों के द्वारा भूपरीक्षा के इस भौगोलिक एवं भौगर्भिक महा अनुष्ठानों की सूचना देते हैं।

२. स्वातन्त्रिक (Architectural itself)—

अन्त में वास्तु-शास्त्र के व्यापक क्षेत्र के समुद्घाटन में "वास्तु" शब्द की जो व्याख्या प्राचीन आचार्यों ने की है वह भी इस सम्बन्ध में बड़ी सहायक है। मानसार के अनुसार धरा, हर्म्य (भवन आदि) यान एवं पर्यक इन चारों का ही वास्तु शब्द से बोध होता है। वास्तु की इस चतुर्भुजी व्यापकता की मोदाहरण व्याख्या करते हुये डा० आचार्य अपने वास्तु-विश्व-कोश (पृ० ४५६) में लिखते हैं—'इयं मे प्रासाद, मण्डप, तभा, शाला, प्रपा तथा रङ्ग—ये सभी सम्मिलित हैं। यान—आदिक, स्थन्दन, शिविज्ञा एवं रथ का बोधक है। पर्यक में पञ्जर, मञ्जली, मञ्ज, फलकासन तथा बाल पर्यङ्ग सम्मिलित हैं। वास्तु शब्द ग्रामों, पुरों, दुर्गों, पत्तनों, पुटभेदनों, आवाग-भवनों एवं निवेश्य-भूमि में भी गतार्थ है। अथच मूर्तिकला अथवा पापाणकला वास्तु-कला की सहचरी कही जा सकती है।'

अग्निपुराण (अध्याय १०६-५-१) तथा गरुड-पुराण (अ० ४६) वास्तु शब्द के इस मर्म का समर्थन करते हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र (अ० ६५) में भी वास्तु शब्द की व्यापकता का समर्थन प्राप्त है।

संमराङ्गण-सूत्रधार के प्रथम ही अध्याय में शास्त्रारम्भ के समर्थन में मंगलमयी भावना के निदर्शन में वास्तुशास्त्र की उपादेयता की अवतारण करते हुये ग्रन्थकार का निम्न प्रवचन द्रष्टव्य है ।

‘ देशः पुरं निवासश्च सभा वेश्मासनामि च ।

यद्यदीदृशमन्यञ्च तत्तच्छ्रैयस्करं मतम् ॥४॥

वास्तुशास्त्रादते तस्य न स्यात्स्वच्छानिरश्चयः ।

तस्मात्लोकस्य रूपया शास्त्रमेतदुदीर्यते ॥५॥

इन श्लोकों में वास्तुशास्त्र के व्यापक क्षेत्र का पूर्ण आभास प्राप्त होता है । ‘देश’ जनपद, राष्ट्र, देश के विभिन्न भेद एवं विभिन्न देशभूमियों का बोधक है । अतः पुर-निवेश में देशमापन एवं भूपरीक्षण आदि प्रारम्भिक कार्य भी गतार्थ हैं । ‘पुर’ से—नगर के विभिन्न प्रकार जैसे राजधानी, शाखानगर, पत्तन एवं पुटमेदन, आदि सभी बोधव्य हैं । ‘निवास’ विभिन्न कोटिक नगरेतर शाखानगर, खेट, ग्राम, पल्ली एवं पल्लिकाओं आदि बसतियों का बोधक है । ‘सभा’ में—विशिष्ट भवन, मन्त्रशाला, धारापरिषद् आदि गतार्थ हैं । ‘वेश्म’ में—विभिन्न वर्गीय भवन जैसे देवावास (प्रासाद) नृपावास राज-प्रासाद एव जनावास तथा इनके बहुसंख्यक प्रभेद परिगणित हो सकते हैं । अथच, ‘आसन’ में विभिन्न प्रकार के आसन, वाहन (देखिये ‘प्रतिमा’ पटल) शय्या आदि सम्मिलित हैं ।

वास्तु-शास्त्र के व्यापक विस्तार के सम्बन्ध में संमराङ्गण का यह प्रवचन दिग्दर्शन मात्र है । स० सू० के ‘प्रश्न’ नामक तृतीय अध्याय की एतद्विषयक सामग्री की समीक्षा का शीघ्र ही अवसर आ रहा है ।

‘मयमत’ के अनुसार वास्तु शब्द का अभिप्राय भूमि, प्रसाद, यान एवं शयन से है । ये ही विषय सभी वास्तु-शास्त्रीय ग्रन्थों के प्रधान विषय हैं । संमराङ्गण में यान का तात्पर्य वायुयान से है (देखिये ‘यन्त्र’ पटल) ।

अथच यहाँ पर एक तथ्य की ओर पाठकों का ध्यान और आकर्षित करना है । वास्तु-विद्या कला और विज्ञान दोनों ही है । अतः वास्तु-शास्त्र का विषय एक मात्र सिद्धान्तों का प्रतिपादन ही नहीं है वरन् उन सिद्धांतों के अनुरूप वास्तु-कृतियों की रचना भी है और वे रचनायें ऐसी होनी चाहिये जिनको देखकर मानव की हृत्तन्त्री में उसी प्रकार का स्पन्दन होने लगे जैसा कि काव्य के रसास्वाद से होता है । मनमयूर उसी प्रकार से नाचने लगे जिस प्रकार एक विदग्ध गायक के सुन्दर गीत से नाचता है । काव्य एवं संगीत के रसास्वाद की यह तन्मयता विमुग्धकारिणी वास्तुकला में भी अवश्य आनी चाहिये । एतौरा के कैलाश, अजन्ता के गुहा-मन्दिर एवं चित्र प्राचीन वास्तु-स्मारकों को हम जब देखते हैं तो हम विमुग्ध होकर उनको मानवकृति नहीं कहते—देवकृति समझते हैं । पितामह ब्रह्मा ने विश्व की रचना तो की लेकिन उसकी सुन्दर निवेशयोजना का भार विश्वकर्मा को सौंपा गया । कथा है (स० सू० महासमागमन अ० १) सृष्टि के उपरान्त संसार की योजना का भार महाराज पृथु को सौंपा गया । पृथु राजा था । राजा कलाकार विश्वकर्मा का कार्य नहीं कर सका । अतः अपनी इस असफलता का रोना लेकर पृथु पुनः पितामह के पास पहुँचे । महासमा पृथ्वी भी अपनी कर्षण कहानी लेकर पहुँची । दोनों की तुरदाशा देखकर ब्रह्मा ने

विश्वकर्मा को बुलाया और विश्व के निवेश (विशेषकर भूतल के निवेश) का भार सौंपा । विश्वकर्मा ने अभी तक देवपुरियों का निर्माण किया था । ब्रह्मा के इस महानियोग में पूर्ण सफलता के लिये उसे सहायकों की आवश्यकता हुई । स्थपतियों की परम्परा अभी पल्लवित नहीं हुई । अतः पिता के इस अनुष्ठान में पुत्रों ने हाथ बटाया । विश्वकर्मा ने अपने मानसपुत्रों—जय, विजय, सिद्धार्थ एवं अपराजित को बुलाया और ब्रह्मा के इस नियोग की सूचना दी (देखिये स०सू०अ० २) और भूतल की निवेश योजना—राजा की राजधानी, देश एवं जनपदों के रत्नार्थ विभिन्न प्रकार के दुर्गों, जनावासों (पुर, नगर, ग्राम, खेटादि) तथा जाति एवं वर्णानुरूप आवासभवनो और देवप्रतिष्ठा के लिये देवभवनो आदि—में सहायता की याचना की ।

यह संवाद हिमाद्रि के स्वर्गाय उत्तुंग शिखरों पर हो रहा था । स्वर्ग में भूमि पर उतरने की अवतारणा में विश्वकर्मा के ज्येष्ठ पुत्र जय ने अपने पिता से हम अनुष्ठान-यज्ञ में आहुति देने के पूर्व अनुष्ठान की सागोपाग जिज्ञासा में प्रश्नों की झड़ी लगा दी । इन्हीं प्रश्नों का प्रवचन स० सू० के 'प्रश्न' नामक तीसरे अध्याय का वास्तु-शान्त्र के व्यापक विस्तार का प्रवचन है । इस प्रश्न तालिका को हम अपने अध्ययन के अनुरूप निम्न समूहों में विभाजित कर सकते हैं:—

(१) औपौद्घातिक

(क) सार्व-भौमिक

(१) सृष्टि—महाभूत एवं नक्षत्र ।

(२) ग्रहों की गतियों, स्थितियों, पारस्परिक दूरी, आधार एवं कारण आदि ।

(३) पृथ्वी के ऊपर और नीचे के लोक ।

(ख) सांस्कृतिक मानव-सभ्यता एवं संस्कृति तथा धर्म के विभिन्न युग एवं उनकी व्यवस्थायें—प्रथम उत्पत्ति, प्रथम राजा, प्रथम वर्ण और प्रथम नक्षत्र ।

(ग) भौगोलिक

(१) भूमि—आकार, आधार, प्रमाण, विस्तार, परिधि तथा बाहुल्य ।

(२) पर्वत—संख्या, जँचाई, लम्बाई और चौड़ाई ।

(३) महाद्वीप तथा वर्ष (देश) उनकी सरितायें, समुद्र जन एवं जनपद तथा इन सबकी विशेषतायें ।

(घ) भौगर्भिक—देश एवं देशभूमियों की पगीक्षा तथा शब्द, स्पर्श, गन्ध, चर्च तथा रस के अनुसार भूमि-गरीक्षण तथा निवेश्य वास्तु (पुर, ग्राम, भवन, प्रासाद आदि) की भूमि का चयन ।

(ङ) स्थापत्य—विषय, प्राथमिक कृत्य, इष्टकाकर्म, भूमिशोधन (अग्नि, जल तथा वायु से) शल्योद्धार-विधि, दिग्ग्रह, सूत्रण, अधिवासन, मूलपाद, शिलान्यास आदि ।

(२) पुरनिवेश

विभिन्नवर्गीय पुरों तथा दुर्गों एवं ग्रामों आदि के निवेशनोचित भूमि के चयन के

साथ-साथ, राजधानी-निवेशन, प्राकार-विधान, गोपुर-योजना, अष्टाल-निर्माण, परिखाकर्म वप्रविधान, पक्षद्वार, अङ्गद्वार, प्रतोली, रथ्यायें, चत्वर, क्षेत्र आदि ।

(II) मार्गविनिवेश—सीमाओं एवं क्षेत्रों के साथ-साथ पुर के अभ्यन्तर एवं बाह्य दोनों प्रदेशों में मार्ग-निवेश ।

(III) पदविन्यास

(IV) इन्द्रध्वज-निवेशन तथा देव-प्रतिष्ठा ।

(V) जाति एवं वर्ण के अनुरूप जनावास ।

(३) भवनकला

(I) राजप्रासाद—प्रमाण, मान, संस्थान, संख्या, उच्छ्राय आदि लक्षणों से लक्षित एवं प्राकारपरिखा-गुप्त, गोपुर, अम्बुवेश्म, क्रीडाराम, महानस, कौष्ठागार, आयुधस्थान, भाण्डागार, व्यायामशाला, नृत्यशाला, संगीतशाला, स्नानगृह, धारागृह, शय्यागृह, वानगृह, प्रेक्षा (नाट्यशाला), दर्पणगृह, दोलागृह, अरिष्टगृह, अन्तःपुर तथा उसके विभिन्न शोभा सम्भार—कक्षायें, अशोकवन, लतामंडप, वापी, दारुगिरि, पुष्पवीथियाँ तथा राजभवन की किस-किस दिशा में पुरोहित, सेनानी, ब्राह्मण, ज्योतिषी एवं मन्त्री के निवास ।

(II) जनावास—शालभवन, भवनाङ्ग, भवनद्रव्य, विशिष्ट भवन, चुनार्द, भूषा, दारुकर्म, इष्टकर्म, द्वारविधान, स्तम्भलक्षण, छाद्यस्थापन आदि आदि के साथ वास्तुपदों की विभिन्न योजनायें ।

(III) मान, भंग एवं वेध आदि ।

(४) यन्त्रघटना

(दारुक्रिया से अनुमेय)

(५) प्रासाद-वास्तु

संस्थान, मान, विन्यास, आकृति, भूषा, शिखर, आदि ।

(६) प्रतिमा

यान, परिवार, वर्ण, रूप, विभूषण, वस्त्र, वय, आयुध एवं ध्वजाओं के लक्षणों से चिह्नित विभिन्न देवों एवं देवियों, यक्षों, गन्धर्वों आदि की प्रतिमायें ।

(७) चित्रकला

चित्रक्रिया तथा लेप्यक्रिया ।

विश्वकर्मा के ज्येष्ठ पुत्र जय के द्वारा जिज्ञासित इस प्रश्नमालिका में वास्तु-विद्या के सभी अङ्गों का सन्निवेश होगया है । इन्हीं प्रश्नों का उत्तर समराङ्गण की वास्तु-विद्या (Canons of Architecture) का विवेचन है । अपने पुत्र जय के इन प्रश्नों को सुन कर अति हृष्टमानस विश्वकर्मा जी कहते हैं—

साधु वत्स त्वया सम्यक्प्रज्ञयातिविशुद्धया ।

प्रश्नोऽयमीरितो वास्तुविद्यावजवनभास्करः ॥

स एव निधाय प्रश्नानां समुदायममुं हृदि ।

वदतो मेऽवधानेन शृणु यद्ब्रह्मणोऽदितम् ॥

अर्थात् हे वत्स तुम ने अपनी विशुद्ध प्रजा ने वास्तु-विद्या रूपी कमल-वन के लिये सूर्य के समान इन प्रश्नों की उद्भावना की है। अतः इन प्रश्नों के समुदाय को हृदय मे रख्य अथ इनका जवाब सुनो जो ब्रह्मा जी ने बताया है।

इस प्रकार इस वास्तु-विद्या का प्रवर्तक स्वयं पुराणपुरुष ब्रह्मा को मान कर इस वास्तु-विद्या में भी पुरातनत्व एवं पुरयत्व मे युक्त शास्त्रत्व की प्रतिष्ठा की गयी है।

डा० आचार्य ने वास्तु-शास्त्र के व्यापक स्वरूप की अभिव्यंजना का प्रथम पथ प्रदर्शन किया है। वास्तु-विद्या के ग्रन्थों के विद्वावलोकन मे हमने देखा कि बहुत से ग्रन्थों के नाम शिल्प-शास्त्र की संज्ञा मे उल्लिखित किये गये हैं। 'शिल्प' शब्द का अर्थ सुन्दर एवं उपयोगी दोनों 'कला' है परन्तु 'शिल्प शास्त्र' इन ग्रन्थों मे वास्तु शास्त्र के अर्थ मे प्रयुक्त हुआ है। परम्परा से प्रचलित जिन ६४ कलाओं का इस देश मे अतिप्राचीन समय मे उल्लेख एवं प्रचार मिलता है, उनमे वास्तु-विद्या को एक कला मे परिगणित किया गया है। सम्भवतः यह परम्परा उम सुदूर अतीत की बात है जब वास्तु-कला का पूर्ण विकास इस देश में नहीं हो पाया था। शुक्राचार्य के समय मे वास्तु विद्या का विस्तार इतना व्यापक हो गया था कि वास्तु-कला के महाकलेवर मे सभी प्रधान कलायें गतार्थ 'हो गई' थीं। वैसे तो वास्तु-शास्त्र का प्रधान विषय—भवन-कला, यन्त्रकला, काष्ठकला, भूषणकला, आसन, सिंहासन आदि विधान तथा चित्रकला आदि—है। अतएव डा० आचार्य के शब्दों मे "वास्तु-कला मे सभी प्रकार के भवनों—धार्मिक, आवासयोग्य, सेनायोग्य तथा उनके उप-भवन एवं उपाङ्गो, प्रत्यङ्गो आदि का प्रथम स्थान है। पुरनिवेश, उद्यानरचना, पर्यस्थानों, पोतस्थानों, आदि का निर्माण, मार्गयोजना, सेतुविधान, गोपुरविधान, द्वारनिवेश, तोरणविनिवेश, परिखा-खनन, वप्रनिर्माण, प्रकारविधान, जल-भ्रम-योजना, भित्ति-रचना, सोपान निर्माण भी वास्तु-शास्त्र का प्रधान अंग है। तीसरे वास्तु-कला में भवन-कर्नाचर जैसे शय्या, मंजूपा, पंजर, नीड, चटाई, यान, दीप एवं मार्ग-दीप-स्तम्भ आदि की रचना भी सम्मिलित है। चौथे वास्तु-कला में भूषण-रचना एवं वस्त्र-रचना भी सम्मिलित हैं। देवभूषणों मे मौलि, मुकुट, शिरस्त्रक आदि भूषण, उत्तरीय आदि वस्त्र भी सम्मिलित हैं। अथच जैसा पहले ही संकेत किया जा चुका है मूर्तिनिर्माण-कला वास्तु-कला की अभिन्न सहचरी है। अतः लिङ्ग, देव-मूर्तियाँ, ऋषि-मुनि आदि की प्रतिमायें तथा गरुड, हंस आदि के चित्र का रचनाकौशल इस कला का अभिन्न अंग है। वास्तु-कला, भवन-निर्माण अथवा पुरनिवेश के प्रारम्भिक कृत्यों जैसे भूमि-न्वयन, भूपरीक्षा, गङ्कुत्थापन, दिक्-साम्मुख्य एवं आयादि-निर्णय भी वास्तु-शास्त्र के अंग हैं।"

स्थपति एवं स्थापत्य

“स्थापकान् स्थपतींश्चापि पूजयामि स्वशक्तिः ।”

स्थपति

भारतीय वास्तु-शास्त्र एवं वास्तु-कला में स्थपति का स्थान अत्यन्त महत्वपूर्ण माना गया है। भोज ने अपने समराङ्गण सूत्रधार में “स्थपति-लक्षणम्” नामक ४४ वें अध्याय में स्थपति की योग्यता का बड़ा ही मार्मिक एव ओजस्वी चित्रण किया है।

स्थपति कैसा होना चाहिये? उसकी विद्या, शिक्षा, दीक्षा केंसी होनी चाहिये? शास्त्राभ्यास एव क्रियाकौशल में उसे कैसा निष्णात होना चाहिये—इन सभी प्रश्नों पर इस अध्याय में प्रकाश डाला गया है।

✓ स्थपति वह है जो शास्त्र, कर्मकौशल, प्रज्ञा तथा गुणान्वित शील से सम्पन्न एवं लक्ष्य (वास्तु-विषय) और लक्षण (परिभाषाओं) से युक्त वास्तु-विद्या का निष्णात नर स्थपति की पदवी प्राप्त कर सकता है।

स्थपति न केवल शास्त्र अर्थात् स्थापत्य-शास्त्र का ही पखिडत है—केवल शास्त्र का ही जानकार है, वरन् शास्त्रीय सिद्धान्तों के अनुसार तदनुरूप क्रियाकौशल में भी कुशल है। शास्त्र तथा शास्त्रानुसार क्रियाकौशल के अतिरिक्त स्थपति में अपनी निजी प्रज्ञा (अवसर पर सूझ) होना परम आवश्यक है, अन्यथा कोरा शास्त्रज्ञान अथवा तदनुरूप क्रियाकौशलमात्र कर्म में पूर्ण परिपाक नहीं उपस्थित कर सकता।

स्थापत्य-कला जब कविता की भाँति अपनी निजी प्रेरणा एवं मेधा के द्वारा परिनिष्ठित होती है, तभी उसमें ज्योति एवं जीवन के दर्शन होते हैं।

भारतीय वास्तु-कला के शतशः निदर्शन स्थापत्यकौशल के साथ स्थपति की अपनी निजी विभूति के प्रतकि हैं—यह विज्ञ वास्तु-शास्त्रियों से छिपा नहीं है। शास्त्र, क्रिया-कौशल तथा निजी मेधा के अतिरिक्त स्थपति का चौथा अत्यन्त महत्वपूर्ण गुण है उसका शील अर्थात् चरित्र। भारतीय संस्कृति के उन्नयन में चरित्रवान् व्यक्तियों ने उसे जीवित रखा है। अतः संस्कृति के इस अत्यन्त प्रोज्ज्वल अंग के विकास एवं अभ्युदय में शीलवान् स्थपतियों का बड़ा हाथ रहा है। अतः शास्त्रज्ञान, तदनुरूप कार्यदक्षता तथा निजी प्रतिभा इन गुणों में स्थपति का शील कम उपयोगी नहीं है।

प्राचीन भारत एवं मध्यकालीन भारत के अद्भुत वास्तु-स्मारक शीलवान् स्थपतियों की कीर्ति-कौमुदी को आज भी प्रकाशित कर रहे हैं। शीलभ्रष्ट स्थपतियों द्वारा निर्मित भवन, मन्दिर, प्रासाद अचिरात् नाशोन्मुख हो सकते हैं।

आजकल हमारे प्रत्येक कार्य में संयम एवं नियम, तप एवं तेज, शील और मर्यादा, निष्ठा तथा नीति इन सभी का पद पद पर हास प्रत्यक्ष है। हमारी पुरातन परम्परा नष्ट एवं भ्रष्ट हो चुकी है। अतः स्थापत्यकौशल जो इस देश की अत्यन्त अभ्युन्नत संस्कृति

एवं सम्यक्ता का अत्यन्त अोजस्वी श्रंग था, वह लुप्तप्राय है अथवा जो कुछ मिलता भी है वह निम्न तथा भ्रष्ट है। प्राचीन भारत में विशेषकर पूर्व मध्यकालीन युग में भवन-निर्माण-कला अत्यन्त उन्नत एवं उदात्त तो थी ही, साथ ही साथ यही ही सुसंयत तथा विशुद्ध वैज्ञानिक कला थी। अस्तु, इस प्रकार स्थापति के विषय में ऊपर जो चार गुण कहे गये हैं वे तो सर्वसाधारण रूप से उसमें अनिवार्य होने ही चाहिये।

सृष्टिकर्ता चतुर्मुख ब्रह्मा की सृष्टि की भाँति, चतुर्मुखी हम योग्यता ने सम्पन्न स्थापति का कौशल कुछ कम अद्भुत नहीं। जिन्होंने अजन्ता के गुहामन्दिर देखे हैं, उत्तुंग हिमाद्रि पर स्थित कैलाश की प्रतिकृति एलौरा के कैलाश (देखिये पर्सोब्राडन भारतीय वास्तुकला पृ० ७०) तथा ऐमे ही विभिन्न विखरे हुये दक्षिण तथा उत्तर के विमानों एवं प्रामादों को (मामलपुरम्, काञ्चीपुरम्, तंजौर, भुवनेश्वर, खजुराहो, मोधारा, क्रोनार्क आदि शतशः सुप्रसिद्ध वास्तुपीठों की वास्तु-विभूतियों को) देखा है, उनसे प्राचीन भारत के नैष्टिक स्थापतियों की गाथा गाई नहीं जा सकती। स० सू० के स्थापति प्रवचन में यही मर्म निहित है। अतः उन विभिन्न योग्यताओं के साधारण संकेत के उपरान्त कुछ विशेष विस्तार की आवश्यकता है।

शास्त्र

शास्त्रज्ञान स्थापति की प्रथम योग्यता है। शास्त्र से तात्पर्य कैसे तो स्थापत्यशास्त्र से है और स्थापत्य की रूपरेखा एवं उसके विस्तार पर हम दृष्टिपात कर ही चुके हैं। परन्तु स्थापत्य अर्थात् शिल्प के अतिरिक्त स्थापति की बौद्धिक योग्यता के लिये सामुद्रिक, गणित, ज्योतिष तथा छन्दस्—इन शास्त्रों का भी ज्ञान आवश्यक है (स सू. ४४-३)। गणित तथा ज्योतिष के साथ वास्तु-शास्त्र के घनिष्ठ सम्बन्ध पर प्रकाश हम डाल ही चुके हैं (अ० ६)। छन्द का क्या मम है इसे समझना आवश्यक है। जिस प्रकार कविता एवं गीत में (विशेषकर गीत में) छन्द तथा लय ने पूर्ण परिपाक प्राप्त होता है, उसी प्रकार भवन-निर्माण में भी प्रत्येक अवयव के सम्यक् मानोन्मान, संस्थान निवेग, चेष एवं द्रव्य-संयोजना आदि के घटाव-बढ़ाव से (गीत की और आरोहावरोह में) एक नयी रचना की अद्भुत सृष्टि सम्पन्न होती है। इसके अतिरिक्त शास्त्रीय योग्यता का पूर्ण प्रतिबिम्ब कला में तभी प्रतिबिम्बित होता है जब छन्द के मर्म स्थापति हृदयङ्गम कर पाता है। इसके अतिरिक्त स्थापति की इस कौटि की योग्यता में सिराज्ञान तथा यन्त्रविधि का ज्ञान भी ग्रंथ सम्मिलित करता है। (स० सू० ४४-३) यन्त्रविधान पर आगे हम पूर्णरूप से विचार करेंगे। सिराज्ञान से तात्पर्य वास्तु के विभिन्न श्रंगों एवं स्थानों का पूर्ण ज्ञान है। भारतीय वास्तु परम्परा में 'वेध' द्वारवेध, भवनवेध, स्तम्भवेध, तुलावेध आदि वेधों में वचने पर बड़ा जोर दिया गया है। विशेष विवरण के लिये 'भवन' पटल द्रष्टव्य है। अतः बिना सिराज्ञान के विभिन्न वेधों से वचना दुष्कर है। अतः सिराज्ञान स्थापति की शान्तीय योग्यता में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है।

इसप्रकार इन उपर्युक्त शास्त्रों को वास्तुशास्त्र के श्रंग के रूप में परिकल्पित करना चाहिये। (स० सू० ४४-४) 'समराङ्ग' स्थापति की योग्यताओं में शास्त्र-ज्ञान की योग्यता पर विशेष जोर देता है। स्थापति को अपनी वास्तुक्रिया की प्रगाधना प्रसिद्ध शास्त्रदृष्टान्तों ने सम्पन्न करनी चाहिये। इसके प्रतिकूल, शास्त्र के बिना हमके बूझे, जो स्थापति स्थापत्य-कर्म का दोग धाधता है वह राजा ने द्वारा हन्तव्य है। क्योंकि प्रशास्त्र स्थापति अपने

मिथ्याज्ञान से वसुधातल पर लोगों को अकाल मृत्यु के गाल में कवलित कराता हुआ विचरण करेगा ।

अतः ऐसे अशास्त्रज्ञ स्थपति का इसप्रकार राज्यप्रतिबन्ध वाञ्छनीय है । क्योंकि अशास्त्रीय वास्तु-कल्पन अधार्मिक है, अशुभ है ।

कर्म

अथच जो स्थपति केवल शास्त्रज्ञ तो है परन्तु क्रियाकौशल से शून्य है, वह क्रियाकाल में अर्थात् भवन, पुर, अथवा प्रासाद के निर्माण-काल में, युद्धस्थल में एक कापुरुष की मूर्ति मोह को प्राप्त होता है । अतः वही स्थपति है जो शास्त्रज्ञ होने के साथ-साथ कर्मकौशल में भी निष्णात है । शास्त्रज्ञ स्थपति को कर्मवित् होने के लिये वास्तु-स्थान, उसके निवेश एवं मान उन्मान के ज्ञान के साथ-साथ वास्तुज्ञान से सम्बन्धित विभिन्न कर्मों के कौशल में सिद्धहस्त होना है । साथ ही लुमालेख, (जिनकी संख्या १४ है) गण्डिकाच्छेद, (जिनकी संख्या ४ है) वृत्तच्छेद, (जिनकी संख्या ७ है) इनकी रचना का भी पूर्ण कौशल उसे प्राप्त होना चाहिये । इस प्रकार सन्धिकर्म, सन्धानकर्म, ऊपर तथा नीचे के सब प्रकार की चैयविधि आदि की क्रिया एवं रेखाज्ञान में भी उसे दक्ष होना चाहिये ।

वास्तुकला की इस विदग्धता के साथ वास्तु-कला से सम्बन्धित अन्य विभिन्न कलाओं का भी ज्ञान स्थपति के लिये परमोपादेय है जिनका उल्लेख समरागण ने इसी 'स्थपति लक्षण-नामक' अध्याय में किया है (४४-२०-२१) । अर्थात् वास्तु-कला के वैज्ञानिक कौशल के साथ-साथ वास्तु-कर्म के सहायक अन्य कलाओं का भी अविरल कौशल आवश्यक है । यह कर्म आठ प्रकार का है । आलेख्य (चित्रकला), लेप्यजात (लेप्यकर्म आदि), दारुकर्म—शय्या, आसन, यन्त्र आदि निर्माण, चैय (चुनाई), पापण-कला (मूर्ति निर्माणकला) एवं स्वर्णकला तथा इन दोनों के कर्म-कौशल—इन आठों गुणों से युक्त स्थपति संसार में पूजा को प्राप्त करता है ।

इसके प्रतिकूल जो स्थपति केवल कर्मवित् है परन्तु शास्त्रार्थ से अनभिज्ञ है उस स्थपति की उस अन्वे के सदृश दशा है, जो दूसरे का सहारा लेकर उगमगता हुआ मार्ग में चलता है । कहीं पर उसे ठोकर लग सकती है । अतः ऐसे व्यक्ति को प्रधान स्थपति की पदवी नहीं दी जा सकती है । अतः शास्त्रज्ञता एवं कर्मदाय्य दोनों ही अन्योन्याश्रित हैं । दोनों का ही होना परमावश्यक है ।

प्रज्ञा

भोज द्वारा बताया गये स्थपति के चार गुणों में शास्त्रज्ञता एवं क्रियादक्षता, इन दोनों गुणों पर थोड़ा सा विवेचन हो चुका है । अब शेष प्रज्ञा एवं शील इन दोनों पर थोड़ा सा विवेचन आवश्यक है । शास्त्र एवं कर्म इन दोनों में कुशल स्थपति विना-प्रज्ञा के अपनी निजी मेधा के निर्मद गज के समान है (निर्मद गज की क्या कीमत ?) क्रियाकाल में ऐसे शतश. अक्सर आते हैं, जब विना अपनी निजी प्रतिभा के स्थपति के लिये शास्त्रीय ज्ञान भी सहायक नहीं होता । प्रज्ञवान् स्थपति को कार्यकाल में कमी मोह नहीं प्राप्त हो सकता । यह वास्तुकला "बहुविस्तर" 'गूढार्थ' 'दुरालोक' तथा 'अप्रज्ञेय' मानी गयी है । अतः विना प्रज्ञापोत के इस वास्तुसागर का संतरण नहीं हो सकता ।

शील

अथच ज्ञानी, वाग्मी तथा कर्मनिष्णात होने पर भी यदि स्थपति शीलवान् नहीं है, तो वह बेकार है। विना शील के कर्म मिद्ध नहीं होता है। वह शील ही उमकी माधना है, तपस्या है, और रागात्मिका वृत्ति है जिने निष्ठा भी कह सकते हैं। क्योंकि रोष, द्वेष, लोभ, मोह एवं राग आदि के वशीभूत होकर दुःशील स्थपति कर्म को विगाड मकता है। अतः वास्तुकला में दुःशील स्थपति सर्वथा त्याज्य है—यह ऊपर संकेत किया भी जा चुका है।

‘समराङ्गण’ ने शील के महत्व-प्रख्यापन पर बड़ा ही सुन्दर प्रवचन दिया है (४४ १६)। वास्तु-कला कविता की भाँति सौंदर्य और रसास्वाद की जननी है। विना शील के शुभ नहीं सम्पदित होता। विना शुभ और कल्याण के सौंदर्य की सृष्टि भी नहीं हो सकती। अतः शील के आधान में बुद्धिमान् स्थपति को पूर्ण प्रयत्न करना चाहिये।

समराङ्गण ने स्थपति की जानपरिधि को अत्यन्त व्यापक बताया है। स्थपति की ये योग्यतायें प्राचीन ग्रन्थों में प्राप्त एतद्विषयक सामग्री की ही परम्परा की पूर्ति हैं। क्योंकि स्थपति केवल आधुनिक राज नहीं था। उसमें आधुनिक इंजीनियर, ओवरसियर तथा हेड मिस्त्री और टाउनस्मानर इन सभी के गुण विद्यमान थे यह स्पष्ट है।

१- प्राचीन कारीगरों की चार कोटियों थीं जिनमें स्थपति मुख्य था। वे चारों कोटियों हैं—स्थपति, सूत्रग्राहिन्, वर्धकि तथा तत्तक।

१ स्थपति—प्रधान वास्तु-शास्त्री तथा वास्तु-कलाविद् आचार्य यज्ञकार्य के समान वास्तु-कार्य में स्थपति अपने यजमान (भवनस्वामी) का प्रतिनिधित्व करता है। ‘समराङ्गण’ ने प्रासाद-निर्माण में स्थपति को कर्ता तथा यजमान को कारक के रूप में (५६. ३०३) परिकल्पित किया है। अथच मयमत में (अ० ५) स्थपति जो विश्वकर्मा कहा गया है वही वहाँ (अ० १२) स्थापक का शिष्य (अनुशिष्य) माना गया है। स्थपति एवं स्थापक का यह मार्मिक सम्बन्ध हिन्दू-स्थापत्य के जिज्ञासु पाठकों के लिये विशेष ध्यान देने योग्य है।

२ सूत्र-ग्राहिन्—नाप-जोख करनेवाला आधुनिक इंजीनियर या ओवरसियर कहा जा सकता है। स्थपति के सदृश ही इसको भी सभी विद्यार्थियों का ज्ञाता होना चाहिये। परन्तु इसकी विशेष योग्यता सूत्र-कौशल है। मानसंग के गन्दों में इन सूत्रज्ञ सूत्रग्राही (रेखाज्ञ) होना चाहिये। सूत्रग्राहिन् तत्तक तथा वर्धकि का गुरु करा गया है।

३ वर्धकि—को भी सूत्रग्राहिन् के समान शास्त्रों का परिचित एवं वेदज्ञ होना चाहिये। परन्तु उसका अपना विशेष क्षेत्र—चित्र कला है। उमें भवनकला एवं मूर्तिकला के रेखा-चित्रों की उद्भावना करनी पड़ती थी। इसी मानसी सृष्टि—काल्पनिक चित्रों को इष्टका, पाषण अथवा वाष्ट के द्वारा मूर्तस्वरूप प्रदान किया जाता था। वर्धकि तन्ना का गुरु बताया गया है।

४ तत्तक—आजकल का बढ़ई (Carpenter) है। अन्य विभिन्न कलाओं एवं शालों का ज्ञाता होने हुए अपने काष्ठकौशल के लिये प्रसिद्ध था।

स्थपति का पद हिन्दू-स्थापत्य में बड़ा ऊँचा था। आजकल ईसावस्था का क्या रहस्य है—इत पर संकेत आगे होगा। वहाँ पर स्थपति के साथ-साथ स्थापक एवं

पुरोहित के स्थानाङ्कन का क्या रहस्य है— इस पर थोड़ा सा निर्देश आवश्यक है। यज्ञ कार्य में जिसप्रकार यजमान तथा पुरोहित—इनदो के अतिरिक्त यज्ञकार्य का अधिष्ठाता किसी वरेण्य विद्वान् का ब्रह्मा के रूप में वरण किया जाता था उसी प्रकार वास्तु-कार्य में भी स्थापक गुरु के तत्वावधान में ही कार्यप्रारम्भ होता था। यह स्थापक, यजमान (भवनपति) के द्वारा नियुक्त होता था। स्थपति, स्थापक एवं यजमान—इस वास्तु-त्रयी में त्रिदेव की कल्पना भी इस देश में सनातन से प्रसिद्ध है। स्थपति ब्रह्मा है। यजमान (भवन या मन्दिर निर्माण करानेवाला) विष्णु है तथा स्थापक स्वयं भगवान् रुद्र हैं। अत्र रहे पुरोहित जी, वह साक्षात् बृहस्पति हैं।

स. सू. (४२-३२-३७) ने इसी परम्परा पर कुछ अन्तर से प्रकाश डाला है। वास्तु-कार्य में आवश्यक बलिदान, शान्तिकर्म आदि जो कर्म विहित हैं वे विना पुरोहित के सम्पन्न नहीं हो सकते। अथच पुरोहित के अतिरिक्त सावत्सरिक (ज्योतिर्वित्) का भी सहयोग आवश्यक है। अतएव स सू का प्रवचन है—“किसी भी वास्तु-निर्माण कार्य के प्रथम वास्तु-यज्ञ अवश्यक है। तदुपरान्त पुरोहित जी की तुष्टिकरी पूजा से पूजा करनी चाहिये—अर्थात् भोजन, वसन, द्रव्य, दक्षिणा प्रदान कर उन्हें सन्तुष्ट करना चाहिये क्योंकि पुरोहित (स्थापक) की पूजा से साक्षात् ब्रह्मा की पूजा होती है। पुरोहित अर्थात् स्थापक की पूजा के अनन्तर सावत्सरिक ज्योतिषी को भी यथाविधान सम्मान प्रदान करना चाहिये। सावत्सरिक की पूजा से साक्षात् बृहस्पति जी पूजित होते हैं। इन दोनों की पूजा के बाद स्थपति की पूजा करनी चाहिये। स्थपति की पूजा से साक्षात् त्वष्टा विश्वकर्मा जी पूजित होते हैं, और प्रसन्न होते हैं। वास्तु-कार्य के अधिष्ठातृदेव होने के कारण इस देव की तुष्टि आवश्यक है, जो स्थपति की पूजा से सम्पन्न होती है। इस के अतिरिक्त स्थपति की ही अधीनता में सब वास्तु-कार्य होता है। वह उसे शुभ अथवा अशुभ कर सकता है, अतः उसको सन्तुष्ट रखना अत्यन्त आवश्यक है। इसीलिये सभी कारीगरों को श्वेत चन्दन लगाकर, श्वेत पुष्पों से अलंकृत कर, वस्त्र आदि देकर प्रसन्न करना चाहिये। कारीगरों के साथसाथ मजदूरों की भी यथाशक्ति पूजा करनी चाहिये। स्वर्ण, वस्त्र आदि देकर अथवा मृदु तथा प्यार के वचनों से उन्हें सन्तुष्ट करना चाहिये। एक शब्द में वह सब करना चाहिये, जिससे ये कारीगर तथा मजदूर प्रसन्न हो—सुमनसः स्युः।

पीछे संकेत किया गया था कि आधुनिक स्थपतियों की हीनावस्था का क्या रहस्य है? इस सम्बन्ध में ब्रह्मवैवर्तपुराण में (१-१०) में एक प्रवचन मिलता है कि विश्वकर्मा के एक शूद्र से निम्न नव पुत्र उत्पन्न हुए:—

- | | | |
|-----------------------------|--------------------------------|------------------------|
| १. मालाकार (माली) | ४ कुविन्दक (जुलाहा) | ७ सूत्रधार राज तथा बढई |
| २. कर्मकार (लोहार) | ५ कुम्भकार (कुम्हार) | ८ चित्रकार |
| ३. शंखकार (शंख बनानेवाला) | ६ कास्यकार (बर्तन बनानेवाला) | ९ स्वर्णकार (सोनार) |

इन में से तीन (जिनमें सूत्रधार राज तथा बढई सम्मिलित हैं) एक ब्राह्मण के द्वारा शप्त होत्रों के कारण हीनवर्ण हो गये और यज्ञीय-कर्म से बहिष्कृत हो गये। अस्तु, विशेष विवरण यहाँ बाह्यनीय नहीं।

स्थापत्य

स्थपति की योग्यता एवं उसके ज्ञान-क्षितिज के साथ-साथ स्थपतियों की विभिन्न कोटियों पर इस विवेचन के उपरान्त स्थापत्य (जो वास्तु-शास्त्र का पर्याय है) का विवेचन आवश्यक है । स० सू० में स्थापत्य के विवेचनार्थ 'अष्टागलक्षण' नामक ४५वें अध्याय का प्रणयन है । स्थापत्य के आठ प्रधान अंग निम्नलिखित रूप से बोधव्य हैं:—

१. वास्तु-पुरुष विकल्पना

वास्तु-पुरुष का सम्बन्ध पद-विन्यास (साइट-प्लान्स) से है । इस पर विशेष विवेचन आगे के भाग (पुर-निवेश) में होगा । यहाँ पर इतना ही संकेत आवश्यक है, कि हिंदू स्थापत्य में वास्तु-पुरुष-विकल्पना (रेखाचित्र एवं पद-योजना—प्लानिंग आदि की क्रिया) प्रथम स्थान रखती है । कोई भी निवेश—भवन, पुर अथवा प्रासाद बिना इस विकल्पना के प्रारम्भ नहीं हो सकता था । प्राचीन वास्तु-पुरुष-विकल्पना अथवा पद-विन्यास प्रक्रिया का स्थान आजकल रेखा-चित्रों (प्लान्स) ने ले लिया है ।

२.	अ. पुर-निवेश	देखिये आगे का भाग (२)
ब.	द्वारकर्म	” ” ” ” (३)
स.	स्थाविभाग अर्थात् मार्ग-विनिवेश	” ” ” ” (२)
य.	प्राकार-निवेश (रक्षा-विधान)	” ” ” ” ”
र.	अट्टालक-निवेश	” ” ” ” ”
ल.	प्रतोली-विनिवेश	” ” ” ” ”
व.	स्थानविभाग (जन-भवन, देवतायत, पुरजन-विहार आदि)	” ” ” ” ”
३.	प्रासाद (मन्दिर निर्माण)	” ” प्रासादनिवेश भाग (५)
४.	ध्वजोच्छ्रिति	यही अध्याय
५.	राजवेश्म तथा राजवेश्म में सम्बन्धित भवन—सभा अश्वशाला, गजशाला आदि	” ” ” भाग (३)
६.	जन-भवन (जाति एवं वर्ण के अनुरूप वसतियाँ एवं भवन)	” ” ” ” (२ व ३)
७.	यज्ञवेदी, यज्ञमानशाला एवं कोटिहोमविधि	” ” यही अध्याय
८.	राजशिविर-विनिवेश तथा दुर्ग-रचना	देखिये आगे का भाग (२)

इस प्रकार समराक्षण के द्वारा स्थापत्य के इस अष्टांग के आठ अङ्गों में से ६ अङ्गों पर यथावसर समीक्षा होगी, अथ रहे दो अङ्ग—

१. ध्वजोच्छ्रिति ।

२. यज्ञवेदी, यज्ञमानशाला तथा कोटिहोमविधि ।

उन पर थोड़ा सा स्थूल रूप से यहाँ पर विवेचन आवश्यक है ।

ध्वजोच्छ्रिति—

ध्वजोच्छ्रिति का अर्थ इन्द्र-ध्वज-उत्थान है। प्रात वास्तु-शास्त्रीय ग्रंथों में समराङ्गण ही ऐसा ग्रन्थ है जिसमें इस शक्रध्वजोत्थान पर एक विस्तृत विवेचन है। स सू के १७वें अध्याय में लगभग २०० श्लोकों में इस यंत्र का सागोपाङ्ग वर्णन है।

महाभारत (आ प ६४) में उपरिचर वसु के द्वारा प्रारब्ध इन्द्र-ध्वजोत्थान-महोत्सव का वर्णन है। यह महोत्सव आगे चलकर राजाओं के द्वारा एक राष्ट्रीय महोत्सव के रूप में मनाया जाने लगा। वाल्मीकि जी ने अपनी रामायण में इस ध्वज को कई स्थलों पर यंत्रध्वज के नाम से निर्दिष्ट किया है। त्रयोध्याकारण्ड में (७७-६) में भरत के गिरने की शक्रध्वज-पतन से उपमा दी है। इसीप्रकार युद्ध-कारण्ड में इन्द्रजित के नाग-पाश में पड़े हुए राम-लक्ष्मण की उपमा शिथिल-रज्जु इन्द्रध्वज से दी गई है।

अतः शक्रध्वजोत्थान एक पुरातन परम्परा है—यह हम समझ सकते हैं। किसी भी नूतन कार्यारम्भ में निमित्तावलोकनार्थ दुर्गकर्म, प्रसादकर्म, अग्निकर्म, स्थालिका-पाक, भक्ष्यपानादि में इन्द्रध्वजोत्थान एक आवश्यकिय कृत्य है—यह स सू(१७-१५-१६) का प्रवचन है। किसी भी शुभ कार्य के प्रारम्भ पर इस ध्वज का निर्माण करके इसके उत्थान से शुभाशुभ निमित्तों के परिज्ञान से तत्कार्य के शुभाशुभ का ज्ञान हो सकता है। अथच इस ध्वज के निर्माण से इन्द्र प्रसन्न होते हैं और उनके साथ अन्य देव भी जो इस यंत्र के विभिन्न भागों के अधिष्ठातृदेव हैं, वे भी प्रसन्न होते हैं और वास्तुकार्य की सफलता के लिये उनका यंत्र में भौतिक आवाहन आवश्यक है।

‘शक्रध्वजोत्थान’ का यह राष्ट्रीय महोत्सव दस दिन तक चलता रहता था। शक्रध्वज का कैसे निर्माण किया जाता था, कौन-कौन से अंग इसके प्रकल्पित होते थे, कैसे उठाया जाता था और कैसे उत्सव के अन्त में गिराया जाता था, किन-किन अंगों पर कौन-कौन देव-पद प्रकल्पित थे—इन सभी पहलुओं पर इस अध्याय में सविस्तर विवरण दिये गये हैं। यह एक प्रकार महा-यंत्र सा निर्मित होता था। इसके विविध कलेवरों में केन्द्रीय दरद, पीठ, चित्रित ध्वजा तथा स्थान विशेष, लटकती हुई कुमारिकायें (गुडियों के रूप में) बाहु, रज्जु-पटक तथा कतिपय यंत्र (जिनके द्वारा इसका उत्थान एवं पतन सम्पन्न होता था) आदि विशेष उल्लेखनीय हैं।

✓ वास्तुकार्य में इन्द्र-ध्वज-उत्थापन-परंपरा का क्या मर्म है ? संभवतः, स्थपति कुल भी राजन्य क्षत्रियों की भाँति इन्द्र को अपना इष्ट-देवता मानते थे। इसके अतिरिक्त ‘इन्द्रध्वज’—जैसा ऊपर संकेत है—एक महायंत्र के रूप में निर्मित किया जाता था, कहने को ध्वजा है वास्तव में धाराग्रह अथवा दोलाग्रह के समान एक वास्तु-कृति समझनी चाहिये। इसके विभिन्न अंगों के परिशीलन से यह तथ्य स्पष्ट होता है। कुण्ड (प्रासाद अथवा मण्डप के गर्भग्रह के समान) पीठ, भ्रम मूलपाद, मल्ल, इन्द्रमाता, कुमारिकायें, लटक, सूची आदि प्रधान अंगों तथा मृगाली आदि रचना विन्धितियों से यह एक आगाराकृति (Edifice) प्रतीत होती है। यंत्र-निर्माण स्थापत्य का एक परम कौशल है जो तत्काल का विशिष्ट क्षेत्र है। इन विवरणों ने तत्कालीन तत्काल-कला की अत्यन्त प्रोन्नतावस्था की सूचना मिलती है।

यज्ञवेदी

अथ स्थापत्य के दूसरे अंग जिस पर विवेचन करने का ऊपर संकेत किया गया है अर्थात् यज्ञवेदी, यजमानशाला एवं कोटिहोम—विधान उसके सम्बन्ध में यहाँ इतना ही निर्देश आवश्यक है कि भारतीय वास्तु-कला का जन्म यज्ञशाला की ही क्रोड से हुआ है। यज्ञवेदियों के अति लघुकलेवर से विशाल मन्दिरों का जन्म हुआ है। वैदिक चित्रित प्रासादवास्तु की पूर्वज है ऐसा सभी वास्तु-विशारदों ने माना है। अतः स्थपति के लिये यज्ञशाला एवं उसमें सम्बन्धित अन्य जालायें एवं यज्ञोपयोगी वेदियों आदि के निर्माण का ज्ञान आवश्यक ही है इसमें दो राये नहीं हो सकतीं।

स. ख. (४७वाँ अ०) में वेदिलक्षण पर जो विचार किया गया है उससे सुतरां सिद्ध है कि यज्ञ वेदियों की ही पृष्ठभूमि पर प्रासादों की निर्माण-कल्पना की गयी है। पुरातन वेदियों का सम्बन्ध विशेषकर विभिन्न यज्ञों से था। पूजावास्तु की वे प्रथम उन्नायिका थीं। कालान्तर में किसी भी शुभ अथवा धार्मिक कार्य में वेदिरचना एक अनिवार्य अंग हो गया। निम्नलिखित तालिका से इन वेदियों की वास्तु-परम्परा पर थोड़ा सा प्रकाश अवश्य पड़ेगा तथा विज्ञ पाठकों को यह भी संकेत मिलेगा कि सभा-वास्तु तथा मण्डप-वास्तु के विकास में वेदि रचना ने बड़ा योगदान दिया होगा:—

संख्या	संज्ञा	अवसर	माप	विशेष
१	चतुरश्री	यज्ञ	६ हस्त (१३ १/२ फीट)	यथानाम चौकोरे
२	सर्वतोमद्रा	देवतास्थापन	८ हस्त (१२ फीट)	मद्रविभूषित
३	श्रीधरी	विवाह	७ हस्त (१० १/२ फीट)	२० कोणों वाली
४	पद्मिनी	{ अग्नि कार्य नीराजन राज्याभिषेक एवं शक्रध्वजोत्थान	६ हस्त (६ फीट)	यथानाम पद्मसंस्थान धारिणी कमलाकृति तुल्ला

स्थापत्य का स्थान

अन्त में स्थापत्यशास्त्र के प्राचीन विद्या में स्थानाङ्कन के सम्बन्ध में भी थोड़ा सा समुद्घाटन आवश्यक है। पूर्व अध्याय (३) में यह निर्देश किया जा चुका है कि वास्तु-शास्त्र का परम्परागत-विद्यास्थानों में परिगणन नहीं प्राप्त होता है। अतः इसमें हम यह निष्कर्ष नहीं निकाल सकते कि वास्तु-विद्या विद्या ही नहीं थी। सच तो यह है कि वास्तु वेद का ही एक अङ्ग था। चतुर्वेदों के उपवेदों से हम परिचित ही हैं। स्थापत्यशास्त्र भी उन्हीं उपवेदों में से एक था। जितप्रकार से आसुर्वेद ऋग्वेद का उपवेद, धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद, गान्धर्ववेद सामवेद का उपवेद परिगणित है उसी प्रकार स्थापत्य अथर्ववेद का उपवेद माना गया है। इसी तथ्य की दिशा में प्रो. क्रैमिश (हिन्दू टेम्पल पृ० ११) में लिखती है—“वास्तुशास्त्र अपने व्यापक स्वरूप में तन्त्रविद्या से सम्बन्धित है। तन्त्र अथर्ववेद का ही उपवेद है। वास्तुकला एक यज्ञीय कार्य के रूप में सनातन में परि-

कल्पित किया गया है। अतः वास्तुशास्त्र का वेदों से दोहरा संबंध स्थापित होता है, क्योंकि इसका वेदाङ्ग-पट्टक में से दो वेदङ्गों से सम्बन्ध है पाँचवों वेदाङ्ग ज्योतिष तथा छठा वेदाङ्ग कल्प (जिसमें वैदिक याग की मीमासा है) दोनों ही वास्तुशास्त्र के अनिवार्य अंग हैं (देखिये स्थपतिलक्षण स. सू. ४४-३—लेखक)। कल्पसूत्रों में परिसंख्यानप्राप्त शुल्बसूत्रों में वैदिक याग की वेदि-रचना के नियम, एवं मान आदि का प्रवचन है। उन्हीं नियमों की आधार शिला पर प्रासाद-निर्माण की प्रक्रिया प्रकल्पित हुई है।”

स. सू. का लेखक इस मर्म को पूर्ण रूप से समझता है। अतएव (देखिये पुर-निवेश अ० १०—७७) चतुर्विध स्थापत्य उपवेद के उल्लेख के साथ-साथ ग्रन्थ उपवेदों का अष्टविध चिकित्सित (आयुर्वेद), सप्तविध धनुर्वेद तथा ज्योतिष—का भी उल्लेख करते हुए, इन सभी के मूल-आचार्य कमलालय ब्रह्मा को बताया है :—

**चतुः प्रकारं स्थापत्यमष्टधा च चिकित्सितम् ।
धनुर्वेदश्च सप्तान्गो ज्योतिषं कमलाजयाव ॥**

मान-योजना

मान-योजना से तात्पर्य भवन-कार्य में आवश्यक नापजोख के लिये प्राचीन स्‍थपति के साधनों में है ।

भारत की वास्तु-विद्या में मान का अति महत्त्वपूर्ण स्थान है । शुल्‍व सूत्रों में प्रतिपादित वेदिरचना के नियमों में प्रथम मान-योजना के दर्शन होते हैं । भारतीयों की वह पुरातन कल्पना रही कि न केवल देवकार्य (वेदि-रचना, प्रामाद-प्रतिष्ठा, मूर्ति-निर्माण) में ही मानयोजना का सम्यक् प्रतिपालन होना चाहिये, वरन्, गृह-निर्माण एवं पुर निवेश तथा मार्ग-विनिवेश आदि में भी मान का पूर्ण ध्यान रखना चाहिये, अन्यथा वास्तु एवं दिशाओं का समन्वय वास्तु-मर्मों—पद के विभिन्न स्थानों, सिराओं, सन्धियों, अनु-सन्धियों, सम्पात आदि-आदि का ध्यान तथा वास्तु-कल्पना का परिपाक पूर्ण रूप से प्रकल्पित नहीं हो सकता । वास्तु-पद-विन्यास-योजना का मर्म मान-योजना ही है । जित प्रकार आजकल हम किसी भी भवन-निर्माण को प्रारम्भ करने के पूर्व प्रथम रेखा-चित्र (ग्राफ) से पूरी-पूरी निवेश-योजना एवं मान-योजना, वास्तु की स्थिति तथा उसकी विभिन्न दिशाओं एवं उसकी वाह्य भूमियों, वसतियों एवं वातावरण के पूर्ण ध्यान के साथ-साथ दिक्-सामुख्य (ओरियन्टेशन) की पूर्णता प्राप्त करना चाहते हैं, उमी प्रकार प्राचीन स्‍थपति पद-विन्यास-योजना से वह सम्पादन करते थे । भेद केवल इतना ही है कि प्राचीनों के लिये यह अनिवार्य धार्मिक कर्तव्य के समान था, अर्वाचीन मनमानी कर लेते हैं । मानयोजना के मर्म के समुद्घाटन में स. सु. के निम्न प्रवचनः—

“प्रमाणे स्थापिताः देवाः पूजार्हाश्च भवन्ति हि ।” (अ० ४०)

“पाचकः कटुतीक्ष्णाद्यैरनुसारसैर्यथा ॥

अन्वीक्ष्य विपचेत् तद्वत् स्‍थपतिः सर्वमाचरेत् ॥” (अ० ५५-१५६)

विशेष द्रष्टव्य है । इन प्रवचनों में भारतीय वास्तुकला का अत्यन्त प्रौढ विक्रम एवं समुन्नत वैज्ञानिक रूप अन्तर्हित है । मानयोजना के ही अप्रतिम निदर्शन विमान-भवनों का प्रागे (‘प्रामाद’ पदल, रहस्य समुद्घाटित होगा । इसी तथ्य की पुष्टि समराङ्गण (६-२८) ने बड़े ही मार्मिक ढंग से की है, ‘यद्यपि येन भवेत् द्रव्यं मेयं तदपि जीत्यते’—जो भी निष्पत्ति अथवा निर्मिति ‘मेय’ कही जा सकती है ।

अस्तु, मानयोजना पर स. सु. में बने तो एक से अधिक अध्याय हैं परन्तु हस्त-रत्नम् नामक ६वें अध्याय में इसकी विशेष चर्चा है । ‘मान-योजना’—इस अध्याय की दूसरी संज्ञा ‘हस्त’ के नाम से दी जा सकती है । ‘हस्त ही समस्त प्रकार के वास्तु का (निर्माणार्थ पदों—माट्स) का ऐतु (कारण) है । विना हस्त के जोड़ भी निर्माण सम्भव ही नहीं । नर सभी कर्मों (राजपत्य-कौशल के विभिन्न कर्मों का वर्णन अ० ५ में देखिये) का आधार

है। मान, उन्मान एवं विभाग आदि अनिवार्य वास्तु-योजना के अंगों के निर्णय करने में एकमात्र सहायक हस्त ही तो है।” भवन तथा भवन-गत प्रतिमा तथा प्रतिमा-गत समस्त प्रकार की मान-व्यवस्था जैसे परिधि, उदय (ऊँचाई) विस्तार तथा लम्बाई का एक मात्र हस्त ही साधन है। यह हस्त जिसे गज कहिये या फुट कहिये ज्येष्ठ, मध्य तथा कनिष्ठ प्रभेद से तीन प्रकार का माना गया है।

आजकल के गज को गिरह में बाँटते हैं, फुट को इंचों तथा सेन्टीमीटरों में। प्राचीन हस्त जिसको आधुनिक नाप से डेढ़फुट कह सकते हैं, निम्नप्रकार से अपनी विभिन्न नाप-मालिका में विभाजित था :—

मान-विभाजन (Units of measurement)

८ रेणु	=	१ बालाग्र
८ बालाग्र	=	१ लिङ्गा
८ लिङ्गायें	=	१ यूका
८ यूकायें	=	१ यवमध्य
८ यवमध्य	=	१ ज्येष्ठ अंगुल
७ यवमध्य	=	१ मध्यम अंगुल
६ ”	=	१ कनिष्ठ अंगुल
२४ अंगुल	=	१ हस्त

हस्त-विभाजन

पर्यन्तस्थ चित्र को देखिये। इसमें २४ अंगुल बने हैं। इसकी त्रिविध संज्ञाओं का आगे वर्णन करेंगे। यहाँ पर इसकी विभाजनप्रक्रिया समझ लेना चाहिए। इसमें तीन-तीन अंगुल पर एक-एक पर्वरेखा करने से आठ पर्वरेखायें बनती है। चौथी पर्वरेखा पर आधा हस्त अथवा गज होता है। प्रत्येक पर्वरेखा पर पुष्प का चिन्ह करना चाहिये। अथच गज के मध्य भाग से आगे के पाँचवें अंगुल के दो भाग, आठवें अंगुल के तीन भाग तथा बारहवें अंगुल के चार भाग करने चाहिये। इसप्रकार इस प्रक्रिया से प्राचीन गजों (हस्तों) का निर्माण होता था। स्थपति के लिये उपयुक्त अन्य माप-दण्डों पर इस अध्याय के अन्त में उल्लेख किया जायेगा।

हस्तनिर्माण-काष्ट

हस्त का निर्माण जिस किसी भी वृद्ध की लकड़ी से नहीं हो सकता। हस्त की लकड़ी खदिर (खैर) अज्जन, वंश (वास) आदि वृद्धों से लेनी चाहिये। पुन. यह लकड़ी श्लक्ष्ण (चिकनी तथा सुन्दर) हीर (लम्बी-सर्पाकृति) मनोरम तथा सारवत (पुष्ट) होनी चाहिये। जो लकड़ी गाठवाली, (ग्रन्थिल) छोटी, (लघु) जली हुई (निर्दग्ध), पुरानी (जीर्ण) तथा फटी (विस्फुटित), कमज़ोर, (अदृढ) तथा कोटराक्रान्त (पशु पक्षियों के कोटरों वाली लकड़ी खोखली हो जाती है) दारु (लकड़ी) हस्त-निर्माण के लिये दृष्ट-दायक नहीं (स. सू. ए. १०-१२)

हस्त-देवता

उपर्युक्त रेखाचित्र में हस्त-देवता-विन्यास प्रत्यक्ष है। इस चित्र में शास्त्रादेश के अनुरूप मध्य में ब्रह्मा की प्रतिष्ठा है। ब्रह्मा के वाम भाग में प्रथम पर्व (मध्य से गणना कीजिये) पर अग्निदेव हैं, उसी प्रकार दक्षिण पर्व पर यम (काल)। पुनः उसी क्रम से दूसरे बाँये पर्व पर विश्वकर्मा तथा दाहिने पर्व पर वरुण विराजमान हैं। इसी प्रकार फिर चलिये। तीसरे बाँये पर्व पर वायु तथा दाहिने पर्व पर धनद—कुवेर जी की प्रतिष्ठा है। किन्हीं-किन्हीं ग्रन्थों के अनुसार कुवेर का उल्लेख न होकर सोम का उल्लेख है। शेष चौथे, बाँये और दाहिने पर्वों पर क्रमशः रुद्र तथा विष्णु की प्रतिष्ठा प्रकल्पित की गई है।

देवपीडन

स. सू. में प्रतिपादित (६. १६-२७) देव-पीडन का क्या मर्म है—यह समझ लेना चाहिये। उपर्युक्त कोई भी देव गज उठाते समय स्थपति के हाथ से दबना नहीं चाहिये अन्यथा अशुभ आपतित होते हैं। हस्त के देव-स्थानों अर्थात् पुष्पाङ्कित पदों को छोड़कर ही गज उठाना चाहिये। इसके विपरीत विरुद्धाचरण से कर्ता-स्थपति एवं कारक-यजमान गृहस्वामी दोनों के लिये अशुभ है। अतः हस्त-धारण में देवपीडन सर्वथा वर्ज्य है।

गज का कौन स्थान शुभ है तथा कौन सा अशुभ यह समझ लेना चाहिये:—

शुभ

१. ब्रह्मा तथा अग्नि का मध्यभाग
२. विश्वकर्मा तथा अग्नि ,,
३. यम तथा वरुण ,,
४. वायु तथा विश्वकर्मा ,,
५. रुद्र तथा वायु ,,
६. विष्णु तथा कुवेर ,,

अशुभ

१. ब्रह्मा तथा यम का मध्यभाग
२. वरुण तथा कुवेर ,, ,,

त्रिविध हस्तसंज्ञाये:—

हस्त के जेष्ठ, मध्यम तथा कनिष्ठ प्रमेदों का संकेत किया जा चुका है। इनकी संज्ञायें क्रमशः 'प्राशय' 'साधारण' एवं 'शय' अथवा 'मात्राशय' हैं। हस्त २४ अंगुल का होता है। जिस हस्त के प्रत्येक अंगुल ८ यवों के परिमाण से प्रकल्पित हो उसे ज्येष्ठ अथवा 'प्राशय' हस्त कहा गया है। इसी प्रकार जिस हस्त के अंगुल सात यवों में प्रकल्पित हो वह मध्यम अथवा 'साधारण' हस्त के नाम से पुकारा जाता है। अथच तीसरी कोटि के हस्त (कनिष्ठ अथवा 'शय' अथवा 'मात्राशय') के प्रत्येक अंगुल ६ यवों से प्रकल्पित होते हैं।

हस्त-योजना

किस हस्त से कौन-कौन वास्तु-प्रकारों की माप करनी चाहिये इस ज्ञातव्य के लिये निम्न तालिका पथ-प्रदर्शन कर सकती है:—

‘प्रायश’ का प्रयोग

१ पुर, खेत या ग्राम के निवेश में विभाग आयाम, विस्तार, परिखा, द्वार, रथ्या (छोटी सड़कें) मार्ग (बड़ी सड़कें) सीमा-क्षेत्र, वन, उपवन, देशांतर-विभाजन, मार्ग-माप-योजना, क्रोश, गव्यूति आदि के प्रमाण ।

२ प्रासाद (मन्दिर) सभा तथा मवन-निवेश में ।

साधारण का प्रयोग

१. तलों की ऊँचाई, मूलपाद (नींव आदि), भूमि के नीचे के जलोद्देश ।

२. दोलायें, धारा-यन्त्र, पात-यन्त्र (आधुनिक नल) तथा यन्त्र आदि ।

३. गुहामंदिर (शैलखात-निकेत), सुरंग तथा पगदण्डी आदि ।

शय अथवा मात्राशय हस्त का प्रयोग

(१) आयुष, धनुष का दण्ड, यान, शय्या तथा आसन ।

(२) कूप, वापी ।

(३) हाथी, घोडे तथा मनुष्य

(४) गरारी (इन्दुयन्त्र)

(५) शिल्पियों के औजार

(६) नौकायें, छाते, ध्वजायें तथा वाजे (आतोच)

(७) रसोई के बर्तन, ढोल तथा (नल्वदण्ड)

मान-वर्ग—

पुरातन वास्तुपरम्परा में जिन-जिन मानों एवं मापों का प्रयोग होता था उसका एक प्रकार से निघण्टु इस निम्न तालिका में निम्नलिखित है । विशेष संकेत यह है कि इन सभी मापों की ‘यूनिट’ अंगुल थी ।

१ अंगुल = १ मात्रा

२ ” = १ कला

३ ” = १ पर्व

४ ” = १ मुष्टि

५ ” = १ तल

६ ” = १ हस्त

७ ” = १ दिष्टि

८ ” = १ तृषि

९ ” = १ प्रादेश

१० ” = १ शयताल

११ अंगुल = १ गोकर्ण

१२ ” = १ वितस्ति

१४ ” = १ पाद

२१ ” = १ रत्नि

२४ ” = १ अरत्नि

४२ ” = १ किष्कु

८४ ” = १ व्याम तथा पुरुष

९६ ” = १ चाप तथा नाडीयुग

१०६ ” = १ दण्ड

३० धनुष (चाप) = १ नल्व

१००० ” = १ क्रोश

२००० ,, = १ गव्यूति
४ गव्यूतियाँ = १ योजन

गणना (अंकसंख्या)—

गणना का मान में महत्वपूर्ण स्थान है। अतः समराङ्गण ने अन्त में निम्न 'गणना' पर भी प्रवचन किया है। २० संख्याओं में सम्पूर्ण गणना (गणित) का समावेश निम्न तालिका से स्पष्ट है :—

१. एक	१	११ खर्व	१००००००००००
२. दश	१०	१२ निखर्व	१०००००००००००
३. शत	१००	१३ शंकु	१००००००००००००
४. सहस्र	१०००	१४ पद्म	१०००००००००००००
५. त्रयुत	१००००	१५ अश्वुराशि	१००००००००००००००
६. नियुत	१०००००	१६ मध्यम	१०००००००००००००००
७. प्रयुत	१००००००	१७ अन्त्य	१००००००००००००००००
८. अर्बुद	१०००००००	१८ पर	१०००००००००००००००००
९. अन्यर्बुद	१००००००००	१९ अपर	१००००००००००००००००००
१०. वृन्द	१०००००००००	२० परार्ध	१०००००००००००००००००००

कालसंख्या—

अर्ध का निमेष	= निमेष
१५ निमेष	= १ काष्ठा
३० काष्ठार्ये	= १ कला
३० कलार्ये	= १ सुहूर्त
३० सुहूर्त	= १ अहोरात्र
	(दिनरात)
१५ अहोरात्र	= १ पक्ष
२ पक्ष	= १ मास
२ मास	= १ ऋतु
३ ऋतुयें	= १ अयन
२ अयन	= १ वर्ष

हस्त (गज) के साथ-साथ लगभग सात प्रकार के और सूत्र शिल्पियों के सहायक थे। यह परम्परा जैसी प्राचीन एवं मध्यकाल में थी, वैसी ही आज भी है।


शिल्पी के योग्य जिन आठ प्रकार के सूत्रों का संकेत किया गया है उनकी कौतूहल जिज्ञासा में निम्न श्लोक समुद्धृत किया जाता है :—

सूत्राष्टकं दृष्टिचुहस्तमौञ्जं,
कार्पासकं स्यादवलम्बसंज्ञम् ।
काष्ठं च सृष्ट्याख्यमतो विलेख्य—
मित्यष्टसूत्राणि वदन्ति तज्ज्ञाः ॥

सूत्रविदों ने आठ प्रकार के सूत्र माने हैं:—

- १ दृष्टिसूत्र एकमात्र नजर फेर कर चुनाई आदि का अन्दाजा लगाना कि ठीक जा रही है कि टेढ़ी-मेढ़ी ।
 २. हस्त (गज)
 ३. मूंज की डोरी
 ४. सूत की डोरी
 ५. अवलम्ब (जिसे राजा लोग साहुल कहते हैं) ।
 ६. काष्ठ (काठ कोना) (जिसे राज लोग गुनियों कहते हैं) ।
 ७. सृष्टि (रेवल)
 ८. परकाल
- ये आठों सूत्र पर्यन्तस्थ रेखाचित्र (पृ० ७६ [अ]) से स्पष्ट हैं ।
-

पुर-निवेश



विषय-प्रवेश

वास्तु-विद्या के क्षेत्र का विवेचन करते हुए हमने देखा-कि समराङ्गण के प्रवचन—
 “देशः पुरं निवासश्च सभावेशमासनानि च ।” (अ० १-श्लोक ४) में देशनिवेश के उपरान्त
 ‘पुरनिवेश’ का नम्र आता है । परन्तु देशनिवेश का सम्बन्ध शास्त्रीय की
 अपेक्षा राजनीतिक अधिक है, क्योंकि राज्यसत्ता के द्वारा ही देश-विशेष की सीमा,
 उस पर आधिपत्य तथा प्रभुत्व का निर्धारण होता है । अतः विशुद्ध शास्त्रीय दृष्टि से
 वास्तु-विद्या के क्षेत्र में देश-निवेश के नियमों का संकीर्तन न होकर पुर-निवेश के नियमों का
 ही प्रथम संकीर्तन होता है । अतएव ‘पुरनिवेश’ की प्राथमिकता स्वतः स्पष्ट हो जाती है ।
 इसी दृष्टिकोण से हमने भी समराङ्गण के अध्ययन में पुर-निवेश को ही प्राथमिकता दी है ।

इस पटल के विषय-प्रवेश में ही यह संकेत कर देना समुचित प्रतीत होता है कि
 यद्यपि इस पटल को ‘पुरनिवेश’ नाम दिया गया है—तथापि पुर के पर्यायवाची नगर और
 नगर के भेद—पत्तन, पुटभेदन, खेटक, खर्वाटक, ग्राम, दुर्ग आदि भी—पुर-निवेश के ही
 विशाल क्षेत्र के अन्तर्गत आते हैं । अतः उनके निवेश सम्बन्धी विशेष नियमों और उनके
 विकास से सम्बन्ध रखने वाले वास्तुत्व, सामाजिक, राजनीतिक एवं धार्मिक-घटक-का
 विवेचन करना इस पटल की पूर्णता के लिये परमावश्यक होगा ।

पूर्व इसके हम पुर-निवेश, ग्राम-निवेश अथवा दुर्ग-निवेश की समीक्षा-करें, संस्कृति
 एवं सभ्यता के आधारभूत व्यापक सिद्धान्तों की ओर—जिनके द्वारा देशविशेष की
 आध्यात्मिक एवं भौतिक उन्नति का विकास होता है—किञ्चित् संकेत कर देना अधिक
 अच्छा होगा । यह किसी से छिपा नहीं है कि देशविशेष की सभ्यता के विकास में वहाँ
 के निवासियों की वेश-भूषा, भोजन-भजन और रहन-सहन की शैलियों में एक विकास तथा
 प्रौढता के हमें दर्शन होते हैं । जिस प्रकार साहित्य समाज का दर्पण कहा गया है उसी
 प्रकार समाज संस्कृति का दर्पण कहा जा सकता है । जिस समाज की जैसी रूप-रेखा हमारे
 देखने में आती है, उसीसे हम उस समाज की संस्कृति एवं सभ्यता का अनुमान कर
 सकते हैं ।

इसके अतिरिक्त मनुष्य के सामाजिक जीवन पर वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ
 (जलवायु, भूमि, पर्वत, समुद्र, सरिता, वृक्ष इत्यादि) का भी कम प्रभाव नहीं पड़ता ।
 मानव-सभ्यता की कहानी मानव के प्रकृति के साथ संघर्ष की कहानी है । जहाँ प्राचीन
 मानव ने प्रकृति का दासत्व स्वीकार कर उसका उपासक बन उमी की पूजा में महान् दर्शनों,
 धर्म तथा काव्य की उद्भावना की, वहाँ आधुनिक मानव, उसके विपरीत प्रकृति को पराभूत
 कर उस पर विजय प्राप्त करने के लिए सतत चेष्टा करता हुआ महान् विज्ञान का निर्माण
 करने में सफल हुआ है । इन दोनों के क्या परिणाम हुए—यह-सूत्र-वेत्ताओं से छिपे नहीं
 हैं । जत्र तक मानव प्रकृति की पूजा में संलग्न रहा—संसार में शक्ति-एवं सुख-का-प्रधान्य था—

श्राज विपुल साधन एवं ऐश्वर्य के होते हुए भी हम अशांति एवं दुःख के नमोमण्डल के नीचे निमग्न हैं। विज्ञान बुरी चीज नहीं है। वस्तु-विशेष के विशिष्ट ज्ञानार्जन का ही नाम विज्ञान है। परन्तु धर्म एवं दर्शन की ज्योति से शून्य विज्ञान शुष्क और नीरस स्थाणु के सदृश होता है।

अतः इस देश में प्राचीन काल से मानव ने अपनी सभ्यता के विकास के प्रयत्न में तथा जीवन-संघर्ष की सामान्य जटिलताओं में जिस प्रकार की रहन-सहन व्यवस्था की, उसमें हमें आध्यात्मिकता एवं धार्मिक उपचेतना तथा प्रेरणा के विशेष दर्शन होते हैं। उदाहरण के लिए वैदिक कालीन जीवन को ही ले लीजिये। उस समय का आर्यों का जीवन अत्यन्त सरल था। छोटे-छोटे भवन छोटे-छोटे ग्राम थे।

आवश्यकता आविष्कारों की जननी है। जब कुछ समय पश्चात् लोगों को शिक्षा, आराधना, व्यवसाय, वाणिज्य तथा अन्य अस्मीसिप्त कार्यों के सम्पादनार्थ किसी ग्राम-विशेष अथवा स्थान-विशेष से एक सामान्य सम्बन्ध बनाये रखने की आवश्यकता प्रतीत हुई तो कालान्तर में वह ग्राम अथवा स्थान महान् नगरों के रूप में परिवर्तित हो गया।

‘नगर’ एवं ‘नागरिक’ ये दोनों शब्द एक दूसरे के उद्बोधक हैं। जैसे नागरिक होंगे वैसे ही नगरों के विकास एवं उनकी वृद्धि की सम्भावना होगी। सच तो यह है कि नगर एक प्रकार से नागरिकों की संस्कृति एवं सभ्यता—दोनों का एक जागरूक चित्र होता है। जिस प्रकार के नागरिकों की बहुलता एवं प्रमुखता होगी, जैसा उनका रहन-सहन, आचार-विचार, व्यवहार, वाणिज्य तथा व्यवसाय होगा, वैसे ही छाप उस नगर पर जिसके कि वे नागरिक हैं, अनिवार्यरूपेण पड़ेगी। भारत के प्राचीन प्रसिद्ध नगरों को देखिये। उदाहरण के लिये नालन्दा का विकास एक गुरु गृह मुनि-कुटीर अथवा साधारण साधु-उटज से हुआ था। शनैः शनैः विद्या और विनय, आचार तथा ज्ञान, धर्म, और संस्कृति—इन आधार-शिलाओं पर एक महान् नगर—विश्वविद्यालयीय नगर—यूनिवर्सिटी टाउन का जन्म हुआ।

पाठक साधारणतया परिचित ही होंगे कि प्राचीन भारत की शिक्षाप्रणाली एवं अनुसंधानशैली के अनुसार विश्वविद्यालय के कुलपति का कुलपतित्व तभी सार्थक होता था जब कि उसके कम से कम दस हजार मेधावी शिक्षित, दीक्षित, एवं अनुसंधान-कार्य-व्यस्त शिक्षित शिष्य होते थे। नालन्दा, तक्षशिला, नैमिषारण्य, नवद्वीप, आदि आदि विभिन्न प्रसिद्ध प्राचीन भारतीय नगर इसी कोटि में आते हैं।

नगर-निवेश की वास्तु-समीक्षा के पूर्व भारतीय नगरों के विकास पर थोड़ा सा दृष्टि-पात कर देना अनुपयुक्त न होगा। नगर-निवेश, वास्तु-शास्त्र—शिल्प-शास्त्र का एक प्रमुख अंग है और विभिन्न पुरातन शिल्प-शास्त्रीय ग्रंथों में प्रतिपादित नगर-निवेश-विषयक नियमों के परिशीलन से भारतीय नगर-विकास की प्राचीनता भी स्वयं सिद्ध है। फिर भी, ऐतिहासिक दृष्टि से भी यह विचार करना आवश्यक है कि नगर-विकास के मूलाधार क्या हैं ? और इस सम्बन्ध में ऐतिहासिक सामग्री का क्या स्वरूप है ? लेखक के ‘प्रासाद’ पटल आदि विभिन्न पटलों में तत् तत् वास्तु की प्राचीनता पर पुथक्-पुथक् विवेचन किया ही गया है। अतः मानव-सभ्यता के प्रमुख चिन्ह वास्तुकला की रूपरेखा का समुदाहन पाठकों को यत्र तत्र उन पटलों में प्रचुर परिमाण में मिलेगा। अतः उसकी पुनर्गति अथवा विवेचन

इस पटल में उचित नहीं है। यहाँ पर इतना संकेत ही पर्याप्त होगा कि भारतीय वास्तु शास्त्र बहुत पुराना है। वास्तु-विद्या की एक विहङ्गम दृष्टि में हमने देखा कि वास्तु-शास्त्र का विवेचन न केवल वास्तु शास्त्रीय ग्रन्थों में ही वरन् पुराण, आगम, अर्थशास्त्र आदि अ-वास्तुशास्त्रीय ग्रंथों में बड़े ही सुन्दर ढंग से किया गया है। कुछ पुराण, अर्थशास्त्र तथा शुक्रनीति इत्यादि ग्रंथ ईसवी पूर्व के हैं। अतः वास्तु-शास्त्रीय परम्परा का शास्त्रीय रूप ईसा से कम से कम एक हजार वर्ष प्राचीन माना जा सकता है।

अतः इस प्रकार जब वास्तु-शास्त्रीय-परम्परा की प्राचीनता सिद्ध हो जाती है तो तत् प्रतिपादित नगर-निवेश (पुरनिवेश) की प्राचीनता में दो रायें नहीं होनी चाहिये। इसके अतिरिक्त जिस प्रकार व्याकरण का विकास अथवा निर्माण भाषा के विकास पर आश्रित रहता है—भाषा के सम्यक् विकास के बिना उसका व्याकरण कैसा ? उसी प्रकार नगर आदि वास्तु अंगों के पूर्ण विकास के बिना नगर आदि उनके निवेश-नियमों एवं सिद्धान्तों का ग्रथन कैसा ? इस दृष्टि से भारतीय नगरों की प्राचीनता पर विचार करते २ ईसवी शताब्दी से पूर्व बहुत दूर पहुँच जाते हैं।

अतिप्राचीन वेदों में भी हमें नगर-निर्माण एवं नगर-निवेश के प्रोज्ज्वल दर्शन होते हैं जिनसे वैदिक-काल की नागरिक-सभ्यता तथा विकसित रहन-सहन के तरीकों पर पूर्ण प्रकाश पड़ता है। 'वैदिक' युग काफी सम्य एवं समृद्ध युग था—यह तो सभी मुक्तकण्ठ से स्वीकार करते हैं। वेदों में वसति, पुर, दुर्ग एवं भवन मन्मन्धी विभिन्न विपुल संकेतों से तत्कालीन वास्तु-विकास का प्रबल प्रमाण प्राप्त होता है। नगर-निवेश के नियमों का भले ही सम्यक् प्रचार न हो पाया हो, किन्तु जहाँ तक नगर निर्माण एवं नगर-विकास का सम्बन्ध है उसके सुदृढ एवं सुस्पष्ट निदर्शनों का अभाव नहीं। दत्त महाशय के शब्दों में (cf T Planning in Ancient India) “निश्चय ही वे लोग जो लौहयुगों का निर्माण कर सकते थे, स्तम्भबहुल विशाल भवनों के निवेश में दक्ष थे तथा सुदीर्घ पुरों का विन्यास कर सकते थे वे निश्चय ही नागरिक कलाओं के वैज्ञानिक ज्ञान से शून्य नहीं कहे जा सकते।”

इसके अतिरिक्त वैदिक-इन्डेक्स के परिशीलन से भी यही तथ्य निकलता है। मैकडानल तथा कीथ—इन महाशयों ने इसी इन्डेक्स में वैदिक पुर पर जो प्रकाश डाला है वह वैदिक नगरों के विषय में भी चरितार्थ होता है। परन्तु यह दुर्भाग्य-विलसित ही कहा जा सकता है कि ये दोनों विद्वान् इन पुर-मन्मन्धी बहुत संकेतों के होते हुए भी—यह कहते हैं — “On the whole it is hardly likely that in early vedic times city-life was much developed” —अर्थात् साराशतः यह कहना बहुत कम संभव है कि आदि वैदिक युग में नागरिक जीवन विकास एवं समृद्धि को प्राप्त हो चुका था।

वैदिक 'पुर' वाची शब्दों के पीछे 'पृथिवी' (चौड़े) 'ऊर्वी' (विस्तृत) 'आयनी' (लौहिक या लौहमय) 'शारदी' (शरदऋतु सम्बन्धी) 'शत-भुजी'—जत भित्ति वाले अथवा शत स्तम्भों वाले—ऐसे विपुल संकेतों के होते हुए भी वैदिक जीवन की ग्रामीणता ही सिद्ध करना कहा तक संगत है ? वास्तव में वैदिक जीवन ग्रामीण तो था ही नागरिक भी था। प्राचीन, पराचीन एवं आधुनिक भारत की मुख्य सभ्यता तो ग्रामीण ही रही है। भारतीय जीवन में ग्रामीणता का सदैव प्रमुख स्थान (सनातन से) रहा है तथा यह स्वाभाविक ही

है कि जिस देश में नगरों की अपेक्षा ग्रामों की संख्या बहुत अधिक हो, जिस देश की जन संख्या का बहुत बड़ा भाग ७५ प्रतिशत से भी अधिक ग्रामवासी हो वहाँ की सभ्यता में ग्रामजीवन की भूलक न हो—यह कैसे सम्भव है ।

अथच ग्राम और नगर—इन दोनों का परस्पर अन्योन्याश्रय सम्बन्ध है । सच तो यह है कि ग्राम तथा नगर का विभेद परिमाण मात्र है । साधारण छोटे छोटे ग्राम ही तो कालान्तर में वाणिज्य, व्यवसाय, शिक्षा-स्थान अथवा तीर्थस्थान आदि विभिन्न संस्कृति एवं सभ्यता के मूल कारणों के कारण विशाल नगरों में परिणत हो जाते हैं ।

उत्तर-वैदिक काल एवं सूत्र-काल में भी वैदिक सभ्यता की ही प्रबल छाप रही । आधुनिक ऐतिहासिक दृष्टि से भारत का सुसम्बद्ध इतिहास महात्मा गौतम बुद्ध के जन्म के समय से ईसासे लगभग पाच सौ वर्ष पूर्व—प्रारम्भ होता है । महात्मा बुद्ध के समय में भारत में राजगृह, अयोध्या, वाशाली, कौशाम्बी, मथुरा, मिथिला, साकेत, उज्जयिनी वैशाली आदि विभिन्न नगरों (दे० राइसडेविड्स—Buddhist India p. 82) के प्राप्त संकेतों से तत्कालीन नगर-निवेश के विकास तथा भारतीय नगरों की प्राचीनता का केवल आभास ही नहीं पुष्ट-प्रमाण भी मिल जाता है । क्योंकि इन सभी नगरों के विकास की अपनी अपनी एक कहानी होगी जो कालान्तर में—बुद्ध के समय सुविकसित एवं समृद्ध नगरों में परिणत हो गये थे । राइस डेविड्स महाशय के मत में नगर-निवेश की रूपरेखा का यद्यपि पूर्ण पता नहीं प्राप्त होता है परन्तु उचुंग भित्तियों, परिखाओं एवं प्राकारों के वर्णन एवं उनके द्वारा सुरक्षित नगरों के विवरणों से अवश्य निष्कर्ष निकलता है कि उस समय तक बड़े-बड़े नगरों का निर्माण हो चुका था तथा उन नगरों की रक्षार्थ उनके चारों ओर प्राकारों, परिखाओं तथा उचुंग भित्तियों का निर्माण किया जाता था । दुर्ग-निर्माण तो वैदिक युग में ही काफी सुसमृद्ध था ।

महागोविन्द नामक एक वास्तुवित् ने गिरिखुज नामक ४½ मील की परिधि में एक दुर्ग को बनाया था—यह राइस साहब ने लिखा है (दे० B India) । इसके अतिरिक्त बुद्ध भगवान् के समकालीन प्रसिद्ध राजा बिम्बसार ने राजगृह नामक नगर का ३ मील में निवेश किया था । इन उपर्युक्त जिन नगरों के सम्बन्ध में चर्चा की गई है वह 'दीघनिकाय' (१६. ३६) नामक प्रसिद्ध बौद्धान्थ के निम्न पद्य से सुस्पष्ट है:—

दन्तपुरं काञ्चिङ्गनामस्सकानाञ्चपोतनम् ।

महिस्मती अचनीतम सोवीरानाञ्च ॥

मिथिला च विदेहानाम् चम्पा अङ्गेषु माहिता ।

वाराणसीच-कासीनम् एते गोविन्द-मापिता ॥

बौद्ध-साहित्य में यद्यपि नगर-निवेश के नियमों के विपुल विवरण पर्याप्त संख्या में नहीं प्राप्त होते हैं तथापि अन्य वास्तु-सम्बन्धी जो विवरण मिलते हैं उनसे तत्कालीन नगर-निर्माण-कला एवं नगर-निवेश Town Planning के विकास एवं वृद्धि का पक्का अन्दाजा लगाया जा सकता है । बौद्ध-साहित्य-भवन-निर्माण-विवरणों से इतना श्रोत-श्रोत है कि बहुत से स्थल वास्तु-शान्तीय-सन्दर्भ से—प्रतीत होते हैं । इन विभिन्न स्थलों की सूचना-हम पहले ही-दे चुके हैं ।

बौद्धारामो एवं बौद्ध-विहारों की करुणा और शान्ति, अहिंसा और सत्य, सरलता तथा सौजन्य की गाथा गाने वाले इन वास्तु-विवरणों के इस निर्देश के उपरान्त अब थोड़ा सा रामायण और महाभारत के महाकाव्य-काननों में भ्रमण किया जावे।

संक्षेप के विषय में 'सिविक्स एण्ड नेशनल आईडियल्स' नामक अपनी पुस्तक में सुश्री सिस्टर निवेदिता लिखती हैं (देखिये पत्र ६-७)—“वाल्मीकि का यह काव्य बहुत सम्भव है. अथवा सत्य ही है कि कवि की अपनी अतिप्रिया अयोध्या महानगरी के पूर्व नृपों के पौराणिक आख्यानों के सजीव चित्रों का चित्रण तद्विषयक श्लाघातिशय के कारण तो नहीं प्रातुभूत हुआ (अर्थात् रामायण की रचना का कारण वाल्मीकि की प्रिय नगरी अयोध्या की प्रशंसा है)।” अयोध्या नगरी तथा उससे सम्बन्ध रखने वाली प्रत्येक वास्तु के वर्णन में कवि की रागात्मिका-प्रवृत्ति एवं तज्जन्य आह्लादातिशय का पूर्ण आभास मिलता है। उत्सव विशेष के अवसरो पर अयोध्या-सौन्दर्य में कवि विभोर हो जाता है। अयोध्या के प्रासादों, तोरणों एवं झ्रों में कवि अपने को विस्मृत कर देता है। वाल्मीकि की नागरिक-प्रियता अयोध्या तक ही नहीं सीमित है। लंका के वर्णन को लीजिये। यहा पर कवि की नागरिकता का चरसोत्कर्ष देखने को मिलेगा। हनुमान् के प्रति लंका-द्वार-रक्षिका नारी के ये वचन—“अहं हि नगरी लंका स्वयमेव प्लवङ्गम” वास्तव में भारतीय नागरिकता-द्योतक शब्दों में अपना शानी नहीं रखते।

रामायण में इतस्ततः नगर-विवरणों की इतनी भरमार है जिससे-तत्कालीन नागरिक-सम्यता एवं नगर-निर्माण-कला के पूर्ण विकास का पता लगता है—इसमें मन्देह का अवकाश ही नहीं रहता।

डा० आचार्य के शब्दों में—(देखिये Indian Architecture according to Manasara page 17)—अयोध्या की नगर-निवेश-रूपरेखा मानसारीय तथा अन्य शिल्प-शास्त्रीय ग्रंथों में प्रतिपादित नगर-निवेश के हृवहू-समान प्रतीत होती है। रामायण के प्रथम सर्ग (१. ५. १०--१५) तथा तृतीय सर्ग (लंकावर्णन) को देखिये—

हाफिस महाशय भी तो यही लिखते हैं—(देखिये J. A. O. S. 13 under City) “अर्थात् महाभारत एवं रामायण में वर्णित नगर-निवेश के परिशीलन से ग्रह स्पष्ट है कि वहाँ राजा, राजकुमारों, प्रधान अमात्यों पुरोहितों तथा मेनातायकों के महल तो निर्मित होते ही थे साथ ही साथ साधारण आवासमयनों (जिनमें मध्यमवर्ग के नागरिकों के अपेक्षाकृत बड़े घेरों में विभिन्न प्रकार तथा प्राण भी होते थे) तथा इन विशाल प्रासादों के अतिरिक्त विभिन्न सभागृह, स्थानक-मण्डप तथा व्यवसाय-वीथिया (स्वर्णकार तथा अन्य विभिन्न कलाकारों की कार्यशालायें) भी विद्यमान थीं।”

इस प्रकार महाकाव्य-कालीन नगर-विकास एवं नागरिक जीवन के अत्यन्त प्रोज्ज्वल रूप में दो रायें नहीं हो सकती हैं। राजेन्द्रलाल मित्र महाशय इसी तथ्य को दृष्टि में रख कर अपने ‘इन्डो आर्यन’ नामक प्रसिद्ध ग्रन्थ में (देखिये पृ० २१—४) लिखते हैं:—“देवायतन, सभा, प्रासाद, शिविर तथा विमान आदि विभिन्न एवं विपुल-संख्यक वास्तु-शब्दों को बार-बार इन वर्णनों में (अयोध्या वर्णन) देखकर किस को उस समय की अत्यन्त विकसित नागरिक वास्तुकला (नगर-निवेश-क्रम) का पूर्णमास नहीं

प्राप्त होगा ? क्या ये शब्द जो अत्यन्त उदीयमान वास्तुकला के अभिव्यञ्जक हैं कभी छप्पर वाले मकानों अथवा भोपडियों के लिये भी प्रयुक्त किये जा सकते हैं ? ऐसे नगर-विवरणों को काल्पनिक अथवा कविकल्पना की उडान कहना कहीं तक न्यायसंगत है ?”

स्थानाभाव के कारण महाभारत के सम्बन्ध में इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि महाभारती कथा की भी यही कथा है। द्वारका आदि महानगरियों एवं इन्द्रप्रस्थ आदि अत्यन्त प्रसमृद्ध नगरों के वर्णन से भी उपर्युक्त रामायण-निष्कर्षों की ही पुष्टि होती है।

‘नगर-निवेश’ के ऐतिहासिक सिंहावलोकन में लेखक ने पुराणों की पुण्य भूमि पर विचरण नहीं किया और न आगमों के अगाध सलिल में डुबकी ही लगायी—जैसा अन्य पटलो में आनुपङ्गिक विवेचन में किया गया है। अतः लेखक की यह त्रुटि (Omission) पाठक की समझ में कैसे आवे ? वात यह है कि रामायण, महाभारत तथा अधिकांश पुराण एक प्रकार से ममकालीन ही हैं। अतः महाकाव्यकालीन नगर-विकास एवं नागरिक सभ्यता के दिग्दर्शन मात्र से पुराणों में उसका चारितार्थ्य प्रकट है। अथच आगे (उत्तर पीठिका में) नगर-निवेश-नियमों एवं सिद्धांतों की समीक्षा के अवसर पर आगमों तथा पुराणों में प्रतिपादित एतद्विषयक सामग्री की यथासंभव समीक्षा होगी। अतः यहाँ पर इस स्तम्भ से अग्रसर हो विख्यात विष्णुगुप्त के कौटिलीय अर्थशास्त्र के कान्तार में पदार्पण किया जावे।

कौटिलीय अर्थशास्त्र की प्राचीनता में पुष्ट प्रमाणों से विद्वानों ने यह सिद्ध ही कर दिया है कि कौटिल्य का समय इसवीय पूर्व चतुर्थ शताब्दी पीछे ही आता। है अतः रामायण एवं महाभारत के काल की नागरिक-सभ्यता एवं नगर-जीवन की पुष्टि तथा नगर-निवेशों पक्रम की सुविकसित रूप-रेखा का प्रामाण्य कौटिलीय अर्थशास्त्र से आपाततः हो ही जाता है। इस अत्यन्त महत्वपूर्ण ग्रंथ में वास्तु-सिद्धांतों एवं उनके विवरणों पर लगभग सात अध्याय हैं जिनमें नगर-निवेश (T. Planning) के विवरणों की भरमार तो है ही साथ ही साथ दुर्ग-निवेश, शिविर-गृह, एवं वास-गृह आदि पर भी अत्यन्त सुसमृद्ध सामग्री मिलती है।

कौटिलीय अर्थशास्त्र की इस विपुल वास्तु-सामग्री का यत्र तत्र सर्वत्र यथोचित स्थानों में प्रयोग किया जायगा ही अतः आगे बढ़ना चाहिये।

इस प्रकार हम देखते हैं कि भारतीय पुरों के विकास एवं पुर-विषयक वास्तु-कलात्मक सामग्री प्रचुर परिमाण में प्राप्त होती है जिसमें भारतीय पुरों की प्राचीनता तथा तत्सम्बन्धी वास्तु-तत्व-विवरणों की सत्यता में असन्दिग्ध प्रामाण्य प्रस्तुत किया जा सकता है। अथच भारतीयों की नागरिकता एवं नागरिक सभ्यता भी इससे सुतरा सिद्ध होती है। भारतीयों का आदर्श यद्यपि आध्यात्मिक विज्ञेय था तथापि भौतिक विभव एवं ऐश्वर्य में भी उन्होंने किसी भी प्राचीन देश से कम उत्कर्ष नहीं प्राप्त किया यह निश्चित रूप से सिद्ध किया जा सकता है।

भारतीय नगर-विकास

अमीतक हम नगर-निर्माण एवं - नागरिक-जीवन सम्बन्धी प्राचीनताद्योतक विशाल पुरातन साहित्य के कतिपय स्थलों का एक मात्र स्थूल दर्शन कर रहे थे। अब हम नगर-विकास के कारणों पर थोड़ा सा ध्यान देंगे-। नगरों की उत्पत्ति कैसे हुई? उनके विकास तथा उनकी वृद्धि के कौन-कौन साधन प्रस्तुत हुए? इन प्रश्नों पर प्रकाश डालना आवश्यक है।

वैसे तो नगर-विकास को हम दो दृष्टियों से माप सकते हैं। कुछ तो नगर ऐसे हैं जो अपने आप स्वतः विकसित हुए हैं तथा इसके विपरीत कुछ किसी व्यक्तिविशेष, संस्था-विशेष अथवा व्यवसाय-विशेष के आश्रय से विकास को प्राप्त हुए। परन्तु ये दोनों मत सर्वांश में सत्य भी नहीं हैं। सम्भवतः कोई भी प्राचीन नगर ऐसा न हो जो पूर्णरूप में स्वतः विकसित हुआ हो अथवा जो अविकल किसी दूसरे के आश्रय में ही पनपा हो। प्रत्येक नगर के विकास में अपना अपना व्यक्तित्व छिपा है, परन्तु अन्य विकास-घटक भी होते हैं। अतः मध्यम मार्ग का ही अवलम्ब न करके सर्वत्र विकास का प्रसार देखने को मिलेगा।

बहुत में नगर कुछ ग्राम-समूहों के पारस्परिक आदाच प्रदान जैसे हट्ट, तालाब, सरिता, मन्दिर, कूप आदि के आश्रय में कालान्तर में स्वतः एक विशाल नगर में परिणत हो जाते हैं। इस प्रकार के विकास को हम प्रथम कोटि में रख सकते हैं। इसके विपरीत किसी राजा की राजधानी के लिये अथवा शिक्षा-संस्था की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये बड़े-बड़े नगरों के निर्माण प्राचीन भारत के सुन्दर निदर्शन हैं—यह ऐतिहासिकों से छिपा नहीं है। अतः भारतीय नगरों के ऐतिहासिक अनुसन्धान में इन दोनों प्रकार के नगरों की कमी नहीं है। सम्राट्‌ज्जण-सूत्रधार के 'नगरादि संज्ञा' नामक १२वें अध्याय में निम्नलिखित शब्द पुर के पर्यायों में परिगणित किये गये हैं:—


नगर	पुष्कर	सदन
मन्दिर	साम्प्रदायिक	सद्य साम्प्रदायिक
दुर्ग	निवास	ज्ञय तथा क्षितिलय

इन पर्यायों में नगर के विभिन्न कोटिक विकास-बीज छिपे हैं जिनकी विस्तृत समीक्षा आगे होगी। यहाँ पर केवल इतना ही सूचन आवश्यक है कि स० स० वास्तु-शास्त्र का ग्रंथ है कोप तो है नहीं कि विना प्रयोजन इन पर्यायों की अवतारणा करता। मेरी समझ में इन पर्यायों में ग्रंथकार ने नगर के बहुकोटिक विकास-परम्पराओं की सूचना दी है। सदन, सद्य, ज्ञय, निवास, भवनवाची हैं अतः भवनसमूह सधारण ग्राम के विकास की ओर इङ्गित होगा। मन्दिर दुर्ग एवं पुष्कर में, मन्दिर-नगर (Temple Cities) दुर्ग-नगर तथा जलाशयवर्तीय नगरों का बोध होता है—यह विशेष रूप से आगे समझ में आ सकेगा।

भारतीय नगर-विकास की परम्परा में प्रचलित शब्द-कल्पद्रुम के निम्नलिखित पर्यायों

का बड़ा महत्व है। इन पुरपर्यायों के अनुमन्धान से भारतीय नगर-विकास की प्रायः अविक्ल विशेषतायें दृष्टि के सामने नाचने लगती हैं (देखिये श० क० भा० ३ पृ० १७२)।

पुर



शब्द-कल्पद्रुम की इस पुरपर्याय-माला में नगर-विकास के विभिन्न स्वरूप-पुष्पों की सौरम-गन्ध से मत्त दत्त महाशय ने लिखा है—“इन पुर-पर्यायों की सूक्ष्म समीक्षा से भारतीय-आर्य-नगरों की उत्पत्ति, विकास एवं इतिहास पर पूर्ण प्रकाश पड़ता है।” लेखक के मत में तो इन पर्यायों की सार्थकता उसी नगर-विकास में विशेष चरितार्थ होती है जो नगर स्वतः विकसित हुए हैं।

अस्तु, इन पर्यायों में से क्रमशः प्रत्येक की थोड़ी-थोड़ी सी समीक्षा से नगर-विकास के बीज कहीं तक निहित हैं—स्पष्ट हो सकेगा। पहला पर्याय है गेह। एक कौटुम्बिक भवन पहले पहल किसी व्यक्तिविशेष के द्वारा किसी स्थानविशेष में स्थापित हुआ। धीरे धीरे उमी कुत से सम्बन्ध रखने वाले भी वहीं आ आकर बसने लगे—एक भवन-गेह इस प्रकार कालान्तर में एक छोटे से ग्राम में बदल गया। इस प्रकार के ग्राम का जहाँ एक ही गोत्र श्रयवा कुटुम्ब के व्यक्ति रहते हों उसे ‘एकयोग’ की संज्ञा दी गयी है—मनुष्यालय-चन्द्रिका श्र० ३ श्लो० १६:—

एकविप्रवरानारं तत् कुटुम्बसमन्वितम् ।

एकयोगं भवेद्ग्रामं तद्भृत्यायतनाश्रितम् ॥

इस प्रकार के छोटे-छोटे गाँवों का अर्वाचीन-निदर्शन भी आधुनिक भरत के प्रायः सभी प्रान्तों में देखने को मिलता है। बङ्गाल को ही लीजिये। वहाँ के घोष, बैनर्जी, मुखर्जी तथा दत्त आदि ब्राह्मण-परिवारों के ‘पारा’ आज भी विद्यमान हैं। इस प्रकार शब्द-कल्प-द्रुम के पुरसम्बन्धी पर्याय ‘गेह’ की कहानी समझ में आ सकती है कि वही एक गेह कालान्तर में एक ग्राम में परिणत हो गया। गेह बढ़कर गाँव हो गया।

‘हृद्वादिविशिष्टस्थानम्’—अर्थात् हृद् बाजार आदि विशिष्ट स्थान जहाँ हों उस स्थान को भी पुर कहा गया है। परन्तु एक बाजार के स्थान को पुर की पदवी कैसे मिली—यह प्रथम दृष्टि में जरा कम समझ में आयेगा। किसी विशेष भू-भाग में पास ही पास चतुर्दिक् छोटे-छोटे गाव फैले हुए हैं। ग्रामीणों की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति

के लिये उन ग्रामों के केन्द्रस्थान में एक हट्ट को स्थापना हुई। वहाँ पर सर्व ग्रामीण किसी दिन-विशेष पर जुटने लगे। दूकानें पहले यों ही आती तथा चली जाती होंगी। कालान्तर में व्यवसायियों तथा वणिकों के व्यापार में वृद्धि होने से वे ही दूकानें जंगम से स्थावर हो गयीं—दूकानें बनने लगीं। इस प्रकार वह नैमित्तिक हट्ट समय पाकर एक नैतिक हट्ट में परिवर्तित हो गया। पुनः वणिकों ने अपने आवास-भवन बनाये। सौविध्य-आकर्षण से और लोगों ने भी वहाँ अपने-अपने आवास-भवनों का निर्माण किया। चारों ओर ग्राम बिखरे ही थे। फिर क्या कालान्तर में सब गाव तथा वह केन्द्रस्थित हट्ट मिलकर एक बृहत् नगर में परिणत होगये। इस प्रकार एक हट्ट से एक पुर का विकास होगया।

दूमरे पर्याय—हट्टादि-विशिष्ट-स्थान—के साधारण स्वरूप को व्यापक स्वरूप देने के लिये कोषकार ने लिखा होगा—“बहुग्रामीय-व्यवहार-स्थानम्” जिससे तात्पर्य यहाँ लेन-देन से है। बाजार में न केवल लोग खरीदने ही आते होंगे—अपने अर्जित अन्न आदि द्रव्य को बेचने भी आते होंगे जैसा आजकल भी देहाती बाजारों में देखने को मिलता है। प्रसिद्ध प्राचीन भारतीय नगर—‘सप्तग्राम’ इस तथ्य का ज्वलन्त उदाहरण है। सप्तग्राम बहुत समय तक एक व्यवसाय-केन्द्र—व्यवहार-बीधी रहा—जहाँ दूर-दूर के व्यवसायी आते थे, वाणिज्य करते थे, रहने भी लगे। सप्तग्राम तथा वे व्यवसाय-बीधिया मिलकर एक विशाल नगर के निर्माण में सहायक हुईं।

जहाँ तक पुरी एवं नगर—पुर के इन दो पर्यायों की गाथा है उसके अन्तर्तम में कोई विशेष इतिहास तो नहीं छिपा है परन्तु सम्भवतः पुरी उसी नगर अथवा पुर का नाम परम्परा में प्रसिद्धि को प्राप्त करती है जो अपनी पावनता एवं गौरव की अभिव्यंजिका होती थी। यह प्रसिद्धि अथवा गरिमा किसी तीर्थस्थान, मन्दिर, विद्यापीठ, अथवा राजपीठ के कारण प्राप्त होती है। प्राचीन भारत के बड़े-बड़े नगरों की आत्म-कथा में सबसे बड़ा योग तीर्थस्थानों, मन्दिरों, राजपीठों, विद्यापीठों अथवा पुण्य-सलिला-सरिताओं ने दिया है। नालन्दा, तक्षशिला, नैमिषारण्य, नवद्वीप, काशी, प्रयाग, पाटलिपुत्र आदि-आदि अति-प्रसिद्ध प्राचीन पुरों की गाथा में एक-एक पर अलग-अलग विशालकाय ग्रन्थों का निर्माण किया जा सकता है।

पुर-विकाम के प्रतीक पाचवें पर्याय—‘पत्तन’ की भी यही कहानी है कि उसके विकास में व्यवसाय तथा वाणिज्य—मनुष्य की अत्यन्त अनिवार्य आर्थिक आवश्यकता के बीज छिपे हैं। वाणिज्य और व्यवसाय को सुदूर अन्तर्देश तथा विदेश में फैलाने के लिये बड़ी-बड़ी सरिताओं तथा समुद्रतटों ने बड़ा योग दिया है। ससार के विभिन्न देशों में सर्वत्र समान रूप से यह देखा गया है कि इस प्रकार के वाणिज्य केन्द्र (trading port) कालान्तर में बड़े-बड़े व्यावसायिक नगरों में परिणत हो गये। बहुत पुरानी परम्परा है कि जब विभिन्न जातियाँ किसी स्थानविशेष पर वाणिज्य के लिये एकत्रित होती थीं पार-स्परिक आदान-प्रदान के लिये विचारविमर्श भी करती थीं तथा अपने-अपने माल (कच्चे और पक्के) का सर्वसाधारण दूर-दूर के बाजारों में व्यापार विनियोग की योजना बनाती थीं। यह स्थान प्रायः किसी बड़ी सरिता के तट पर अथवा समुद्र के किनारे होता था। आधुनिक हावड़ा हाट इसका ज्वलन्त उदाहरण है। इसी प्रकार चिटगांव भी। प्राचीन भारत का

वृद्धत् व्यावसायिक नगर सप्तग्राम भी यही तथ्य चरितार्थ करता था। 'पत्तन' शब्द की परिभाषा से भी यही निष्कर्ष निकलता है। 'मयमत' शिल्पशास्त्र में पत्तन के सम्बन्ध में लिखा है—

द्वीपान्तरागतवस्तुभिरनुयुक्तं सर्वजनसहितम्,
 क्रयविक्रयकैयुक्तं रत्न-धन-क्षौम-गन्ध-वस्त्वाढ्यम् ।
 सागरवेलाभ्यांशे तदनुगतयाचि पत्तन प्रोक्तम् ॥

(अध्याय १०. २८-२९)

अर्थात् 'पत्तन उस नगर को कहते हैं जहाँ अन्य विभिन्न द्वीपों से आये हुए विभिन्न वस्तु-जात एकत्रित किये जाते थे तथा जहाँ भिन्न-भिन्न जातियों के लोग रहते थे। वहाँ पर वाणिज्य तथा व्यवसाय का विशेष बोलबाला था। क्रय-विक्रय का पूर्ण प्रसार तथा रत्न, धन, धान्य, रेशमी वस्त्र, गन्ध-द्रव्य-जात का प्राचुर्य पाया जाता था। अथच ऐसा नगर सागर-वेला के निकट स्थित होता था'। श्री वेंकटराम अय्यर महोदय ने अपने 'टाउन प्लानिंग इन एन्शियेंट डेकन' नामक प्रसिद्ध पुस्तक में इसी पत्तन के निदर्शन में 'कावेरिपु पत्तनम्' नामक प्राचीन नगर का वर्णन किया है। सागरवेलास्थित व्यावसायिक केन्द्र—ब्रन्दरगाहों के अतिरिक्त व्यवसायसुलभ मार्गों पर भी प्राचीन भारत में कई नगर निर्मित हुए। भारत के जगद्विख्यात तक्षशिला नामक प्रसिद्ध नगर का विकास इसी व्यावसायिक-सौविध्य से सम्पन्न हुआ।

सागर-वेला के समान या यों कहिये उससे भी अधिक सरिताओं के तटों ने भी नगरों के विकास में बड़ा योग दिया। भारत में सरिताओं के तट न केवल प्राचीन विद्यापीठीय नगरों या सभ्यताप्रसार के लिये ही प्रसिद्ध रहे, वरन् व्यावसायिक नगरों के विकास के लिये भी सर्वोत्तम सिद्ध हुए। प्राची-काल में आदान-प्रदान, यातायात, सूचना तथा संवहन आदि के लिये सरिताओं के मार्ग ही एकमात्र अवलम्ब थे। यातायात एवं यात्रा-जात (Transport and locomotion) के साधन भी सरितायें थीं—यह भी अविदित नहीं है। इन्हीं विघेषताओं के कारण ये सरितायें अपने देशविशेष के आभ्यन्तरिक व्यवहार, व्यवसाय एवं व्यापार की सहायिका तो थी ही, देश के बहिर्भागों के साथ भी सम्पर्क स्थापित करने में निमित्त बनीं, जिससे संसार में एक देश से दूसरे देशों में व्यवसाय एवं वाणिज्य का प्रसार सम्भव हो सका, तथा कालान्तर में सरिताओं के तट बड़े बड़े नगरों के जन्म देने में साधन बन सके।

अथच यह हम जानते ही हैं कि भारत में आर्यों के उपरान्त उनके प्रभुत्व एवं उनकी सभ्यता के प्रसार में सिन्धु एवं गंगा ने कितना बड़ा योगदान दिया। सरिताओं ने ही आर्यमभ्यता के प्रसार में मार्गप्रदान किया। यही कारण है कि व्यावसायिक केन्द्र-स्वरूप विभिन्न-बड़े नगरों के अलावा भी प्राचीन-भारत के बड़े-बड़े नगर सरिताओं के तट पर ही निर्मित हुए। ये नगर प्रायः सरिताओं के दक्षिण-कूल पर ही बसाये गये जैसा कि शास्त्रों की आशा है। आजकल भारत के कुछ नगर जैसे कलकत्ता आदि जो इस नियम

के अपवाद हैं उसका कारण उनके स्थापन में अ-हिन्दू-संस्कृति एवं प्रभुता का कारण है। सरितातट पर निर्मित नगरों के लिये 'पुटमेदन' शब्द का प्रयोग किया गया है तथा व्यवसाय केन्द्रों के लिये 'निगम' का।

शब्द-कल्पेद्रुम के नगरपर्यायों में अभी तक जिनकी ममीक्षा नहीं हो पायी है उनमें केवल तीन और अवशेष हैं—स्थानीय, कटक तथा पट्ट। इन तीनों का रक्षा (defence) से सम्बन्ध है। 'स्थानीय' का अर्थ दुर्ग-विशेष से है। 'कटक' का अर्थ शिविर स्पष्ट ही है। 'पट्ट' से पार्वत्यप्रदेश अथवा पर्वताकीर्ण मार्ग से संकेत है।

पुरातन से यह परम्परा प्रचलित है कि मनुष्य ने अपने रहन-सहन, भोजन-भजन, एवं आचार-विचार तथा व्यवहार और आदान-प्रदान के साधनों के साथ-साथ अपनी रक्षा के उपायों पर भी विचार किया तथा उसके साधन जुटाये। अथच सभ्यता के विकास—नागरिकता के उत्थान में शासन एवं प्रभुत्व का बड़ा योग रहा। अतएव सम्यक् शासन-संचालन के लिये कतिपय ग्रामों के बीच रक्षाकेन्द्र के प्रतीकरूप में एक दुर्ग विशेष की स्थापना करनी पड़ी। इसी परम्परा के प्रभाव में प्रभावित होकर प्रायः सभी शिल्पशास्त्रों ने नगर-निवेश तथा ग्राम-निवेश के जो नियम निर्धारित किये हैं वे प्रायः हूबहू दुर्ग-निवेश में भी लागू होते हैं। डा० आचार्य के मत में पुर, ग्राम तथा दुर्ग के निवेश-नियम 'मानसार' ऐसे लब्धप्रतिष्ठ-शिल्पशास्त्रीय ग्रंथ में प्रायः समान ही हैं। डा० आचार्य महोदय लिखते हैं।-

“मानसार के अनुसार एक ग्राम,—एक नगर तथा एक दुर्ग में कोई विशेष भेद नहीं है। सभी सुरक्षित (fortified) जनावासोचित स्थान हैं। एक नगर एक ग्राम का विस्तृत रूप है। दुर्ग भी बहुत अंश में सुरक्षित नगर के सदृश है। इनमें यदि भेद है तो इतना ही है कि जहाँ एक दुर्ग का रक्षा के हेतु निर्माण होता है वहाँ एक ग्राम अथवा नगर का निर्माण आवास के लिये—Indian Architecture Acc. to Manasara Shilpa Shastra—page 39.

इस कथन में कोफ़ी सत्यता है, परन्तु नगर एवं दुर्ग की यह समीक्षा पूर्णतः सत्य नहीं है। संसार के प्रायः सभी देशों में प्राचीन काल में जो बड़े बड़े नगर बने, उनकी रक्षा का यथोचित प्रबन्ध अवश्य रखा गया। प्राचीन भारत-में-सम्भवतः-ही ऐसा कोई नगर निर्मित हुआ हो जिसके चारों ओर परिखायें तथा भित्तियाँ न बनी हों। विद्यापीठीय नगरों तथा मन्दिरनगरों (Temple cities) के निर्माण में भी यही व्यवस्था देखने में आती है। परन्तु व्यावसायिक नगर तथा तीर्थस्थानीय नगर इस नियम के अपवाद हैं। अतः निश्चय रूप में यह कहा जा सकता है कि जिन नगरों का निर्माण अथवा विकास राजाश्रय पाकर सम्पन्न हुआ उनमें रक्षा की इस परम्परा का अवश्यमेव पालन किया गया। प्राचीन भारत के सुप्रसिद्ध नगर पाटलिपुत्र को ही लीजिये। उसका निवेश एक दुर्ग के समान ही सम्पादित हुआ। अथच चारुपुत्र ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'अर्थ-शास्त्र' में इसी नियम के पालन का अदेश भी दिया है। परन्तु जिन नगरों का निर्माण अथवा विकास राजाश्रय से प्रभावित न होकर धर्माश्रय-पाकर अथवा व्यवसाय या व्यापार आदि के कारण हुआ उनमें यह परम्परा गौण रही। और ठीक भी है।

इसके अतिरिक्त युगधर्म बढ़ा कठोर होता है। जैसा युग होता है वैसे युगधर्म बनते हैं। समय-विशेष का प्रतिविम्ब समयविशेष की सभ्यता पर अवश्य अंकित होता है। प्राचीन काल में यातायात के साधन तथा जीवन-रक्षा के साधन न तो इतने सुलभ थे और न इतने सुन्दर ही। ऐसी परिस्थिति में नगरों की रक्षार्थ यदि यह परम्परा परल्लवित हो तो इसमें आश्चर्य ही क्या ? आज भी प्रायः बड़े बड़े नगरों में सरकार की ओर से छावनिया होती हैं। उनकी स्थापना में भी तो इसी प्राचीन परम्परा के बीज निहित हैं।

अस्तु। 'प्रकृतमनुसरामः'। 'स्थानीय' एवं 'कटक' आदि जिन 'पुर'-पर्यायों के सम्बन्ध में अभी सीमन्ता का उपोद्घात कर रहे थे उनके विषय में भी जैसा पहले हम देख चुके हैं, विकाससिद्धान्त लागू होता है। सर्वप्रथम राजा की ओर से देश के शासन की ओर से-विभिन्न उपयुक्त प्रदेशों में सैन्य-शिबिरों के पड़ाव पड़े होंगे। पुनः इन सैन्य-स्थलों Military out-posts कालान्तर में नगरी के विकास में सहायक हुए। बहुत से प्राचीन नगर जिनके नामकरण में कटक अथवा कोट जुड़ा है वे इस तथ्य के ज्वलन्त उदाहरण हैं। उदाहरण के लिये कटक (Cuttack) स्यालकोट, नगरकोट, मंगलकोट आदि विभिन्न नगरों के विकास की यही कहानी है। अतः निष्कर्षरूप में मानव-आवास-निर्माण एवं उसके विकास में रक्षा ने बड़ा योग दिया। इसकी पोषक-सामग्री में गोत्र शब्द बड़ा ही महत्वपूर्ण है। गोत्र शब्द का अर्थ वैसे तो एक परिवार-विशेष से है जो प्राचीन आदि ऋषियों में से एक की परम्परा से पनप रहा है परन्तु शब्दार्थ है—'गाःत्रायन्ते यस्मिन् तत्(स्थानम्)गोत्रम्—enclosure for cows—गौवों का बाड़ा और दत्त महाशय (page 35 Town Pla. in Ancient India) के शब्दों में— this was the genesis of 'the Indo-Aryan village or town' 'प्रसिद्ध पुरातत्वविद् मैक्समूलर' गोत्रशब्द के इन दोनों अभिधेयार्थ तथा लाक्षणिकार्थ की स्थापना करते हुए लिखते हैं—

"पुरातन समय में जो बड़े बड़े युद्ध होते थे वे यूरोप अथवा एशिया की शक्ति-संतुलनार्थ (to maintain balance of power) नहीं होते थे उनका उद्देश्य एक मात्र चरागाहों पर आधिपत्य करना अथवा पशु-समूहों को अधिकृत करना था। ऐसी अवस्था में युद्धस्थल के बीच के हर्डल्स (रक्षार्थ स्थापित लकड़ी) अथवा लोहे के भित्ति सदृश प्राकार कालान्तर में एक दुर्ग में परिणत हो गये। ऐसे स्थानों के लिये एंग्लों सेक्शन माषा में टन अथवा जर्मन में तन इसी प्रकार टाउन, नगर शब्द प्रयुक्त हुए तथा जो लोग उन्हीं दुर्ग-भित्तियों के पीछे रहते थे वे गोत्र, परिवार, वर्ग अथवा जाति के नाम से पुकारे जाते थे"—cf. Chips from a German Workshop

इस प्रकार हमने देखा कि शब्दकल्पद्रुम-कोषकार ने पुर-सम्बन्धी जितने पर्याय दिये हैं उनकी अपनी अपनी एक आत्मकहानी है जिसके अन्तर्गत में पुरातन आवास-रहस्य निहित है। नगर-विकास के स्वतःप्रसार-सम्बन्धी विवेचन में इन पर्यायों ने बड़ा योग दिया। हमने देखा कि वे नगर जो किसी व्यक्ति-विशेष की प्रेरणा अथवा योजना से विकसित न होकर अपने आप वृद्धिगत हुए उनकी उत्पत्ति, विकास एवं विवृद्धि में एक गेह, एक मन्दिर अथवा एक ग्राम, एक हट्ट, द्वीप, सरितातट, सागरवेला, पार्वत्य उपत्यका आदि की अपनी एक आत्म कहानी छिपी है।

इन मभी स्थानों की प्रायः ममीक्षा हो चुकी है परन्तु मन्दिर, विद्यापीठ तथा ग्रामों के सम्यन्ध में अभीतक सकेतमात्र ही हुआ है। इनकी कुछ अधिक विवेचना आवश्यक है। सर्वप्रथम मन्दिर के दर्शन करें। प्राचीन भारत के नगरों के इतिहास पर यदि हम ध्यान दें तो पता चलेगा कि बहुत से प्राचीन नगर मन्दिर-स्थानों के विकास-मात्र हैं। संसार के अन्य देशों में भी विभिन्न प्राचीन नगरों की भी यही कथा है। परन्तु भारतवर्ष में तो यह कथन "Temple was a City in making" अर्थात् मन्दिर की स्थापना हुई नहीं कि नगर बस गया—सर्वांश में चरितार्थ देखा गया है।

मन्दिर शब्द 'देवतायन' का तो वाचक है ही साथ ही साथ उसके दो अर्थ और हैं—भवन तथा नगर। 'समराङ्गण' ने (१८ वीं श्र० देखिये) नगरपर्यायों में मन्दिर शब्द का प्रथम आख्यान किया है—यह हम देख ही चुके हैं। यह तो वास्तु-शास्त्र की बात हुई। अमरकोष तथा विभिन्न आन्यकोषों में भी मन्दिर शब्द भवनवाचक है। यह सर्वविदित ही है।

'मन्दिर-नगरों का विकास स्वतःविकसित नगरों में आता है। मन्दिर शब्द की इस पुरातन वास्तु परम्परा का प्रभाव तामिल-साहित्य में भी परिलक्षित होता है। तामिल 'नक' शब्द न केवल नगर का ही बोधक है वरन्, भवन, मन्दिर, प्रासाद (राजप्रासाद) का भी बोधक है। यह ठीक भी है। प्राचीन भारत में ही नहीं, आज भी भारतीयों की जीवन-धारा में धार्मिक-स्थान, पूजा-गृह, सरिता-तट, एकान्तस्थान, वनप्रान्त पर्वत-कन्दरायें आदि का सदैव से विशिष्ट स्थान रहा है। क्योंकि रत्नगर्भा, शस्यश्यामला, समृद्धा इस भारतवसुन्धरा में संकटमय जीवन तथा संघर्षमय जीविकोपायों का कोई प्रश्न ही न था। अतएव यहाँ की सम्यता एवं संस्कृति में भौतिक-प्राधान्य न होकर सनातन से अध्यात्म-प्राधान्य रहा है। इस रहस्य के अनुसार यहाँ के नागरिकों की स्वतःप्रेरणा में यही संभव है अथवा स्वामाविक ही है कि वे अपने आवास भवनों के निवेश के लिए पावन स्थलों, सुन्दर, स्वस्थ प्रदेशों एवं वातावरणों को चुनें। अतः स्पष्ट है कि प्राचीनकाल में किसी देवतायन के पूत-पावन भू-भाग के निकट थोड़े से जिजासु एवं साधक सज्जनों ने सर्वप्रथम अपने आवासों का निर्माण किया। धीरे-धीरे वह स्थान अपने निजी आकर्षण और कुछ व्रतियों के सौविध्य ने एक विशाल तीर्थस्थान मन्दिर-नगर में परिणत हो गया।

इसके अतिरिक्त मन्दिर यदि सम्यक् प्रकार से संचालित हैं तो उसके निकट कोई सुगम्य जलाशय, पुष्कर, पुष्करिणी अथवा सरिता का होना आवश्यक है। अतः जीवन की अत्यन्त महत्त्वपूर्ण आवश्यकताओं में जल की आवश्यकता-पूर्ति की साधन-सम्पन्नता के कारण मन्दिर के सुन्दर, स्वास्थ्य-प्रद एवं पावन वातावरण के कारण वहाँ वसति-स्थापन सहज संमान्य है। इसके अतिरिक्त मंदिर के देवता की प्रसिद्धि—उसकी वरद-गरिमा तथा कीर्ति के कारण भी दूर-दूर से लोग दर्शनार्थ आते थे एवं दर्शनार्थियों में बहुत ने आगन्तुक वहाँ आकर बसने की ठानते थे। मंदिर से-नगर का यह विकास धर्माश्रय था। विद्याश्रय भी इस प्रकार के नगर के विकास में कम सहायक नहीं हुआ। क्योंकि मंदिर न केवल तीर्थस्थान के ही करण प्रसिद्ध थे, वरन् बहुत से मन्दिरों में वहाँ के पुजारियों

के पारिडल्य, आध्यात्मिक ज्ञानगरिमा तथा उनके पुनीत आचरण के आकर्षण से बहुत से जिजासु वहाँ जाकर रहते थे—ज्ञानार्जन करते थे, कथावार्ता सुनते, पुराण-पारायण करते, योगाभ्यास साधते थे। सच तो यह है कि प्राचीन भारत में ही नहीं, आज भी बहुत अशों में मंदिर न केवल ध्यान, पूजा, अर्चा के ही पावन-स्थान हैं वरन् अध्ययन-ध्यापन, चिंतन एवं मनन तथा गवेषण और अनुसंधान, साधना और सुश्रुषा के जाज्वल्यमान केन्द्र भी हैं। दत्त महाशय के शब्दों में 'बहुत से निदर्शनों में यह अर्थात् एक मन्दिर एक छोटा सा विश्वविद्यालय का स्वरूप धारण करता या जहाँ पर विद्वान् परिदृत मन्दिरों के बरामदे अथवा सम्मुखस्थित छतदार प्राण-मण्डप में एकत्रित होकर जिजासु छात्रों को साहित्य, ज्योतिष, वेद, वेदाङ्ग, पुराण तथा अन्य विभिन्न विद्याओं में शिक्षित तथा दीक्षित करते थे। समय-पाकर कालान्तर में मन्दिर, उसके देवता तथा उसके पुजारी की गरिमा एवं ख्याति सुदूर प्रदेशों में फैल जाती थी—जिससे विभिन्न प्रदेशों से लोग आकर देवदर्शन के साथ-साथ ज्ञानार्जन के लिये भी आने के अभिलाषी हो जाते थे'।

अथवा एक मंदिर से एक विशाल नगर बनने की कहानी में हिन्दू-सांस्कृतिकी प्रमुख एवं महत्वपूर्ण आश्रम-व्यवस्था ने भी बड़ा साहाय्य प्रदान किया। आश्रमचतुष्टय में वानप्रस्थाश्रम में जब लोग पदार्पण करते थे तो घर छोड़कर किसी निर्जन, पावन, एकांत स्थान में जाकर रहते थे। यदि सौभाग्यवश ऐसा स्थान किसी मंदिर के साक्षिध में मिल गया तो फिर क्या, अहोभाग्य। अतः वानप्रस्थाश्रमियों के साक्षिध से भी जो प्रथम छोटे-छोटे उटज बने वे कालान्तर में दानवीरों की सहायता से सुन्दर आवास-भवनों में परिणत हो गये।

इसप्रकार इन विभिन्न कारणों से जब मन्दिरों के चारों ओर वस्तियाँ बस गयीं तो फिर उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के हेतु विभिन्न दूकानों आदि की स्थापना हुई। कालान्तर में वह स्थान राजाश्रय पाकर वहाँ पर राजपीठ के स्थापन में भी निमित्त बना। राजप्रसादों का निर्माण भी हो गया। फिर क्यों कहना था—वह स्थान और भी अधिक बसने लगा। अन्ततोगत्वा मार्ग, प्रतोली, परिकों, प्राकार, अट्ट आदि आवश्यक विभिन्न नागरिक वास्तु-उपकरणों की निवेश क्रिया भी सुतरा सम्पादित हो गयी। इस प्रकार वह मन्दिर आगे चलकर एक नगर में बदल गया। इस प्रकार के नगरों के निदर्शन में दक्षिण-भारत का कंजीवरम् प्राचीन नगर प्रस्तुत किया जा सकता है—देखिये—T. Plan-ning in Ancient Deccan. p. 21। आधुनिक इस प्रकार के नगरों में दत्त महाशय ने तारकेश्वर (वर्दवान) सीताकुण्ड (चिद्रागव) आदि नगरों का उदहरण दिया है।

मन्दिर-नगरों के—विशेषकर दक्षिण-भारत के—विषय में एक बात विशेष उल्लेखनीय यह है कि उन मन्दिरों की 'निवेश-प्रक्रिया' तथा 'दिल्लिखानों' में प्रतिपादित 'ग्राम-निवेश' अथवा नगर-निवेश प्रक्रिया 'विलकुल मित्ती जुलती है। ग्राम या नगर के gate towers-का सादृश्य मन्दिर के गोपुर से, ग्रामीय या नगर के रजिमार्ग का सादृश्य मन्दिर मार्गों से, मगल्लवीथी या ग्रामीय वृत्ताकार सड़कों का सादृश्य मन्दिर की प्रदक्षिणा से सुतरा प्रकट है। इसी प्रकार मन्दिर-मण्डप—ग्रामीय या नगर-परिपद्-भवन में सादृश्य रखता है।

इसीप्रकार मन्दिर के विभिन्न भवनों एवं सभा-सदनों, प्रकोष्ठों, प्रांगणों, कूप, तड़ाग जलाशयों आदि का भी सादृश्य प्रकट है ।

पुर-पर्यायो की पृष्ठभूमि पर नगर-विकास का यह प्रसार खूब प्रवृत्त हुआ । परन्तु अभीतक हम विशेषकर ऐसे नगरो के विकास के कारणों का विवेचन कर रहे थे जिनका विकास पूर्व-सूचित विकास कोटि-द्वय—स्वतःप्रवृत्त तथा परप्रवृत्त—में से प्रथम कोटि से सम्बन्धित था । जहाँ तक दूसरी कोटि का प्रश्न है उसमें पूर्व-प्रतिपादित स्थानीय आदि किलों की स्थापना के कारण नगरों का विकास बताया ही जा चुका है । ऐसे नगर पर-प्रवृत्त कोटि में आते हैं । अब इस प्रसंग में एक दो तथ्यों का उद्घाटन कर दूसरे प्रकरण में प्रवेग करना है । परप्रवृत्त अथवा स्वतःप्रवृत्त नगरों के विकास में ग्रामों ने बड़ा योग दिया । इसके अतिरिक्त देग की तत्कालीन शासन-पद्धति एवं सुरक्षा-व्यवस्था ने भी कम योग नहीं दिया । पाटलिपुत्र आदि बड़े-बड़े नगरों की कहानी ग्राम-समूहों में लिखी है । अथवा, जैसा हम आगे देखेंगे नगर-विधान तथा ग्राम-विधान के निवेश-नियम प्रायः समान ही हैं । ग्राम के बृहत् रूप को ही नगर की संज्ञा दी गयी है । राजमार्ग, मंगलवीथी अथवा प्रदक्षिणा, चैनवोर्ड की पद्धति के अनुसार विभिन्न वास्तुपद-विभाग (जहाँ पर अपने-अपने व्यवसाय एवं पद के अनुरूप आवास-भवनो का वर्गीकरण प्रतिपादित किया गया है), तड़ागो, कूपों, देवतायत्तन आदि की व्यवस्था तथा द्वार-निवेश-नियम—ये प्रायः सभी वास्तु-अंग ग्राम-निवेश एवं पुरनिवेश में प्रायः सर्वत्र समान प्रतिपादित हैं । अतः प्रकट है कि ग्राम एवं नगर—इन दोनों के निवेशोपक्रम एवं तत्सम्बन्धी विभिन्न विन्यास के साम्य के कारण ही ग्रामों को नगरों में परिणत करने—विकसित होने का प्रश्रय मिला । यही कारण है कि पुरातन समय में जब यातायात एवं अन्य विभिन्न आधुनिक साधनों का अभाव था तो राजा लोग (क्योंकि प्राचीन समय में प्रायः मारुडलिक राज्यों का ही प्राधान्य था) प्रायः किसी सोविध्य-पूर्ण ग्राम में अपना महल बना कर रहते और वहा से उस ग्राम के चतुर्दिक् स्थित अन्य बहुत से ग्रामों के शासन-संचालन कर-एकत्रीकरण आदि का प्रबन्ध करते एवं रक्षार्थ बुर्ग की स्थापना करते—इस प्रकार थोड़े ही समय में वह ग्राम राज-पीठ होने के कारण एक विशाल नगर में परिणत हो जाता था । भारतवर्ष के प्राचीन नगर जो अब भी अपनी पूर्वगतिमा अक्षुण्ण बनाये हुए हैं उनके इतिहास पर दृष्टि-पात करने पर यह तथ्य सहज ही समझ में आजायेगा । पाटलिपुत्र का उल्लेख हो चुका है । वीजापुर आदि अन्य बहुत से नगर इसी कोटि में आते हैं ।

इस प्रकार शब्द-कल्प-द्रुम के पुर-पर्यायो का आधार लेकर नगर-विकास के उप-क्रम में प्रायः सभी विकास घटक (Factors of Development) पर कुछ न कुछ प्रकाश पड़ चुका है । अब आगे पुर-प्रभेद पर विवेचन आवश्यक है । अतः उसकी अवतारणा के लिये यहाँ पर अब विराम लेना ही ठीक है ।

नगर-प्रभेद

यद्यपि गत अध्याय में पुर-पर्यायों की समीक्षा से विभिन्न पुर-विभेद—नगर-विभेद का कुछ आभास प्राप्त हो चुका है। परन्तु शिल्पशास्त्रों में नगर एवं ग्राम तथा दुर्ग के जो वर्गीकरण दिये गये हैं, साथ ही साथ समराङ्गण में जो नगर-प्रभेद पर योद्धा सा संकेत है उन सब का समुद्घाटन कर देना आवश्यक ही है।

पिछे के प्रकरणों में यह बार-बार कहा गया है कि नगर और ग्राम का भेद आकार-भेद है न कि प्रकार-भेद। तथापि यह अधिक संगत होगा यदि ग्राम एवं नगर का विवेचन अलग अलग प्रकरणों में किया जावे। इसके अतिरिक्त नगर-निवेश के विभिन्न अंगों पर प्रकाश डालने के पूर्व प्राचीन भारत में नगर-विकास के कौन कौन स्वरूप विकसित हुए? कितने प्रकार की ग्राम-निवेश-पद्धतिया प्रचलित हुईं? दुर्गों का सन्निवेश कितने प्रकार का था? इत्यादि (नगर-प्रभेद, ग्रामप्रभेद तथा दुर्गप्रभेद—इन तीनों) का थोड़ा सा विवेचन आवश्यक है। यहाँ पर इस प्रकरण में हम नगर-प्रभेद का प्रतिपादन करेंगे।

पूर्व-प्रकरण में पूर्णरूप से यह प्रतिपादित किया गया है कि नगर-विकास की विभिन्न धाराओं,—स्वरूपों, आकृतियों, एवं श्रेणियों का अन्तर्तम में नगर-विशेष के विकास की विशेषताओं के कारण ही नगर के विभिन्न विभेद परिलक्षित होते हैं। प्रत्येक नगर की अपनी एक निजी वैयक्तिकता होती है जिसकी छाप उसके कलेवर पर पूर्णरूप से परिलक्षित होती है। किसी सरितातट पर पनपे नगर की वैयक्तिकता किसी पार्वत्य-प्रदेश अथवा उपत्यका-भूमि में उत्थित नगर की वैयक्तिकता से सुतरा विभिन्न होगी ही—यह सहज बोधव्य है। इसी प्रकार देवतायतन की छाया में विकसित अथवा किसी आश्रम, उटज, कुटीर अथवा कुलग्रह से विकसित नगर की विशेषता भी उस नगर से जो किसी सागर-वेला पर विकसित हुआ है—अवश्य भिन्न होगी।

यहाँ पर इस तथ्य के समझने के लिये एक बात और ध्यान देने की है कि पुरातन से नगर-निवेश की परम्परा में भवन-निर्माण की आवश्यक सामग्री (Material) सर्वत्र नमान नहीं प्राप्त होती रही और न हो भी सकती है। जिसप्रकार से नगर-विशेष के विकास में वहाँ के प्राकृतिक-वातावरण से सम्बन्ध रखने वाली विशेषताओं का पूर्ण प्रभाव एवं योग होता है, उसी प्रकार विभिन्न नगरों के निर्माण में, उनमें आवश्यक भवन-निर्माण-सामग्री के संभार और जुटाव में वहाँ की प्राप्य सामग्री का ही प्राधान्य होता है। पाषाण-पट्टिकाओं की सर्वत्र प्राप्ति तो नहीं हो सकती और न यातायात के सुकर साधन ही थे, जिससे उनका सुसंचार सर्वत्र सुकर होता। अतः पाषाणमय-प्रासाद सर्वसाधारण कैसे हो सकते थे? भवन-सामग्री के साथ-साथ देश-विशेष, जनपद-विशेष अथवा स्थान-विशेष की, संस्कृति-विशेष का भी प्रभाव तत्तद्देशीय नगर-निर्माण अथवा भवन-प्रक्रिया में होता ही

है। यही कारण है कि इस विशाल देश के विभिन्न भूभागों में प्राचीन काल से ही विभिन्न तत्त्वदेशीय सामग्री से निर्मित एवं तत्त्वदेशीय-संस्कृति से प्रभावित नगर एवं भवन अपनी-अपनी निजी विशेषताओं के प्रोज्ज्वल प्रतीक प्रतीत होते हैं। इसी हेतु द्राविड, महाराष्ट्र, आन्ध्र उत्तरापथ (नागर) आदि विभिन्न जनपदों में विकसित विभिन्न वास्तु-शैलियों के रहस्य को हम समझ सकते हैं।

नगर-विकास के प्रतीक-स्वरूप, विभिन्न-संशक नगरश्रेणियों का उल्लेख विभिन्न शिल्प-शास्त्रों में पाया जाता है—परन्तु सुविधा-वश दत्त महाशय की नगर-तालिका को आधार मानकर हम नगर-प्रभेद पर कुछ विवेचन करेंगे। दत्त महाशय के शब्दों में नगर-विभेद की यह तालिका मानसार एवं मयमत में प्रदत्त नगर-विभेद के अनुरूप है, परन्तु समराङ्गण के इस अध्ययन में समराङ्गण के आनुपङ्गिक नगर-विभेद की चर्चा होनी ही चाहिये। इस सम्बन्ध में यहाँ पर इतना सकेत आवश्यक है कि समराङ्गण में नगर-निवेश पर केवल एक ही अध्याय—‘पुरनिवेशो नाम दशमोऽध्यायः’ है जिसमें नगर-पुर के तीन प्रधान वर्ग हैं—उत्तम पुर, मध्यम पुर तथा अधम पुर।

साथ ही साथ समराङ्गण के १८वें अध्याय (नगरादिसंज्ञाध्यायोऽष्टादशः) में विभिन्न नगर-प्रभेद पर जो प्रकाश डाला गया है उसका संकेत हम पहले ही कर चुके हैं। अब पुर-प्रभेद पर कुछ विशेष संकेत आवश्यक है।

इस अध्याय की सामग्री का परिशिष्ट में अवलोकन कीजिये। यहाँ पर उसका निम्न संक्षेप द्रष्टव्य है :—

“जहाँ पर राजा रहता है उसे राजधानी कहते हैं। इसके अतिरिक्त जो नगर की संज्ञाये हैं वे शाखा-नगर आदि हैं। शाखा-नगर को ही कर्बट कहते हैं जो नगर के सदृश होता है। कर्बट के कुछ गुणों से न्यून उसको निगम कहते हैं। निगम से छोटा ग्राम होता है। ग्राम-कल्प-गृह कहते हैं। गौओं के समूह का आवासस्थल गोष्ठ कहलाता है तथा उससे छोटे को गोष्ठक की पदवी दी गई है।”

“राजाओं का जहाँ उप-स्थान (2nd capital, summer-capital) हो उसे पत्तन कहते हैं। वही पत्तन प्रचुर एवं समृद्ध वाणिज्य-व्यवसाय से युक्त हो तो पुट-भेदन कहलाता है।”

“तरु-पत्रों, उनकी शाखाओं, घास, फूस आदि तथा पाषाणचयों आदि संभारों को जुटा कर जहाँ कुटिया बना कर पुलिन्द लोग निवास करते हैं उसे पत्नी की संज्ञा दी गयी है। उसने छोटी पत्तिका। नगर को छोड़ कर अन्य सब वस्तियों को जनपद की संज्ञा दी गई है। राष्ट्र, देश अथवा मण्डल—ये सब नगर के ही अविकल समान हैं।” स. सू. १८ वाँ अध्याय।

“इसप्रकार से अभीतक हमने नगर-विभाग पर अविकल विवेचन किया। नगर के आधे विष्कम्भ के प्रमाण से खेट की रचना होती है। खेट के आधे निष्कम्भ-प्रमाण से ग्राम बनता है। पुर से एक योजन की दूरी पर खेट होना है तथा ग्नेट ने एक योजन की दूरी पर ग्राम। एक ग्राम से दूसरा ग्राम दो कोस की दूरी पर होता है”।

“देश में सीमा का प्रमाण दो क्रोश, उससे आधे प्रमाण अर्थात् एक क्रोश से वह नगर की होती है। पुर में चारों दिशाओं के मार्गों का विष्कम्भ ३० धनुष के प्रमाण का होता है। वही खेटक में २०, और ग्राम में दस बताया गया है।”

“उत्तम राष्ट्र में नौ हजार एक सौ चौवन (९१५४) गाँव होते हैं। ऐसा विद्वानों ने बताया है। मध्यम राष्ट्र में गाँवों की संख्या पाँच हजार तीन सौ चौरासी (५३८४) होती है। कनिष्ठ राष्ट्र में एक हजार पाँच सौ अड़तालीस (१५४८) गाँव बताये गये हैं।”

“इस प्रकार से राष्ट्रों का विभाग कर लेने पर विधान-दत्त स्थपति को समुचित एवं अनकूल भूभागों पर यथाशास्त्र प्रत्येक राष्ट्र में सात-सात नगरों का निर्माण करना चाहिये।”

समराज्य के इन अवतरणों के परिशीलन से नगर-प्रभेद की निम्न तालिका का संग्रह किया जा सकता है:—

अ. नगर

१. ज्येष्ठ नगर (पुर)
२. मध्यम नगर
३. कनिष्ठ नगर

ब. शाखा-नगर

४. राजधानी
५. पत्तन
६. पुटमेदन
७. निगम
८. खेट
९. कर्वट
१०. ग्राम

नगर-निवेश की पूर्व-पीठिका में नगर-निवेश संबन्धी औपौद्घातिक विवेचन के लिये समराज्य की नगर-विभेद-माला का यहाँ पर संकेत करना ही प्रयत्न है। आगे उच्चार-पीठिका में जब हम नगर-निवेश के पूर्ण अंगों का प्रतिपादन करेंगे तो इस सम्बन्ध में विशेष चर्चा कर सकेंगे। अस्तु, अब ऊपर दत्त महाशय की नगर-तालिका का जो निर्देश किया गया था उसकी समालोचना करना है। दत्त महाशय ने अपने T. Planning in Ancient India में निम्न प्रकार के नगर-प्रभेदों का उल्लेख किया है:—

- | | | |
|------------|-------------------------------|-----------------|
| १. नगर | ५. खेट | ९. द्रोण-मुख |
| २. राजधानी | ६. खर्वाट | १०. कोट्यकौलक |
| ३. पत्तन | ७. शिविर (सेनामुख स्कन्धावार) | ११. निगम |
| ४. दुर्ग | ८. स्थानीय | १२. मठ या विहार |

यह ऊपर बताया गया है कि दत्त महाशय की यह तालिका मानसार तथा मयमत पर आधारित है, परन्तु मानसार में जो पुर-भेद दिये हैं उनमें पुर, नगरी तथा कुञ्जक ये तीन भेद इस तालिका में नहीं हैं। मानसार के अनुसार (देखिये Encyclopaedia of Hindu Architecture—Acharya) डाक्टर आचार्य महोदय ने नगरों को निम्न-लिखित आठ प्रकारों में विभाजित किया है:—

१. राजधानी	५. खेट
२. नगर	६. खर्वाट
३. पुर	७. कुञ्जक
४. नगरी	८. पत्तन

अस्तु। नगरी नगर का ही पर्याय मात्र है। पुर भी नगर का ही पर्याय है, परन्तु परम्परा से जिन नगरों के लिये प्राचीन साहित्य में पुर शब्द का प्रयोग किया गया है वे डा० आचार्य के ही शब्दों में (Ency. of H. Arch. see under Pura) एक विशाल सुरक्षित (fortified city) नगर के बोधक हैं। उदाहरणार्थ त्रिपुर तथा महापुर (यजुर्वेद तथा ब्रह्माण्ड पुराण द्रष्टव्य है)। हाँ इनमें अर्थात् पुरों में नगरों की रौनक तथा शान-शौकत नहीं मिलती है।

अब रहा 'कुञ्जक'। यह भी एक नगर ही है परन्तु कामिकागम (२०. २५) के अनुसार यह महानगरों के किसी कोण-विशेष पर निविष्ट एक सुन्दर वस्ती है जहाँ पर लोग अथवाश के दिनों में महानगर से आ आकर रहते हैं अथवा मकान बना लेते हैं। यह एक Suburb होता है अथवा महानगर के अत्यन्त समीप एक ग्राम-विशेष का नागरिक उपकरणों एवं सांभारों से विकसित स्वरूप।

अब इन पर क्रमशः विवेचन करना चाहिये।

नगर

नगर के सम्बन्ध में सर्वप्रथम हमें इसकी शब्द व्युत्पत्ति पर ध्यान देना है। नगर नग (न गच्छतीति नगः) से सम्भवतः सम्पन्न हुआ है। जिसप्रकार एक नग पर्वत में पापाण शिलाओं के कारण पुष्टि एवं स्थायित्व होता है उसीप्रकार ऐसी वमती जिसमें पक्के मकान हों तथा जिसकी दीवालें तथा छतें विशेषकर पापाण-शिलाओं अथवा तप्त इष्टिकाओं से निर्मित हों, उसको नगर की संज्ञा दी गयी है। इसके साथ ही साथ जहा के निवासी ग्रामीण न होकर शिष्ट एवं सभ्य नागरिक हों—ऐसा भी अर्थ निकलता है।

नगर की परिभाषायें विभिन्न शिल्प-ग्रन्थों, पुराणों तथा अन्य साहित्य सन्दर्भों में भिन्न-भिन्न रूप में प्राप्त होती हैं। अतः उन सब की पुनरावृत्ति न कर यह मानसार तथा मय-मत में उल्लिखित परिभाषाओं को दे देने से विवेचन सुकर हो जायेगा। मानसार में नगर की निम्न परिभाषा दी गयी है:—

जमैः परिवृत्त द्रव्यक्रयविक्रयकादिभिः
अनेकजातिसयुक्तं कर्मकारैः समन्वितम् ।
सर्वदैवतसंयुक्तं नगरं चाभिधीयते ॥ (अ० ६)

मयमत में देखिय—

दिक्षु चतुर्द्वारयुतं गोपुरयुक्तं तु शास्त्राख्यम्
क्रयविक्रयकैर्युक्तं सर्वजनावाससङ्कीर्णम्
सर्वसुरालयसहितं नगरमिदं केवलं प्रोक्तम् ॥ (अ० १०)

इन दोनों परिभाषाओं में बहुत कुछ साम्य है। दोनों का अर्थ है—“जहाँ पर क्रय-विक्रय आदि विभिन्न व्यवहार होते हैं। नाना नर निवास करते हैं। अनेक जातियों के लोग पाये जाते हैं। विभिन्न श्रेणियों के कर्मकार (artisans) बसते हैं। अथच जहाँ पर सब प्रकार के श्रेष्ठ देवों के देवतायतन स्थित हों उसे नगर की सजा दी गयी है।”

नगर-निवेश के वास्तु-शास्त्रीय दृष्टि-कोण से चारों ओर चारों दिशाओं पर द्वार (gates) होने ही चाहिये। ये सब द्वार गोपुरों से परिवेष्टित होने चाहिये। नगर में वास-भवनो का सम्यक्-विन्यास होना चाहिये। यातायात एवं क्रय-विक्रय आदि के कारण सदैव तत्परता, संकीर्णता एवं सम्पन्नता मी पद-पद पर परिलक्षित होती ही है। नाना-शिल्पोपपजीवियों का नगर केन्द्र होता है तथा ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि सभी प्रमुख देवों के देवतायतनों से यह स्थान सदैव पवित्र रहता है। भारत की प्राचीन एव अर्वाचीन दोनों ही परम्पराओं में नगर आम्यन्तरिक-वाणिज्य एवं व्यवसाय का केन्द्र होता है तथा प्रदेशीय ग्राम-समूहों—जिले का वह हेडक्वार्टर होता है। नगर के प्रमाण, मार्ग, सीमा एवं बसति आदि पर आगे प्रकाश डाला जायेगा। यहाँ पर नगर-प्रभेदों की साधारण समीक्षा ही अभिप्रेत है।

नगर की आधुनिक रौनक सभाभवन (Assembly Halls) पुर-जन-विहार स्थान (parks) आराम, फौवारे तथा कासार (artificial lakes) आदि उपकरण पर समराङ्गण में बड़े सुन्दर संकेत हैं जिनका उल्लेख 'पुर-निवेश' अध्याय में (२२-२५ श्लोकों में) निभालनीय है—देखिये परिशिष्ट (अवतरण) भोज के 'युक्ति-कल्पतरु' में भी ऐसा ही प्रतिपादन है—प्रपा-मण्डप-कासार-काननाद्युपशोभिते।

राजधानी

देश-विशेष अथवा मण्डल-विशेष के कतिपय समुन्नत नगरों में से एक नगर को राजधानी चुना जाता है। शासन-सौविध्य अथवा अनुकूल स्थिति ही इसके कारण होते हैं। समराङ्गण का प्रवचन हम देख ही चुके हैं “यत्रास्ते नगरे राजा राजधानी तु ता विदुः” अर्थात् जिस नगर में राजा रहता है अथवा शासन-पीठ होता है उसे राजधानी कहते हैं। आजकल भी तो यही परम्परा है। उत्तर-प्रदेश के प्रयाग, कानपुर, लाहनऊ, अगरा, बनारस आदि अनेक महानगरों में राज-पीठ के लिये, शासन-पीठ के लिये पहले

प्रयाग अथ लखनऊ को चुना गया है । मयमत-शिल्प शास्त्र में राजधानी पर बड़ा सुन्दर प्रवचन है जिसमें प्राचीन राज-पीठीय नगरों की सुन्दर भाँकी देखने को मिलती है ।

“जिस नगर की आवादी पश्चिम तथा उत्तर में गहन हो तथा जिसकी समन्तात् दीवालें परिखाओं एवं प्राकारों से परिवृत हों । रक्षार्थ बाह्यसीमा में चारों ओर सैन्यशिविर भी स्थापित हों । इस प्रकार जहाँ पर पश्चिम एवं उत्तर भू-भागों पर जनावासों की स्थिति हो तथा पूर्व दक्षिण भू-भागों पर राजकर्मचारियों, सेनानियों एवं सैनिकों की वास-भवन-व्रीथी बनी हो । अथच जिसके द्वारों पर गोपुरों की मालायें शोभित हों । नगराभ्यन्तर प्रदेश पर सभी प्रमुख देवों के देवालय स्थित हों । नाना गणिकार्यें भी जहाँ विराजमान हों । इतस्तत्, समन्तात् उद्यानों की शोभा भी विखरी हो । राज-प्रासाद तो वहाँ होवे ही, साथ ही हाथी, घोड़े, प्यादे तथा अन्य सभी सेनाङ्ग, सैनिक एवं सेनानी रहते हों । विभिन्न जातियों के लोग जहाँ पाये जाते हों—उस नगर को राजधानी की संज्ञा दी गयी है ।” (म० म० १०) ।

कौटिलीय अर्थशास्त्र तथा शुक्रनीति के राजधानी-विवरण बड़े ही सुन्दर हैं । शुक्रनीति में राजधानी के सम्बन्ध में लिखा है :—

“राजधानी नगर की आकृति सुन्दर, अर्धचन्द्रकार हो अथवा वृत्ताकार अथवा समचतुरश्रायताकार हो । प्राकार, मित्तियों एवं परिखाओं से परिवृत हो ही । इसका आभ्यन्तरिक निवेश अथवा विभाग विभिन्न वसतियों के अनुकूल हो । केन्द्र में सभा-भवन हो । वहाँ पर सतत कूप, तड़ाग, चापी, पुष्कर सुसम्पन्न हों । चारों दिशाओं पर चार मुख्य द्वार हों । इसके मार्ग विस्तृत हों, उद्यान तथा पुरजन-विहार-स्थान सुविरतृत एवं एक कतार में हों । मंदिरों, मठों तथा पथिक-शालाओं की जहाँ पर बहुतायत हो” (शु० नी० अ० १) ।

पत्तन (तथा पुट-भेदन)

सम्राज्य के परिशिष्ट अवतरणों में पत्तन के सम्बन्ध में जो प्रवचन है—“उप-स्थानं भवेद्, राजा यत्र तत् पत्तनं विवुः” अर्थात् जहाँ पर राजाओं का उपस्थान (2nd Headquarter) हो अर्थात् ग्रीष्मकालीन अथवा शीतकालीन राजपीठ हो उसे पत्तन कहते हैं । परन्तु सम्राज्य की यह पत्तन-परिभाषा परम्परागत-शिल्पशास्त्रों एवं व्यावहारिक साहित्य संदर्भों के अनुकूल नहीं जँचती—ऐसी सम्भवतः शंका उठ सकती है । परन्तु यह बात नहीं है—अमरकोष को देखिये (मणिप्रभा—हरगोविदशाल्की) जहाँ पर नगर के पर्यायों की टिप्पणी में लिखा है “जहाँ राजा के नौकर आदि बसते हैं उनके पत्तनम्, पुटभेदनम्, ये दो नाम हैं ” अतः अर्थात् जहाँ राजा के नौकर रहते हैं वह स्थान राजा का उपस्थान हो ही सकता है । वही उप-स्थान यदि व्यवसाय तथा वाणिज्य का केन्द्र हो तो पुटभेदन के नाम से पुकारा जाता है—बहुस्तोतवशिग्युक्तं तदुक्तं पुटभेदनम् (त सू. १८ वाँ अ०) । अतः पत्तन एवं पुटभेदन की सम्राज्यीय साहचर्य परम्परा प्रचलित परम्परा में वैषम्य नहीं रहती ।

मयमत के पत्तन-प्रवचन का पूर्व-उल्लेख ही चुका है। (देखिये नगर विकास—दूसरा अध्याय) अब मानसार को देखिये.—

ऋग्विक्रयसंयुक्तमन्वितीरसमाश्रितम् ।

देशांतरागतजर्मैर्नाजातिभिरन्वितम् ॥

पत्तन तत् समाख्यातं वैश्यैरध्युषितं तु यत् ॥ मा० जवाँ अ०

पत्तनसञ्ज्ञं तद्वत् पोतान्वितवारिधितटोपेतम् ॥ मनु० च० अ० १७ ।

मानसार में पत्तन की जो परिभाषा दी है तथा मनुष्यालय-चन्द्रिका में पत्तन पर जो प्रवचन है—इन दोनों को मयमतीय परिभाषा के साथ लेकर जिस निष्कर्ष पर हम पहुँचते हैं उसके अनुसार पत्तन एक प्रकार का बृहत् वाणिज्य बन्दरगाह है जो किसी नदी या सागर के किनारे स्थित होता तथा जहाँ पर प्रधान-रूप से वाणिज्य निवास करते हैं। अथच कोटिलीय अर्थ-शास्त्र के परिशीलन से पत्तन के दो रूप प्राप्त होते हैं—पत्तन तथा पट्टन (जो प्रायः पत्तन का ही विकृत रूप सामान्य रूप से समझा जाता है)। इनका रूप पूर्व निर्दिष्ट पत्तन-विशेषताओं से ही प्रभावित है।

दु

यतः दुर्ग-प्रभेद पर इस ग्रंथ में एक अलग अध्याय है अतः दुर्ग संबंधी समीक्षा वहीं द्रष्टव्य है।

खेट

खेट के सम्बन्ध में समराङ्गण में (देखिये पुर-निवेश नामक दसवा अध्याय) जो निर्देश है उसका सारांश यह है कि नगर खेट एवं ग्राम इन तीनों के निवेश में खेट बीच का है—नगर से छोटा परन्तु गाँव से बड़ा। अतएव नगर के विष्कम्भ के आधे के प्रमाण से खेट का विष्कम्भ प्रतिपादित किया गया है। नगर से एक योजन की दूरी पर खेटक या खेट का निवेश अभीष्ट है। जहाँ नगरों के मार्गों के विष्कम्भ का प्रमाण ३० धनुष है, वहाँ खेटक के मार्गों का २० धनुष।

खेट के सम्बन्ध में भोज का यह वर्णन ब्रह्माण्ड पुराण से प्रभावित हुआ है [देखिये ब्रह्माण्ड पुराण के निम्नोद्धृत श्लोक—

ततस्तस्त्रिमंयामासु खेटानि च पुराणि च ।

ग्रामश्चापि यथायोगं तथैव नगराणि च ॥

खेटानाञ्च पुराणञ्च ग्रामाणां चैव सर्वशः ।

विविधाना च दुर्गाणां पर्वतोदकधन्विनाम् ॥

नगरादर्धं विष्कम्भः खेटं पर तदूर्ध्वतः ।

नगरादर्धयोजनं खेटं खेटाद् ग्रामोऽर्धयोजनम् १

इस प्रकार खेट या खेटक एक प्रकार का छोटा नगर होता है जोकि समतल भूमि पर किसी मरिचा के तट पर स्थित होता है अथवा वन-प्रदेश में भी इसकी स्थिति अनुकूल

है यदि छोटी-छोटी पहाड़ियाँ समीपस्थ हैं। इसके चारों ओर ग्राम होते हैं। इन्हींलिये भी कुमार ने अपने शिल्प-ग्रन्थ में लिखा है:—

‘ग्रामयो. खेटकं मध्ये राष्ट्र-मध्येम् सर्वत्र्य,’ अर्थात् दो-ग्रामों के मध्य में अथवा ग्रामसमूहों के मध्य में एक समृद्ध लघु-काय नगर को ‘खेटक’ के नाम में पुकारा जाता है तथा राष्ट्र-मध्य में उसी को खर्वट की संज्ञा दी गयी है।

खेट-नगर की इस साधारण विशेषता के साथ-साथ एक दूसरी विशेषता यह है कि इस नगरकी आवादी विशेषकर शूद्रों तथा कर्मकारों की होती है इस तथ्य का पुष्टीकरण मयमत की निम्नलिखित परिभाषा से प्रकट है:—

शूद्रैरधिष्ठित यज्ञघञ्जावेष्टितं तु तत्, खेटम् ॥

मयमत १० वां अ०

अर्थात् जो शूद्रों से अधिष्ठित हो तथा नदी और पर्वत में आवेष्टित हो उन्हे खेट कहते हैं।

खेट की तीमरी विशेषता यह है कि इसका प्राकार मृन्मय—“पासुप्राकार-निवद्ध खेटम्”—“खेटानि धूलीप्राकारोपेतानि” (देखिये कौटिल्य-अर्थ-शास्त्र अ० २२वा पृ० ४६वा टिप्पणी)

खेटक के सम्बन्ध में एक संकेत और आवश्यक है। श्रीकुमार जी के खेट के विषय में पूर्वोद्धृत प्रवचन के आगे निम्न प्रवचन मिलता है:—

वने वा नगरोपान्ते नागरैस्तु जनैर्घृतम् ।

सेत्राणामाकरोपेत शास्त्रानगरमिष्यते ॥

अर्थात् यह खेट कहीं अपने व्यवसाय (Industry) अथवा कला-कलापों के कारण अथवा फिर किसी आकर (खान) आदि विशेषता के कारण अधिक समृद्ध यदि हो उठा हो तो उसे शास्त्र-नगर कहना समीचीन होगा।

खेटक की यह एक परम्परा है। यह सम्भवतः वास्तु-शास्त्रीय दो परम्पराओं—पौराणिक तथा आगमिक—में से पौराणिक परम्परा है। कामिकागम का निम्न वचन द्रष्टव्य है:—

वने जनपदे चैव केवले शूद्र-सेवितः ।

कण्टकः खेटको ग्रामः क्रमात्त्रिविधमीरितः ॥

अतः निश्चित है कि इन परम्परानुसार खेटक में केवल शूद्र ही लोग रहते थे। आज भी देहातों की वसतियों की ओर ध्यान दीजिये। खेटों, खैरों के नाम में प्रसिद्ध छोटो-छोटे ग्रामों में प्रायः नीच जाति के लोग रहते हैं।

खर्वट—

अभी तक खेट के सट्टराग में पड़े रहे। अब खर्वट की “आट” में नगर-वाटिका के आगे के निट्टों को देखें।

खर्वाट-नगर की मुख्य विशेषता यह है कि यह पार्वत्य-प्रदेश पर होता है ।
मयमत देखिये:—

‘परितः पर्वतयुतं खर्वटकं सर्वजनसहितम् ॥

(मयमत दसवा अ०)

अर्थात् सब प्रकार के मनुष्यों से आवासित एवं चारों ओर पर्वतों से आच्छादित नगरों को खर्वटक या खर्वाट कहते हैं । इस नगर के परकोटे के सम्बन्ध में उल्लेख मिलता है कि “तुल्लकप्राकारवेष्टितं खर्वटम्” उसका प्राकार बहुत बड़ा न होकर साधारण छोटा सा होता है—ठीक ही है, क्योंकि जिस नगर के चारों ओर पहाड़ियाँ हैं तो वे सुतरा प्राकार का सम्पादन करती ही हैं । अथच खर्वट की स्थिति श्रीकुमार जी के ऊपर उद्धृत वचन के अनुसार राष्ट्रमध्य (जनपद-मध्य में) बतायी गयी है । इसी तथ्य का पुष्टीकरण चाणक्य के अर्थ-शास्त्र में प्राप्त होता है । कौटिल्य के मत में खर्वटिका अथवा खर्वाटिका निवेश एक दुर्ग के रूप में होता है जो दो सौ ग्रामों की रक्षार्थ निविष्ट होता है—“द्विशत्ग्राम्या खर्वाटिकाम्” (कौ० अ० अ० १२)

दत्त महाशय ने अपनी पुस्तक में (T. Planning in Ancient India page 279) जो इसके प्रमाण पर प्रकाश डाला है उससे यह स्पष्ट है कि यह खर्वाट खेत से बड़ा होता है । खेत का प्रमाण उत्तम, मध्यम एवं अधम अथवा ज्येष्ठा, मध्यम तथा कनिष्ठ प्रमेद से क्रमशः २५६, ३२० तथा ३८४ दरड होता है वहाँ खर्वाट का प्रमाण उसी त्रिविध प्रमेद से ४४६, ५१२ तथा ५७६ दरड नियत किया गया है ।

मानसार के अनुसार (देखिये Dr. Acharya—Encyclo. of Hindu Architecture page 137) खर्वाट का प्रयोग ग्राम के अर्थ में भी है साथ ही खर्वाट शब्द का प्रयोग राजकीय भोजन-शालीय-मण्डप के लिये भी संकेतित है:—

“नृपाणां भोजनार्थं स्यात् खर्वटाख्यन्तु मण्डपम् ॥ ३४वां अ०

शिविर

इसकी विस्तृत समीक्षा आगे के अध्याय ‘दुर्ग-प्रमेद’ में की गयी है ।

स्थानीय

‘स्थानीय’ नामक नगर के लिये चाणक्य ने तो दुर्ग कहा है । ८०० ग्रामों के मध्य में स्थानीय नामक दुर्ग-विशेष की स्थापना ‘अर्थ-शास्त्र’ का आदेश है । अथच मयमत तथा शिल्परत्न के स्थानीय-विषयक समुद्धरण समुल्लेख्य हैं:—

नद्याद्रिपार्ष्वंशुक्तं नृपभवनयुतं सबहुरक्षम्
यन्नृपतिस्थापितकं तत् स्थानीयं समुद्दिष्टम् ॥

(म० म० अ. १०)

पर्वतस्याथवा नद्याः पार्ष्वे राजवद्वान्वितम्
राष्ट्रस्यान्तकपादाय तत् स्थानीयं विदुर्गुधाः ॥

(शि. २० ५)

इसप्रकार स्थानीय नगर की स्थिति किसी सरितातट पर अथवा पर्वतीय उपत्यका-प्रान्त में बतायी गयी है। यहाँ रत्नार्थ सैनिकों की स्थापना आवश्यक है। यह एक प्रकार का Muffasil town अथवा डिबीजनल आफ्तीवर का हेडक्वार्टर है।

‘स्थानीय’ शब्द के शब्दार्थ पर यदि हम ध्यान दें तो वाच्यार्थ के साथ-साथ वास्तु-शास्त्रीयपरम्परा में उसके विकसित स्वरूप के मर्म को हम समझ सकते हैं। वाच्यार्थ तो एक मात्र लोकल fortified town हुआ—स्थानीय से लोकल तथा fortified town तो सर्व-साधारण-विशेषता। परन्तु इसमें एक इतिहास भरा है। प्राचीन-काल में जब आधुनिक साधनों का अभाव था तो राज्यसत्ता एवं राज्य-व्यवस्था सदैव एक ही स्थिर नहीं रहती थी। अतः आवश्यकतानुसार राजा लोग अपने अपने स्थानीय हेडक्वार्टर स्थापित करते रहते थे—बदलते रहते थे। अतएव कालान्तर में इसप्रकार के नगर-विशेष की संज्ञा ही स्थानीय पड़ गयी। आगे चल कर जब शान्ति एवं सुरक्षा में स्थिरता आई तो फिर स्थानीय नगरों में राजा की ओर से सुरक्षाहेतु एवं कर-एकत्रीकरणार्थ राज्य की ओर से कोई उच्च राज्याधिकारी रहने लगा। आधुनिक भारत में कमिश्नरियों के लिये हम स्थानीय शब्द-वाच्य नगर का प्रयोग कर सकते हैं।

द्रोणमुख

द्रोणमुख एक प्रकार का आपणक-नगर market town है। यहाँ पर व्यवसायियों का आनाजाना लगातार रहता है। इसकी स्थिति किसी नदीतट पर अथवा सरिता-संगम अथवा सागर-वेला पर बतायी गयी है। इसका दूसरा नाम द्रोणीमुख भी है। श्री कुमार जी के अनुसार यह नगर एक प्रकार का चन्द्रगाह है जहाँ पर जहाज आते जाते हैं और विश्राम लेते हैं—शिल्परत्न अ० ५।

तदेवाब्धेश्च नद्यारश्च संगमागतपोषकम्
द्रोणान्तरवशिग्जुष्टं विदुर्द्रोणीमुखं बुधाः ॥

यह द्रोणीमुख अथवा द्रोणमुख मयमत के अनुसार ‘विडम्ब’ बन जाता है यदि ग्रामों के समीप में स्थित होता है। मयमत का मत है—

नद्याब्धिदक्षिणादक्षिणभाग् वशिगादिसंयुक्तम्
सर्वजनावासं यद् द्रोणमुखं प्रोक्त्वाचार्यैः
ग्रामपमीपे जनताज्यमिदमुदितं विडम्बमिति ॥

(म० म० १०)

दत्त महाशय के संकेत में द्रोणमुख की एक तीसरी विशेषता भी है जिसके अनुसार यह एक व्यावसायिक केन्द्र के रूप में परिगणित किया गया है। ४०० ग्रामों के बीच इसकी स्थिति उन स्थानीय ग्रामों (Local villages) की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु प्रतिपादित की गयी है।

द्रोणमुख के निवेश-नियमों में मित्र मित्र परिमाणों का भी शास्त्रों में परिगणन मिलता है जिसने इसके लुद्र, साधारण एवं विगाल सभी रूप मिलते हैं।

कोटमकोलर्क

यह एक प्रकार का आरण्यक नगर है । पर्वतों के मध्य में भी इसकी स्थिति हो सकती है । भिन्न भिन्न स्थानों के अनुरूप इसकी विभिन्न निवेश-परम्परायें शास्त्र में प्रतिपादित हैं । दत्त महाशय ने ५ प्रभेदों का संकेत किया है जो १०० दण्ड से ५०० तक जाते हैं ।

निगम

इस नगर की सर्वप्रमुख विशेषता यह है कि इसमें विशेषकर कलाकार—कारीगर शिल्पी लोग रहते हैं । यह बड़े ग्राम एवं बड़े नगर के बीच की बस्तीवाला नगर (town) कस्बा कहा जा सकता है । सम्राज्जण के नगर-प्रकार-प्रवचन की पंक्तियों का समुद्धरण हो चुका है । उनमें निगम का दर्जा केवल ग्राम के ऊपर तथा नगर-श्रेणियों के बीच निर्दिष्ट किया गया है ।

मयमत तथा शिल्परत्न के विवरण भी इस प्रसङ्ग में अत्यन्त महत्व पूर्ण हैं ।

चातुर्वर्ण्यं. कर्मकारैर्नाकर्मोपजीविभिः

पययाश्वधनधान्याद्यैरुक्तं तु निगमं स्मृतम्

शि० २० ५.

चातुर्वर्ण्यसमेतं सर्वजनावाससङ्कीर्णम्

बहुकर्मकारयुक्तं यज्ञिगमं तत् समुद्दिष्टम्

म. म. १०

यद्यपि इस नगर में विशेषकर शिल्पियों की वसतिया होती हैं तथापि इन प्रवचनों के प्रमाण से चारों वर्णों के लोगों के भी इसमें निवास होते थे—इसमें सन्देह नहीं परन्तु प्राधान्येन शिल्पी लोग रहते होंगे ।

निगम-नगर के विकास सम्बन्धी परम्परा में इसकी संज्ञा—निगम का महत्व है । निगम का शब्दार्थ तो व्यापार-मार्ग है—Trade route—अतः कालान्तर में इसी विशेषता के कारण नगर का नाम भी निगम पड़ गया ।

मठ अथवा विहार

मठ या विहार उन विद्यास्थानों—विश्वविद्यालयीय नगरों—की संज्ञा दी गयी है, जिनकी महत्ता एवं गरिमा के गर्व से आज भी हमारा वक्ष गर्वस्फीत है । वैसे तो मठ या विहार उस स्थान को कहते हैं जहाँ छात्रों के आवास एवं अध्ययन के स्थान हों । परन्तु कालान्तर पाकर जैसा कि नगर-विकास के प्रकरण में निर्देश किया जा चुका है ये ही छोटे-छोटे गुरु-गृह, कुल-पति-कुटी, छात्रावास, भिन्न-उटज बड़े बड़े नगरों के आकार में परिणत हो गये । ऐसे विश्वविद्यालयीय नगर (University towns) आज भी पाये जाते हैं । कैम्ब्रिज, आक्सफोर्ड, वाराणसी, प्रयाग, आदि विभिन्न आधुनिक विश्वविद्यालयीय नगरों को कौन नहीं जानता ? प्राचीन भारत में ऐसे नगरों में केवल दूरदूरगन छात्र

ही नहीं रहते, पढ़ते, अनुसन्धान एवं गवेषणा करते, ब्रह्मचर्य (ब्रह्मचिंतन एवं वेदाध्ययन तथा वीर्यरक्षण) पालन करते, वरन् विभिन्न जिज्ञासु लोग भी आकर इनकी छाया में रहते, चिंतन मनन, एवं मजन करते, शान्ति पाते थे। विभिन्न सम्प्रदायों के मित्तु-वृन्द, परिव्राजक-गण, साधु-टोलीयों भी यहाँ विचरण करता था। बड़े-बड़े धर्मों के आचार्य अपने-अपने धर्म चक्रों का श्रीगणेश भी करते थे। बड़े-बड़े दार्शनिकों ने अपने-अपने दर्शनों की रचना की। ऐसे नगरों में खाद्य एवं पेय का पूर्ण प्रवन्ध होता था। शान्ति का साम्राज्य, तपस्या और साधना का वातावरण सौविध्य एवं सादगी का आदर्श सर्वत्र विराजमान रहता था। भारत की महान् सभ्यता एवं संस्कृति के निर्माण में इन नगरों ने बड़ा योगदान दिया। काशी, सारनाथ, नालन्दा और तक्षशिला के इतिहास की गाथा के समुज्ज्वल पृष्ठ— भारतीय सभ्यता की गौरव-गाथा को कौन नहीं स्वीकार करेगा ?

यहाँ पर यह स्मरण रहे कि प्राचीन भारत के सभी प्रकार के नगरों की जो सर्व-साधारण विशेषता उसकी रक्षा-योजना (प्राकार-योजना अथवा मैन्य-स्थापना) थी वह इस नगर-प्रभेद में भी पायी जाती थी। सम्भवतः इसी दृष्टिकोण को लेकर श्री कुमार ने अपने शिल्परत्न में मठीय नगरों के सम्बन्ध में निम्न परिभाषा दी है:—

आगन्तुकानां च सर्वेषां मैथिकानां निवासभूः
 ब्रह्मपानीयसंयुक्तः वेचक्षो वा मठो मतः
 विद्यास्थानं तु तद्वत् स्यात् बहुसेना-समन्वितम् ॥

इस परिभाषा का अन्तिम चरण 'बहुसेनासमन्वितम्' इसी उपर्युक्त तथ्य का निर्देशक है।

हेवेल साहब ने प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालयीय नगरों के सम्बन्ध में अपनी प्रसिद्ध पुस्तक Indian Architecture में ऐसे नगरों के विकास में जो भारतीय संस्कृति की आधार-भूत विशेषता ब्राह्मणाधिवास अथवा आश्रम-व्यवस्था को प्रश्रय दिया वह ठीक ही है। उनके शब्दों में:—

“ And as the Brahmans became the custodians of Aryan traditions and culture, the Asrama or Brahmana village developed into the University town to which Aryan Youth of the twice-born went for instruction ”

अर्थात् जब ब्राह्मण लोग आर्य-संस्कृति एवं सभ्यता के संरक्षक बने तो उनके निवास—आश्रम अथवा अधिवासीय ग्राम (ब्राह्मणाधिवास देखिये हर्ष-चरित) एक विश्वविद्यालयीय नगर में परिणत हो जाते थे। क्योंकि उनकी विद्वत्ता एवं पारिदृश्य की कीर्ति को सुनकर हजारों की तादाद में गिण्ठमण्डली उनमें शिक्षा-ग्रहण करने के लिये आती थी।

अस्तु ! इस प्रकार नगर-प्रभेदों की समीक्षा में हमने देखा कि मानवीय विभिन्न व्यापारों के अनुरूप विभिन्न आवासोपयुक्त विभिन्न नगरों का निर्माण मानवसभ्यता की

सर्वतोमुखी आवश्यकताओं की पूर्ति के ही कारण सर्वत्र—इस देश तथा विदेश में हुआ । अतः नगरों के विभिन्नप्रकार उसी तथ्य के द्योतक हैं । इन प्रकारों में मन्दिर-नगरों Temple cities—जो प्राचीन भारत की अनुपम निधि कही जा सकती हैं—पर विवेचन इसलिये नहीं किया गया, क्योंकि इन पर पूर्व अध्याय में नगर-विकास में काफ़ी संकेत हो चुका है । अथच जहाँ तक आधुनिक उद्यान-नगरों garden cities का प्रश्न है उन पर आगे के अध्यायों में अवसर-प्राप्त विवेचन होगा । अतः इस स्तम्भ से अग्रसर होकर अब ग्राम-प्रभेद पर आना है ।

ग्राम-प्रभेद

लेखक ने पिछले प्रकरणों में यह दिखलाने का प्रयत्न किया है कि ग्राम और नगर में भारतीय वास्तु-परम्परागत-शास्त्रों के अनुसार 'प्रकार' का भेद नहीं है केवल 'आकार' का है। भारत के बहुत बड़े-बड़े प्राचीन नगरों की आत्मकथा का प्रारम्भ एक छोटे से ग्राम की कहानी है। पाटलिपुत्र से बढ़कर कौन भारत का प्राचीन नगर था। पाटलिपुत्र को आत्मकथा का श्रीगणेश थोड़े से गावों में प्रारम्भ हुआ। इसी प्रकार अन्य नगरों का भी इतिहास है।

सच तो यह है (जैसा कि पूर्व प्रकरणों में संकेत किया गया है) कि मनुष्य के रहन-सहन, निवास, परिधान तथा भोजन-मजन के ढंग पर उसकी अपनी मौलिक सभ्यता एवं संस्कृति की पूर्ण छाप रहती है। इस अध्यात्म-प्रधान देश में मरलजीवन-यापन की अद्भुत श्रयवा मार्वाभौमिक विशेषता के कारण, श्रौचौगिक नगरों एवं बड़े-बड़े कार्यालयों का विकास सामान्य रूप में सम्भव नहीं था। इस कृषि-प्रधान देश में ग्रामीण सभ्यता ने ही विशेष प्रश्रय पाया। फलतः ग्रामों की अधिकता सहज ही सम्भव में आ सकती है। आलात में कुछ ग्राम अपनी स्थिति एवं सुविधानुसार तथा राजपीठादि (मंदिर, श्रयवा विद्यापीठ अदि) पूर्वोक्त कारणों से बड़े-बड़े महाग्रामों श्रयवा नगरों में परिणत हो गये। अतः ग्राम और नगर का भेद एकमात्र आकार भेद ही रहा। नगर का आकार एवं विस्तार बृहद, ग्राम का लघु। दत्तमहाशय के शब्दों में "Village is a town in miniature"।

इस प्रकार नगर और ग्राम में साग्य होते हुए भी पर्याप्त भेद था, और है। जहाँ ग्राम अकृत्रिम एवं प्राकृतिक हैं वहाँ नगर कृत्रिम तथा मानविक हैं। जहाँ ग्राम के विकास में नैसर्गिक विकास के दर्शन होते हैं वहाँ नगर के विकास में, उसकी विवृद्धि में मनुष्य-प्रदत्त कृत्रिमता का पुट पद-पद पर परिलक्षित होता है।

ग्रामों की इस सर्वसाधारण विशेषता के अतिरिक्त कौटिलीय श्रयशास्त्र की एक दूसरी परम्परा है, जिसके अनुसार ग्रामों का विकास भी नैसर्गिक आवश्यकताओं एवं साधनों के अतिरिक्त सैन्य-पंचाल में श्रयवा शासन-सौविध्य के आधार पर भी है। इस सम्बन्ध में ग्राम-निवेश एवं ग्राम-निर्माण के विषय में कौटिल्य के निम्न प्रवचन दिये जाते हैं:—

शूद्रकपर्कवायं कुञ्जशतावर पञ्चशतकुञ्जपरं ग्राम क्षोशदिकेक्षमीमासं आचोन्वरसं निवेशयेत् । नदी-शैत्र-वन-ष्टष्टि दरी-सेतुबन्ध शाल्मबी शमी-श्रीरवृक्षान् अ तेषु सीमासं रथापयेत् ।

अष्टशतग्राम्यामग्ये स्थानीयचतुशतग्राम्याद्रोशमुखं द्विशतग्राम्यां सर्वाटं दशग्राम्या संग्रहेण संग्रहणं स्यापयेत् ।

अर्थात् ग्राम जिनमें, कि प्रत्येक में कम से कम सौ शूद्र अथवा कृषक परिवार तथा अधिक से अधिक ऐसे पाँच सौ परिवार हों, स्थापित किये जावें । प्रत्येक की सीमा एक कोस से दो कोस की हो । इनकी रक्षार्थ अपनी अपनी स्थित्यनुरूप पारस्परिक रक्षा का प्रबन्ध हो । सीमा का पार्थक्य अथवा निर्धारण एक नदीविशेष, पर्वतविशेष, वनविशेष, वाल्वाकृति वीरुधविशेष, कन्दरायें, पुल अथवा वृक्षविशेष जैसे शाल्मली, शमी अथवा क्षीरवृक्ष आदि से सम्पादित की जावे ।

इन ग्रामों की रक्षार्थ ८०० ग्रामों के बीच स्थानीय दुर्ग २०० के बीच द्रोणमुख दुर्ग तथा १० ग्रामों के बीच में संप्रहणदुर्ग की स्थापना की जावे ।

महामंत्री चाणक्य के इन आदेशों से तो राजा के लिये ग्रामों की स्थापना करना कृत्रिम हो जाता है । ग्राम-निवेश की इस कृत्रिमता के अन्तर्तम में जो रहस्य है उस पर प्रथम ही संकेत हो चुका है । राजपीठीय नगरों—राजधानियों को संकीर्ण होने से बचाने के लिये आवादी के कुछ अंशों को, नये-नये गावों का निर्माण करके, वहाँ भोजना अथवा विदेशियों का इन नव-निविष्ट ग्रामों में रहने के लिये प्रोत्साहित करना—ये ही प्रायः इन कृत्रिम ग्रामों की रचना के हेतु हैं ।

ऐसे ग्रामों के विकास के सम्बन्ध में जो एक और संकेत है वह है सैन्य-संचालन-प्रयोजन । इस की पुष्टि दत्त-प्रदत्त उम्माग जातक की (देखिये T. P in Ancient India page 198) एक कहानी से हो जाती है । युद्ध-प्रस्थान के लिये उद्यत एक राजा ने अपने मंत्री को आज्ञा दी कि वह प्रस्थान-पथ पर ग्रामों का निर्माण करे । मंत्री ने वेंसा ही किया तथा राजा से निवेदन किया— 'महाराज । श्रव विलम्ब न करें । सात-सात योजनों की दूरी पर मैंने आपकी आज्ञानुसार ग्रामों का निर्माण करा दिया है तथा उनमें विश्राम स्थान आदि के साथ-साथ भोजन-वस्त्र, आभूषण, यान, श्रव, गज आदि सभी आवश्यक वस्तु-संभारों का विन्यस एवं प्रबन्ध भी कर दिया है ।'

अतः प्रकट है कि ग्राम-विकास का कारण, जहाँ स्वतः उदय होना तो स्वसाधारण रूप से था ही, और भविष्य में भी होगा वहाँ इस नैसर्गिक विकास के अलावा दूसरी कोटि राजनैतिक एवं सैनिक कारणों के योग की भी है यह सिद्ध होता है ।

कौटिल्य के इस उपर्युक्त प्रवचन के परिशीलन से ऐसा प्रतीत होता है कि ग्रामों के प्रादुर्भाव के इह सांकेतिक समीक्षण के उपरान्त उनकी आवादी के विवेचना आवश्यक है । चाणक्य ने जो लिखा है कि ग्रामों की आवादी के अविरल अग कृष्योपजीवी शूद्र हैं, उसका पोंपण मार्कण्डेय-पुराण के निम्न वचन से भी होता हैः—

तथा शूद्रजनप्राप सुममृदकृपोवला ।
चेत्रोपयोगभूमध्ये वसति ग्रामपचिका ॥

परन्तु ये निर्देश आपूर्ण सत्य के द्योतक नहीं हैं । इनकी आशिक सत्यता में दो रायें नहीं हो सकती । परन्तु मयमत आदि शिल्प-ग्रथों में इस के विपरीत प्रमाण मिलते हैं जिससे यह सुस्पष्ट है कि शूद्रेतर जातियों एवं ब्राह्मण आदि भी ग्राम के प्रमुख निवासी होते थे ।

गण ने 'ब्राह्मणाधिवास' नामक ग्राम का हर्षचरित में वर्णन किया है । इस परम्परा की पुष्टि में मयमत के निम्न प्रवचन विशेष रूप से द्रष्टव्य है.—

द्वादशमहस्रविप्रैर्यज्ञिष्ठितमुत्तमोत्तमं ग्रामम् ।

दशसाहस्रैर्मध्यमधमं स्यादष्टसाहस्रैः ॥ २२ ।

६ वाँ अ०

मयमत के इन प्रवचनों के परिशीलन से ग्रामों में शूद्रोत्तर उत्तमवर्णी ब्राह्मणों की वस्तियों होती थी । विभिन्न-संख्यक ब्राह्मण-भवनों के अनुरूप ही उत्तम, मध्यम तथा अधम ग्रामों का संख्यान किया जाता था ।

इस सम्बन्ध में ध्यान देने की बात यह है कि मयमत आदि प्राचीन शिल्प शास्त्रों में प्राचीन भारतीय-जीवन की उम भलक के दर्शन होते हैं जब भारतीय-जीवन अधिकांश ग्रामीण था । चन्द्रगुप्त मौर्य के समय में भारत का नागरिक जीवन अत्यन्त विकास को प्राप्त हो चुका था । अतः नागरिक चान्द्रक्य यदि ग्रामों में शूद्र आदि निम्न श्रेणी के लोगों की वस्ती पर संकेत करता है तो विशेष आश्चर्य की बात नहीं । ग्रामों की आवादी की इस साधारण समीक्षा के उपरान्त ग्राम-प्रभेद पर प्रकाश डालने के पूर्व एक तथ्य की ओर पाठकों का ध्यान और आकर्षित करना है । जहाँ आज भी प्राचीन नगरों के पर-कोटों के भग्नावशेष विद्यमान हैं—देखने को मिलते हैं, वहाँ ग्रामों के प्राकारों की शायद ही कहीं उपलब्धि होती हो । इसके दो कारण हैं । एक तो ग्रामों का निर्माण साधारण, तत्तद्देशीय मृत्तिका, काष्ठ, घास-फूस आदि से सम्पन्न होता था अर्थात् ग्रामों के भवन मृन्मय (mud houses) होते थे, अतः उनमें स्थायित्व के तत्व कहा रह सकते थे ? ग्रामों के पुराने मकान गिरते गये, नये बनते गये । अतः प्राचीन ग्रामों के भग्नावशेष खण्डरों में अथवा भूगर्भ में विलीन ही प्राप्य हैं जो खुदाई ने अप्रयत्न अथवा प्लोज में कुछ भी सहायक नहीं बन सकते । दूसरा कारण यह है कि ग्रामों की प्राकार-प्रक्रिया पुस्तकों तक विशेष सीमित रही, प्रयोग में वह पूर्णरूप में नहीं पनप सकी । ठीक भी है, प्राकार-निवेश-प्रक्रिया तो मानवीय विशेष है, कृत्रिम अधिक है—नैसर्गिक कम है । ग्रामों के विन्यास के आधार-भूत सिद्धान्तों की समीक्षा में स्वतःप्रवृत्त ग्राम-विकास की ओर पाठकों का ध्यान पूर्व ही आकर्षित किया जा चुका है । अतः स्वतःप्रवृत्त ग्रामों में प्राकार आदि सन्निवेश सर्वसाधारण हो ही नहीं सकता । यद्यत् एक दो ग्रामों की यह विशेषता हो सकती है । उसी विवेक ने सम्भवतः प्रभावित होकर मानसार आदि शिल्प-शास्त्रीय ग्रन्थों में भी नगर-निवेश एवं दुर्ग-निवेश के सामान्य नियमों—प्राकार-परिजा आदि प्रक्रिया का समान रूप से ग्रामों के सन्निवेश में भी उल्लेख किया गया है ।

यह पूर्व ही संज्ञित किया जा चुका है कि मानसार, मयमत आदि वास्तु-शास्त्रीय ग्रंथों में नगर, दुर्ग तथा ग्राम के निवेश एवं विभिन्न अंगों के विन्यास में प्रकार का अन्तर नहीं, आकार का ही अन्तर है । तीनों ही सुरक्षित स्थान (Fortified places) बताये गये हैं । हा जहाँ दुर्ग-निवेश का प्रमुख उद्देश्य रक्षार्थ सैन्यावास था वहाँ ग्रामों एवं नगरों के निर्माण का प्रयोजन आवासान्स्थापन था । यहाँ पर यह स्मरण रहे जैसा कि दुर्ग-प्रतिपादित किया

गया है कि ग्रामों की नगरों एवं दुर्गों की इस सामान्य-निवेश-प्रक्रिया का प्रवर्तन बहुत दिन तक नहीं चला । भले ही संक्रान्ति-कालीन यह व्यवस्था रही हो—ठीक भी था । परन्तु जब सुव्यवस्था एवं शान्ति के दिन आये तो पर कोटे आदि का विन्यास ग्रामों की वसतियों में विलीन हो गया ।

ग्राम-विकास एवं ग्राम-निर्माण के सम्बन्ध में इस अतिसंक्षिप्त पर्यालोचन के के उपरान्त अब क्रमप्राप्त ग्राम-प्रभेद की विवेचना करनी है ।

समराङ्गण में ग्राम पर कोई अलग अध्याय नहीं है । 'पुरनिवेश' नामक दशवें अध्याय में ही राष्ट्र-विधान, जनपद-निवेश, पुरनिवेश तथा राष्ट्रों के मध्य में ग्राम-निवेश आदि पर प्रकाश डाला गया है । अतः जहाँ तक ग्राम-निवेश की समीक्षा है उस सम्बन्ध में समराङ्गण की पुर निवेश सम्बन्धी सामग्री की उपादेयता का संकेत मिलता है । ग्राम-प्रभेद पर समराङ्गण ऐसे इस अत्यन्त महत्वपूर्ण एवं वास्तु-विद्या के अत्यन्त विकसित काल में लिखित ग्रन्थ में भी ग्राम-प्रभेद पर मौन प्रथम दृष्टि में यह कुछ समझ में नहीं आता । परन्तु यदि हम थोड़ा सा विशेष ध्यान दें, तो इस अनुपलब्धि का कारण तत्कालीन सामाजिक स्थिति है, जिसके प्रभाव से प्रभावित यह ग्रंथ मयमत आदि प्राचीन वास्तु-शास्त्रीय ग्रंथों की ग्राम-प्रभेद-परम्परा को विस्मृत कर गया । राजा भोज का दरबार एक अत्यन्त प्रोज्ज्वल एवं प्रोन्नत नागरिक दरबार था । नागरिकता, वैभव, अतिरंजना तथा ऐश्वर्य का वह स्वर्ण-युग एक प्रकार से अपने में आत्म-विभोर था । ऐसी अवस्था में भोज ऐसे नागर नृपति के लिये अस्वाभाविक नहीं कि वह भारतीय जीवन के विराट-जीवन—ग्राम्यजीवन की असाधारण-विभूति की ओर विशेष ध्यान नहीं देता । तथापि किसी भी निवेश-पद्धति में विशेषकर समराङ्गणीय व्यापक पुर-निवेश की रूपरेखा में ग्रामों को भुलाया नहीं जा सकता । इस दृष्टि से समराङ्गण में एक बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रवचन है । जिसका विशेष-उल्लेख उत्तर-पीठिका में होगा । उत्तम, मध्यम अधम राष्ट्रयोजना में समराङ्गण ने ग्राम-निवेश को ही इकाई (यूनिट) माना है ।

अस्तु, प्राचीन ग्रंथों में प्रतिपादित ग्राम-प्रभेदों का उल्लेख कर इस स्तम्भ की पूर्णता सम्पादन करना ही होगा । मानसार के अनुसार ग्रामों के निम्न लिखित प्रभेद है. —

- | | |
|----------------|----------------|
| १. दण्डक | ५. स्वस्तिक |
| २. सर्वतोभद्र | ६. प्रस्तर |
| ३. नन्द्यावर्त | ७. कार्मुक तथा |
| ४. पद्मक | ८. चतुर्मुख |

मानसार की इस ग्राम-प्रभेद-प्रक्रिया अथवा ग्राम-वर्गीकरण का आधार तत्कालीन ग्रामों की आकृति-विशेष है । अर्थात् आकृत्यनुरूप ग्रामों की संख्या आठ है । जहाँ तक इनके विभिन्न ग्रंथों के विन्यास अर्थात् मार्ग-निवेश-प्रक्रिया, वर्णाधिवास-विन्यास, देवतायन-निवेश आदि के साथ-साथ पद-सन्निवेश, प्रमाण-परिगणना, भवन-सन्निवेश आदि का प्रश्न है वह अबसर प्राप्त होते ही आगे चलकर प्रस्तुत किया जायेगा । यहाँ पर प्रथम ग्रन्थ आचार्यों की भी ग्रामप्रभेद तालिका द्रष्टव्य है ।

मयमत के अनुसार भी ग्रामों की संख्या जैसा पूर्व अवतरण से प्रकट है आठ है, परन्तु उनमें मानसारीय संख्या साम्य के साथ-साथ पूर्ण संज्ञा-साम्य नहीं है—

१. दरडक	५. नन्द्यावर्त
२. स्वस्तिक	६. पराग
३. प्रस्तर	७. पद्म तथा
४. प्रकीर्णक	८. श्रीप्रतिष्ठित

इस प्रकार मानसार एवं मयमुनि के ग्रामाष्टक में केवल निम्नलिखित साधारण (Common) ग्राम हैं:—

१. दरडक
२. नन्द्यावर्त
३. पद्म अथवा पद्मक
४. स्वस्तिक तथा
५. प्रस्तर

मयमुनि की इस ग्राम-प्रभेद-तालिका के सम्बन्ध में दूसरी विशेषता यह है कि इस वर्गीकरण का आधार मानसार के अनुरूप आकृति आदि नहीं है वरन् एकमात्र “मार्ग योजना” (Planning of Streets) ही है।

अस्तु, अब आगमों और पुराणों की पुरख-भूमि पर भी विचरण करें और देखें कि कितने ग्राम मिलते हैं? आगमों को वास्तु-शास्त्रीय देन अपूर्व है। कामिकागम के मत में ग्रामों को हम पन्द्रह प्रभेदों में विभाजित कर सकते हैं। निम्न-निर्दिष्ट इन ग्राम प्रभेद-पुंज के परिशीलन से प्रतीत होगा कि मानसार तथा मयमत के ग्राम-प्रभेदों के सम अथवा साधारण (Common) तथा विषम अथवा असाधारण दोनों प्रभेदों के ग्यारह प्रभेदों (५ साधारण) (३ असाधारण—मयमुनि) (३ असाधारण—मानसार) के अतिरिक्त चार और नये नाम निम्नलिखित हैं—

१. दरडक	६. प्रकीर्णक
२. सर्वतोभद्र	१०. पराग
३. नन्द्यावर्त	११. श्रीप्रतिष्ठित
४. पद्म अथवा पद्मक	१२. मय्यन्कर
५. स्वस्तिक	१३. कुम्भक
६. प्रस्तर	१४. श्रीवत्स तथा
७. कामुक	१५. वैदिक
८. चतुर्भुज	

अ इसमें निम्न पांच मयमत तथा मानसार के साधारण अथवा सम प्रभेद हैं—

- १—दरडक
- २—नन्द्यावर्त

३—पद्मक

४—स्वस्तिक तथा

५—प्रस्तर

ब. निम्न तीन-तीन मानसार तथा मयमत के विशेष प्रमेद भी परिगृणित हैं—

मानसारीय

मयमतीय

१. सर्वतोभद्र

१. प्रकीर्णक

२. कामुक

२. पराग तथा

३. चतुर्मुख

३ श्रीप्रतिष्ठित

स इन दोनों प्रमेद-मालाओं के अतिरिक्त निम्नलिखित चार प्रमेद और हैं जिनसे सब मिलकर पन्द्रह हुए—

१. सम्पत्कर

२. कुम्भक

३. श्रीवत्स तथा

४ वैदिक

वैसे तो प्रकरणानुरूप इस स्तम्भ के ग्राम-प्रमेद को यहीं समाप्त कर देना चाहिये । परन्तु जैसा कि पूर्व ही प्रतिपादिन किया गया है कि समराङ्गण में ग्राम-प्रमेद पर प्रकाश नहीं पड़ता उसमें ग्राम-निवेश पर पुर-निवेश के आनुषङ्गिक नियमों का परिपालन ही विशेष रूप से प्रतिपादित किया गया है । अतः आगे पुर-निवेश की समीक्षा ही प्रधान विषय होने के कारण इस स्तम्भ की पूर्णता के लिये यहाँ पर यह आवश्यक है कि थोड़ा सा इन १५ प्रमेदों का केवल सामान्य-निवेश-विवरण ही पाठकों के सम्मुख समुपस्थित किया जावे । दूसरे भारतीय ग्राम-निवेश के आधारभूत सिद्धान्तों की महत्ता एवं उपादेयता की ओर भी थोड़ा-सा संकेत करते चलना चाहिये । जहाँ तक इनके प्रत्येक के अलग-अलग सविस्तर विवरणों का सम्बन्ध है वे मयमत-शिल्पशास्त्र अथवा मानसार में विशेष द्रष्टव्य हैं । इन दोनों ग्रन्थों के एतद्विषयक सविस्तर वर्णन दत्त महाशय के ग्रन्थ में अवलोकनीय हैं । अतः उन सबकी यहाँ प्रकृत में, समराङ्गण के अध्ययन की पूर्व-पीठिका में विशेष उपदेयता न देखकर इन विभिन्न ग्राम-प्रमेदों की निवेश-योजना पर दो चार शब्द लिखकर तुर्ग-प्रमेद की परिवर्तनों एवं प्राकारों को पार करना है । इन विभिन्न ग्रामों के निवेश-नियमों के आधारभूत विषय हैं—

१ आकार (चतुरश्र, वृत्त, आयत, खड्ग, अष्टाश्र, घनुषाकृति आदि-आदि)

२ पदविन्यास—(स्थण्डिल, चण्डिल, अथवा परमशायिक—इनके विषय में 'पदविन्यास'—उत्तर-पीठिका में देखिये)

३ मार्ग-विनिवेश

४ रथ्या-महारथ्या-विनिवेश

५ मार्ग-रथ्या-महारथ्या के वाम अथवा दक्षिण ओर भवन-विनिवेश

६ केन्द्र-सन्निवेश—देवतायतन

७ द्वार-गोपुर-विनिवेश

८ प्राकार-परिखा-विनिवेश

९ विभिन्न देवों के देवतायतन-निवेश

१० विभिन्न-वर्णोचित-वसतिसन्निवेश

११ तडाग, पुष्कर, वृक्ष आदि का विन्यास

इस अतिविकसित-निवेश-परम्परा को देखकर यह कहना अनुचित न होगा कि ग्रामों की यह निवेश-योजना शास्त्रीय विशेष है व्यावहारिक बहुत कम। यह तो एक समृद्ध नगर की निवेश-योजना प्रतीत होती है। इसका क्या रहस्य है? प्राचीन शिल्प-ग्रन्थ ग्रामों, नगरों एवं दुर्गों में वास्तुकला की दृष्टि से कोई विशेष अन्तर नहीं मानते। अतएव ऐसा प्रतिपादन मिलता है। अन्यथा ऐतिहासिक अनुसन्धान में ग्राम-निवेश की यह रूप-रेखा शायद ही मिल सके। शास्त्रीय दृष्टि से इन विभिन्न-कोटिक-ग्रामों की विशेषताओं पर थोड़ी सी समीक्षा कर लेनी चाहिये।

दण्डक—ग्राम की आकृति दण्डाकार बतायी गयी है। इसमें मार्गों का सन्निवेश सीधा एक ओर से दूसरी ओर तक इसी प्रकार चारों ओर। इस विनिवेश में केन्द्र में समकोण पर उनका एक दूसरे की काट तथा चतुष्पथ की रचना सहज सम्भूत हो आ सकती है। मार्ग-विनिवेश में मयमत तथा मानसार के अलग अलग नियम एवं मार्ग-संख्या द्रष्टव्य हैं। इसके पद-विन्यास के सम्बन्ध में स्थण्डिल-योजना विशेष उपादेय है। यह ग्राम ब्राह्मणों की वसती के लिये विशेष उपयुक्त हैं। विभिन्न ब्राह्मणाधिवासों एवं परिवारों की संख्यानुरूप इस ग्राम के विभिन्न भेद मानसार में बताये गये हैं—आश्रम, पुरम्, वास्तुक तथा मंगल।

सर्वतो भद्र तथा नन्द्यावर्त—के निवेश प्रायः समान ही है। नन्द्यावर्त के सम्बन्ध में केन्द्र-विन्यास चार प्रकार के होते हैं—ब्राह्मण, मानुष्य, दैविक तथा पैशाच। इसके पद-विन्यास की योजना चरिडत (६४) अथवा परमशायिक (८१) दोनों में की जा सकती है। नन्द्यावर्त की दूसरी विशेषता यह है कि इसके मार्गों में दो प्रकार के मार्ग-विभाजन हैं। बड़े तथा छोटे। बड़े मार्गों पर पब्लिक-प्लेनेज तथा छोटों पर आवास-मवन। नन्द्यावर्त की संगार्थकतानुरूप (आनन्द-भवन) यह ग्राम बड़ा ही सुप्राधायक बताया गया है। यह भी ब्राह्मणों के लिये विशेष उपयुक्त है। हों मिश्र-वसति के लिये कोई आपत्ति नहीं। ब्राह्मणों की वसती की प्रधानता ने इसको “मंगल”, जत्रियों तथा वैश्यों की मिश्रित वसती से “पुर” तथा यदि वैश्यों एवं शूद्रों की वसती प्रधान हो तो फिर “अग्रहार” की संज्ञा दी गयी है।

स्वस्तिक—स्वस्तिक ग्राम की विशेषता यह है कि उसके मार्गों का विन्यास स्वस्तिक की आकृति में होना चाहिये। यह ग्राम राजाओं के निवानोचित तथा उनके लिये अधिक उपादेय बताया गया है। राजमवनों के निवेश से सम्बन्धित ग्राम के अन्त्यन्तर प्रदेश में विभिन्न स्थितियों (situations and sites) के अनुरूप इस ग्राम के चार प्रकार होते हैं—आगत, संग्रह, विजय तथा स्थानीय।

पद्मक

पद्मक—इस ग्राम की आकृति पद्माकार होनी चाहिये। यह तभी हो सकता है जब यह या तो चतुरश्रयताकार, षडश्रि, अथवा अष्टाश्रि हो। इसका भी पद-विन्यास स्थिडल अथवा च्छिडत में होना चाहिये। समयत के अनुसार इस ग्राम के मार्ग को विभिन्न प्रक्रियाओं एवं मार्ग-संख्या के कारण इसके पांच प्रकार हैं।

प्रस्तर—जैसा नाम है (प्रस्तर-शय्य) वैसी ही इसकी विनियोजना होनी चाहिये। इस योजना के अनुसार इस ग्राम के लिये भविष्य में विस्तार एवं प्रसार (extension तथा expansion) का काफी मौका रहता है। जिस प्रकार अर्वाचीन नगर-निवेश पद्धति में आगामी विस्तार एवं प्रसार के लिये पूर्ण ध्यान रखने की व्यवस्था एवं तदनु रूप विन्यास योजना को प्रश्रय दिया जाता है वैसा ही इस ग्राम के विनिवेश में द्रष्टव्य है।

कामुक—इस ग्राम की आकृति यथानाम धनुषाकार होती है। अतः अर्ध-वृत्ताकार इसका विन्यास होता है। इसकी दूसरी विशेषता यह है कि यह ग्राम विशेषकर सरिता-तटों पर अथवा सागर-वेला पर निविष्ट किया जाता है और ऐसी आकृति (धनुष) वाले ग्रामों के लिये ये स्थल-विशेष उपयुक्त भी होते हैं। इसी ग्राम की निवेश-प्रक्रिया 'पत्तन' 'खेट' अथवा "खर्वाट" नगर-प्रकारों की निवेश प्रक्रिया का आधार होती है। इसका महामार्ग एक ही होता है तथा रथ्यायें अधिक।

चतुर्मुख—यथानाम यह चतुरश्रयताकार विन्यस्त होता है। इसकी मार्ग-विनिवेश प्रक्रिया इस प्रकार सम्पादित होती है कि पूरा गाँव चार वर्गों में (blocks) में विभाजित हो जाता है। इस ग्राम की वसति में प्रधानता यदि व्यापारियों की है तो इसका नामकरण कोलकोष्टक किया जाता है।

प्रकीर्णक—प्रकीर्णक का अभिधेयार्थ चामर है। इसकी चामराकृति का क्या रहस्य है—इस सम्बन्ध में इसका रहस्योद्घाटन ग्रंथों के परिशीलन से नहीं प्राप्त होता है। हाँ कामिकागम में जो बहुमार्ग-विन्यास इस ग्राम के सम्बन्ध में निर्दिष्ट किया गया है सम्भवतः इसी हेतु इसकी चामराकृति सम्पन्न हो सकती है।

पराग—यह एक छोटा-सा ग्राम होता है। इसका विन्यास परागाकृति में (cob-webbed) होता है। मार्गों का प्राचुर्य विशेष रूप से इसमें देखा गया है। अतः यातायात तथा ज्ञान-संचार का सौकर्य सुन्दर होता है। सम्भवतः इनसे बढ़कर किसी भी ग्रामनिवेश-प्रक्रिया में यह सौविध्य नहीं प्राप्य है।

श्रीप्रतिष्ठित तथा सम्पत्कार—इन दोनों ग्रामों का विन्यास सर्वसाधारण है। हों प्रथम में श्री देवी की प्रतिष्ठा परमावश्यक है और दूसरा भी प्रथम के समान ही सम्पति-प्रदान करने वाला बताया गया है।

कुम्भक—इस ग्राम का यथानाम कुम्भाकार (Like pitcher) विनिवेश होता है। अतः यह या तो वर्तुलाकार अथवा बहुधायत (Polygonal) होता है इसकी मार्ग-व्यवस्था की विनियोजना यह है कि मार्ग-संख्या प्रचुर होती है तथा वे सब समानान्तर दौड़ते हैं।

श्रीवत्स एवं वैदिक—इन दोनों ग्रामों के विशेष विवरण नहीं है। ये सर्वमाधारण हैं। केवल वैदिक की विशेषता यह है कि इस ग्राम की महारथ्याओं के दोनों ओर मवन-विन्यास होना चाहिये तथा पूर्वोत्थित ग्रामों की योजना से विशिष्ट योजनानुरूप मवन द्विमौमिक हो सकते हैं।

इन ग्रामों के प्रत्येक की इस अत्यन्त स्थूल समीक्षा तथा सभी की सामान्य समीक्षा के उपरान्त भारतीय ग्राम-निवेश-पद्धति के आधार-भूत सिद्धान्तों की समीक्षा में एक दो तथ्यों की ओर पाठकों का ध्यान आकर्षित करना अभिप्रेत है।

इन पन्द्रह प्रभेदों में अन्तिम सात प्रभेदों के जो विशेष विवरण मध्यम एवं विशेषकर कामिकागम में मिलते हैं उनमें मार्गों की पृथुल संख्या का निर्देश है। अतः प्रथम विशेषता हुई बहुमार्ग-योजना दूसरी विशेषता यह है कि उत्तरी मार्गों की संख्या पूर्वी मार्गों की अपेक्षा कहीं अधिक है। इस उत्तरदिग्वर्तिनी बहुमार्ग-विन्यास-विनियोजना का कोई आधारभूत सिद्धान्त होना ही चाहिये। इससे सम्बन्ध में यह द्रष्टव्य है कि ग्राम पूर्व से पश्चिम की ओर विशेष प्रसारित (elongated) किये जाते हैं। अतः पूर्व-पश्चिम मार्ग विशेष लम्बे होने ही चाहिये। इस विनिवेश का वैज्ञानिक आधार यह है कि इस देश में जहाँ वायु विशेषकर दक्षिणोत्तर अथवा उत्तर-दक्षिण बहता है वह यहाँ के खुले मकानों के मगमुख धूल न उडा सकें और बन्द करने की आवश्यकता भी न पड़े जिससे पवन संचार ही रुक जावे। आधुनिक-नगर निवेश के वैज्ञानिक दिग्सामुख्य (orientation) विनियोग में इस दृष्टिकोण ने विशेष अभिनिवेश प्रदान किया है। वह पुरातन समय में भी इस देश की ग्राम-विन्यास-प्रक्रिया की विशेषता थी—यह सुतरा प्रकट है। अतः भारतीय वास्तु-शास्त्र की मौलिकता कितनी गम्भीर है यह विद्वान् पाठक समझ सकते हैं।

इस सम्बन्ध में प्रसिद्ध वास्तुशास्त्री हर्नेल महोदय के निम्न शब्द विशेष महत्त्वपूर्ण हैं:—

“The experience of many generations had proved that (their plans of villages) were the best for the purpose of defence, and gave the most healthy, pleasant and practical lay out for an Indian village and town. The easterly axis of the plan ensured that the principal streets were purified by the rays of the sun sweeping through them from morning till evening; while the intersection of main streets by shorter ones running north and south provided a perfect circulation of air and the utmost benefit of the cool breezes.”

अर्थात् अनेकपीढ़ियों के पुर्जाभूत अनुभव ने यह सिद्ध कर दिया है कि भारतीय ग्रामों की ये विभिन्न निवेश-प्रक्रियायें रक्षा, स्वास्थ्य, नैदर्य एवं नैऋत्य और वायु के लिये अत्यन्त उपयुक्त हैं। ग्राम-योजना के पूर्वाभिमुख्य से यह निरना निश्चित हो जाता

है कि उस ग्राम के मुख्य मार्ग प्रातः से लेकर सायं तक सूर्य की रश्मियों से पुनीत एवं प्रकाशित रहें अथवा महामार्गों का ग्रामीय रथ्याओं (जो विशेषकर उत्तर-दक्षिण तथा दक्षिणोत्तर दौड़ती हैं) के साथ पारस्परिक कटाव (intersection) से वायु-संचार का पूर्ण प्रसार तथा शीतल पवन का पूर्ण आनन्द सुगम हो जाता है ।

अब अन्त में एक तथ्य की ओर पाठकों का ध्यान और आकर्षित कर इस स्तम्भ को यहीं छोड़ना है । वह यह कि इस अध्याय के उपोद्घात में ग्राम-विकास की स्वतःप्रवृत्त प्रवृत्ति पर संकेत किया गया है । अतः जैसा कि आधुनिक युग में जब वास्तु-कला के उदीयमान एवं अत्यन्त विकसित स्वरूप के दर्शन होते हैं और जिसमें उद्यान-नगर (garden cities) के आदर्श सर्वसाधारण रूप से पनपते हुए दृष्टिगत होते हैं तो फिर इन ग्राम-निवेश-प्रक्रियाओं को देखकर अर्वाचीन उद्यान-नगर-विनियोजना का जो आभास इनमें प्राप्त होता है उसका रहस्योद्घाटन कैसे किया जावे ? इस शंका और मर्म के समाधान में यह स्मरणीय है कि ग्रामों का विकास स्वतःप्रवृत्त अर्थात् नैसर्गिक तो सर्वत्र सनातन से होता ही आया है, परन्तु मानव-सभ्यता के विकास में यत्र-तत्र, सर्वत्र, सभी देशों में मानव ने अपनी सहज बुद्धि एवं विज्ञता से उस उदीयमान सभ्यता के प्रकर्ष में जो प्रयत्न किया है वही तो कला, विद्या एवं शास्त्र के नाम से पुकारे जाते हैं । अरण्य और उद्यान में केवल अन्तर कला का ही है—योजना और विन्यास का ही तो है । स्वतःप्रवृत्त ग्रामों को कालांतर में कलात्मक दृष्टि से निविष्ट किया जना ही तो शास्त्रों के नियमों का मर्म है । अतः इन ग्राम-निवेशों में जो अर्वाचीन उद्यान-नगर-निवेशों की प्रक्रिया की झलक दिखाई पड़ती है उसका यही मर्म है ।

अथवा भारतीयों का सनातन से प्रकृति-सान्निध्य एवं प्रकृति-साहचर्य प्रसिद्ध रहा है । जिस स्थान पर शुद्ध वायु, मनोहर पादप, सुरम्य कानन, सुन्दर लताओं, वीरुधों, अथवा स्वच्छ जलाशयों—पुष्कर-पुष्करिणी-तटगों अथवा पुरयसलिला सरिताओं का प्राकृतिक साम्राज्य नहीं छाया हो, क्या वह कमी भी भारतीयों के लिये आकर्षक हो सकता था ? प्राचीन भारत का तो प्रत्येक ग्राम और नगर—आधुनिक कृत्रिम उद्यान-नगरों (garden cities) का अकृत्रिम रूप था ।

दुर्ग-प्रभेद तथा दुर्ग-निवेश

नगर-प्रभेद तथा ग्राम-प्रभेद की ओर पाठको का ध्यान आकर्षित किया जा चुका है। अब क्रम-प्राप्त दुर्ग-प्रभेद पर कुछ प्रकाश पढ़ना चाहिये। यों तो नगर-प्रभेद की पर्यालोचना के अवसर पर दुर्ग एवं दुर्ग-नगरों के विषय में संकेत किया जा चुका है, परन्तु दुर्ग-प्रभेद तथा दुर्ग-निवेश की कुछ अधिक सविस्तर समीक्षा आवश्यक है।

यह पहले ही लिखा जा चुका है कि भारतीय वास्तु-शास्त्रीय विवरणों में नगर, ग्राम एवं दुर्ग इन तीनों की निवेश-पद्धतियों में प्रकार-भेद नहीं है, एकमात्र आकार भेद है। मानसार आदि उच्च कोटि के शिल्पशास्त्रीय ग्रंथों में इन्हीं तथ्य पर प्रकाश डाला गया है—यह हम देख ही चुके हैं।

अब प्रश्न यह है कि भारतीय प्राचीन नगरों का यह वैलक्षण्य अथवा उनकी यह विशेषता कि उनके चारों ओर परिसर, प्राकार आदि की निवेश-पद्धति, सर्व-साधारण रूप से आवश्यक ही नहीं अनिवार्य थी—इसका क्या रहस्य है? न केवल प्राचीन भारत में ही, वरन् ग्रीस, रोम आदि पश्चिमी देशों में भी प्राचीन काल में ऐसी ही व्यवस्था थी। अतः अमन्दिग्ध है कि प्राचीन पुरों एवं ग्रामों की इस सामान्य विशेषता (fortification—चतुर्दिक प्राकर-योजना) के अन्तर्गत में तत्कालीन जीवन-दशा का प्रतिबिम्ब परिलक्षित होता है। ठीक भी था। प्राचीन युग में जब शासन-पद्धति तथा शासन-सुव्यवस्था के वे सुन्दर तथा सार्वभौमिक अथवा केन्द्रीय माधन उपलब्ध नहीं थे जिन में किसी विशाल भू-भाग पर शासन की सुव्यवस्था, शांति-रक्षा (उपद्रवों, आगजकता, तथा लूटमार का मूलोच्छेदन) का प्रबन्ध किया जा सके, विभिन्न वसतियाँ चाहे वे ग्राम हों अथवा नगर, अपनी-अपनी रक्षा का उत्तरदायित्व स्वयं ही समेटती थीं। अतएव बड़े-बड़े नगरों एवं राजधानियों की तो बात ही क्या, छोटे-छोटे ग्रामों एवं पुरों के लिये भी यह निवेश-पद्धति, सामान्य रूप से अनिवार्य थी। अतः यह कहना अतंगत न होगा कि पूर्वीय तथा पाश्चात्य—दोनों ही ओर के देशों में आर्य-जीवन ने सम्बन्धित इन प्रकार की नगर-निवेश-पद्धति की एक सामान्य पुगतन व्यवस्था थी।

पुगतन साहित्य में प्रायः सर्वत्र प्राप्त नगर-वर्णनों में (यथा रामायण, महाभारत आदि प्राचीन ग्रन्थों में) इस उपर्युक्त तथ्य के द्योतक नगर-निवेश के स्वल्पतः निदर्शन उपलब्ध होते हैं। अतः यह ठीक ही था कि पुर—नगर दुर्ग के रूप में और दुर्ग-नगर के रूप में सामान्य रूप से प्रचलित एवं मन्त्रिविष्ट होते थे। वैदिक-ब्राह्मण के परिशीलन से भी पता चलता है कि उन सदूर अतीत में 'पुर' शब्द का अन्वयेयार्थ दुर्ग-सदृश बलती था। शब्द-कल्पद्रुप में भी सम्भवतः इन्हीं तथ्य के परिणाम-स्वरूप परिणित में लिखा है—

'पुर' दुर्गमधिष्ठानं कोटोऽस्ती राजधान्यपि इति जटाधर ।

अर्थात् पुर का अर्थ दुर्ग, अधिष्ठान, कोट तथा राजधानी है। इन पर्यायों की समीक्षा का आधार-भूत सिद्धांत रक्षा की सुव्यवस्था है एवं तदनु रूप प्राकार-परिखादि-सन्निवेश-प्रक्रिया के कारण ही इनमें पारस्परिक पर्याय-साम्य प्रदर्शित किया गया है। नगर, ग्राम एवं दुर्ग की सुरक्षा सम्बन्धी यह सामान्य परम्परा इन्हीं तक सीमित नहीं रही। नगरों की तो बात ही क्या मन्दिरों के भी चारों ओर प्राकार आदि सन्निवेश (fortification) का अनुगमन बहुत समय तक इस देश में विशेष कर दक्षिण भारत के मन्दिरों में किया गया। मन्दिरों से तथा विद्यापीठों से नगरों के विकास पर (on the origin and development of temple cities and University towns) पूर्ण-प्रकरणों में पूर्ण प्रकाश पड़ चुका है।

दुर्गाकृति-नगरों के निवेश अथवा नगराकार दुर्गों के विन्यास की परम्परा के अतिरिक्त कालान्तर में एक और पद्धति पनपी। वह है नगर के अभ्यन्तर-प्रदेश में अथवा किसी कोण विशेष पर, अथवा नगर से कुछ दूरी पर दुर्गों का सन्निवेश होने लगा। मध्यकालीन राजधानियों के जो निदर्शन आज भी अवशेष हैं, उनमें इस पद्धति के पूर्ण दर्शन होते हैं। जयपुर लीजिये। इस मध्यकालीन राजधानी के उत्तर-पश्चिम कोण पर दुर्ग का निवेश हुआ है। महाभारत तथा रामायण में इन्द्रप्रस्थ, मथुरा, लङ्का, अयोध्या, द्वारका आदि के वर्णनों से भी प्रकट है कि ये नगर तथा नगरियाँ पहले दुर्ग पुनः कालान्तर में विस्तार एवं प्रसार (extension and expansion) की बहुमुखी आवश्यकताओं से महानगरियों एवं महानगरों के रूप में परिणत हो गयीं। राजस्थान के नगरों की भी यही कथा है। चित्तौर पहले एक किला था, कालान्तर में एक नगर हो गया। बात यह है कि दुर्गाकार नगरों की प्रथम विन्यास-योजना कालान्तर में बढ़ती हुई आबादी तथा अन्य विविध आवास-आवश्यकताओं के कारण असफल हो गयी। अतः किला भीतर रह गया और वरितियों चारों ओर निर्मित होने लगीं। अतः निष्कर्षतः यह कहना ठीक ही होगा कि यद्यपि प्राचीन भारत में प्रत्येक नगर सुरक्षित अथवा दुर्गाकृति-नगर (fortified town) था परन्तु वह दुर्ग सर्वदा के लिये नगर का सम-विस्तृत (Co-extensive) तो नहीं हो सकता था। अतः समय पाकर वह नगर के अभ्यन्तर रह गया अथवा नगर के किसी कोणविशेष पर स्थित रह गया।

दुर्ग-निवेश की यह परम्परा अर्वाचीन नहीं कही जा सकती। महाभारत के शान्ति पर्व (८६ अ० देखिये) में लिखा है—

“पड्विधं दुर्गमास्थाय पुरायथ निवेशयेत्” अतः यह परम्परा भी प्राचीन है—यह सिद्ध है।

अभी तक दुर्गाकृति-नगरो अथवा नगराकार दुर्गों अथवा नगराभ्यन्तर-दुर्गों के संबंध में जिस निवेश-पद्धति की भीमासा कर रहे थे उसका सम्बन्ध प्राकार-परिखादि-विनिवेश सम्बन्धी कृत्रिम-पद्धति से है। परन्तु वास्तव में दुर्गविनिवेश की दो पद्धतियाँ शत्रुओं में पायी जाती हैं—१ अकृत्रिम तथा २, कृत्रिम

अकृत्रिम-दुर्ग-प्रक्रिया का अर्थ यह है कि इस प्रकार के दुर्गों के विन्यास के लिये प्रकृति स्वयं उपादान उपस्थित करती है। अर्थात् प्राकार-विधान, परिखाखनन तथा वप्र-विन्यास आदि कृत्रिम सुगन्ना-साधनों के अतिरिक्त वैकृत अथवा प्रकृति-प्रदत्त उपादानों से

भी दुर्गों की व्यवस्था होती थी । महनीय कीर्ति कौटिल्य के निम्न प्रवचन उल्लेख्य है:—

“चतुर्दिशं जनपदान्ते साम्प्रतिकं दैवकृतं दुर्गं कारयेत् । अन्तर्द्वीपं स्थलं वा, निम्नावरुद्धमौदकं प्रास्तरं गुहा वा पार्वतं निरुदकस्तम्भमिरिणं वा धान्वनं एंजनोदकं स्तम्भ-गहनं वा वनदुर्गम् । तेषां नदीपर्वतदुर्गमजनपदारक्षस्थानं धान्वनवनदुर्गमटवी स्थानम्” अर्थात् जनपद अर्थात् राज्य की चारों सीमाओं पर सुरक्षार्थ प्रकृति-प्रदत्त साधनों के द्वारा दुर्ग-व्यवस्था अनिवार्य रूप में करनी चाहिये । इस व्यवस्था के विभिन्न रूपों में कही जलदुर्ग—(मरिता के मध्य-प्रदेश पर स्थलभूमि पर—अन्तर्द्वीपीय स्थानपर) अथवा उस मैदान पर जिसके चारों ओर निम्न स्थल में अवरुद्ध जल भरा हो—का विन्यास करना चाहिये । कहीं पार्वतीय दुर्ग की व्यवस्था सम्पादित करनी चाहिये । यह भी दो रूपों में हो सकती है जिनके चारों ओर पर्वत हो अथवा पर्वतीय उपत्यका भूमि में जिनकी स्थिति हो, और वह चारों ओर से छोटी छोटी पहाड़ियों से घिरी हो । तीसरी व्यवस्था है मरुदुर्ग (धान्वन) की । यह या तो निरुदक वन्यप्रदेश के मध्य में स्थित हो अथवा उस भूमि पर स्थित हो जिसकी जमीन मरु तार से बन्धी बन गयी हो । चौथी व्यवस्था वन-दुर्ग की है । इस व्यवस्था में भी दो विकल्प हैं जिसके लिए कौटिल्य के शब्द नाची हैं—‘खड्गनोदक’ अथवा ‘स्तम्भगहन’ । प्रथम का अर्थ है—उन दलदली अरण्य-भूभाग में जो भाड़ियों तथा वन-वृक्षों से घिरा हो । दूसरे का अर्थ उस अरण्यक घेरे में है जिसमें बड़े-बड़े उत्तुंग वृक्ष तथा उनके नीचे भाड़ियाँ घेरा बनाये हो ।

प्रायः प्राचीन शिल्प-शास्त्रों में अकृत्रिम दुर्ग-प्रक्रिया के ही प्रवचन मिलते हैं । मयमत तथा मानसार—इन दोनों ग्रन्थों में तो अकृत्रिम तथा कृत्रिम दुर्गों की मिश्रित व्यवस्था है । दुर्ग-नगरों अथवा नगराकार दुर्गों की जैसा कि ऊपर प्रतिपादित ही किया जा चुका है जो व्यवस्था थी वह तो प्राकार-परिखा-वप्रादि-विनिवेश-विन्यास विनियोजना में अलङ्कृत होकर कृत्रिम पद्धति के निदर्शन है ।

परन्तु भोज महाराज को यह श्रेय है कि इन्होंने दुर्ग-निवेश की दोनों पद्धतियों—कृत्रिम तथा अकृत्रिम की विवेचना की है । भोज के ‘युक्ति-कल्पतरु’ के परिशीलन से यह पता चलता है । युक्ति-कल्पतरु के अनुसार दुर्गों को हम पहले दो वर्गों में वर्गीकृत कर सकते हैं—अकृत्रिम तथा कृत्रिम । अकृत्रिम अर्थात् प्राकृतिक दुर्गों में हम ग अभिप्राय उन दुर्गों में है जो प्रकृति-प्रदत्त उपादानों जैसे जल मरु, पर्वत, वन आदि में व्यवस्थित होते हैं । इनके विपरीत जहाँ पर प्रकृति-प्रदत्त साधन उपलब्ध नहीं होते हैं, और प्राकारों (रटिका, पापाण्ड आदि में निर्मित) के विन्यास में पण्डित तथा वप आदि विनिवेश से सुरक्षा के साधन अनुपस्थापित किये जाते हैं उन्हें हम कृत्रिम-दुर्ग कहते हैं ।

मानसार की दुर्ग-निवेश पद्धति का कारण यह है कि दुर्गों को हम प्रथम निम्न निश्चित आठ वर्गों में बाँट सकते हैं.—

- | | |
|--------------|------------------|
| १. शिखर | ५. नन्दिद्वार्यक |
| २. वाहिनीमुख | ६. कोदक |
| ३. त्थानीय | ७. निगम तथा |
| ४. द्रोणक | ८. स्न्धापार |

फिर इन आठों प्रकारों का दुर्ग-वर्ग, अपनी स्थित्यनुरूप निम्न लिखित उपवर्गों में वर्गीकृत किया गया है—

- | | | |
|---------------------------------|-------------|-------------|
| १. पार्वतीय दुर्ग—(गिरिदुर्ग) | २. वनदुर्ग | ३. जलदुर्ग |
| ४. ऐरिणदुर्ग | ५. देवदुर्ग | ६. पंकदुर्ग |
| ७. मिश्रदुर्ग | | |

अथच गिरि-दुर्ग के पुनः तीन भेद प्रतिपादित किये गये हैं । स्थित्यनुरूप वह दुर्ग पर्वत-शिखर पर स्थित है अथवा उसकी स्थिति पर्वत की उपत्यकाओं में है अथवा वह पर्वत की समीपस्थ ढालू भूमि पर है । फलतः इनको पर्वतावृत, पर्वत-मध्य अथवा पर्वत-समीपक संज्ञा क्रम से दी जा सकती है ।

अतः प्रकट है कि मानसार की इस दुर्ग-वर्गीकरण-प्रक्रिया में कृत्रिम दुर्गों एवं अकृत्रिम दुर्गों—दोनों का ही सम्मिश्रण है । परन्तु भोज-प्रदत्त दुर्ग-पद्धति (युक्ति-कल्पतरु) में कृत्रिमदुर्गों एवं अकृत्रिम दुर्गों के दो विभिन्न दुर्ग-वर्ग पृथक् पृथक् समुपस्थापित किये गये हैं—वह मानसार की परम्परा नहीं हैं । जो कृत्रिमदुर्ग हैं वे ही अपनी स्थिति के अनुरूप पुनः अकृत्रिमदुर्ग-पट्टक में परिवर्तित हो जाते हैं जहाँ प्रकृति-प्रदत्त उपादानों का बाहुल्य एवं सौविध्य होता है ।

अस्तु, दुर्ग-प्रभेद के इस ऐतिहासिक उपोद्घातन का समराङ्गण में प्रदत्त दुर्ग-निवेश एवं दुर्ग-प्रभेद-विवरणों के संक्षिप्त परिचय से उपसंहार करना है । समराङ्गण तथा युक्ति-कल्पतरु इन दोनों ग्रन्थों का रचयिता एक ही है । अतः महाराज भोज ने जहाँ युक्ति-कल्प-तरु में कृत्रिम एवं अकृत्रिम दो दुर्ग-वर्गों का उल्लेख किया है वहाँ समराङ्गण में (‘अष्टाङ्ग लक्षण’ नामक ४५वें अध्याय में, स्थापत्य के अष्टाग में) आठवें अङ्ग राजशिविर-निवेश एवं दुर्ग-कर्म के सम्बन्ध में विवेचन करते हुए लिखा है—

“दुर्गों की संख्या ६ है—

जलदुर्ग, पङ्कदुर्ग, वनदुर्ग, ऐरिणदुर्ग पार्वतीय दुर्ग तथा गुहा-दुर्ग—जिनमें, पार्वतीय दुर्ग—सर्वश्रेष्ठ है ।

अतः प्रकट है इस प्रवचन में प्राकृतिक-उपादानों से परिपुष्ट अकृत्रिम दुर्गों का ही वर्ग-पट्टक दृष्टि-पथ में अवतरित होता है और उसी की ओर भोज ने पाठकों का ध्यान आकर्षित किया है । इसका क्या समाधान है ? हमारी समझ में यहाँ भोज ने भले ही कृत्रिम अकृत्रिम विभेद से दुर्गों के प्रभेद पर प्रकाश न डाला हो परन्तु कृत्रिमदुर्ग, जो नगर-निवेश की सामान्य-पद्धति से निविष्ट होते थे उन पर ‘पुरनिवेश’ नामक १०वें अध्याय में संकेत किया ही है जिसका उल्लेख अभी आगे किया जायगा । अथच भारतीय प्राचीन परम्परा में जो दुर्ग, नगर तथा ग्राम का आकार-भेद ही विशेष रूप से माना गया है वह परम्परा भोज ने भी स्वीकार की है, क्योंकि नगरादि-संज्ञा नामक १८वें अध्याय में नगर-पर्यायों में दुर्ग को दूसरा स्थान मिला है ।

“नगरं मन्दिरं दुर्गं पुष्करं साग्नराधिकम्

इत्यादि प्रथम श्लोक १८वा ॥०

इसके अतिरिक्त समराङ्गण की दुर्ग-निवेश-पद्धति की समीक्षा के प्रथम इस सम्बन्ध में प्रथम हमें दो तथ्यों की श्रौर पाठकों का ध्यान आकर्षित करना है। एक तो जैसा ऊपर के प्रकरणों में लिखा है कि प्राचीन भारत में दुर्ग-निवेश-पद्धति तथा ग्राम एवं नगर इन दोनों की निवेश-पद्धति में कोई विशेष विभेद नहीं था—यह परम्परा समराङ्गण भी स्वीकार करता है। अथच वैसा ही आदेश देता है।

“नगरेषु समग्रेषु ग्रामेषु निखिलेष्वपि ।

खेटकेषु च सर्वेषु सामान्योऽयं विधिः स्मृतः ॥

१० १४७

तथा “यथा पुरे पुरा प्रोक्तं स्थानं दुर्गोऽपि तत् तथा ॥

४५ ४५

अर्थात् “नगर के अखिल प्रभेदों में (दुर्ग भी सम्मिलित) तथा सभी प्रकार के ग्रामों में अथच सर्वविध खेटकों में पुर-निवेश की यह सामान्य विधि वर्तनी चाहिये।”

अर्थात् “जैसा पहले हमने पुर में (देखिये १०वा अ०) स्थानादि-विनिवेशन-विनियोग बताया है वैसा ही दुर्ग में भी है” ।

दूसरे तथ्य जिसकी श्रौर ध्यान आकर्षित करना है वह यह कि समराङ्गण शिविर एवं दुर्ग—इन दोनों को बिलकुल अलग दो चीजें मानता है। स्थापत्य के अष्टाग में ८वा अंग शिविर-निवेश तथा दुर्ग-कर्म वास्तु-कर्म की ये दो अलग अलग चीजें हैं श्रौर ऐसी ही परिगणना महाराज भोज ने की है (देखिये ४५ वा अ०) अतः कौटलीय परम्परा में जो दुर्ग एवं शिविर एक ही चीज प्रायः माने गये हैं तथा मयमत एवं मानमार की परम्परा में शिविर को नगर-विभेद बताया गया है वह समराङ्गण को स्वीकार नहीं। शिविर तो एक प्रकार का क्षणिक-निवेश (temporary arrangement) है जो कि युद्धावसर यात्रा आदि में सन्निवेश्य समभ्रज जाता था। हाँ, कालान्तर में ये क्षणिक स्थान (temporary station) आधुनिक छावनियों (Cantonments) में परिणत हो गये हों तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। परन्तु यह निश्चित है कि इनके निवेश में स्थायित्व-प्रयोजन का अभाव था। इसके विपरीत दुर्ग-निवेश क्षणिक न होकर एक स्थायी चीज थी तथा अत्यन्त स्थायी प्राकृतिक उपकरणों ने (वन, पर्वत, नदी, मरु, पंख आदि प्रकृति-प्रदत्त उपादान) उसकी रचना होती थी।

अब दुर्ग-निवेश एवं शिविरनिवेश की प्रक्रिया के सम्बन्ध में समराङ्गण की दिशा में समीक्षा के प्रथम इन दुर्ग-प्रभेदों के एक एक के सम्बन्ध में कुछ थोड़ी नी समीक्षा प्रावश्यक है, अन्यथा दुर्ग-प्रभेदों का यह प्रकरण अपूर्ण ही रह जाता है।

दुर्ग प्रभेदों के विभिन्न वर्गों की विवेचना में हम इस तथ्य पर पहुँच चुके हैं कि भारतीय शिल्पशास्त्रीय ग्रन्थों के अनुसार दुर्ग के निम्न प्रभेद हैं, जिनको हम हृन्निम

दुर्गों (अर्थात् दुर्ग-नगरों fort cities) तथा अकृत्रिम दुर्गों (सैन्य प्रयोजन-रक्षार्थ-निर्विष्ट) इन दो महाभेदों से निम्नरूप में विभोजित कर सकते हैं:—

अ कृत्रिमदुर्ग—दुर्ग-नगर

- | | |
|------------|---------------------------|
| १ शिविर | २. वाहिनीमुख अथवा सेनामुख |
| ३ स्थानीय | ४. द्रोणक |
| ५ सम्बद्धक | ६ कोलक |
| ७ निगम | ८ स्कन्धावार |

ब अकृत्रिम दुर्ग—(प्रकृति-प्रदत्त उपादानों से)

- | |
|--|
| १. पार्वतीयदुर्ग—नगरदुर्ग (I) प्रान्तर (II) गिरिसमीपक तथा (III) गुहा दुर्ग |
| २. जल-दुर्ग (I) अन्तर्द्वीपीय (II) स्थल-दुर्ग |
| ३ धान्वन-दुर्ग (I) निरुदक (II) ऐरण |
| ४. वनदुर्ग (I) खाञ्जन (II) स्तम्भ-गहन |
| ५ महीदुर्ग (I) पारिघ (II) पंक तथा (III) मृदुर्ग |
| ६ नृदुर्ग (I) सैन्य दुर्ग (II) सहायदुर्ग |
| ७ मिश्रदुर्ग—(पार्वत-वन्य) |
| ८ दैवदुर्ग |

जहातक दुर्ग-नगराष्टक का सम्बन्ध है वह तो नगर-प्रभेद के प्रकरण में पूर्ण रूप से प्रतिपादित किया जा चुका ही है। अब यहाँ पर अकृत्रिम-दुर्गाष्टक अपने अवान्तर भेदों सहित विवेचनीय है।

१. पार्वतदुर्ग

पार्वतदुर्ग—जैसाकि इसके नाम से प्रतीत है कि यह दुर्ग पर्वत के ऊपर (शिखर-भाग) अथवा समीपस्थ ढालू भूमि पर अथवा पर्वत-समीपस्थ उपत्यका-भूमि पर स्थित होता है। अतएव इसके तीन भेद होते हैं—

(I) प्रान्तर—यह पर्वत के शिखर-प्रदेश पर स्थित होता है जो बराबर करके प्रवेश-भागों की विरचना गुप्तभागों से [जो अन्तर्मागाकार (subterranean tunnels) होते हैं] सम्पन्न की जाती है। देवीपुराण (देखिये ७२ ११—१६) के अनुसार यह बड़ा ही मागलिक एवं प्रशस्त दुर्ग बताया गया है। दत्त महाशय के अनुसार देखिये। (T. Planning in Ancient India page 76) चित्तौरगढ़ तथा लंका इस दुर्ग के निदर्शन हैं।

(II) गिरिपार्वक—यह पार्वतदुर्ग है जो पर्वत के समीपस्थ ढालू-भूमि पर स्थित होता है। दत्त के अनुसार वृन्दी का किला इसका निदर्शन है।

(III) गुहा—नामक वह पार्वत-दुर्ग है जो पर्वत की उपत्यका-भूमि पर स्थित होता है तथा जिसके चारों ओर पर्वत-श्रेणियाँ होती हैं। जयपुर तथा उदयपुर इसके निदर्शन हो सकते हैं।

२. **जलदुर्ग**—जहाँ पर चतुर्दिग् प्रवाहमय जल से सुरक्षित स्थान-विशेष दुर्ग का काम देता है। इसके भी दो भेद हैं:—

(१) अन्तर्द्वीप—जिसके दोनों ओर नदी बहती हो अथवा वह नगर के मध्य में हो (Island), इसी को शुक्राचार्य ने नदी-दुर्ग के नाम से पुकारा है (देखिये ४ अ०) यह एक प्रकार का अन्तर्द्वीपीय नगर है (insular town) जिसके सुन्दर निदर्शन आधुनिक बम्बई, प्राचीन लंका, श्रीरगम, कावेरीपुंयत्तनम् हैं।

(११) स्थलदुर्ग—इस दुर्ग की स्थिति उस प्रदेश पर वादित है जो उच्च स्थल हो तथा जिसके चारों ओर अप्रवहमाण (Stagnant) गम्भीर जलराशि हो। वही जलराशि यहाँ इसकी रक्षा का प्राकृतिक साधन हो। तभी तो यह जल-दुर्ग का अग्रान्तर भेद है।

३. **मरुदुर्ग**—(धान्यन) यह दुर्ग रेगिस्तान के मध्य में होता है और उसके चारों ओर पाच योजन तक जलामाव रहता है। इस दुर्ग के भी दो भेद हैं:—

(१) निरुदक तथा (११) ऐरिण—

प्रथम—निरुदक मरुदुर्ग उस दुर्ग को कहेंगे जो मरुभूमि से आच्छादित हो और जहाँ पर जल, वृक्ष तथा शस्य का पूर्णभाव हो।

द्वितीय—ऐरिण—मरुदुर्ग उस भूमि-विशेष के मध्य में स्थित होता है जो समन्तात् क्षारजल से वन्ध्य बन गयी हो। इन दोनों भेदों का मर्म यह है कि प्रथम कोटिक दुर्ग की भूमि बालुका अथवा ककड़ों के कारण वन्ध्य है तथा दूसरे में क्षारीय जल रहता है। जहाँ प्रथम में किसी भी प्रकार के पौधों की स्थिति अनुमेय नहीं वहाँ दूसरे में ऐसी भूमि के अनुकूल पौधों, झरियाँ तथा शिलाओं की स्थिति आवश्यक है। राजस्थान की बहुत सी राजधानियों के दुर्ग इन्हीं दोनों कोटियों में आपतित होते हैं।

४. **वनदुर्ग**—वह दुर्ग जिसके चारों ओर लगभग एक योजन तक घने जंगल हों। इसके दो भेद हैं:—(१) खोजन तथा

(११) स्तम्भ-गहन

प्रथम कोटिक-दुर्ग के चारों ओर उन वृक्षों के जंगल होने चाहिये जो लघु तथा ऊँची हों। वहाँ पर झरियाँ हों, गुल्म हों तथा जलामाव न हो। भूमि दलदली हो, दूसरे में समन्तात् उत्तुन्न शाल सट्टा ऊँचे वृक्षों की गहनता हो तथा वहाँ पर जलामाव भी हो। मत्स्यपुगाण तथा मनु के अनुसार इनको बाल कहते हैं।

५. **महीदुर्ग**—इस दुर्ग की तीन कोटियाँ हैं—

(१) पारिष—पारिष की प्राकारों तथा बर्याँ Ramparts तथा Parapets की रचना मृत्तिका, गिजात्रों अथवा इट्टियाँ से की जाती है। इसकी भित्तियों की ऊँचाई उन की चौड़ाई के तुलनी होती है तथा भित्तियों के मावत बहुत चौड़ी जितने संती गोग उन पर निगमनी के लिये टूल भी रकें।

(॥) पक—यथानाम ऐसे-भूमि प्रदेश से सुरक्षित हो जो पंकिल, क्षारीय अथवा सैकत मृत्तिका से भरा हो ।

(॥) मृदुदुर्ग—वैसे तो इसका विन्यास सामान्यरूप से किया जाता है । विशेषता जैसा इसके नाम से ही संकेत है, यह है कि इसकी दीवारें मिट्टी की बनी होती हैं । आधुनिक भरतपुर निदर्शन है ।

६. नृदुर्ग—इसके दो भेद हैं:—

(१) सैन्यदुर्ग (॥) सहायदुर्ग ।

सैन्यदुर्ग—में बहुमुखी सेना के द्वारा रक्षाविधान दुर्गान्तर एवं उसके वाह्यप्रदेश-दोनों जगह सदैव कतारें बाँधकर करने का आदेश है ।

सहायदुर्ग—अथवा मित्रदुर्ग से अभिप्राय मित्र-राजाओं से जो संक्रान्ति-काल में सहायता देकर रक्षा का कार्य करते हैं ।

७. मिश्रदुर्ग—इसकी सुरक्षा-व्यवस्था नगरदुर्ग तथा वनदुर्ग—दोनों की मिश्रित परिपाटी है ।

८. देवदुर्ग—इस दिव्य एवं अलौकिक दुर्ग के सम्बन्ध में दत्त महाशय ने अपने ग्रन्थ में (प० ८१) में एक अवतरण दिया है जो निम्न है:—

ब्रह्मराक्षसवेताब्ज-भूत-प्रेत-गुहैरपि
शिलावर्षप्रवृष्टिभिराब्जोक्ष्यावेशनिर्गमै ।
मंत्रतन्त्रादिसायकैरुक्तद् देवदुर्गक्रम्

अतः इस अवतरण के अनुसार देवदुर्ग उसे कहेंगे जिसके प्रवेश-द्वारों की रक्षा देवों, दानवों, वेतालों, भूत-प्रेतों के द्वारा तो सदैव होती है ही, साथ ही साथ इनके द्वारा अवसर आने पर शिलावर्षात घनघोर-वृष्टि तथा महा आँधी तूफान आदि की अवतारणा से भी यह दुर्ग शत्रुओं के लिये अगम्य हो जाता है ।

शिल्परत्न के अनुसार उस दुर्ग को दिव्यदुर्ग कहेंगे जिसकी भित्तियों पर इन्द्र, वासुदेव, गुह, जयन्त, वैश्रवण अश्विनौ, श्रीमन्दिर, शिव, दुर्गा, सरस्वती की स्थापना हो ।

भगवान् मनु के अनुसार (अ० ७ श्लोक ७२) यह देवदुर्ग एक प्रकार का पार्वतदुर्ग ही है जिसकी रक्षा देवगण करते हैं । कैलाश पर्वत इसका निदर्शन हो सकता है । समराङ्गण के अनुसार इन सभी दुर्गों में “पार्वतीय” दुर्ग सर्वश्रेष्ठ एवं प्रशस्त है:—

“सर्वेषामेव दुर्गा । पार्वतीयं प्रशस्यते” (४५, ४० अ०)

इस प्रकार दुर्ग-प्रभेद के उपरान्त अब क्रमप्राप्त दुर्ग-निवेश पर समराङ्गण के प्रवचनों (देखिये परि० अ०) के अनुसार उसकी समीक्षा करनी है:—

अर्थात् दुर्ग-निवेश की संज्ञित प्रक्रिया यह है कि जहा तक इसके पदविन्यास (site planning) का प्रश्न है वह पौडशपद-वास्तु में बनाना चाहिये । मध्य में ब्रह्मा के स्थान का विन्यास करना चाहिये । पुनः ब्रह्मा के स्थान से राजहर्म्य का विधान पाच हस्त

प्रमाण से हाना चाहिये । ब्रह्मा के मन्दिर तथा राजा के राज-प्रसाद के निवेश के बाद मार्ग-विनियोग के सम्बन्ध में यह ध्यान रखना चाहिये कि दुर्ग-मार्ग चारों ओर निर्मित किये जायें तथा दुर्ग के अन्धन्तर भिन्न-भिन्न रथ्याओं एवं उपरथ्याओं की परिकल्पना करना चाहिये जिनके प्रमाण हैं—उपरथ्या तीन हाथ, शेष रथ्याय दो हाथ । दुर्ग-द्वार का विन्यास दुर्ग रथ्यानु रूप हो । वह अत्यन्त ऊँचा न हो और न शत्रु की सेना के द्वारा वह प्रवेश ही हो अतः उने सदैव सुरक्षित होना चाहिये । इस प्रकार पद-विन्यास, राज-मन्दिर-सन्निवेश, मार्ग-विनिवेश एवं द्वाग-विनियोग के उपरान्त प्रश्न आता है दुर्ग के मालिक का । (बड़ा अफसर) स्थान कहाँ हो । वह मत्स्थान के चारों ओर हो । उसके संबंध में विकल्प यह है कि दुर्गेश्वर का स्थान वैवन्वत, अर्यमा, मैत्र अथवा पृथ्वीधर इन देवों में से किसी भी एकमें अधिष्ठत पद पर उमका विन्यास वाञ्छित है । इसके अतिरिक्त दुर्ग के आभ्यन्तरिक विभागों का सन्निवेश पुर-सन्निवेश के सदृश ही होता है । विभिन्न वसतिया जनावास, देवावास आदि सप्त पुर के सदृश ही व्यवस्थित हों । विशेषता यह है कि दुर्ग में निर्दोष, शुभ, राजभक्त, धनुवद के विशेषण, अस्त्र-शस्त्र-कुशल तथा जानों के प्रवीण योद्धाओं को अवश्य रखना चाहिये । नाथ ही साथ मुन्दर नियों को भी वहाँ अनिवार्य रूप से रखना चाहिये । दुर्ग में रनिवास और खजाना होना ही चाहिये । विशेषकर राजकुमारों को वहा प्रतिष्ठित करना चाहिये ।

‘दुर्ग-नगर’ पर मय मुनि का निम्न प्रवचन (म. म. ६ अ०) अवलोकनीय है । इतनी व्यापक, ग्रीजस्वी एवं समृद्ध दुर्ग-नगर-परिभाषा अन्यत्र दुर्लभ है:—

“जहाँ पर जल, अन्न तथा अस्त्र-शस्त्र की अक्षय निधि हो, जितके चारों ओर बड़े-बड़े उत्तुंग माल वृक्षों की भरमार हो । सम्पूर्ण दुर्ग के चारों ओर प्राकार एवं परिक्षायें हों तथा रत्नार्थ अनेक द्वार निविष्ट हों । जिनकी उत्तुंग भित्तियाँ कम से कम १२ क्यूविट ऊँची हों और जिनपर वाचटावर्स अवलोकनक तथा सैन्य-टोलियों,ने सुरोभित हों । दुर्ग के बाह्य प्रदेश में भी जल की कमी न हो, मार्ग दुष्प्रवेश एवं एकांत निर्जन वन के छल्ल पथों के समान छन्न-पथ तथा छाया-पथ हों । द्वारों पर गोपुर भी हों, मण्डप भी हों । चढ़ने के लिये यत्र तत्र गुप्त सांपान श्रेणियों विरचित हों । दुर्ग के सभी द्वारों के दोनों कपाटों में चार चार लौह अथवा काष्ठ श्लैगलायें हो जिनके कोणकील भी हस्तप्रमाण से कम न हो । द्वाग-प्रमाण दुर्ग-नगरानुरूप हो । इस दुर्ग-नगर में विभिन्न जातियों के लोगों की भरमार पायी जाती है । चतुर्दिक गिधिर सन्निविष्ट रहते हैं । राजवेश्म तथा मैन्वशालायें दुर्गाम्यन्तग-प्रदेश में सन्निविष्ट की जाती हैं । दुर्ग-नगर के लिये वा अनिवार्य है कि धान्य, चावल, तैल, लग्न, औषधि, लौह ग्रीग इन्धन आदि के नंबर बहुप्रमाण में एकत्रित किये जावें, जो समय पर काम आ सकें । इस प्रकार दुर्ग दुर्गम, दुल्लेन तथा दुन्वगाह होना चाहिये (म. म. ६)

शिधिर

शिधिर को हमने उज्जिक-दुर्ग माना है । सम्राज्य के अनुकार जैसा प्रथम ही संकेत में चुना है शिधिर-निवेश तथाप्य के अष्टाग में आठवाँ अंग है:—

“ निवेशं शिधिरस्याथ कथयामोऽङ्गमष्टमम् ”

अतः शिविर-निवेश भी वास्तु-शास्त्र एवं वास्तुकला का एक महत्व-पूर्ण अंग है — यह निर्विचिकित्स है ।

समराङ्गण में शिविर-निवेश के सम्बन्ध में निम्न प्रवचन उल्लेख्य है:—

“अर्थात् जत्र कमी (युद्धार्थं अथवा अन्य किसी प्रयोजनार्थं—देश भ्रमण(touring of the country) राजा अपने स्थान से—अपने राजपीठ से यात्रा के लिये प्रस्तुत हो तो शिविर सन्निवेश केतत्वज्ञ के द्वारा शिविर के निवेश योग्य स्थान की परीक्षा करवानी चाहिये ।

यह स्थानादि परीक्षण-कार्य या तो अर्थशास्त्रज्ञ (राजनीतिज्ञ) किसी मंत्री आदि के द्वारा हो अथवा सर्वशास्त्र-विशारद स्थपति के द्वारा हो । इस प्रकार शिविर-सन्निवेश्य भूमि की परीक्षा के उपरान्त शिविर के आकार के सम्बन्ध में ग्रन्थकार का आदेश है—वह किसी भी आकार का हो सकता है—चतुरश्र, वृत्त, वृत्तायत, चतुरश्रायत अथवा फिर किसी स्थान पर यह शिविर विषम भी हो सकता है । आकार के बाद मार्ग-विकल्पन के सम्बन्ध में प्रश्न उठता है । मार्गों का निवेश यथास्थान (अर्थात् जितना स्थान-निवेश के योग्य मिल सकता हो उसके अनुसार) शिविर के दोनों ओर बड़े-बड़े दो मार्गों की रचना करनी चाहिये । मार्गों के निवेश के बाद द्वारों का प्रश्न आता है । द्वार तो चार ही होने चाहिये । सेना-रथ्या की विरचना पुररथ्या के प्रमाण से आधी हो । राजा के स्थान की रचना मित्र, पृथ्वीभर, अर्यमा अथवा वैवस्वत—इन देवों में से किसी एक से प्रतिष्ठित पद पर करनी चाहिये । (शिविर का सन्निवेश भी प्रचलित विभिन्न पदवास्तुओं में से ६४ पद-वास्तुक विभेद का आदेश है—देखिये अन्तिम पंक्ति) । राज-स्थान के पश्चिम में मन्त्री का, उत्तर में पुरोहित का, पूर्व में सेनापति का, दक्षिण में रनिवास का तथा भण्डार का सन्निवेश करना चाहिये ।

अत्र आया चतुरङ्गिणी सेना के निवेश का विषय । उस सम्बन्ध में यह स्मरणीय है कि जत्र राजा अपने स्थान में प्रवेश करे तो उसके दक्षिण की ओर घोड़े तथा बायें ओर हाथी हों । राजवेश्म के बाहर की ओर परिखा भी बनानी चाहिये जिसका प्रमाण है ३, या ४ हाथ ।

इस प्रकार इस अवतरण से सुस्पष्ट प्रकट है कि इस शिविर में न तो नगरों की तरह विभिन्न वस्तियों के निवेश पर प्रवचन है न विभिन्न देवालयों, प्राकारों, वनों, गोपुरों का ही उल्लेख है, अतः लेखक की यह धारणा कि समराङ्गण की परम्परा में शिविर से हमारा अभिप्राय एक क्षणिक पड़ाव से ही है न कि निरस्थायी दुर्ग अथवा दुर्ग-नगर अथवा नगर-प्रभेद से, ठीक जँचता है ।

शिविर शब्द से साधारणतया तो एक छावनी सेना-स्थान (कैम्प) का बोध होता है, परन्तु वास्तुशास्त्र की परिभाषा में शिविर का प्रयोग न केवल कैम्प वरन्, राजा के निवास स्थान तथा सुरक्षित नगर के लिये होता है । डा० आचार्य ने अपनी इन्साइको-पीडिया में इन दोनों अर्थों का उल्लेख किया है । कामिकागम की भी यही मानसारीय परम्परा है । (देखिये २० वाँ पटल)

साधारण पाठकों की समझ में सम्भवतः यह नहीं आता होगा कि शिविर का अर्थ

नगर कैसे हुआ ? पूर्व-प्रकरण के परिशीलन से यह प्रकट ही है कि भारतीय नगर-विकास में जहाँ ग्राम-समूह हट्टप्रदेश, सरिताकुलस्थित कुल-ग्रह, मन्दिर आदि के सहारे बड़े-बड़े नगरों का विकास हुआ वहाँ भारतीय इतिहास के भिन्न भिन्न कालों में राजनीतिक स्थिति ने भी नगर-निर्माण में योग दिया । इस तथ्य का विकास श्रायों के सैनिक-जीवन के गहन-गहन में हुआ है । राजपीठों (Royal seats) के चारों ओर ही तो भारत के मरुत्वपूर्ण नगरों का विकास हुआ और ये राजपीठ भारत की तत्कालीन राजनैतिक संक्रमण काल की परिस्थितियों में एक प्रकृत के जंगम स्थान ही थे—आज वहाँ कल वहाँ । युद्धकालीन परिस्थितियों-वश साम्राज्य एवं राज्य के हाम अथवा उदय में राजपीठों में परिवर्तन होता रहता था ।

सम्भवतः इसी तथ्य को लेकर शब्द-कल्पद्रुम नामक संस्कृत के पुरातन एवं प्रसिद्ध कोष में शिविर के जो विभिन्न अर्थ दिये हैं वे प्रायः सभी इन्हीं उपर्युक्त रहस्य के चोतक हैं । हों, शब्द-कल्पद्रुम के निम्न अर्थ देखिये —

अ. निवेश Settlement or encampment

ब. आगन्तुक सैन्यावास

स. कटक अर्थात् राजधानी नगर, दुर्ग, सैन्य, श्रेणी

द. नृपस्य मूलस्थानम्—राजा का प्रधान वासस्थान । (श. क. ५ वीं पुस्तकें पृ० १०६) यही कारण है जैसा कि पूर्व प्रकरण में संकेत किया जा चुका है, कि कुछ प्राचीन नगरों के नामों के श्राने 'कटक' आदि शब्द जुड़े हैं जिनमें उनके मूल-विकास के रहस्य का आभास प्राप्त होता है ।

इस सम्बन्ध में ब्रह्मवैवर्त-पुराण—में प्रतिपादित शिविर-विशेषताओं का समुत्प्रेष शिविर-प्रवचन पर सुन्दर प्रकाश डालेगा (देखिये अ० १०३ श्रीकृष्ण जन्म खण्ड)

शिविरं परिस्वायुक्त मुच्चैःप्राकारत्रेष्टितम् ।

युक्तद्वादशद्वारञ्च सिंहद्वारपुरस्कृतम् ॥

युक्त चित्रचिचित्रंश्च कृत्रिमैश्च कपाटकैः ।

निपिद्ववृत्तरहितं प्रभिद्वैश्च पुरस्कृतम् ॥

विषय-प्रवेश

पुरनिवेश की पूव पीठिका में हम पुरों अर्थात् नगरों के विषय में विविध शातव्य वस्तुओं का निरूपण एवं वर्णन करते रहे हैं । नगर, नागरिक एवं नागरिकता के आधार-भूत सिद्धांतों के आधार पर नगरों की प्राचीनता, नगरों का विकास, नगरों के प्रमेद, नगरों के लघु कलेवर—ग्राम, उनके विभिन्न प्रमेद, नगराकार नुगों अथवा नुर्गाकृति नगरों, इत्यादि की समीक्षा से केवल ज्ञानार्जन ही नहीं हुआ, साथ ही साथ मनोरञ्जन भी होता रहा है । उत्तर-पीठिका में क्रम-प्राप्त सर्वप्रथम नगर-निवेश के सास्कृतिक प्रयोजन की मीमासा और नगर-निवेश के क्षेत्र पर किंचित् विचार कर लेना अत्यावश्यक प्रतीत हो रहा है । आगे के वर्णन-विषय का इससे घनिष्ठ सम्बन्ध है ।

नगरों के विकास के कारणों की पूर्व-पीठिका में पर्याप्त समीक्षा हो चुकी है । वहाँ पर हमने उन कारणों का सम्बन्ध भौगोलिक, आर्थिक, व्यावसायिक, धार्मिक एवं शिद्यार्थ आदि घटकों से घटित किया है । नागर-शैली के विवेचन में चारुता की महत्ता और उसकी देन के विषय में हम प्रासाद-पटल में विशेष विवेचन करेंगे । यहाँ पर इतना ही संकेत पर्याप्त होगा कि बड़े-बड़े सुन्दर भवनों, प्रासादों-मण्डपों तथा सभाओं का निर्माण, एक नगर की सौंदर्य-वृद्धि के लिए साधारण स्थानों में निर्मित उन भवनों की अपेक्षा विशिष्ट रूप से सम्पन्न करना चाहिये । स सु का नागर-प्रासादों के सम्बन्ध में यह प्रवचन है— “नगराणामलङ्कारहेतवे समकल्पयत्” । अतः ‘चारुता’ की यह विशेषता नगरों तक ही सीमित नहीं है, वात्स्यायन के अनुसार नागरिकों के लिये भी परमोपजीव्य है । भारत की प्राचीन ६४ कलाओं में बहुत सी ऐसी कलायें हैं, जिनका सेवन, केवल एक समृद्ध-नगर में ऐश्वर्यसम्पन्न नागरिक ही कर सकते हैं । चौंसठ कलाओं की निम्न लिखित सूची से पाठक-नाण इस तथ्य का स्वयं भी मूल्यांकन कर सकते हैं:—

१. गीत—चतुर्विध—स्वरग, पदग, लयग तथा अवधानग ।
२. वाद्य— ,, घन, वितत, तत तथा सुषिर ।
३. नृत्य—बहुविध ।
४. नाट्य—(दे० भरत-नाट्य-शास्त्र) ।
५. आलेख्य—(दे० ‘चित्रकला’ सातवा पटल) ।
६. विशेषकच्छेद्य—(विलासिनियों का मुख-लेप्य-विशेष) ।
७. तण्डुल-कुसुम-त्रलि-विकार—भोजन-कला सम्बन्धी ।

८. पुष्पात्तरण—मालाओं का ग्रन्थन, पुष्प-शायियों की सजावट ।
९. दशन-वसन-अंगरग—दंत की सजाई, कपड़ों की रंगाई और शरीर-प्रसाधन (अंगरगों से) ।
१०. नागि-भूमिका-कर्म—भणियों से फर्मा सजाना (यह स्यापत्य है) ।
११. शयन-रचना—शय्या-निर्माण (यह भी स्यापत्य है) दे० न. नृ. २६ वीं अ० ।
१२. उदक-वाद्य—जल-संग आदि जल-वाजों का बजाना ।
१३. उदक-वाद्य—जल-स्वप्न-विद्या-जलक्रीडा ।
१४. चित्र-योग—वैविध्य-प्रदर्शन ।
१५. माल्यप्रयन-विकल्प—मालाओं की विविध रचनायें ।
१६. शैल्युपीठ-योजन—पुष्पों के शिरोमूषण ।
१७. नेपथ्य-प्रयोग—वक्त्र-परिधान-चातुर्य अथवा रंगमंचीय पदों की सजावट ।
१८. कर्ण-प्रद-मंग—कसोतों पर रंगरचना-विन्यास ।
१९. गन्धयुक्ति—गन्धों इत्र आदि) का निर्माण-कौशल ।
२०. भृंग्य-योजना—विविध अंगों पर विविध-भृंग्य-धारण-चातुर्य अथवा नर्तक-भृंग्य ।
२१. ऐन्द्र-जाल—ऐन्द्रजालिक (जादूगार के तमांगे) ।
२२. कौचनार्थ-योग—कुचों की पत्ररचना-चातुर्य ।
२३. हस्ततावव—हस्तचन्द्रन्वी जादूगारी ।
२४. विचित्रशास्त्र-पृथ-मद्य-विकार-क्रिया—दशविध शास्त्र (नृत्य, पत्र, पत्त, छात, पुष्प, कण्टक आदि) पृथ-पूड़ी, पुना एवं अन्य नानाविध मोत्य पदार्थों (मद्य, मॉसन, तेष एव ये) का क्रिया-कौशल ।
२५. पानकरस-रंगासव-योजना—दुग्ध, रस, आसव तथा रंग-वर्णना आदि बनाने की कला ।
२६. सूर्वावाय-कर्म—जीवन (दर्जीगारी) ऊतन (रंगरज्जगारी) विरचन (दृत्त हेगीरी) ।
२७. मूर्त-क्रीडा—रत्नों पर नाच तथा कपड़ों की जादूगारी ।
२८. वीणा-इनरकवाद्य—(देखिये कला नं० २) ।
२९. प्रहेतिक्रा—पहेलियाँ ।
३०. प्रतिनात—प्रतिभा-निर्माण अथवा दुकान्त-कविता ।
३१. दुर्गाचक्र-योग—पशुओं और पक्षियों के दोती बोनना ।
३२. पुस्तक-वाचन—इसमें बहूत कला भी सम्मिलित है ।
३३. नाटकाख्यायिका-दर्शन—यह रंगमंचीय नाटक नहीं, यह एक प्रकार चित्र-प्रदर्शन है जिसे अंगरेजी में टेबलॉ कहते हैं ।
३४. काव्य-समस्या-पूरण—समस्या-पूर्तियाँ (कविता-चातुर्य) ।
३५. पट्टिका-वेत-वान-विकल्प—वेत की कूर्तियाँ, वेत-शय्या आदि का रचन ।
३६. लक्षु-कर्म—हुनाई ।
३७. लक्षु—बटुंगीयें—
३८. वास्तु-विद्या—(दे० प्रथम प. पूर्वो अ०) ।
३९. लक्षु-रूप-रच-मरिजा—समष्ट है ।

- ४० धातु-वाद—मृत्तिका, प्रस्तर (पाषाण) रत्न आदि धातुओं का पातन, शोधन, मेलन आदि । (metalurgy)
- ४१ मणि रागज्ञान—मणियों की रंगाई ।
४२. आकर ज्ञान — स्वानों का ज्ञान (mining) ।
- ४३ वृत्तायुर्वेद-योग—गृहोद्यानों के वृत्तों का रोपण, पुष्टि, चिकित्सा तथा विन्यास-चातुर्य ।
४४. मेष-कुक्कुट-लावक-युद्ध-विधि—सर्कस (सजीवद्यूत-विधान) के तमाशे—मेष-युद्ध, कुक्कुट-युद्ध आदि ।
४५. शुक-सारिका-प्रलापन—शुक सारिकाओं को बोलना, सन्देश लेजाना, आदि सिखाना ।
- ४६ उत्सादन मर्दन-कौशल—मर्दन दो प्रकार का हाथों से (मर्दन) पैरों से (उत्सादन) ।
- ४७ केश-मार्जन-कौशल—बाल संवारने के विविध कौशल ।
४८. अक्षर-मुष्टिका-कथन—अदृष्ट अक्षरों का तथा मुष्टी में बद्ध वस्तु का अनुमान ।
- ४९ स्तेच्छित-विकल्प—गूढ वस्तु मंत्रणा के लिये गुप्तभाषा प्रयोग ।
५०. देशभाषा-विज्ञान—स्पष्ट है ।
- ५१ पुष्पशकटिका-विज्ञान—पुष्पों की गाड़ी बनाना ।
- ५२ निमित्त-ज्ञान—काक आदि की बोली से शुभाशुभ निमित्तों की पहचान ।
५३. यत्र-मातृका—(देखिये इस ग्रन्थ का र्यत्र-पटल) ।
५४. धारण-मातृका—गूढ-कविता-कौशल (प्रहेलिका आदि पद्मबन्ध तथा मुरजबन्ध आदि) ।
- ५५ सपाठ्य—गान तथा वाद के लिये पठनाभ्यास ।
५६. मानसी-काव्य-क्रिया—आशु-कवित्त ।
- ५७ अभिधान-कोष—किसी शब्द अथवा पद-विशेष के पूरे पर्यायों को कहना ।
५८. छन्दोज्ञान—स्पष्ट है । अथवा सुन्दरियों के द्वारा पुरुष-मनोज्ञान—यशोधर (वात्स्यायन काम सूत्र के लब्धप्रतिष्ठ टीकाकार) ।
५९. क्रिया-विकल्प—व्याकरण-वैतुष्य एवं अलङ्कार-शास्त्र-पाठव ।
६०. छलित-योग—शर्पणखा तथा क्रीचक के सदृश मेष बदलना ।
६१. वस्त्र-गोपन—सूती कपड़ा रेशमी सा बना देना अथवा शरीर के अप्रकाश्य देशों का संवरण आदि—यशो० ।
६२. द्यूत-विशेष—जुवा खेलना ।
६३. अक्ष-क्रीडा—, , ।
६४. बाल-क्रीडनक—बच्चों के लिये गुड़िया गुड्डे बनाना ।
६५. वैनयिकी-ज्ञान—विनीता-चरण ।
६६. विजयिकी ज्ञान—द्विविध-युद्ध-कौशल—दैव तथा मनुष्य ।
६७. व्यायामिकी-ज्ञान—मृगया आदि व्यायाम ।

टि०—यशोधर के अनुसार ६४ कलायें मौलिक कलायें हैं जो अवान्तर भेदों सहित ५१८ हो जाती हैं ।

नगर-निवेश के सिद्धान्तों की इस 'भूमिका' में इन चौंसठ (या ६७) कलाओं की अवतारणा का क्या मर्म है—इस पर थोड़ा सा संकेत आवश्यक है । इनमें बहुत सी कलायें नागरिक कलायें हैं, जो साधारण ग्रामीण वातावरण में नहीं पनप सकतीं । पुनश्च कलाओं के विकास का आधार एक रुभ्य एवं समृद्ध मानव की सौन्दर्य-भावना है । इस सौन्दर्य भावना का सम्बन्ध बहुत कुछ उसके यौवन से है । यौवन तथा सौन्दर्य ने ही सनातन से विभिन्न कलाओं की उपासना एवं सेवन के लिये उपयुक्त क्षेत्र प्रदान किया है । एक असंस्कृत ग्रामीण को सौन्दर्य की क्या पहिचान ? कलात्मक जीवन-यापन के लिये उसके पास उपादेय संभार एवं सामग्री कहाँ ? अतः कलाओं का विकास नागरिक-सभ्यता के विकास का आनुपङ्गिक क्रम है । वात्स्यायन के काम-सूत्र में प्रतिपादित इन कलाओं के जन्म एवं विकास का सम्बन्ध पुरुषार्थ-चतुष्टय के अर्थ एवं काम की वृत्ति से है । काम भी उतना ही सनातन एवं सत्य है जितना धर्म एवं मोक्ष । अतः इन कलाओं ने नागरिक सभ्यता एवं नगरों के विकास में अत्यधिक सहायता प्रदान की—यह हम समझ सकते हैं । समृद्ध नगर और ऐश्वर्य-सम्पन्न कलाविद् शिक्षित सभ्य नागरिक किसी भी सभ्य देश के जीते जागते ज्वलंत उदाहरण हैं । इन कलाओं के संबंध में यह भी सत्य है कि इनमें से बहुत सी अथ केवल नाम मात्र को शेष हैं । कलाओं के विकास के लिये सुख एवं शान्ति की परम आवश्यकता है । यह सुख-शान्ति राजनैतिक स्थिरता एवं दृढता की निशानी है । भारत का राजनैतिक इतिहास इसका साक्षी है कि इस महादेश की दासता ने प्रायः इन सभी कलाओं को खा लिया है । साहित्य तथा वह कला, जिसकी उपयोगिता अथवा उपादेयता सर्वसाधारण के लिये नहीं है, जो विश्व जनीन नहीं, कभी चिरस्थायी नहीं हो सकती । इन परम्पराप्रसिद्ध कलाओं में से बहुत सी ऐसी ही कलाएँ थीं, जो कालान्तर में विस्मृति के गर्त में विलीन हो गयीं । इनमें से जो विशेष उपादेय थीं, जिनकी सर्वसाधारण के लिये भी विशेष उपयोगिता थी वे ही चिरस्थायिनी बनीं और आज भी विद्यमान हैं । ऐतिहासिक अनुसन्धान में इन ६४ कलाओं में से बहुत सी ऐसी भी कलाएँ थीं, जो यद्यपि आज विद्यमान नहीं हैं, परन्तु इस देश में किसी समय उनका सेवन (Cultivation) नागरिकता एवं सभ्यता के भौतिक वैभव की निशानी समझी जाती थी । जैसा कि नियम है 'प्राधान्येन व्यपदेशाः भवन्ति' इन चौंसठ कलाओं में से कुछ उपादेय एवं महत्वपूर्ण कलाओं का ही बोलचाला रहा । उनमें भी वास्तु कला ने इतनी उन्नति की—उसका इतना व्यापक विजृम्भण हुआ कि बहुत सी कलाएँ इसी के व्यापक कलेवर में जुड़ गयीं । ठीक भी हैं ।

मनुष्य की सर्वप्रमुख आवश्यकता उदर पूर्ति तो है ही, किन्तु वास सम्भवतः उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है । उदर-पूर्ति की आवश्यकता के समान अथवा उससे भी अधिक महत्व वास को देना ही तो मानव सभ्यता की सार्थकता है अन्यथा यत्रतत्र कान्तारों, पर्वतों एवं वृक्षां पर विचरने वाले वन्य जन्तुओं तथा खगों-मृगों से, मानवों का कैसे पार्थक्य एवं श्रेष्ठता होती ?

प्राचीन शिल्प-शास्त्रियों ने वास्तु-कला—भवन-निर्माण-कला—वास-व्यति-विज्ञान के सम्बन्ध में जो 'वास्तु' शब्द का लक्षण धरा, हर्म्य, यान एवं पर्यक दिया है,

उनमें से प्रथम दो-धरा तथा हर्म्य को लेकर नगर-निवेश--वसति-विन्यास—ग्राम निवेश-पुर-विनिवेश (Town-Planning) ऐसे नागरिक शास्त्र का जन्म हुआ। क्योंकि धरा और हर्म्य ही नगर-शरीर के सार्थक कलेवर हैं। धरा आधार है, तथा हर्म्य आश्रय विना धरा के नगर का निवेश कहाँ? विना हर्म्य अर्थात् भव (building) प्रासाद, राजप्रासाद, मण्डप, सभा, शाला आदिके विना नगर के कलेवर की पुष्टि कहाँ?

वैसे तो आजकल वास्तु-शास्त्र का प्रचलित अर्थ भवन-निर्माण कला है, परन्तु वैज्ञानिक दृष्टि से एवं शास्त्रीय पद्धति से तो विना नगर निर्माण-नियमों के ज्ञान के भवन-निर्माण का प्रश्न ही नहीं उठता। भवनों के निर्माण-योग्य स्थान का दूसरा नाम नगर है। अतः सारांश यह है कि वास्तु-शास्त्र का नगर-निवेश परमोपजीव्य तथा प्रमुख अंग है, और प्रधान विवेचनीय विषय है।

अब क्रम प्राप्त नगर-निवेश के क्षेत्र (Scope) अर्थात् उसके विभिन्न अंगों की विवेचना करनी है। पुनः आगे नगर-निवेश के व्यापक सिद्धान्तों एवं नियमों की समीक्षा करनी होगी, जिससे नगर-निवेश की सामग्री को हम समझ सकें।

नगर-निवेश के अंगों की निम्न तालिका में स्थूलदृष्टि से नगर-निवेश के प्रायः सभी अंगों का समावेश हो जाता है।

- १ देश-मापन (Land-Investigation)
- २ भूमि-संग्रह—भूमि-चयन
- ३ दिक्-परीक्षा
- ४ पद-विन्यास—वास्तु-पद विभाजन अर्थात् निवेश्य स्थल का विभिन्न भागों में विभाजन तथा वर्गीकरण—विभिन्न पद्धतियाँ—प्राचीन तथा अर्वाचीन
- ५ नगराभ्युदयिक शान्तिक एवं बलिकर्म-विधान।
- ६ मार्ग-विन्यास।
- ७ प्राकार-परिखा-वप्रादि-विन्यास-योजना (Fortification)
- ८ अटालक, कपिशीर्षक, चरिकादि-विन्यास।
- ९ द्वार एवं गोपुर-विधान।
- १० भवन-निवेश।
- ११ मण्डप-विधान (मन्दिर—देवतायतन)।
- १२ राजवेश्म
- १३ आरामोद्यान, पुष्प-वीथिकायें, पुरजन-विहार तथा सर्वसाधारण भवन आदि।
- १४ गर्हितपुर (Inauspicious towns)

अस्तु, ये ही विषय आगे के अध्यायों का कलेवर निर्माण करेंगे।

— एक नगर के विकास में अथवा उसके निवेश एवं निर्माण में, उस स्थान-विशेष की, जहाँ पर वह नगर विकसित, निविष्ट या निर्मित होता है, प्राकृतिक स्थिति—जलवायु, वातावरण—वृक्ष, लता, गुल्म, नदी, पर्वत, समुद्र, मरुस्थल, आदि-आदि की विशेषताओं का उस पर प्रभाव अनिवार्य रूप से पड़ता ही है, साथ ही साथ उस जनपद विशेष की संस्कृति, मभ्यता, रहन-उहन, एवं तदनु रूप आवश्यकताओं, वहाँ-के मानवों—नागरिकों की प्रवृत्तियों, एवं व्यवहार और व्यवसाय आदि का भी कम प्रभाव नहीं पड़ता है ।

इसी आधारभूत सिद्धान्त के अनुसार जब कभी किसी नगर की निवेश-योजना अर्वाचीन अथवा प्राचीन समय में बनाई जाती है अथवा बनायी जाती थी तो उस स्थान विशेष की भूमि, जलवायु, जनपद तथा पौरजान-पद एवं वहाँ की आर्थिक तथा राजनैतिक सभी प्रकार की विशेषताओं को दृष्टि में रखकर ही तो नगर-निवेश्य स्थान-विशेष का निर्वाचन किया जाता था । -

- मनुष्य चिरन्तन से प्रकृति का प्रेमी रहा है । प्राकृतिक सौन्दर्य उसके मानस-पटल को सदैव सर्वाधिक आकृष्ट करता रहा है । उसी सौन्दर्य की तृप्ति के हेतु वह अपने सभी मानवीय व्यापारों में, रहनिर्माण, पुर-निर्माण, ग्राम-विन्यास, भोजन-पाचन, आहार विहार—सभी क्रिया-रूपाओं में प्राकृतिक साधनों का उपयोग करता रहा तथा उस प्राकृतिक सौन्दर्य के प्रतिविम्ब को देखने की कामना करता रहा ।

भारतीय पुर-निवेश-परम्परा में यहाँ के स्थपतियों ने सदैव यह चेष्टा की कि किस प्रकार वह अपनी कृतियों में सौन्दर्य के दर्शन की ज्योति को निखारे । स्थापत्यकौशल आखिर-कार एक प्रकार की कलात्मक साधना है जिसकी पूर्ण अभिव्यक्ति के लिये मत्स्यं, शिखं, सुन्दरम् के अपूर्व संयोग एवं समन्वय का सहारा लेना पड़ता है तभी वह कौशल, वह कला, वह रचना, वह निर्मित वास्तव में श्लाघ्य एवं प्रभावोत्पादक होती है ।

अतः नगर-निवेश के उपयुक्त स्थान के चुनाव में इन सभी घटकों (factors) को दृष्टि में रखना आवश्यक हो जाता है । एक दो बातें और रही जाती हैं, उन पर भी ध्यान देना है । जहाँ मनुष्य ने अपनी सौन्दर्य-पिपासा के लिये प्राकृतिक स्थानों को चुना वहाँ अपनी रक्षा के लिये भी इन्हीं स्थानों का आश्रय पाकर वह कृतकृत्य भी हुआ । किमी सरिता तट पर निर्मित नगर की सुरक्षा उस सरिता से सुतरा सम्पन्न हो ही जाती है । सरिता उस नगर की प्राकृतिक प्राकार-प्रक्रिया है । इसी प्रकार पर्वत की उत्पत्तयें अथवा सागर-वेला या मरु-स्थल भी प्राकृतिक सुरक्षा के साधन हैं ।

प्रकृति, जनपद, जलवायु आदि की उपयोगिता पर संकेत हो चुका है । भारतीयों की मभ्यता में धार्मिक अनुष्ठान, पूजा-विधान तथा दैनिक स्नान का बड़ा भागी महत्त्व मनातन ने रहा है—यह सभी जानते हैं । अतः नगर-निवेश के मूर्मज स्वपति ने सदैव यह ध्यान रक्या कि नगर का निर्माण उन्हीं स्थल-विशेष पर हो जहाँ जल का आधिक्य हो

सुविधा भी हो। यही कारण है कि भारत के सभी बड़े-बड़े नगर या तो किसी नदी के किनारे आबाद हैं, या फिर किसी भील अथवा तड़ाग के किनारे या चतुर्दिक निविष्ट हुए हैं। स्वास्थ्य और सफाई, पवित्रता तथा धार्मिकता के लिये जल से बढ़ कर दूसरा महत्वपूर्ण उपकरण नहीं। अतः जहाँ पर जलाधिवय होगा वहीं पर वृद्ध, पौधे, लता, गुल्म—प्राकृतिक सौन्दर्य के दिव्य साधन भी प्राप्त होंगे। वही स्थान, वास्तव में मानव-वासोचित ही नहीं देवावासोचित भी सम्पन्न हो सकेगा। जहाँ देवता नहीं रमे वहाँ मानव कैसे पनपे—यही तो भारतीय समाज का चिन्तन रहस्य है तथा भारतीय सभ्यता की जीवन-गाथा है।

मत्स्य पुराण (अ० २१७—श्लो० ५-६) की ये पक्तियाँ इन विशेषताओं के सम्बन्ध में कितनी सार्थक हैं ?—

अदेवमातृकं रम्यं सुरम्यजनान्वितम्
सरीसृपविहीनञ्च व्याघ्रतस्करवर्जितम्।

अर्थात् नगर-निवेश के लिये वह उपयुक्त स्थान है जहाँ कृषि तथा उर्वरता Fertilization के लिये वर्षाजल की अपेक्षा न हो अर्थात् वहाँ प्राकृतिक पुष्करिणी अथवा कृत्रिम जलधारा—Canal आदि के पूर्ण साधन हों। यह स्थान सभी प्रकार सुरम्य हो, स्वस्थ हो तथा सर्पों, व्याघ्रों तथा चोरों से शून्य हो।

कुछ भूले हुए, बहके हुए, भारतीय जीवन से अनभिज्ञ समालोचकों ने सदा से यह आक्षेप किया कि यहाँ के लोगों ने नगर-निवेश, पुर-निवेश अथवा ग्राम-विन्यास या फिर भवन-निवेश में मौक्तिक साधन-सम्पन्नता—सौंदर्य तथा आनन्द, सुख तथा स्वास्थ्य की ओर कभी ध्यान नहीं दिया। वह सर्वथा अनर्गल भ्रम है। प्राचीन शिल्प-शास्त्र के प्रवक्ता किसी ऋषि, मुनि अथवा आचार्य को लीजिये उनके प्रवचनों को ध्यान से समझिये। यह आक्षेप बिलकुल ही गलत मालूम पड़ेगा। राजधानी-नगर के निवेश के सम्बन्ध में आचार्य शुक्रजी कहते हैं (प्रथ० अ०)

“उस सुरम्य एवं समतल भू-प्रदेश पर राजधानी-नगर का निवेश करना चाहिये, जो विविध प्रकार के विटपों, लताओं और पौधों से आकीर्ण हो। जहाँ पर पशु-पक्षी तथा जीव-जन्तुओं की पूर्ण सम्पन्नता हो। जहाँ पर खाद्य एवं जल का पूर्ण सौकर्य हो। चारों ओर जहाँ पर हरियाली, वाग-वर्गाचे, जंगल के प्राकृतिक सौंदर्य दर्शनीय हों। जहाँ पर समुद्रतट पर गमनशील नौकाओं के यातायात से उनका सदैव संचार दृष्टिपथ में हो और वह स्थान पर्वत से बहुत दूर न होकर समीप हो।”

ऋषि मानसार तथा मुनि मय के भी इसी प्रकार के प्रवचनों को देखिये (मानसार ३ अध्याय तथा मयमत ३, ४ अ०) जिनके अवलोकन से भी पाठक इसी प्राचीन परम्परा की पुष्टि पायेंगे।

मयमुनि, ऋषि मानसार तथा शुनाचार्य जी के इन औपदेशात्मिक वचनों के निर्देश के उपरांत भोज के उपसहारात्मक भूमि-चयन-विषयक इन प्रवचनों का उद्धरण देकर भूमि-चयन के अत्यन्त विशद एवं उपादेय विषय की सुन्दर समीक्षा हो सकेगी—देखिये परिशिष्ट

‘जिस भू-प्रदेश की गोद में चारों ओर बड़ी-बड़ी शिलाओं वाली पर्वत-श्रेणियाँ बिखरी हों और जिन पर सुन्दर सुरम्य कुञ्जों, गुल्मों, लताओं तथा विटपों की शोभा दर्शनीय

हो और जिनमें सतत धोतुंस्पर्दन होता रहता हो। जहाँ पर सुन्दर नदियाँ वह रही हों, जिनके सैकत-कूलों पर चित्र-विचित्र सुन्दर विटप अपनी छाया जल-मुकुर में सदैव देखा करते हों, जिनका जल स्वादु हो, जो स्नानावागाहन, मजन और तैरण के लिये क्षम एवं सुखद हो। पर्वत-सामीप्य एवं नदी-सौविध्य की ओर ध्यान आकर्षित किया जा चुका है। अब आइये काननों की ओर। चित्र विचित्र विविध पुष्पों-फलों से लदेहुए वनों की जहाँ भरमार हो, और जहाँ पर सदैव वसन्त की वहार हो—कोकिलों की कलरव ध्वनि, मधु से मत्त भ्रमरों का गुञ्जन सदैव कर्ण-कुहरों में पीयूष की वर्षा करते हों। हो सकता है किसी स्थान-विशेष पर सरितायें न हों तो फिर पुष्करों, पुष्करिणियों (झीलों) तथा तड़ागों की दर्शनीय छटा तो हो ही, जिनमें खूब जलराशि हो (जिससे जल-सौविध्य की सम्पन्नता सिद्ध हो सके) और जिनमें कतारों की कतार से कमल खिले हों और भँवरे गुञ्जार कर रहे हों। अब खाद्यान्न की ओर ग्रन्थकार झुकता है—विना खाद्य-व्यवस्था, वसती कहाँ पनपेगी। अतः जहाँ पर सस्य-निष्पादक सुन्दर क्षेत्रों की खूब भरमार हो—इनकी अपनी अपनी सीमायें विभक्त ह—सम हों, ऊबड़-खावड़ प्रदेशों में न हो, इनकी जमीन सुगन्धित हो, स्वादु हो, शीतल हो। साथ ही साथ इन्धन आदि तथा गृह-प्रयोज्य काष्ठ आदि के लिये विना काटे बाले बड़े-बड़े वृक्षों की भी कमी न हो। इसी प्रकार की भूमियाँ प्रशस्त बताई गई हैं। यहाँ वृष्टों की वृष्टता का अवसर न मिले तथा सर्वप्रकार आश्रय-सम्पन्नता भी हो। भय त्रास अथवा शंका का वहाँ अवकाश न हो। सभी प्रकार की मनोरमता हो—ऐसी ही वसुन्धराओं पर जनपद, खेटक, ग्राम, नगर आदि की निवेश-व्यवस्था करनी चाहिये।

वास्तु-कला में भी भोज ने काव्यकला का पुट देकर, नगर-निवेश-क्रिया (कला) में भी कवित्व की कृति सी एक दिव्य-ज्योति प्रदान की जिससे नगर स्थाणुवत् नीरस न रहकर सरस पादप के समान अत्यन्त हृद्य एवं अनवद्य बन गया।

भू-परीक्षा

भूमिचयन में जहाँ उस स्थान के ऊर्वर, सुन्दर, स्वस्थ, एवं सुविधायुक्त वातावरण को ध्यान में रखना आवश्यक है, वहाँ यह भी देखना है कि भूमि भवन-निर्माण के उपयुक्त है कि नहीं? अतः सभी शिल्प-शास्त्रों में भू-परीक्षण पर पूर्ण प्रकाश डाला गया है। भू-परीक्षण-विधान को हम दो भागों में बाँट सकते हैं—एक तो भूस्थल-परीक्षा तथा दूसरे मृत्तिका-परीक्षा।

मानसार, मयमत आदि प्रमुख शिल्पीय ग्रंथों एवं पुराणों में भी भू-परीक्षा-विधान पर जो प्रकाश डाला गया है उसका सारांश यह है कि भूपरीक्षा अर्थात् उसके औचित्या-नौचित्य-परीक्षण में वर्ण, गंध, स्वाद, आकृति, दिग्मुखता (Direction), ध्वनि, स्पर्श आदि सभी दृष्टियों में उसकी उपयुक्तता जाँचनी चाहिये। भूस्थल समतल हो। उसका सब पूर्वाभिमुख हो। शब्द उसका कठोर हो। वायें से दाहिनी ओर प्रवहवान् जलतोत हो। मृत्तिका का प्राचुर्य हो तथा मनुष्य की ऊँचाई की खुदाई ने जल प्राप्त हो सकता हो तथा समशीतोष्ण जलवायु हो। ऐसी भूमि सर्वोत्तम, कुछ गुण कम मध्यम तथा विलकुल

विपरीत अधम होती है । मानसार जहाँ भूमि के सब को पूर्वाभिमुख मानता है, वहाँ मय महाराज उसे 'ऐन्द्रोत्तर-सवा' विशेष प्रशस्ता मानते हैं । मयमुनि यह भी चाहते हैं कि भूमि की उर्वरता के साथ साथ उसमें एक ही वर्ण हो अथवा विभिन्न हों । भूमि घनी, शीतल, सुखद-स्पर्श, सुस्वादु तथा सिकतामय हो । इन सब विशेषताओं को दृष्टि में रखकर मय मुनि लिखते हैं:—

श्वेतासुकूपीतकृष्णा हयगजनिनदा पहरसा चैकवर्णा ।
गोभान्यारभोजगन्धोपलतुषरहिता प्राक्प्रतीच्युन्नता या ॥
पूर्वोदगवारिसारा वरसुरभिसमा शूलहीनास्थिवर्जा ।
सा भूमिः सर्वयोग्या कण्ठदरहिता सम्मतान्यैः फर्णाग्निः ॥

समराङ्गण की भू-परीक्षा बड़ी विशद है । जिस भूमि पर ग्राम, नगर, दुर्ग, पत्तन, प्रासाद या मन्दिर अथवा भवन आदि का निवेश करना हो उसकी प्रथम परीक्षा आवश्यक है । भूमि की परीक्षा—दिशा, वर्ण, गन्ध, रूप, स्वाद एव स्पर्श आदि विभिन्न प्रक्रियाओं से की जानी चाहिये—इस पर सकेत हो ही चुका है । साथ ही साथ भूमि का आरोहावरोह एवं उसकी अपनी निजी उत्पत्ति-विशेष आदि की भी परीक्षा सूक्ष्म रूप से अनिवार्य है ।

समराङ्गण की भू-परीक्षा विशद तो है ही व्यापक भी बड़ी है । समराङ्गण का विवेचन प्रायः प्रत्येक क्षेत्र में इसी व्यापक भावना से श्रोत-श्रोत रहता है । यहाँ पर सर्व-प्रथम भूमि की विभिन्नता की दृष्टि से, देशों एवं देश-भूमियों का वर्गीकरण किया गया है । इस भूमि-दृष्टि से देश तीन प्रकार का होता है:—

- १ जागल
२. अनूप तथा
३. साधारण

जहाँ पर पानी दूर हो—प्रायः मरुस्थलों की प्रचुरता हो वृत्त जहाँ पर छोटे और कटीले हो, चायु जहाँ की रूद्ध, उष्ण तथा प्रचण्ड हो, मिट्टी जहाँ की काली हो वह 'जागल' देश कहलाता है ।

इसके विपरीत जहाँ पर जल निकट हो, जलाधिक्य हो अथवा वह प्रदेश सुरम्य एवं शीतल हो, जहाँ पर मछली और मास भी प्रचुरता से प्राप्त हों, सरितायें भी खूब हों, पेड़ ऊँचे, सुहावने तथा अधिक हों वह देश 'अनूप' के नाम से पुकारा जाता है ।

'साधारण' देश उक्त दोनों देशों का सम्मिश्रण होता है । न बृह-बहुत गरम होता है और न बहुत ठण्डा ।

इन त्रिविध देशों में प्राप्त अपनी अपनी विशेषताओं से युक्त निम्न सोलह प्रकार की देश-भूमियाँ होती हैं:—

१. वालिशस्वामिनी
२. भोग्या
३. सीतागोचररक्षिणी

७. आत्मधारिणी	१२. शक्यसामन्ता
८. वायिकूप्रसाधिता	१३. देवमातृका
९. द्रव्यसम्पन्ना	१४. धान्या
१०. अमित्रघातिनी	१५. हस्तिवनोपेता
११. आश्रेणी-पुरुषा	१६. सुरक्षा

इनकी व्याख्या आवश्यक नहीं है—यथार्थ नामा हैं ये भूमिया । इन सोलह प्रकार की विशिष्ट भूमियों के अतिरिक्त और भी अनेक मिश्रलक्षणा जानपद-भूमियाँ हैं जिनकी पुनरावृत्ति अनावश्यक है । केवल इतना ही निर्देश कर देना पर्याप्त होगा कि सबका साराश यह है कि जहा पर सुन्दर सुन्दर प्राकृतिक दृश्य हों, सरितायें जहा बह रही हो, नानाविध सुन्दर पादपों, लताओं एवं पुष्पों का जहा मनोश्च साम्राज्य छाया हो, जहाँ की पृथ्वी पर कटीलापन, पथरीलापन और बल्मीकापन न हो और जो विभिन्न प्रकार के गुणों एवं सुविधाओं से सुशोभित हो, वही प्रदेश पुर-निवेश के लिये समुचित स्थान है ।

यहाँ पर यह स्मरण रहे कि पुर-निवेशनोचित इन भूमियों के अतिरिक्त समराङ्गण में दुर्ग-निवेशोचित भूमियों पर पृथक् प्रकाश डाला गया है—यह इसका वैशिष्ट्य है । मानसार आदि ग्रंथों में पुर, ग्राम, दुर्ग आदि की भूमिया प्रायः एक ही सी प्रतिप्रादित की गयी हैं । स. स. में दुर्ग-निवेशनोचित चार प्रकार की भूमियाँ बताई गई हैं—

- | | |
|------------------|---------------------|
| १. गिरिदुर्गावनि | ३. जलदुर्गावनि तथा |
| २. मूलदुर्गावनि | ४. प्राकारदुर्गावनि |

इन पर समुचित प्रकाश 'दुर्गनिवेश' नामक पूर्व प्रकारण में डाला ही जा चुका है ।

समराङ्गण में भी मानसार के आनुपङ्गिक भूपरीक्षण-विधान में गन्ध, वर्ण, स्वाद, स्पर्श एवं शब्द अर्थात् ध्वनि इस पंचमुखी मृत्तिका-परीक्षा-साधन-व्यवस्था का आश्रय लिया गया है

गन्ध—गन्ध की परीक्षा से वह पृथ्वी सभी वर्णों (ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्रों) के लिये प्रशस्त है जिसमें कुंकुम, अगुरु, कपूर, इलायची, चंदन आदि की पृथक्-पृथक् अथवा मिश्रित गन्ध हो, अथवा कल्हार (पुष्पविशेष) पाटला, कमल, मालती, चम्पा आदि पुष्पों में सुगन्धित हो, अथवा गोमूत्र, गोमय, दधि, दुग्ध, मधु, घृत—इनकी गन्ध से गन्धवती हो, अथवा मदिरा, माध्वीक, गजमूठ अथवा आसव आदि के महश समान-गन्धा हो ।

अस्तु, यहाँ पर इतना संकेत करना आवश्यक है कि जहाँ मानसार आदि प्राचीन शिल्प-ग्रन्थों में, तथा सूत्रधार-मण्डन आदि अर्वाचीन ग्रंथों में शूद्रों के लिये हीन-गन्धा मही का निर्देश किया गया है वहाँ भोज ऐसे Aristocratic राजा ने सभी वर्णों के लिये (without any distinction) उस उपर्युक्त गन्ध-विशिष्टा सुन्दर वसुन्धरा का बखान किया है—भोज का यह परम वैशिष्ट्य है । सर्वसाधारण भवनों के लिये सर्वसाधारण भूमि होनी चाहिये ।

(देखिये आगे भवन-निवेश—शाला-भवन)

वर्ण—भूमि के भी चार वर्ण हैं—सित, पीत, रक्त, कृष्ण । ब्राह्मणादि चारों वर्णों के लिये क्रमशः ये प्रशस्त प्रतिपादित किये गये हैं । वर्ण-व्यवस्था का आभार वर्ण (रंग) ही तो है । वही रंग-मेद विभिन्न वर्णियों के लिये विभिन्न रूप में प्रशस्त माना गया है । ब्राह्मणों के लिये सिता मही—वह शुभ्रता उनके तेज, तप एवं पवित्रता की बोधक है । क्षत्रियों के लिये रक्ता मही—रुधिर का रंग उनके युद्ध-कौशल, युद्ध-भूमि एवं सैनिक-प्रवृत्ति Martial spirit का बोधक है । वैश्यों के लिये पीता मही । पीतवर्ण—स्वर्ण का रंग है, जो उनकी सम्पत्ति, धन और ऐश्वर्य का बोधक है । अथच शूद्रों के लिये कृष्णा मही—अनार्य रंग—जो कि उनकी लुच्छता, दासता तथा अपवित्रता का बोधक है ।

स्वाद—जहातक स्वाद-विभेद का प्रश्न है मधुरा मही सभी वर्णों के लिये ठीक ही है । परन्तु परम्परा से मधुरा, कषाया, तिक्ता और कटुका—ये चार प्रकार की स्वादवती भूमिया क्रमशः ब्राह्मणादि वर्णों के लिये प्रशस्त हैं ।

स्पर्श—स्पर्श-प्रभेद से वह भूमि जो ग्रीष्म में शीत-स्पर्शा तथा शीत ऋतु में उष्ण-स्पर्शा और वर्षा में उष्ण-शीत-स्पर्शा हो वह प्रशस्ता बतायी गयी है ।

ध्वनि(शब्द)—अन्त में शब्द की प्रक्रिया पर ध्यान दीजिये । जिस भूमि की मृदङ्ग, वेणु, वल्लकी, पुन्दभी आदि वाजों के समान ध्वनि हों अथवा हाथी, घोड़े अथवा समुद्र के शब्दों के समान ध्वनि हों वह प्रशस्त प्रतिपादित की गयी है ।

इस प्रकार भूमिचयन में विभिन्न घटकों को लेकर भू-परीक्षा से प्राप्त प्रशस्त भूमियों के उल्लेख के उपरांत अब अप्रशस्त भूमियों का भी ज्ञान आवश्यक है । मानसार, मयमत आदि सभी शास्त्रों ने इस सम्बन्ध में चर्चा की है । मानसार के चौथे अध्याय में तथा मयमत में भी चौथे अध्याय में वर्ज्य भूमियाँ परिगणित हैं वे वहीं द्रष्टव्य हैं ।

समराङ्गण-सूत्रधार में अप्रशस्त—अशुभ भूमियों का जो वर्णन किया गया है उनकी विना समीक्षा एवं भाषार्थ के ही निगद-व्याख्यान हो जाता है । (देखिये परिशिष्ट—अवतरण)

भूपरीक्षा के इस प्रकरण को हमने दो भागों में बाँटा था—भूस्थल-परीक्षा तथा मृत्तिका-परीक्षा । भूस्थल-परीक्षा के सम्बन्ध में प्रशस्त एवं अप्रशस्त भूमियों तथा उनके विविध प्रकारों आदि पर काफी विवेचन हो चुका है । अब आगे मृत्तिका-परीक्षा की अवतारणा करनी है । परन्तु भूमिचयन के सम्बन्ध में एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण छूटा जा रहा है । वह है भूमिप्लवन natural proclivities of the ground i. e. Declivity towards one direction or the other.

इस प्रश्न पर भोज ने अपने युक्ति-कल्पतरु तथा समराङ्गण दोनों में प्रकाश डाला है:—

इंशानपूर्वप्लवनो मध्यस्थानसमुन्नतः

उचमः कीर्तितो देशो गृहाय नगराय च ।

अर्थात् वही भूमि-प्रदेश गृहनिर्माण अथवा नगर-निर्माण के लिये उपयुक्त होगा जो मध्य में समतल हो तथा पूर्व तथा पूर्वोत्तर की ओर झुका (Slanting) हो।

समराङ्गण में भोज लिखते हैं:—

अनूपरा बहुवृष्या शरता स्निग्धोत्तरप्लवा ॥ ६ ॥

प्रागीशानप्लवा सर्वप्लवा वा दर्पणोदरा ॥

आठवाँ अ० भूमि-परीक्षा

अर्थात् जो भूमि ऊर्वरा हो, बहुशाप संयुक्ता हो, स्निग्धा अथवा उत्तरप्लवा पूर्वोत्तर-दिक्प्लवा declivity towards the north or north-east अथवा सर्वदिक्प्लवा हो और मध्योन्नता हो वह दर्पण-सदृश-मध्या भूमि प्रशस्त है।

साराश यह है कि भूमि की दक्षिणप्लावनता अशुभ ही नहीं अप्रशस्त भी है। सभी शिल्प-शास्त्र भूमि की पूर्वप्लावनता प्रशस्त मानते हैं। इससे प्रातः सूर्य का पूर्ण आनन्द एवं उपयोग प्राप्त होता है। इसके विपरीत दक्षिण-प्लावनता से गन्दगी, बीमारी आदि खराबियाँ निश्चित हैं। पश्चिमीय-भूप्लावनता भी निषिद्ध है। शिल्परत्न का प्रवचन है:—

प्राच्यां हि निषिद्धो हि गिरिः तच्छाययाप्युदये रवे ।

अ० ३ श्लोक ३३ वा

अर्थात् पुर की पर्वत-समीपक—पश्चिम-दिङ्मुखता इसलिये अवाञ्छित है कि सूर्योदय पर भी प्रातः सूर्यरश्मियों के स्वच्छन्द प्रसार में बाधा होगी।

इसी लिये भोजने समराङ्गण के ४८ वें अध्याय में भूप्लावन के दोषों की विवेचना कर उनसे बचने का निर्देश किया है (दे० परिशिष्ट अवतरण)

मृत्तिका-परीक्षा

भूमि की 'भूमिस्थल-परीक्षण' के इस विवेचन के उपरान्त अब भूमि की मृत्तिका-परीक्षा के सम्बन्ध में भी कुछ उद्घाटन आवश्यक है। मृत्तिका-परीक्षा के विभिन्न उपायों पर जो प्रायः सभी शिल्पीय-ग्रन्थों में प्रकाश डाला गया है उनके अन्तर्तम में एक ही आधार-भूत सिद्धान्त है—वह है भूमिकी कठोरता Solidity। जो भूमि कठोर Solid नहीं है वह भवन-निर्माण, मन्दिर-रचना, प्रासाद-विन्यास अथवा राजप्रासाद रचना के लिये कैसे उपयुक्त हो सकती है? इसी रहस्य के समुद्घाटन के लिये मयमत के चौथे अध्याय में मानसार के चतुर्थ तथा पंचम अध्यायों में, काश्यपीय-शिल्प के प्रथम भाग में, राजवल्लभ एवं मत्स्यपुराण के अपने अपने अध्यायों में विशेष प्रकाश डाला गया है जिसका प्रायः वास्तु-तत्त्व-समीक्षात्मक स्वरूप का सभी ग्रन्थों में उल्लेख किया गया है और जिसकी एक प्रकार से सर्व साधारण प्राचीन परम्परा-स्ती स्थापित होगी थी। हा आजकल के समय में जब भवन-न्यूनता तथा भूमि-न्यूनता, अत्यधिक आबादी के कारण एक जटिल समस्या बन गयी है, ऐसे समय में सम्पत्ति-सम्पन्न गृह-निर्माताओं को भी उस प्रकार की सुलभता कहा? अतएव इन सभी शिल्पशास्त्रों के अलग अलग मृत्तिका-परीक्षण-प्रकारों का उल्लेख न करके, सर्वसाधारण

प्रचलित-परम्परागत प्रसिद्ध परीक्षाओं की ही चर्चा करना यहाँ पर ठीक होगा—क्योंकि ममराङ्गण-सूत्रधार में भी इनका उल्लेख किया गया है।

यहाँ पर समराङ्गण की मृत्तिका-परीक्षा के सम्बन्ध में एक विभेद, विशिष्टता अथवा विषमता पर पाठकों का ध्यान आकर्षित करना है। समराङ्गण के अनुसार भू-चयन के उपरान्त अविलम्ब स्थपति को उस भूमि को जोतवा देना चाहिये। इस प्रकार भू-कर्षण से प्राप्त इष्टिका, पाषाण, सर्प आदि दर्शन से शकुन अथवा अपशकुन आदि शुभाशुभ निमित्तों की पर्यालोचना करनी चाहिए। यदि शुभ-निमित्तोंद्वाटक चीजें प्राप्त होनी हैं तो फिर किसी शुभ दिन व्रत रख कर व स्नानादि सम्पादन कर एवं शुभ्रवस्त्र तथा शुभ्र माला धारण कर ब्राह्मणों से स्वस्ति-वाचन करवाकर तथा वास्तु-देवों की समुचित समभ्यर्चना सम्पादित कर, मृत्तिका-परीक्षा के लिये उद्यत होना चाहिये। इसके विपरीत मानसार एवं मयमत में भूमि के चयन अथवा भूमि-संग्रह के उपरान्त ही मृत्तिका-परीक्षा के लिये स्थपति को अग्रसर होना चाहिये—ऐसा निर्देश मिलता है। इन ग्रन्थों में हलकर्षण का बड़ा महत्व दिया गया है और उसकी प्रक्रिया की जटिलता तथा संभार-बहुलता भी कम नहीं है। महाराज भोज ने इस हल-कर्षण-विधान की ओर विशेष अभिनिवेश नहीं दिखाया। सम्भवतः भोज के समय में (जो इन ग्रंथों के समय की अपेक्षा कहीं अधिक अर्वाचीन है) भारतीयों की याशिक-प्रवृत्ति Ritualistic tendency कम हो गयी थी। साथ ही साथ बहुसंभारापेक्ष्य बहुद्रव्यापेक्ष्य ये विधान साधारण जन-समाज के बूते की बात भी नहीं। भोज ने (स्वयं एक ऐश्वर्य-शाली राजा होते हुए भी) सर्वसाधारण की आवश्यकताओं तथा तदनुकूल साध्य एवं साधनों का सदैव ध्यान रखा है। यह आगे शाल-भवन-विवेचन में विशेष रूप से स्पष्ट हो सकेगा।

समराङ्गण के अनुसार मृत्तिका-परीक्षा के विभिन्न प्रकारों में निम्न प्रक्रियायें हैं:—

प्रथम प्रक्रिया

१. निर्वाचित भूमि के मध्य में एक हाथ के प्रमाण से एक गड्ढा खोदना चाहिये। फिर गड्ढे से पूरी की पूरी मिट्टी निकालकर उसी मिट्टी से उसको भरना चाहिये। यदि वह मृत्तिका गड्ढे से अधिक निकलती है तो श्रेष्ठ, पूरी पूरी उतरती है तो मध्यम, कम पड़ जाती है तो अधम।

दूसरी प्रक्रिया

२. गड्ढा खोदकर उसकी मिट्टी निकालकर मिट्टी से ही पूरित करने के बजाय पानी भरना चाहिये। पानी भर कर सौ कदम (पदशतं ब्रजेत्) चलना चाहिये। पुनः लौट आने पर यदि पानी जितना का उतना ही रहे तो श्रेष्ठ, कुछ कम हो जाय (३) तो मध्यम और बहुत कम हो जाय (४ अथवा और अधिक) तो वर्ज्य-निकृष्ट समझना चाहिए।

समराङ्गण की इस प्रक्रिया में मत्स्यपुराण-प्रक्रिया की छाप है। परन्तु मयसुनि ने इस प्रक्रिया के सम्बन्ध में और भी कठोरता दिखाई है। उनके अनुसार गड्ढे में मायंकाल पानी भरने जावे और दूसरे दिन प्रातः उसकी परीक्षा करनी चाहिये। यदि उसमें प्रातः भी

क दर्शन हो जायें तो उसे अत्युत्कृष्ट भूमि समझना चाहिये। इसके विपरीत गुण भूमि अनिष्ट-दायिनी तथा वर्ज्य है। सभ्यत के विचार में मृत्तिका-परीक्षा की इस क्रिया से सम्भवतः यह निर्देश मिलता है कि जहाँ भूमि के विवाचन में उसकी कठोरता (Solidity) एवं स्थिरता तो देखनी ही चाहिये साथ ही यह भी द्रष्टव्य है कि वह भूमि उपजाऊ (fit for cultivation) उर्वरा अथवा जल-निर्भरा है कि नहीं। जलाभाव वाली अथवा जलन्यूना पृथ्वी आवास-निवेश्य कैसे शुभ हो सकती है। मृत्तिका-परीक्षा के सम्बन्ध में समराङ्गण की:—

तीसरी प्रक्रिया

जमीन में गड़दा खोदकर वर्णानुसार:— (ब्राह्मण की शुभ्रा, क्षत्रिय की रक्ता, वैश्य की पीता, शूद्र की कृष्णा) पुष्पमालायें रखी जायें। जिस वर्ण की माला न रखे उस वर्ण वाले के लिये वह भूमि प्रशस्त कल्याण-युक्त होगी।

चौथी प्रक्रिया

सांठे हुए गठे में चारों दिशाओं में (चारों वर्णों के अनुसृत अर्थात् ब्राह्मणों के लिये प्राची, क्षत्रियों के लिये दक्षिण, वैश्यों के लिये उत्तर, तथा शूद्रों के लिये पश्चिम) दीपक जलाकर रखना चाहिये। जिस दिशा की ओर रखा हुआ दीपक देर तक जले उस दिशा के वर्णों के लिये वह भूमि प्रशस्त होगी।

समराङ्गण की इस प्रक्रिया पर भी मत्स्य-पुराण की छाप है। मत्स्य-पुराण (देखिये २२७वा अध्याय) में लिखा है कि कच्चे दीपक में धी भरकर पुनः उसमें चार वस्तियों जलाकर चारों दिशाओं की ओर संकेत करती हुई खोदे हुए गड़दे में रख दी जावे—यदि पूर्व दिङ्मुखा वर्तिका प्रोज्ज्वल प्रकाशित हो रही हो तो ब्राह्मण के लिये, दक्षिण दिङ्मुखा क्षत्रिय के लिये, और यदि चतुर्दिङ्मुखी वर्तिकायें समान प्रोज्ज्वल प्रकाशित हों तो फिर सभी वर्णों के लिये वह भूमि प्रशस्त है।

मृत्तिका-परीक्षा की इन चारों प्रक्रियाओं में प्रथम दो वैज्ञानिक तथा अन्तिम दो पौराणिक समझ पड़ती हैं। प्रथम दोनों प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक रहस्य यह है कि प्रथम प्रक्रिया भिन्नभिन्न (porous) जमीन को मकान बनाने के लिये उपयुक्त नहीं बतलाती है तथा दूसरी भूमि के ढीलेपन (looseness) की ओर संकेत करती है। दोनों ही जमीनें भवन-निर्माण के लिये उचित नहीं। यह तो आधुनिक इंजीनियर भी मुक्तकरुण में बताते हैं।

भूमि-चयन हो चुका। भूमि की मृत्तिका-परीक्षा की प्रक्रियाओं पर प्रकाश पड़ चुका। अब नगर-निवेश-विधान-मर्मज्ञ स्थपति के लिये यह भी अत्यन्त आवश्यक है कि वह उस निर्वाचित स्थल-विशेष की दिक्परीक्षा एवं तदनुसार उस स्थान का दिङ्निर्णय सम्पादन करे। प्राचीन काल में दिशाज्ञान के लिये आजकल के यंत्रों की कमी नहीं थी। तत्कालीन स्थापत्य-ज्ञोविद इस सम्बन्ध में जिस प्रक्रिया का अवलम्बन लेते थे वह भी कम वैज्ञानिक नहीं थी। गुरुस्थापन से यह कार्य सम्पादन किया जाता था। शंकरस्थापन-विधान पर समराङ्गण में कोई चर्चा नहीं है। सम्भवतः उस समय इस प्रक्रिया का सार्वजनीन एवं अतिशुद्ध तथा प्रचुर प्रयोग होने के कारण शान्त्र में उनकी चर्चा करना एक मात्र

पिष्टपेषण अथवा सर्वसाधारण प्रचलित परम्परा पर प्रविवेचन एक मात्र ग्रंथ-विस्तार समझ कर नहीं किया गया। अस्तु। मानसार में छठे अध्याय में इस शंकुस्थापन-विधान पर विस्तार में विचार है। अतः आचार्य के इस विधान का साराश-मात्र दे देना इस प्रकरण में लिये पर्याप्त होगा। शंकुस्थापन का प्रयोजन डायलिंग के सिद्धांतों अथवा दिशामापन की प्रक्रिया—दोनों से सम्बन्धित है। यह शंकु विशिष्ट वृत्तों वृत्तों की लकड़ी से निर्मित किया जाता है। इसकी लम्बाई २४, १८, अथवा १२ अंगुल के प्रमाण से हो सकती है। इसकी चौड़ाई (आधार अथवा पीठ पर) ६, ५ अथवा ४ अंगुल हो।

इसकी रचना एक सलिस्थल से की जाती है। शंकु (bottom) को केन्द्र मानकर एक वृत्त खींचा जाता है जिसके व्यास का परिमाण शंकु की दुगनी लम्बाई के बराबर होता है। इस पर दो चिन्ह अंकित किये जाते हैं जहाँ पर शंकु छाया मध्याह्न के पूर्व तथा उपरात वृत्त की परिधि पर पड़ती है, जो रेखा इन दोनों विदुओं को मिलाती है वह पूर्व-पश्चिम रेखा है। पुनः प्रत्येक पूर्वीय तथा पश्चिमीय विदुओं से एक वृत्त बनाया जाता है जिसका व्यास उन दोनों की दूरी का होता है और the two intersecting points उत्तर तथा दक्षिण की सूचना देते हैं। इसी प्रक्रिया से अन्य दैशिक कोणों की रचना होती है।

इस प्रकार इस विधान से दिशाज्ञान-सम्पादन किया जाता है। अथवा डायलिंग के सिद्धांतों के विषय की विवेचना में इतना सकेत पर्याप्त है कि प्रत्येक वारहों महीने प्रत्येक १० दिन के तीन तीन हिस्सों में बाँटे जाते हैं और उनकी बढ़ती-घटती से इन महीनों के विभिन्न भागों की गणना की जाती है।

वास्तु-शास्त्रीय समीक्षा में शंकुस्थापन-विधान की उपयोगिता पर प्रविवेचन इसलिये किया गया है कि वास्तु कला में भवन, पुर, ग्राम अथवा विभिन्न आवास-स्थल इन सब का दिक्सांमुख्य (orientation) परम्परागत शास्त्रीय नियमों का उल्लंघन कर सकें। भवन का सामुख्य पूर्वदिक्मुख हो अथवा पूर्वोत्तर दिशा की ओर हो यही तो इन देश की सनातन व्यवस्था है। दक्षिण-दिक्सांमुख्य अमंगल माना गया है।

अन्त में, इस अध्याय में—भूमिसंग्रह, भूमिचयन, भूमि-शोधन, अथवा भू-परीक्षण कहिये उसकी इतनी समीक्षा के उपरात—इस अत्यन्त महत्वपूर्ण वास्तु-तत्व के आधार-भूत सिद्धांतों की ओर एक दो शब्दों में ध्यान आकर्षित कर विराम लेना है। भूमिचयन अथवा भूमि-परीक्षण के हम दो आधारभूत सिद्धांत मान सकते हैं। एक तो (Sociological) दृष्टिकोण तथा दूसरा (Geological) दृष्टिकोण। प्रथम दृष्टिकोण पर आगे के अध्याय में विशेष रूप से विचार करेंगे जिसमें नगर के रेखाचित्रके निर्माण के साथ साथ नगरके मध्य में आवास-स्थलों मभा-भवनों, मंदिरों, राजमवनों, पुरजन-विहारों आदि के विन्यास की योजना तैयार करनी है, नगर-सुधार अथवा नगर-विस्तार योजनाओं को भी बनाने के लिये सामग्री प्रस्तुत करना है, साधन जुटाना है। दूसरे दृष्टिकोण (Geological Survey) पर इन अध्याय में समुचित सामग्री का ओर पाठकों का ध्यान आकर्षित किया ही गया है। इस के अनुसार नगर-निवेश के पूर्व यह पता लगाना आवश्यक होता था कि भूमि उर्वरा है कि नहीं, उममें भवन-स्थायित्व के तत्व हैं कि नहीं ? उसके पास जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं—

भोजन, आच्छादन, कृषि तथा व्यवसाय आदि के साधन के साथ-साथ भवनोपयोगी सामग्री (materials for building construction) सुगमता से प्राप्य हैं कि नहीं ? यदि किसी नगर-विशेष का निवेश किसी सरितातट पर अथवा सागर-वेला पर करना है तो वहा पर नगर की (diluvion or erosion) अर्थात् गिराव फिसलाव की तो सम्भावना नहीं । नगर-निवेशक वास्तुकलाविद् को यह भी ध्याग देना होता था कि उस नगर के मार्ग-विन्यास (आन्धन्तरिक तथा बाह्य दोनों) से संचार-मौकर्य, यातायात, आवागमन तथा दूसरे नगरों मे सम्बन्ध-स्थापन आदि की सुविधा है कि नहीं । जल-व्यवस्था की सुविधा पर भी पूर्ण ध्यान रखने की अत्यन्त आवश्यकता होती ही थी ।

जीवन की इन विविध आवश्यकताओं के साथ-साथ तत्कालीन एवं तद्देशीय राज्य-व्यवस्था तथा राजनीतिक परिस्थितियों का भी नव-निर्मित नगर पर क्या प्रभाव पड़ेगा यह भी विचारने की बात होती थी । इसी हेतु नगर के आकार-प्रकार, उसकी परिखायें तथा वप्र आदि विन्यास-व्यवस्था करना आवश्यक माना जाता था । नगर की वासभवन-विनियोजना में परम्परागत वर्णाशुक्ल वसतियों का निर्माण अथच नव-निवेश्य नगर की आर्थिक ऐतिहासिक, तथा कलात्मक सम्पन्नता, पादपारोपण, उद्यान-व्यवस्था आदि का पूर्ण ध्यान रखना होता था ।

इस प्रकार प्रायः इन सभी दृष्टिकोणों से नगर-निवेश की प्रक्रिया सम्पादित करनी चाहिये । प्राचीन भारत मे भी शास्त्रीय पद्धति तथा कलात्मक ज्ञान विद्यमान था—इसका अनुमान पूर्वोक्त संक्षिप्त विवेचन से भली भाँति लगाया जा सकता है ।



पद-विन्यास

पदविन्यास पुरनिवेश एवं भवन-निवेश दोनों की प्रथम प्रक्रिया है। वास्तु-कला एवं वास्तु-विद्या का जन्म वेदि-रचना से प्रादुर्भूत हुआ—यह हम जानते ही हैं। “वास्तु” का सम्बन्ध “पुरुष और पद” से पहले हुआ शास्त्र और कला से बाद में। किसी धार्मिक कर्मकारण के प्रारम्भ में भूमिचयन आवश्यक है। जिस भू-खण्ड पर वैदिक यज्ञ आदि सम्पन्न होते थे उसे वास्तु-पद कहा जाता था। वैदिक यज्ञों के लिये वेदि-रचना एक आवश्यक अंग है। वेदि-रचना वास्तु-पद पर होनी चाहिये। उसका एक अधिष्ठातृ देवता भी होना चाहिये जिसकी “वास्तोष्पति” संज्ञा वैदिक साहित्य में दी गई है। वास्तु-प्रतिष्ठा का जो वैदिक मन्त्र प्राचीन काल में प्रचलित था वह आज भी वैसे ही प्रचलित है।

मानव ने सनातन से सहायक देवों की कल्पना की है। जल-देवता, वनदेवता, गृहदेवता आदि आदि से संरक्षक की यह भावना चिरंतन से प्रचलित है। अतएव किसी भी संस्कार अथवा धार्मिक कृत्य की सरक्षकता एवं सफलता के लिये उस संस्कार एवं कृत्य के अधिष्ठाता की आवश्यकता है।

वास्तु-कार्य इस देश में धार्मिक कार्य के रूप में प्रकल्पित हुआ, अतएव स्थपति के अतिरिक्त स्थापक-आचार्य, मवन-स्वामी-यजमान तथा ज्योतिषी पुरोहित—ये तीनों मिलकर वास्तु-कार्य के प्रारम्भ में वास्तु-पद के अधिष्ठातृ-देव वास्तु-पुरुष एवं विभिन्न वास्तु-पदों के अधिपति देवों का आवाहन करते हैं। अतएव किसी भी भवन-कार्य का वास्तु-पूजन एक अनिवार्य अंग हो गया है।

वास्तु-पद एवं वास्तु-पुरुष की इस प्राचीन परम्परा पर इस किञ्चित्कर उपोद्घात के उपरान्त वास्तु शास्त्र में इसका क्या महत्व है यह समझना आवश्यक है। सभी वास्तु-शास्त्रीय ग्रंथों में वास्तु-सिद्धांतों के विवेचन में वास्तु-पद-विन्यास को प्रथम स्थान दिया गया है। भवन-कार्य, निवेश-योजना एवं निर्माण-प्रक्रिया—दोनों ही हैं। आजकल भवन की निवेश-योजना इंजीनियर लोग करते हैं। प्राचीन स्थपति राज और इंजीनियर दोनों ही थे। अतः वास्तु-पद-विन्यास को हम एक मोटे ढंग से भवन का रेखाचित्र समझ सकते हैं।

इस पद-विन्यास का विशेष सम्बन्ध नगर-गत विभिन्न स्थानों एवं ढिङ्गुखों में निवेश्य देवालयों, राजालयों, विद्यालयों, सभालयों, वर्णानुसार भवनों, कर्मानुसार कार्यालयों एवं कर्मचारियों की वसतियों की सन्निवेश व्यवस्था से ही नहीं है वरन् पुर-मार्गों का सन्निवेश भी इस पद-विन्यास का एक अंग है।

अतः शास्त्रों में नगर-निवेश के प्रारम्भिक-पर्यवेक्षण के उपरान्त ही इस अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय पर विवेचन है और उसका सम्बन्ध धार्मिक तथा पौराणिक रीति में किया


(१४६)

गया है (जैसा कि आगे एतत्सम्यधी समीक्षा से प्रकट ही होगा) तथापि वैज्ञानिक दृष्टि से इसका सम्यन्व नगर-गत भवन-निवेश प्रक्रिया से सम्यन्व होने के कारण भू-परीक्षा एवं भूचयन के उपरान्त वास्तु-पद-विन्यास का अवसर आता है। पुरनिवेश में वास्तु-पद विन्यास-प्रक्रिया से निवेश्यभूमि के विभिन्न-कोटिक भागों, उपभागों आदि की योजना के साथ-साथ पुर की विभिन्न निवेश-योजनाओं राजवेश्म, देवतायतन—जनावान के स्थान-उसके पद (प्लाट) एवं उस पर प्रतिष्ठित विभिन्न भवनाङ्ग अथवा प्रासाद के वास्तु-पद-विन्यास में के साथ परिकल्पित किये जाते हैं। इसी प्रकार-भवन अथवा प्रासाद के वास्तु-पद-विन्यास में के साथ परिकल्पित किये जाते हैं। अतः पद-विन्यास अर्थार्थतः निवेश्य भूमि का विभाजन है। यह विभाजन कैसे किया जाय ? उसके कितने प्रकार हैं ? उसकी अन्य व्यवस्थायें क्या हैं—इन्हीं सबका उत्तर वास्तु-पद-विन्यास-प्रक्रिया है।

वास्तु-पद-विन्यास एवं वास्तु-पुरुष प्रकल्पन समरङ्गण के अनुसार अष्टाङ्ग-स्थापत्य का प्रथम अङ्ग है। समी वास्तु-शास्त्रीय ग्रंथों में भारतीय वास्तु-विद्या की इस अनिवार्य परम्परा पर प्रवचन किया गया है। स. सू. में इस विषय पर पाँच अध्याय हैं—(देखिये स. सू. की सुसम्बद्धा विषयानुक्रमण्यो)। इनमें से पाँचवें अध्याय (स. सू. ३८) में जिन ४० वास्तु-संस्थान-मातृकाओं का पीछे के अध्याय (३) में उल्लेख किया गया है वह इस ग्रंथ की अपनी विशेषता है। इन वास्तु-पदों का सम्यन्व धार्मिक न होकर भौतिक है। वास्तु-पदों की यह भौतिक-प्रकल्पना वास्तुशास्त्र के भौतिक अंग secular or civil architecture के विकास में एक आगे की सीढ़ी है। इसकी विशेष समीक्षा भवन-पदल में होगी।

अब रहे ४ अध्याय उनमें परम्परागत वास्तु-पद-विन्यास का वर्णन है। विभिन्न वास्तु-ग्रंथों में वास्तु-पदों की विभिन्न मन्त्रायें दी गई हैं, परन्तु उनमें से तीन ही—एकाशीति पदवास्तु (८१ चौकोर पदों की निवेश्य भूमि) चतुष्पष्टि-पदवास्तु (६४ पदों वाला साट) तथा शतपद-वास्तु (१०० पदों वाली भूमि) प्रसिद्ध हैं।

निवेश्य-भूमि को प्रथम विभिन्न-संख्यक चौकोर पदों में विभाजित किया जाता है। मानमार के अनुसार (अ० ७) इस विभाजन की ३२ पद्धतियाँ हैं। इनके अनुसार निवेश्य-भूमि को विभिन्न-संख्यक वर्गों में विभाजित किया जाता है। इनकी संज्ञाओं का आधा उन वर्गों की संख्या है जिनमें वर निवेश्य स्थल विभाजित किया जाता है। अथवा प्रत्येक वर्ग-पद्धति की इन प्रकार संयोजना की गई है कि विभाज्य दुकड़ों की संख्या विभाज्य वर्ग की क्रमिक संख्या का प्रतिनिधि होता है। जैसा ८१ पद वाले वास्तुपद में १० आयताकार नमानान्तर रेखायें तथा १० (transverse) रेखायें, यदि हम निम्नरूप में खींचें तो इस पद में ८१ दुकड़े निकलेंगे, वे सभी वर्ग होंगे अतः उनकी अपनी नग्नता संख्या से इस वास्तुपद का नाम ८१ पदवाला वास्तु हुआ। ८१ पद-वास्तुपद का निम्न रेखाचित्र इस तथ्य को स्पष्ट करता है—



इसी प्रकार २ से लगाकर ३२ प्रकार के वास्तुपद अथवा पुरनक्शे, भवननक्शे, प्रासादनक्शे तैय्यार हो सकते हैं। इन्हीं रेखाचित्रों को आधार मानकर वास्तु-कार्य प्रारम्भ किया जाता था।

इन वास्तु-पद योजनाओं को आज-कल की भाषा में साइटप्लान्स के नाम से पुकारा जा सकता है। इन में से एक आदर्श प्लान लेकर हमें इसकी सविस्तर समीक्षा करनी है, जिससे भारतीय वास्तु-पद-विन्यास-प्रक्रिया समझने में सुबोध हो जाय।

एकाशीतिपद-वास्तु

इस वास्तुपद में जैसा ऊपर के रेखाचित्र में संकेत किया गया है ८१ वर्ग-टुकड़े हैं। इनमें से प्रत्येक की संज्ञा 'पद' मानी गई है और उसका एक अधिष्ठातृ देव प्रकल्पित किया गया है। यह पद-विन्यास आधुनिक भवन-रेखा चित्र (House Plan) अथवा पुर-रेखाचित्र (Town-Plan) के मद्दह प्राचीन स्थपतियों के लिये निवेश-योजना में बड़ा ही सौकर्य एवं मौविध्य प्रदान करता था। उदाहरण के लिये इस पदविन्यास में अथवा किसी भी पद विन्यास-पद्धति में केन्द्रस्थान का स्वामी ब्रह्मा होता है। अतः उसे 'ब्रह्मपद' की संज्ञा दी गई है। अतः यदि गारुड में ऐसा निर्देश मिले कि ब्रह्मपद पर अमुक भवन 'इ' का निवेश करना चाहिये, तो सीधी भाषा में उसका अर्थ होगा कि ८१ पदवाले प्लान में नवपदिक ब्रह्मपद पर निर्माण अभिप्रेत है। इसी प्रकार सम्पूर्ण पदविन्यास के अपने अपने पदों के स्वामि-देवों के संकेत में यह सम्पूर्ण पद-व्यवस्था सहज बोधगम्य हो जाती है। निवेश-भूमि की चार प्रधान दिशाओं एवं चार उपदिशाओं तथा केन्द्र एवं मध्यभाग में कहा पर कैसा निवेश करना है—क्या छोड़ना है—यह सब बड़ा ही बोधगम्य बन जाता है।

पदविन्याम की प्रक्रिया ग पददेवों के सम्बन्ध में एक दो शब्दों को और समझ लेना चाहिये । (पदिक) अथवा (पदभुज) से संकेत एक वर्ग के अधिपति देव में है । द्विपदिक अथवा द्विपदाधीश का अर्थ उस देव में है जो दो वर्गों का स्वामी है । इसी प्रकार पट्पद-भुज अथवा पट्पदाधीश से ६ वर्गों का स्वामी विहित है ।

प्रधानतया वास्तुपद-देवों को हम दो कोटियों में बाँट सकते हैं—अन्तःसंश्रयदेवा, (वर्ग के मध्य तथा मध्यकोण के पदों के स्वामि-देवता), वहिःस्थदेवाः (वर्ग के बाहर के देवता) । स० सू० के अनुसार प्रत्येक वास्तुपद-विन्यास में (विशेषकर ६४, ८१ तथा १०० पद वालों में) ४५ देव विहित हैं जिनकी एकाशीति-पदवास्तु में निम्न रूप से प्रतिष्ठा प्रतिपादित की गई है:—

भीतरी देवता

अ. केन्द्राधिपति	१. ब्रह्मा	}	नवपदिक	६
य. मध्यस्थदेव	२. अर्यमा (पूर्व)		पट्पदिक	
	३. विवस्वान् (दक्षिण)		"	
	४. मित्र (पश्चिम)		"	
	५. पृथ्वीधर (उत्तर)		"	२४

स. मध्यस्थ कोणों के देव

६—सविता	एकपदिक	
७—सावित्री	"	
८—जय	"	
९—इन्द्र	"	
१०—यक्ष्मा	"	
११—रुद्र	"	
१२—आप	"	
१३—आपवत्स	"	८

बाहरी देवता

१४ अग्नि	१५ पर्जन्य	* १६ जयन्त	१७ इन्द्र	३२+८=४०
१८ रवि	१९ सत्य	* २० भृश	२१ नभ	योग=८१
२२ अनिल	२३ पूषा	* २४ वितथ	२५ गृहक्षत	
२६ यम	२७ गन्धर्व	* २८ भृङ्गराज	२९ मृग	
३० पितृगण	३१ दौवारिक	* ३२ सुग्रीव	३३ पुष्पदन्त	
३४ वरुण	३५ असुर	* ३६ शोष	३७ पायवक्ष्मा	
६८ रोग	३९ नाग	* ४० मुख्य	४१ मल्लजाट	
४२ मोम	४३ चरक	* ४४ अदिति	४५ दिति	

टि० १—इनमें पुष्पाङ्कित देवता द्विपदाधीश हैं । अर्यमान् जयन्त, भृश वितथ, भृङ्गराज, सुग्रीव, शोष मुख्य तथा अदिति—ये आठ देवता वहिःस्थ तो हैं ही भीतर उनका एक एक पद का और भोग करते हैं—प्रभुता रखते हैं ।

टि० २—भीतरी १३ तथा बाहरी ३२—इन ४५ देवों के अतिरिक्त चरकी, विदारी, पूतना तथा पापराक्षसी ये चार ऐशान्य, आग्नेय, नैऋत्य एवं वायव्य कोणों में क्रमशः स्थित बतायी गयी हैं। इन का स्थान-मात्र है पदभोग नहीं। अस्तु, निम्न लिखित रेखा चित्रों से इन सभी की स्थिति स्पष्ट समझ में आ सकती है:—

परमशाधिक

वायव्य	उत्तर						ईशान
पापराक्षसी रोग	नाग	मुख्य ↓	मल्लाट	सोम	चरक	अदिति ↓	टिति (चरकी) अग्नि
पापयक्ष्मा	रुद्र			पृथ्वीधर षट्पदिक		आपवत्स	पर्जन्य
शोष →		राजयक्ष्मा				आप	← जयन्त
असुर							इन्द्र
वरुण	मित्र (षट्पदिक)			ब्रह्मा नवपदिक		अर्यमा (षट्पदिक)	गवि
पुष्पदन्त							सत्य
सुग्रीव →		जय		विवस्वान् षट्पदिक		सविता	← भृश
दौवारिक	इन्द्र					सावित्री	नभ
पितृगण (पूतना)	मृग	भृंगराज ↑	गंधर्व	यम	ग्रहज्ञत	विनाथ ↑	पूषा अनिल (विदारी)
नैऋत्य	दक्षि						आग्नेय

इसी प्रकार 'चतुष्पष्टिपद-वास्तु' तथा 'शतपद-वास्तु' की प्रकल्पना की जा सकती है। संक्षेप में इन दोनों पर भी थोड़ा सा विवेचन होना चाहिये।

आसन अथवा शतपद

			┌			┐			
				पृथ्वी धर					
				अष्टपद					
			└			┌			
	┌		┐			┌		┐	
		मित्र			ब्रह्मा			अर्यमा	
		अष्टपद			पाइशपद			अष्टपद	
	└		┌			┌		┐	
				विवस्वान					
				अष्टपद					
			└			┌			

शतपद-वास्तु का पद-देवता-विमाजन निम्नलिखित बोधव्य है—

अ.	१ केन्द्राधिपति-ब्रह्मा	=	१६	पद	=	१६
ब.	४ मध्यस्थदेव-अर्यमादि	४=	८×४	”	=	३२
स.	८ मध्यकोणस्थ-(यथा एका- शीति पद-वास्तु में)	=	१×८	”	=	८
य.	८ बाह्य-कोणस्थ-अग्नि, नम, वायु, मृग, पितृ, ज्य, गेन तथा दिति	=	१ $\frac{१}{२}$ ×८	”	=	१२
र.	८ पर्जन्यादि (यथा चतुष्पष्टि- पद-वास्तु)	=	२×८		=	१६
ल.	१६ जेपवाह्य देव	=	१×१६		=	१६
	४५					६००

वास्तुपद-प्रयोग

समराङ्गण के अनुसार—(अ० १३. ३-५,) एकाशीतिपदिक वास्तु-पद पर वर्गियों (ब्राह्मण, क्षत्रि, वैश्य आदि) के भवनों के साथ-साथ राजा का राज-प्रासाद एवं भूपतियों के आधिपत्य-प्रतीक-देव स्वर्गपति इन्द्र के प्रासाद (इन्द्र-स्थान) का निर्माण करना चाहिये ।

देव-प्रासादों (विभिन्न देवों एवं देवियों के मन्दिरों) तथा उनके संवृत (संयुक्त) अथवा विवृत (पृथक्) दोनों प्रकार के मण्डपों के निर्माण में शतपद-वास्तु, का प्रयोग करना चाहिये ।

अथच ग्रामों, पुरों एवं उनके विभिन्न प्रभेदों के साथ-साथ राजाओं के शिविरो (नरेन्द्र-शिविर—देखिये पीछे शिविरपुर का प्रभेद पु० नि० पृ० पी० अ० ३ ।

वास्तुपुरुष

प्रमुक्त वास्तु-पदां एवं उनके अधिपति-देववर्गों के इस दिग्दर्शन-के उपरान्त अथ उन सबके अधिष्ठा-देव वास्तु-पुरुष की भी वास्तु-प्रतिष्ठा प्रतिपाद्य है । समराङ्गण के अष्टाग-लक्षण, नामक ४५ वें अध्याय के अनुसार वास्तु-पुरुष-विकल्पन रथापत्य का प्रथम अंग है, अतः निवेश्य-पद पर वास्तु-पुरुष-प्रतिष्ठा स्थपति की प्रथम योग्यता है ।

वास्तु-पुरुष समस्त पद का स्वामी है । वास्तु-पुरुष का यथानाम पुमाकृति में प्ररूपन करना चाहिये । (स. सू. १४.१) । उसकी वास्तु-आकृति वक्र बतायी गयी है और पृष्ठ उठा हुआ (hump backed) अतः उसकी इस प्रकार से प्रतिष्ठा करनी चाहिये कि उसका समस्त निवेश्य-पद पर विन्यास हो सके । इस प्रकार विभिन्न पदों के अधिपति-देव वास्तु-पुरुष के विभिन्न अंगों के अधिपति बन जाते हैं अथवा वास्तु-पुरुष रूपी प्रकारण्ड तरु की वे "सर्व तना (ब्रह्मा) स्कन्ध अथवा बड़ी और मोटी शाखायें (अर्चमादि ४ देव) एवं क्षुद्र शाखायें अन्य देव-मात्र हैं । वास्तु-पुरुष एवं वास्तु-पद-देवों की इन भावना में औपनिषदिक—'एकं सद् विप्रा बहुधा वदन्ति'—की महाभावना का ही प्रतिबिम्ब दिग्गर्भ पडता है ।

अस्तु । वास्तु पुरुष के विभिन्न अंगों पर भावित देवों की तालिका निम्न लिखित है:-

शिर—अग्नि

नेत्र-द्वय—दिति एवं अम्बुदाधिप

कर्ण-द्वय—जयन्त एव अदिति

मुख—वायु

दक्षिण भुज—अर्क , रवि)

वामभुज—मौम

वक्षःस्थल—मदेन्द्र, चरक, आप एवं आपवल्ग

दक्षिणस्तन—अर्चमा

वामस्तन—पृथिवीधर

दक्षिणबाहु—मत्स्य, भृश, नभ, वायु एवं पूषा

वामबाहु—वक्ष्मा, रोग, नाग, मुख्य एवं भल्लाट

परकफोणित्य—(दोनों द्येलिया) चावित्र, उचिता, दद्र तथा शक्तिधर

हृदय—ब्रह्मा

वगल (दक्षिण) वितथ तथा गृह-क्षत

’ , , (वाम) शोष तथा असुर

उदर—मित्र एवं विवस्वान्

मेढु-मध्य—इन्द्र एवं जय

ऊरू—यम एवं वरुण (दक्षिण तथा वाम)

जंघायें—गन्धर्व, भृंग तथा मृग

चरण—दौवारिक, सुग्रीव एवं पुष्पदन्त

यहा पर एक विशेष तथ्य की ओर पाठकों का ध्यान आकर्षणीय है । ‘समराङ्गण-सूत्रधार’ वास्तु-शास्त्र का ही एक मात्र ग्रन्थ है जिसमें इन पदद्वयों का ‘निघण्टु’ मी दिया गया है । इसका क्या मर्म है—इस पर हम आगे विचार करेंगे । प्रथम इस ‘निघण्टु’ की निम्न अवतारणा कर देना आवश्यक है:—

ब्रह्मा	= अञ्जसंभव, सहस्रानन, अचिंत्य-विभव
वह्नि	= सर्वभूतहर, हर
पर्जन्य	= वृष्टिमान्, अम्बुदाधिप
जयन्त	= काश्यप भगवान्
महेन्द्र	= सुराधिप, सुराधीश, दनुजों के विमर्दक
विवस्वान्	= अहस्कर
सत्य	= भूतहित, धर्म
भृश	= काम, मन्मथ
अन्तरिक्ष (नभ)	= नभस्
मारुतः (अनिल)	= वायु
पूषा	= मातृगण
वितथ	= अधर्म, कलि का अप्रतिम सुत
गृहक्षत	= चन्द्रतनय, बुध
यम	= प्रेताधिप, विवस्वान् के पुत्र
गन्धर्व	= नारद
भृङ्गराज	= निःश्रुति के पुत्र
मृग	= अनन्त, स्वयंभू-धर्म
पितृगण	= पितृलोक निवासी देवगण
दौवारिक	= नन्दी, प्रमथों के अधीश्वर
सुग्रीव	= आदि प्रजापति मनु
पुष्पदन्त	= महाजव, वैनतेय
वरुण	= जलनार्थ, लोकपाल
असुर	= राहु-अर्केन्दुमर्दन-सिंहिकासुत
शोष	= सूर्यपुत्र-जनैश्च

पापयक्ष्मा	= क्षय
रोग	= ज्वर
नाग	= वायुकि
मुख्य	= त्वष्ट्रा, विश्वकर्मा
मल्लाट	= चन्द्र
सोम	= कुवेर
चरक	= व्यवसाय
श्रद्धिति	= श्री
दिति	= ?
रुद्र (शलभृत्)	= वृषभध्वज
श्राप	= हिमवान्
श्रापवत्स	= उमा
श्रयमा	= श्रादित्य
सावित्र	= वेदमाता
सवितृ	= देवीगंगा
विवस्वान्	= मृत्यु, शरीरहर्ता
जय	= वज्री
इन्द्र	= बलवान् हरि
मित्र	= हलधर, माली
रुद्र	= महेश्वर
राजयक्ष्मा	= गुह
क्षितिभ्र	= अन्नन्त
चरकी, विदारी पूतना तथा पापराक्षसी	= रक्षयोनिभवा देवानुचरियां

पीछे संकेत किया गया है कि इन विभिन्न-वर्गीय देवों की प्रतिष्ठा एवं वास्तु-पुरुष की इस प्रकल्पना में एक अत्यन्त महत्वपूर्ण मर्म निहित है। हिंदुओं के सभी कृत्य देव-भावना ने अनुप्राणित हैं। देवभावना—‘शिव-भावना’ कल्याण—सुख—ऐश्वर्य की भावना का प्रतीक है। प्रकृति का यह विशाल साम्राज्य ही देव-राज्य है। प्रकृति के द्वाग प्रस्तुत एवं प्रदत्त ऐश्वर्य को हम किस प्रकार से भोग कर सकते हैं—इसीलिये यह मय विधान एवं विषय प्राचीनो ने प्रस्तुत किये हैं।

कोई भी निवेश्य (भवन, पुत्र अथवा, प्रासाद) जब तक दिक्-साम्मुख्य के आधान-भूत मिट्टात वा पूर्ण अनुगमन नहीं करता, तब तक वह सुख एवं कल्याण का विधायक नहीं बन सकता। अतएव हमारे पारदर्शी शालमारो ने (जिनमें वास्तु-शास्त्रज्ञ भी सम्मिलित है) इस दिक्-साम्मुख्य के सम्पादनार्थ इस प्रक्रिया को धार्मिक रूप देकर अनिवार्य वास्तु-नृत्य बना दिया है। मानव-जीवन में विशेषकर भारतीय आर्य-जीवन में

सूर्य की उपासना अथवा सूर्य-रश्मियों के स्वच्छन्द समुपभोग के लिये सनातन से ध्यान रखा गया है। सूर्य-रश्मियों का स्वच्छन्द उपयोग तभी मिल सकता है जब हम अपने प्रत्येक निवेश को पूर्वाभिमुखीन पूर्णरूप से कर सकें। दिक्सामुख्य अथवा पूर्वाभिमुखत्व की यह अनिवार्य परम्परा ने ही वास्तु-शास्त्र में वास्तु-पदों की सृष्टि की।

सूर्य की विभिन्न जीवनोपयोगी रश्मियों का वैज्ञानिकों ने पता लगाया है। हमारे पूर्वजों ने अपनी सूक्ष्मेक्षिका से इन जीवन-दायक रश्मियों का बहुत पहिले ही पता लगा लिया था अतएव उन्होंने सूर्य-रश्मियों के निर्वाध सेवनार्थ मनुष्यों की तीन प्रधान आवश्यकताओं में प्रमुख आवश्यकता—आवास को इस प्रकार से नियंत्रित कर दिया जिससे यह रश्मिमभोग सहज एवं नैसर्गिक बन जावे। पद-विन्यास का स्थूल रूप में यही मर्म है। विशेष छान-बीन श्री पोवट भाई अम्बाशंकर मानकद ने 'अपराजित पृच्छा की भूमिका में की है—वह वहीं द्रष्टव्य है।

'पद-विन्यास' के सम्बन्ध में एक और तथ्य रह गया है जिसका समुद्घाटन भी अभिप्रेत है। वह इसी उपर्युक्त सिद्धांत का एक प्रकार से सहायक सिद्धांत है। दिक्-सामुख्य के साथ-साथ अन्येक पद का इस प्रकार से निवेश हो कि वह स्वच्छन्द उपभोग का सफल विधान, अतः इस पद-विन्यास में प्रकल्पित वास्तु-पुरुष के जो मर्म बताये गये हैं उनका पीड़न कदापि नहीं होना चाहिये। अर्थात् मर्मस्थानों पर दरवाजे आदि दीवालें आदि नहीं बनानी चाहिये। स० सू० के तेरहवें अध्याय (मर्मवेध) का यही मर्म है।

वास्तु-पुरुष के ६ महामर्म हैं:—सुख, हृद्, नाभि, भूर्धा तथा दोनों स्तन। अथच जो उसकी नसें (सिरा, वंश, अनुवंश, सम्पात आदि) हैं उन्हें मर्म कहा गया है। इनका पीड़न बचाना चाहिये।

मवन के किस अंग अथवा किस द्रव्य-विशेष या रचना-विशेष के पीड़न से कौन-कौन अशुभ आपतित होते हैं—इनके सविस्तर विवरण इस अध्याय में दिये गये हैं—उनका विस्तारभय से उल्लेख न कर अन्त में इतना ही संकेत पर्याप्त है कि मवन का प्रत्येक निवेश एवं उसकी प्रत्येक रचना को रेखा-चित्र में पहिले ही विचार कर लेना चाहिये।

मार्ग-विनिवेश

पुर-निवेश में स्थापत्य का परमकौशल मार्ग-विनिवेश है। मार्गों का निवेश न केवल पुर की विभिन्न-वर्गीय आवास-मालिकाओं के विभाजन के लिये ही आवश्यक है, वरन् नगर का जनपद के साथ सम्बन्ध-स्थापन के लिये भी वह कम उपादेय नहीं है। तीसरे मार्ग-विनिवेश का परम प्रयोजन दिक्-साम्मुख्य वास्तु-कला के आधारभूत सिद्धांत के अनुरूप प्रत्येक वसती के लिये सूर्य-किरणों का उपभोग एवं प्रकाश तथा वायु का स्वच्छन्द सेवन भी कम अभिप्रेत नहीं है। चौथे मार्गों का विनिवेश इस प्रकार हो कि प्रधान मार्ग पुर के मध्य से दौड़ रहे हों। प्रधान-मार्गों—राजमार्गों पर ही नगर के केन्द्र-भवन राजहर्म्य, सभा, मरडप, देवतायतन एवं प्रधान पर्यवीथी निविष्ट की जाती है। पाचवें मार्ग-विनिवेश में संचार-सौकर्य के लिये मार्गों की चौड़ाई आदि भी कम अपेक्षित नहीं है। अथवा मार्गों की कितनी संख्या हो—वह तो पुर पर आश्रित है। एक राजधानी-नगर की मार्ग-संख्या साधारण नगर की मार्ग-संख्या ने सहज ही अधिक होगी। शुक्राचार्य ने स्पष्ट लिखा है:—

‘पुर दृष्ट्वा राजमार्गान् सुवहून् कल्पयेन्तृपः’

अर्थात् राजमार्गों की संख्या पुर की आवश्यकतानुरूप होनी चाहिये। समराङ्गण में जैसा हम अभी देखेंगे एक आदर्श नगर के लिये कम से कम सत्तरह २ मार्ग पूर्व से पश्चिम तथा दक्षिण से उत्तर दौड़ने चाहिये। राजवल्लभ (अ० ४) में भी इसी संख्या का समर्थन है—प्रधाननगर १७, १७ सामान्य अर्थात् मध्यम नगर १३, १३ तथा कनिष्ठ अथवा निकृष्ट में ६, ६। मयमत (अ० १०) के अनुसार पुर की विभिन्न मर्यादाओं के अनुसार क्रमशः सम संख्या १२—१२, १०—१०, ८—८, ६—६, ४—४, अथवा २—२, विपम संख्या ११—११, ९—९ ७—७, ५—५, ३—३, अथवा १—संख्या ही विहित हैं।

समराङ्गण के अनुसार एक आदर्श नगर में ३४ मार्ग पूर्व से पश्चिम तथा दक्षिण से उत्तर निविष्ट करना चाहिये। मार्ग-विनिवेश का आधारभूत सिद्धान्त दिक्-साम्मुख्य (Orientation) या मार्गों का इस प्रकार से विनिवेश करना चाहिये, जिसमें नगर की भीतरी और बाहरी दोनों ही विभिन्न-कोटिक निवेश-योजनायें सम्पन्न हो सकें। विभिन्न प्रकार की वसतियों, जनभवनों, गजभवनों, मन्दिरों, उद्यान, तटाग, पुरजन-विहार, कीर्ण-क्षेत्र आदि की निवेश योजना में स्वास्थ्यप्रद वातावरण, सर्प वा प्रवाग तथा वायु का स्वच्छन्द संचार सुलभ हो सके।

वास्तु-पद-योजना एवं मार्ग-विनिवेश का परस्पर घनिष्ठ सम्बन्ध है—एक तथ्य का संकेत त्रिधा ही जा चुका है। मार्गों में पहला स्थान राजमार्ग का है। इसका निवेश पद

के मध्यवंश पर बताया गया है। इसकी चौड़ाई का प्रमाण ज्येष्ठ, मध्य एवं कनिष्ठ त्रिविध पुर-प्रभेदों के अनुसार २४, २०, १६ हस्त (३६, ३०, २४ फीट) क्रमशः होना चाहिये। इसका विस्तार पूर्ण होना चाहिये जिससे पदातियों, विशेषकर चतुरङ्गी सेना, राजसी जलूस तथा नागरिकों के सौविध्यपूर्ण संचार में किसी प्रकार की रुकावट न हो। यह केन्द्रमार्ग, जिसकी संज्ञा राज-मार्ग है, पक्का बनाना चाहिये (काश्म शर्कर)।

राजमार्ग के उपरान्त महारथ्याओं का अवसर आता है। वैसे तो शाब्दिक अर्थ से ये मार्ग रथों आदि यानों के सुविधापूर्ण संचार के लिये बनाये जाते थे—परन्तु वास्तव में महारथ्याओं से तात्पर्य उन महामार्गों से है जो नगर को जनपद से जोड़ते थे। समराङ्गण के अनुसार एक आदर्श पुर में कम से कम दो महारथ्यायें अवश्य होनी चाहिये जो पुर के बाहर जनपद-महामार्गों में अनुस्यूत हो जायें। इन दोनों महारथ्याओं की चौड़ाई का प्रमाण १२, १० तथा ८ हस्त (१८, १५, १२ फीट) ज्येष्ठ, मध्यम एवं कनिष्ठ पुर-प्रभेद से क्रमशः बताया गया है। वास्तुपद-विन्यास की प्रक्रिया के अनुसार इनकी स्थापना उपान्तस्थ वंश पर प्रतिष्ठित की गई है।

राजमार्ग एवं दो महारथ्याओं की निवेश-योजना के उपरान्त चार यान-मार्गों की योजना आवश्यक है, पुर के अन्त्यन्त प्रदेश में भी यानों का संचार हो सके। परन्तु यह समझ में नहीं आता कि यद्यपि इनकी संज्ञा यान-मार्ग है परन्तु इनकी चौड़ाई का प्रमाण केवल ४ हस्त (६ फीट) ही सब प्रकार के उत्तम, मध्यम एवं अधम पुरों में सर्वसाधारण बतायी गई है। प्राचीन नगरियों के जो निदर्शन आज भी देखने को मिलते हैं उन सब में राजपथ के अतिरिक्त अन्य पथों की संकीर्णता देखकर इस लघुप्रमाण पर आश्चर्य नहीं हो सकता। प्राचीन नगर दुर्गों की भाँति विनिविष्ट होते थे। अतः रक्षा के इस परम प्रयोजन के कारण ही सम्भवतः स्थानामाव से यह क्षुद्र प्रमाण परिकल्पित किया गया है। इस मार्ग की प्रतिष्ठा पद-मध्य-गत प्रतिपादित की गई है। संतोष इस बात से है कि समराङ्गण ने इन मार्गों में पदातियों का संचरण ही कठिन न हो जाय अतः यह निर्देश दिया है कि प्रत्येक यानमार्ग के दोनों तरफ जंघापथ बनाने चाहिये। इनको हम आज की भाषा में फुट-पाथ के नाम से पुकार सकते हैं और इनके क्रमिक चौड़ाई के प्रमाण ३, २½, २ हस्त (४½, ३½ तथा ३ फीट) है।

इस प्रकार एक राजमार्ग, दो महारथ्याओं, चार यान-मार्ग, तथा आठ जंघापथ, कुल १५ मार्गों की निवेश-योजना के उपरान्त, अब पुर के केवल दो अत्यन्त महत्व पूर्ण मार्गों का निर्देश शेष रह जाता है। इनको 'घंटा-मार्ग' के नाम पुकारा गया है। घंटा-मार्ग की यह सजा सम्भवतः हाथियों के घंटों से दी गई है। इनकी योजना के सम्वन्ध में यह बताया गया है कि ये प्राकार-भित्ति (परकोटा) से मिले हुए हों। इस प्रकार ये नगर की घमती के चारों ओर फैले होते हैं। घंटा-मार्ग राजमार्ग के समान ही सर्वगुणसम्पन्न प्रतिपादित किये गये हैं।


दस प्रकार १७ मार्ग हुये। जैसा कि पूर्व संकेत किया जा चुका है कि ये मार्ग पूर्व से पश्चिम और दक्षिण से उत्तर दौड़ते हैं। ऊपर की मार्ग-विनिवेश-योजना पूर्व से पश्चिम समझनी चाहिये। इसी प्रकार दक्षिण से उत्तर भी समी कोटि के ये मार्ग विनिविष्ट करना चाहिये। इसी प्रकार पुर के पूरे मार्गों की संख्या चौतीस हुई।

ये चौंतीस मार्ग प्रमुख मार्ग हैं । इनके अतिरिक्त नगर के अभ्यन्तर प्रदेशों में बसती में दूसरे को पृथक् करने के लिये, सूर्य-रश्मियों के स्फुट-प्रकाश, समीर के खन्ड्य उपभोग, एवं यातायात की सुविधा तथा सरलता की दृष्टि ने समराङ्गण के अनुसार दत्तस्ततः सर्वत्र रथ्यात्रों एवं उपरथ्यात्रों (Street, lanes and bye-lanes) का भी निवेश अनिवार्य है । इनमें से जो बड़ी हैं, उनकी चौड़ाई । महामार्ग अर्थात् राजमार्ग की चौड़ाई में आधी होनी चाहिये और जो छोटी हैं उनकी चौड़ाई । इस प्रकार जहाँ राजमार्ग, महारथ्यायें एवं यानमार्ग तथा घंटापथ पुर की वाह्य निवेश-योजना के आधार हैं वहा ये रथ्यायें एवं उपरथ्यायें पुर के आन्तरिक निवेश में सहायक बनते हैं । ये ही उपमार्ग पुर को मुहल्लों में बाँटते हैं ।

निम्न रेखा चित्र देखिये :—

पुर के प्रधान मार्ग

('चण्डित' पर)



टि०:—पूर ने पश्चिम दीङ्गने वाले ये प्रधान २६ मार्ग हैं.—१ राज-मार्ग, ४ मह-

रथ्यायें, ४ यान-मार्ग तथा २ घंटा-मार्ग । इसी प्रकार दक्षिण से उत्तर इतने ही मार्ग दौड़ते हैं । इस चित्र में यान-मार्ग के पर्यन्तस्थ जंघापथों एवं अन्य रथ्यायों तथा उप-रथ्यायों को नहीं दिखाया गया है । वैसे तो स० सू० के अनुसार (अ० ५) पुर के माँ की-सख्या १७-१७ है ।

पुरनिवेश के प्रमुख सिद्धान्त (Canons) मार्ग-विनिवेश की इस स्थूल रूपरेखा के उपरान्त इस विषय की थोड़ी सी समीक्षा आवश्यक है । पर्यन्तस्थ रेखाचित्र पृ० १६१ में प्रधान मार्गों की रेखाओं से प्रकट है कि वे सभी पूर्व से पश्चिम तथा दक्षिण से उत्तर दौड़ती हुई एक आयताकार चैस बोर्ड बनाती हैं । अर्थात् वे सभी मार्ग-रेखायें समानान्तर होने के कारण एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं । मार्ग-विनिवेश की यह पद्धति आजकल भी एक प्रतिष्ठित पद्धति है । इस पद्धति का एक सुन्दर एवं ज्वलन्त उदाहरण राजस्थान की प्रसिद्ध राजधानी जयपुर है । महाराज जयसिंह जिनके नाम से इस नगर का जयपुर नाम पड़ा स्वयं एक ज्योतिषी थे । ज्योतिर्विदों एवं वास्तु-विद्या-विशारदों के घनिष्ठ सम्बन्ध पर संकेत किया जा चुका है । अतः महाराज ने प्राचीन वास्तु-शास्त्रीय ग्रंथों में प्रतिपादित पुरनिवेश के सिद्धान्तों के अनुरूप ही इस महापुरी की स्थापना की । भारतीय वास्तु-शास्त्र के दिक्साम्मुख्य सिद्धान्त से हम परिचित ही हैं । अतः भारत के पुर निवेशक (Town planners.) स्थपति दिक्साम्मुख्य का बड़ा ही व्यान रखते थे । कोई भी वास्तु-निर्मिति दिङ्मण्डल के diagonal points of heavens की ओर नहीं होनी चाहिये । इसी सिद्धान्त के अनुसार इस राजधानी नगर में axially दिङ्मण्डल की चारों दिशाओं से साम्मुख्य-स्थापन के लिये सभी प्रधान मार्ग सीधे पूर्व से पश्चिम और दक्षिण से उत्तर विनिविष्ट किये गये हैं । प्राचीन वास्तु-शास्त्र की पारिभाषिक भाषा में इस पद्धति को प्रस्तर के नाम से पुकारा जाता है । यह आधुनिक मार्ग-विनिवेश की चैस-बोर्ड-पद्धति के सदृश है ।

मार्ग-विनिवेश की विभिन्न पद्धतियों का शास्त्र में वर्णन पाया जाता है । मानसार, मयमत, अर्थ-शास्त्र, शुक्र-नीतिसार एवं पुराण—देवी तथा ब्रह्मण्ड आदि ग्रंथों में इस सम्बन्ध की विस्तृत सामग्री भरी पड़ी है । श्री विनोदविहारी दत्त महाशय ने अपने Town Planning in Ancient India में इस सामग्री का विशेष उपयोग किया है । समराङ्गण के इस अध्ययन में इस सामग्री की थोड़ी सी सूचना अप्रासङ्गिक न होगी ।

ममराङ्गण की मार्ग-नामावली का ऊपर संकीर्तन किया जा चुका है । अब अन्य ग्रंथों की मार्ग-नामावली देखना है । रामराज अपने Essay on Architecture में लिखते हैं—वह मार्ग जो ग्राम अथवा नगर के चतुर्दिक दौड़ता है उसको 'मंगलवीथी' के नाम से पुकारा गया है । इसी प्रकार 'राजपथ' की संज्ञा उस मार्ग को दी गयी है जो पूर्व से पश्चिम जाता है । जिस मार्ग की दोनों सीमाओं पर द्वार हों उसे 'राजवीथी', जिसके बीच में सन्धिर्था अर्थात् जंक्शन् हों उसे 'सन्धिवीथी' तथा दक्षिण-पथ की मजा 'महाकाल' मानी गयी है ।

मयनुनि की नामावली भी विलक्षण है । पूर्व से पश्चिम की ओर जानेवाले दरवाजाकार मार्ग महापथ है, उनमें ने जो ब्रह्मपद (केन्द्र) के पास होता है उसे ब्रह्मवीथी के नाम

में पुकारना चाहिये। ब्रह्मवीथी ही मयसुनि के अनुसार मार्ग-विन्यास-योजना का नाभिकेन्द्र है। ब्रह्मवीथी के टार्ये-गार्ये दौड़ने वाले मार्ग राजवीथी की संज्ञा से चरितार्थ किये गये हैं जिनकी सीमाओं पर द्वार-विधान आवश्यक है। यान-संचार के लिये विन्यस्त मार्गों की संज्ञा 'रथमार्ग' से दी गयी है। 'मंगलवीथी' और रथमार्गों को नारा-चपथ के नाम से भी पुकारा जाता था और उनका पक्का होना (कुट्टिम) अनिवार्य था। मंगलवीथी की आनुपङ्क्ति वीथी को 'जनवीथी' के नाम से पुकारा जाता था। नगर के अभ्यन्तर प्रदेश में छोटे-छोटे अन्य कई मार्ग दौड़ते थे उनको 'वामन-पथ' के नाम से पुकारा गया है।

सर्वप्रथम ध्यान देने की बात यह है मयमत एवं मानसार आदि प्राचीन-शिल्प ग्रन्थों में जो विभिन्न-कोटिक, सर्वतोभद्र, नन्द्यावर्त स्वस्तिक, पद्मक, वर्धमानक, प्रस्तर, चतुर्मुख—आदि ग्रामों एवं पुरों के निवेश-विवरण हैं उनका आधार मार्ग-विन्यास है। मार्गों की संख्या और उनका दिक्सांमुख्य एवं उन पर निविष्ट भवनों की रूप-रेखा में ही पुर-विशेष अथवा ग्राम-विशेष की संज्ञायें प्रकल्पित की जाती थीं। इसमें यह निष्कर्ष निकलता है, कि पुर-निवेश योजना का प्राण मार्ग-विन्यास था। मयमत के अनुसार (६ वॉ तथा १० वॉ अध्याय) दण्डक नामक नगर की संज्ञा उस के एकमात्र पूर्वाभिमुखीन दण्डाकार मार्ग पर विन्यस्त भवन-मालिका के कारण दी गयी है। यदि उसी नगर में एक दूसरा मार्ग दण्डाकार उत्तराभिमुखीन भी है और पूर्वाभिमुखीन को ऋतता है तो उसे (कर्तरी-दण्डक) के नाम से पुकारना चाहिये। इसी कर्तरी दण्डक में यदि एक भवन-मालिका के अतिरिक्त दो भवन-मालिकायें (पूर्व में पश्चिम की ओर) विन्यस्त हैं, तो उसकी संज्ञा बाहु-दण्डक है जिसकी चार प्रधान दिशाओं पर चार द्वार होते हैं। उत्तराभिमुखीन मार्ग के ऊपर दो से अधिक भवन-वीथियों मार्ग-वीथियों के साथ विन्यस्त की जायें तो फिर उस दण्डक नगर को (कुट्टिममुख दण्डक) के नाम से पुकारना चाहिये। इसी दण्डक नगर का निवेश यदि पूर्व पश्चिम तीन मार्गों तथा उत्तर दक्षिण तीन मार्गों पर किया जावे तो उसे कल वा बन्ध दण्डक नाम देना चाहिए। नगर-प्रभेद राजधानी वह नगर है जिसमें मार्ग-विन्यास के साथ राज-प्रसाद की प्रसृतता रक्षी गयी है।

इसी प्रकार में स्वस्तिक, भद्रक आदि अन्यवर्गीय नगरों एवं ग्रामों की मार्ग-विन्यास योजना है। स्वस्तिक में ६ मार्ग उत्तर से तथा ६ पूर्व से दौड़ते हैं। भद्रक में केवल ४ मार्ग इन्हीं दिशाओं से दौड़ते हैं। भद्रसुत, भद्रकल्याण, महामद्र, नुभद्र आदि भद्रप्रभेदों की भी यही गाथा है।

विजय, विजय तथा सर्वतोभद्र नगर प्रभेद राजधानी-नगर हैं, जिनमें मार्ग-विन्यास के साथ राज-प्रसाद की प्रसृतता रक्षी गयी है।

विजय में नौ-नी मार्ग पूर्व-पश्चिम एवं उत्तर-दक्षिण दौड़ते हैं। विजय में दण्डक-वारह और सर्वतोभद्र में ग्यारह-ग्यारह।

मानसार एवं कामिनागम में दण्डक, नन्द्यावर्त, सर्वतोभद्र, प्रस्तर, चतुर्मुख, नाटिक पद्मक, स्वस्तिक आदि पुर प्रभेदों एवं ग्राम-प्रभेदों में दण्डक एवं पद्मक को ही प्रकल्पित

सभी पुरों की मार्ग-विन्यास-प्रक्रिया का आधार आयाताकृति-निवेश (Rectangular Enclosure) है जो परिशिष्टस्थ चित्रों से स्पष्ट है। पन्नक यथार्थनाम है—कमल के समान उसकी आकृति है और कामुक भी यथार्थनाम धनुषाकृति है।

इन प्राचीन पुरों के सम्बन्ध में यह ज्ञातव्य विशेष है कि प्रायः केन्द्रीय मार्गों में दो ही प्रमुख बड़े मार्ग होते थे जिनको ब्रह्मवीथी तथा महाकालवीथी के नाम से पुकारा जाता था। ये दोनों नगर-मार्ग जनपदीय मार्गों से मिले होते थे। ये ही मार्ग नगर एवं ग्रामों की लड़ी को जोड़ते थे। इन्हीं मार्गों पर वाणिज्य एवं सैन्य का संचार होता था तथा इन्हीं की सहायता से शासन-व्यवस्था एवं रक्षा भी सम्पादित की जाती थी। दूसरे इन पथों में (diagonal streets) का जो आधुनिक मार्ग-विन्यास में सर्वसाधारण रूप से प्रचलित है, प्रायः उल्लेख नहीं है। प्रत्येक नगर के दो प्रधान पथ ही नगर एवं जनपद दोनों का काम देते थे। यद्यपि इस नियम का अपवाद भी था। पार्वत्य-प्रदेशों पर निविष्ट नगरों, राजधानियों अथवा बुरगों में संचार-सौविध्य एवं सौकर्य के लिये (Diagonal streets) अनिवार्य हो जाती है। राजस्थान की महानगरियों एवं बुरग-नगरों में मार्ग-विन्यास की यह विशेषता आज भी विद्यमान है। विजयनगर आदि दक्षिणत्य (Deccan) नगरियों में भी मार्ग-विन्यास का यह क्रम देखने को मिलता है। इसके अतिरिक्त नगर-विशेष अथवा ग्राम-विशेष की आकृति-विशेष भी इस नियम का अपवाद उपस्थित करती थी। उदाहरण के लिये उपर्युक्त विभिन्न कोटिक मार्गों में वर्तुलाकृति (circular) नन्द्यावत में मार्गों का उद्गम केन्द्र स्थान से उदय होता है।

मार्ग-विस्तार

सम्राज्य में प्रतिपादित विभिन्न कोटिक एवं विभिन्न-संज्ञक मार्गों के विस्तार का संकेत हो चुका है। उनमें राजमार्ग की ही चौड़ाई सर्वाधिक है। राजमार्ग से राजा का मार्ग नहीं बौद्धव्य है, वह मार्गों का राजा है (पाणिनि ने उसे 'पथाम् राजा' कहा है) देवीपुराण में राजमार्ग की चौड़ाई दस धनुष (६० फीट) बताई गयी है जिससे पदातियों, गजों, अश्वों एवं यानों के संचार में किसी प्रकार का व्याघात न पहुँचे। शुक्राचार्य जी महानगरियों एवं राजधानियों में छोटी-छोटी सड़कों—पद्याओं एवं वीथियों का निर्माण निषेध करते हैं। क्योंकि उनमें उस नगर की स्वच्छता, स्वास्थ्य एवं सफाई में व्याघात पहुँच सकता है। मार्गों का विनिवेश इस प्रकार हो कि उनकी सदैव प्राकृतिक स्वच्छता सम्पन्न होती रहे। विष्णु-संहिता (२३ अध्याय) में प्रवचन है कि सोम एवं सूर्य की किरणों तथा पवन का संचार सुकर होना चाहिये जिससे मार्ग शुद्ध रहे—'पन्थानश्च विशुद्ध्यति सोमसूर्याशुमास्तैः'। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी मार्ग-विन्यास पर प्रचुर संकेत हैं परन्तु शुक्राचार्य के राजमार्ग कौटिल्य के राजमार्गों की अपेक्षा अधिक विस्तीर्ण हैं। उत्तम, मध्यम एवं कनिष्ठ प्रमेद से राजमार्गों की चौड़ाई ४५, ३०, २२½ फीट होनी चाहिये। ब्रह्माड पुराण में देवीपुराण के ही सदृश मार्ग-विन्यास प्रवचन हैं। परन्तु ब्रह्माड के मार्ग बहुत ही चौड़े हैं। देवीपुराण के अनुसार दिशामार्ग (National Highways) १३५ फीट चौड़े होने चाहिये और ग्राम-मार्ग—जनपद मध्यमार्ग १२० फीट। सीमा-मार्ग

की चौड़ाई ६० फीट और राजमार्ग भी इतने ही चौड़े होने चाहिये । इसी प्रकार शाखा ग्यारहों ३२ फीट, उपरध्यायें ४५ ही फीट और छोटी गलियाँ (bye-lanes) केवल ३ फीट जंघापथ ४ फीट तथा दो गृहों का अन्तर ३ फीट बताया गया है ।

पद्यायें (फूट-पाथ)—

समराङ्गण के मार्ग-विन्यास में हमने देखा कि यान-मार्गों के दोनों ओर जंघापथों का निवेश अनिवार्य है । यान-मार्गों पर पदातियों के सुसंचार के लिये पद्यायों का होना परमावश्यक है । आधुनिक मार्ग-विन्यास में ये फूट-पाथ प्रायः सभी बड़ी सड़कों के दोनों ओर निविष्ट होते हैं । प्राचीन भारत की मार्ग-विन्यास योजना में पद्यायों का अभाव नहीं था (श्री वी० वी० दत्त को संदेह है कि सम्भवतः पद्यायें नहीं थीं— (cf. Town Planning in Ancient India p 133) ।

मार्ग-चतुष्पथ—

प्राचीन मार्ग-विन्यास में भी मार्ग-संगमों पर विशेष अन्तर (space) प्रदान करके वहाँ पर कोई न कोई सुन्दर वास्तु-कृति से उसकी शोभा बढ़ाई जाती थी । तिराहों और चौराहों—दोनों पर भी किसी न किसी वास्तुकृति के योग में ये संगम सुन्दर बनाये जाते थे । नन्द्यावर्त आदि वर्तुलाकार नगरों के मार्ग-संगम अटगहों का निर्माण करते थे । हरिवंश (विष्णु पर्व अ० ८८ तथा ८९) में द्वारावती के मार्ग-संगम का बड़ा ही सुन्दर वर्णन है । नगर की ८ बड़ी सड़कों का जहाँ पर संगम पड़ता था वहाँ १६ Cross Sections बनते थे जिनके अन्तरावकाशों पर सुन्दर-सन्निवेशों से पुर-शोभा प्रकल्पित की जाती थी । अत्रि-पुराण (अ० ६५) में निर्देश है कि ऐसे मार्गान्तरावकाशों पर सभाबृहत्तों अथवा नमा-मण्डपों का निर्माण करना चाहिये । इन चौराहों पर पर्यशालाओं, चत्वगों, जललोतों (फौव्यारों ?) का निवेश किया जाता था जिन्हें आजकल हम सभी महानगरियों (Metropolis) के चतुष्पथों की भव्य विशेषता के रूप में पाते हैं । चतुष्पथों पर दीप-स्तम्भों का न्यास भी प्रचलित था । यदि ये चौराहे पुर-केन्द्र में होते थे तो किमी देवालय ने इनकी सुषुमा बढ़ाई जाती थी । यह मन तभी होता है जब चाराहों की निवेश-व्यवस्था में भवन-मालिका का और चतुष्पथ में प्रचुर अवकाश (Scope) का ध्यान रखा जाये ।

इन चतुष्पथों के मध्य में एक मार्मिक तथ्य का और निर्देश मिलता है जिनमें आधुनिक मार्ग-संचार की वाम-व्यवस्था प्राचीनों के समय में भी प्रचलित थी—देना स्पष्ट हो जाता है । विष्णु-पुराण (भाग ३ अ० १२) में लिखा है—“प्रपनव्यं न गच्छेत् देवा गारचतुष्पथान्”—अर्थात् देवालय या चौराहे में अर्पणव्य (प्रपने वाम भाग में) नहीं चलना चाहिये । यह तभी समझ है जब पदाति वृन्द मड़क के बाएँ चले (Keep always to the left) ।

चतुष्पथों की यह वास्तु-भूषा (beautiful architectural design) जहाँ धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक एवं राजनैतिक (भी क्यों कि इन्हीं समारोहों के लिये

वैठकर पुरवासी अपने नगर की राजनीति एवं अन्य विषयों पर विचार-विमर्श करते थे) दृष्टिकोणों से बड़ी उपदेय थी, वहाँ मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी इनकी उपादेयता कम नहीं थी । पदातियों को चलते-चलते यत्र-तत्र सुषुमा के दर्शन से आर्यों को बड़ा आराम मिलता है । सम्मुखीन शोभा विशेष उपकारक होती है । इसके अतिरिक्त बड़े मार्गों के दोनों ओर शोभा एवं छाया हेतु सुन्दर पादपों का आरोपण किया जाता था । आम्र-वीथिया तथा माधवी लतायें विशेष रूप से लगायी जाती थीं ।

सम्भवतः इसी तथ्य के अनुरूप नगर के मध्य-अवकाश में राज-वेश्म का निवेश अभिप्रेत है जैसा कि सभी वास्तु-शास्त्रियों का आदेश है । राज-प्रसादों की वास्तु-शोभा दर्शनीय होती थी । राज-प्रसादों में निविष्ट उद्यान, पुष्पवीथियाँ, तोरण, लतामण्डप, कमल-पुष्कर आदि के दर्शन से पथिकों के नेत्रों को बड़ा सुन्दर पाथेय मिलता था ।

मार्ग की नालियाँ—

समराङ्गण ने साफ लिखा है (अ० १०. ५२) कि पुर में जलभ्रमों का निर्माण आवश्यक है । उनका प्रमाण दो हस्त (३ फीट) अथवा एक हस्त (१३ फीट) होना चाहिये । शिलाओं अथवा उनके अभाव में काष्ठ-पट्टिकाओं से ही सही सदैव उनको ढका रखना चाहिये । शुक्रनीति में भी नालियों की व्यवस्था के प्रवचन हैं (शु० नी० सा० अ० १) जिनमें यह भी निर्देश है कि मार्गों का मध्य कूर्म-पृष्ठ के समान प्रोन्नत होना चाहिये । श्रीयुत अय्यर महोदय अपने (Town Planning in Ancient Deccan pp.61-2) में लिखते हैं कि पुराने समय में जल-निर्गम की व्यवस्था का सम्बन्ध पाइप-लाइनों से प्रारम्भ होकर पुर की परिखाओं से मिलता था । अय्यर महोदय के मत में मार्गों पर कूड़ाघरों (dustbins) का भी प्रबन्ध था ।

अस्तु । इन सब विवरणों से यह निष्कर्ष निकालना असंगत न होगा कि प्राचीन पुर-निवेश में आजकल की प्रोन्नत मार्ग-विन्यास-प्रक्रिया के प्रचुर प्रदर्शन प्राप्त होते हैं ।



पुर-वसतियाँ (जाति-वर्णाधिवास)

पुर-निवेश चतुःपट्टि-पद-वास्तु पर प्रकल्पित होना चाहिये—यह पद-विन्यास की समीक्षा में संकेत किया जा चुका है। पद-विन्यास का साक्षात्सम्बंध नगर, की बसती में है—इस तथ्य का भी समुद्घाटन किया जा चुका है। अतः स० सू० के अनुसार नगर के निवेश में ६४ पद-वास्तु का प्रयोग होना चाहिये, अतः पदविन्यास की प्रधान रेखायें ही प्रायः मार्ग-विन्यास की पृष्ठ-भूमि बनाती हैं। रेखायें, मार्ग तथा रेखाओं में विभाजित ६४ पद (plots) नगर की निवेश्य भूमियाँ—उन्हें सुहृत्ते कहिये या ब्लॉक्स कहिये—विनिर्मित होती हैं। इस आधार-भूत सिद्धांत के अनुरूप इस पुर-निवेश की उत्तर पीठिका में तीनों अध्याय पद-विन्यास (३) मार्ग-विनिवेश (४) तथा पुरवसतियाँ (५) एक प्रकार से पद-विन्यास के ही क्रमिक विकास हैं।

वास्तुशास्त्रीय वसति सन्निवेश-मन्त्रधी निर्देश प्राचीन भारत एवं मध्याकालीन भारत के नगरों की वसतियों का क्या स्वरूप था—इस अतिमहत्वपूर्ण विषय का दर्पणवत् प्रतिबिम्ब प्रदान करते हैं। प्राचीन भारत का आर्य जीवन वर्णाश्रम-व्यवस्था के आधारभूत मानवीय सिद्धांतों से अनुप्राणित था, अतः नगर की वसती के स्वरूपनिर्धारण में वर्णाश्रम-व्यवस्था का आधार माना जाता था। ब्राह्मणों की वसति के लिये नगर का एक प्रमुख एवं विशिष्ट स्थान नियत था। इसी प्रकार इतरवर्णों के पद सुरक्षित थे। पुर के मध्य में राज-भवनों के साथ साथ जन-भवनों—सभा, पुरजनविहार, पुरदेवता-भवन आदि का संरक्षण प्राप्त था। अतः नगर की बसती की रूपरेखा में जाति एवं वर्ण का ही प्राधान्य था। अतएव सम्राज्य ने पुर की वसती के लिये 'जातिवर्णाधिवास'—इस पद का प्रयोग किया है—जातियों एवं वर्णों के अनुसार पुर की वसतियाँ—आवासभवनमालिका या सुहृत्ते विन्यस्त होते थे।

इसके अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीयता तथा अतर्देशीय व्यवस्था एवं वाणिज्य का यद्यपि सर्वथा अभाव नहीं था तथापि आजकल के समान उनका प्राधान्य नहीं था। अतः निर्विवाद है कि आजकल के समान औद्योगिक क्षेत्र (Industrial areas) तथा वाणिज्य-केंद्र (Commercial centres) मुद्रा-शालायें (Banks), कर्मशालायें, (Factories) वाष्प-चक्रागार (mills) आदि व्यावसायिक-भवनो के निवेश का प्रश्न नहीं उठता था। अथवा रेलगाड़ी आदि आधुनिक यातायात के माधनों के अभाव में रेलवे-स्टेशनों आदि की निवेश-योजना की समस्या भी नहीं थी। विभिन्न-देशीय दूतावासों (Embassies) का घृष्ट-विस्तार का भी प्रश्न नहीं उठता था। राजधानी नगर में देश-विदेश के राज-दूत राज-भवनों में ही सुरक्षित शालायों में रहते थे।

अतः निष्कर्ष यह निकलता है कि जाति-वर्णाधिरूप नगर की वसति योजना उस काल के लिये सर्वथा उपयुक्त थी और उसके द्वारा सामाजिक संगठन एवं सुन्दर-जीवन भी सम्पन्न था। 'जातिवर्णाधिवास' एक प्रकार से आजकल की औद्योगिक-व्यवस्था के मरुत ही

था—अन्तर केवल प्रकार का था, आकार का नहीं। सहयोगिता, सहकारिता, सह-व्यवसाय साहचर्य, पारस्परिक आदान-प्रदान एवं विचार-विमर्श के लिये एक ही वर्ण-जाति एवं व्यवसाय (पेशा) के लोग यदि एकत्र रहें तो अधिक संगत है और जीवन भी अधिक सुखद तथा शांतिमय बन सकता है। खिचड़ी की वसती कभी भी उपादेय नहीं बन सकती और न सामाजिक जीवन को सुसंयत एवं सुगठित बना सकती है। भारत के प्राचीन स्थपति इस मर्म को समझते थे, अतएव जाति-वर्णानुरूप वसति-व्यवस्था का पुरातन समय से ही इस देश में प्रचार रहा। प्राचीन भारत के इतिहासज्ञों से भारत का सहयोगी जीवन (Corporate life) छिपा नहीं। यहाँ पर यह भी संकेत आवश्यक है कि महानगरियों में इस प्रकार का जातिवर्णाधिवास संभव नहीं था, अतएव नगर के प्रमुख पद (sites) छोटे-छोटे नगरों (Cities in miniature) के रूप में परिणित हो जाते थे जिससे पारस्परिक आदान-प्रदान, व्यवहार, व्यवसाय एवं सहयोगिता में किसी प्रकार की अड़चन न पड़े।

अस्तु, इस किञ्चित्कर उपोद्धात के उपरांत स० सू० की पुर-वसती का क्या स्वरूप है—देखना चाहिये। उपर संकेत किया जा चुका है नगर-निवेश के पद-विन्यास में दिक्-साम्मुख्य एक अनिवार्य अंग था, अतः चार प्रधान दिशाओं को लेकर ही नगर की आवादी का रूप स्थिर किया गया है जिससे दिग्बेध न आपतित हो सके। दिशाओं एवं उपदिशाओं के अनुरूप स० सू० के अनुसार नगर की आवादी निम्नतालिका से निभालनीय है। प्रत्येक दिशा एवं उपदिशा का एक अधिपति देव है। उसी के नाम से ग्रंथ में विभिन्न पदों का संकीर्तन है जो पद-विन्यास के अनुरूप होना ही चाहिये:—

समरांगण-सूत्रधार

दिक्कोण	पुर-वसति
दक्षिणपूर्व (आग्नेय)	सुवर्णकार तथा अन्य बहिजीवी—लोहार, भड़भूँजे आदि, कर्मकार (कारीगर) एवं चतुरंगिणी सेना।
दक्षिण (याम्य)	वैश्य, अन्नधूर्त (जुवारी) कुम्हार अथवा गाड़ी ढोनेवाले (चक्रिक) नट, नर्तक एवं श्रेष्ठिगण तथा देश-महत्तर।
दक्षिण-पश्चिम (नैऋत्य)	सुअरपालने वाले (सौकरिक) पासी लोग, मेड़पालनेवाले गड-रिये (मेपीकार), बहेलिये (मृगच्छिद्र) तथा चिकवे, कैवर्तक (केवट) मञ्जुवे, मल्लाह, कहार आदि एवं दमनाधिकारी-चारडाल आदि
पश्चिम (वारुण)	रथवाहक एवं रथकार, आयुध-कुशल योद्धागण, कोणपाल, महा मात्य, आदेशिक एवं कारक (शिल्पकार) तथा नियामक आदि।
उत्तर पश्चिम (वायव्य)	कर्मज्ञानी (Public Works dept) तथा मजदूर लोग, गौरिडक सुराकार तथा सुरावेचनेवाले कलवाग एवं पुलिस के अफसर (दरटनाय) और नायक-गण—ऐसे अफसर।

उत्तर (कौवेर)	वतियों के आश्रम, ब्रह्मवर्तियों के आश्रम, ब्राह्मण, सभा-भवन, प्रपा (प्याऊ) एवं पुण्यशालाओं के साथ साथ पुणेहित, ज्योतिषी लोग भी ।
उत्तर-पूर्व (ऐशान्य)	श्री वेचनेवाले और फल वेचने वाले टि० इन लोगों की नख्खा सम्भवतः सर्वाधिक थी क्योंकि केवल इन्हीं से के लिये यह दिक्कोण सुगन्धित है ।
पूर्व (ऐन्द्र)	प्रधान राजकर्मचारी—मेनापति (बलाप्यन्त) राज-पुरोहित, महा-मात्य, राजा भी अपने विभिन्न-मोटिक निवेशों के साथ (देखिये स० सू० १५ 'राजनिवेश')

इस प्रकार इस तालिका से नगर की आयादी के पेशेवार विन्यास का उल्लेख किया गया, परन्तु जहाँ तक वर्णानुरूप वस्तुतियों की विन्यास-योजना का प्रश्न है उनके सम्बन्ध में समग्रज्ञान की प्रक्रिया निम्न तालिका से स्पष्ट है:—

वर्ण	दिग्मुख
ब्राह्मण	उत्तर
क्षत्रिय	पूर्व
वैश्य	दक्षिण
शूद्र	पश्चिम

टि० वैश्य-वृन्द (सामान्य दैनिक आवश्यकताओं के विक्रेता) भिषगाण (सभी लोगों के नाम आने वाले) तथा पुलिस एवं फौज (सभी की रक्षा करने वालों) का सभी दिशाओं एवं उपदिशाओं में निवेश अभीष्ट है.—

निधेया वणिजो वंशा सुगणाम्च पि चतुर्दिशम्
चतुर्दिशं विज्ञेयेण न्यापयित वलानि च ॥

अ० १०. १०१

प्रस्तु। समग्रज्ञानीय नगर निवेश की इस आयादी की रूप-रेखा से तत्कालीन शासन-व्यवस्था, समाज एवं कर्मचारी तथा कलाकार-एवं राज्याधिकारी—रज न्या

पर एक ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक सामग्री प्राप्त होती है जिसकी छानबीन यहा प्रासंगिक नहीं ।

एक विशेष ध्यान देने की बात इस आबादी में यह है कि यहाँ पर विभिन्न कोटिक वसतियां न तो धर्माश्रया हैं और न राजाश्रया । आगे अन्य ग्रन्थों की एतद्विषयक-सामग्री की तुलनात्मक समीक्षा में हम देखेंगे कि नगर की वसती का प्रधान केन्द्र-विन्दु राज-निवेश है अथवा कोई केन्द्रीय देवतायतन, सभा या मण्डप । सम्राज्जण की इस नगर-वसति-विन्यास-योजना को हम पूर्णरूप से जातिवर्णाधिवास (Folk planning) के रूप में ले सकते हैं । शुक्राचार्य का भी तो यही मत था—“सजातीयग्रहाणा समुदायेन पङ्कितः” । इस योजना में राजनिवेश का अभाव सर्वप्रथम समझ में नहीं आता, परन्तु इसी ग्रन्थ के राज-निवेश नामक १५वें अध्याय में प्रतिपादित राज-निवेश की पद्धति से यह सुतरा बोधगम्य हो जाता है कि राज-निवेश की योजना एक प्रकार से एक अलग योजना है जो राजधानी नगर अथवा ज्येष्ठ पुर की विशेषता है । राजनिवेश के लिये राजधानी-नगर का मध्य-भाग सुरक्षित रखवा जाता था जहा पर नगर के मध्य में उस नगर की योजना के ही समान एक नवीन योजना के द्वारा राजनिवेश की योजना सम्पन्न की जाती थी । सम्राज्जण-सूत्रधार महाराज भोज ऐसे अधीश्वर की कृति है । अथच पूर्वमध्यकालीन राजवैभव भी अपनी पूर्ण श्रीसम्पन्नता के लिये प्रसिद्ध था । अतः राज-भवन वास्तु-निवेश (Palace architecture) का अधिकृत ग्रन्थ सम्राज्जण को राज-निवेश का अन्य वसति-सन्निवेशों के समान प्रतिपादन करना अभिप्रेत नहीं है । राजनिवेश एक पूर्ण निवेश-योजना है जिस पर सविस्तर विवेचन भवन-पटल में द्रष्टव्य है । यह सत्य है कि राज निवेश पुर निवेश का पूरक अंग है । मध्यकाल मारुडलिक राजाओं में भरा हुआ था । अतः प्रायः सभी प्रमुख नगरिया किसी न किसी मण्डलेश्वर की राजधानी थीं । अतएव तत्कालीन पुर-निवेश-व्यवस्था में राजनिवेश एक अनिवार्य अंग हो गया था । अथच जैसा हमने नगर-विकास के अध्याय में देखा, जिस प्रकार बहुत से मन्दिर नगरों में परिणत हो गये उसी प्रकार बहुत से राज-भवन महानगरों के उदय में सहायक हुए ।

इस दृष्टिकोण से पुर की वसती की पूर्ण रूपरेखा के लिये राजनिवेश पर थोड़ा सा संकेत यहाँ पर भी वाञ्छनीय है । निम्नलिखित रेखा-चित्र से राज-वेश्म की स्थिति स्पष्ट है:—

उत्तर पश्चिम	उत्तर	उत्तर पूर्व
पश्चिम	राजवेश्म	पूर्व
दक्षिण पश्चिम	दक्षिण	दक्षिणपूर्व

अग्नि-पुराण

पुर-वसति

दिशा रक्ति	पूर्व-दिशा (आग्नेय)	दक्षिण (दाम्य)	दक्षिण-पश्चिम (नैऋत्य)	पश्चिम (वाक्प)	उत्तर-पश्चिम (वायव्य)	उत्तर (कोवि)	उत्तर पूर्व (ऐशान्य)	पूर्व (वैश्व)
प्रथम	मुख्योत्तर	शूल-शूलिक मूर्तक, गायक पत्र गणितान्ये	नट (Stage manager — Datta) चक्रिक (गणितान) तथा केवर्त (महुरवे) आदि	रथकार, आयुध- कार तथा रुपाणकार	शौचिक (फलवार) कर्मधिकारी (P. W. D.) तथा मजदूर	ब्राह्मण, यती, भिक्षु एवं पुण्यवान्	फल के बेचने वाले एवं वणिक्जन (पंजारी)	बाजार
द्वितीय	दक्षिण उत्तर— चतुर्दिगी सेना —पश्चिम प्रसर, रथ, गज (छात्री)	वेश्याओं के विरीकार	कारपुर— भयुधर (वीरदान)	महामाल्य, कोपपाल तथा कारक (कारीगर-शिल्पी)	दण्डनाथ (जज लोग) तथा भद्र नागरिक तथा द्विजमुख्य			बलाध्यक्ष
तृतीय	पूर्व दक्षिण		पश्चिम शुद्ध	उत्तर ब्राह्मण			दक्षिण वैश्य	

कृ० प० १७२ का दूसरा पैग

दि०—वेप, वणिक् तथा बल अर्थात् सेना चारी दिग्वाच्यो मे।

पद-विन्यास की समीक्षा में निर्देश किया जा चुका है कि राजवेश्म का निवेश ८१ पद-वास्तु पर आदिष्ट है। अतः ८१ पद-वास्तु का 'नवपदिक' 'ब्राह्मपद' मध्य-भाग (केन्द्र) बनता है। उमी पर राज निवेश की योजना बनानी चाहिये। राज-निवेश के कौन कौन से अंग हैं? कौन सी भवनवीथिया एवं शालाये तथा कक्ष्यायें कहाँ कहाँ निविष्ट करना चाहिये? गजदरवार (आम तथा खास) कहाँ होने चाहिये? वाजिशालायें, गजशालायें तथा राज्याधिकारियों एवं राजपरिवार के लोगों के भवन वैसे और कहा बनाने चाहिये? अथवा कौन सी वास्तु-भूषाये एवं रक्षा-व्यवस्थायें करनी चाहिये? इन सब पर विवेचन 'भवन' पटल (राजवेश्म) में किया गया है।)

समराङ्गण की पुर-वसति का जो स्वरूप ऊपर प्रस्तुत किया गया है वह अग्नि-पुराण की पुर-वसति से मिलती जुलती है। अग्निपुराण में भी राजवेश्म का पुर-वसति-विन्यास में निर्देश नहीं है। जाति एवं वर्ण के अनुरूप—पेशेवार पुर वसति ही अग्नि-पुराण को भी अभीष्ट है। तुलनात्मक अध्ययन के लिये अग्नि-पुराण की पुर-वसति वाम-पर्यन्तस्थ रेखा-चित्र (पृ० १७१) में अवलोकनीय है।

अग्नि-पुराण के अनुसार नगर के 'वाह्य-भाग' में पूर्व की ओर चर-लिंगी (प्रह्वन्न राजकीय दूत) दक्षिण की ओर श्मशान, पश्चिम में पशुवाड़े—गौशालायें (डेरी-फार्मस) एवं उत्तर में कृषिकर्ता—किसानों की वस्तियों (वे किसान जो नगर के वाह्य भूमि-प्रदेश पर शाक एवं फल आदि पैदा करते थे, जैसा कि आजकल भी सभी नगरों एवं महानगरों के ऐसे प्रदेशों पर (Outskirts) पर देखा जाता है।)

नगर की वस्ती का जाति-वर्णानुरूप-विन्यास नगर निवेश का सर्वप्रसिद्ध सिद्धान्त होते हुए भी इसकी अन्य कई विभिन्न परिपाटियाँ प्रचलित थीं जिनका थोड़ा सा निर्देश आवश्यक है।

कौटिल्य के अर्थशास्त्र में नगर की वस्ती का आधार मार्ग-विनिवेश था। नगर-मापन एवं परिखेयी भूमि की प्रकल्पना के उपरान्त पश्चिम से पूर्व तथा दक्षिण से उत्तर तीन-तन राजमार्गों (बड़ी सड़कों) का निवेश करना चाहिये। पुनः मध्य में उत्तराभिमुखीन अथवा पूर्वाभिमुखीन नवपदिक-राज-निवेश (देखो पीछे समराङ्गण की पुरवसति में प्रदत्त राज-निवेश का रेखा-चित्र) करना चाहिये। पुनश्च राज-भवन को निवेश-विन्दु (Unit) मानकर उत्तर से अन्य वसतियों का निवेश प्रारम्भ करना चाहिये।

कौटिल्य की दुर्ग अथवा नगर क सम्बन्ध में जिस आवादी का संक्षिप्त स्वरूप हमें 'अर्थ-शास्त्र' में देखने को मिलता है उससे हम वह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि उस सुदूर अतीत में भी भारत का नगर-निवेश अति समृद्ध एवं वैज्ञानिक था। कौटिलीय नगर-निवेश में वार्मिक कर्मकाण्ड अथवा तत्परतीक पद-विन्यास का चिलकुज संवर्तित नहीं अतः नगर-निवेश की यह Secular Planning एक मात्र आधुनिक ही नहीं कही जा सकती। निम्न तालिका में कौटिलीय अर्थ-शास्त्र की पुर-वसति के हम दर्शन कर सकते हैं:—

कौटिल्य-अर्थशास्त्र

दुर्ग अथवा पुर-वमति

पूर्व	गन्ध, माल्य, धान्य एवं रत्न के व्यापारी, प्रधान कारूक (कारीगर-शिल्पी) एवं कन्निय ।
पूर्वोत्तर उत्तर पूर्व	श्राचार्य, पुरोहित, यज्ञस्थान, जलस्थान एवं श्रमात्यवृन्द । राजकीय खजाना तथा गौशालायें एवं श्रध्दशालायें ।
उत्तर	नगर-गज-देवता (Tutelary deity) का मन्दिर । लोदार, जौहरी तथा ब्राह्मण लोग ।
पश्चिमोत्तर उत्तर-पश्चिम	दानशालायें एवं रथशालायें । दूकानें तथा अस्पताल ।
पश्चिम	सूत-तागे, ऊन, वास की चटाइयाँ चमड़े एवं शत्रो एवं मोजों के बनानेवाले शिल्पी—कारीगर लोग तथा शूद्र लोग ।
दक्षिण-पश्चिम पश्चिम दक्षिण	बर्नीपधि-भारडागार, आयुधागार । गर्दभशालायें, उष्ट्रशालायें एवं गुप्तियाँ एवं कर्मशालायें (फैक्टरियाँ) ।
दक्षिण	नगराध्यक्ष, धान्याध्यक्ष, व्यावहारिकाध्यक्ष (Suprintendent of Commerce) एवं बलाध्यक्ष तथा पक्वान्न, सुग, मास आदि भोज्यों एवं पेयों के व्यापारी तथा रूप से जीनेवालों (कमानेवाली) वैश्यायें गायनगण एवं वैश्य-वृन्द भी ।
पूर्व-दक्षिण दक्षिण-पूर्व	राजकीय भोजनशाला एवं महानस, गजशाला, कोशगार भारडागार-खजाना, एकाउन्टेन्ट का दफ्तर, कर्मशालायें, रूप से जीविकोपार्जन करनेवाली वैश्यायें, गायनगण एवं वैश्य वृन्द ।

टि० १—श्रेणियों (Guilds) तथा प्रवहणियों (Corporations) एवं निवाय (मजदूर) प्रायः सर्वत्र बनाये जायें ।

टि० २—प्रत्येक दस घर के लिये एक कूप होना चाहिये ।

टि० ३—पुर के दक्षिण में उच्च जातियों के लिये श्मशान तथा पुर के पूर्व अथवा उत्तर में सर्वसाधारण श्मशान । चारदाल एवं पाषण्डियों के निवास श्मशानान्त दत्ताया गया है ।

कौटिल्य की नगर-व्यवस्था के रत्न स्वरूप में मार्ग-विनियोग एवं गज-विनियोग का प्राम्थन स्थान है । पुर-विनियोग का उच्च निवेश पञ्जति में कोई निर्देश न करनी । रत्नका उच्च स्थान है— रत्न पर प्राण कमीक्षा होती । पहले सभी श्वन् प्राचार्यों की कर्मनी भी देखें ।

प्रजातन्त्र-नारी शुक्राचार्य की नगर-व्यवस्था का प्रारम्भ 'सभा' में सम्पादन करते हैं ।

राजधानी नगर के मध्य में सभा-भवन का सर्व प्रथम न्यास शुक्र की मंत्र-प्रतिष्ठा का परिचायक है। अथच राज-भवन की प्रतिष्ठा सभा-भवन के मध्य में बताई गयी है—
“राजगृहं सभामध्यम्” ।

शुक्राचार्य की नगर-वसति की तालिका न देकर इतना ही इंगित पर्याप्त होगा कि शुक्र के अनुसार आवादी की निवेश-योजना में पद एवं प्रतिष्ठा सर्वाधिक महत्व रखती है। जितना ही अधिक प्रतिष्ठित वर्ग होगा उतना ही अधिक सान्निध्य उसका राजमहल से होगा। पुनश्च आवादी काफी खुली होनी चाहिये। राज-प्रासाद से कम से कम १५० फीट का फ़ैसला छोड़कर ही इन प्रतिष्ठितों की आवादी प्रारम्भ करना चाहिये। सैन्य-विन्यास में भी प्रतिष्ठा का माध्यम अनुकरणीय है।

नगर की इन विभिन्न-कोटिक वसतियों में जो सर्वसाधारण विशेषता है वह यह कि इनमें पद-विन्यास का क्रम नहीं पाया जाता है। अतः पद-विन्यास पर पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित नगर-वसति का एक उदाहरण देकर इस स्तम्भ से अग्रसर होना चाहिये। मानसार एवं मयमत इस दृष्टि कोण से आदर्श ग्रंथ हैं। मयमत के अनुसार पदविन्यास पर प्रतिष्ठित पुर-वसति को हम निम्न रूप से समझ सकते हैं:—

मयमत-पुर-वसति

यह प्रथम ही संकेत किया जा चुका है कि मयमत एवं मानसार की पुर-वसति पद-विन्यास पर आधारित है। अतः मयमत की इस पुर वसति को पूर्ण रूप से समझने के लिये पाठक को पूर्व-प्रतिपादित एकाशीति-पद-वास्तु अथवा चतुष्पष्टि-पद-वास्तु के रेखचित्रों को दृष्टि में रखना चाहिये तभी मयमतीय वसति विन्यास विशेष बोधगम्य हो सकेगा।

विभिन्न आचार्यों की पुर-वसति के केन्द्र-विन्दुओं पर हम दृष्टिपात कर चुके हैं। शुक्र की सभा एवं कौटिल्य का राजवेश्म पुर वसति के केन्द्र-विन्दु थे—मयमुनि का केंद्र विन्दु है आपणक अर्थात् पर्यवधीयों:—

“तत्र कुटुम्बावजिकं वक्ष्येऽहं चान्तरापणकम्”

अतएव पुर-वसति-विन्यास में रथपथ पर वणिगजनों की श्रेणी—सभी प्रकार के घस्तु-जात बेचनेवाले वैश्यों के घरों का प्रथम सकीर्तन किया गया है। सौदागरो के वाद जुलाहो का नंबर आता है। इन तन्तुवायो की गृहश्रेणी वैश्यवृन्द के घरों के दायी ओर होनी चाहिये। दायी ओर अर्थात् उत्तर दिशा में चक्रिक—गाड़ीवानों की वसती विहित है। रथपथो के ही दायें-बायें विभिन्न-कोटिक कर्मोपजीवियों, शिल्पियों, कारीगरों, लोहारों आदि की वसतियाँ विहित हैं।

ब्राह्मपद - (पुर के मध्यभाग) के चतुर्दिक् दोहती हुई सड़कों पर अन्तरापणक वाम वीथियों की प्रकल्पना करनी चाहिये। परन्तु इन अन्तरापणकों की विगेपता यह है कि इनमें फलों एवं ताम्बूल की दूकानों की ही बहुतायत होगी।

दूसी प्रकार ईशान से लेकर महेन्द्र तक के पुर-पदों (town blocks) पर मत्स्य, मास, शुष्क गाऊ आदि की दूकानों का निवेश विहित है। पुनः महेन्द्र पदसे बढ़िये और आग्नेय-पद तक उन दूकानों का विन्यास होना चाहिये जहाँ पर भक्ष्य एवं भोज्य पदार्थों की विक्री होती हो। आग्नेय-पद से आगे गृहज्ञत के पद तक वर्तनों एवं भागड़ों के भाण्डागार

विन्यस्त होने चाहिये। गृहक्षत से निम्नरुति तक पीतल और काँसे की दूकानें होनी चाहिये। पितृगण से पुष्पदन्त तक वस्त्रों के व्यवसाय के लिये पर्यवीथियों मजी हों। पुष्पदन्त से वायु तक के पदावकाश पर धान्य एवं तरडुलो का आपणक फैला हो। वायु से भट्टार तक दर्जियाँ की दूकानों के साथ-साथ लवण एवं तैल के व्यापारियों के पर्य प्रसरित हों। पुनः आगे बढ़िये और ईश तक गन्धियों—अचारों की दूकानें तो हों ही साथ ही साथ पुष्पों की विपणियों की भी वहाँ भग्मार हो।

इस प्रकार मयमतीय नगर की वसति-विन्यास के मध्यमावकाश के चतुर्दिक् बाहर की ओर ढँडने वाले मार्गों पर प्रतिष्ठित नवसंख्यक अन्तरापरण-वीथियों के वरान के उपरान्त आभ्यन्तरिक पथों पर उन पर्यगालात्रों का निवेश अभिप्रेत है जहाँ पर बहुमूल्य मूल, स्वर्ण, रेशमी वस्त्र आदि एवं रम, आसव तथा मञ्जिष्ठा, मिर्च, पीपल, हल्दी, मधु, घृत, तैल आदि नानाविध वस्तुजात का क्रय-विक्रय अभिप्रेत है।

मयमतीय पुर-वसति में देव वसति का भी पूर्ण संकीर्तन है, जिसका संज्ञेत 'देव-तायन' नामक दूरसे अध्याय में होगा। विशेष ध्यान देने की बात यह है कि मयमत सभी जातियों एवं वर्गों की भवनमालिका के लिये सभी दिशाओं पर स्वतन्त्रता प्रदान करता है। इस प्रकार का निर्वाध जातिवर्णाधिवाम अन्वय अत्राप्य है। हाँ जहाँ तक चरडालों और धोवियों की वसतियों (कुटीरों) का प्रश्न है वह पुर के पूर्व में प्रधान वसति से लगभग दो सौ दण्ड की दूरी पर वतायी गयी है जो एक प्रकार पुर-गमीपक शाखानगर (branch town) अथवा पुर-पार्श्वक ग्राम के रूप में परिकल्पित हो सकता है।

जातिवर्णाधिवसत का यह निर्वाध क्रम मयमत के ग्राम-वसति-विन्यास में भी पाया जाता है। यद्यपि मयमत की पुर-वसति की अपेक्षा ग्राम-वसति में जातिवर्णाधिवाम के क्रम (Zoning) के लिये भी पूर्ण संकेत है तथापि मयमुनि का वसति-स्वातंत्र्य के प्रति विशेष अभिनिवेश दिग्दर्श पड़ता है। वास्तु-शान्तीय इसी उदारदृष्टि ने प्रसिद्ध महानगरों (Cosmopolitan Cities) का उदय हुआ।

मयमत के ग्राम-विन्यास का भी आधार पद-विन्यास है। ८१, ६४ अथवा ४६ पद वाले वास्तु-पद-प्रकल्पन के उपरान्त ग्राम को पुनः ब्राह्म, दैविक, मानुष एवं पैशाच इन चार अटे-बड़े पदों (zones) में विभक्त करना चाहिये। ब्राह्मपद पर ब्रह्मा का मन्दिर निर्मित करना चाहिये तथा दैविक एवं मानुष पदों पर ब्राह्मणों की वसति-मालिका (rows of houses) प्रतिष्ठित होनी चाहिये। मिलियों तथा कर्मकारों की वसति के लिये पैशाच पद अभिप्रेत है।

इसी प्रकार नगर-जीवन के सुसंस्कृत एवं सुसम्पन्न नानाविध उपरगणों—उभयमण्डप आश्रम, सान्नेश्रम, कार्या, तक्षान, पुष्पज्ञान आदि आदि सभी उदात्त भवनों का ग्राम-विन्यास में भी आदेश है। इनके अतिरिक्त पशुगालात्रों के पद सुसन्निभे। वैश्यों, गृहोत्तरीयों, नाथियों, गजों, (masons-architects) दार्शनिकों, महारुद्रा, गाड़ीवानों, चित्तवों आदि की ग्रामीर वसति-विन्यास पुर-वसति के ही स्वरूप है। धोवियों और गहलकों की वसति तथापुर्न ग्राम के बाहर विहित है।

नाम की इस अरुदन्त मन्दिर वसति-विन्यास (म० ग० ६वा ७०) पदपर मा

कहना सर्वथा संगत ही है कि यह तो पुर-वसति से भी बढ़ गयी है। इसका क्या रहस्य है ? प्राचीन भारत में ग्राम ही वसति-केन्द्र थे। स्वच्छन्द-जीवन के लिये ग्राम ही सर्व-विध सुविधा प्रदान करते थे। नगरों का निर्माण या तो राजनैतिक परिस्थितियों से अथवा व्यावसायिक आवश्यकताओं के कारण ही हुआ। अतः आजकल की तरह नगरों की भरमार नहीं थी। प्राचीन काल के ग्राम आधुनिक नगरों से कम न थे। अन्यथा ग्रामीय-वसति का इतना सुन्दर एवं सुसमृद्ध स्वरूप देखने को न मिलता।

कौटिल्य के अर्थशास्त्र तथा माकण्डेय-पुराण के अनुसार तो ग्रामों में केवल शूद्र अथवा कृषक ही रहते थे—यह मत सत्य नहीं। प्राचीन-काल में तथा पूर्व मध्य-काल में भी ऐसे बहुसंख्यक निर्देश मिलते हैं एवं प्रमाण प्राप्त होते हैं जिनसे यह धारणा गलत साबित होती है। महाकवि वाणभट्ट के ब्राह्मणाधिवास ग्राम का संकेत किया ही जा चुका है। मयमत में ग्राम के प्रकार-प्रभेद पर वसति-प्रकार एवं वसति-संख्या (Population) का माप दरबद स्वीकार किया गया है। मयमत (देखों ६वाँ अ०) के अनुसार एक उत्तम ग्राम के तीन प्रभेद हैं—उत्तमोत्तम जहाँ पर १२००० ब्राह्मण रहते हैं, उत्तम-मध्यम जहाँ पर १०००० ब्राह्मण रहते हैं, उत्तमाधम—में ८००० ब्राह्मण। ग्रामों की यह ब्राह्मण-वसति एवं उनकी संख्या पूर्वप्रतिपादित मत का पूर्ण समर्थन करती है। अथच मानसार एवं मयमत में विभाजित विभिन्न-वर्गीय ग्रामों की विशेषता में वसति के प्रकार-भेद का ही मूलाधार है।

इस प्रकार विभिन्न-कौटिक पुर-वसतियों की इस साधारण समीक्षा के उपरान्त अब अन्त में जिस तथ्य की ओर (जिसपर हम संकेत कर आये हैं) ध्यान देना है वह यह है कि प्रायः सभी प्राचीन शिल्प-श्लाखीय ग्रन्थों में (मयमत, मानसार आदि) पुर-वसति पद-विन्यास पर आधारित है। परन्तु कौटिलीय अर्थशास्त्र, शुकनीतिसार, अग्नि पुराण एवं समराङ्गण में भी पद-विन्यास का कोई संकेत नहीं है। हम पहले ही कह आये हैं कि पद-विन्यास एक प्रकार की विभाजन-प्रणाली है। अतः नगर की आवादी के लिये जिस किसी भी प्रणाली का अनुगमन होगा वह एक प्रकार का पद-विन्यास ही है—उसे देवनामों से संकीर्तन करें अथवा दिङ्मुखों से—सब एक ही बात है। दत्त महाशय ने (T P, in Ancient India p. 149 F N.) में यह आकृत किया है कि सम्भवतः हम द्विविध वसति-पद्धति से वास्तु-विद्या की दो परम्पराओं (Schools) पर प्रकाश पड़ता है—वह लेखक की समझ में विशेष नहीं जँचता। मयमत का पद-विन्यास, कौटिल्य का मार्ग-विन्यास, समराङ्गण एवं अग्नि-पुराण का दिङ् विन्यास—सभी एक ही तथ्य की ओर संकेत करते हैं कि पुरवसति-विन्यास से प्रथम पुर को विभिन्नकौटिक पदो-भागों (divisions plots, sites) अथवा मुहल्लों में बाँट देना चाहिये। तदुपरात किस मुहल्ले में किस की वसति अथवा प्रतिष्ठा अभिप्रेत है उसका सम्पादन करना चाहिये। आज भी सभी नगर मुहल्लों में बँटे हैं। यही आधुनिक नगर-निवेश पद्धति में जोनिंग-प्रक्रिया के नाम से पुकारा जाता है। अतः एक शब्द में यह कहना ठीक ही होगा कि प्राचीनों के इसी पद-विन्यास की आधार गिला पर आज कल का अत्यन्त उदीयमान नगर-निवेश खड़ा है।

देवतायतन—मण्डप एवं आरामोद्यानादि—पुरजन-विहार

(अ) देवतायतन

भारत की मानवता देवों की आराधना में विकसी । विगन्तन ने हम देज में अपरोक्ष शक्ति की उपासना में ही जीवन की सार्थकता समझी गयी । देव-भावना कहिये—अध्यात्म कहिये, सनातन ने इस देश की संस्कृति की सर्वप्रमुख विशेषता रही । देव-पूजा का कब उद्गम हुआ, कैसा उसका विकास पनपा—पूजा-पद्धति, पूज्य देवों की पगपग आदि पर प्रतिमा-पटल की पूर्व-पीठिका में विशेष विवेचन मिलेगा ।

पुर-निवेश की बहुमुखी-योजना में पुर में देवतायतन-विधान प्राचीन पुर-निवेश का अति महत्वपूर्ण अंग है । वास्तुशास्त्र के नभी ग्रंथों में इस विषय की अवतारणा की गयी है । सम्राट्त्वण में भी इस विषय की पूरी सामग्री है । ईसा से कई सौ वर्ष पूर्व लिखे गये कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी नगर में निवेश्य देवतायतनों एवं देवों पर प्रवचन मिलते हैं । अतः यह परम्परा काफी प्राचीन है—इस में सन्देह नहीं । तथापि इतना तो स्पष्ट न कहा जा सकता है कि देवतायतन-परम्परा पौराणिक पगपग है । वैदिकयुग यागोपनिषद्-काल था । व्यक्तिगत-पूजा (Individual worship) उन काल की प्रधान विशेषता थी । उच्च-वैदिक काल में उपनिषदों के ब्रह्मज्ञान की ज्योति ने इतना चमत्कार प्रकाश किया कि यज्ञधर्म भी तुच्छ समझ गया । मन्वजान—ब्रह्मज्ञान—प्रात्मज्ञान ही उपासना एवं चिन्ता का पगम विषय बना ।

मानवादिनों के अनुगत पगने चलकर प्रतिमा-पूजा पर मात्र पगों के निर्देश ही उचित समझी गयी । परन्तु जद यौतों के वैदिक धर्म के बलिष्ठा ने मानियों की भाषिक

आँखें भी खुलीं तो उन्हें धर्म में एक नवीन परिवर्तन (A new orientation) करना अनिवार्य हो गया । पुराणों की रचना इस मर्म का परिणाम है । ब्रह्मज्ञान साधारण जनो की न तो समझ में ही आ सकता है, न प्राप्य ही और न अभ्यसनीय ही है । अतः कोई मध्यम मार्ग चाहिये । अतः 'एकं सद् विप्राः बहुधा वदन्ति' की वेदवणी ने ही इस संक्राति के समय में भी नवीन ज्योति प्रदान की । मन्दिर-निर्माण एवं देव-पूजा के अभ्रंलिह प्रासाद की यही आधार-शिला थी । सामूहिक-पूजा-परम्परा (Congregational worship) के श्रीगणेश में तीर्थ-स्थानों एवं प्रसिद्ध मन्दिरों ने बड़ा योग दिया ।

देवतायतन-निर्माण एवं देव-पूजा की परम्परा, यद्यपि जैसा ऊपर संकेत किया जा चुका है, काफी प्राचीन है तथापि देवों का विकास एककालिक नहीं । जो देव दो हजार वर्ष पूर्व विशेष उपास्य थे वे ही कालांतर में दूसरे देवों से दब गये और दूसरों ने उनका स्थान ग्रहण कर लिया । पूर्व मध्यकाल में ब्रह्मा का बोलबाला । विष्णु और शिव भी कम प्रसिद्ध न थे । त्रिदेवोपासना ही सर्वाधिक प्रचलित थी ।

ब्रह्मा, विष्णु, एवं शिव के अतिरिक्त और भी बहुत से देव एवं देवियाँ थीं जिनके मन्दिरों की प्रतिष्ठा प्रचलित थी । परन्तु विभिन्नकालीन वास्तुग्रंथों में जो एतद्विषयक सामग्री मिलती है उस से देवों एवं देवियों के उत्थान-पतन की एक रोचक कहानी बनती है । सच तो यह है कि देवों का यह उत्थान-पतन तुलनात्मक पुराण-शास्त्र (Comparative Mythology) का एक रोचक विषय है ।

अस्तु । इस उपोद्घात के अनन्तर समराङ्गण के अनुरूप नगर के देव एवं देवतायतन की प्रतिष्ठा-मीमांसा करनी है । देवतायतन न केवल नगर के मध्य अथवा अभ्यन्तर ही निविष्ट किये जाते थे उनकी एक बड़ी संख्या पुर के बाह्य प्रदेश पर निवेशनीय प्रतिपादित की गयी । आज भी यत्र-तत्र सर्वत्र विशेषकर ग्रामों में जो मन्दिर देखने को मिलते हैं वे ग्राम के बाहर ही प्रतिष्ठित हैं । यह ठीक भी है । समराङ्गण में नगर-मध्य देवतायतनों में ब्रह्म मंदिर ही विशेष उल्लेखनीय हैं अन्यथा अन्य देवों के मंदिर पुर के बाह्य भाग पर ही निविष्ट होने चाहिये—ऐसा आदेश है । निम्नतालिका पर एक दृष्टिपात नगर के सभी देवों का दर्शन कर सकती है:—

टि:—वसति-पन्निवेश के नमान ही देवतायतन-निवेश का आधार दिक्कामुख्य एवं पुर-नाम्मुख्य था । दिग्गात्रों एवं उपदिशात्रों में ही मन्दिर भी निविष्ट होते थे । विदिगायें वर्जित थीं ।

पुर-देवतायतन

(स०सू०)

पुर-भाग	दिशाएँ	देववर्ग
बाह्य	पूर्व	विष्णु, सूर्य, इन्द्र, धर्मगज के निकेतन
	दक्षिणपूर्व	सनत्कुमार, नावित्री, मरुद्-गण, मरुति (हनुमान्) के निकेतन
	दक्षिण	गणेश, मातायें, भूत एवं प्रेतपति यमगज के ग्रह
	दक्षिण पश्चिम	भद्रकाली का मन्दिर एवं पितृ-गणों के चैत्य ।
	पश्चिम	सागर, नदियाँ (गंगा आदि) जलदेव—वरुण, विश्वरमा के निलय ।
	पश्चिमउत्तर	फणियों के भवन, शनैश्चर और कात्यायनी के मन्दिर
	उत्तर	विशाल, स्कन्द, नोम, कुबेर के प्रासाद
	उत्तरपूर्व	जगद्गुरु महेश, लक्ष्मी और अग्नि के मनोगम मन्दिर
अभ्यन्तर		ब्रह्मा का मन्दिर पुरमध्य में । पुर के मध्य में ब्राह्म मन्दिर के प्रतिरिक्त इन्द्र, बलराम एवं कृष्ण के भी मन्दिर बनाना चाहिये । वैसे तो न० सू० का निर्देश है जिस प्रकार नगर के बाहर बने ही पुराभ्यन्तर भी प्रानी प्रानी दिशाओं में देवों की प्रतिष्ठा की जा सकती है ।

पुर-निवेश में समग्रज्ञान की वेत्तयतन-व्यवस्था में एक ही महत्त्व और देय है जिनका उल्लेख करना आवश्यक है । पुर के सभी गृहस्थानियों के लिये जगत् का पञ्चाशदशेस यह है कि लक्ष्मी और वैश्वण (कुबेर) की प्रतिमाएँ प्रत्येक भवन के प्रथम द्वार पर व्यवस्था निश्चय करना चाहिये । अग्नि पुराण का भी ऐसा ही निर्देश है । नगर एवं नागमित्री के सम्बन्ध के लिये यह प्रतिपाद व्यवस्था है ।

दूसरा महत्त्व यह है कि शिलालिपियों की स्थापना नगराभ्यन्तर वर्जित है । उनसे नगर के बाहर एकत्र स्थान पर प्रतिष्ठापित करना चाहिये । ये निगममान नगर की

पश्चिम दिशा में हों। श्मशान एवं श्मशानस्थ लिंगों की प्रतिष्ठा के लिये नगर की दक्षिण दिशा बताई गयी है। तीसरे माताओं, यक्षगण, शिविकगण एवं भूतसंघ के मंदिर नहीं बनाने चाहिये। उनकी प्रतिष्ठा चबूतरों पर उचित है। यह परम्परा देश के प्रत्येक नगर, ग्राम एवं कस्बे में आज भी हूबहू वैसी ही पाई जाती है।

देवतायतन-निवेश के संबंध में समराङ्गण का एक महत्वपूर्ण प्रवचन यह है कि एक ही देव के बहुत से मन्दिर नहीं बनाने चाहिये। इस नियम का उल्लंघन अनर्थकारक है (अ० १०.१३५-४०)। रुद्र, सोम अथवा ब्रह्मा के एक एक प्रासाद होने पर यदि दूसरे और विनिर्मित होते हैं तो अग्रजन्मा ब्राह्मणों को पीडा प्राप्त होती है। वह्नि एवं बृहस्पति के अधिक मंदिरों से पुरोहितो एवं ज्योतिर्विदों को भ्रुव भय उत्पन्न होता है। इसी प्रकार कुवेर, इन्द्र, वरुण तथा यम के अधिक प्रासादों की विरचना से राजा को मय-प्राप्ति निश्चित है। देव-सेनानी स्कन्द (कार्तिकेय) के अधिक मन्दिर से सेनापति एवं सैन्य की पीडा निश्चित है। प्रजापति एवं विष्णु के एकाधिक प्रासाद से प्रासाद-कारक (यजमान) एवं प्रासाद-कर्ता स्थपति—दोनों ही बन्धन एवं नाश को प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार अन्य देवों की गाथा है।

देवतायतन-प्रतिष्ठा नगराभिमुख अनिवार्य है। पुर से दूर दिशाओं में भी यदि कोई मन्दिर प्रतिष्ठित है तो उसे भी नगराभिमुख ही होना चाहिये। पराङ्मुख देव प्रतिष्ठित हैं। यदि गलती से देव पराङ्मुखता आपतित हो गयी है तो फिर शान्तिक-विधि अनिवार्य है। मन्दिर की उस दीवाल पर जो नगराभिमुख है, पराङ्मुखीन देव की चित्र प्रतिमा बनाकर नगराभिमुख करनी चाहिये। परन्तु यह विधान केवल अर्चाश्रित देवों के सम्बन्ध में है। जो आलेख्यवर्ती हैं अथच जिनका एक मात्र चित्रण ही प्रयोजन है उनकी सम्मुखता अथवा पराङ्मुखता पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं।

इस सम्बन्ध में समराङ्गण का दूसरा आदेश यह है कि जिन देवालयों की प्रतिष्ठा प्राची में हो उनके मुख प्रतीची की ओर हो, जो प्रतीची में हो उनके मुख प्राची की ओर करने चाहिये। परन्तु दक्षिण दिशा में स्थापित देवालय उत्तर की ओर नहीं होने चाहिये (अ० १०.११२-१३)

पुर के भीतर और बाहर इसी प्रकार की देव-वसति प्रायः सभी वास्तु-शास्त्रीय ग्रंथों में निर्दिष्ट है। अन्तर केवल इतना है कि इन विभिन्न ग्रंथों में विभिन्न देववर्ग देखने को मिलते हैं अथवा किन्हीं में कुछ देवों के प्रति विशेष अभिनिवेश दिखाई पड़ता है और किन्हीं में कम। देवों के इस उत्थान-तपन की रोचक कहानी पर प्रतिमा-पटल में विशेष चर्चा होगी। यहाँ पर एक दो उदाहरण देकर इस स्तम्भ से आगे बढ़ना ठीक होगा।

जिस प्रकार से समराङ्गण और अग्निपुराण की नगर-वसति का साम्य देखने को मिलता है, वैसे ही देव-वसति भी टांनों की प्रायः समान है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में अपराजित, अप्रतिहत, जयन्त, वैजयन्त, शिव, वैश्रवण, अश्विन एवं विष्णु—‘श्रीमंदिर-गृह’—विष्णु गृह, न कि ‘श्रीमदिरागृह’ जैसा कि डा० शामशास्त्री ने अनुवाद किया है— देखो Datta's पृष्ठ १५१)। ये नामें समराङ्गण अथवा अग्निपुराण के नाम से सर्वथा विलक्षण हैं। लगभग डेढ़ हजार वर्षों में ऐसा देव-विक्रम अथवा देव-ह्वाम संगत ही है।

अन्य रीतियों में भी इसी प्रकार की विभिन्नता है। मरम्मत में दुर्गा एवं गजसुत-तटनी की प्रतिष्ठा पर विशेष अभिनिवेश है। मानमार में त्रिदेव—ब्रह्मा, विष्णु, महेश की प्रतिष्ठा पर विशेष जोर है।

देवतायन-प्रतिष्ठा के सांस्कृतिक महत्त्व पर संकेत किया जा चुका है। इनका व्यावहारिक महत्त्व भी कम न था। मंदिर प्राचीनकाल एवं मध्यकाल के महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों का तो काम देते ही थे; साथ ही साथ नगर की जनता की धार्मिक जिज्ञासा के पूर्ण साधन थे। मंदिर के पुजारी शास्त्रज्ञ, धर्मनिष्ठ एवं ज्योतिर्विद हुआ करते थे। पुस्तकों का पारायण, कथा-वार्ता, भजन-संकीर्तन, प्रवचन एवं पाठ वैदिक-व्यवस्था थी। जिज्ञानु धार्मिक जनता मंदिरों में जाकर कथा सुनती भजन-संकीर्तन में भाग लेकर उपास्य देव की भक्ति तन्मयता में विभोर होकर अपने को कृतकृत्य करती। नगर के मंदिर, नगर की जिज्ञा-दीक्षा, धर्म एवं भक्ति, अध्यात्म एवं चिंतन, योग एवं वैराग्य के जीते जागते सांस्कृतिक चेंद्र थे। नगर के बहुसंख्यक जिज्ञानु छात्र विद्वान् पुजारियों के अन्तेशामी बनकर वेद, शास्त्र, पुस्तक एवं काव्य का अध्ययन करते। उत्सव विशेष पर न केवल नगर वरन् उस उपनगर-विशेष के समीप के ग्रामों की जनता भी आती, महोत्सव में भाग लेती और आनन्द मनाती। एक शब्द में देवतायन-हिन्दू-जीवन का अभिन्न अंग थे।

पुर-निवेश में देवतायन-प्रतिष्ठा की इन्ही परम्परा को कतिपय वास्तु-शास्त्रीय ग्रंथों में मरुटप-विधान के नाम से पुकारा गया है। मरुटप-विधान अथवा देवतायन-प्रतिष्ठा वास्तु शास्त्रीय दृष्टि में एक ही चीज है। 'मरुटप'—यह शब्द उस सुदूर अतीत की ओर इंगित करता है जब पूजा-वास्तु वेदि-रचना एवं बगनाला तक ही विकसित था। कालान्तर में वैदिक 'सदस' में मरुटपों की प्राकृति विकसित—इस पर हम आगे—प्रानाट-वास्तु की चर्चा में विशेष निवेदन करेंगे।

(ब) आरामोद्यानादि

प्राचीन नगरों की सर्व-प्रमुख विशिष्टता—देवतायन-विन्नाय पर इस अध्याय के पूर्वार्ध में विवेचन किया गया अब आधुनिक नगरों की सर्व-प्रमुख विशिष्टता—उद्यान पुष्पजन विहार आदि विहारभूमियों के विन्नाय के सम्बन्ध में विवेचन इस अध्याय के उत्तरार्ध का विषय है। उद्यान-नगर (garden cities) अर्थात् नगर-निवेश का परमोपजीव्य विषय है। आवश्यकता ही आदिष्कारों की जननी है। आधुनिक नगर का विहार आधुनिक औद्योगिक विकास जन्म नागरिक-संकीर्णता (Congestion) के कारण ही प्रादुर्भूत हुआ है। जीवन के लिये स्वच्छ वायु, हरे-भरे पार्क एवं गतागन्तों की अनिवार्य आवश्यकता को समझने वाले आधुनिक नगर-निवेशक (Town Planners) जिनकी भी नगर-निवेश में अपने मसालों—लॉन्गमों, पुष्पजन विहारों (Parks) आदि ही ही अनिवार्य योजना नहीं बनाते हैं, वरन् घर-निवेश में भी घर-पट्ट (House plot) का कम से कम एक तिहाई भाग गुला छोड़कर उन्में पुष्प-भूमियों, लॉन्गमों एवं लॉन्गमों (Lawns) की विन्नाय-विनिर्माण के लिये प्रत्येक नागरिक को प्रसूतमित अंतर भी देते हैं (विभिन्न महानगरों की नगर-वास्तुशास्त्रों के भवन-विषय विभिन्न सांस्कृतिक

उपनियमों का यही मर्म है) । अतः इस स्तम्भ में हमें यह देखना है, कि प्राचीनों ने इस दिशा में कैसा पथ-प्रदर्शन किया ?

नगर-निवेश के इस अत्यन्त उपयोगी सिद्धांत (Canon) का अनुगमन प्राचीन नगर निवेश पद्धति में हम दो दृष्टिकोणों से देख सकते हैं—एक अकृत्रिम (प्राकृतिक) तथा दूसरी कृत्रिम ।

जहाँ तक अकृत्रिम दृष्टिकोण का सम्बन्ध है उस पर पिछले अध्याय में (दे० भूमि-चयन एवं भू-परीक्षा) कतिपय संकेत किये ही जा चुके हैं । एक आध और संकेत आवश्यक है । स० सू० के 'भूमि-परीक्षा' नामक ८वें अध्याय में (४०-४५, दे० परिशिष्ट—अवतरण) पुर-निवेश के लिये जिस हरे-भरे वातावरण की अवतारणा की गयी है उसका सारांश यह है कि उन्हीं हरी-भरी जगहों पर नगर-प्रतिष्ठा करनी चाहिये जिनकी प्राकृतिक सुपुमा जलचर, नभचर एवं स्थलचर—सभी प्राणिजात के लिये आकर्षक हो । जलाशय (वापी, तट्टाक आदि) तो हों ही, घने वृक्षों की छाया भी कम न हो साथ ही साथ दूर्वा-घास, विविध वनौषधियाँ—मुञ्ज (मूँज) कुरून्द एवं कुश आदि की भी वहाँ भरमार हो । वाहनों (अश्व आदि) के लिये सुखद एवं मिथुनों (हंस हंसिनी, चकवा-चकवी आदि) के लिये रतिप्रद हो वह स्थान ।

इसी प्रकार के बहुसंख्यक निर्देश प्रायः सभी वास्तु-शास्त्रीय एवं अ-वास्तुशास्त्रीय ग्रंथों में भरे पडे हैं जिससे नगर के बाह्य एवं आन्तरिक—दोनों प्रदेशों पर अकृत्रिम एवं कृत्रिम दोनों प्रकार के उद्यानों की बहुसुखी विनियोजना निकाली जा सकती है । तथापि इस दिशा में वैज्ञानिक समीक्षा के लिये इन सर्वसाधारण संकेतों के अतिरिक्त विशिष्ट संकेतों का अनुसंधान करना है ।

नगर की उद्यानारोपण-व्यवस्था का आश्रय नगर के मंदिर थे । नगर के उद्यान और नगर के मंदिरों का पारस्परिक घनिष्ठ संबंध था । देवतायतन-प्रतिष्ठा के अनिवार्य अंग देव-पूजा में पुष्पों की अनिवार्यता से सभी परिचित हैं । सम्राट्त्वं की देवतायतन-प्रतिष्ठा में आरामोद्यानों की अनिवार्यता पर निम्न प्रवचन को पढ़कर हम इस परम्परा को विशेष महत्व दे सकते हैं:—

निवेशनानि कुर्वीत त्रिदशानां यथाक्रमम् ।

नगराभिमुखं चित्रवनभाञ्जि शुभानि च ॥ १०-११०

अतः पुष्पोद्यान देवतायतन के अनिवार्य अंग थे । इस दृष्टि से जहाँ अर्वाचीन नगरोद्यानों का विन्यास एक मात्र नगर की शोभा एवं स्वच्छंद वायु-नेवन के लिये होता है वहाँ प्राचीन नगरोद्यानों का मान्नातृ एवं पारम्परिक मन्त्रव मंदिरों में था । उद्देश्य में भेद है न कि निवेश में । यही नहीं, उद्यानों के वंधु—तडाग, पुष्कर, वापी, कामार प्राचीन नगरों के अभिन्न अंग थे जिनका आजकल के नवीन नगरों में सर्वथा अभाव है । सुगम्यकानन, कमलाकर कामार, सुनिर्मित एवं सुकुलित तडाग किमी भी नगर की शोभा-वृद्धि के लिये पर्याप्त साधन हैं । प्राचीन नगर-निवेश में इनकी अनिवार्यता पर काफी संकेत किया जा

अथच विविध आगमोद्यान-विन्यास के लिये प्राचीन पुर-निवेश की प्राकारदि-प्रक्रिया भी प्रचुर साधन समुपस्थित करती थी। पुर के प्राकारदिन्यास पर आगे के अध्याय में विशेष समीक्षा होगी। प्राकारदि विन्यास (Fortification) में परिष्कारों अभिन्न अंग थी। परिष्कारों जल प्रवृत्ति रहती थीं। उस जलराशि के द्वारा पारिरोपी भूमि पर उद्यानारोपण के लिये अविरल साधन थे।

मसू० (१० २१-२४, दे० परिशिष्ट-अवतरण) का निम्न प्रवचन इस उपर्युक्त तथ्य का परं प्रामाण्य प्रस्तुत करता है। इस प्रकार नगर के परकोटे की तीन विस्तृत एवं गम्भीर पट्टियाओं की सुदाई के बाद उनको पूर्ण रूप में साफ कर उनमें तल को चारों ओर से गिताओं के द्वारा बाध कर (अर्थात् पक्की चुनाई में परिष्कारों को मजबूत बनाकर) उनमें जल-राशि भर दे और इधर उधर कौवारों (ग्रहों के मुहों में निकलती हुई जलराशि) एवं आगेपित कमल-कुञ्जों में उनकी सुपुमा का पोषण करे। यही नहीं, नगराभिमुनीन परिष्कारों के कुञ्जों पर पुष्पों की सीरुष में मत्त मधुपाङ्गनाओं वाले सुमनो विटपागमों (फूलों के पेड़ों के वगीचों) के विन्यास से उन प्रदेशों को इतना मोहक बनावे जिनमें लोग आ आकर वहाँ पर बैठने और विहार करने के लिये समुत्सुक हों। अथच परिष्कारों के चतुर्दिक् बाध भ.गों पर एमी झड़ियों का आरोपण करना चाहिये जो कटीली हों और निनमें लतायें एवं गुल्म भी यत्र तत्र सर्वत्र मटे हों।

इन प्रवचन में प्राचीन नगरों में उद्यानों के विन्यास में दो गणें नहीं हो सकतीं। इसके अनिश्चित प्राचीन पुर निवेश में राज-वेश्म का स्थान मटेव पुर-मध्य प्रसल्पित होता था। पुर-केन्द्र में ब्राह्म-मन्दिर की प्रतिष्ठा पर चार चार सकेत किया जा चुका है। अतः दोनों ही निवेशों में (राजवेश्म एवं ब्राह्म-मन्दिर) आगमोद्यान अनिवार्य अंग है। भारतीय भौतिक सम्भ्यता एवं संस्कृति के ज्वलन्त प्रतीक राज-वेश्म रहे हैं। राजवेश्मों की छटा—उत्तुङ्ग शिखर, स्पीत-प्रागण्य, विशाल शालायें चित्र-विचित्र नाना मरुत्प, पितान, चापी, पुष्पनीधी अशोक-वनिका, धारायुः (प्रणाल, प्रवर्षण आदि आदि दे० आगे 'पुष्प-मण्डल' के विविध निवेश ती परांतोचना आगे 'भवन' पटल—'राजवेश्म' में ही जायेगी। अतः पुर-मध्य कृत्रिम उद्यानों, प्रारामों, पुष्पवाटिकाओं एवं फोंरानों का निवेश प्रत्येक प्रमुख नगर का अभिन्न अंग था।

इस प्रकार कृत्रिम एवं अकृत्रिम-दोनों प्रकार के उद्यानों एवं उद्यानों की विनियोजना पर जो समीक्षा हुई उसमें यह निष्कर्ष निकला कि प्राचीन पुरों में आगमोद्यान-निवेश पुर-निवेश की अनिवार्य साधन थी। अतः तो यह है कि मनातन में इन देश में मानव प्रवृत्ति के कारिध में सम्भव रहा। जल एवं वायु, पर्वत पथ सरिता—इस चतुर्मुखी ब्राह्मी दृष्टि में ही प्राचीन आगमों में अपनी सभी रचनाओं की परिक्लपना की। वृक्ष-पूजा मना-तन में इस देश की एक अति प्राचीन एवं पुरानी परम्परा है। अद्वय, विष्णु, प्रम-एत, विष्णु, वेत, कृष्णी—ये दूत मना के शिव उद्यान में गोविता नहीं जैसे वृक्षों की भाँति ही निवास वर्ष में सिद्धी न सिद्धी दिन इन पुरानी वास्तवों की रचनाओं के लिये संभव नहीं हुआती है। अतः प्राचीन पुर पुर, राम, मन्दिर, विष्णु, वापी एवं परिष्कारों में ही पटल-पुष्पों का पर पर पर दर्शन होता था। शिष्टों के दैनिक जीवन में वास्तवों

का अनिर्वाय धार्मिक साहचर्य है। विना पादपों के हिंदूजीवन अपूर्ण है। प्रातः उठते ही निम्न की दत्तन चाहिये। स्नानोत्तर पूजा के लिये विविध पुष्प चाहिये। नैवेद्य के लिये फल चाहिये। आतप-त्राण के लिये विशाल वृक्षों की छाया चाहिये। गोवृन्द एवं अन्य पशु-समूहों की अकृत्रिम शालायें वृक्षों के अधोभाग थे।

अथच प्राचीन जनावासों के निर्माण में उस पद पर जिसपर गृह निर्मित होता था पादपारोपण अनिर्वाय था। विश्वकर्म-प्रकाश का निम्न प्रवचन इस तथ्य की पुष्टि करता है:— 'आदौ वृक्षाणि विन्यस्य पश्चाद् गृहानि विन्यसेत्'। शाल-भवनों के निवेश में भवनोद्यान-विन्यास का पूर्ण सौविध्य था—यह हम 'भवन' पटल में विशेष रूप से प्रतिपादित करेंगे।

इसके अतिरिक्त प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत में आजकल की सी जल-कल-व्यवस्था तो थी नहीं, अतः वापी, कूप, तड़ाग आदि जलाशयों का निर्माण किसी भी वसति के लिये अनिर्वाय था। राज्य की ओर से सर्वसाधारण जलाशयों का निर्माण तो होता ही था, वैयक्तिक रूप से भी इस प्रकार के निर्माण के लिये धार्मिक प्रोत्साहन था। इष्टापूर्त की धार्मिक परम्परा में मानव की जलीय आवश्यकता के आविष्कार का मर्म छिपा है। इष्टि से यज्ञ एवं अपूर्त से वापी, कूप, तड़ाग, देवतायतन-निर्माण अभिप्रेत है। अतः बड़े बड़े तालाबों के निर्माण से एवं उनके कुलों पर प्रकाश पादपों के आरोपण से तथा उसी की परिधि में देवालय की स्थापना से वह पूरा का पूरा क्षेत्र आजकल के पुर-जन-विहारों के ही समकक्ष था। जहाँ पर लोग न केवल देवदर्शन, जलमञ्जन एवं पादपच्छाया-सेवन का ही आनंद लेते, वरन् अपने अपने अवकाश के समय आकर बैठते उठते, बातें करते, शास्त्र-चर्चा, धर्म-चर्चा, कथा-वार्ता भी करते।

अन्यच्च आरामोद्यानादि-विन्यास प्राचीन भारतीयों के 'पादपारोपण' की धार्मिक-कल्याण के ही प्रतीक हैं। आजकल हम पादपारोपण पर विशेष जोर देने लगे हैं प्राचीनों की तो आस्था थी कि एक पादप के आरोपण से एवं उसके सिद्धन एवं संवर्धन से दश पुत्रों का उत्सव सम्पन्न होता है—

दशपुत्र-समो तरुः

अतः यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है उद्यान-नगर (garden cities) आज कल की ही विभूति नहीं है। प्राचीन समय में प्रत्येक ग्राम उद्यान-नगर था। श्री वेंकटरमण अइयर महोदय ने अपने Town Planning in Ancient Deccan में पूर्णरूप से प्रतिपादित किया है कि प्राचीन समय में पुर अथवा ग्राम के निवेश-विन्दु में मन्दिर की प्रतिष्ठा से उद्यान-नगरों का विकास नैसर्गिक हो जाता था। अथच जैसा ऊपर सकेत किया ही जा चुका है बड़े बड़े नगरों के मध्य में राज-वेश्म की प्रतिष्ठा ने भी नाना-विध उद्यान, आगम पुस्तिकाकार्य, दर्शनीयागार (museums) पुर-जन-विहार (parks) आदि का विनियोग अनिर्वाय हो जाता था। आज भी भारत की पुरातन गजधानियों की ऐसी ही छटा देखने को मिलती है।

रक्षा-संविधान

(प्राकारादि-विनिवेश—Fortification)

प्राचीन भारत की पुर-निवेश योजना का सर्वाधिक भेदक-घटक (Distinguishing factor) प्राकारादि-विनिवेश था । वास्तु-शास्त्रीय पुर-निवेश-प्रक्रिया में पुर की रक्षा-व्यवस्था एक महत्वपूर्ण अंग है । यह द्रव्य-माध्य इस योजना के अन्तर्तम में तत्कालीन राजनीतिक परिस्थिति एवं राज्य-संचालन मगटन का स्वरूप—ये ही दो कारण हो सकते हैं । ग्रायों ने सनातन ने प्रकृति के स्वच्छंद वातावरण में अपने तीन चौथाई जीवन का उपक्रम बाधा । विद्याध्ययन के लिये प्रकृति के उदात्त एवं विस्तृत वातावरण—सरितातट, समीप वन का एकांत भाग, ग्राम अथवा नगर से दूर किमी देवतायतन, मठ, विहार, मण्डप, उटज, अथवा आश्रम—का चयन एवं गार्हस्थ्य-जीवन के उपगन्त वागुप्रस्थ एवं सन्यास के लिये भी इसी प्रकार के एकान्त एवं प्राकृतिक स्थानों के प्रति अतुल्य—आयों की प्रकृति-प्रियता एवं स्वच्छंद जीवन के परिचायक हैं । पुनः नगर एवं ग्राम ऐसे विपुल आवास स्थानों को चहार-दीवारों से घेर कर उसकी विभिन्न-जोटिक उपादानों ने दृढ़ता एवं अभेद्यता या सम्पादन कर नागरिक-जीवन का गृह्य बना हो सकता है ?

प्राकारादि-विनिवेश राजधानी नगर अथवा एक महानगर की ही व्यवस्था होती तो भी महज योग्य अथ, परन्तु मानसार आदि शिल्पशास्त्रों में ग्रामों के लिये भी प्राकारादि-विनिवेश अर्पित था । अतः वह कहना असंगत न होगा कि प्राकारादि-योजना का शीर्षगोश सर्वप्रथम राजधानी-नगरों में प्रारम्भ हुआ होगा । कालान्तर में जब राज्य मत्ता का मार्ग-भौमिक स्वरूप विच्छिन्न हो गया तो फिर सम्भवतः ही ऐसा छोड़ नगर रहा हो जहाँ पर राज-भराने का सम्बन्ध न रहा हो अथवा किसी मण्डलाधिपति का वह हेड क्वार्टर न रहा हो । अतएव यह परम्परा एक सामान्य परम्परा के रूप में हो गयी ।

नगर की रक्षा-संविधान की यह समीक्षा मध्य-युग का दृष्टि में रचकर की गयी है । सुदूर प्रतीत में जब ग्रामों में अपनी प्रभुता की स्थापना के लिये इतलतन मार्ग अभियानों का टान टाना तथा अपने प्रकार के लिये अपने पशुधन-सोपन के लिये उपरुक्त प्रदेशों की गोन में निकले, तो जहाँ जहाँ वे गये अपनी एक अपने पशुओं—विभिन्न गौओं की रक्षा के लिये गौओं की स्थापना की । ये ही गौ—गौओं के गौ अपने अतिविधि गौओं के नाम में पालातर में गौ-गुल प्रथम विभिन्न-जोटिक ग्राम-परिवारों के नाम में विख्यात हुए । गौ छोटी-छोटी व-रिया थीं जिनका मुख्या अपने नाम में उनकी संभ देता था । ऐसे प्राचीन ग्रामों का मण्डल (Miniature in Villages) कहा जा सकता है । पल-सुदुत सम्भव है उस प्रतीत की यह गौ-व्यवस्था सनातन में प्राकारादि-विनिवेश योजना के अन्त में विद्यमान में गणना करनी ।

सच तो यह है प्राचीन नगरों की निवेश-योजना एक प्रकार की सैनिक-योजना की ओर इंगित करती है। सैन्य-प्रधान-निवेश से तत्कालीन नागरिक जीवन को आक्रांत नहीं समझना चाहिये। तथ्य तो यह है कि भारत एवं भारतेतर पश्चिम के भी प्राचीन नगरों (उदा० फ्लारेंस, स्पार्टा आदि) की भी तो यही व्यवस्था थी—जिनमें वप्रों, परिखाओं एवं प्राकार-भित्तियों ने सनातन से प्रमुखता पाई। वी० वी० दत्त के शब्दों में 'They formed the sine qua non of Aryan habitation' (T. P. in Ancient India)।

अथच यहाँ पर दुर्गाकृति-नगरों के इस सन्निवेश-प्रयोजन की भूमिका में एक संकेत और आवश्यक है। यद्यपि प्राचीन एवं मध्यकालीन दोनों कालों के वास्तु-शास्त्रीय ग्रन्थों में नगर-निवेश का यह दुर्गाकार एक सामान्य स्वरूप था और रामायण तथा महाभरत आदि प्राचीन साहित्यों में नगरों के जो वर्णन हैं उनमें भी यही सर्वसाधारण रूपरेखा देखने को मिलती है, तथापि उत्तर-मध्यकालीन बहुत से नगरों में इसका पूर्ण समन्वय नहीं प्राप्त होता है। शनैः शनैः जब सघर्षमय राजनैतिक जीवन समाप्त हुआ तथा शान्ति के साथ रहने का अवसर मिला तो फिर इस व्यवस्था में संस्करण (Modification) भी अनायास देखने को मिलता है। नगर-निवेश के विकास का यह द्वितीय सोपान था—जब दत्त महाशय के शब्दों में 'दुर्गनगर' नाम-मात्रावशेष रह गये और उनकी जगह उन नगरों ने ले ली जो बाहर से नगर, परन्तु भीतर से (मध्य में) दुर्ग थे।" यद्यपि सभी नगर सुरक्षा से सम्पन्न थे। परन्तु नगर एवं दुर्ग—दोनों एक स्वरूप—एकाकार अथवा तदात्मक एवं तद्रूप नहीं था। उदाहरण के लिये जयपुर और भौंसी को देखिये। भौंसी में किला उसके मध्य भाग में है। जयपुर का किला नगर के एक बाह्य-कोण पर स्थित है।

शनैः शनैः विकास का क्रम आगे बढ़ता गया। नगर की रक्षा का संविधान नगर के समीप शिथिल-स्थलों छावनियों (Contonements) ने ले लिया जो आज भी प्रायः सभी महानगरों की सामान्य रक्षा व्यवस्था है।

नगरों के इस प्राकारादि-विनिवेश पर इस ऐतिहासिक उपोद्धति के उपरांत अब हमें इसके वास्तु-शास्त्रीय विभिन्न अंगों की विवेचना करना है। सम्राट्ठण के अनुसार (अ० १० १-२) नगर की रक्षार्थ प्राकारादि-निवेश के निम्नलिखित प्रधान अंग हैं:—

- १ वप्र एवं परिखा
- २ प्राकार
- ३ द्वार एवं गोपुर
- ४ अट्टालक तथा
- ५ रक्षा

प्राकारादि-विन्यास में इन प्रधान अंगों के अतिरिक्त वास्तुशास्त्रीय परम्परा में कपिशीर्षक—कूटरे (Battlements) काण्डवारिणी (छालदीवारी) चरिका प्राकार-भित्ति का आगेहण मार्ग अथवा प्राकारों पर विन्यस्त मार्ग वीथी (जिसको पाणिनि ने

देवपथ कहा है) आदि आदि भी उपाग हैं जिनकी विस्तृत नर्माता द्रामे ही जावेगी ;

वप्र एवं परिखा

नगर के रक्षा-विधान—पारिकर-विनिवेश (Fortification) का प्राग्भ वप्र में होता है वप्र-भू की परिग्रहना के लिये पुर के चारों ओर पन्नाये (१, २ वा ३) खोदी जाती हैं । समराक्षण में तथा कौटिल्य के आर्थशास्त्र में भी तीन-तीन चारों प्रांग परिखाओं का रचना निर्दिष्ट है । पारिखेयी-भूमि की व्यवस्था नगर मापन का प्रथम अंग है । परिखाओं का रचना एवं वप्र-भू का निर्माण संयुक्त कार्य (Joint-formation) है । परिखाओं के रचना में निकली हुई मिट्टी के द्वारा ही वप्र-भू की रचना की जाती है । विभिन्न ग्रंथों में परिखाओं के विभिन्न परिमाण दिये गये हैं । समराक्षण के अनुसार घण्टा-मार्ग, जो पुर के चारों ओर दीवता है—दे० पिप्लजा श्र० 'मार्ग विनिवेश'—ने समान्तर पारिखेयी भूमि का विन्यास अभिप्रेत है । जो प्रमाण घण्टा-मार्ग का होता है उन्ही प्रमाण में वप्र भू का प्रमाण परिकल्पित है । अत घण्टा-मार्गानुरूप वप्र-भू का परिमाण नगर के ल्येष्ठ, मध्य एवं कनिष्ठ प्रभेद से २४, २० तथा १६ हाथ (३६, ३०, २४ फीट) की चौड़ाई में विहित है ।

इस प्रकार वप्र भू के विन्यास के उपगत पुर की महारथ्या के आनुपङ्गिक विस्तार-परिमाण में तीन-तीन परिखाओं की खुदाई करना चाहिये । इस प्रकार उत्तम, मध्यम एवं अधम प्रभेद में परिखाओं की चौड़ाई १२, १०, ८ हाथ (१८, १५, १२ फीट) निकलती है । परिखाओं की गहराई भिन्न-भिन्न प्राचार्यों के मत में भिन्न भिन्न बतई गयी है । शुभ्राचार्य के अनुसार परिखा की गहराई चौड़ाई से आधी हो । कौटिल्य के अनुसार परिखाओं की चौड़ाई १४, १२ तथा १० दरद है और गहराई पौनी त्रयवा आधी होनी चाहिये ।

इस प्रकार एवं प्रमाण से परिखाओं के रचना के उपगत जो मिट्टी निकले उसको गोंवों प्रथम गों-वृषभों के पैरो से ताडित करकर (गोरीसवताडित) पुरी मिट्टी का तीन चौथाई भाग श्रयवा आधा भाग को लेकर वप्र का निर्माण करना चाहिये । वप्र ही ऊँचाई राज वृष्ट (एधी ही पीठ) के बराबर रनानी चाहिये । पुन. पारिखेयी प्रवेश्य मृत्तिका में पुर के उन प्रदेशों को, जो निम्न हैं, उनका समतल—वगम कर देना चाहिये ।

इस प्रकार परिखा-व्याप्त की नकाई के बाद उसको सतल पूर्णरूप में पुरी खोई अथवा पापा-शिक्षाओं से पुरा बना देना चाहिये । पुनः इनको जल से भरना चाहिये । जन-पुण्य-प्रवृत्त पुर के गर्भों वक्राश्रयों में पाए लाने के द्वारा समतल सम्पादन की जाती था अथवा नगर के नर्माप करने वाली मरिना में । इस प्रकार मध्यम-व्यक्त जल-प्रवृत्त परिखा के दोनों ओर दो प्रकार के पार्यों का आरोपण करना चाहिये जिसका उद्देश्य पिप्लजे श्यायार—'दिस्तारतन एवं आगमोदातादि' में मिलता पाता है ।

इस प्रकार के मत में इन जल-प्रवृत्त परिखाओं में जलम पिप्लजे पार्यों से जल नगर की शक्ती विपुला प्रमित्वा के प्रवृत्त होती थी । इनमें गनी—'गाने से भी पौरा जल भा जिमसे शकुओं को इन परिखाओं को पान करने में बाधा पड़ सके (केविसे महा० ज० १० प्र० ६६; "आङ्गवेव परिखां श्यायुनःशुभ्राङ्गुवम्") ।

प्राचीन पुरों की ये परिखायें न केवल पुर की रक्षा-व्यवस्था के लिये ही महत्वपूर्ण थीं वरन् नगर की ड्रेनेज व्यवस्था के लिये भी उपयोगी थीं (दे० देवीपुराण अ० ७२, “खातिकारचितं कार्यं प्रणालीभिः समन्वितम्”) । दूसरे जैसा ऊपर निर्देश किया गया है इनके खात से प्राप्त मृत्तिका के द्वारा नगर को समतल बनाने में इन से बड़ा साहाय्य मिलता था । तीसरे संकट के समय (Emergency) में इन के द्वारा पुर को स्रावित किया जा सकता था जिससे शत्रु को उस पुर-विजय का कोई लाभ न प्राप्त हो सके तथा वह स्वयं संकटापन्न हो जावे ।

प्राकार

परिखाओं एवं वप्रों (Moats and Ramparts) के उपरांत नगर के रक्षा-संविधान का तीसरा अंग प्राकार-विनिवेश है । प्राकारों का विन्यास वप्रों की पृष्ठभूमि पर परिकल्पित किया जाता है । प्राकार का साधारण अर्थ उत्तुङ्ग मोटी दीवाल है जो पुर के चारों ओर विन्यस्त की जाती है । प्राकारों (Parapets) की रचना पृथु पाषाण-शिलाओं से की जाती थी । अतएव ये दीवालें (परकोटे) अमोघ बन जाते थे । आज भी प्रायः सभी पुरातन राजधानी-नगरों के भग्नावशेषों में हमें इन परकोटों के दर्शन होते हैं । राजस्थान की महानगरियों में आज भी ये प्राकार अपनी प्राचीन स्मृति को स्थिरता प्रदान कर रहे हैं ।

प्राकारों की ऊँचाई और चौड़ाई के प्रमाण में समराङ्गण का निर्देश यह है कि प्राकार-मित्तिया १७ हस्त (२५ $\frac{1}{2}$ फीट) से अधिक ऊँची और १३ हस्त (१६ $\frac{1}{2}$ फीट) से कम ऊँची नहीं बनाना चाहिये । ज्येष्ठ, मध्यम एवं कनिष्ठ पुर-प्रभेद से इन परिमाणों में विकल्प भी किया जा सकता है—क्रमशः १७, १५, १३ हाथ की ऊँचाई और १२, १०, ८ हाथ की चौड़ाई । अथवा यह चौड़ाई पूरे प्राकार में समान नहीं करनी चाहिये । मूल में जो चौड़ाई हो वही शिखर में नहीं । समराङ्गण के अनुसार प्राकार के मूल का विस्तार १२ हाथ (१८ फीट) में सम्पन्न करना चाहिये तथा उसका शीर्ष एक हाथ पर दो दो श्रृंगुल घटाने से केवल १० हाथ (१५ फीट) विस्तृत बनाना चाहिये । यह शीर्ष भाग ४ हाथ (६ फीट) ऊँचा अवश्य रहे ।

प्राकारों की रचना में उसके दो उपाग और उल्लेख्य हैं—कपिशीर्षक (कंगूरे) तथा काण्डवारिणी (छालदीवारी) । कपिशीर्षको (Battlements) के विन्यास से प्राकारों की भूमा ही नहीं सम्पन्न होती है वरन् प्राकारों पर विरचित चरिका (सचारपथ जिसे पाणि-नि ने देव-पथ की सजा दी है) पर संचरण के लिये अन्तरावकाशों पर राहारा भी मिलता है । ये कपिशीर्षक २० स० के अनुमार एक एक हाथ (१ $\frac{1}{2}$ फीट) ऊँचे निर्मित करने चाहिये । काण्डवारिणी (छाल दीवारी) का परिमाण दो हाथ का बताया गया है ।

प्राकारों की विन्यास-प्रक्रिया के सम्बन्ध में एक विशेष उंगित यह है कि वैसे सर्व-साधारण रूप से प्राकारों की संख्या एक पुर के लिये एक ही अभिप्रेत थी परन्तु पाटलि-पुत्र महानगरी में तीन तीन प्रकार-मित्तिया बनायी गयी थीं । बौटिल्व के अर्थशास्त्र में प्राकारों की संख्या एक से अधिक—सम अथवा विषम—निर्दिष्ट है । अतः महामात्य

चाणक्य के महाराजाधिराज चन्द्रगुप्त मौर्य की इन महानगरों में चाणक्य के अर्थशास्त्रानुसृत तीन प्राकार-भित्तियाँ महज बौध्दगम्य हो जाती हैं ।

अथच प्राकारों की ऊँचाई में भी विभिन्न ग्रन्थों के विभिन्न मत हैं । देवी-पुराण (अ० ७२) तथा ब्रह्मवैवर्त पुराण (श्रीकृष्ण-जन्म-खण्ड अ० १०३.) में प्राकार-भित्तियों की ऊँचाई का परिमाण अत्यधिक होने के कारण ग्राह्य नहीं है । प्राकारों की अत्यधिक ऊँचाई पुर में स्वच्छन्द समरगण के प्रवाह को ही नहीं रोکتो है, वरन् पुर के स्वरूप सौन्दर्य में भी एक कृत्रिम विषमता उपस्थित करती है । अतएव समरद्वारा का माफ़ आदेश है कि १७ हाथ में अधिक ऊँचे प्राकार न बनाये जावें । शुक्राचार्य भी इन दृष्टिकोण का समर्पण करते हैं । शुक्र के अनुसार प्राकार-भित्तियों की उतनी ही ऊँचाई करनी चाहिये जितने शत्रु एवं दस्यु उनका लपन न कर सके—

वृद्धिधतस्तु तथा कार्यो दस्युभिर्गविलरुपते

यु. नी. ता. अ० १

अट्टालक

प्राकारादि-विन्यास (Fortification) का चौथा अंग अट्टालक (Towers and turrets) है । प्राकार-भित्तियों पर सौ सौ हाथ (१५० फीट) के अन्तगवनाशों पर चारों दिशाओं में अट्टालकों का निवेश करना चाहिये । इन अट्टालकों को गोपुर-द्वारों के समान ही भव्याकृति प्रदान की जाती थी । प्राचीन भारतीय वास्तु-कला के अप्रतिम निर्देशन गोपुरों की भव्याकृति पर नावम विरोध समीक्षा होगी । यहाँ पर इतना ही संकेत पर्याप्त था कि प्राचीन स्थपति जहाँ पुर के रक्षा-संविधान के लिये उन विभिन्न निर्मितियों के निवेश में दक्ष में बहा वे कला में सौन्दर्य के मन्विषेण के लिये सर्वत्र उजावमान रहते थे । इनकी रचना के सम्बन्ध में समरद्वारा का निर्देश है कि प्राकारों की ऊँचाई के परिमाण में इनका विन्यास अपेक्षित है तथा इनको द्विभौमिक बनाना चाहिये । इनका न्यान चरित्रा (प्राकार पर प्रतिष्ठित सचरण-मार्ग) के ऊपर होना चाहिये । इनके निर्माण का प्रमाण इनके विस्तार का प्माणा उचित है ।

इस प्रकार प्राकारों के न्यान एवं उनकी वास्तु-भूराश्रों (निर्माण के प्वाण्डु वाग्नी) के विन्यास के उपरान्त अट्टालकों के सन्विषेण में जो प्राकार के ऊपर स्तम्भ अनावान ही एक दिव्य एवं अलौकिक वास्तु कृति निष्पन्न होती है उनी तो चरित्रा के नाम से पुकारा गया है । उन ऊपरी सदक पर बीच बीच में द्वार होने चाहिये । ऊपर चढ़ने एवं नीचे उतरने के लिये सुगरोर सोजन होने चाहिये । इनकी सुन्दरता के लिये इस पर वेदिकाएँ, निर्द्वार आदि वास्तु भूराश्रों के माधन्याय इतस्तत्, सर्वप्र छोटे छोटे अंगुणों का भी विनियोग करना चाहिये ।

इसी चरित्रा को प्रादिनि प्रीर कीदिल्ल—दोना ने ही 'अन्वय' का नाम से पुकारा है, जिसका कि दो बार ऊपर संकेत किया गया है । उ० वास्तुशास्त्र-सूत्र-संग्रह (देविदे Lad a ns kno yn to Panini, P. 133-9) की चरित्रा विनियोग विनियोग समीक्षा

उल्लेख्य है.—‘अष्टाध्यायी में ‘देवपथादि’ गण (५-३-१००) में ‘देवपथ’ का प्रथम संकीर्तन है । इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि व्याकरणशास्त्रियों पाणिनि पुर की परिखाओं एवं प्राकारों की वैज्ञानिक निर्भिति का ज्ञान रखते थे । पाणिनि का यह शब्द ‘देवपथ’ कौटिल्य के एतद्विषयक निर्वचन से ही समझा जा सकता है । कौटिल्य का अर्थशास्त्रीय निर्वचन ही एक मात्र उपादेय साधन है जिससे पाणिनि के इस शब्द की व्याख्या हो सकती है । अन्यथा अन्य किसी भी ग्रन्थ में इस पर प्रकाश नहीं दूढ़े मिलेगा । पाणिनि के मत में वह मार्ग जो दिव्य देवपथ के सदृश है वह ‘देवपथ’ (५-३-१००) के नाम से पुकारा गया है । प्रश्न यह है कि वह कौन सा ऐसा मार्ग है जिसकी समता दिव्यपथ से दी गयी है ? कौटिल्य के मत में (अर्थशा० द्वितीय, ३ पृ. ५२) प्राकार पर प्रतिष्ठित सुविस्तीर्ण इन्द्रकोषसमन्वित पथ ‘देवपथ’ के नाम से पुकारा गया है । कौटिल्य ने वप्र पर विन्यस्त इस प्राकार की ऊँचाई ३६ फीट बताई है और उस पर इन्द्रकोषों (स. सू. के कपिशिर्षकों) का न्यास भी अभिप्रेत है । इस प्रकार यह देवपथ जो चतुर्दिक विन्यस्त नगर-भित्ति पर प्रतिष्ठित है वह आकाशीय दिव्यपथ—देवपथ—की तुलना में सदृश यदि परिकल्पित किया गया है तो वह अपनी ऊँचाई के अनुरूप सहज बोध-गम्य है ।’

गोपुर-द्वार

प्राकारादि-विनिवेश (Fortification) का पाँचवाँ अंग गोपुर-द्वार अथवा द्वारा-द्वालक है । परिखाओं, वप्रों, प्राकारों, अद्वालकों के निर्माणानुरूप नगर के महाद्वारों का भी निर्माण अभिप्रेत है । आज भी प्राचीन अथवा मध्यकालीन महानगरियों (राजधानियों) में महाद्वारों के हम दर्शन करते हैं । पाटलि-पुत्र के वर्णन-वृत्तान्त में मेगस्थनीज ने उस प्राचीन महानगरी के ६४ महाद्वारों एवं प्राकार-भित्ति पर प्रतिष्ठित ५७० अद्वालकों का उल्लेख किया है । आज भी राजस्थान की शोभा जयपुर महानगरी में हम ऐसे ही महाद्वारों की सुपुमा देख सकते हैं । इस महादेश के विभिन्न भागों में बिखरे हुए प्राचीन ऐतिहासिक नगरों के भग्नावशेषों में इन उत्तुंग एवं विस्तीर्ण महाद्वारों के सर्वत्र समान रूप से दर्शन होते हैं ।

मानसार एवं मयमत आदि दक्षिणात्य वास्तु शास्त्रीय परम्परा के प्रतिनिधि-ग्रंथों में महाद्वारों का गोपुरों के नाम से संकीर्तन किया गया है । गोपुरों की वास्तु-आकृति बड़े-बड़े भवनों एवं प्रासादों से भी मज्य एवं दर्शनीय है । दक्षिण के मन्दिरों की प्रमुख विशेषता गोपुर-निवेश है । इन गोपुरों में बहुसंख्यक भूमियों (-१ से १७ तक) एवं अद्वालकों के सन्निवेश से इनका वास्तु-सौन्दर्य भारतीय स्थापत्य की प्रोज्ज्वल कीर्ति का अप्रतिम निदर्शन है । गोपुर शब्द की कैमै निष्पत्ति हुई—यह कहना नितान्त निर्भ्रान्त नहीं है । शब्द कल्प-द्रुम के अनुसार यह ‘गुप्’ (रक्षणे) धातु से निष्पन्न हुआ है । अतएव गोपुर-विधान भी मन्दिर अथवा नगर की रक्षा-विधान का एक महत्वपूर्ण अंग है । इसी परम्परा से हमने भी इसे प्राकारादि-विनिवेश (Fortification) का पाँचवाँ अंग माना है ।

यहाँ पर यह निर्देश आवश्यक है कि समगङ्गा स्रग्धर में नगर के प्राकारादि-विनिवेश में विभिन्न-कोटिक द्वारों एवं महाद्वारों का तो उल्लेख है, परन्तु उनको गोपुरों के नाम से नहीं पुकारा गया है । चाणक्य के अर्थशास्त्र में भी द्वारों के लिये ‘गोपुर’ शब्द का

प्रयोग नहीं है। कौटिल्य ने इन महाद्वारों का द्वागद्वारलक के नाम से नंकीर्तन किया है। अतः लेखक श्री भारद्वाज है कि गोपुर-द्वारों अथवा 'गोपुर' बहुभूमिक-भवनों ('Gopura' storeyed buildings) का विशेष सम्बन्ध पूजा-वास्तु (Religious architecture like temples etc) में है। इन वास्तु के प्रतिष्ठापक एवं प्रतिनिधि ग्रंथ स्मृताङ्गण ने सम्भारत इन्हीं ऐतुनगर के द्वारों को गोपुर-द्वारों के नाम से नहीं पुकारा। हाँ, इन आने देखेंगे (भवन पटल—राजवेश्म) कि राजवेश्म (जो प्रासाद—मन्दिर के समान ही परिष्कृत है, में प्रमुख द्वारों को गोपुर-द्वारों के नाम से संकीर्तन किया गया है। अस्तु। यह निर्विवाद है प्राकार का 'गोपुर' द्वागद्वारलक है जिनको स० सू० में केवल द्वारों अथवा महाद्वारों के नाम से उल्लेख किया गया है। न० सू० में भी इन महाद्वारों की विविध रचना विहित है जो हम आगे 'प्रतीली' के वर्णन में करेंगे।

समग्राङ्गण में पुर-द्वारों के तीन वर्ग हैं—महाद्वार, वक्रद्वार एवं पत्रद्वार। नगर के महाद्वारों की संख्या स० सू० में १८ है। प्रत्येक दिशा में तीन तीन बड़े बड़े पुर-फाटकों का निर्माण करना चाहिये। 'मार्ग-विनियोग' के पिछले अध्याय में हमने देखा पुर के बहुरिध मार्गों में पूर्व में पश्चिम एक राजमार्ग तथा दो महारथ्यायें विन्यस्त की जाती हैं। इसी प्रकार दक्षिण में उत्तर भी। अतः राजमार्ग एवं महारथ्यायें दोनों पर ही महाद्वारों का विन्यास अभिप्रेत है—प्रत्येक दिशा में तीन महाद्वार (एक राजमार्ग पर तथा दो-दो महारथ्यायों पर) होने में चारों ओर बाह्य हुए। इनकी चौड़ाई ज्येष्ठ, मध्य, कनिष्ठ पुर-प्रभेद में राजमार्ग पर ६, ८, ७ हाथ (१३ $\frac{1}{2}$, १२, १० $\frac{1}{2}$ फीट) तथा ६, ५, ४ हाथ (६, ७ $\frac{1}{2}$, ६ फीट) महारथ्या पर प्रतिपादित की गयी है।

कौटिल्य के अर्थशास्त्र में एक राजधानी-नगर में इस प्रकार के महाद्वारों की संख्या केवल चार है जिनको दिशानुस्य—द्राण, ऐन्द्र, साम्य एवं सैनापत्य (क्रमशः उत्तर, पूर्व, दक्षिण एवं पश्चिम) की संज्ञा दी गई है। इसी प्रकार अन्य ग्रन्थों में भी द्वाग-विनियोग के विभिन्न मत प्रचलित हैं जिनका उल्लेख प्राच्यिक नहीं।

इन महाद्वारों के अतिरिक्त समग्राङ्गण में दूसरी श्रेणी के द्वारों को वक्रद्वार (Principal doors) के नाम से उल्लेख किया गया है। वक्रद्वार महाद्वारों के ही समीप निविष्ट होते हैं तथा उनका भी विनियोग राजमार्ग एवं महारथ्यायों पर ही अभिप्रेत है। विशेषता यह है कि महाद्वारों से प्रतीली (भूमिक-भवन) एक अनियमित वास्तु-रूपि है। अतः प्रतीली के प्रासाद-विन्यास व्यवधान में महाद्वार सर्वत्र बने रहते हैं—केवल उनकी शोभा ही निर्णय प्रदान है। अतः रातायात एवं अन्य मार्ग-व्यवधानों के लिये महाद्वारों की ही परिधि में वक्रद्वारों—सुगद्वारों की परिष्कृतता वांछित है।

सोमरी श्रेणी के द्वारों को पत्रद्वार कहते हैं। नगरी के समस्त वक्र के दोनों द्वार—महाद्वार एवं सुगद्वार बन्द हो जाते हैं तो ऐसे समस्त पुर-प्रवेश अथवा पुर-निर्गम के लिये पत्रद्वार (Side doors) ही काम देते हैं।

प्रतीली—इसने जहाँ श्रेणी श्रेणी किया है कि न० सू० के महाद्वारों पर प्रतीली भवन का विन्यास विहित है। प्रतीली शब्द का क्या अर्थ है—इसकी स्पष्ट विवेक सर्वत्र उपलब्ध है। इनकी प्रमाणों में प्रतीली का अर्थ (सदर) माना गया है। न० सू० अन्वय

ने भी अपने महाकोष (Encyclopaedia of Hindu Architecture) में प्रतोली शब्द के निर्वचन में—द्वार-मार्ग (Gateway) अथवा लुद्र अट्टालक या नगर का प्रमुख मार्ग—आदि अर्थ दिये हैं। परन्तु हिन्दी, राजस्थानी और गुजराती में भी 'पौरि' शब्द बड़े फ टक के लिये प्रयुक्त पाया गया है। यह 'पौरि' 'प्रतोली' का ही तद्भव शब्द प्रतीत होता है—

प्रतोली पञ्चोली पउलि पौरि

समराङ्गण-सूत्रधार में प्रतोली न तो एकमात्र महाद्वार है और न रथ्या। यह एक त्रिभौमिक (त्रितल—three-storeyed) भवन-विन्यास है जिसका निवेश महाद्वारों पर ही अभिप्रेत है। अतः लेखक के मत में प्रतोली उस विशिष्ट महाद्वार को कहेंगे जिस पर भवन-विन्यास अनिवार्य है। स० सू० का प्रतोली-विषयक निर्वचन (१०. ३८-४८) परिशिष्ट—अवतरण में द्रष्टव्य है जिससे इस मत का समर्थन प्राप्त हो सकेगा। कौटिल्य ने भी अपने अर्थशास्त्र में प्रतोली शब्द का प्रयोग किया है तथा उसके विन्यास की दिशा में केवल इतनी ही सूचना मिलती है कि वह दो अट्टालकों के बीच में निविष्ट की जाती थी। अतः कौटिल्य के अनुसार उसे द्वार कहा जावे अथवा प्राकार-भित्ति पर अट्टालक-सदृश दूसरी भवन-भूषा—असन्दिग्ध रूप से नहीं कहा जा सकता।

परन्तु यह निर्विचिकित्स्य है कि जिस प्रकार गोपुर-द्वारों एवं साधारण महाद्वारों में वास्तुकलात्मक भेद है उसी प्रकार प्रतोली एवं द्वारों में भी। प्रतोली-महाद्वारों एवं गोपुर-महाद्वारों की ये दोनों परम्परायें वास्तु-विद्या की दो प्राचीन परम्पराओं का प्रातिनिध्य करती हुई प्रतीत होती हैं—गोपुर दक्षिण वा० वि० एवं प्रतोली उत्तरी वा० वि०।

प्रतोली की दूसरी विशिष्टता यह है कि इस पर हर्म्य का निवेश भी अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त मूपाओं (little doors) चन्द्रशालाओं एवं गवाक्षकों का इसके प्रकोष्ठों में न्यास करना चाहिये। साथ ही साथ इस प्रतोली-भवन में विभिन्न प्रकार के यत्र, शस्त्र एवं अस्त्र का संभार भी एकत्रित करना चाहिये—क्योंकि पुर की रक्षा-संविध न का ही तो यह भी अंग है। व्यालजाल, शतघ्नी आदि शस्त्र एवं यंत्रों का न्यास न केवल पुर की शोभा के लिये आपितु उसकी रक्षा के लिये भी अभिप्रेत हैं।

प्राकारादि-विनिवेश (fortification) का अन्तिम अवशिष्ट अंग 'रथ्या' है। रथ्याओं पर पिछले अध्याय (दे० मार्ग-विनिवेश) में यथोचित विवेचन हो चुका है। अतः इस स्तम्भ को यहाँ पर समाप्त कर पुर की विभिन्न आकृतियों एवं उनके अपालन से गर्हित-पुरों के प्रावृर्भाव पर विवेचन, जो आगे के अध्याय का विषय है, आवश्यक है।

पुर-आकृति एवं गहित पुर

पुर-आकृतियाँ

पुर-निवेश के विभिन्न अंगों की समीक्षा के उपरान्त इस अध्याय में पुर की विभिन्न प्रशस्त आकृतियों की ही समीक्षा नहीं अभिप्रेत है वरन् कौन-कौन सी आकृतियाँ वास्तु-शास्त्र में अप्रशस्त प्रतिपादित की गयी हैं—इस पर भी विचार प्रासंगिक है। अप्रशस्त आकृतियों ने प्रादुर्भूत गहित पुरों पर समराङ्गण का प्रवचन उसका वैशिष्ट्य है। अतः इन दोनों दृष्टियों से हमें इस विषय की इस अध्याय में विवेचना करनी है।

पुर-विशेष की आकृति का प्रकल्पन पुर-निवेश के संस्थान (Lay out) मानोन्मान (Measurements) एवं मार्ग-विन्यास तथा भवन विन्यास आदि ने सम्बन्ध रखता है। प्राचीन वास्तु-शास्त्रीय परम्परा में निर्दिष्ट पुर-निवेश के नियमों का अणुमात्र भी उल्लंघन असह्य था। अतएव समराङ्गण का आदेश है:—

शान्त्रज्ञः स्थपतिस्तस्मात् प्रयत्नपरया धिया ।

यथावत् कथितं चारु नगरं विनिवेशयेत् ॥ (१०-६१)

यह प्रवचन न केवल नगर-निवेश के नियमों के आपूर्ण पालन के लिये ही प्रेरणा प्रदान करता है वरन् 'सुन्दर' सन्निवेश पर भी जोर देता है। नगर-निवेश वास्तु-कला का एक प्रधान विषय है। कोई भी कला हो उसमें चारता होनी ही चाहिये। जो कला सौन्दर्य की सृष्टि नहीं करती, कल्याणकारिणी नहीं, अथवा पूर्वजों के पुत्रीभूत अनुभव (सत्य) का सम्यक् पालन एवं अनुगमन नहीं करती वह कदापि फलवती नहीं हो सकती। इसी जीवन-दर्शन एवं कला-मर्म को दृष्टि में रखकर समराङ्गण के लेखक ने गहित पुरों की अविरल अवतारणा (आगे देखिये) कर सत्य ही कहा है:—

पुराण मप्रशस्तानि संस्थानानीदृशानि दत् ।

एकस्मिन्नक्षपि तेनैषां न पुरं विनिवेशयेत् ॥

संस्थानमेकमप्येषां प्रमादात् क्रियते चद्दि ।

तद् राट्ट् निपीडेयत् छुद्द्विपद्भीतिमृत्तुभिः ॥ (१०-६०)

इस प्रवचन ने प्रकट है प्राचीन नगर-निवेश ने संस्थान—आकृति एवं मानोन्मान का पालन अनिवार्य था। उसका अपालन अथवा अर्धपालन न केवल पुर-विशेष के लिये ही अशुभ माना जाता था वरन् उस राष्ट्र—देश अथवा जनपद (जिसका वह पुर-विशेष एक इकाई—unit—शृङ्खला थी) के लिये भी अशुभ माना जाता था।

पुर के संस्थान—आकृति के इस औपौद्धातिक निर्देश के बाद अब हमें यह देखना है कि कौन सा आकार विशेष प्रशस्त माना गया है। समराङ्गण सूत्रधार चतुरश्राकार ही सर्व-प्रशस्त आकार मानता है। सत्य तो यह है कि प्राचीन परम्परा में चतुरश्राकार ही न केवल सर्वश्रेष्ठ माना गया है वरन् वह पूर्ण भी समझा गया है। वास्तु-निवेश में चतुरश्राकार की यह परम्परा वैदिक यज्ञवेदी की पावनता एवं उसके आकार का अनुगमन करती है। यज्ञ-वेदी की ही आधार-शिला पर भारतीय स्थापत्य का मव्य भवन खड़ा है। चतुरश्र (चौकोर) आकार की मीमासा में इतना ही सकेत आवश्यक है कि इस आकार में मानव जीवन की पूर्णता निहित है और इसमें संस्थान की पूर्ण अभिव्यक्ति भी प्रतिष्ठित है। कोई भी संस्थान जे चैकोर नहीं वह पूर्ण नहीं—इस सत्य को हम सब लोग समझ सकते हैं। चार वेद, चार वर्ण, चार आश्रम, चार अवस्थायें, जिस प्रकार ज्ञान, मानवता, मानव-पुरुषार्थ एवं मानव-विकास के प्रतीक हैं, उसी प्रकार वास्तु-रचना में चार अश्रों (चतुरश्र) का महत्व है। अतएव भोज ने (युक्ति-कल्पतरू तथा स० सू०—दोनो में) पुरों के चतुरश्र-विनिवेश में विशेष अभिनिवेश दिखाया है। यही कारण है, जहाँ मयमत, मानसार आदि ग्रंथों ने पुर की प्रतिष्ठा में ८१, ६४, ४६ आदि जिस किसी मी वास्तु-पद का विन्यास प्रतिपादित किया है, वहाँ समराङ्गण ने पुर-निवेश में ६४ पद-वास्तु का ही उल्लेख किया है। ६४ पद-वास्तु चतुरश्राकृति का आदर्श साइट-ज्ञान है।

ऊपर संकेत किया गया है नगर के शास्त्र-निर्दिष्ट संस्थान के प्रतिकूल जो संस्थान प्रमादवश प्रकल्पित किये जाते हैं वे ही अप्रशस्त-संस्थान गर्हित पुरों के जनक बनते हैं। परन्तु शास्त्रों का ऐकमत्य नहीं। जहाँ समराङ्गण चतुरश्र-संस्थान को सर्वोपरि मानता है वहाँ मयमत (अ० १०) में चतुरश्र, आयताश्र, वृत्त, वृत्तायत एवं गोलावृत्त—सभी आकृतियों में पुर-निवेश हो सकता है। देवी-पुराण (अ० ७२) में भी विभिन्न-कोटिक पुर-आकृतियां देखने को मिलती हैं—जिनमें त्र्यश्र एवं दीर्घ भी हैं। अग्नि एवं मत्स्य इन दोनो पुराणों के पुर के आकृति-विषयक प्रवचन समराङ्गण के निकट पहुँचते हैं। परन्तु जहाँ अग्नि में चंद्रार्धाकृति की निन्दा है वहाँ मत्स्य में उसकी बड़ी प्रशंसा है। सरिताकूलस्थ (Riparian) नगरों के लिये यह आकार विशेष उपयुक्त है। काशी की चंद्रार्धाकृति से हम सभी परिचित हैं। भविष्योत्तर-पुराण में समराङ्गण के अनुरूप दीर्घ एवं चतुरश्राकार पुरों की ही उपादेयता स्वीकार की गयी है। दीर्घाकार पुर ऐश्वर्य, सुख, शांति एवं स्थायित्व प्रदान करते हैं। चतुरश्राकार में चतुर्वर्गों (धर्मार्थकाममोक्ष—पुरुषार्थचतुष्टय) की सिद्धि होती है। त्र्यश्र नाशकारक है तथा वर्तुल तो ब्रवाद् ही कर देता है।

श्री दत्त महाराय (see T. P. in Ancient India p. 105) ने ठीक ही लिखा है.—It is clear that the rectangular or square shapes were the most favourable with the Indo-Aryan town-planners and were generally adopted in practice. The circular, triangular multiangular or any irregular civic contours were denounced because such shapes would react upon the planning of sites and buildings and their orientation,

अर्थात् यह स्पष्ट है कि, भारतीय आर्य पुर के आयताकार अथवा चतुरश्राकार को ही सर्वाधिक स्थान देते थे और विशेषकर ये ही आकार प्रयोग में भी लाये जाते थे। वर्तुल, त्र्यश्र (त्रिकोना) बह्वश्र (बहुकोना) अथवा अन्य विषम नगर-आकृतियाँ हेय-समझी जाती थीं। क्योंकि इन आकृतियों से पुर का पद-विन्यास ही नहीं बाधित होता था वरन् ५ में निवेश्य भवन-विधिया और उनके दिक्-साम्युख्य भी बाधित वन जाते थे।

ग हत पुर—

‘चतुरश्र’ आकृति के प्रतिकूल जो साधारणतया संभाव्य आकृतियाँ हैं उन्हीं में निविष्ट पुर गर्हित-पुर के नाम से समराङ्गण में संकीर्तित किये गये हैं। समराङ्गण (१०, ५३-६६) की दिशा में गर्हित पुर की निम्नलिखित संशयों हैं—

- | | |
|--------------|--------------------|
| १. छिन्नकर्ण | ६. व्यजनाकार |
| २. विकर्ण | ७. चापाकार |
| ३. वज्राकृति | ८. शकटद्विसम |
| ४. सूचीमुख | ९. द्विगुणायतसंस्थ |
| ५. वर्तुल | १०. विदिकस्थ |
| | ११. मुजंगकुटिल |

छिन्नकर्ण—

यथा-नाम जिस नगर के कर्ण ही छिन्न हों गये हो वह क्या कभी प्रशस्त माना जा सकता है। ऐसे कनकटे अर्थात् अचतुराश्राकार पुर में रहने वाले सदैव संकटमय जीवन से आक्रान्त रहते हैं। चौर्यमय, रोग, व्याधि एवं शत्रु-आतक सदैव वहाँ पर व्याप्त रहते हैं।

विकर्ण—

छिन्नकर्ण के भाई विकर्ण की भी यही कथा कहानी है। ऐसे नगर के तथा-कथित नागरिक ईर्ष्या, द्वेष, अनपत्यता एवं अनायुष्य के हमेशा शिकार रहते हैं।

वज्राकार—

वज्राकार से सम्भवतः अष्टाश्रि—अठकोने नगर का अभिप्राय है। जिस नगर के इतने कोने हैं उस नगर के निवासी भी सदैव यदि कोना ही भाँकते रहते हों तो आश्चर्य की क्या बात ? स्त्री-दासता, विषरोग, पड़यन्त्र आदि धूर्ततार्थ्य इस नगर की विशेषतायें हैं। अग्निपुराण (अ. १०६) में भी यह आकृति अप्रशस्त प्रतिपादित है।

सूचीमुख—

यथानाम सूची (सुई) के समान आकृतिवाले (अर्थात् बहुत लम्बा एवं चौड़ा विलकुल नहीं) इस पुर में दुर्भिक्ष एवं व्याधि का विशेष बोल-बाला रहता है।

वर्तुल—

गोलाकृति पुर को भी समराङ्गण में अप्रशस्त पुरों में ही परिगणित किया है। समराङ्गण, जैसा कि हम पूर्व ही प्रतिपादित कर चुके हैं, चतुरश्राकृति ही सर्वश्रेष्ठ मानता है। अतः वर्तुलाकृति भी उसे मान्य नहीं। ऐसे गोले नगर में रहनेवाले नागरिकों के लिये समी-कुञ्ज गोले है। दारिद्र्य, अनायुष्य आदि परिणाम स्वतः सम्भाव्य है।

इसके विपरीत ब्रह्माण्ड (अ० ७२) एवं कालिका (अ० ८४) पुराण वर्तुलाकृति पुर को प्रशस्त मानते हैं ।

व्यजनाकार—

व्यजन का अर्थ पंखा हम जानते ही हैं । ऐसी आकृति के नगर में झूठों की प्रमुख वस्ती बतायी गयी है । साथ ही साथ यहाँ के निवासी वात-रोग से विशेष पीड़ित रहते हैं । अथच शरीर की वात-व्याधि के अनुरूप यहाँ के निवासी चञ्चल-चित्त भी सदैव रहते हैं ।

कालिकापुराण (अ० ८४) ने भी इस आकृति को गर्हित माना है और निदर्शन-रूप यह उल्लेख किया है महापराक्रमी दानवेन्द्र महाराज बलि की महाराजधानी सौनितपुर अपनी व्यजनाकृति के कारण ही नाश को प्राप्त हुई ।

चापाकृति—

धनुषाकार पुर के प्राशस्त्य पर हम पूर्व-सकेत कर आये हैं तथा चन्द्रार्धाकृति (धनुषाकृति) के निदर्शन में पुण्यपुरी विश्वनाथपुरी वाराणसी का बखान भी कर आये हैं । परन्तु यह समझ में नहीं आता, समराङ्गण ने इसे भी क्यों गर्हित माना ? सम्भवतः चौकोर नहीं । अग्निपुराण तो इसे सर्वाधिक प्रशस्त मानता है । इसी प्रकार कालिका-पुराण ने इसे बड़ा प्रशस्त आकार स्वीकार किया है तथा निदर्शन भी दिया है कि इक्ष्वा-कुओं की प्रिय नगरी अयोध्या की महनीय कीर्ति का कारण उसकी धनुषाकृति है । धनुष शौर्य एवं वीर्य का प्रतीक है । परन्तु समराङ्गण के अनुसार ऐसे नगर के निवासी स्वयं परगड एवं उनकी स्त्रियाँ दुश्चरित्र होती हैं ।

‘शकटद्विसमाकार—

दो शकटों—गाड़ियों को बराबर खड़ा करने पर जो आकार निष्पन्न होता है उसे ‘शकटद्विसमाकार’ कहा गया है । ऐसी आकृतिवाले पुर में रहनेवालों को रोग, शोक, अनल एवं स्तेन (चोर) से भय सदैव विद्यमान रहता है । यही नहीं आरम्भ से ही ऐसे पुर के वासियों की सिद्धिया समाप्त हो जाती हैं, विप्राँ को भय समुत्थित होता है तथा शातिजनों (कुट्टम्बियों) में भेद भी उत्पन्न होने लगता है अर्थात् उनमें परस्पर कलह रहता है । साथ ही साथ समस्त पौरजनों एवं उनके स्वामी (राजा) के गज, वाजि का क्षय भी ध्रुव है ।

द्विगुणायतसंस्थान—

आयताकार पुर तो चतुरश्राकार की कोटि में ही आपतित होता है, परन्तु यदि वह द्विगुणायत (जिनकी लम्बी समानान्तर रेखायें चौड़ाई से दुगुनी हों) संस्थित होता है तो वह अग्रगस्त माना गया है । ऐसा पुर रत्न करने में असमर्थ हो जाता है । बलवान शत्रुओं के आक्रमण ने वह पददलित हो जाता है एवं वे ही उन पुर के भोगी बनते हैं ।

विड् मूढ—

पद-विन्यास के विवेचन के अवसर पर पद के दिक्-साम्मुख्य की ओर पूर्ण रूप में संकेत किया जा चुका है । कोई वास्तु-कृति विदिकस्था नहीं होनी, चाहिये । चार दिशाओं

एवं चार उपदिशाओं में ही निवेश विहित है। अतः विदिकस्थ पुर निन्दित है। इसमें नियोग (शान्ति एवं सुख) का, सतत अभाव रहता है। जननाश, अग्निदाह, स्त्रीकृत भय विशेष उल्लेखनीय हैं।

भुजङ्गकुटिल—

यथानाम उस पुग-विशेष की संज्ञा दी गयी है जिसकी आकृति सर्प के समान टेढ़ी मढ़ी विनिविष्ट की गयी हो। इस पुर के निवासी सदैव शत्रुओं (युद्ध के प्रतीक) अनिल (आधी आदि) पिशाचों, अग्नि, भूत (प्रेतवाधा) यक्ष आदि के भय से भयभीत रहते हैं। वे रोगी भी रहते हैं और उनका जीवन शीघ्र ही शेषता को प्राप्त हो जाता है।

समराङ्गण के इन गर्हित पुरों के वर्णन के उपरान्त कतिपय और भी पुर की अप्रशस्त आकृतियाँ हैं जिन पर भी थोड़ा सा संकेत आवश्यक है। वैसे तो समराङ्गण का यह प्रवचन सागोपाग है एवं एतद्विषयक इतने विस्तृत विवरण अन्यत्र अप्राप्य हैं तथापि कुछ संज्ञावैषम्य से-उनका भी दिग्दर्शनमात्र यहाँ अभीष्ट है।

मत्स्यपुराण (अ० २०७) पुर की 'अममयाकृति' निन्दित मानता है। कालिका-पुराण (अ० ८४) में 'मृदङ्गाकृति' पुर की गर्हता के प्रतिपादन के साथ-साथ यह भी निदर्शन-स्वरूप उल्लेख है कि रावण की सोने की नगरी लंका अपने मृदङ्गाकृति-निवेश से मिट्टी में मिल गयी।

गर्हित पुरों पर इस विवेचन एवं पुराणों के निर्वचनो में उल्लिखित गर्हित पुरों के दृष्टान्तों से एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष यह निकलता है कि प्राचीन भारत के ये वास्तु-शास्त्रीय ग्रन्थ कोरे 'शास्त्र' नहीं थे उनमें वास्तु-स्थिति का पूर्ण समन्वय था। जिस प्रकार पाणिनि का व्याकरण संस्कृत भाषा के समृद्ध विकास का द्योतक है उसी प्रकार भारतीय वास्तु-शास्त्र के ये ग्रन्थ प्राचीन समृद्ध एवं वैज्ञानिक पुर-निवेश-परम्परा के ही प्रतीक हैं। स्थापत्य कोरा न तो शास्त्र है न विज्ञान। उसमें जीवन एवं संसृति—दोनों का समन्वय होना चाहिये। मंसार के कतिपय नगरों के जिन आकृति-विशेषों के कारण उनका अवसान अथवा अभ्युत्थान हुआ, उसी को दृष्टि में रखकर आकृति की हेयता प्रतिपाद्यित नहीं वरन् पुर-निवेश में पुर की रक्षा, पौरजनो के विविध सौविध्य एवं उनके स्वास्थ्य आदि के सम्पादन में जो आकृति अनुकूल हो सकती है वही निवेश है। 'चन्द्रार्धाकृति' केवल नाद्य-नगरों के लिये ही प्रशस्त है न कि सर्व-साधारण-व्यवस्था।

आधुनिक नगर-निवेश

में

प्राचीन नगर-निवेश

(की देन)

आधुनिक नगर-निवेश

नगर-निवेश की जो पद्धति आजकल प्रचलित है अथवा जिसका विकास विशेषकर पश्चिमादि देशों में हुआ और जो आज समस्त सभ्य ससार की स्थायी सम्पत्ति सी बन गयी है उस के विषय में भी थोड़ी सी यहाँ पर जब हम प्राचीन भारतीय नगर-निवेश-पद्धति पर विचार कर चुके हैं, चर्चा करना अप्रासंगिक न होगा। सच तो यह है कि आधुनिक नगर-निवेश की प्रक्रिया—प्राचीन नगर-निवेश-पद्धति के ही आधारभूत सिद्धान्तों पर आश्रित है—हा यह अवश्य है कि परिस्थितियाँ विभिन्न हैं, अतः ओक के शब्दा में ‘Modern town planning can be said to be an adaptation of the ancient ideals of T. planning. The basic principles have not changed. It is but putting old wine in new bottles. अर्थात् आधुनिक नगर-निवेश प्राचीन नगर-निवेश का आधुनिक संस्करण है जिसमें आधुनिक परिस्थितियों का स्पष्ट प्रभाव है। आधारभूत सिद्धान्त नहीं बदले, शराब वही है, पुरानी है, नयी बोतल में रखी है। साथ ही, इसके कि प्रथम हम आधुनिक नगर-निवेश पद्धति की समीक्षा करें, हम यह भी देखेंगे कि आधुनिक सभ्यता में प्राचीन सभ्यता की अपेक्षा कौन कौन सी नवीनताओं का समावेश हो गया है जिनके कारण इस पद्धति में नवीन घटकों का समावेश करना आधुनिक नगर-निवेशकों (Town planners) के लिये आवश्यक हो गया है।

पिछले प्रकरणों में हम इस तथ्य का बहुत बार उद्धाटन कर चुके हैं कि प्रत्येक नगर की अपनी वैयक्तिकता individuality अवश्य होती है। नगर के व्यक्तित्व का निर्माण उस नगर के निवासी—नागरिक करते हैं। प्रत्येक युग में, प्रत्येक देश में नागरिकों के रहन सहन, विचार आचार, भोजन-भजन, चाल-चलन आदि परिस्थिति-वश परिवर्तित होने रहते हैं। अतः स्वाभाविक ही है कि आज के मानव में पुराने काल के मानव से उपर्युक्त सभ्यता-सम्पादक, संस्कृति-विधायक जीवन के तरीकों में वैलक्षण्य होवे ही। आधुनिक युग वैज्ञानिक युग कहा जाता है। विज्ञान ने हमारे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में क्रान्तिकारी परिवर्तन कर दिये हैं। विज्ञान के द्वारा जहाँ विभिन्न प्रकार से विशिष्ट ज्ञानार्जन से हमारे रहन सहन आदि जीवन के अंगों में परिवर्तन उपस्थित हो गये हैं वहाँ

यातायात, व्यवसाय, कार्य-व्यापार, युद्ध आदि में भी बड़े अभिनव परिवर्तन घटित हो गये हैं। स्थान-स्थान पर बड़े बड़े कारखाने, फैक्टरियाँ, मिल, स्टेशन, व्यावसायिक केन्द्र (Industrial areas) तथा बन्दरगाह स्थापित हो गये हैं तथा प्रतिदिन स्थापित होते जा रहे हैं। सौविध्यवश तथा यातायात के साधन-सौलभ्य के कारण ये कारखाने विशेषकर किसी महानगर के समीप अथवा उसके अन्त्यन्त प्रदेश में स्थापित होते हैं। अतः जब सभ्यता प्रतिदिन उदीयमान है और प्रत्येक सभ्य मानव सुन्दर वेष-भूषा, सद् व्यवहार एवं सद् आचार-विचार के साथ सन्निवास की प्रथम आवश्यकता समझ रहा हो तो आश्चर्य ही क्या ? अतः इस बीसवीं शताब्दी में 'नगर-निवेश' का विषय सार्वभौमिक रूप से सबको समाकृष्ट कर रहा है।

आधुनिक नगर-निवेश-कला के अनुसार इस कला का एक मात्र उद्देश्य किसी एक नये नगर के निर्माण हेतु योजना बनाना ही अभिप्रेत नहीं है, वरन् निर्मित-नगरों के सुधार, प्रसार, विस्तार एवं संहार आदि से किस प्रकार से उसको नये ढंग से नयी आवश्यकताओं की पूर्ति के हेतु सन्निविष्ट एवं सुनिर्मित किया जावे जिससे रहने के सभी साधन एवं सुख समुपलब्ध हो सकें—यह भी परम अभीप्सित होता है। इस दृष्टि कोण से एक नगर के निवेश में उसके एक मात्र विभिन्न अंगों—जैसे मार्ग-विनिवेश, प्रतोली-विन्यास, हर्म्य-निवेश, पादपारोपण, उद्यान-योजना, पुरजन-विहार-प्रस्तावना आदि आदि के सम्यक् सन्निवेश से ही नगर-निवेश की पूर्ण अभीष्ट-सिद्धि की सफलता का अंकन नहीं किया जा सकता जब तक नगर-निवेशक की अपनी निजी प्रेरणा तथा उत्तरदायित्व के पूर्ण परिपाक के उसमें दर्शन नहीं होते। ठीक भी है। जिस प्रकार से विभिन्न वर्णों (Colours) की संभृत सामग्री से ही चित्र का निर्माण नहीं होता जब तक चित्रकार की प्रतिभा एवं तूलिका इन दोनों का योग नहीं मिलता। अथवा जिस प्रकार एकमात्र शब्द-चयन से ही कविता का जन्म नहीं होता जब तक कवि अपनी वरद प्रतिभा से उन में एक दिव्य ज्योति नहीं प्रदान करता। उसी प्रकार एक नगर-निवेश की अपनी पद्धति के साथ-साथ नगर-निवेशकों की अपनी प्रेरणाओं तथा उत्तर-दायित्व के योग का सामञ्जस्य जब तक नहीं स्थापित होता है तब तक यह कार्य ठीक नहीं उतरता।

अतः निर्विवाद है कि नगर-निवेश की वैज्ञानिक पद्धति के अनुसार नगर में आवश्यक विभिन्न विनिवेश्य इस प्रकार विनिविष्ट हों कि उनका परिणाम सुखद, सुन्दर, सौ विध्य-पूर्ण, बहुद्रव्य-निर्व्यपेक्ष्य एवं सर्वांग-पूर्ण हो। किसी नये नगर के निवेश में अथवा पुराने नगर के सुधार अथवा प्रसार में, जलदान (Water supply) स्वच्छता (Sanitation), मार्ग-विन्यास-कौशल, प्राकृतिक सुपुमा-विरचना, व्यावसायिक वीथियों के विनियोग में यातायात की सुविधा-प्रदान, जनावासों की विभिन्न श्रेणियों का विन्यास, औपधालयों, पुरजन-विहारों, उद्यानों, क्रीडाक्षेत्रों का सम्यक् विनियोग आदि सभी दृष्टि कोणों से नगर-निवेशक अपनी मेधा के सहारे वह रूप दे देता है जो सभी प्रकार की सुविधाओं एवं सुखों की सृष्टि कर सकता है। अथवा नगर-निवेश के समय उस प्रान्त अथवा जनपद जिसमें वह नगर आता हो उसको भी दृष्टि में रखना आवश्यक होता है। आधुनिक नगर-निवेश की भाषा में उसे—Regional Planning कहते हैं। रुचं तो यह है कि

नगर-निवेश (Town-Planning) Regional Planning का ही एक अंग है। यद्यपि यह प्राचीन शिल्प-शास्त्रों में शाब्दिकरूप से नहीं, प्रतिपादित किया गया, परन्तु व्यावहारिक दृष्टि से प्राचीनों का भी इस ओर ध्यान अवश्य था। समराङ्गण तो देश-निवेश अथवा राष्ट्र-निवेश के अन्तर्गत ही नगर-निवेश को मानता है—यह हम पूर्व ही प्रतिपादित कर चुके हैं। अतः Regional Planning का आधुनिक T. Planning में बड़ा महत्व है तथा होना भी चाहिये। वह प्राचीन पद्धति में भी था।

इसी उद्देश्य को दृष्टि में रखकर आजकल हम सर्वत्र बड़े-बड़े नगरों के सुधारार्थ मास्टर-प्लान का सुमधुर गान प्रायः प्रतिदिन सुनते हैं। बात यह है कि ज्यों-ज्यों आबादी बढ़ती जाती है, कारखानों की संख्या और उनमें काम करनेवालों की संख्या बढ़ती जा रही है, त्यों-त्यों नगरों के विपुलतम प्रसार की आवश्यकता ही नहीं, अनायास अवकाश भी मिलता जाता है। साथ ही साथ एक बात और भी है। आजकल जीवन कठोर है। यथासाध्य योजनाओं की पूर्ति शीघ्रता से नहीं होती। अतः प्रायः सभी नगरों की कार्य-संचालिका नगर-पालिका (Municipalities) अथवा कारपोरेशंस नगर-पुनरुद्धार अथवा नगर-सुधार या नगर-पुनर्निर्माण की सुदीर्घ-कालीन योजनायें बनाती हैं और उनकी पूर्ति के लिये प्रतिवर्ष यथा-साध्य कुछ न कुछ कार्य किया करती हैं। परन्तु यहाँ यह स्मरणीय है कि चूंकि जीवन प्रतिवर्ष परिवर्तनशील है, युग भी बदलता है, अतः मास्टर-प्लान की सभी योजनायें जो किसी काल-विशेष में बनी थीं, वे सर्वदा के लिये तो अविकल रूप से कार्यान्वित नहीं की जा सकती—परिस्थितियाँ बदल सकती हैं—आवश्यकतायें भी बदल सकती हैं। अतः मास्टर-प्लान के लिये यह अत्यन्त आवश्यक है और यहीं पर मास्टर-प्लान की प्रतिमा की परीक्षा भी है कि उन मास्टर-प्लानों में वर्तमान-कालीन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये तो वहाँ पूर्ण अवसर हो ही साथ ही साथ भविष्य की परिवर्तनशील परिस्थितियों के अनुसार भी उनमें यथोचित गुंजाइश हो। अतः एक आधुनिक नगर-निवेश के लिये जिन विशेषताओं की अनिवार्यता सभी को मुक्कंठ से स्वीकार होगी वे निम्न रूप से अङ्कित की जा सकती हैं:—

१. यथोचित एवं उपयुक्त विन्यास-योजना।
२. नगर की अपनी वैयक्तिकता।
३. विपुल वायुमचारार्थ खुली जगहें।
४. आबादी की अमंकीर्णता।
५. विस्तृत मार्ग।
६. सुन्दर स्वच्छता।
७. प्रचुर-जल-कल-व्यवस्था।
८. पूजा, शिक्षा, क्रीडा तथा मनोरञ्जन के उपयुक्त स्थानों की यथोचित स्थिति।
९. जन-पुगीपालय तथा नालियों की सुव्यवस्था।
१०. घृणित तथा अमुन्दर एवं आदरणीय दृश्य का अभाव—जैसे धूम्र, धूल तथा जोरगुल।
११. सौविध्य-पूर्ण तथा मस्ते यातायात के माधन।
१२. जोर्निंग—विभिन्न कार्यों एवं आवश्यकताओं के लिये विभिन्न आवासों की रचना।

१३ नगर-संचालन का सुन्दर शासन-प्रबन्ध

१४ नागरिकों का उसमें अनुकूल सहयोग तथा संतोष

अतः स्वयं सिद्ध है कि नगर के प्रमुख घटक (Components) जिन पर उसका नगरत्व आश्रित है वे हैं उनके १ निर्माण २ खुली जगहें तथा ३ यातायात के साधन (means of communication) । इनमें जहाँ तक नगर के निर्माणों (Structures) का सम्बन्ध है वे, जैसा हमने पूर्वपीठिका में प्राचीन नगरों के विकास के प्रकरण में देखा, वे नगर की स्थिति (Situation) से प्रभावित हैं । नगर की यह स्थिति किसी मैदान में है या प्लेटों पर है अथवा पर्वत की उपत्यका में है ? उसकी भूमि समतल है अथवा विषमतल ? उस स्थान का वातावरण किसी धार्मिक स्थान अथवा ऐतिहासिक स्मारक से प्रभावित तो नहीं ? वह स्थान नदी का किनारा है अथवा नदियों का संगम ? किसी पुष्करिणी का तट, या सागर-वेला अथवा औद्योगिक केन्द्र या खानों (mines etc.) का वह स्थान तो नहीं ? अथवा फिर उस स्थान की कोई (Strategic) महत्ता तो नहीं है—ये सभी स्थितियाँ नगर के निर्माण में पूर्ण प्रभाव डालती हैं । अथवा निर्माण में निर्मित स्थान—मवन, मार्ग आदि तथा अनिर्मित स्थान—खुली जगहें—इन दोनों की दृष्टि से एक आधुनिक नगर के निम्नलिखित अवयव विशेष उल्लेखनीय हैं:—

१ भवन

अ. प्रासाद, हर्म्य, निकुञ्ज—समृद्धों के भवन

ब. साधारण जनावास—फ्लैट्स—जन-वास-वीथियाँ

स. दरिद्र-वसतियाँ

२ व्यापार-मालिका—(Commercial buildings, banks, offices etc.)

३. औद्योगिक-भवन—कार्यालय तथा मिल (factories, workshops and mills)

४. संस्था-भवन—विद्यालय, महाविद्यालय, पुस्तकालय

५. चिकित्सालय, अस्पताल, रसायनशालायें, स्वास्थ्यशालायें

६. सर्वसाधारण-स्थान (Public places)—नगर-सभा-भवन, न्यायालय, विश्वविद्यालय, रेलवे-स्टेशन

७. हट्टालय

८. मनोरञ्जन के स्थान—प्रेक्षागृह, नाट्यशालायें, चित्र-गृह, स्टेडियम्स, तैरण-तटारा

९. पार्क, उद्यान, पुष्प-मण्डप, लतावितान

१०. मार्ग, जलकल, रेल

११. वायुयान-विराम एवं पोत-स्थान

१२. दाह-स्थान

इस प्रकार से हम देखते हैं कि आधुनिक नगर-निवेश की सागोपाग संपन्नता के लिये सागोपाग निवेश-पद्धति की आवश्यकता स्वभावतः होती है । प्राचीन कालीन शिल्पीय ग्रंथों में स्थपति की योग्यता के सम्बन्ध में जो-जो बातें मिलती हैं (देखिये पूर्व अध्याय स्थपति एवं स्थापत्य) वे आधुनिक काल में एक विज्ञ कारीगर (mason) अथवा ओवरसियर या इंजीनियर या नगर-पालिका-संचालक, किसी एक के बूते की बात नहीं है । नगर

निवेश की सुसमीचीन योजना के लिये विशाल ज्ञान-माडागर की आवश्यकता होती है। हा, नगर-निवेश के सहायकों की ज्ञानराशि के साथ उसकी दूर-दर्शिता, विस्तृत पर्यवेक्षण (wider outlook) के सहारे ही एक नगर के सम्यक् सन्निवेश की सिद्धि हो सकती है।

आधुनिक नगर-निवेश के नियमों में भी प्रथम स्थान भूमि-चयन आदि (preliminary survey) को ही दिया गया है। इस सर्वे में भौगोलिक, भौगर्भिक, तथा जलवायु-परिस्थितियों के साथ-साथ वहा की आर्थिक स्थिति, राजनैतिक परिस्थिति, यातायात के साधन, आवादी, व्यापार-वाणिज्य एवं व्यवसाय, सांस्कृतिक कार्यकलाप, प्रसार, स्थानीय सुधार आदि की पर्यवेक्षा करनी पड़ती है।

नगर-निवेश की इस प्रारम्भिक परीक्षा में मान-चित्रों की उपयोगी सहायता लेनी चाहिये। विना मान-चित्रों के समीचीन सन्निवेश की सागोपाग समीक्षा नहीं बनती। भूमि, भूमि-प्रभुता, भूमि-सीमा, जनपद, मार्ग, प्राकृतिक साधन—वन, सरिता, पर्वत, खानें, जलवायु उपज, कृषि, व्यापार, व्यवसाय आदि की दृष्टि में रखकर इस परीक्षा में तत्पर हुआ जाता है।

आधुनिक वैज्ञानिक युग में परम्परागत मानचित्रीय-व्यवस्था के अतिरिक्त वायु-यानीय परीक्षण-विधि परमोपयोगी है। वायु-यानीय पर्यवेक्षण (Aerial-survey) से आजकल के युग में किसी भी स्थान-विशेष के मान-चित्र-निर्माण में सहायता मिल सकती है, विशेषकर ऐसे स्थानों की जहाँ पर प्राकृतिक साधन विपुल होते हुए पहले कभी मानवावास न रहा हो। आधुनिक नगरों के निवेश के सम्बन्ध में भी इतना स्मरणीय है, जो कि सनातन से सार्वभौमिक रूप से सभी प्राचीन एवं पराचीन, पाश्चात्य तथा पूर्वीय सभी नगरों की समान कहानी है, कि किसी नगर की कहानी उस काल की सभ्यता की कहानी है।

नगर-निवेश की पद्धति Formal तथा informal दोनों प्रकार की हो सकती है। प्रथम से अभिप्राय है रैखिक (Geometrical)—यह खाका आयताकार (rectangular) हो सकता है अथवा वृत्ताकार (circular with rings and radial lines) अथवा दोनों का मिश्रण। आधुनिक दुनियों के महान नगरों के रेखा-चित्रों को यदि हम देखें तो पता लगेगा कि भिन्न-भिन्न इन विशाल नगरों का विकास अपने-अपने स्थानीय भौगोलिक विशेषताओं के कारण इतना सुविस्तृत एवं सुममृद हो सका है। योरोप के पेरिस, लन्दन, बर्लिन, मास्को आदि बड़े-बड़े महानगरों के निवेश-समझलीकरण ने मकड़ीजाल के स्वरूप को धारण कर लिया है। इसके विपरीत न्यूयार्क, एयेन्स, वाशिङ्गटन आदि महानगरों के निवेश में आयताकृति का स्वरूप अत्र भी स्थिर है।

प्राचीन पुरों के समान आधुनिक नगरों को भी हम अपनी अपनी प्रयोजन-विशेषताओं अथवा कार्य-व्यापारों के अनुरूप विभिन्न वर्गों में बाँट सकते हैं—श्रौत्रोगिक व्यापारिक, विज्ञापिठीय, गजपीठीय, स्वास्थ्य-सम्बन्धी, श्रवकाशयापनीय आदि आदि।

आधुनिक नगर-निवेश की सर्व-प्रमुख विशेषता है—वर्गीकरण—जोनिंग (zoning)। इन जोनिंग-पद्धति का उद्देश्य यह है कि किस प्रकार के नगर की शोभा सम्पन्नता, उमका

सौंदर्य, नागरिकों के सौविध्य आदि के साथ-साथ नगर की उपयोगिता, स्वच्छता, सुरक्षा तथा सुविधा की वृद्धि हो सके। किसी नगर की जोनिंग के लिये उस नगर के विभिन्न विभाग-क्षेत्रों जैसे बसती तथा खुली जगह, यातायात के साधन के केन्द्र—मार्ग, रेलवे लाइनों जलमार्ग, वायुक्षेत्र के साथ-साथ आमोद-प्रमोद के स्थान—पार्क, उद्यान और पुरजन-विहार इन सभी की व्यवस्था को दृष्टि में रखना पड़ता है। इस प्रकार एक शहर के विभिन्न विभागों के सुव्यवस्थित एवं सुन्दर सन्निवेश के द्वारा उसका निर्माण सुधार अथवा विस्तार को जोनिंग कहते हैं। इस जोनिंग-प्रक्रिया के सहारे आधुनिक वास्तु-शास्त्रियों के मतानुसार नगर-निवेश सुसम्पन्न हो सकता है। इस प्रक्रिया के अनुसार नगर को प्रथम जोनों (zones) में बाँट दिया जाता है—भविष्य में आवश्यक स्थलों को भी परिगणित कर लिया जाता है तथा पुनः उन सबकी उपयोगितानुरूप व्यवस्था की जाती है। साथ ही साथ गृहों की संख्या तथा उनकी ऊँचाई आदि की व्यवस्था भी आवश्यक होती है, अन्यथा आवादी के संकीर्णता-दोषों से कैसे बचाव हो सकेगा? जोनिंग के अंशों पर थोड़ा सा संकेत किया गया है परन्तु यदि थोड़ा सा और विस्तार दें तो जोनिंग-पद्धति के अनुसार एक आधुनिक नगर के अभीष्ट निम्न वर्ग (zones) आवश्यक हैं :—

१. सरकारी तथा अर्ध-सरकारी इमारतों के वर्ग
२. वाणिज्य-बीथी-वर्ग
३. शिक्षा-निकेतन तथा प्रयोगशालाओं के वर्ग
४. औद्योगिक स्थानों के वर्ग
५. आवास-मालिका के वर्ग
६. क्रीडा-क्षेत्र-वर्ग

पुर-निवेश, पुर-सुधार एवं पुर-प्रसार के समन्वय में मास्टर प्लान—वृहद्-योजना का जिक्र हो चुका है। जोनिंग मास्टर-प्लान का ही एक अति आवश्यक अंग है। अतः इस जोनिंग-प्रक्रिया से हमें एक कठोर अथवा अपरिवर्तनीय व्यवस्था नहीं समझना चाहिए।

आधुनिक-नगर-निवेश-पद्धति के अनिवार्य सिद्धांतों के अनुसार नगर-निवेश के विवरणों के समन्वय में सर्वप्रथम हमें नगर के राजमार्ग, जनपथ, प्रतोली, पादवीथी, रेलवे, ट्राम-पथ, मोटरबस तथा अन्यान्य यातायात के मार्ग आदि के सम्यक्-निवेश की और ध्यान देना होगा। पुनः स्थान-स्थान पर हड्डालय, चिकित्सालय, विद्यालय, पुस्तकालय, उद्योगालय आदि आदि के साथ-देवालय अथवा पूजालय एवं पुरजन-विहार-स्थान आदि के समीचीन एवं उपयुक्त सन्निवेश के लिये पूर्ण अवकाश प्रदान करना होगा। तीसरे भिन्न-भिन्न आवास-स्थलों में आवादी तथा आवादी के विभिन्न वर्गों के अनुकूल विभिन्न वर्गों की सुविधा और स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा।

इस प्रकार नगर-निवेश में इन आधुनिक आवश्यकताओं तथा परिस्थितियों से प्रादुर्भूत अनुभवों के परिशीलन से पता लगेगा कि नगर-निवेश एकाध आदमी के वृत्त की बात नहीं है। नगर-निवेश की सर्वाङ्गपूर्णता के लिये नगर-निवेश से समन्वित आवश्यक विभिन्न ज्ञान के वेत्ताओं के सहयोग से ही उसकी पूर्ण योजना तथा उसकी कार्यरूप में परिणित सम्भाव्य है। वास्तु-वित् स्थपति के साथ इञ्जीनियर, सौंदर्य-शास्त्री, अर्थशास्त्री, कानूनदा, कृषि-अनुयाय,

उद्यान-विशारद, समाज-शास्त्री, जन-स्वास्थ्य-कोविद आदि समी के सहयोग की इसमें आवश्यकता होगी ।

अथच आधुनिक नगर-निवेश-विचक्षणों के सम्मुख सब से बड़ी समस्या आधुनिक महानगरों में विकसित एवं अत्युग्रभावेन पल्लवित स्लम-समस्या का निराकरण है । इस समस्या ने आधुनिक कथित नामधारी विज्ञान युग पर महाकलंक की कालिमा पोत दी है । शहरों की आवादी का एक प्रमुख भाग कर्मकारों तथा साधारण-जीविकोपजीवियों का है । प्रायः धनाभाव एवं अन्य आधुनिक सुविधाओं के अभावों से आक्रान्त ये बेचारे छोटे छोटे कमरों—(कोठरियों) में एक दो नहीं चार-चार पाच-पाच की संख्या में पशुओं के सदृश बाड़ों में रहते हैं, सोते हैं । इस प्रकार विभिन्न रोगों से आक्रान्त तथा ग्रस्त होकर अकाल ही काल के प्रास बनकर अपनी ऐहिक लीला समाप्त कर देते हैं । किसी भी देश के राष्ट्रीय-जीवन के लिये इससे बढ़कर और कौन अभिशाप होगा ? अतः प्रायः सभी बड़े बड़े शहरों में स्लम-समस्या के निवारणार्थ इम्प्रूवमेंट-ट्रस्ट, डेवलेपमेंट-बोर्ड आदि आदि नामिका संस्थाओं के तत्वावधान में मास्टर-प्लानें—बृहद्-योजनायें बन रही हैं—बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं—कार्य तो अभी कुछ हो नहीं पाया है । दूसरे, युद्ध के कुपरिणामों के कारण आधुनिक जीवन इतना संकटमय एवं कटु तथा कठोर हो रहा है कि समस्या सुलभती नहीं दीख पड़ती । तब भी सभी सभ्य देश तथा उनकी सरकारें इस ओर सचेष्ट हैं—दत्तावधान हैं—यह तो निस्सन्देह अच्छा लक्षण है । अथच यद्यपि उद्योगधंधों की बढ़ती, मिलों तथा कारखानों की स्थापना, आजकल के न्यूनता-युग (Scarcity age) में उपेक्ष्य नहीं है परन्तु सरकार को किसी फैक्टरी अथवा मिल के संचालन एवं संस्थापन-व्यवस्था की स्वीकृति देने के पूर्व उनमें आवश्यक कर्मचारियों की निवाससमस्या एवं वास-योजना पर पूर्ण रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है । साथ ही साथ वर्तमान स्लम-मवनों के सुधारार्थ अथवा उनके आमूल संहारार्थ जो विभिन्न विचार विद्वानों ने प्रकट किये हैं उनको समीक्षा आदि लेखक को यहाँ अभिप्रेत नहीं है । यहाँ पर तो आधुनिक नगर-निवेश की व्यवस्था एवं समस्याओं की ओर पाठकों का ध्यान आकर्षित करके प्राचीन भारतीय नगर-निवेश पद्धति की संतुलनात्मक समीक्षा के ज्ञानार्जन से यह व्यवस्था करनी है कि स्वतंत्रता के इस नव-प्रभात में भूतकालीन स्वर्णिम बुनियाद पर वर्तमान के भव्य प्रासाद को हम कैसे बना सकते हैं ? आज हमारे देश में इसी प्रेरणा की आवश्यकता है, इसी उपचेतना की जरूरत है—नहीं तो प्रत्येक क्षेत्र में विभिन्न विकास-योजनायें अथवा सुधार-व्यवस्थायें जो बन रही हैं, वे कामयाब नहीं हो सकेंगी ।

अतः संक्षेप में यहाँ पर इतना ही विशेष उल्लेखनीय है कि चूँकि आजकल नगर-निवेश के आन्दोलन में विशेषकर वर्तमान नगरों का सुधार ही विशेष अभिप्रेत है, अतः उनके नव्य-निवेश एवं उनके सुधार को दृष्टि में रखकर निम्न योजनाओं को कार्यन्वित करना ही विशेष अभीष्ट होता हैः—

२. प्रसार-योजना
३. सुधार तथा विकास की योजनायें
४. मार्ग-प्रसार तथा उनके विस्तार की योजना
५. नवीन मार्ग-निर्माण
६. स्लम-सुधार-योजना
७. स्लम-संहार
१. भवन-योजना

भवन-योजना प्रत्येक नगर-निवेश-योजना की एक प्रमुख एवं अत्यन्त महत्वपूर्ण योजना है। भवन मनुष्य के जीवन में बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। सभ्य मनुष्य की प्रथम आवश्यकता आहार न होकर निवास है। यही सभ्यता एवं असभ्यता किंवा वन्य जीवन के विभेद का निर्णायक है। भवन मनुष्य का स्वर्ग है। अतः यदि पुर-निवेश में भवन-निवेश का ठीक तरह से ध्यान न रखा गया तो वह स्वर्ग नर्क में परिणत हो जाता है। हत-भाग्य बहुसंख्यक मनुष्यों की यही तो इस कथित सभ्य युग में आत्म-कहानी है। घर कैसा होना चाहिये, घर में कमरों की स्थिति कैसी होनी चाहिये आदि आदि—इस सम्बन्ध में लेखक का भवन-प्रकरण द्रष्टव्य है।

२. विस्तार, प्रसार तथा विकास-योजनायें

आधुनिक युग में उद्योग-धर्मों के बाहुल्य तथा उनके द्रुततर प्रसार के कारण प्रायः सभी नगरों में निवास-स्थानों की कमी पद-पद पर महसूस की जा रही है। अतः नगर के बाह्य प्रदेश अथवा समीपस्थ भू-भागों में वसतियों (Localities) के प्रसार एवं नव-निर्माण की आवश्यकता होती है। इस प्रकार कालान्तर पाकर ये वसतियाँ उस नगर के अभिन्न अंग बन जाते हैं और वह नगर एक महानगर में बदल जाता है। नगर-प्रसार में सरकारी पुर-निवेश-विभाग के लिये यह अत्यन्त आवश्यक है कि वह इस दिशा में बड़ी सतर्कता से काम ले, अन्यथा 'विनायक ! कुर्वाणो रचयामास वानरम्' की कहावत चरितार्थ हो जाती है। लोग अपनी अपनी होड़ में अस्त-व्यस्त तरीकों से अव्यवस्थित एवं अवैज्ञानिक तरीकों से घर बनवाने लगते हैं—न मार्गों का ख्याल, न अन्य यातायात एवं अनिर्वाय आवासोपयोगी साधनों की चिन्ता—फल दुःसह तथा अव्यवस्थित निवेश। अतः नगर-निवेश विभाग को इस सम्बन्ध में अपनी एक बृहद्-योजना (Master plan) बना लेनी चाहिये, पुनः सभी दृष्टियों से नगर में निवेश्य स्थानों की व्यवस्था को ध्यान में रखकर प्लाटों में समस्त भू-भाग को विभाजित कर उस पर अपनी प्रसुता स्थापित कर मार्ग, नालियाँ, रेलवे-लाइन तथा जलकल आदि के निर्माण एवं निवेश-की योजना बनाकर ही उन प्लाटों पर सुव्यवस्थित घर बनवाने की आज्ञा प्रदान करनी चाहिये—प्रायः यह व्यवस्था न्यूनाधिक रूप में बर्तने लगी है—यह शुभ चिन्ह है।

३. मार्ग-विस्तार योजना

इस योजना का सम्बन्ध नव नगर-निवेश से न होकर पुराने नगरों में संकीर्ण-मार्गों के सुधार से है। ज्यों ज्यों नगर की आवादी बढ़ती जाती है—उस विशाल जनसंख्या के आवागमन की सुविधा को दृष्टि में रखते हुए अथवा एक विकसित एवं उदीयमान नगर के लिये आवश्यक आधुनिक यानों—ट्राम्स, मोटर, बस आदि के यातायात-सौविध्य के लिये एक सफटाकीर्ण एवं संकुचित मार्ग को विस्तीर्ण करना अनिवार्य हो ही जाता है। परन्तु पथ-विस्तार का कार्य बिना पथ पर स्थित भवनों के संहार के कैसे हो सकता है? अतः इस व्यवस्था को कार्यान्वित करने के लिये बड़े बड़े नगरों में उन भवनों को ध्वंस कर उन का हर्जाना Compensation भवन-पतियों को देकर यह कार्य सम्पन्न करना चाहिये।

स्लम-सुधार

स्लम के विषम परिणामों पर थोड़ा सा संकेत ऊपर किया जा चुका है। अतः स्लम-सुधार एवं स्लम-संहार के लिये यह आवश्यक है कि सरकार स्लम में रहने वाले कर्मकरों—मजदूरों तथा गरीबों के रहने के लिये उपयुक्त स्थानों पर भूमि देकर उनके आदश-निवास बनाने की व्यवस्था करे। यह बहु-द्रव्य-साध्य समस्या है। इसमें पूजीपतियों, मिल मालिकों, कार्यालय-संचालकों तथा मजदूरों के भी परस्पर सहयोग एवं साहाय्य की परम आवश्यकता है। गवर्नमेंट इस दिशा में जागरूक अवश्य है परन्तु अभी कोई विशेष परिणाम नहीं निकले। विशेष ध्यान तथा प्रयत्न की आवश्यकता है।

प्राचीन नगर-निवेश की देन

इस अध्याय के पूर्वार्ध में आधुनिक नगर-निवेश की व्यापक आवश्यकताओं एवं तदनुरूप व्यापक सिद्धान्तों के साधारण समीक्षण के उपरान्त अब क्रमप्राप्त प्राचीन-नगर-निवेश के कतिपय उन सिद्धान्तों का निर्देश करना है जिनके अनुगमन एवं अनुवर्तन से हम आधुनिक नगर-निवेश को विशेष उपादेय एवं सफल बना सकते हैं।

प्राचीन एवं अर्वाचीन समाज एवं संस्कृति में बड़ा अन्तर है। विज्ञान की उन्नति ने समाज एवं संस्कृति में काया-कल्प कर दिया है। अतः ऐसे समाज के अनुरूप नगर-निवेश में प्राचीनों के बहुत से नगर-निवेश-नियम व्यर्थ सिद्ध हो रहे हैं। नगर-निवेश का सर्वभेदक घटक प्राकारादिविन्यास का आधुनिक नगर-निवेश में कोई स्थान ही नहीं रह जाता है। देवतायतन-निवेश के प्रति आजकल प्रायः सभी अ-धार्मिक (Secular) राष्ट्रों का कोई अभिनिवेश हो ही नहीं सकता। 'मार्ग-विन्तायें,' 'आरामोद्यानादि विनिवेश' में भी प्रयत्न संस्करण एवं परिवर्तन की आवश्यकता है।

अथवा आधुनिक जटिल जीवन की बहुमुखी आवश्यकताओं के अनुरूप—अन्तर्राष्ट्रीय व्यंताय, पारस्परिक राजनैतिक आदान-प्रदान (Embassies) एवं विभिन्न राजनैतिक, सांस्कृतिक एवं व्यावसायिक सम्बन्धों के साथ-साथ राष्ट्रीय उद्योग-धन्धों (Mills, Factories) तथा अर्थ-प्रवहणियों (Banks, Insurances) सरकारी कार्यालयों

(Secretariats, Magistracies, Collectorates and judicatures) के स्थान-विभाग के लिये आधुनिक नगर-निवेश में विशेषकर महानगरों एवं राजधानी-नगरों के निवेश में प्रयत्न ध्यान देना अनिवार्य हो गया है ।

यही नहीं आधुनिक नगर-निवेश में विशेषकर भारतवर्ष ऐसे प्राचीन देश में (जहाँ पर दीर्घ-कालीन पारतन्त्र के कारण आधुनिक विज्ञान एवं उद्योग के अनुरूप बहुत कम नगर-सुधार अथवा नगर-संहार हुए हैं) नवीन नगर-निवेश की उतनी जटिल समस्या नहीं जितनी प्राचीन नगरों के सुधार की । अतः आधुनिक नगर-निवेश के व्यापक कलेवर में नगर-निर्माण, नगर-सुधार एवं नगर-संहार—तीनों ही अनायास समाविष्ट हैं । आधुनिक नगर-निवेश की इसी त्रिगुणात्मिका सृष्टि के लिये हमें यहाँ पर विवेचन करना है ।

नगर-निर्माण

भारतवर्ष के नगर-निवेशकों को जिस आधारभूत सिद्धांत (Fundamental Canon) को दृष्टि में रखने की आवश्यकता है उसके सम्बन्ध में इतना ही सूत्ररूप से निर्देश है कि नगर निवेश व्यापक भारतीय संस्कृति एवं विशाल भारतीय जीवन के ही अनुरूप हो । पश्चिमीय नगर-निवेश की जो रूपरेखा विकसित हुई है उसका पूर्ण रूप से अनुगमन (Copying) इस देश के लिये उपादेय एवं सफल नहीं हो सकता । हमारा रहन-सहन- आचार विचार, भोजन भजन, परिधान एवं पान, तथा परिवार एवं कुटुम्ब आदि वैसा ही नहीं हैं जैसा पाश्चात्यों का अतः कोई भी नगर-निवेश जो इन सांस्कृतिक, सामाजिक एवं परिवारिक घटकों का विचार नहीं रखता वह कल्याण कारक नहीं बन सकता ।

इसके अतिरिक्त भौगोलिक वातावरण—भूमि, जल, वायु, ऋतु, पादप, पुष्प, शाक एवं फल आदि भी तो सभी देशों के एक समान नहीं । अतः नगर-निवेश में सांस्कृतिक एवं सामाजिक घटकों के अतिरिक्त भौगोलिक परिस्थियों का ध्यान भी आवश्यक है ।

चिरन्तन से इस देश में मानव का प्रकृति-सान्निध्य प्रसिद्ध रहा है । सरिता के कूल, पर्वत की उपत्यकायें अरण्य का एकांत प्रदेश—विद्यार्जन, तवश्चरण एवं दर्शनानुसन्धान आदि के लिये इस देश की प्राचीनों ने सदैव चुना । इसके अतिरिक्त इस देश की आवादी का बहुत बड़ा भाग ग्राम है । अतः ग्राम-सुधार के लिये नवीन नगर-निवेश में किसी न किसी समृद्ध ग्राम को निवेश विन्दु (Unit) मानकर इस देश में नव-नगरों की सृष्टि की जा सकती है । अतः जैसा पूर्व ही प्रतिपादित किया जा चुका है (दे. ग्राम-प्रमेद) भारत के राष्ट्रीय नगर-निवेश का प्रारम्भ गावों से करना चाहिये । विभिन्न महानगरों के समीप समृद्ध ग्रामों को चुनकर उनको शाखा-नगर (Branch-towns) के रूप में यदि हम निवेश करें तो बहुत बड़ी समस्या हल हो सकती है ।

हर्ष का विषय है इस ओर आधुनिक नगर-निवेश-विभाग (Town-planning Depts) अग्रसर हो रहे हैं । उत्तर-प्रदेश के कतिपय नगरों में इस प्रकार से शाखा-नगर योजनायें कर्तव्य की जा रही हैं (उदा० लखनऊ में महानगर-योजना -- परन्तु ऐसी योजनाओं के कर्तव्य होने में विलम्ब लगेगा । अतः इनको व्यापक बनाने के लिये नगर-

संमारों—पक्की सड़कों, बहु-द्रव्य-साध्य जलकल-व्यवस्था एवं जल-निर्गम-व्यवस्था (pipe line & Drainage) तथा पक्के जन-भवन तथा सुसंस्कृत ('Well laid') पुर-जन-विहार आदि को कुछ समय के लिये, जब तक यह देश विशेष समृद्ध नहीं हो जाता, स्थगित करना होगा।

(अ) शाखा-नगर—

विभिन्न इतस्ततः फैले हुए समृद्ध ग्रामों के चुनाव से एवं वहां की सुलभ एवं स्वल्पव्यय-साध्य संमारों से अत्यावश्यक आधुनिक यातायात, सूचना, प्रसार एवं शिक्षा के साधनों से समन्वित कर 'शाखानगरों' के रूप में निवेश करने से हम द्रुतगति से नव-नगर-निवेश का राष्ट्रीय कार्य बढ़ा सकते हैं। इस प्रकार प्राचीनों का 'शाखानगरीय' सिद्धान्त (दे 'नगर प्रभेद' अ० ३, पु० नि० पू० पी०) आधुनिक नगर-निवेश के लिये बड़ा उपादेय सिद्ध हो सकता है। पश्चिम के देशों ने भी इस सिद्धान्त को अपनाया है। लन्दन न्यूयार्क, बर्लिन, लेनिनगार्ड, मास्को आदि योरोपीय महानगरों के प्रत्येक के प्रायः प्रचुर-सख्यक शाखा-नगर देखने को मिलते हैं।

इन शाखा-नगरों की द्रुतगति से स्थापना तभी सम्भव है जब हम एक ऐसी नगर-निवेश धारा (Town Planning Act) बनावे जिसके अनुसार वे लोग जिनका नगर से साक्षात्संबन्ध नहीं है, नगर में रहने के अधिकार से वंचित कर दिये जावें। ऐसे लोगों में रिटायर्ड, राजन्य (Princes) नवाब, मुसाहब, जमीन्दार ताल्लुकेदार आदि विशेष आर्पणित होते हैं जो अनायास ही अपने मनोरम शाल-भवनों (Villas) को बनाकर इन शाखानगरों की स्थापना में सहयोग दे सकते हैं। मत्स्यपुराण (अ० २१७) का यही मर्म है।

प्राचीनों का यह 'शाखा नगर' शब्द बड़ा ही मार्मिक है। एक महानगर को यदि हम प्रकारड पादप का तना मानें तो उसके चतुर्दिक् इतस्ततः फैले हुए छोटे छोटे नगर (Suburbs) शाखानगर (Branch-towns) हुए, शब्दकल्पद्रुम ने प्राचीन बास्तुशास्त्रीय इसी दृष्टि के अनुरूप 'शाखानगर' की निम्न परिभाषा दी है:—

मूलनगरेऽसम्मितस्य जनौघस्य स्थानाय मूलनगरस्य समीपे अङ्के वा या यदन्धत् पुरं नगरान्तरं क्रियते तत् शाखानगरं मूलनगरस्य तत्स्थानीयस्य शाखेव ।

इस प्रकार ये शाखानगर न केवल नगर की आवादी की वाढ़ को ही रोकेंगे और यदि आकस्मिक संक्रान्ति के समय ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है तो प्रधान नगर की आवादी को आत्मसात करने में ही समर्थ न होंगे वरन् उस महानगर के, जिसके कि ये छोटे छोटे नगर, शाखा-नगर है, प्रसार में भी सहायक बन सकते हैं।

इसी सिद्धान्त को और आगे बढ़ाइये तो इन शाखा नगरों के 'परलम्ब प्राम' की शृंगला भी बांधी जा सकती है जो कालान्तर में नगर एवं जनपद को जोड़ने में ही नहीं कृतकार्य होगी वरन् नगर के आधुनिक सुलभ साधन—सुविधापूर्ण यातायात, सुलभ सूचना एवं शिक्षा तथा आमोद प्रमोद के विभिन्न उपकरण—प्रेतागृह, नाट्यशास्त्रार्थ, चित्रगृह आदि सर्वत्र स्थापित करने से नगरे लिये नगरों का देशी।

किसी भी राष्ट्र के प्रजातन्त्रात्मक राज्य के सुसंचालन के लिये भी परमोपयोगी सिद्ध हो सकता है। नगर एवं जनपद (नगर को छोड़कर श्रवशेष देश 'जनपद' के नाम से पुकारा गया है—नगरं वर्जयित्वान्यत् सर्वं जनपदः स्मृतः स-सू-१८-७६) दोनों को जोड़ने का यही परम साधन है, जो जनतन्त्र का साध्य है।

(व) केन्द्र-निवेश

इस उपर्युक्त शाखा-नगरीय व्यापक सिद्धान्त के अतिरिक्त नव-नगर-निवेश के सम्बन्ध में एक दो और तथ्यों का संकेत आवश्यक है। इन शाखानगरों के रूप में इन नवीन नगरों का निवेश-विन्दु केन्द्रस्थ कोई तर-वीथी अथवा प्रकारण पादप, तड़ाग अथवा सभा-मण्डप (जो आजकल के टाउन-हाल के रूप में परिकल्पित किया जा सकता है 'प्रजातंत्र' में टाउन हाल ही सबसे बड़ा टेम्पल—प्राचीनों का देवतायतन है) अथवा पुरजविहारोद्यान होना चाहिये। ये सभी प्रकृति-सुलभ हैं। विशेष व्यय-साध्य भी नहीं हैं। अतः कृत्रिम बड़ी बड़ी इमारतों के स्थान पर इन स्वल्प व्यय-साध्य निवेशों के द्वारा हम कार्य प्रारम्भ कर सकते हैं। पीछे 'पुर-वसति' नामक अध्याय के विभिन्न-कोटिक निवेश-पद्धतियों के परिशीलन से केन्द्र-निवेश की यह प्राचीन परिपाटी का हम आधुनिक नगर-निवेश में अनुगमन कर सकते हैं।

(स) पद-विन्यास—

आधुनिक नगर-निवेश की रूपरेखा में जोर्निंग-प्रक्रिया के सिद्धान्त की समीक्षा इस अध्याय के पूर्वार्ध में हो चुकी है।

आधुनिक नगर की यह जोर्निंग-पद्धति प्राचीनों के 'पद-विन्यास' के सिद्धान्त का एक मात्र संस्करण है। दुर्भाग्यवश हमारे देश के बहुसंख्यक नगरों एवं महानगरों में पद-विन्यास का सर्वथा अभाव पाया गया है। अतः नव-नगरों के निवेश में नगर-वसति के निवेश में पद-विन्यास का (zoning method) पूर्ण विचार रखना होगा। इस पद्धति का प्रयोजन यह है कि नगर को विभिन्न पदों (blocks) में बाँटकर प्रत्येक पद पर जो वसति आदिष्ट हो उसमें रहने वाले समान-धर्मा एवं समान-कर्मा के साथ-साथ सतीर्थ एवं सजातीय भी हों। भले ही प्राचीनों की वर्णाश्रम-पद्धति के अनुरूप यह विभाजन न हो परन्तु यदि पद-वसति में एक-वर्गीयता हो तो उससे सहयोगिता, सहाभ्यवसायिता एवं पारस्परिक आदान-प्रदान, व्यवहार एवं वर्ताव में स्फूर्ति एवं प्रेरणा अवश्य प्राप्त हो सकती है। इसी को आजकल की भाषा में (Colonisation) के नाम से पुकारा जाता है—मजदूर-कालोनी, टीचर-कालोनी, सेक्रेटेरियट-कालोनी आदि आदि। प्राचीनों का पद-विन्यास वर्णाश्रम-व्यवस्था से अनुप्राणित था। आधुनिक नगर-निवेश में उन्ने एक-वर्गीयता की आधार-शिला पर खड़ा किया जा सकता है, जो जनतन्त्र के लिये बड़ा ही उपयोगी सिद्ध हो सकता है तथा जिससे सामूहिक कार्य करने की प्रेरणा भी मिल सकती है।

(य) शाल-भवन—

केन्द्र-निवेश एवं पद-विन्यास के सिद्धांतों के अनुगमन के साथ-साथ माग-विनिवेश पर कुछ समीक्षण आवश्यक था, परन्तु वह तो पिष्ट-पेषण ही है। प्राचीनों एवं नवीनों दोनों की पद्धतियों में कोई विशेष अन्तर नहीं है। उसमें नगरानुरूप परिवर्तन एवं संस्करण सर्वदा किये ही जा सकते हैं। परन्तु आजकल के संकटापन्न परिस्थिति में एक महत्वपूर्ण समस्या नवीन-गृह-निर्माण-योजना है। प्रायः बड़े-बड़े नगरों की नगरपालिकार्यें इस ओर बहुद्रव्य-साध्य भवन-मालिकाओं का निर्माण करा रही हैं। विभिन्न राज्यों की सरकारें भी अपने-अपने वार्षिक बजटों में इस कार्य के लिये धन सुरक्षित कर रही हैं। परन्तु प्रश्न यह है कि इस महादेश की महती जनसंख्या के निवासार्थ पक्के मकानों के निर्माण में बहुत बड़ी रकम चाहिये जो साध्य नहीं है। अतः समराङ्गण के शाल-भवनों, जिनके निर्माण में प्राकृतिक, उस सुलभ भवन-सामग्री की ही प्रधानता रहती है, जो स्थान-स्थान पर सुविधा से पायी जाती है, का अङ्गीकरण हमारी इस राष्ट्रीय आवश्यकता की पूर्ति में योग दे सकती है। अथच, जैसा हम आगे 'भवन' पटल में इन शाल-भवनों की समीक्षा में देखेंगे, इन भवनों में सुलभ वन्य-दारु (पेड़ों की लकड़ी) से ही विभिन्न भवनाग—स्तम्भ एवं छाद्य (छतें) आदि विनिर्मित हो सकते हैं। साथ ही साथ लकड़ी की छतें पक्की छतों की अपेक्षा उष्ण-प्रधान इस देश के निवासियों के वासयोग्य भी विशेष हैं। शाल-भवनों के रेखा-चित्र (Plans) तथा अन्य ज्ञातव्य पर विशेष समीक्षा का यहा पर अवसर नहीं है।

नगर-सुधार एवं नगर-संहार

नगर-निर्माण के कतिपय प्राचीन नियमों के उल्लेख के उपरान्त अब नगर-सुधार में प्राचीनों की पद्धति क्या थी और क्या उससे आधुनिक नगर सुधार में कुछ सहायता मिल सकती है—इस सम्बन्ध में इतना ही संकेत पर्याप्त है कि प्राचीन भारत में नगर-सुधार के लिये राज्य की ओर से एक पृथक् विभाग होता था। श्री वी. वी. दत्त महाशय अपनी पुस्तक—'प्राचीन भारतीय नगर-निवेश' में लिखते हैं,—'यद्यपि आधुनिक सुव्यवस्थित एवं सुभंचालित नगर सुधार विभागों के समकक्ष प्राचीनों के इन विभागों का लेखबद्ध इतिहास नहीं प्राप्त होता है तथापि विभिन्न एतद्विषयक सकेतों में यह अनुमान लगाया एवं निष्कर्ष निकालना असंभव न होगा कि प्राचीन काल एवं मध्यकाल में राजा के विभिन्न अधिकारियों में स्थपति एवं उसके विभिन्न सहयोगी आधुनिक नगर-निवेश-मण्डल (Town Planning dept) के अप्रदूत (Prototype) कहे जा सकते हैं। प्राचीन गिल्ड-शास्त्रों के व्यापक एवं विस्तीर्ण तथा सागोपाग नगर-निवेश-सिद्धांतों—पद-विन्यास, मार्ग विन्यास, जनवीथी, राजहर्म्य, सभाभवन, पुरजनविहार, आगम, देवतायतन, वापी, कूप तड़ाग आदि के निवेश-नियमों के साथ साथ स्वच्छन्द प्रकाश एवं स्वच्छन्द समीर के भवन-निवेश-नियम, दो भवनों का परस्पर द्रवकाश, भवनों के भूमिका-व्यवस्था-नियम आदि से यह निष्कर्ष निकलेगा कि भवन-रचना में तथा नगर-निवेश में राज्य की ओर से पूर्ण उत्तरदायित्व निभाया जाता था तथा उनपर पूर्ण प्रतिबन्ध एवं वाइलाजों के द्वारा पूर्ण शासन भी था यह जमी हो सकता था जब राज्य की ओर से इस परमोपयोगी विभाग के लिये

बहुसंख्यक पदाधिकारी हों। स्थपति तो था ही उसके सहायक इञ्जीनियर और ओवरसियर भी थे जो सूत्रग्राही आदि स्थपति-कोटियों से अनुमेय हैं। ये सब कर्मचारी गृहाधिपति राजामात्य के अधीन रहते थे। शुक्रनीतिसार में इस ओर पूर्ण निर्देश मिलता है। नगर की परिखाओं, प्राकारों आदि की निगरानी की पूर्णव्यवस्था थी। अतः निश्चय ही उस अतीत में भी पुर-निवेश का सुसंचालित विभाग था।

अतः प्रकट है नगर-सुधार के लिये राज्य की ओर से एक स्थायी विभाग होना चाहिये। योरोप के समृद्ध सभी राज्यों में नगर-निवेश विभाग बहुत काल से काम कर रहे हैं। नव भारत में भी विभिन्न प्रान्तीय सरकारों इस दिशा में जागरूक दिखाई पड़ती हैं तथा नगर-निवेश विभाग स्थापित किये गये हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में यह विभाग विशेष जागरूक है। अतः नगर-सुधार के लिये आज कल देश में विभिन्न योजनाओं (Master Plans) का निर्माण किया जा रहा है। विशेष कर महानगरों की महती योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिये विशेष प्रयत्न किये जा रहे हैं परन्तु सफलता अभी दूर प्रतीत हो रही है।

नगर-सुधार का कार्य नगर-संहार पर आश्रित है। महानगरों की उपकण्ठ भूमियों पर शाखा-नगरों के स्थापन से ही नगर-सुधार नहीं सम्पन्न हो सकता है। नगराभ्यन्तर संकीर्ण पद्याओं, जर्जर भवन-श्रीधियों, अश्वच्छ वसतियों, मजदूरों के अति संकीर्ण कुटीरों (Slums) का जब तक संहार नहीं किया जाता तब तक नगर-सुधार कैसे हो सकता है? अतः नगर-संहार नगर-सुधार के लिये परमावश्यक है।

नगर-संहार-जन्य नागरिकों की नव-वसति-निवेश के लिये शाखा-नगरों का निर्माण अपनाया ही जा सकता है साथ ही साथ प्राचीनों के कतिपय नियम भी कार्यान्वित किये जा सकते हैं।

मत्स्यपुराण के नगर की आवादी के नियमन का नियम निर्दिष्ट किया जा चुका है। देवीपुराण के अनुसार प्रकृतियों (निम्नवर्गीय जनता—मेहतर, धोत्री आदि) के निवास-कुटियाँ नगर के बाह्य भाग पर विन्यस्त करना चाहिये। सार्वभौम जन-तन्त्रवाद में यद्यपि प्रत्येक देशवासी का राजनैतिक अधिकार समान है परन्तु मानवता कभी भी एक समान नहीं पनप सकती। वंश Hereditary, वातावरण, व्यवसाय (पेशा) आदि के आधार-भूत घटकों की पृष्ठ-भूमि पर पनपी मानवता समान-धार्मिणी कैसे हो सकती है। अतः यदि नगर-निवेश को सुसंस्कृत एवं सुनियोजित बनाना है तो कोई न कोई आन्तर-योजना Biferclatlon स्वीकार ही करना पड़ेगा।

नगर के बाह्य भाग पर विन्यस्त इन शाखा-नगरीय वसतियों को सभी सुविधायें प्रदान करना चाहिये जिससे किसी को असन्तोष न रहे, शिकायत की गुञ्जाइश न रहे। देवीपुराण के अनुरूप ही मयमुनि का भी मत है। नगर के बाह्य भाग पर प्रतिष्ठापित ऐसे उप-नगरों की संज्ञा प्राचीनों ने 'वाहिरिका' दी है।

नगर-सुधार में प्राचीनों का एक दूसरा अनुगमन हम यह कर सकते हैं कि विभिन्न नगरों के विभिन्न प्रयोजनों के स्वरूप-निर्धारण पर विशेष ध्यान दें। जिस

किसी भी नगर को हम विश्वविद्यालयीय नगर अथवा व्यावसायिक-नगर नहीं बना सकते। सभी नगरों में मिलों की स्थापना कदापि आदेश्य नहीं। प्राचीनों के पुर-प्रमेद नगर, पत्तन, पुटभेदन, खेट, खर्वाट, निगम का यही रहस्य था कि नगरों का निवेश नगर-प्रयोजन पर आधारित रहता था। हम भी अपनी नगर-निवेश-धारा के अनुसार यह निश्चित कर दें कि किसी राज्य-विशेष में कौन से नगर किस प्रयोजन का विशेष सम्पादन कर सकते हैं। उन्हीं की आधार-शिला पर नगर-सुधार अथवा नगर-प्रसार प्रारम्भ करना चाहिये।

प्राचीन काल एवं पूर्व तथा उत्तर मध्यकालों में नगर-सुधार के कार्य इसी प्रकार से वैज्ञानिक ढंग से बतों जाते थे। श्री वी वी दत्तमहाशय ने अपने ग्रंथ में (T. P. in Ancient India Ch. vii) इस विषय की अच्छी समीक्षा की है। प्राचीनों ने क्या किया वैसा किया—यह सब हमारा पथ-प्रदर्शन कर सकता है। हम को अपनी नवीन आवश्यकताओं एवं नवीन युग के अनुरूप उनमें संस्करण, परिवर्तन एवं संवर्धन करके अपने देशकी निवेश-योजना बनानी चाहिये।

अन्त में एक निर्देश यह है कि नगर-निवेश एक कला है। कला में चारुता का सन्निवेश अनिवार्य है। अतः नगर-निवेश में चारुता के लिये केन्द्र, चतुष्पथ एवं चारों दिशाओं एवं चारों उपदिशाओं में किसी न किसी वास्तु-भूषा की अवश्य संयोजना करनी चाहिये।

केन्द्र में तड़ाग, पुष्करिणी अथवा उद्यान या पुर-जन-विहार या देवतायतन या फिर टाउनहाल ही सही विनिवेश्य हैं। मार्ग-चतुष्पथों पर कोई न कोई नगरानुरूप भव्याकृति विहित है। अथच पुर की आठों दिशाओं में पुर-द्वारों City gates के समान कोई न कोई वास्तु-भूषा प्रदान करनी चाहिये। ब्रम्हई की शोभा इन्डियागेट है। अतः इस किञ्चत्कर सकेत से विल आधुनिक नगर-निवेशक घटाव बढ़ाव से इस दिशा में अवश्य वृत्तकार्य हो सकते हैं।

पूर्व-पीठिका की आधार-शिला पर प्रतिष्ठापित एवं उत्तर-पीठिका के विभिन्न नागरिक उपकरणों की मन्थाकृतियों से प्रद्योतित नगर-निवेश का जो स्वरूप विकसित हुआ उसके उपसंहार में केवल इतना ही यहाँ पर संकेत पर्याप्त होगा कि नगर-निवेश का जहाँ विभिन्न भौतिक उपकरणों—पद-विन्यास, मार्ग-निवेश, रथ्या-विभाग, स्थान-विभाग, देवता-यतन एवं रक्षा-संविधान तथा आकार-विधान आदि—के द्वारा उसके भव्य कलेवर का निर्माण होता है वहाँ उस पार्थिव कलेवर में सांस्कृतिक ज्योति पुञ्ज के प्रकाश से उसका आध्यात्मिक कलेवर निष्पन्न होता है। गन्ध-विहीन पुष्प की क्या कीमत ? संस्कृति-विहीन कोई भी मानवीय व्यापार क्या कभी कल्याण का विधायक बन सकता है। अतः नगर-निवेश तब तक अपूर्ण ही कहा जावेगा जब तक नागरिकों एवं नागरिकता का पूर्ण उसमें योग न हो। अच्छे नागरिक सुनिविष्ट नगर की श्रीवृद्धि करते हैं। बुरे नागरिक, गन्दे नागरिक, असंस्कृत एवं अशिक्षित नागरिक उसका स्वरूप ही विगाड़ देते हैं। मार्गों की सफाई, नालियों की स्वच्छता एवं असंकीर्णता, पुरजन-विहारों एवं जन-भवनों (Public Places) की रक्षा आदि के प्रति जब तक नागरिक सचेत एवं जागरूक नहीं रहते तब तक नगर नगर नहीं रह सकता।

अथच कोई भी मानव-वसति जब तक सहयोगिता, साहचर्य एवं सहाध्यवसाय के उदात्त मानवीय व्यापारों के सहारे नहीं प्रतिष्ठित है तब तक उस मानव-वसति की उन्नति असंभाव्य है। इसी को नागरिकता कहते हैं। नागरिकता के भावों का उदय ही महानगरों की सृष्टि है। नागरिकता ही आधुनिक जनतंत्रवाद की जननी है। अतः जनतंत्रात्मक समाज की सुरक्षा के लिये नागरिकता के भावों की दैनंदिन वृद्धि होनी चाहिये। नगर-निवेश के सांस्कृतिक पक्ष के इसी दृष्टिकोण से हमने उत्तर-पीठिका के विषय-प्रवेश में नागरिक-सम्यता से सम्बन्धित अथवा नागरिकता के प्रतीक विभिन्न सांस्कृतिक कलाओं की ओर पाठकों का ध्यान आकर्षित किया था।

यद्यपि विभिन्न-वर्गीय नगरों (जैसे विद्यापीठीय नगरों—University towns व्यावसायिक नगरों—Commercial towns राजपीठीय नगरों—Capital towns, स्वास्थ्य-पीठों—Health resorts आदि) की अपनी-अपनी संस्कृति एवं वैयक्तिकता अलग होती है, तथापि इन सभी में जो एक सामान्य विशेषता होती है उसे ही नागरिकता कहते हैं।

वास्तव में नगर नागरिकों का प्रतीक है तथा विभिन्न युगों के सांस्कृतिक, राजनैतिक एवं धार्मिक तथा वैज्ञानिक और औद्योगिक नवचेतनाओं एवं जागृतियों के ही अनुरूप नगरों का भी विकास हुआ। नगर नागरिकों एवं नागरिकता के स्थावर महाचित्र हैं। साहित्य यदि समाज का दर्पण है तो नगर भी नागरिकों के मन-सुकरों के पूर्ण प्रतिबिम्ब हैं। नगर-


विकास मानव-सभ्यता के विकास की खुली पुस्तक है। अतः मानव-सभ्यता के विकास के इस महासोपान के निर्माण में, रक्षण एवं संवर्धन में प्रत्येक नागरिक के योगदान की अनिवार्यता पर दो रायें नहीं हो सकतीं ?

भारत के प्राचीन नगर-निवेश की जो रूपरेखा प्राचीनों ने निर्मित की उसकी पूर्ण अभिव्यक्ति सर्वत्र समान रूप से पाई जाती है। कौटिल्य का अर्थ-शास्त्र (ईसा से लगभग चार सौ वर्ष प्राचीन) वाल्मीकि की रामायण (और भी अधिक प्राचीन) वाण की कादम्बरी (ईसवीय षष्ठ शतक) आदि सभी प्राचीन साहित्यिक स्रोतों में ही नहीं प्राचीन महावशेषों में भी नगर-निवेश की एक सामान्य परम्परा पर प्रकाश पड़ता है।

अतः आधुनिक नगर-निवेश का, देश एवं समाज की विभिन्न नैसर्गिक एवं अनेक-मार्गिक परिस्थितियों एवं प्रवृत्तियों के अनुरूप, स्वरूप-स्थिरीकरण परमावश्यक है।

विगत अध्याय (प्राचीनों की देन) में नगर-निवेश के कतिपय प्राचीन सिद्धान्तों का दिनदर्शन किया गया है। उनके अपनाने से एवं आधुनिक नगर-निवेश के उदीयमान अनुकूल निवेश-सिद्धान्तों (Planning Canons) के भी आदान से हम एक अपनी पद्धति निर्माण कर सकते हैं जिसमें अपनी आत्मा की रक्षा करते हुए शरीर की भूषा में आधुनिक उपकरणों के द्वारा संयोग एवं समावेश भी कर सकते हैं।

भारतीय नगर-निवेश की जो पद्धति निर्मित हो उसमें भारतीय आत्मा के अनुकरण रक्षण की ओर पूर्ण अवकाश हो तथा वह पद्धति सच्ची हो (अपनी संस्कृति के प्रति) कल्याण-दायिका हो (अपने वर्तमान के लिये) तथा सुन्दर हो (दूसरों के अनुकरण के लिये और अपने सुख के लिये भी)। सत्यं, शिवं, सुन्दरं का यही मर्म है।



परिशिष्ट

- अ. पुर के रेखा-चित्र
- ब. समराङ्गण-वास्तु-कोष की रूप-रेखा
- स. ग्रन्थ के अवतरण (संचित्त-समराङ्गण)

विकास मानव-सभ्यता के विकास की खुली पुस्तक है। अतः मानव-सभ्यता के विकास के इस महासोपान के निर्माण में, रक्षण एवं संवर्धन में प्रत्येक नागरिक के योगदान की अनिवार्यता पर दो रायें नहीं हो सकतीं ?

भारत के प्राचीन नगर-निवेश की जो रूपरेखा प्राचीनों ने निर्मित की उसकी पूर्ण अभिव्यक्ति सर्वत्र समान रूप से पाई जाती है। कौटिल्य का अर्थ-शास्त्र (ईसा से लगभग चार सौ वर्ष प्राचीन) वाल्मीकि की रामायण (और भी अधिक प्राचीन) बाण की कादम्बरी (ईसवीय षष्ठ शतक) आदि सभी प्राचीन साहित्यिक स्रोतों में ही नहीं प्राचीन मन्त्रावशेषों में भी नगर-निवेश की एक सामान्य परम्परा पर प्रकाश पड़ता है।


अतः आधुनिक नगर-निवेश का, देश एवं समाज की विभिन्न नैसर्गिक एवं अने-सर्गिक परिस्थितियों एवं प्रवृत्तियों के अनुरूप, स्वरूप-स्थिरीकरण परमावश्यक है।

विगत अध्याय (प्राचीनों की देन) में नगर-निवेश के कतिपय प्राचीन सिद्धान्तों का दिग्दर्शन किया गया है। उनके अपनाने से एवं आधुनिक नगर-निवेश के उदीयमान अनुकूल निवेश-सिद्धान्तों (Planning Canons) के भी आदान से हम एक अपनी पद्धति निर्माण कर सकते हैं जिसमें अपनी आत्मा की रक्षा करते हुए शरीर की भूषा में आधुनिक उपकरणों के द्वारा संयोग एवं समावेश भी कर सकते हैं।


भारतीय नगर-निवेश की जो पद्धति निर्मित हो उसमें भारतीय आत्मा के अनुकरण रक्षण की ओर पूर्ण अवकाश हो तथा वह पद्धति सच्ची हो (अपनी संस्कृति के प्रति) कल्याण-दायिका हो (अपने वर्तमान के लिये) तथा सुन्दर हो (दूसरों के अनुकरण के लिये और अपने सुख के लिये भी)। सत्यं, शिवं, सुन्दरं का यही मर्म है।

(२१६)

स्वस्तिक




पद्मक




(२१८)

नन्द्यावर्त (चतुरश्र)



नन्द्यावर्त (वर्तुल)




समीक्षा-पद्धति (दे० अ० १ वा० वि० प्र० प०) में हमने यह संकेत किया था कि एक वास्तु-शास्त्रीय ग्रन्थ का पूर्ण अध्ययन तभी सम्भव है जब उसकी व्याख्या वास्तु-कला के निदर्शन-स्मारकों से समन्वित हो। शास्त्र एवं कला-दोनों का समन्वय—यही आदर्श अध्ययन है।

दुर्भाग्यवश हमारे देश में स्थापत्य-परम्परा विद्वान् स्थपतियों के हाथ में न रहकर अपठ कारीगरों की सम्पत्ति बन गयी है। कला में वे अवश्य अब भी निष्णात हैं, परन्तु शास्त्रज्ञान-शून्य। पुनश्च जो स्थापत्य-कौशल उत्तर-मध्य-काल तक इस देश की महा-विभूति रही वह अब लुप्त-प्राय सी हो गयी है। वास्तु-शास्त्रों शतशः में ऐसे पारिभाषिक शब्द भरे पड़े हैं जिनका अर्थ लगाना बड़ा ही कठिन अनुसन्धान है। प्रासाद-रचना को ही लीजिये। प्रासाद के विभिन्न अंगों, उपागों, भूपगों एवं भूषाओं के साथ-साथ उसके आधार एवं आधेय, प्रदक्षिणा एवं सहायक-संस्थानों (मण्डप आदि अथवा गोपुर आदि) के शतशः ऐसे शब्द हैं जिनका मर्म समझना बड़ा कठिन हो गया है। अतः भारतीय-विज्ञान के इस विशाल एवं अप्रतिम क्षेत्र—वास्तु-शास्त्र एवं वास्तुकला—के अनुसन्धान, गवेषण एवं चिन्तन तथा मनन में इन परिभाषिक वास्तु-शब्दों का अर्थानुसन्धान एवं निर्मितियों का समन्वय-विधान एक अत्यन्त उपयोगी एवं महत्वपूर्ण अन्वेषण है। वास्तु-तत्त्व-शोध का यह कार्य एकत्राथ व्यक्ति का काम नहीं। इस ओर विचक्षण विद्वान् जमी अग्रसर हो सकेंगे जब ऐसे शोध को राज्य एवं समाज-दोनों की ओर से पर्याप्त प्रोत्साहन प्राप्त हो सके। तब भी, जो इस शास्त्र के जिज्ञासु अनुसन्धान-कर्ता हैं, उनका पथ-प्रदर्शन इस अन्धकार-वृत्त, गम्भीर एवं दुस्तर वास्तु-महासागर के संतरण में कुछ न कुछ सहायक अवश्य हो सकेगा—भले ही गहराई का पता न लगे अथवा 'रत्नाकर' के रत्न भी न हाथ लग सकें।


डा. प्रसन्नकुमार आचार्य ने इस दिशा में अपना बृहद्-कोष (Encyclopaedia of Hindu Architecture) लिखकर स्तुत्य प्रयत्न किया है। डा० साहव का कार्य दक्षिणी वास्तु-विद्या के प्रतिनिधि ग्रन्थ 'मानसार' (दे० वा० वि० प्र० प० अ० २) शिल्प-शास्त्र के वास्तु-शब्दों तक ही विशेष सीमित है—यद्यपि विभिन्न अन्य ग्रन्थों में उन शब्दों के जो अर्थ अथवा बोद्धव्य पदार्थ संकेतित हैं—उनके भी पृथुल सन्दर्भ दिये गये हैं—साथ ही साथ अन्य साहित्यिक, शिलालेखीय एवं स्मारक-निबन्धनीय सामग्री का भी पूर्ण उपयोग किया गया है। तथापि यह कहना असंगत न होगा कि भारतीय वास्तु-शास्त्र की एतद्विषयक सामग्री, एक बड़ी मात्रा में, अब भी अनुसन्धातव्य है। एकमात्र 'समराङ्गण-सूत्रधार', जिने हमने उत्तरी वास्तु-विद्या का प्रतिनिधि ग्रन्थ माना है, के परिशीलन से शतशः ऐसे वास्तु-शब्द मिलते हैं जिनका डा० साहव के कोष में कोई संकेत नहीं है। इन शब्दों की सूची तथा संकेतितार्थ एवं बोद्धव्य पदार्थ पर आगे के

(२२०)

कार्मुक



प्रस्तर



इस ग्रन्थ का विषय वास्तु-विद्या एवं पुर-निवेश से सीमित होने के कारण इनके आनुपङ्गिक कार्डों—वास्तु-कार्ड एवं पुर-कार्ड की एक श्रतिसंक्षिप्त रूप-रेखा का यहाँ पर दिग्दर्शन मात्र अभीष्ट है। विशेष प्रयत्न समराङ्गण-वास्तु-कोष के स्वतन्त्र ग्रन्थ में द्रष्टव्य होगा।

वास्तु-कार्ड

स्थापक वर्ग—ब्रह्मा—वास्तु-क्षणा

विश्वकर्मा—प्रथम आचार्य, प्रथम स्थपति

पृथु—संरक्षक राजा

महासमा—पृथ्वी—आधार

विजय, जय, सिद्धार्थ, अपराजित—

विश्वकर्मा के मानस-पुत्र जो स्थपतियों के चतुर्वर्ग के प्रतीक हैं।

(Prototypes of the different orders of architects)

स्थपति-वर्ग—स्थपति

दे० स्थपति एवं स्थापत्य वा. वि. प्र. प. अ० ६

तत्क

” ” ” ” ” ”

वर्षकि

” ” ” ” ” ”

सूत्र-ग्राहिन्

” ” ” ” ” ”

स्थापत्य-वर्ग—

अष्टाग-स्थापत्य

” ” ” ” ” ”

वास्तु-वर्ग—वास्तुशास्त्र

दे० विषय एवं विस्तार वा. वि. प्र. प. अ० ५

वास्तुविद्या

” ” ” ” ” ”

वास्तु-कला

” ” ” ” ” ”

वास्तु-पद

दे० पद-विन्यास पु० नि० उ० पी० अ० ३

वास्तु-पद-विन्यास

” ” ” ” ” ”

वास्तु-पद-देवता

” ” ” ” ” ”

वास्तु-पुरुष

” ” ” ” ” ”

वास्तु-पुरुषाङ्गदेवता

” ” ” ” ” ”

वास्तु-देवता-निवण्डु

” ” ” ” ” ”

वास्तु-संस्थान-मातृका

दे० वा० वि० प्र० प० अ० ३

वास्तु-परम्परायें

दे० वा० वि० प्र० प० अ० २

वास्तु-ग्रन्थः

❀ वास्तु-ग्रन्थ

❀ टि० १—वास्तु-ग्रन्थों में सर्वप्रथम मंकीर्तन अथर्ववेद, जिसका वास्तु-शास्त्र उपवेद है (दे० वा० वि० प्र० प० अ० ६), का होना चाहिये। पुनः ब्राह्मण-ग्रन्थों का

विभिन्न पटलों—भवन, राजहर्म्य, प्रासाद, प्रतिमा, चित्र—में यथासाध्य प्रयत्न किया जावेगा। डा० आचार्य के कोष में लगभग डेढ़ हजार वास्तु शब्दों की व्याख्या है। भारतीय वास्तु-शास्त्र में लगभग दस हजार शब्द हैं जिनमें प्रतिमा-विज्ञान, चित्रकला, यंत्रकला, विभिन्न शैलियों के प्रासाद (मन्दिर) एवं सर्वविध भवन—सभी का समावेश है। यह कार्य साधारण रूप से साध्य नहीं है। बड़े व्यय, अनुसन्धान-कौशल एवं धैर्य की आवश्यकता है तथापि इस महाकार्य में योग देने के लिये कम से कम एक एक ग्रन्थ के अनुसन्धान से जो शब्द-रत्न हाथ लगेँ उनकी व्याख्या तो वाञ्छित ही है।

अतः लेखक ने भी इस ओर अग्रसर होने की ठानी है। प्रश्न यह है कि इस दिशा में प्राचीनों एवं अर्वाचीनों की शब्द-संकलन की दो पद्धतियों में से कौन सी अपनानी चाहिये। हम जानते ही हैं हमारे देश के प्राचीन कोषकारों—यास्क तथा अमर आदि ने अकारादि (Alphabetical) क्रम से शब्द-संकलन एवं उनका अर्थानुसन्धान नहीं किया। उनकी शब्द-संकलन-शैली विषयानुषङ्गिका है। विषयानुरूप शब्द-संकलन है न कि अकारादि क्रम। साधारण-शब्द-सूची में अकारादि-क्रम बर्तना तो अच्छा है—इससे किसी का भी वैमत्य नहीं हो सकता, परन्तु शास्त्रीय शब्दों की व्याख्या अकारादि क्रम से न तो वैज्ञानिक ही है और न सौविध्य-पूर्ण। उदाहरण के लिये पुर के रक्षा-संविधान के जो प्राकारादि के प्रधान अंग हैं उनमें अट्टालक को 'अ' वप्र को 'व' तथा चरिका को 'च' 'परिखा' और 'प्राकार' को 'प' में संकलित करना कहाँ तक वैज्ञानिक है—यह समझने में देर न लगेगी। अतः यदि रक्षा-संविधान के प्रधान अङ्ग—परिखा, वप्र, प्राकार द्वार, गोपुर, अट्टालक, चरिका आदि सभी की एकत्र व्याख्या मिल सके तो ज्ञानार्जन में बड़ा सौविध्य प्राप्त हो सकेगा। इसी प्रकार प्रासाद की व्याख्या में 'प्रासाद' के विभिन्न निवेशों को प्रथम प्रधान वर्गों में विभाजित करना होगा पुनः उनके अंगों, उपाङ्गों, अन्तरंगों एवं सहायकाङ्गों पर क्रमिक प्रकाश पड़ने से वह पूरी की पूरी प्रासाद वास्तु-परम्परा सहज बोधगम्य बन सकती है। इसी प्रकार शिला, स्तम्भ, भवन, मण्डप, शिखर एवं छायादि विभिन्नवर्गीय वास्तु-तत्त्वों की व्याख्या एवं समीक्षा दोनों ही सम्पादित हो सकती है।

इसी दृष्टि-कोण से लेखक ने अपने इस प्रयत्न को निम्नलिखित आठ प्रधान 'कारणों' में विभाजित किया है जो क्रमशः अपने-अपने अध्ययन-पटलों में व्याख्येय हैं:—

१. वास्तु-कारण
२. पुर-कारण
३. भवन-कारण
४. यंत्र-कारण
५. प्रासाद-कारण
६. प्रतिमा-कारण
७. चित्र-कारण
८. मिश्र-कारण

इस ग्रन्थ का विषय वास्तु-विद्या एवं पुर-निवेश से सीमित होने के कारण इनके आनुपङ्गिक कार्डो—वास्तु-कार्ड एवं पुर-कार्ड की एक अतिसंक्षिप्त रूप-रेखा का यहाँ पर दिग्दर्शन मात्र अभीष्ट है। विशेष प्रयत्न समराङ्गण-वास्तु-कोष के स्वतन्त्र ग्रन्थ में द्रष्टव्य होगा।

वास्तु-कार्ड

स्थापक वर्ग—ब्रह्मा—वास्तु-तृष्ठा

विश्वकर्मा—प्रथम आचार्य, प्रथम स्थपति

पृथु—संरक्षक राजा

महासमा—पृथ्वी—आधार

विजय, जय, सिद्धार्थ, अपराजित—

विश्वकर्मा के मानस-पुत्र जो स्थपतियों के चतुर्वर्ग के प्रतीक हैं।

(Prototypes of the different orders of architects)

स्थपति-वर्ग—स्थपति

दे० स्थपति एवं स्थापत्य वा. वि. प्र. प. अ० ६

तक्षक

” ” ” ” ” ”

वर्धकि

” ” ” ” ” ”

सूत्र-ग्राहिन्

” ” ” ” ” ”

स्थापत्य-वर्ग—

अष्टाग-स्थापत्य

” ” ” ” ” ”

वास्तु-वर्ग—

वास्तुशास्त्र

दे० विषय एवं विस्तार वा. वि. प्र. प. अ० ५

वास्तुविद्या

” ” ” ” ” ”

वास्तु-कला

” ” ” ” ” ”

वास्तु-पद

दे० पद-विन्यास पु० नि० उ० पी० अ० ३

वास्तु-पद-विन्यास

” ” ” ” ” ”

वास्तु-पद-देवता

” ” ” ” ” ”

वास्तु-पुरष

” ” ” ” ” ”

वास्तु-पुरुषाङ्गदेवता

” ” ” ” ” ”

वास्तु-देवता-निवण्ड

” ” ” ” ” ”

वास्तु-संस्थान-मातृका

दे० वा० वि० प्र० प० अ० ३

वास्तु-परम्परार्ये

दे० वा० वि० प्र० प० अ० २

वास्तु-ग्रन्थः

❀ वास्तु-ग्रन्थ

❀ टि० १—वास्तु-ग्रन्थों में सर्वप्रथम संकीर्तन अथर्ववेद, जिसका वास्तु-शास्त्र उपवेद है (दे० वा० वि० प्र० प० अ० ६), का होना चाहिये। पुनः ब्राह्मण-ग्रन्थों का

यदि छोड़ दें तो शूल्ब-सूत्रों का संकीर्तन भी कम प्रमुख नहीं है जिनमें वेदि-रचना के जो सिद्धान्त हैं वे ही कालान्तर में प्रासादविरचना के आधार-नियम प्रकल्पित किये गये।

टि० २—संहिताओं, ब्राह्मणों एवं सूत्र-ग्रन्थों के उपरान्त वास्तु-विद्या के आदि-ग्रन्थों में कल्प एवं ज्योतिष वेदाङ्गों को नहीं भुलाया जा सकता (दे० वा. वि. प्र. प० अ० २)।

आगम—

टि० ३—२८ आगमों में से निम्नलिखित आगमों में वास्तु-विद्या पर विशेष प्रवचन मिलता है।

१. अंशुमद्भेदागम
२. कामिकागम
३. कर्णागम
४. वैखानसागम
५. सुप्रमेदागम

पुराण—

१८ पुराणों एवं उतने ही उपपुराणों में से निम्नलिखित पुराणों में वास्तु विद्या पर विशेष प्रवचन प्राप्त होते हैं:—

१. अग्निपुराण
२. गरुड ”
३. नारद ”
४. ब्रह्माण्ड ”
५. भविष्य ”
६. मत्स्य ”
७. लिङ्ग ”
८. वायु ”
९. स्कन्द ”
१०. देवी ”
११. कालिका ”

तन्त्र—

(दे० वा० वि० प्रथम पटल का अ० २)
हयशीर्ष पञ्चरात्र आदि

शिल्प-शास्त्रीय ग्रंथ—

- | | |
|-----------------------|---------------------------|
| १. अगस्त्य-मरुताधिकार | ३. अपराजित-प्रच्छा |
| २. अंक-शास्त्र | ४. अपराजित वास्तु-शास्त्र |


५. अंशुमत (काश्यपीय)
 ६. अंशुमान-कल्प
 ७. आगार-विनोद
 ८. श्राय-तत्त्व
 ९. श्रायादि-लक्षण
 १०. आरामादि-प्रतिष्ठा-पद्धति
 ११. अभिलषितार्थ-चिन्तामणि
 १२. कृपादि-जलस्थान-लक्षण
 १३. कौतुक-लक्षण
 १४. क्रिया संग्रह-पञ्चिका
 १५. क्षीरार्णव
 १६. क्षेत्र-निर्माण-विधि
 १७. गार्ग्य-संहिता
 १८. गृह-निरूपण संक्षेप
 १९. गृह-निर्माण-विधि
 २०. गृह-पीठिका
 २१. गृह-वास्तु-प्रदीप
 २२. गोपुर-विमानादि-लक्षण
 २३. ग्राम-निरूपण
 २४. घटोत्सर्ग-सूचनिका
 २५. चक्र-शास्त्र
 २६. चित्रकर्म-शिल्पशास्त्र
 २७. चित्र-लक्षण
 २८. चित्र-सूत्र
 २९. जयमाधव-मानसोल्लास
 ३०. जलार्गल
 ३१. जलार्गल-यंत्र
 ३२. ज्ञानरत्न-कोष
 ३३. तच्चु-शास्त्र
 ३४. तारा लक्षण
 ३५. दश-ताल - न्यग्रोध - परिमण्डल-बुद्ध-
 प्रतिमा-लक्षण
 ३६. दशा-प्रकार
 ३७. दिक्-साधन
 ३८. दीर्घ-विस्तार-प्रकार
 ३९. देवता-शिल्प
 ४०. देवालय-लक्षण
 ४१. द्वार-लक्षण-गटल
 ४२. नारद-संहिता
 ४३. नावा शास्त्र
 ४४. पक्षि-मनुष्यालय-लक्षण
 ४५. पञ्चरात्र-प्रदीपिका
 ४६. पिरण्ड-प्रकार
 ४७. पीठ-लक्षण
 ४८. प्रतिमा-द्रव्यादिवचन
 ४९. प्रतिमा-मान-लक्षण
 ५०. प्रतिष्ठा-तत्त्व
 ५१. प्रतिष्ठा-तन्त्र
 ५२. प्रासाद-कल्प
 ५३. प्रासाद-कीर्तन
 ५४. प्रासाद-दीपिका
 ५५. प्रासाद-मण्डन-वास्तु शास्त्र
 ५६. प्रासाद-लक्षण
 ५७. प्रासाद-लक्षण
 ५८. प्रासादालङ्कार-लक्षण
 ५९. विम्ब-मान
 ६०. बुद्ध-प्रतिमा-लक्षण
 ६१. बुद्ध-लक्षण
 ६२. मठ-प्रतिष्ठा-तत्त्व
 ६३. मनुष्यालय-चंद्रिका
 ६४. मंत्रुश्री-मूलकल्प
 ६५. मंत्र-दीपिका
 ६६. मयमत
 ६७. महानिर्वाण-तन्त्र
 ६८. मान-कथन
 ६९. मानव-वास्तु-लक्षण
 ७०. मानसार
 ७१. मानसोल्लास
 ७२. मानसोल्लास-वृत्तान्त-प्रकाश
 ७३. मूर्ति-ध्यान
 ७४. मूर्तिलक्षण
 ७५. मूलस्तम्भनिरूपण

७६. रत्न-दीपिका
 ७७. रत्नमाला
 ७८. राजग्रह-निर्माण
 ७९. राजवल्लभ-टीका
 ८०. राशिप्रकार
 ८१. रूपमण्डन
 ८२. लक्षणसमुच्चय
 ८३. लघुशिल्प-ज्योतिष
 ८४. बलि-पीठ-लक्षण
 ८५. वास्तु-चक्र
 ८६. वास्तु-तत्त्व
 ८७. वास्तु-निर्णय
 ८८. वास्तु-पुरुष-लक्षण
 ८९. वास्तु-प्रकाश
 ९०. वास्तु-प्रदीप
 ९१. वास्तु-प्रवन्ध
 ९२. वास्तु-मंजरी
 ९३. वास्तु मण्डन
 ९४. वास्तु-योग-तत्त्व
 ९५. वास्तु-रत्न-प्रदीप
 ९६. वास्तु-रत्नावली
 ९७. वास्तु-राजवल्लभ
 ९८. वास्तु-लक्षण
 ९९. वास्तु-विचार
 १००. वास्तु-विद्या
 १०१. वास्तु-विधि
 १०२. वास्तु शास्त्र
 १०३. वास्तु-शिरोमणि
 १०४. वास्तु-समुच्चय
 १०५. वास्तु सख्या
 १०६. वास्तु-संग्रह
 १०७. वास्तु-संग्रह (तामिल)
 १०८. वास्तु-सर्वस्व
 १०९. वास्तु-सार
 ११०. वास्तु-सरणी
 १११. वास्तु-सार-सर्वस्व-संग्रह
 ११२. विमान-लक्षण
 ११३. विश्वकर्मा-शिल्प
 ११४. विश्वकर्म-प्रकाश
 ११५. विश्वकर्म-मत
 ११६. विश्वकर्म-ज्ञान
 ११७. विश्वकर्मा-पुराण
 ११८. विश्वकर्मा-सम्प्रदाय
 ११९. विश्वविद्याभरण
 १२०. वेदान्तसार
 १२१. वैखानस
 १२२. शास्त्र-जलाधि-रत्न
 १२३. शिल्पकला-दीपिका
 १२४. शिल्प-ग्रंथ
 १२५. शिल्प-दीपिका
 १२६. शिल्प-निघण्टु
 १२७. शिल्प-रत्न
 १२८. शिल्प-लोख
 १२९. शिल्प-शास्त्र
 १३०. शिल्प-शास्त्र-सार-संग्रह
 १३१. शिल्प-सर्वस्व-संग्रह
 १३२. शिल्प-सार
 १३३. शिल्पार्थ-शास्त्र
 १३४. शिल्प-शास्त्र
 १३५. पडविदिक-सन्धान
 १३६. सनत्कुमार-वास्तु शास्त्र
 १३७. सर्वविहारीय-ग्रन्थ
 १३८. संग्रह-शिरोमणि
 १३९. सारस्वतीय-शिल्प-शास्त्र
 १४०. स्थल-शुभाशुभ-ऋयन
 १४१. समराङ्गण-मूत्रधार

सु-प्रवर्ग—दे० महदादिमर्ग (स० सू० अ० ४)
 टि०—वास्तुशास्त्र में लुप्टि-वर्णन का क्या कामउत्पत्त्य है—इस पर संवे

के ५ वें अध्याय में पहले ही हो चुका है। तदनुरूप समराङ्गण में 'महदादि सर्ग' नामक चौथे अध्याय में सृष्टि वर्णन किया गया है।

सृष्टि के विभिन्न सोपान—युगान्ताग्निप्लुष्यावस्था (ie the earth was a burning ball and hence unfit for any planning) एकर्णवी-श्रवस्था जब संवर्तक आदि महामेघों ने पृथ्वी को घोरवृष्टि से बुझाया (Cooled down), पुनः इसी सन्धि में हरिशयनावस्था (जो सृष्टि की गर्भावस्था कही जा सकती है) —'हरिः सुष्वाप सलिले कृत्वोदरगतं जगत्' के विराम के उपरान्त ब्रह्म-सुरेश्वर ब्रह्मा का प्रादुर्भाव होता है जिन्होंने प्रथम मानसी सृष्टि के द्वारा समस्त विश्व की रूपरेखा तैयार की पुनः उसे मूर्त स्वरूप प्रदान करने के लिये भौतिक सृष्टि प्रारम्भ की:—



पृथ्वी आदि पाच महाभूत क्रमशः एक दूसरे के अघरोत्तर—नीचे नीचे—हैं। पहले पृथ्वी, पृथ्वी के नीचे जल, जल के नीचे अग्नि, अग्नि के नीचे वायु, वायु के नीचे आकाश (जो आधार है—अवकाशदम्)।

निर्गुण एवं सगुण सृष्टि के दो रूपों में सगुण सृष्टि का उपक्रम बाधा गया जिसकी निम्न रूप-रेखा निम्नलिखित है.—

मन	से	सुर, असुर, गन्धर्व, यक्ष, रक्ष, पन्नग, नाग, मुनि, अप्सरायें,
नेत्रों	,,	सूर्य एवं चन्द्रमा
गात्रों	,,	नक्षत्र-चक्र
पंचेन्द्रियों	,,	ताराग्रहपञ्चक—'ग्रहत्वं पुनरेतेषामिन्द्रियग्रहणाद् विदुः'
केशों	से	अश्वमुकु—मेघ
इच्छा	,,	वायु—त्रिलोकी-पावन्—चण्ड-समीरण

वायु ने ही जगत् की एकर्णवी-श्रवस्था को सूर्य की प्रचण्ड रश्मियों के सहयोग से सुखाया तभी पृथ्वी का उदय प्रारम्भ हुआ जिसे विष्णु की गय्या—शेष-नाग अनन्त (आकाश—आधार का प्रतीक) ने धारण किया। जहाँ जहाँ जल नहीं सूखा वे ही सागर बने। महाजल-बीचि-संघात से ताड़ित एवं महाप्रचण्ड वायु के भोंकों से उद्वेलित पृथ्वी यत्र-तत्र पर्वतों के रूप में प्रकल्पित हुई। पर्वतों ने पृथ्वी को चर्मावरण के समान वितत किया तथा कीलों के समान उसे धारण-शक्ति प्रदान की। एक पर्वत को दूसरे ने सीमा-विभाजन के रूप में पर्वत-प्रवहिणी सरिताओं का उदय हुआ। इसी प्रकार सागरों के मध्यावकाश में द्वीपों एवं

महाद्वीपो का भी प्रातुर्भाव हुआ। इस प्रकार सरिताओं, सागरों, पर्वतों एवं द्वीपों तथा महाद्वीपों में विभक्त पृथ्वी व्यक्त बनी (Became manifest)।

पृथ्वी के ही नीचे प्राणियों के कर्म-भोग के लिये रौरव आदि नरकों की भी सृष्टि सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने की। पुनः भूत-ग्राम (चराचर संसार) की रचना की।

जरायुज—द्वेषा—मनुष्य तथा पशु। सात ग्राम्य—मनुष्य, गो, तुरग, छाग मेष, वेगसर तथा खर। सात आरण्य—सिंह, गज, उष्ट्र, महिष, शरभ, गवय तथा कपि।

अरडज—चतुर्धा—सुपर्ण, भुजग, कीट, पिपीलिका।

स्वेदज—क्लेद (पसीना) एवं केश से उत्पन्न कृमि यूका (जुवा) आदि क्षुद्रजन्तु।

उद्भिज—पञ्चधा—द्रुम, वल्ली, गुल्म, वंश एवं तृण

भुवनकोश-धर्म—‘भुवनकोष, नामक पाचवें श्रव्याय में क्षिति-निवेश (Physical planning of the Earth) का ही वर्णन नहीं है वरन् सौर-मण्डल के अन्य विभिन्न ग्रहों (planets) की स्थिति एवं गति पर भी प्रकाश डाला गया है।

(i) विष्कम्भ १०१ ६००००० योजन अर्थात् लगभग १६३०४००००० मील

(ii) परिधि ३२६०८०००० योजन अर्थात् (लगभग) ५२१७२८०००० मील

(iii) बाहुल्य ४२०००० योजन अर्थात् (लगभग) ६१२०००० मील

टि० चारों सागर, चारों महाभूत एवं महत् पृथ्वी से क्रमशः सौगुने बढ़े हैं अर्थात् महत् सबसे बड़ा। यह पृथ्वी जल पर चक्राकर (वृत्तशालिनी) स्थित है।

द्वीप—द्वीपों से यहाँ पर अभिप्राय महाद्वीपों से है। महाद्वीपों की संख्या सात है:—

१ जम्बू द्वीप

२ शाकद्वीप

३ कुशद्वीप

४ क्रौञ्चद्वीप

५ शाल्मलिद्वीप

६ गोमेदद्वीप

७ पुष्करद्वीप

जम्बूद्वीप—यह सातों द्वीपों एवं सातों अम्बुधियों के मध्य में स्थित बताया गया है। इसका विस्तार एक लाख योजन है।

अ. जम्बू के पर्वत

इस जम्बूद्वीप के पर्वत उनकी ऊँचाई तथा उनके वासियों की तालिका निम्नांकित है:—

पर्वत	ऊँचाई	वासि
१ हिमवान्	२½ हजार योजन	पिशाच, यक्ष एवं राक्षस।
२ हेमकूट	५ हजार योजन	चारण, गुह्यक आदि
३ निपथ	१ हजार योजन	नाग—शेष, वासुकि तन्नक आदि
४ सुमेरु (मणि-कन्दर)	८४ हजार योजन	तीस कोटि देवता अपनी अप्सराओं के साथ
५ नील (वैडूर्यमणि-शिखर)	१ हजार योजन	तपोनिष्ठ ब्रह्मर्षि लोग
६ श्वेत (सुवर्ण-शिखर)	५ सौ योजन	देव-जन्तु

७ शृङ्गी (महानील मणियों २३ हजार योजन पितृ-गण
एवं मयूर-पिच्छो से बहुल)

८. गन्धमादन १ हजार योजन सखीक सिद्ध एवं गन्धर्व
९ माल्यवान् ” ”

टि० १ इन पर्वतों में मेरु को छोड़कर सभी अन्य आठ पर्वतों का विस्तार २ हजार योजन है । साथ ही साथ तल-विस्तार (Sub-terrestrial dimension) ऊंचाई के आधे प्रमाण में प्रतिपादित हैं ।

टि० २ इन ६ पर्वतोंके अतिरिक्त १२ और पर्वत हैं जो सर्व दिशाओंमें समुद्राम्यन्तर ही फैले हुए हैं, ऊपर नहीं—

पूर्व	धूम्रक,	दुंदुभि	आर्द्र
पश्चिम	नारद,	वराह,	सोमक
दक्षिण	मैनाक,	वलाह	चक्र
उत्तर	द्रोण,	कङ्क	चन्द्र

ब. जम्बूद्वीप के वर्ष

- १ भारत (धनुषाकृति)—जिमके उत्तर में हिमालय और जिसके दक्षिण में लवण-समुद्र है ।
- २ किम्पुरुष—हिमालय एवं हेमकूट के बीच ।
- ३ हरिवर्ष—हेमकूट और निषध के अन्तरावकाश में ।
- ४ इलावर्ष—निषध, नील, माल्यवान् तथा गन्धमादन के बीच ।
- ५ रम्यक—नीलोत्तर एवं श्वेतदक्षिण ।
६. हैरण्यक—श्वेत-शृङ्गी के मध्य में
- ७ कुरुवर्ष—शृङ्गी के उत्तर यथा लवणसमुद्र के दक्षिण ।
८. भद्राश्व—नील-निषध के अन्तर तथा माल्यवान् पर्वत के पूर्व (समुद्र-पर्यन्त फैला हुआ)
९. केतुमाल—गन्धमादन के पश्चिम एवं पश्चिम समुद्र के पूर्व

टि० इन वर्षों के वासी—जीवन एवं भोग आदि की निम्न तालिका देखने योग्य है:—

वर्ष	जीवन (वर्षों में)	भोजन आदि
भारत	—	—
किं पुरुष	अयुत	प्लव-भोजी, स्वर्णकान्तिक ।
हरिवर्ष	सायुत सहस्र	इन्द्र रस के भोजी, रजत-कान्तिक ।
इलावृत्त	सपादायुत	जम्बूफल के रस पर रहने वाले ।
रम्यक	अयुत	न्यग्रोधफलभुक्
हैरण्यक	”	लकुचाशी

कुरुवप	”	अभीष्ट वृत्तों से
भद्राश्व	अयुत	नीलाम्रक-फलाहारी
केतुमाल	”	पनस-भोजी

टि० यह वर्ष मेरुतटाच्छन्न होने के कारण सूर्य, चन्द्र एवं ताराओं के प्रकाश को नहीं प्राप्त कर पाता है। अपनी अपनी अंग कान्ति से ही लोग यहाँ रहते हैं—पद्म राग कान्तिक हैं ये न। जम्बूद्वीप की इन प्रधान विशेषताओं के उपरान्त अन्य द्वीपों का तो विशेष विस्तार ग्रन्थ में नहीं है और न यहीं पर हो सकता है। जहाँ जम्बू लवण-समुद्र से परिवृत है वहाँ शाकादि द्वीपषट्क क्षीर (दुग्ध), आज्य (घृत) दधि, मद्य, ईक्षुरस तथा मधुर समुद्रों से परिवृत बताये गये हैं। निम्न तालिका से इस द्वीप-षट्क के पर्वत एवं वर्षों का स्वरूप अवधार्य है:—

द्वीपषट्क	पर्वत	वर्ष
शाक	उदय, जलधर, नारक, रैवत श्याम, राजत तथा आम्बिकेयक—७	जलद, कुमार, सुकुमार मणीचक, कुसुमोत्तर, मोदाकी, महाद्रुमवन, ७
कुश	विद्रुम, हेम, द्युतिमान, पुष्पवान्, कुशेशय, हरिद्विभृत् तथा मन्दर—७	उद्भिद, वेणुवत्, सराल, लम्बन, श्रीमत्, प्रभाकृत् कपिल तथा पन्नग—८ ।
क्रौञ्च	क्रौञ्च, अन्धकार, देव, गोविन्द, वामन, द्विविद तथा पुण्डरीक—७ ।	कुसल, अष्ट, परापत मनोनुग, मुनि, अन्धकार तथा दुन्दुभि—७ ।
शाल्मलि	रक्त, पीत तथा सित—३	शान्तभय एवं वीतभय—२
गोमेद	सुर तथा कुमुद—२	धातकी-खण्ड—१
पुष्कर	मानसोत्तर	महावीत

आगे विश्वकर्मा जी कहते हैं (७७—७९) कि इसी पुष्कर-द्वीप के महावीत वर्ष में उन्होंने निम्न देव-नगरियों का निवेश किया था:—

वस्त्रोकसारा	ऐन्द्री	पूर्व
सयमनी	याम्या	दक्षिण
सुखा	प्राचेतसी	पश्चिम
विभा	सौम्या	उत्तर

टि०—महदादिसर्ग एवं भुवनकोश-समराङ्गणीय इन दो अध्यायों की जिस सामग्री का संक्षेप में हमने यहाँ पर 'भूमि-निवेश' में किया उसका एकमात्र वास्तु शास्त्रीय सम्बन्ध यह है कि कोई भी पार्थिव कृति वास्तु है। भूमि अपनी प्राकृतिक स्थिति में 'भूमि' है, वही निविष्ट होने पर वास्तु है। अथच जैसा कि वास्तु के विषय एवं विस्तार में हमने देखा समराङ्गण की वास्तु-दृष्टि अत्यन्त व्यापक है। वास्तु-शास्त्र का विषय भवन-निवेश ही नहीं पुर-निवेश ही नहीं, देश विनिवेश ही नहीं—अखिल भूमण्डल ही निवेश्य है—अतः 'क्षिति-निवेश' की इस व्यापक वास्तु-दृष्टि का हम मूल्याङ्कन कर सकते हैं।

त्रैलोक्य निवेश—सूर्यादि-ग्रह-स्थिति—सौरमण्डल में 'पृथ्वी' एक लघु इकाई है। भूलोक एव उसके निवासियों का जीवन अन्य लोको से सदैव प्रभावित एवं अनुप्राणित रहता है। अतः क्षिति-निवेश के लिये अन्य ग्रहमण्डल के मदस्यों का संकेत भी कुछ न कुछ आवश्यक है। भूतल के ऊपर निम्न लोकों की क्रमिक ऊर्ध्वगामिनी सत्ता बतायी गयी है:—

- | | |
|--------------------|---------------------------|
| १. सूर्य | ६. अर्क (शनैश्चर) |
| २. चन्द्र | ७. त्रिदशार्चि (बृहस्पति) |
| ३. धिष्ण्य (शुक्र) | ८. सप्तर्षि |
| ४. भौम | ९. ध्रुव |
| ५. शसित (बुध) | |

इन ग्रहों (पृथ्वी से अर्किशनैश्चर तक) का परस्पर एक एक हजार योजन के अन्तर (Intervening distances) हैं। शेष चार ग्रहों के अन्तरावकाश का परिमाण दो दो लक्ष योजन है, इस प्रकार धरित्री और ध्रुव के बीच का अन्तरावकाश अर्थात् त्रैलोक्य का समुत्सेध १४ नियुत योजन हुआ।

त्रैलोक्य यहीं पर समाप्त नहीं होता है। वास्तविक त्रैलोक्य तो अभी और ऊपर है। ऊपर के लोक अपनी दूरी के साथ निम्न रूप से बोधव्य है:—

- | | |
|----------|------------------------------------|
| महः लोक— | ध्रुव से एक करोड़ योजन की दूरी पर। |
| जनः ” | ” ” दो ” ” ” |
| तपः ” | ” ” चार ” ” ” |
| सत्य ” | ” ” आठ ” ” ” |

टि०—सत्यलोक के निवासियों की स्थिति अण्डकपर्पर (ब्रह्माण्ड) के नीचे के निवासियों से १ करोड़ पचास नियुत योजन है।

आवरण—इन सभी लोकों के आवरण योग (Shielded as it were) पर ग्रंथ का प्रवचन यह है कि नीचे तिरछे तथा ऊपर सभी ओर ने सात मस्तों (वायु-मण्डल) के आवरण हैं जो क्रमशः निम्नतप से समझे जा सकते हैं:—

- | | | |
|---------|-----|--------------------|
| वह | में | अब्द—जलद—मेघ मण्डल |
| प्रवह | ” | सूर्य |
| उद्ग्रह | ” | चन्द्र |
| संवह | ” | नक्षत्र-मण्डल |

आवह	”	ग्रह-मण्डल
परिवह	”	सप्तर्षि-मंडल
परावह	”	ध्रुव

टि०—ये सातों वायु प्रतिज्ञाएँ इन सभी को (केवल 'ध्रुव' को छोड़कर—जो अटल है) घुमाते रहते हैं। ध्रुव के द्वारा यह समस्त ज्योतिष्क मानों बद्ध है।

टि०—सूर्यादि ग्रहों की गति का विशेष सम्बन्ध ज्योतिष-शास्त्र से ही है। अतः उसका विस्तार अप्रासङ्गिक है।

सहदेवाधिकारवर्ग—इसकी विस्तृत-समीक्षा 'भवन' पटल में द्रष्टव्य है।

वर्णाश्रम प्रविभागवर्ग - यथा नाम मानव समाज को विभिन्न वर्णों (अर्थात् वासियों-पेशों में विभाजित कर एक सुसंगठित एवं सुव्यवस्थित समाज का निर्माण एवं प्रतिष्ठा क्रिमी भी निवेश के लिये प्रथम सोपान है। अतः वास्तु का परमोपजीव्य विषय—निवेश (planning) के अनुरूप मानव समाज का सम्यक् निवेश प्रथम प्रक्रिया (pre requisite) है। अतएव समराङ्गण में 'वर्णाश्रम-प्रविभाग' नामक ७ वें अध्याय की अवतारणा की गयी है।

महाराज पृथु को वास्तु-निवेश संरक्षक के रूप में हम पहले ही देख चुके हैं। अतः मानवों का जब देवों से विच्छेद हुआ (दे० सहदेवाधिकार स० सू० अ० ६) तो संतप्त मानव समाज की सुनियोजना के लिये एवं उनके शासन-पालन के लिये कश्यप पितामह ब्रह्मा पृथु को लेकर उपस्थित हुए और कहा 'आज से यह पृथु तुम्हारा मरुतो-देवों के प्रभु वासव-इन्द्र के समान प्रभु होगा। दण्डधारी, लोकपाल प्रभावशाली, प्रतापतापिताराति-सिंह, सिंह पराक्रम इस पृथु को तुम्हारे आधिपत्य में मैंने आज से अभिषिक्त किया। महाराज पृथु सजनों की रक्षा करेंगे और दुष्टों का नाश। आज से यह तुम्हारे राजा हुए' इस प्रथम राज-कल्पना में समाज की सुनियोजना (Ordered planning) का मर्म अन्तर्हित है।

समाज की सुनियोजना का दूसरा नाम चातुर्वर्ण्य-विभाग एवं जीवन के चातुराश्रम्य-संस्थापना के परम्परागत तत्वों का विशेष उल्लेख न कर यहाँ इतना ही सवेत पर्याप्त है कि समाज की वृत्ति के लिये, अपने अपने कर्मों-कर्तव्यों के सम्पादन के लिये खेत, ग्राम, नगर, वेश्म आदि की रचना अनिवार्य है—यही वास्तु-शास्त्र में वर्णाश्रम-प्रविभाग का मर्म है।

स्थानादि-विनिवेश-कार्य को सुगम बनाने के लिये पृथु के गोदोहन की समीक्षा पहले ही हो चुकी है (दे० वा० वि० प्र० प० अ० ५)।

पुर-कारण्ड

देश-वर्ग

१. जागल	(दे० 'देशचयन' पु० नि० उ० पी० अ० २)
२. आनूप	” ”
३. साधारण्य	” ”

७. रुद्रा	२५.	धूम्रवर्णा
८. निम्न-पुरोहिणी	२६.	मिश्रवर्णा
९. भंगुरा	२७.	विवर्णा
१०. सुषिरोषरा	२८.	रुद्रवर्णा
११. चामावर्तजलखाविणी	२९.	तिक्ता
१२. असारा	३०.	आम्ला
१३. विषमोन्नता	३१.	लवणा
१४. कटुकखटु किनि; सारशुष्कनिष्फलपादपा	३२.	स्वेदला
१५. क्रव्यात्पक्षिसमाकीर्ण	३३.	रुद्रस्पर्शा
१६. क्रमिकीटवती	३४.	खरस्पर्शा
१७. सुकृतनाशिनी	३५.	सदैवोष्णा
१८. सरित्पूर्ववहा	३६.	सदैवहिमा
१९. वसागन्धा	३७.	अनिष्ट-सुखसंस्पर्शा
२०. स्रक्गन्धा	३८.	क्रोष्टुस्वाना
२१. मज्ज-गन्धा	३९.	उष्ट्रस्वाना
२२. पक्षिविण्मूत्र-मलगन्धा	४०.	खरस्वाना
२३. तैल-गन्धा	४१.	निर्भरस्वाना
२४. शव-गन्धा	४२.	भिन्नभायहसमक्रूर-स्वाना

भू-परीक्षा—दे० पु० नि० उ० पी० अ० २

मृत्तिका-परीक्षा— " "

पुर-वर्ग—

जनपद—दे० पु० नि० पू० पी० अ० २		
नगर-विकास—	"	२
नगर-प्रभेद—	"	३
ग्राम-प्रभेद—	"	४
दुर्ग-प्रभेद—	"	५
पुर-मार्ग—दे० पु० नि० उ० पी० अ० ४		
पुर-वसति—	"	५
पुर-देवतायतन—	"	६
पुर-रक्षा—	"	७
गर्हित-पुर—	"	८
श्राधुनिक नगर—		
निवेश के उपकरण—	"	९

परिशिष्ट (स)

संक्षिप्त-समराङ्गण

(अक्षतरण)

प्रथम पटल (वास्तु-विद्या)

अ. वास्तु-शास्त्र का जन्म

- (१) नयस्येति समाकर्ण्य विश्वकर्मा च तद् वचः ।
जगाद् गर्जन्भोद्ध्वनिगम्भीरया गिरा ॥ १ ॥
साधु वत्स । त्वया सम्यक् प्रज्ञयातिविशुद्धया ।
प्रश्नोऽयमीरितो वास्तुविद्याञ्जवनभास्करः ॥ २ ॥
स त्वं निधाय प्रश्नानां समुदायममुं हृदि ।
वदतो मेऽवधानेन श्रुणु यद् ब्रह्मणोदितम् ॥ ३ ॥
- (११) तानुवाच मुनिर्वत्सा विदित वो यथा पुरा ।
वास्तु ब्रह्मा ससर्जादौ विश्वमप्यस्त्रिंशं तथा ॥ ४ ॥
धर्म्यं कर्म तदा श्रेष्ठ्यप्राप्त्यै लोकावनानि च ।
व्यवस्थाप्य चकारैष लोकपालस्य कल्पनाम् ॥ ५ ॥
श्रद्धमप्यमुना विश्वनाथेनाग्नुजजन्मना ।
लोकानां सन्निवासायमादिष्टोस्मि स्वयम्भुवा ॥ ६ ॥
रम्याणि नगरोद्यानसभास्थानान्यथो मया ।
सुरासुरोत्पादीनां निर्मितान्यात्मबुद्धितः ॥ ७ ॥
गम्बोवीं वैन्यनृपतेर्वत्साः प्रियचिकीर्षया ।
नगरग्रामखेटादीन् करिष्यामि पृथक् पृथक् ॥ ८ ॥
कार्ये त्वमपिमन् सकले मम विश्वसृजापिते ।
ग्रहसाहायकैर्भाव्य भवद्भिरिति नः स्थितम् ॥ ९ ॥
धतस्त्रिभुवनालोकप्रद्योतस्यात्त्रिजनीपतेः ।
सह्यप्रतां तमश्छेदे कलयन्ति मरीचयः ॥ १० ॥
स्वयं करिष्येऽहमथो निवासाय पृथोः पुरीम् ।
विचित्रनगरग्रामखेटाभक्तिमनोहराम् ॥ ११ ॥
भवन्तः पुनरागत्य चत्वारोऽपि चतुर्दिशम् ।
तांस्तान् निवेशान् कुर्वन्तु पृथग्जनकृताधयान् ॥ १२ ॥
अन्तरेष्वध्वपाथोधिगैलानां सरितां तथा ।
विधातव्यानि दुर्गाणि नृपाणां भयशान्तये ॥ १३ ॥

वर्णप्रकृतिवेशमानि संस्थानानि च लक्ष्मभिः ।

विधेयानि प्रतिग्रामं प्रतिभूः प्रतिपत्तनम् ॥ १४ ॥ (२. ४-१४)

(III) पृथुनेत्यथ विज्ञप्तो भगवानञ्जसम्भघः ॥ १५ ॥

उवाच बोधयन्नेमं कृत्वा भूमिं च निर्भयाम् ।

इयं मही महीपाल ! विधिवत् पालिता सती ॥ १६ ॥

सस्यैरूपा (दृश्य) निष्पन्नैस्तव भोग्या भविष्यति ।

यच्च ते स्यादभिप्रेतं स्थानादिविनवेशनम् ॥ १७ ॥

तदेष त्रिदशाचार्यः सर्वसिद्धिप्रवर्तकः ।

सुतः प्रभासस्य विभोः स्वस्त्रीयश्च बृहस्पतेः ॥ १८ ॥

विश्वातिशायिधीः सर्वं विश्वकर्मा करिष्यति ।

राजस्रसौ महेन्द्रस्य विदधावमरावतीम् ॥ १९ ॥

अन्या अप्यमुना रग्याः पुर्यो लोकभृतां कृताः ।

त्वया क्षेत्रीकृतां मूर्तिं दृष्ट्वा साद्रिद्रुमामसौ ॥ २० ॥

सन्निवेशान् पुरग्रामनगराणां विधास्यति ।

तद्गच्छ वत्स ! लोकानामितस्त्वं हितकाम्यया ॥ २१ ॥

भयोर्ज्जिता त्वमप्युर्वि ! पृथोः प्रियकरी भव ।

काले स्मृतः स्मृतः पुण्यो राज्ञः प्रियचिकीर्षया ॥ २२ ॥

स्वमप्यखिलमेवैतद् विश्वकर्म (नृ) ! करिष्यसि ॥ २३ ॥ १. १६-२३ १/२

(व) वास्तु-शास्त्र का क्षेत्र

(१) स्वातन्त्रिक

देश. पुरं निवासश्च सभा वेशमासनानि च ।

यद्यदीदृशमन्यच्च तत्तच्छैत्यस्करं मतम् ॥ २४ ॥

वास्तुशास्त्रादृते तस्य न स्यात्तलक्षणनिश्चयः ।

तस्माल्लोकस्य रूपया शास्त्रमेतदुदीर्यते ॥ २५ ॥ १, ४-५

(II) सार्वभौमिक

इदमासीद् युगान्ताग्निप्लुष्टं संवर्तकादिभिः ।

समुत्सृजद्गिरिगर्भासि विश्वमेकार्णवीकृतम् ॥ २६ ॥

तमोभूते ततस्तस्मिन् भोगिपर्यकमाश्रितः ।

क्षरि. सुप्वाप सन्तिले कृवोदरगत जगत् ॥ २७ ॥

अथाग्य नाभावग्भोजमभूत् तस्मिन्नजायत ।

सर्वज्ञानाध्रय. श्रीमार्चतुर्वक्त्रः सुरेश्वरः ॥ २८ ॥

स कदाचिद् दधत्तः प्रजासृष्टिं प्रति प्रभुः ।

महान्तमसृजत् तत्र पूर्वं विश्वस्य हेतवे ॥ २९ ॥

त्रिधाहंकृतमेतस्मान्मनोऽभूत् सात्त्विकादतः ।
 राजसादपि चाज्ञाणि तन्मात्राणि च तामसात् ॥ ३० ॥
 तेभ्यः पञ्च महाभूतान्याविरासन्ननुक्रमात् ।
 व्योमादीनि धरान्तानि स्वैः स्वैर्युक्तानि तैर्गुणैः ॥ ३१ ॥
 अधरोत्तरभावश्च सम्यगोपां मयोच्यते ।
 आदौ पृथ्वी ततोऽधस्तादापस्नासां च पावकः ॥ ३२ ॥
 तस्याप्यधस्तात् पवनस्ततः खमवकाशदम् ।
 भूतादिस्थ वियत् सोपि महता परिवारितः ॥ ३३ ॥
 महारश्च विशति व्यक्तं व्यक्तमव्यक्तं पुनः ।
 ग्राह्यग्राहकभवेन व्यक्तो भूतसमुद्भवः ॥ ३४ ॥
 आभाराधार्यभावश्च यथार्थो च स्थितिव्ययौ ।
 महाभूतानि सगुणान्येवं स्रष्टा ततः प्रसुः ॥ ३५ ॥
 मनः पुनरसौ सर्गं भौतिके सम्यगादधौ ।
 सुरासुरान् सगन्धर्वान् यक्षरक्षांश्चि पन्नगान् ॥ ३६ ॥
 नागान् मुनीनप्सरसो मनसा समजीजनत् ।
 अर्केन्दु चक्षु (षो ? षो) जातौ गगनभ्रमणक्षमौ ॥ ३७ ॥
 गात्रेभ्योऽपि च नक्षत्रचक्रमस्मादजायत ।
 इन्द्रियेभ्यश्च पञ्चभ्योऽभूत् ताराग्रहपञ्चकम् ॥ ३८ ॥
 ग्रहत्वं पुनरेतेषामिन्द्रियग्रहणाद् विदुः ।
 सुरेन्द्रचापचिन्हानां विद्युद्वज्रयशालिनाम् ॥ ३९ ॥
 भीमाशनिभृतां चासीत् केशेभ्योऽम्बुमुचां भव ।
 विश्वमापूरयन् कृन्तमाविरासीत् तदिच्छया ॥ ४० ॥
 त्रिलोकीपावनस्तिर्यग्गामी चण्डः समीरयः ।
 ततश्चण्डानिजोद्धूतमुपर्यर्कांशुतापितम् ॥ ४१ ॥
 वायुभिः शोपमानीत जगाम घनतां पयः ।
 तस्योपरिष्ठादम्भोधेरधः कुण्डलितं वपुः ॥ ४२ ॥
 विष्णोःशय्यात्वमभ्येत्य धत्तेऽनन्तोऽद्विक्तां भुवम् ।
 न तप्तं येषु येष्वग्भः प्रदेशेष्वर्करश्मिभिः ॥ ४३ ॥ (a)
 नीत न वानिलैः शोप तत्र तत्राव्ययोऽभवन् ।
 महाम्भोवीचिसंघाता विक्षिप्ताश्चण्डमास्ते ॥ ४४ ॥
 घ्नन् यत्रापुर्देव्यं ते तत्र तत्राद्रयोऽभवन् ।
 निश्चक्षत्वार्यमवनिश्चर्मघट्टं वितताथ तैः ॥ ४५ ॥
 जैलैः कीलैरिव स्थानेष्वचित्ता तेषु तेष्वियम् ।
 घृष्टिं गताद्दिनि प्यन्दैर्भूभृतां प्रविभागजा ॥ ४६ ॥
 निम्नगाभूत्स्ततोऽम्भोधेः कान्दा निम्नासुमारिषी ।
 मेदिन्यन्तेषु जलधिपर्यन्तेषु विनिर्यदुः ॥ ४६ ॥

अग्नांसि यत्र यत्रासंस्ते द्वीपाश्चित्ररूपिणः ।
 सनिग्नाग्नुधिद्वीपा विभक्ताखिलभूधराः ॥ ४७ ॥
 व्यक्ता वभूव कृत्स्नैव भूमिर्भूतानि विभ्रती ।
 स चक्रे रौरवादीनां निरयाणामधः क्षितेः ॥ ४८ ॥
 स्वकर्मफलभुक्स्थर्थं स्थानं दुष्कृतकर्मणाम् ।
 जरायुजायद्वज्रोद्भिज्जस्वेदजैः सह स प्रभुः ॥ ४९ ॥
 चतुर्धैत्यसृजल्लोके भूतग्रामचराचरम् ।
 द्वेषा जरायुजास्तत्र मनुष्याः पशवस्तथा ॥ ५० ॥
 ग्राम्याः सप्ताभवस्तेषु सप्तारण्यकृताश्रयाः ।
 पुमान् गौस्तुरगच्छागौ मेषो वेगसरः खरः ॥ ५१ ॥
 ग्रामवासैकनिरताः सप्तैते परिकीर्तिताः ।
 सिंहद्विपोष्ट्रमहिषाः शरभो गवयः कपिः ॥ ५२ ॥
 अरण्यगोचरा जीवाः सप्तैते वत्स ! निर्मिताः ।
 धर्माधर्मविवेकित्वाच्छैयान् ग्राम्येषु पूरुषः ॥ ५३ ॥
 अरण्यचारिणु श्रेष्ठः सिंहः शौर्यवत्तादिभिः ।
 सुपर्णा भुजगाः कीटाः येऽपि च स्युः पिपीलिकाः ॥ ५४ ॥
 चतुर्धैत्यद्वजन्मानो जन्मिनस्ते प्रकीर्तिताः ।
 क्लेदकेशसमुद्भूताः कृमियूकादिजन्तवः ॥ ५५ ॥
 सर्वेऽपि स्वेदजन्मानस्ते प्रजापतिना कृताः ।
 उद्भिज्जाः पञ्चधा भू (त्वा?त्था) निर्दिष्टाः स्थावराश्चते ॥ ५६ ॥
 द्रुमा वल्ह्यश्च गुल्माश्च वशाः सतृणजातयः ।
 छलान्तःकरणत्वं च स्वस्थानत्यागितापि च ॥ ५७ ॥
 क्षिप्रप्ररोहिता चैषां वैशेषिकगुणप्रयम् ।
 गायत्री भूतसंज्ञै (षां?पा) चतुर्विंशतिपर्विका ॥ ५८ ॥ (४.४-३७)

(III) भौगोलिक

अथो यथाक्रमं भूमेः कृत्स्नायाः - कथयामि ते ।
 विष्कम्भपरिधी वत्स ! बाहुल्यमपि च स्फुटम् ॥ ५९ ॥
 विष्कम्भोऽस्याः समुद्दिष्टो दशयोजनकोटयः ।
 लक्षाण्यपि च मेदिन्यास्तद्वेकोनविंशतिः ।
 विष्कम्भत्रिगुणो यावद् विष्कम्भांशश्च पञ्चमः ॥ ६० ॥
 मेदिन्याः परिधिस्तावद्योजनैः परिकीर्तितः ।
 द्वात्रिंशत्कोटयः पट्टिलंछाणि परिधिः क्षितेः ॥ ६१ ॥
 अशीतिश्च - सहस्राणि योजनानां - प्रकीर्तितः ।
 योजनानां सहस्राणि विंशतिर्लक्ष्याद्वयम् ॥ ६२ ॥

इति वाहुल्यमेतस्याः क्षितेर्वत्स । तवोदितम् ।
 चतुर्णां सलिन्नादीनां भूतादेर्महतोऽपि च ॥ ६३ ॥
 उत्तरोत्तरमुर्वतो मानं शतगुणं विदुः ।
 तोयाद्रिपु स्थितेयं भूश्चक्रवद् वृत्तशालिनी ॥ ६४ ॥
 पात्रस्थापरपात्रश्रीहारीण्यन्यान्यपि क्रमात् ।
 प्रमाणमिदमेतेषां क्षित्यादीनां तवोदितम् ॥ ६५ ॥
 द्वीपादीनां तु पाथोधिनिवेशः पुनरुच्यते ।
 द्वीपानामम्बुधीनां च सप्तानामपि मध्यगः ॥ ६६ ॥
 जम्बूद्वीपो भवेद् वृत्तः सहस्रशतविस्तृतः ।
 हिमाद्रिर्हेमकूटाख्यो निपथो नीलसंज्ञितः ॥ ६७ ॥
 श्वेतः शृंगी च पद्मी भवन्त्यस्मिन् कुलाचलाः ।
 पृतस्माद्दुत्तरेणाद्रेस्तुपारांकितमेखलात् ॥ ६८ ॥
 पूर्वापरायताः सर्वेऽप्यद्रयो यावद्रम्बुधि ।
 अन्तरा नीलनिपथौ जम्बूद्वीपस्य नाभिगः ॥ ६९ ॥
 वृत्तः पुण्यजनाकीर्णः श्रीमान् मेरुर्महाचलः ।
 उदग्याग्यायते मेरोः प्राग्भागे माल्यवान् गिरिः ॥ ७० ॥
 सेवितः सिद्धनारीभिरानीलनिपथायतः ।
 सुमेरोः पश्चिमेनाद्रिर्गन्धर्वकुलसङ्कुलः ॥ ७१ ॥
 माल्यवत्सदृशायामो महीभृद् गन्धमादनः ।
 पर्वताबुभयान्तरथौ हिमवान् शृगवांस्तथा ॥ ७२ ॥
 योजनानां सहस्रे द्वे सार्धे स्यादुच्छ्रयस्तयोः ।
 श्वेतश्च हेमकूटश्चेत्यन्तयोः पृथिवीधरौ ॥ ७३ ॥
 योजनानां सहस्रार्धमेकैकस्योच्छ्रयस्तयोः ।
 निपथाचलनीलाद्रिमाल्यवद्गन्धमादनाः ॥ ७४ ॥
 सहस्रयोजनोच्छ्रयाश्चत्वारोऽमी पृथक्पृथक् ।
 पतेऽष्टावपि शैलेन्द्राः सहस्रद्वयविस्तृताः ॥ ७५ ॥
 उच्छ्रयार्धमधश्चापि विलगनाः मह मेख्या ।
 मेरोः समुच्छ्रयोऽजीतिः सहस्राणिचतुर्युता ॥ ७६ ॥
 षोडशाधः सहस्राणि द्वात्रिंशन्मूर्ध्निन विस्तृतिः ।
 जम्बूवर्त्महान् मध्ये सुमेरोनिपवस्य च ॥ ७७ ॥
 द्वीपस्यामुष्य यद्योगाज्जम्बूद्वीप इति श्रुतिः ।
 शृंगैर्हिमशिलातदैः सर्वतो हिमवानयम् ॥ ७८ ॥
 महान्तो निवसन्त्यत्र पिशाचा यष्टराक्षसाः ।
 कूटैर्हेममयैर्हेमकूट इत्यग्नीधरः ॥ ७९ ॥
 यं सर्वतो निपेवन्ते सटा चारण्यगुह्यकाः ।
 तस्याङ्गप्रमाज्जाक्षप्रतिभो निपथाचलः ॥ ८० ॥

निवसन्ति सुखं तत्र शेषवासुकितक्षकाः ।
 हेमाब्जकर्णिकाकारः सुमेरुर्माणिक्यकन्दरः ॥ ८१ ॥
 अन्नमराः साप्सरसश्चयस्त्रिंशद् वसन्ति ते ।
 वैदूर्यनद्वैः शिखरैर्नीलो नीलमहीधरः ॥ ८२ ॥
 कलयन्ति तपोनित्या यत्र ब्रह्मर्षयः स्थितिम् ।
 श्वेतः स काञ्चमैः शृङ्गैर्गनोल्लेखिभिवृतः ॥ ८३ ॥
 दोर्दर्पशाजिनां यत्र निवासस्त्रिदशद्विषाम् ।
 महानीलमयो बहिर्हिपिच्छच्छायो बहिर्महान् ॥ ८४ ॥
 पितृणामालयः शृङ्गैरुच्छ्रितैः शृङ्गवान् गिरिः ।
 हिमाचलस्य याग्येन चाराब्धिवृतमन्यतः ॥ ८५ ॥
 वर्षं स्याद् भारत नाम प्रथमं कार्मुकाकृति ।
 तुषारनिलयस्याद्देहेमकूटाचलस्य च ॥ ८६ ॥
 मध्ये किंपुरुषं नाम द्वितीयं वर्षंमीरितम् ।
 अन्तरे हेमकूटस्य निषवस्य च भूभृतः ॥ ८७ ॥
 हरिवर्षमिति प्रोक्तं तृतीयं वर्षमुत्तमम् ।
 निषधाचलनीलाद्रिमात्यवद्गन्धभूभृताम् ॥ ८८ ॥
 चतुर्णां मध्यगं वर्षं तुयंमस्मिन्निलावृतम् ।
 उत्तरे नीलशैलस्य याग्ये च श्वेतभूभृतः ॥ ८९ ॥
 पञ्चमं वर्षमत्यथंरम्यं रम्यकसञ्जितम् ।
 श्वेतशृङ्गवतोः शैलराजयोरनयोःरिह ॥ ९० ॥
 मध्ये षष्ठं हिरण्ययाशुरम्यं हैरण्यकाङ्क्षयम् ।
 अस्योत्तरे शृङ्गवतो याग्ये च चारवारिधेः ॥ ९१ ॥
 कुरुवर्षाभिधं वर्षमुत्तरेण प्रचक्षते ।
 अन्तरा नीलनिषधौ प्राग्भागे माल्यवद्गिरेः ॥ ९२ ॥
 भद्राश्वमष्टमं वर्षं प्राक्समुद्रान्तमीरितम् ।
 गन्धसादनशैलस्य प्रत्यक् प्राक् चापराश्रुधेः ॥ ९३ ॥
 नवमं वर्षमाचार्याः केतुमालं प्रचक्षते ।
 इति प्रोक्तानि वर्षाणि नवामूनि मया तव ॥ ९४ ॥
 साम्प्रतं पुनरेतेषां प्रमाणमवधारय ।
 प्रमाणेन सहस्राणि चतुस्त्रिंशच्चतुर्दिशम् ॥ ९५ ॥
 योजनानामिहेच्छन्ति चतुरश्रमिलावृतम् ।
 प्राक्प्रत्यग्भागगे वर्षे तस्योदग्याम्यतः समे ॥ ९६ ॥
 एकत्रिंशत्सहस्राणि किञ्चित् प्राक्प्रत्यगायते ।
 यान्युक्तानि पटन्यानि वर्षाण्येभ्योऽवराणि ते ॥ ९७ ॥
 तेषां नवसहस्राणि प्रत्येकं विस्तृतिर्भवा ।
 वर्षं किन्पुस्त्ये नार्यो नराश्च पञ्चमोजनाः ॥ ९८ ॥

जीवन्त्ययुतमद्दानां जात्यजाग्भूनदत्विपः ।
 हरिवर्षे नरा नार्यो वसन्तीधुरन्माशिनः ॥ ६६ ॥
 सायुतं च सहस्रं ते जीवन्ति रजतत्विपः ।
 इलावृते नराः पद्मरागभासोद्गतास्तथा ॥ १०० ॥
 जम्बूफलरसाहाराः सपादायुतजीविनः ।
 नास्मिन् मेस्तटच्छ्रे तारकाकेन्दुरश्मयः ॥ १०१ ॥
 स्वांगप्रभाभिः किन्त्वत्र कृतोद्योता वमन्त्यमी ।
 कैवोदरसच्छाया भद्राश्वे सांगना नराः ॥ १०२ ॥
 नीलाभ्रकफलाहारा भवन्त्यत्रायुतायुपः ।
 दलकुवलयश्यामाः केतुमाले शरीरिणः ॥ १०३ ॥
 शरदःमयुत तेषामायुः पनसभोजिनाम् ।
 श्वेताभो रम्यके रम्ये न्यग्रोभफलभुग् जनः ॥ १०४ ॥
 हरिवर्ष इव प्रोक्षमेतरिमन् मानमायुपः ।
 श्यामत्विपः स्त्रियो वर्षे पुमांसश्च हिरण्यके ॥ १०५ ॥
 जीवन्त्ययुतमद्दानां सर्वेऽपि लकुचाशिनः ।
 कुरुष्वभीष्टैवृ चैर्जीवन्ति स्त्रीयुता नराः ॥ १०६ ॥
 सपादमयुत देवगर्भा गौरकान्तयः ।
 पुण्यकर्मा वसत्येषु वर्षेषु निखिन्नो जनः ॥ १०७ ॥
 शोकव्याधिजरातङ्कशङ्कोन्मुक्तः सदा सुखी ।
 वमैः कीर्णानि सर्वाणि कुसुमस्तवकानतैः ॥ १०८ ॥
 रङ्गिजाङ्गिर्मदीभिश्च तैस्तैस्तुंगैश्च पादपैः ।
 उदञ्चद्वीचिमालेन लावणेनाग्निना वहिः ॥ १०९ ॥
 परिक्षिप्तोऽयमुक्षते जम्बूद्वीपो मयाखिलः ।
 द्वाद्दशाश्वनिघावन्न पृथग् भूमिमृतः स्थिता ॥ ११० ॥
 त्रयस्त्रयो दिशि दिशि स्फारोर्मिस्थगितोपलाः ।
 नैनाकश्च वलाहश्च चक्रनामा च दक्षिणे ॥ १११ ॥
 नारदाख्यो वराहाश्च सौमकाख्यश्च पश्चिमे ।
 उदगभागोऽपि च द्रोणकङ्कचन्द्रा इति त्रयः ॥ ११२ ॥
 घूर्णको दुन्दुभिश्चैव साद्रं कञ्चेति पूर्वतः ।
 सहस्रं योजनानां ते दीर्घास्तस्यार्धमुच्छ्रिताः ॥ ११३ ॥
 मगनास्तद्र्धमग्भोर्घा विानृताश्च धराधराः ।
 जुष्टाः सर्वे सुरैः शृंगम्रीदिलीढविहायमः ॥ ११४ ॥
 त्वज्जिनौपधयः कान्तविचित्रद्रुमवीरधः ।
 द्वीपाः शाककुशकौञ्जशाकमल्य इति च प्रमाद् ॥ ११५ ॥
 गोमेदः पुष्कराख्यश्च पदमी चाक्षतः स्थिताः ।
 श्रीराज्यदधिमघेष्टुरसस्वाद्गम्भमोर्षवाः ॥ ११६ ॥

द्वीपान् शाकादिकानेते परिवार्य स्थिताः क्रमात् ।
 स्वद्वीपतुल्याः सर्वे ते प्रमाणेन यथाक्रमम् ॥११७॥
 अमी शाकादयो द्वीपा जम्बूद्वीपप्रमाणातः ।
 यथाक्रमं स्युर्द्विगुणास्तथाभ्योनिधयोऽपिच ॥११८॥
 शाके सप्ताद्रयस्तेषुदयो जलधरस्तथा ।
 नारको रैवतः श्यामो राजतोऽधाम्बिकेयकः ॥११९॥
 चतुसाहस्रिकस्तेषां विष्कम्भोऽर्धसमुच्छ्रयः ।
 तदर्धं भूपदेशश्च सेवितानां सुरर्षिभिः ॥१२०॥
 वृत्तानां द्वीपवत् तेषां बाह्यतोऽमून्यनुक्रमात् ।
 वर्षाणि सन्निविष्टानि सप्त तानि ब्रवीमि ते ॥१२१॥
 जलदाख्यं कुमार च सुकुमार मणीचकम् ।
 कुसुमोत्तरमोदाकीमहाद्रुमवनानि च ॥१२२॥
 कुशे विद्रुमहेमाख्यौ द्युतिमानथ पुष्पवान् ।
 कुशेशयो हरिश्चमाभृन्मन्दरश्च कुलाचलाः ॥१२३॥
 विष्कम्भोऽष्टसहस्राणि तेषां प्रत्येकमीरितः ।
 तदर्धमुच्छ्रयस्तद्दुच्छ्रयार्धमभोगमः ॥१२४॥
 उद्भिदं वैशुवत्सर्षं सरालमथजम्बवन् ।
 वर्षं श्रीमत् प्रभाकृच्च कपिलं पन्नगाभिधम् ॥१२५॥
 क्रौञ्चे क्रौञ्चोऽन्धकारश्च देवो गोविन्दवामनौ ।
 द्विविदः पुण्डरीकश्चेत्यस्मिन् सप्त कुलाद्रयः ॥१२६॥
 विष्कम्भोऽयुतमेतेषां विष्कम्भार्धं समुच्छ्रयः ।
 अघोगतिस्तदर्धं च वर्षाण्येषां तु बाह्यतः ॥१२७॥
 कुसलाख्याष्टवर्षाख्ये परापतमनोनुगे ।
 मुनिवर्षान्धकाराख्ये सप्तमं दृन्दुभीति च ॥१२८॥
 गिरयः शाल्मलिद्वीपे रक्तः पीतः सितस्तथा ।
 वैपुल्यमेपां द्वात्रिंशत्सहस्राणि प्रचक्षते ॥१२९॥
 वैपुल्यार्धं समुच्छ्रायस्तदर्धमवनौ गतिः ।
 वर्षे शान्तभयं वीतभयं चेत्यत्र सस्थिते ॥१३०॥
 गोमेदे तु सुरश्चेति कुमुदश्चेति भूधरौ ।
 योजनानां चतुःषष्टिस्तौ सहास्राणि विस्तृतौ ।
 उच्छ्रायो विस्तरस्यार्धं तदर्धं चाप्यधोगतिः ।
 धान्कीखण्डनामास्य मध्ये वर्षमुदीरितम् ॥१३१॥
 अस्त्यद्रिः पुष्करद्वीपे मानमोत्तरसञ्चितः ।
 बाह्यतो वर्षमेतस्य महावीतमिति स्मृतम् ॥१३३॥
 विन्तुतोऽष्टौ सहस्राणि शैलोऽयं द्वे तथायुते ।
 सहस्रगतमन्यच्च सुरर्षिद्विषेवितः ॥१३४॥

व्यासार्धेनोच्छ्रयस्तस्य तदर्थेनाप्यधोगमः ।
 सुरेशानां नगर्योऽस्मिन् मया वत्स ! निवेशिताः ॥१३२॥
 ऐन्द्री वस्वोकसारा प्राग् याग्या संयमनी ततः ।
 प्राचेतसी सुत्वा पश्चात् तथा सौम्युत्तरे विभा ॥१३६॥
 धर्मरक्षार्थमेतासु चत्वारश्चतसृष्वपि ।
 तथा लोकव्यवस्यार्थं पृथग् लोकभृतः स्थिताः ॥१३७॥
 लोकालोकाचलः स्वादुसजिलाद् द्विगुणो वहिः ।
 स्वादुद्रान्धिप्रमाणात् स विस्ताराद् द्विगुणोऽपिच ॥१३८॥
 समुच्छ्रितोऽसौ नियुतं नियुतार्धमधो गतः ।
 पञ्च क्रोशा, प्रतिदिश नियुतानि तथा नव ॥१३९॥
 तद्वच्च नियुतस्यार्धं मेस्मध्यात् तदन्तरम् ।
 समुद्रासितदेहाध्वंस्तिग्मांशोः किरणैरयम् ॥१४०॥
 तत्समेनं च भूम्यर्धेनावृतः परितः पुनः ।
 भौतान्यावरणान्युर्व्या यस्यैतानि स्थितान्यधः ॥१४१॥
 ग्राह्यतोऽपिच भूम्यूध्वं निविष्टानि तथानघ ॥१४२॥ (२, १-२४३)

(iv) खगोलीय

इति वत्स ! तव प्रोक्तः सन्निवेशोऽस्मिन्नः क्षितेः ॥१४३॥
 स्थितिं गतिं च कथयास्यर्कादीनामवत, परम् ।
 सूर्येन्दुधिप्ययज्ञसितभौमाकिंनिदिशाचिता, ॥१४४॥
 सप्तपंथो ध्रुवश्चेति भूमेरूर्ध्वं क्रमात् स्थिताः ।
 चत्वारि द्वे तथा भूमेरूर्ध्वसा सूर्यनन्दनात् ॥१४५॥
 पद्मेवमन्तराणि स्युः सहस्राणां शत शतम् ।
 ग्रहान्तराणि यान्यन्याः यत्रशिष्टान्यनुक्रमात् ॥१४६॥
 तानि चत्वार्यपि द्वे द्वे ज्ञेये प्रोक्तानि मानवः ।
 धरित्रीध्रुवयोर्मध्ये योजनानां चतुर्दश ॥१४७॥
 नियुतानि समुत्सेधञ्चै लोकायस्य प्रकीर्तितः ।
 एकाध द्वे चतस्रोऽष्टावन्तरं कोटयः क्रमात् ॥१४८॥
 महोजनस्तपः सत्यलोकानामुपरि ध्रुवात् ।
 ये स्थिताः सत्यलोकोर्ध्वमधस्ताद्दृढकपर्णगात् ॥१४९॥
 एका कोटिर्भवेत् तेषां पञ्चाशन्नियुतान्विता ।
 अथावरणयोगोऽग्य विहितः (स १ प) अजन्माना ॥१५०॥
 यथैवाभस्तथा तिर्यक् तथैवोचमपि क्रमात् ।
 वहेऽब्दाः प्रवहे सूर्यः स्थित शीतंश्चरुद्गहे ॥१५१॥
 संपहस्यानि मरुप्रायसावहत्याः पुनर्महाः ।
 रुतर्षय परिवहे ध्रुवश्चापि परावहे ॥१५२॥

प्रदक्षिणममी सप्त मस्तो भ्रमयन्त्यमून् ।
 मेधीभूतः स्थितो मध्ये सुमेरुत्पामृति ध्रुवः ॥१२१॥
 समस्तमपि तद्वद्धं ज्योतिश्चक्रं भ्रमत्यधः ।
 सप्ताश्वेनैकचक्रेण रथेन रथिनां वरः ॥१२४॥
 तेजोमयेन सततं भ्राम्यति ज्योतिषां पतिः ।
 केतुमाले (रजन्यधं ? व्रजब्रूध्वं) करोत्यस्तं कुरुष्वपि ॥१२५॥
 मध्यन्दिनं च भद्राश्वे (एद्र ? स्तं ग) च्छन् भारते रविः ।
 रसाब्धिपक्षसंख्यानि योजनानि निमेवतः ॥१२६॥
 सप्तविंशतिकां चाष्टौ भागान् सपंत्यहर्षतिः ।
 योजनान्य (ध्विनंदर्तु ? विधनन्दर्तु) गुणसंख्यानि काष्ठया ॥१२७॥
 नवांशकचतुष्कं च क्रामत्यहिमदीधितिः ।
 वह्नयग्निवसुखेन्द्रचमासंख्येप्रातान्यग्जिनीपतिः ॥१२८॥
 योजनस्य त्रिभागं च प्रयाति कलयैकया ।
 वियस्वव्योमभूताशिवगुणपावकसंख्यया ॥१२९॥
 योजनान्युष्णकिरणो मुहूर्त्तेन प्रसर्पति ।
 रात्र्यहेण सहस्राणि पञ्चाशन्नकोटयः ॥१३०॥
 लक्षाणि सप्तनवतिर्गतिः स्यात् तिग्मरोचिपः ।
 मन्येन पुष्करद्वीपस्याको गत्यानया व्रजन् ॥१३१॥
 नभस्तजेन पुनरधुदयादुदयं श्रयेत् ।
 इत्थ गतिरियं सम्यक् तिग्मभानोर्निरूपिता ॥१३२॥
 गतिं चन्द्रग्रहर्क्षाणां भोगं चार्काद् विभावयेत् ।
 प्रोकं तवेत्यहोरात्रप्रमाणमधुनानघ ॥१३३॥
 पक्षमासर्तुवर्षादीन् व्यवहाराय कल्पयेत् ॥१३४॥ (२, ८४^१-१०४^३)

(v) भौगर्भिक (Geological)—

कति देशाः कति भुव. पृथक्त्वेन निरूपिताः ।
 कार्यः क्व च कथं सन्निवेशो जनपदाश्रयः । १३५॥
 व्यष्टिचिन्है. स्वनस्पर्शगन्धवर्णरसादिभिः ।
 का. शस्ता निन्दताः काश्च पुरणामपि भूमयः ॥१३६॥

(स) वास्तुशास्त्र का विषय (Subject)—

(i) विज्ञान के रूप में (As a Science)

अथ तेषु जयो नाम चावयं तद् विश्वकर्मणः ।
 धृत्वा कृताञ्जलि. प्राह त्रिगन्धगम्भीरया गिरा ॥१३७॥

ज्ञागैकनिधिरप्यस्मान् यत् सहायतया किल ।
 वृणोपि तेन न वयमात्मानं बहु मन्महे ॥१६८॥
 तदिदानीं हितार्थं न; प्रजानामपि च प्रभो ! ।
 श्रममेयप्रभावस्व सर्वमाख्यातुमर्हसि ॥१६९॥
 पूर्वमैकार्णवे जाते जगति प्रलयं गते ।
 महाभूतामरपुरीज्योतिषां कथमुद्भवः ॥१७०॥
 किमाकारा किमाधारा किंप्रमाणा च मेदिनी ।
 विस्तृतिः परिधिश्चास्या घाहुव्यमपि कीदृशम् ॥१७१॥
 उच्छ्वायव्यासदीर्घत्वैः कैः केऽस्यां कुलभूभृतः ।
 कति खयातानि वर्षाणि द्वीपा नद्योऽन्धयस्तथा ॥१७२॥
 काः सूर्येन्दुग्रहर्चादिगतयश्च पृथक् पृथक् ।
 भूमैरुपरि किं चैपामन्योन्य प्रोक्तमन्तरम् ॥१७३॥
 किमाधारं दिवि ज्योतिश्चक्रं भ्रमयते च कः ।
 लोके कथं महाभूतान्यूर्ध्वो विभ्रति स्थितिम् ॥१७४॥
 युगधर्मव्यवस्थाभिः काश्चादौ लोकशृत्तयः ।
 कश्चादिमस्ततो राजा ग्रहाणां वर्षिणां कथम् ॥१७५॥
 कति देशाः कति भुवः पृथक्त्वेन निरूपिताः ।
 कार्यः च व च कथं सच्चिवेशो जनपदाश्रयः ॥१७६॥
 व्यक्तचिन्हैः स्वनस्पर्शगन्धवर्णरसादिभिः ।
 काः शस्ता निन्दिताः काश्च पुराणामपि भूमयः ॥१७७॥
 कार्यं केन विधानेन भूभृत्पुरनिवेशनम् ।
 किं फलं सुनिविष्टेस्मिन् दुर्निविष्टे च किं पुनः । १७८॥
 कतिप्रकारं दुर्गं च दुर्गकर्मक्रमञ्च कः ।
 किमग्रपुरसंस्थानमनिन्यं किं च निन्दितम् ॥१७९॥
 कश्चात्रानुक्रमविधिः प्रमाणैरूपपादितः ।
 प्राकारगोपुराट्टालपरिखावप्रकर्म च ॥१८०॥
 तमंगनिगमद्वारप्रतोल्यट्टालकादिभिः ।
 कीदृशः प्रविभागश्च रथ्यात्रावरवर्त्मभिः ॥१८१॥
 भूमिप्रमाणसंस्थानां सीमा च क्षेत्रदिवपर्यं ।
 नगरग्रामखेटानां निवेशा. स्युः पृथक् पृथक् । १८२॥
 पुरस्याभ्यन्तरे पूर्वं कर्तव्यावयवक्रमः ।
 कस्मिन् स्थाने कथं कार्यं शकृच्चनिवेशनम् ॥१८३॥
 प्रतिस्त्रावसर तस्य नियुक्तस्य कथं पुनः ।
 द्वितीय नृपलोकानां विधातव्यो महोरपवः ॥१८४॥
 गृहेषु केषु केष्वग्र कासु कासु ककुप्सु च ।
 भागैर्बाह्यान्तरैः कैः कैः कार्या, काः कान्य देवताः ॥१८५॥

कैः कैर्यानपरीवारवर्यरूपविभूषणैः ।
 कार्याः कैः कैः सुरा वस्त्रवयोवेषायुधध्वजैः ॥१८६॥
 प्रमाणमितिसंस्थानसंस्थानोच्छ्रयज्जमभिः ।
 प्रासादाः कस्य के वा स्युः सुरराजद्विजातिषु ॥१८७॥
 प्राकारपरिस्त्रागुप्तं पुरे स्याद् गोपुरं क्व च ।
 युगमध्याम्बुवेशमानि क्व च स्युः क्व महानसम् ॥१८८॥
 कोष्ठागारायुधस्थानभाण्डागारनिवेशनैः ।
 व्यायामनृत्तसगीतस्नानधारागृहादिभिः ॥१८९॥
 शय्यावासगृहप्रेक्षावेशमादशंगृहैः पृथक् ।
 फ्रीडादोलाजयारिष्टगृहान्तःपुरवेशमभिः ॥१९०॥
 विटंकभ्रमनियूहकक्षासंयमनादिभिः ।
 अशोकवनिकाभिश्च जलतामण्डपवेशमभिः ॥१९१॥
 वापीभिर्दारुगिरिभिश्चित्राभिः पुष्पवीथिभिः ।
 पतैर्विशेषैरन्यैश्च विचित्रैर्विपिनाश्रयैः ॥१९२॥
 मानोन्मानक्रियायामद्रव्याकृतिविनिर्मितः ।
 निकेतननिवेशः स्याद् राज्ञां भागाश्रितः कथम् ॥१९३॥
 पुरोधःसैन्यभूक्षेष्टद्वैवचिन्तकमन्त्रिणाम् ।
 कं कं च भागं प्राप्य स्युर्निवेशा नृपवेशमनः ॥१९४॥
 पुरे स्युर्दिष्टु भागेषु पदभागेषु केषु च ।
 विप्रराजन्यविट्शूद्रास्तज्जैरन्तरजैः समम् ॥१९५॥
 तथा कृषितुलाशिल्पकलापण्योपजीविनः ।
 हिंसाश्रितारश्च पुरुषा निवेश्याः स्युः कथं क्व च ॥१९६॥
 निवेशाः कीदृशाश्चैषां कियन्तो वा भवन्ति ते ।
 शस्यन्ते केन वा केषां कैः प्रवेशजलभ्रमैः ॥१९७॥
 धिष्ययमाद्यं कतिविधं द्रव्याण्याद्यानि कानि वा ।
 हेतुरेषां च सर्वेषां स्याच्च कीदृगनुक्रमः ॥१९८॥
 भजन्ते योगमन्योन्य कानि द्रव्याणि कैः सह ।
 कानि योगं न गच्छन्ति कैर्वा कः क्व वसेत् पुमान् ॥१९९॥
 इष्टकाकर्म किं चेष्ट कीर्तिता कतिधा च भूः ।
 परिकर्मक्रमस्तासां बह्यग्न्युपवमैश्च कः ॥२००॥
 गुरुवर्णिष्वजोर्वीशतद्भृत्यप्रतिमा (१) पुराम् ।
 घृत्ताः के के प्रशस्ताः स्युर्गृहाय के च गर्हिताः ॥२०१॥
 तच्छेदत्तावसंभूतं शब्ददिकृपातगर्भं जम् ।
 विज्ञायते कथं कर्तृकारकादिशुभाशुभम् ॥२०२॥
 प्रमाणं तच्छणच्छेदैः शोधितानां कथं भवेत् ।
 आहत्य स्थापनं पूर्वं दारुणां स्थानके क्व च ॥२०३॥

सामान्यतोऽखिलानां काः काश्च जातेर्विशेषतः ।
 प्रशस्तेलंक्षमभियुक्ता भूमयः परिकीर्तिताः ॥२०४॥
 शल्योदारविधिः कीदृक् कीदृशं भूमिकर्म च ।
 दिग्ग्रहः सूत्रेण चाधिवासनं च कथं भवेत् ॥२०५॥
 प्रमाणं मूलपादस्य शिलान्यामे च को विधिः ।
 विभज्यते कथं वेश्म शाल्जालिन्दविभाजनम् ॥२०६॥
 मानानि कानि भित्तीनां पीठानामुच्छ्रयार्चके ।
 कथं तानि विकल्प्यानि वर्णानां मेखलादिभिः ॥२०७॥
 समस्तकानां स्तम्भानां द्वारस्तम्भानां सह ।
 नागवीथ्युपधानानां सम कण्ठचिनिर्गमैः ॥२०८॥
 जयन्तीसदृग्रहत्तुलाकार्याणां वास्तुनोपि च ।
 कीदृश फलकानां च प्रमाणं परिकीर्तितम् ॥२०९॥
 स्वमानात् सर्ववर्णानां तल्लोच्छ्रयार्चतु कीदृशाः ।
 का गवाणकपोतालिवेद्रिकाजालकक्रियाः ॥२१०॥
 स्थूया निसृष्टिकोरसूका मृगा (ल्योऽल्यु) पतुलास्तथा ।
 सान्तः प्राणेशिरोवशाः किंप्रमाणाः प्रकीर्तिताः ॥२११॥
 छाद्योदयाः क्षियन्तः स्युर्बुत्तच्छाद्यक्रमश्च क ।
 श्यध्याणां खण्डवृत्तानां लुपानां च क्रियाः कथम् ॥२१२॥
 सीमालिन्दशिर (स्वाऽस्वा) सां कीदृशी चावलम्बना ।
 कतिप्रकाराः प्रासादशिरसां च विकल्पनाः ॥२१३॥
 यच्चान्यदेवमादि स्यात् प्रासादभवनादिषु ।
 द्रव्यकाष्ठकलासंगि प्रमाणं तस्य कीदृशम् ॥२१४॥
 शाल्जालिन्दप्रमाणानि चतुःशालेषु धामसु ।
 ज्यायोमध्ययवीयस्स मूपाभिः काष्ठकल्पना ॥२१५॥
 एकद्वित्रिचतु शालान्येषां संयोगतोपि च ।
 कथं कति च वेश्मानि कल्पन्त प्रविभागशः ॥२१६॥
 कथं च पौडशचतु, पष्ट्येकागीतयः शतम् ।
 सविभागा, पदानां स्युः कथमत्रामरस्थिति ॥२१७॥
 आद्यो नवपदो घाम्पुरन्त्यः साहस्रिकः कथम् ।
 श्रगप्रार्थगभागेषु केषु केषु क्व तस्थुषः ॥२१८॥
 कथमेते सुराः सर्वे वास्तोरस्य व्यवस्थिता ।
 एतद्वंशशिरश्चक्षु कृत्स्नमूर्धमर्मसु ॥२१९॥
 जायेत पीठा द्रव्येषु स्रष्टिविष्टेषु कस्य का ।
 वास्वचारम्भप्रवेगेषु यात्रायां न्यापनेषु च ॥२२०॥
 वृत्स्वप्ननिमित्ताद्यैः कथं ज्ञेयं शुभाशुभम् ।
 दारक्रियासु चित्रेषु तथा लेप्यक्रियासु च ॥२२१॥

योज्यं किं क्रियोज्यं च किं भूपभवनादिषु ।
 हस्तस्य लक्षणं मानसंज्ञा वै जायते कथम् ॥२२२॥
 किं हृद्येष्वग्निक्षेम स्यात् किं च नियुक्तलक्षणम् ।
 अनुक्रमेण वर्णानां वलिकर्म च कीदृशम् ॥२२३॥
 विधेयं विधिना केन भवने च प्रवेशनम् ।
 पतिते स्फुटिते जीर्णे प्लुष्टे वज्राशनिक्षते ॥२२४॥
 निमग्नमग्ननिभिन्नप्रशीर्णेषु च वास्तुषु ।
 मधुवल्मीकसंभूतौ प्रविरुद्धे च दारुणि ॥२२५॥
 जायते किं फलं कुत्र प्रायश्चित्तेन को विधिः ।
 हृद्येवमादिकमनेकविधं विधाम वेश्मोपगं च पृथगाश्रयसमृतं च ।
 अस्मास्त्रनक्षकस्याद्रिं तच्चित्तवृत्तिर्व्याख्यातुमर्हसि समस्तमनुक्रमेण ।
 ॥२२६॥ (३. १-६०)

(॥) कला के रूप में (As an art):—

चतुर्विध स्थापत्य

स्थापत्यमुच्यतेऽस्माभिरिदानीं प्रक्रमागतम् ।
 ज्ञातेन येन ज्ञायन्ते स्थपतीनां गुणागुणाः ॥२२७॥
 शास्त्रं कर्म तथा प्रज्ञा शीलं च क्रिययान्वितम् ।
 लक्षणलक्षणयुक्तार्थशास्त्रनिष्ठो नरो भवेत् ॥२२८॥
 सामुद्रं गणितं चैव ज्योतिषं छद् एव च ।
 सिराज्ञानं तथा शिल्पं यन्त्रकर्मविधिस्तथा ॥२२९॥
 एतान्यंगानि जानीयाद् वास्तुशास्त्रस्य बुद्धिमान् ।
 शास्त्रानुसारेणाभ्युद्य लक्षणानि च लक्षयेत् ॥२३०॥
 प्रसिद्धशास्त्रदृष्टान्तैर्वास्तुज्ञानं प्रसाधयेत् ।
 वस्तुनः ससिरावशैर्मर्मवेधैः सुनिश्चितैः ॥२३१॥
 वास्तुद्वारलक्षणान् भूयः सर्वान् जानाति शास्त्रतः ।
 यस्तु शास्त्रमविज्ञाय प्रयोक्ता स्थपतिर्भवेत् ॥२३२॥
 हन्तव्यः स स्वयं राज्ञा मृत्युवद् राजर्हिसकः ।
 मिथ्याज्ञानादहंकारी शास्त्रे चैवाकृतश्रमः ॥२३३॥
 अकालमृत्युलोकस्य विचरेद् वसुधातले ।
 यस्तु केवलशास्त्रज्ञः कर्मस्वपरिनिष्ठितः ॥२३४॥
 स मुह्यति क्रियाकाले दृष्ट्वा भीरुरिवाहवम् ।
 केवलं कर्म यो वेत्ति शास्त्रार्थं नाधिगच्छति ॥२३५॥
 सोऽचक्षुरिव नीयेत विवशोऽन्येन वर्त्मसु ।
 कर्म वास्तुविधेः स्थानं मानमुन्मानमेव च ॥२३६॥

क्षेत्रजा (दिग्नि) च कर्माणि लुमालेखा (च१७च)तुर्दश ।
 च(स्वा१तु) रो गण्डिकाच्छेदान् वृत्तच्छेदेषु सप्तसु ॥२३७॥
 सुश्लिष्टं सन्धिसन्धामैरधरोत्तरसयुतम् ।
 याद्यरेखान्वितं शुद्धं यो जानाति स कर्मवित् ॥२३८॥
 शास्त्रकर्मसमर्थोऽपि स्थपतिः प्रज्ञया विना ।
 फलयुः कर्मभिरन्याभिः (?) स्यान्निर्मद इव द्विपः ॥२३९॥
 प्रथुरपन्नमतिर्यः स्याद् वाह (तः१क) स्थपतिस्तथा ।
 कर्मकाले न मुह्येत स प्रज्ञानेनोपवृ हितः । २४०॥
 अप्रज्ञेय दुरालोकं गूढार्थं बहुविस्तरम् ।
 प्रज्ञापोतं समाख्य प्राज्ञो वास्तुनिरं (धि) तरेत् ॥२४१॥
 ज्ञानवांश्च तथा वाग्मी कर्मस्वपि च निष्ठितः ।
 एवं युक्तोपि न श्रेयान् यदि शीलविवर्जितः ॥२४२॥
 रोपाद् द्वेषात् तथा लोभान्मोहाद् रागात् तथैव च ।
 अन्यच्चिन्त्यत्वमायाति दुःशीलानामविच्छयात् (?) ॥२४३॥
 शीलवान् पूजितो लोके शीलवान् सायुसम्मतः ।
 शीलवान् सर्वकर्माहः शीलवान् मियदर्शनः ॥२४४॥
 शीलधाने परं यत्नमा (धि१ति) ष्टेत् स्थपतिः सदा ।
 ततः कर्माणि सिध्यन्ति जनयन्ति शुभानि च ॥२४५॥
 तथाचाष्टविधं कर्म ज्ञेयं स्थपतिना सदा ।
 आक्षेप्यं लेख्यजातं च दारुकर्मचयस्तथा ॥२४६॥
 पापाण्यसिद्धहेम्ना च शिल्पं कर्म तथैव च ।
 एभिर्गुणैः समायुक्तः स्थपतिर्याति पूज्यताम् ॥२४७॥
 स्यात्परमगैरिदमष्टभिर्यश्चतुर्विधं वेत्ति विशुद्धबुद्धिः ।
 स शिल्पिनां ससदि लब्धपूजः परां प्रतिष्ठा लभते चिरायुः ॥२४८॥
 (४४, १-२२)

अष्टांग स्थापत्य—

प्रोक्तं चतुर्धा स्थापत्यं वास्तुतत्त्वस्य सिद्धये ।
 धूमस्तदेव चेदानीमगैः सयुक्तमष्टभिः ॥२४९॥
 तेष्वंगं प्रथमं प्रोक्तं वास्तुपुंसो विकल्पना ।
 पुरस्य विनिवेशस्तु द्वितीयं द्वारकर्म च ॥२५०॥
 रथ्याचिभागः प्राकारनिवेशोऽट्टालकस्य च ।
 विनिवेशः प्रतीकानां विभागस्थानकानि च ॥२५१॥
 प्रासादश्च नृवीर्यं स्याच्चतुर्थं तु ध्वजोच्छ्रित्तिः ।
 पञ्चमं नृपतेर्वैश्वस्य स्यान्तारविभक्तिं च ॥२५२॥
 चातुर्वर्ष्यविभागश्च गृहभागश्च षष्ठकम् ।
 सप्तमं यत्रमानस्य शालायां मानमीरितम् ॥२५३॥

यज्ञवेदीप्रमाणं च कोटिहोमविधिस्तथा ।
 अष्टमं राजशिविरनिवेशो दुर्गकर्म च ॥२५४॥
 यो वेत्यंगान्यमून्यष्टौ सोऽत्र स्थपतिसत्तमः ।
 यशो मामं स लभते पूज्यते च नराधिपैः ॥२५५॥
 अशास्त्रमकर्मज्ञं स्थपतिं यः प्रयोजयेत् ।
 न तस्य वास्तु सिध्येत सिद्धमप्यसुखावहम् ॥२५६॥
 तस्मात् कर्म च शास्त्रं च यो वेत्ति द्वितयं नरः ।
 अष्टांगमपि यो वेत्ति स राज्ञः स्थपतिर्भवेत् ॥२५७॥

(४१. १-६)

द्वितीयपटल

पुर-निवेश

(औपोद्घातिक)

(अ) देशचयन एवं भू-परीक्षा Regional survey and the examination and selection of the site:—

(i) देश एवं देश-भूमियो

देशश्च देशभूम्यश्च समासात् तव सम्प्रति ।
 तत्संख्या तद्विभागश्च प्रोच्यन्तेऽवहितः शृणु ॥२५८॥
 देशः स्याज्जांगलानूपसाधारणतया त्रिधा ।
 त्रिविधस्याप्यथैतस्य यथावरुलक्षम कथ्यते ॥२५९॥
 दूराम्बूरिरियाप्रायो ह्रस्वकण्टकिपादपः ।
 रूक्षोप्यचण्डपवनः कृष्णमृत् तेषु जांगलः ॥२६०॥
 निम्नो भूरिजल, स्निग्धो बहुमस्यामिपो हिमः ।
 स्यादनूपः सरिप्रायः स्निग्धोच्छ्रूतबहुद्रुम, ॥२६१॥
 यः पुनर्नातिशीतोप्यः स्याद् देशद्वयलक्षणः ।
 स साधारण ह्यस्युक्तो देशो देशविशारदैः ॥२६२॥
 जागलादिषु देशेषु त्रि (पुण्येषुष्वप्ये) षु स्वलक्षणैः ।
 युक्ता, षोडश विज्ञेया भूमय, प्रविभागतः ॥२६३॥
 बालिशगस्वामिनी भोग्या सीतानोचररक्षिणी ।
 अषाध्रयवती कान्ता खनिमत्यामधारिणी ॥२६४॥
 वणिकप्रसाधिता द्रव्यसम्पन्नामित्रधातिनी ।
 आश्रेणीपुरुषा शक्यमामान्ता देवमानुका ॥२६५॥

धान्या हृक्षिवनोपेता सुरक्षा चेति पोटश ।

भुव. संज्ञाभिरुद्दिष्टा लक्ष्मात्तामथ कथ्यते ॥२६६॥ (८. १-६)

(ii) देश-चयन एवं सुरम्य देश (Land and Landscape):—

घातुस्पन्दोन्नसत्कुन्जगुक्षगुल्मजतावृते. ।

वत्सगिताः पृथुशिलैः समन्तादवनीधरैः ॥२६७॥

तीर्थावतारकांताभिः स्वादुतोयाभिरावृता ।

नदीभिः पुलिनप्रान्तैर्विचित्रद्रुमशालिभिः । २६८ ।

कोकिलालापसुभगैर्मधुमत्तालिशालिभिः ।

विचित्रफलपुष्पाद्वयैः कान्तैरपशोभिताः ॥२६९॥

दलत्कुवलयश्रेणीक्षणन्मधुपहारिभिः ।

सरसीदेवखाताद्यैर्भूषिताः प्राज्यवारिभिः ॥२७०॥

समैः सुगन्धिभिः स्वादुशीतैः कान्तैरभङ्गुरैः ।

क्षेत्रैश्चित्तसीमान्तैः सत्यनिष्पादिभिवृता ॥२७१॥

निष्कण्टकाश्मवलमीकैः प्रभूतयवसेन्धमैः ।

विभक्तक्षेत्रसीमान्तैर्गोचरैरुपशोभिताः ॥२७२॥

स्थले नृणाममुदाणामन्तरेषु वसुन्धराः ।

प्रशस्यन्ते समासन्नस्वादुशीतजचारयः ॥२७३॥

दुरात्मनामष्टप्या यास्तथानेकाश्रयान्विताः ।

संरम्भान्नानिर्युक्त मनश्च रमयन्ति याः ॥२७४॥

तास्वेवगुणयुक्तासु महीषु विनिवेशयेत् ।

यथाम्थानं जनपदान् खेटग्रामपुरादि च ॥२७५॥ (८. २०-२५)

स्निग्धाः सारभृत, शुद्धा प्रदक्षिणजलाशयाः ।

बहूदकास्तच्छृङ्गा निविडा प्रागुद्रकप्लवाः ॥२७६॥

दूर्वास (रतवौ? रसौ) पत्नीमुन्जकुन्दकुशयत्कलैः ।

परितः पण्डित्वाश्च म्वादुस्वच्छस्थिरोदकाः ॥२७७॥

वान्तुयज्ञामरस्थानाधारामोद्यानमंभृताः ।

तटाकवापीस्थानैश्च याः समन्तादलटकृताः ॥२७८॥

या पाहनानां सुगन्दा मिथुनानां रतिप्रदा ।

पुरार्थं ताः प्रशस्यन्ते भूमयो जनिनधियः ॥२७९॥ (८. ४०-४३)

(iii) विविध भूमियाः—चयन एवं परीक्षण Different soils and their selection and Examination. —

सिता रक्षा च पीता च कृत्वा चैव क्रमान्मही ।

चिनादीनां हि चर्णानां सर्वेषु मथवा रिता ॥२८०॥

स्वादुः कषाया तिका च कटुका चेत्यनुक्रमात् ।
 वर्णानां स्वादतः शस्ता सर्वेषां मधुराथवा ॥२८१॥
 घर्मागमे हिमस्पर्शा या स्यादुष्णा हिमागमे ।
 प्रावृष्युष्णहिमस्पर्शा सा प्रशस्ता वसुधरा ॥२८२॥
 मृदंगवल्लकीवेशुदुन्दुभीनां समा ध्वनौ ।
 द्विपा (न्दौष्यश्वाधि) समस्वाना चेति स्युर्भूमयः शुभा. ॥२८३॥
 (८, ४८-५१)

(IV) मृत्तिका-परीक्षा

करप्रमाणां कुर्वीत खातं तद्गमिमप्यगम् ॥२८४॥
 ततस्तन्मृदमाकृष्य तव तयैवानुपूरयेत् ।
 खाताधिकमृदुक्ता भूः श्रेष्टा मध्या च तत्समा ॥२८५॥
 प्रहीणखातमृत् क्षोणी हीना शस्ता न सा नृणाम् ।
 खन्यमाने यदा खाते तन्मृदोऽन्तर्विजोक्ष्यते ॥२८६॥
 मणिशङ्खप्रवालादि तदातिश्रेयसी चितिः ।
 सापि प्रशस्यते भूमिर्यस्यां स्युः खातपांसवः ॥२८७॥
 तुषकेशोपलाङ्गारभस्मास्थिलववर्जिताः ।
 भृत्वाङ्गिः खातमापूर्णं तस्मिन् पदशतं व्रजेत् ॥२८८॥
 तावच्चेदागमेऽम्भः स्यात् तदा भूः सार्वकामिकी ।
 मध्यमात्र प्रहीणे स्यात् ततो हीनतरेऽधमा ॥२८९॥
 खाते सितादिमात्यानि यस्यां निशुषितानि च ।
 यद्वर्णानि न शुष्यन्ति सा तद्वर्णेषु मही ॥२९०॥
 खातस्योदकप्रभृतिषु दिक्षु प्रज्वालयेत् वा ।
 दीपान् यस्यां चिरं तिष्ठेत् तद्वर्णेषु प्रदा हि सा ॥२९१॥
 इत्येव कीर्त्तिताः कास्त्र्याह्वचमभिः पुरभूमयः ।
 खर्वाटप्रामखेटानामेता एव स्मृता हिताः ॥२९२॥ (८, ६६-७५)

ब. मान-योजना The standards of measurements:

(1) हस्त-विभाजन

रेखवष्टनेन वालाग्रं लिखा स्यादष्टभिस्तु तैः ।
 भवेद् यूक्ताष्टभिन्ताभिर्यवमध्य तदष्टकात् ॥२९३॥
 अष्टभिः सप्तभिः पङ्क्तिरष्टगुलानि यवोदरैः ।
 ज्येष्ठमध्यमनिष्ठानि तच्चतुर्विंशतिः वरः ॥२९४॥
 मोऽष्टभिः पञ्चभिर्युक्तः करः कार्यां विजानता ।
 करस्यार्धं चतुःपर्वं शेषं स्याद् भक्तमष्टगुलैः ॥२९५॥
 तत्राग्रे पर्वरेखा. स्युस्तिष्ठः पुष्पकभूषिताः ।
 शेषास्वङ्गुलरेखासु शुष्पाणि विदधीत न ॥२९६॥

अत्रार्धे मध्यतः कार्यं द्वेषा पञ्चममङ्गुलम् ।
 मध्विषाष्टमं कार्यं चतुर्धा द्वादशं ततः ॥२६७॥
 हस्तः स्वाङ्गुलमानेन विधेयाङ्गुल (मि०इ) प्यते ।
 तद् सार्धं द्विगुणं वापि यादृक्त्यं तु तदधत्त. ॥२६८॥ (६. ४-६)

(II) मान-विभाजन

स्यादेकमङ्गुलं मात्रा कला प्रोक्ताङ्गुलद्वयम् ॥२६६॥
 पर्वं त्रीण्यङ्गुलान्याहुमुष्टिः स्याच्चतुरङ्गुला ।
 तल स्यात् पञ्चभिः पङ्क्तिभिः करपादाङ्गुलैर्भवेत् ॥३००॥
 सप्तभिः (हंदिं) ष्टिरष्टाभिरङ्गुलैस्तृणिरिष्यते ।
 प्रादेशो नवभिस्तैः स्याच्छ्रयतालो दशाङ्गुलः ॥३०१॥
 गोकर्णं एकादशभिर्वितस्तिद्वादशाङ्गुला ।
 चतुर्दशभिरुष्टिः पादो नाम तथाङ्गुलैः ॥३०२॥
 रत्नि. स्यादेकविंशत्या स्यादगति. करोन्मित. ।
 द्वाचम्भारिशता किष्करङ्गुलैः परिकीर्तितः ॥३०३॥
 चतुरत्तरयाशीरया व्यामः स्यात् पुरुपस्तया ।
 पणवत्याङ्गुलैश्चापं भवेत्लाटीयुग तथा ॥३०४॥
 शतं पङ्क्तिर द्यदो नल्वस्त्रि शब्दुर्मितः ।
 क्रोशो धनु.सहस्रं तु गव्यूतं तद्द्वय विदुः ॥३०५॥
 चतुर्गन्व्यूतमिच्छन्ति योजनं मानवेदिन. ।

मान-संख्या

एक दश शतमस्मात् सङ्ख्यमनु चायुतम् ॥३०६॥
 नियुत प्रयुत तस्मादर्वुदन्यर्वुदे अपि ।
 वृन्दस्वर्निखर्वाणि शंकुपद्माश्वुराशयः ॥३०७॥
 ततः स्यान्मध्यमन्यं च परं चापरमप्यतः ।
 परार्धं चेति विज्ञेयं दशवृद्धयोत्तरोत्तरम् ॥३०८॥
 सख्यांस्थानानि कथितान्येवमेतानि विंशतिः ॥३०९॥

(६. ३६३-४०३)

(III) मान प्रयोग

विभागाणामविस्ताराः सेटप्रासपुरादिषु ॥३१०॥
 प्रासादवेश्मपरिल्लाद्धारध्यासभादिषु ।
 मगार्शच निर्गमा (येधै) पां सीमदेशान्तराणि च ॥३११॥
 यनोपयनभागाश्च देशान्तरविभक्तय ।
 योजनक्रोशगव्यूतिप्रनाणमपि ध्याघनः ॥३१२॥
 प्राशयेन प्रमातच्याः स्यात्प्रकृचराशयः ।
 तन्नोच्छ्रयान् मूलपादान् जलोदेषानघ. धितेः ॥३१३॥

तथा दोलान्दुशस्त्रादि पातमानविनिर्णयन् ।
 शैलस्र्वातनिक्षेतानि सुरंगान्मानान्तरम् ॥३१४॥
 साधारणेन वाय्यध्वमानं च परिकल्पयेत् ।
 आयुधानि धनुर्दण्डान् यानं शयनमासनम् ॥३१५॥
 प्रमाणं कूपवापीनां गजानां वाजिनां नृपाम् ।
 अश्वद्वेषुयन्त्राणि युगयूपहल्लानि च ॥३१६॥
 -शिल्प्युपस्करनौद्धत्रध्वजातोद्यानि यानि च ।
 वृत्सीकर्मोत्तरापटवानादिकं च यत् ।
 नक्षत्रदण्डास्तथामात्राशयहस्तेन मापयेत् ॥३१७॥

(१.३०१-३६)

स. पद-विन्यास (Site plans) :—

(१) वास्तुत्रय

एकाशीतिपदो य. स्यात् तथा शतपदश्च यः ।
 चतुःषष्टिपदो यश्च वास्तुरत्र त्रिभोदितः ॥३१८॥ (१३ १)

(११) वास्तु-प्रयोग

वणिनां भवनादीनि निवेशा राजवेशमनाम् ।
 एकाशीतिपदेनेन्द्रत्यानं च विभजेत् सुधीः ॥३१९॥
 प्रासादा विविधास्तद्द्व द्विचित्राश्चात्र मण्डपाः ॥
 तान् मापयेच्छतपदप्रविभागेन बुद्धिमान् ॥३२०॥
 यः पुन. स्याच्चतुःषष्टिपदस्तेन विभाजयेत् ।
 नरेन्द्रशिविग्रामखेटादि नगरादि च ॥३२१॥ (१३.३-५)

य. नगर-प्रभेद

नगरं मन्दिरं दुर्गं पुष्करं सागपराधिकम् ।
 निवासः सदनं सद्मं क्षयः क्षितिलयस्तथा ॥३२२॥
 यत्रास्ते नगरे राजा राजधानी तु तां विदुः ।
 शास्त्रानगरमज्ञानि ततोऽन्यानि प्रचक्षते ॥३२३॥
 शास्त्रानगरमेवाहुः कर्षटं नगरोपमम् ।
 ऊ। कर्षटमेवेह गुरौर्निगम उच्यते ॥३२४॥
 ग्रामः स्थान्निगमाद्गनो ग्रामकल्पो गृहस्वसौ ।
 गोकुलावाममिच्छन्ति गोकुलम् तु गोकुलम् ॥३२५॥
 उपस्थानं भवेद् राज्ञां यत्र तत् पत्तनं विदुः ।
 बहुस्फीतवणियुक्तं तदुक्तं पुटभेदनम् ॥३२६॥

विधाय कुटिका यत्र पत्रशाखादयोपलैः ।

पुलिन्दाः कुर्वते वासप हली स्वल्पा तु पल्लिका ॥३२७॥

नगरं वर्जयित्वान्यत् सर्वं जनपदः स्मृतः ।

नगरेण सम कृत्स्नं राष्ट्रं देशोऽथ मण्डलम् ॥३२८॥(१८.१-७)

राष्ट्रीय निवेश में ग्राम-निवेश की इकाई (unit)

Town planning as a unit of National planning:

नगरस्य विभागोऽथ यथावत् समुदीरितः ।

खेटं तदर्धविष्कम्भमाहुर्ग्रामं तदर्धतः ॥३२९॥

प्रोजनेन पुरात् खेटं खेटाद् ग्रामं प्रचक्षते ।

गव्यूतिपरिमाणेन ग्रामाद् ग्रामं प्रचक्षते ॥३३०॥

द्विक्रोशाद् विपये सीमा तदर्धेन पुरस्य सा ।

खेटके पुरसीमाथ ग्रामे खेटार्धतः स्मृता ॥३३१॥

त्रिशद्वर्षमपि विष्कम्भः पुरे दिग्दर्शनं स्मृतः ।

विंशतिः खेटके मार्गो ग्रामे दश च दर्शितः ॥३३२॥

नव ग्रामसहस्राणि नवति (श्च१न्व) प्रचक्षते ।

चतुःषष्टिमपि ग्रामान् ज्यायो राष्ट्रं विदुर्बुधाः ॥३३३॥

दशार्धं च सहस्राणि ग्रामाणां त्रिशती तथा ।

ग्रामाश्चतुरशीतिश्च मध्यमं राष्ट्रमीरितम् ॥३३४॥

सहस्रमेकं ग्रामाणां तद्वच्च शतपञ्चकम् ।

धुना च ग्रामपञ्चाशत् कनीयो राष्ट्रमुच्यते ॥३३५॥

अर्धसंख्ययैतेषां ज्येष्ठमध्यकनीयसाम् ।

विधाय नवधैकैकं विभजेद् विधिवत् सुधीः ॥३३६॥

राष्ट्रेष्वेवं विमक्तेषु यथाभागं विधानवित् ।

निवेशयेत् पुराण्येषु सप्त सप्त यथागमम् ॥३३७॥(१०.७६-८७)

७. देवतायन Temples—Temple cities

निवेशनानि कुर्वति त्रिदशानां यथाक्रमम् ।

नगराभिसुखं चिन्त्रिवनमान्त्रि शुमानि च ॥३३८॥(१०.११०)

८. आरामोद्यानदिनियोजन— Gardens Orch ards and pools etc.—

Garden-cities

पुंयं सरोप्य परिष्ठाप्रितयं परितोऽञ्जमभिः ।

विधेयनिष्टकाभिर्वा सन्पगद्वत्तलं स्थिरम् ॥३३९॥

सिरावारिभिरापूर्णां पूर्णां वागामिनाम्भसा ।
विचित्राऽत्रमनोहारि ससंप्राहाग्नुनिर्गमम् ॥३४०॥
सर्वपाशर्वेण्वथैतस्य गन्धान्धमधुपांगनान् ।
सुमनोविटपारामान् कुर्याद् वासान् समुत्सुकान् ॥३४१॥
बाह्यभागं पुनस्तस्य विदध्यात् सर्वतोदिशम् ।
द्रुममूलैर्लताजालैः कण्टकैरपि संवृतम् ॥३४२॥(१०.२२-२४)
दृष्टादष्टोपभोगार्हान् सरिदिगरिजलाशयान् ।
पत्तद्वाराणि कुर्वीत स्वेच्छया तत्र तत्र च ॥३४३॥
जलभ्रमान् पुरे कुर्याच्छिलादारुतिरोहितान् ।
द्विकरान् करमर्धं वा साग्मसोऽस्मिन् प्रदक्षिणान् ॥३४४॥
(१०.२१-२२)

श. प्राकारादि-विन्यास Fortification

पुरस्य त्रिविधस्यापि प्रमाणमथ कथ्यते ।

प्राकारपरिखाट्टालद्वाररथ्याध्वमिः सह ॥३४५॥(१०.१)

घ. गर्हितपुर Inauspicious towns

द्विषकणां विकर्णां च वज्रं सूचीमुख तथा ।

वर्तुलं व्यजनाकारं चापाकृतिभर च यत् ॥३४६॥

शकटद्विसमं यच्च विस्ताराद् द्विगुणायतम् ।

विदिकस्थ सर्पचक्रं च तत् पुरं निन्दितं भवेत् ॥३४७॥(१०. २३-२४)

सर्वाधिकार सुरक्षित

ग्रन्थ-प्राप्ति-स्थानः—

प्रधान केन्द्र : १—शुक्ला प्रिंटिंग प्रेस, नजीराबाद, लखनऊ ।

२—C/o प्रो० डी० यन० शुक्ल, फैजाबाद रोड, लखनऊ ।

३—लखनऊ के विख्यात हिन्दी बुकसेलर्स ।

टि०—उत्तर-प्रदेश राज्य की सहायता ही के कारण इस अनुसन्धान-ग्रन्थ का मूल्य इतना कम रखा गया है ।

